(1)

राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक 4]　　नवीं विधान सभा के चतुर्थ सत्र का इक्कीसवां दिवस　　[संख्या 8

गुरुवार,

दिनांक 14 मार्च, 1991

विधान सभा की बैठक मध्यान्ह पूर्व 11.01 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री हरिशंकर भाभड़ा, अध्यक्ष, पदासीन)

व्यवस्था

श्री अध्यक्ष : मुझे माननीय सदस्यों को दो बात कहनी है। एक तो यह कि अधिक से अधिक प्रश्न यहां पूछे जाए। इसके लिए अच्छा होगा कि आप प्रोबिंग क्वेश्चन करिये। प्रश्न का मतलब होता है सरकार से सूचनाएं प्राप्त करना अपनी सूचनाएं देना नहीं होता है। इसलिए अधिक से अधिक सूचनाएं प्राप्त करने की कोशिश करिये।

दूसरा, इस सदन में कुछ नियम बने हुए हैं। पार्टियां जब अपनी अपनी रणनीति बनाती है वह बात समझ में आती है लेकिन माननीय सदस्य व्यक्तिगत रूप से खड़े होकर बात कहते हैं कि मैं हाउस को चलने नहीं दूंगा। यह उन का प्रिविलेज नहीं है। सदन की प्रक्रियाओं के मुताबिक ऐसे सदस्यों के खिलाफ पेनल कार्यवाही की जा सकती है, इसको भी ध्यान में रखिये।

इसलिए किसी भी माननीय सदस्य को यह कहने का अधिकार नहीं है कि मैं सदन की कार्यवाही को नहीं चलने दूंगा। पार्टी समस्या अपनी स्ट्रेटेजी बनाती है वह बात परम्परा में सम्मिलित है। इन बातों का आप ध्यान रखें। श्री सुनील विश्नोई :

श्री सम्पत सिंह (कृषि मंत्री) : माननीय सदस्यों की गलती नहीं है। एक्स मिनिस्टर्स की गलती है।

तारांकित प्रश्नोत्तर

सीनियर उच्च माध्यमिक विद्यालय श्री विजयनगर (श्री गंगानगर) में रिक्त पद

319. **श्री पूनमचन्द विश्नोई** (फलोदी) : (श्री सुनील विश्नोई के स्थान पर)—क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राजकीय सीनियर उच्च माध्यमिक विद्यालय, श्री विजयनगर जिला श्री गंगानगर में अध्यापकों व कर्मचारियों के पद काफी समय से रिक्त पड़े हैं, जिसके फलस्वरूप विद्यार्थियों को शिक्षा की हानि हो रही है? यदि हां, तो कौन-कौन सा पद कब-कब से रिक्त है?

(2) क्या सरकार इन रिक्त पदों को

②

(श्री पूनमचन्द विश्नोई)

भरने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक, यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

श्री हरिकुमार औदिच्य : (शिक्षामंत्री)

(1) राजकीय सीनियर उच्च माध्यमिक विद्यालय, श्री विजयनगर (श्री गंगा नगर) श्रेणीबार एवं तिथिवार रिक्त पदों का विवरण सदन के पटल पर रख दिया है।

(2) रिक्त पदों को भरने की कार्यवाही की जा रही है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-1 देखें)

श्री पूनमचन्द विश्नोई : अध्यक्ष महोदय, विजयनगर तो एक मण्डी है और गंगानगर जैसे सम्पन्न जिले में आई हुई है वहां पर 15 व्याख्याताओं के पद स्वीकृत हैं और उनमें से 6 पद ही भरे हुए हैं। वरिष्ठ अध्यापकों के तीन में से कोई नहीं है...

श्री हरिकुमार औदिच्य : आप गलत पढ़े रहे हैं तीन पद रिक्त नहीं हैं...

श्री पूनमचन्द विश्नोई : इसमें तो निल लिखा है। फिर क्या है ?

श्री हरिकुमार औदिच्य : वरिष्ठ अध्यापकों के तीन पद स्वीकृत हैं और कोई रिक्त नहीं है। शारीरिक प्रशिक्षक का एक पद रिक्त नहीं है, अध्यापकों के आठ पद स्वीकृत हैं वहां एक पद रिक्त है।

श्री पूनम चन्द विश्नोई : 15 में से 6 पद रिक्त हैं। तो इतने लम्बे समय से रिक्त हैं। अब तो परीक्षा आने को है यह अब तक क्यों नहीं भरे गये ?

श्री हरिकुमार औदिच्य : माननीय अध्यक्ष महोदय, 6 पद रिक्त बताये हैं उनमें से सूचना देने के बाद तीन तो भर दिये गये हैं। यह पद सीधी भर्ती के हैं और पी. एस. सी. से भरे जाते हैं। तीन के तो नाम आ गये हैं और तीन विचाराधीन हैं। पी. एस. सी. से ज्योंही आयेंगे तो भर देंगे क्योंकि इनको डायरेक्टर डिपार्टमेण्ट द्वारा न भर कर पी. एस. सी. के माध्यम से भरे जाते हैं।

श्री अध्यक्ष : आप पूछ रहे हैं ?

श्री टीकम चन्द कांत (रेवदर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह अवस्था अब से नहीं कांग्रेस काल से चली आ रही है...

श्री अध्यक्ष : आप तो भाषण दे रहे हैं। मैंने शुरू में जो कहा उसका कुछ मतलब था। आप सीधा प्रश्न पूछिये।

श्री टीकमचन्द कांत (रेवदर) : मैं भी इसी प्रकार स्थान रिक्त हैं। वहां कब तक भरे जायेंगे।

श्री अध्यक्ष : बिराजें। आप पूछें।

श्री अमृतलाल परमार (बाली) : पाली में भी आठ महीने से अब तक पद रिक्त हैं।

श्री अध्यक्ष : ठीक है । बिराजें । आप बोलिए । आप बोलिए ।

श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा) : अध्यक्ष महोदय, सीनियर हायर सैकण्डरी स्कूल, इटावा में पांच पद रिक्त है ।

श्री अध्यक्ष : बैठिए, आ गया, नाम आ गया । आप बोलिये ।

श्री जितेन्द्र सिंह (जैसलमेर) : अध्यक्ष महोदय, जैसलमेर के विद्यालय में भी अनेक पद रिक्त हैं ।

श्री अध्यक्ष : बिल्कुल ठीक । बोलिये, आप बोलिये ।

श्री रतनाराम ।

श्री रतनाराम चौधरी (रानीवाड़ा) : अध्यक्ष महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र रानीवाड़ा के सीनियर हायर सैकण्डरी स्कूल में भी चार पद रिक्त हैं ।

श्री अध्यक्ष : आप बोलिये ।

श्री जुबेर खान (रामगढ़) : मैं तो मंत्री महोदय से यह प्रश्न पूछना चाह रहा हूँ कि जब ट्रांसफर्स होते हैं तो बहुत से अध्यापक छुट्टी लेकर बैठ जाते हैं या लम्बी छुट्टी ले लेते हैं तो छात्रों की पढ़ाई का नुकसान होता है तो इसके लिये सरकार क्या कदम उठाने का विचार रखती है जिससे कि छात्रों की पढ़ाई का नुकसान न हो ।

श्री अध्यक्ष : अमीन खां ।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : अध्यक्ष महोदय, एक क्षेत्र विशेष का प्रश्न है ।

श्री अध्यक्ष : आप क्या कहना चाहते हैं ?

श्री अमीन खां (शिव) : दो साल से अध्यापक नहीं है ..

श्री अध्यक्ष : बैठिए आप । बोलिये क्या कहना चाहते हैं ? बिराजें श्री अमीन खां जी ।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी व्यवस्था के अनुसार यह इच्छा रहती है कि ज्यादा से से ज्यादा प्रश्न आ जायं यह प्रश्न एक क्षेत्र से सम्बन्धित था । वह माननीय सदस्य ने प्रश्न कर लिया उत्तर दे दिया । अब अगर आप कहें मुझे आपत्ति नहीं है पर बाकी महत्वपूर्ण सवाल हैं वह नहीं आ सकेंगे ।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये । देखिए, माननीय मंत्री महोदय के ध्यान में यह लाया जाना बहुत जरूरी है कि सिम्पल सवाल का जवाब देकर वह बैठ गये । सारे राजस्थान में जगह जगह पद खाली पड़े हुए हैं और मार्च का महीना आ गया है और शिक्षा विभाग इस सम्बन्ध में कुछ नहीं कर रहा है । यह बच्चों के साथ खिलवाड़ हो रहा है, मालूम होना चाहिये आपको । मंत्री महोदय, इसके सम्बन्ध में आप जल्द से जल्द व्यवस्था करें ।

श्री हरिकुमार औदिच्य : मैं आसन की

(श्री हरिकुमार औदिच्य)

तरफ से जो टिप्पणी की गई है उस पर निवेदन करना चाहूँगा......

श्री अध्यक्ष : बोलिये, फरमाइये।

श्री हरिकुमार औदिच्य : माननीय अध्यक्ष महोदय, जो प्रश्न से सम्बन्धित सप्लीमेण्ट्रीज आयी उनका जवाब तो मैं देने को तैयार हूँ लेकिन कोई सुजानगढ़ की बात करते हैं कोई इटावा की बात करते है तो यह इससे सम्बन्धित नहीं है।

श्री अध्यक्ष : केवल आपको यह बताने के लिये कि सब जगह पद खाली हैं।

श्री हरिकुमार औदिच्य : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बिल्कुल गलत प्रचार है। कि सब जगह पद खाली हैं। मैं आपको बता रहा हूँ। जहां तक श्री जुबेर खां जी ने जो बात कही है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : प्लीज सिट डाउन। जब मैं बोल रहा हूं आप बैठिए। माननीय मंत्रीजी बिराजिये। जब माननीय सदस्य खड़े होकर अपने-अपने क्षेत्र की बात कह रहे हैं तो आप जो-ब्लेंक कह रहे हैं कि गलत है। मैं इसको मानने को तैयार नहीं हूँ।

श्री हरिकुमार औदिच्य : मैं भी यह मानने को तैयार नहीं हूँ कि सब जगह खाली हैं।

श्री अध्यक्ष : सुनें आप। please note it down. (व्यवधान)

श्री हरिकुमार औदिच्य : आप मेरी बात सुनिये।

श्री अध्यक्ष : please note it down. आप इसको नोट करिये कि जहां पर नहीं हैं वहां पर भिजवाने की व्यवस्था करिये।

श्री हरिकुमार औदिच्य : मगर यह वातावरण तो समाप्त करना पडेगा कि सब पद खाली हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि पिछले साल मैं (व्यवधान) नहीं, यह बात स्पष्ट करनी पड़ेगी। बिलकुल गलत बात है। मैं यह बात निवेदन करना चाहूंगा...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बैठें आप। हां, जारी रखिए आप।

श्री हरिकुमार औदिच्य : एक तो श्री जुबेर खान जी ने जो सप्लीमेण्ट्री किया था वह सही हैं कि ट्रांसफर पोस्टिंग होने के बाद मैं अध्यापक ज्वाइन नहीं करते हैं, छुट्टी ले लेते हैं और कोई एप्रोच करते हैं। इसके बारे में सरकार की तरफ से, विभाग की तरफ से उनके खिलाफ कार्यवाही कर रहे हैं और करेंगे।

दूसरा, यह निवेदन करना चाहूँगा कि पिछले वर्ष में हम ने कुल 7132 पद भरे हैं और आज की तारीख में अप-टू-डेट इन्फोर्मेशन के आधार पर 77 हजार 518 पदों में से 2 हजार 329 पद अब रिक्त है। उनमें से 1591 तो एस. सी. एस. टी. के हैं जिनको वैसे नहीं भरा जा सकता है। कुल मिलाकर 3·8 प्रतिशत पद खाली हैं और यह प्रक्रिया तो इतने बड़े डिपार्टमेण्ट में

(श्री हरिकुमार औदिच्य)

चलती रहती है। रिटायरमेण्टस होते हैं किन्हीं का प्रमोशन हो जाता है तो तीन-चार प्रतिशत तो खाली चलते रहेंगे, इससे आप इन्कार नहीं कर सकते हैं।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट। श्री मदन दिलावर। (व्यवधान) इतना होने के बाद भी आपको सन्तोष नहीं है। आसन के इतना कहने के बाद भी। आसन से इससे ज्यादा नहीं कहा जा सकता है। (व्यवधान)

श्री रामकरणसिंह गुर्जर (कोटपूतली) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय एक ऐसी तहसील बता दें जहां इनके अध्यापकों की पूर्ति हुई है। पूरे राजस्थान में एक भी जगह बता दें।

श्री अध्यक्ष : माननीय श्री रामकरण जी बिराजें आप।

श्री मदन दिलावर।

कोटा जिले के पशु चिकित्सालय

320. **श्री मदन दिलावर** (अटरु) : क्या पशुपालन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(1) कोटा जिले में कितने पशु चिकित्सालय हैं। तहसीलवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि पशु चिकित्सालयों की दशा बहुत ही दयनीय है तथा उनमें फर्नीचर एवं दवाइयों का अभाव है।

(3) कौन-कौन से चिकित्सालय के भवन नहीं है उनके भवन कब तक बना दिये जावेंगे ?

राज्य मंत्री, भेड़ व ऊन (श्री रमजान खां) : (1) कोटा जिले में 35 पशु चिकित्सालय कार्यशील हैं। तहसीलवार सूची सदन की मेज पर रख दी गयी है।

(2) पशु चिकित्सालयों में दवाइयां एवं फर्नीचर उपयुक्त मात्रा में उपलब्ध हैं।

(3) पशु चिकित्सालय कैथून, छीपा बड़ौद, रेलावन, विज्ञान नगर एवं सिविल लाइन सरकारी भवनों में कार्यशील नहीं हैं। नये पशु चिकित्सालय भवनों के निर्माण हेतु प्रावधान उपलब्ध न होने के कारण निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट-2 देखें)

श्री मदन दिलावर : माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा माननीय मंत्री महोदय ने बताया कि पशु चिकित्सालय में दवाइयाँ एवं फर्नीचर उचित मात्रा में उपलब्ध है। पर मैं दो वर्ष से देखता आया हूँ कि जैसी पिछली सरकार के समय व्यवस्था थी वही है। उसमें अभी तक कोई चेन्जेज नहीं आया है। इसलिये निवेदन करूंगा कि दवाइयां और फर्नीचर पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होने चाहिये।

श्री अध्यक्ष : श्री हेमराज मीणा।

श्री हेमराज मीणा (किशनगंज) : मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि रेलावन में पशु चिकित्सालय का भवन उपलब्ध नहीं है जबकि कई सालों से वहां पर पशु चिकित्सालय चल रहा है ? तो सरकार कब तक उस पशु चिकित्सालय को भवन उपलब्ध करा देगी ? दूसरा सवाल है मेरे यहां पर पशु चिकित्सालय में डाक्टर्स की जगह खाली पड़ी हुई है सरकार कब तक उनको भरने का विचार रखती है ?

श्री अध्यक्ष : बिराजें । माननीय मंत्रीजी ।

श्री रमजान खां : अध्यक्ष महोदय, अटरु से आने वाले माननीय सदस्य ने दवाइयों और फर्नीचर के सम्बन्ध में कहा है...

श्री अध्यक्ष : वह तो सलाह दे रहे थे कि वहां व्यवस्था दवाइयों की और करिये ।

श्री रमजान खां : मैं निवेदन कर रहा था कि 10 दिन पहले ही 5 लाख रुपये उप निदेशक, कोटा रेंज को भेज दिये गये हैं । इसलिये अब दवाइयों की कोई कमी नहीं रहेगी । इसी प्रकार 2 लाख 48 हजार फर्नीचर के वास्ते सम्बन्धित अधिकारियों को भेज दिये हैं, चार दिन पहले ही इसलिये अब वह कमी भी नहीं रहेगी। जहां तक माननीय सदस्य भवन के लिये कह रहे थे । काफी भवन तो हमारे पास नहीं हैं लेकिन पंचायत समिति के कार्यालय में कोई जगह मिल जाती है तो वहां चलाते हैं, कहीं पी. एच. सी. के दफ्तर में जगह मिल जाती है तो वहां चलाते हैं । परन्तु इस वर्ष हम दवाइयों पर और जो हमारे पास भवन हैं उनकी रिपेयर्स के के लिए हमने बजट प्रावधान किया है । नये भवनों का बजट में इस साल प्रावधान नहीं है, परन्तु अगले वर्ष निश्चित रूप से जहां-जहां भी भवन हैं नहीं हैं उनके लिए बजट में प्रावधान करके भवन बनाने की व्यवस्था की जायेगी ।

श्री अध्यक्ष : जगह खाली पड़ी हुई हैं, जगह खाली के लिये पूछ रहे हैं ।

श्री रमजान खां : खाली जगहों के लिये भी 31 मार्च के बाद जहां-जहां भी खाली जगह हैं वहां पर डाक्टर्स भेज दिये जायेंगे, इसमें कमी नहीं रहेगी ।

श्री अध्यक्ष : श्री नन्द किशोर शर्मा ।

श्री नन्द किशोर शर्मा (छबड़ा) : मेरा निवेदन है साहब कि पंचायत समिति छबड़ा में कितने पशु चिकित्सालय हैं ? अगर नहीं हैं, तो कब तक खोलेंगे ? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मंत्रीजी जवाब दे रहे हैं, एक-एक का जवाब आ जायेगा, मैं नाम पुकार रहा हूं, मेरे पास हैं नाम ।

श्री रमजान खां : अध्यक्ष महोदय, छबड़ा में दो पशु चिकित्सालय कार्यरत हैं और उनके भवन भी हैं ।

श्री नन्दकिशोर शर्मा : पंचायत समिति एरिया में एक भी नहीं है, छबड़ा शहर में एक नगर के लिये । ग्रामीण क्षेत्र में एक भी नहीं है । शहर में केवल नगर के पशु जाते हैं ।

श्री अध्यक्ष : क्या है इसका ?

श्री रमजान खां : पंचायत समिति में दो हैं।

श्री अध्यक्ष : यह कह रहे हैं कि पंचायत समिति क्षेत्र में नहीं है, ग्रापर छबड़ा में है एक। आप पता करके बता देना। डॉ. चन्द्रभान।

डा. चन्द्रभान : अध्यक्ष महोदय, माननीय श्री रमजान खां जी जवाब दे रहे हैं। सम्बन्धित मंत्री होते तो उनको पूरी जानकारी होती। आप भवन और दवाइयों की चर्चा कर रहे हैं। मेरे क्षेत्र में दो उप-केन्द्र ऐसे हैं, एक का नाम है नूआं और दूसरा दिलोई हैं, उनको बन्द ही कर दिया गया है। मैंने माननीय श्री देवीसिंह जी भाटी को इस सम्बन्ध में पत्र भी लिखा और प्रेस में भी आया। प्रेस में, अखबारों में जो प्रमुख पत्र हैं उनमें पहले पेज और अन्तिम पेज पर आया, वह दोनों बन्द किये हुए हैं और अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है।

श्री टीकमचन्द कांत : अध्यक्ष महोदय, क्या जिलों के अन्दर चल पशु चिकित्सालय या इकाइयां हैं ? अगर हैं, तो वह सतत् सक्रिय रहें इस बात का सरकार ध्यान रखें, यह सुझाव के तौर पर है।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये। मंत्री जी बताइये।

श्री रमजान खां : ध्यान रखा जा रहा है। और भी कोई कमी होगी, तो माननीय सदस्यों के सुझावों को ध्यान में रखा जायेगा। जहां तक डाक्टर साहब का प्रश्न है, वह इस प्रश्न से सम्बन्धित नहीं है।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये आप। श्री अमीन खां जी।

श्री अमीन खां (शिव) : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय यह बता दें कि क्या सरकार ने पशु स्वास्थ्य केन्द्र या पशु डिसपेन्सरीज हैं, उनके अन्दर प्रत्येक पशु पर सालाना दवाइयों के लिये कितना व्यय का इन्तजाम किया गया है और क्या उस व्यय के अनुसार स्वास्थ्य केन्द्रों पर दवाइया हैं भी या नहीं।

दूसरा मेरा प्रश्न है कि क्या सरकार यह महसूस करती है कि पूर्व में जितना बजट पशुओं की दवाइयों के लिए देने की व्यवस्था है, वह पर्याप्त है या अपर्याप्त है? यदि अपर्याप्त है, तो सरकार उस पर गम्भीरता से सोच रही है या नहीं ?

श्री अध्यक्ष : श्री मदान।

श्री अर्जुनदास मदान (लाडपुरा) : कृषि मण्डी समिति, लाडपुरा, कोटा, में पशु चिकित्सालय चलता है। वहां पर ऐसी व्यवस्था हो चुकी है कि, किसी जमाने में बैलगाड़ियों में माल जाता था, किन्तु आज का हर किसान ट्रेक्टर या दूसरे साधनों से अपना माल लाता है। यदि आप सर्वे करायें तो मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि आज जो स्वास्थ्य केन्द्र हैं जो कृषि उपज मण्डी समिति, लाडपुरा के अन्दर स्थित है, तो उसकी कोई भी उपयोगिता नहीं है। कई किसान और कई लोग ऐसे हैं कि

(श्री अर्जुनदास मदान)

जिनकी गाय बीमार तो होती नहीं, केवल मात्र गेहूं खा ले धनिया चर ले, गाय बीमार है, इस बहाने से मन्डी में ले जाते हैं, लोगों से मिले हुए हैं और गाय को वहां छोड़ देते हैं...

श्री अध्यक्ष : सवाल क्या है आपका ?

श्री अर्जुनदास मदान : मेरा सवाल केवल मात्र उसकी उपयोगिता के बारे में ध्यान दिया जाय। क्योंकि जितना उपयोग होना चाहिये उपयोग नहीं हो रहा है। साथ-साथ मेरा दूसरा प्रश्न कैथून के बारे में है। कैथून में पशु चिकित्सालय के लिये न तो कोई भवन है, और जितना स्टाफ भी उसके लिये स्वीकृत है उसका भी पदस्थापन बराबर नहीं किया गया, जो कि किया जाना चाहिये।

श्री अध्यक्ष : ठीक है। श्री हीरालाल जी।

श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा) : अध्यक्ष महोदय, पीपल्दा क्षेत्र में जो पीपल्दा कलां कस्बा है, है, वहां पर भी पशु चिकित्सालय नहीं है और कभी पंचायत भवन में, कभी किसी भवन में, कभी मन्डी के भवन में स्थानांतरित होता रहता है, इससे बहुत कठिनाई होती है। एक तो वहां भवन बनवाने की व्यवस्था करो। दूसरा, मेरा निवेदन है कि इटावा और खातूली...

श्री अध्यक्ष : नीति सम्बन्धी नहीं होता है सवाल।

श्री हीरालाल आर्य : पशु पालक जब वहां पर बीमार पशुओं को ले जाते हैं तो दवाइयां उनके पास बिल्कुल नहीं होती, और पशु पालकों से कहते हैं कि बाजार से खरीद कर लाओ। कभी-कभी बाजार में भी दवाइयां मिलती नहीं।

श्री अध्यक्ष : सवाल क्या है आपका ?

श्री हीरालाल आर्य : दवाइयां उपलब्ध नहीं हैं इटावा और खातूली पशु चिकित्सालय में।

श्री अध्यक्ष : मंत्रीजी कृपया यह सब आप नोट कर लें। नेक्स्ट। श्री रामस्वरूप मेघवाल।

पथिक गृह निर्माण सहकारी समिति के विरुद्ध शिकायतें।

321. **श्री रामस्वरूप मेघवाल** (राय सिंह नगर) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) पथिक गृह निर्माण सहकारी समिति, जयपुर के सम्बन्ध में शिविर कब-कब किन-किन तिथियों को आयोजित किये गये तथा शिविर में कितनी शिकायतें पंजीकृत करवाई तथा कितनी अनियमितताएँ पाई गई ? क्या अनियमितताओं की जांच करवाने का सरकार विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

(2) क्या यह सही है कि पथिक गृह निर्माण सहकारी समिति के विधिवत चुनाव काफी वर्षों से नहीं हुए हैं ? तथा

(श्री रामस्वरूप मेघवाल)

नये कानूनी प्रावधानों से बचने हेतु चुनाव प्रक्रिया बिना चुनाव करवाये चुनाव अधिकारी के विरुद्ध सरकार कार्यवाही करने व चुनाव अवैध घोषित करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

सहकारिता मंत्री (श्री चतुर्भुज वर्मा) : (1) पथिक भवन निर्माण सहकारी समिति लि. जयपुर के सम्बन्ध में दिनांक 10 अप्रेल, 1990 एवं 20-5-90 को शिविर आयोजित किये गये। इन शिविरों में कुल 103 शिकायतें प्रस्तुत की गई थीं। प्राप्त शिकायतों एवं शिविरों में दी गई जानकारी के आधार पर प्रथम दृष्टया निम्न मुख्य अनियमितताएं सामने आई :–

1. सदस्यों को आवंटित भू-खण्डों के आवंटन पत्र साइट प्लान नहीं देना तथा कब्जा नहीं सम्भालना।

2. समिति द्वारा उप नियमों में वर्णित कार्यक्षेत्र के बाहर जाकर कृषि भूमि क्रय करना, योजनाओं का सृजन करना, बिना अनुमोदित योजनाओं में ही भूखण्ड आवंटन कर देना।

3. सदस्यों को मूल में आवंटित भू-खण्डों के क्षेत्रफल व स्थान में परिवर्तन करना।

4. सृजित भूखण्डों का डिमार्केशन (पत्थर गढ़ी) नहीं करना।

उपरोक्त वर्णित अनियमितताओं एवं समिति के गठन प्रबन्ध व वित्तिय स्थिति की जांच हेतु राजस्थान सहकारी संस्था अधिनियम, 1965 की धारा 70 के अन्तर्गत जांच करवाई जा रही है।

(2) जी नहीं। वस्तु स्थिति यह है कि समिति का चुनाव दिनांक 18-2-91 एवं 23-2-91 को हुआ है। ये चुनाव राजस्थान सहकारी संस्था अधिनियम, नियम एवं समिति के उप-नियमों के प्रावधानों के अनुसार करवाये गए हैं। अतः नये कानूनी प्रावधानों से बचने हेतु बिना चुनाव प्रक्रिया अपनाये ही चुनाव अधिकारी द्वारा चुनाव करा देने का कोई प्रश्न नहीं है। उक्त चुनावों के बारे में राजस्थान सहकारी संस्था अधिनियम, 1965 की धारा 75 के अन्तर्गत कोई वाद प्रस्तुत नहीं हुआ है, अतः कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता।

श्री रामस्वरूप मेघवाल : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय से दो प्रश्न पूछना चाहता हूँ। जब पथिक गृह निर्माण समिति के सदस्यों ने चार बार लिखकर शिविर में शिकायतें की थीं और भयंकर अनियमितताएं पाई थीं, तो जांच अधिकारी क्यों नहीं नियुक्त किया गया और एफ. आई. आर. क्यों नहीं दर्ज कराई गई ?

नम्बर दो, इस समिति के सदस्यों को विधिवत बिना सूचना दिये चुनाव कराने का क्या कारण था ? चुनाव अधिकारी कौन था और उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

श्री चतुर्भुज वर्मा : अध्यक्ष महोदय, इस समिति की जांच करवाई गई थी।

श्री अध्यक्ष : नहीं, वह एफ. आई. आर. के लिये पूछ रहे है ।

श्री चतुर्भुज वर्मा : 103 शिकायतें प्राप्त हुई, उनका निस्तारण करने का हमने पूर्ण प्रयत्न किया । बाकी जो शिकायतें रह गई है, उनका भी निस्तारण करने के लिये बोल दिया है । लेकिन जो अनियमितताएं पायी गई हैं, उनके खिलाफ हमने जांच करने के लिए 18.5.92 को अपने एक तो आई.ए एस अधिकारी श्री टंडन को लगाया था, उनका ट्रांसफर हो गया है: तो दुबारा हमने...

श्री अध्यक्ष : नहीं वह एफ.आई.आर. के लिए पूछ रहे हैं । जैसा आपने इसमें जवाब दिया है कि सदस्यों को भूल से आवंटित भूखण्डों के क्षेत्रफल स्थान में परिवर्तन करना, यह फोरजरी का केस बनता है, इसकी एफ. आई. आर. क्यों नहीं दर्ज कराई गई ?

श्री चतुर्भुज वर्मा : भयंकर अनियमितताएं पायी है, लेकिन इसकी फाइल मैंने भी देखी है, एफ. आई. आर. दर्ज नहीं हुई है, इसमें कोई शंका नहीं कि एफ. आई. आर. दर्ज होनी चाहिये ।

श्री अध्यक्ष : अब करवा दीजिए ।

श्री चतुर्भुज वर्मा : और इसको हम राजस्थान अन्वेषण ब्यूरो को....

श्री अध्यक्ष : हां, तो अब करवा दीजिए ।

श्री चतुर्भुज वर्मा : यह केस दिया जा रहा है ।

श्री अध्यक्ष : अच्छा । नहीं, एक दूसरा और सवाल है, बैठिये । यह कह रहे हैं, बिना सूचना के चुनाव हुए हैं, बिना सूचना के चुनाव हुए हैं ।

श्री चतुर्भुज वर्मा : नहीं, सदस्यों को सूचना दी गई है, नियमित कार्यक्रम हुए हैं, लेकिन चुनाव अधिकारी, मुझे ऐसा दिखता है, कहीं न कहीं मिली भगत से चुनाव अधिकारी लगाया गया, मैं खुद इसको मानता हूं ।

श्री अध्यक्ष : उसके खिलाफ कुछ कार्यवाही करेंगे ?

श्री चतुर्भुज वर्मा : उसके खिलाफ कार्यवाही कर रहे है ।

श्री अध्यक्ष : हो गया, आपका काम ।

श्री रामस्वरूप मेघवाल : अध्यक्ष महोदय, चुनाव अधिकारी कौन था ?

श्री अध्यक्ष : उनके खिलाफ कार्यवाही होगी, एफ. आई. आर. दर्ज हो जायेगी । श्री कालीचरण सराफ ।

श्री कालीचरण सराफ (जौहरी बाजार) : अध्यक्ष महोदय, मैं तो केवल इतना पूछना चाहूँगा कि पिछले दिनों जिन-जिन गृह निर्माण सहकारी समितियों के शिविर लगाये गये, उनमें आवंटन पत्र 2-2, 3-3, 4-4 दे दिये गये, एक ही जमीन के ऐसे कितने केसेज पाये गये और उनके ऊपर क्या कार्यवाही की ?

श्री अध्यक्ष : बैठिये, माननीय सदस्य ।

(श्री अध्यक्ष)

इससे सम्बन्धित नहीं है। नेक्स्ट श्री लक्ष्मी नारायण दवे।

श्री कालीचरण सराफ : इससे सम्बन्धित कैसे नहीं है? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : नहीं, नहीं। स्पेसिफिक सवाल है। बिराजिये आप।

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण) : हां, मैं इसी के बारे में पूछ रही हूँ।

श्री कालीचरण सराफ : इससे सम्बन्धित है।

श्री अध्यक्ष : आप जनरल पूछ रहे हैं। जनरल सवाल नहीं है।

श्री कालीचरण सराफ : इसी से सम्बन्धित है।

श्री अध्यक्ष : नहीं है। सम्बन्धित नहीं है। स्पेसिफिक सवाल है।

श्रीमती उजला अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय, मैं इससे सम्बन्धित सवाल पूछना चाहती हूँ।

श्री अध्यक्ष : आप बिराजिये।

श्री लक्ष्मीनारायण दवे (सोजत) : गृह निर्माण समिति की बार-बार शिकायतें और भ्रष्टाचार की शिकायतें, वहां पर शिविर के अन्दर की गई, मैं माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहूँगा कि जो-जो शिकायतें प्राप्त हुई हैं, उनके आधार पर कितनी एफ. आई. आर. लोज की हैं और अगर नहीं की गई तो उसके क्या कारण हैं? दूसरा, मेरा प्रश्न है कि इस गृह निर्माण सहकारी समिति के जो चुनाव हुए और जो चुनाव अधिकारी था, क्या वह चुनाव अधिकारी चुनाव करवाने के लिए सक्षम था, वैधानित तौर पर चुनाव करवा सकता था? अगर नहीं करवा सकता था तो उसके विरुद्ध माननीय मंत्रीजी क्या कार्यवाही करने जा रहे हैं?

श्री अध्यक्ष : बिराजिये। माननीय मंत्रीजी।

श्री चतुर्भुज वर्मा : चुनाव अधिकारी लगाया गया था। चुनाव नियमानुसार कराये गये है, अगर सक्षम नहीं था, उसकी जांच करा लेंगे और पुनः उसकी आवश्यकता होगी तो उसकी कार्यवाही करेंगे, लेकिन कोई वाद प्रस्तुत नहीं हुआ। अगर वाद होता तो चुनाव के बारे में...

श्री अध्यक्ष : ठीक है, अपील ही नहीं हुई। नेक्स्ट श्री सांवरलाल।

हिन्दुस्तान जिंक लि. रामपुरा आगूचा माइन्स में अवाप्त भूमि

322. **श्री सांवरलाल जाट** (भिनाय) : क्या खनिज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) हिन्दुस्तान जिंक लि. रामपुरा आगूचा माइन्स में कुल कितने खातेदारों की जमीन अवाप्त की गई? उनमें से कितने खातेदारों के परिवार में से रोजगार दिया गया एवं कितने खातेदार शेष बचे हैं? उनके परिवार में

(श्री सांवरलाल जाट)

से योग्य व्यक्तियों की नियुक्तियां देने में क्या कार्यवाही हो रही है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त माइन्स में जुलाई, 1990 से अब तक कुल कितने लोगों को नियुक्तियां दो गई ?

(3) रोजगार प्राप्त व्यक्तियों में से कितने व्यक्ति आगूचा, कोठियां व खेड़ापालेला के हैं ?

(4) भूमि अवाप्ति अधिनियम की धारा 48 के तहत जिन काश्तकारों की जमीन डिनोटिफिकेशन को गई उनकी क्या कार्यवाही हो रही है, एवं उनको मुआवजे की राशि का भुगतान कब तक हो जायेगा ?

राज्य मंत्री, खनिज (श्री कालूलाल गूर्जर) : अध्यक्ष महोदय, (1) हिन्दुस्तान जिंक लि., रामपुरा-आगूचा में कुल 558 खातेदारों की भूमि अवाप्त की गई। इनमें से 69 खातेदारों के परिवार वालों को रोजगार दिया गया। 489 खातेदार शेष रहे हैं। उनके परिवारों में से योग्य व्यक्तियों के लिए विभिन्न पदों के लिए नियोजन कार्यालय को मांग पत्र भेजा हुआ है।

(2) रामपुरा-आगूचा माइन्स में जुलाई, 1990 से अब तक कुल 106 व्यक्तियों को नियुक्तियां दी गई।

(3) रोजगार प्राप्त व्यक्तियों में से रामपुरा–आगूचा के 62 कोठियां के 7 व्यक्ति सम्मिलित हैं। खेड़ापालेला का कोई व्यक्ति नहीं है।

(4) भूमि अवाप्ति अधिनियम की धारा 48 के तहत हिन्दुस्तान जिंक लि. रामपुरा आगूचा माइन्स के लिए अवाप्ति की आने वाली भूमि, डीनोटिफिकेशन जिन काश्तकारों को कई उन सभी काश्तकारों को क्लेम प्रस्तुत करने हेतु भूमि अवाप्ति अधिकारी, गुलाबपुरा द्वारा दिनांक 25-5-90 को सूचना पत्र जारी किये जा चुके हैं। सम्बन्धित जिन काश्तकारों द्वारा क्लेम प्रस्तुत किये जा रहे हैं, उनके भौतिक सत्यापन की कार्यवाही जारी है। बाद जांच मुआवजा भूमि अवाप्ति अधिकारी द्वारा तय करने पर भुगतान शीघ्र कर दिया जायेगा।

श्री सांवरलाल जाट : अध्यक्ष महोदय, मैं कुछ सवाल पूछना चाहता हूं कि 1982 में भूमि अनिवार्य रूप से अधिग्रहण करने के लिए जिंक द्वारा नोटिस दिया गया था, आज तक 558 लोगों की भूमि अवाप्त की गई, जिनमें से 69 के परिवारों में से रोजगार दिया, यानि 62 प्रतिशत को दिया, तो क्या यह सरकार की योजना कि 100 साल में सभी परिवारों को रोजगार दिया जाये। नम्बर दो, नियोजन कार्यालय से नाम मांगे गये थे। मेरा निवेदन यह है कि जब उनकी उपजाऊ जमीन का अधिग्रहण आपने कर लिया, अब उन परिवारों में से कितने परिवारों के व्यक्तियों ने रोजगार कार्यालय में अपने नाम दर्ज करवा रखे हैं कितनों ने नहीं करवा रखे हैं, यह अनिवार्यता क्यों लागू कर रखी है। नम्बर

(श्री सांवरलाल जाट)

तीन, 69 व्यक्तियों को जो रोजगार आपने दिया है, उनमें से कितने नाम आपने रोजगार कार्यालय में से मंगवाये और किस-किस पद पर आपने उनको नियुक्तियां दी हैं ? क्या आपने किसी आफिसर्स स्टाफ में कोई योग्य व्यक्ति पाया गया, इन गांवों के अन्दर या नहीं पाया ? क्या यह प्रयास किया गया, इन गांवों में जाकर, जिन परिवारों की भूमि अवाप्त की गई, उनमें कौन कितना पढ़ा-लिखा व्यक्ति है ? उस परिवार में कोई व्यक्ति है, जिसको किसी पद के ऊपर नौकरी दी जा सकती है। इस प्रकार का प्रयास किया, या नहीं किया। डीनोटिफिकेशन की जो बात है, 1982 में नोटिस दिया गया कि अनिवार्य रूप से आपकी भूमि अधिग्रहित कर ली जाती है, 88 में उन्हें यह सूचित किया जाता है कि जिंक को जरूरत नहीं है, यानि 6 साल तक वह किसी भी प्रकार से उस भूमि को काम में नहीं ले पाये, क्योंकि जब भी वह संस्था चाहती, उस भूमि का अधिग्रहण कर सकती थी, तो यह इतने वर्षों के बावजूद भी जो बिल्कुल बेसहारा रहे, उस भूमि के मुआवजे के लिए क्या कोई तिथि तय की जायेगी कि उनको उस मुआवजे का भुगतान कब तक किया जाये। क्योंकि पूर्व सत्र में भी मैंने यह सवाल उठाया था, तो उस समय भी यही जवाब दिया गया था कि सरकार प्रयास कर रही है, भुगतान कर दिया जायेगा। मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि इनकी कोई तिथि घोषित कर दी जाये, क्योंकि किसान बड़े परेशान हैं। मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि जब भी गांव के किसी गरीब की कोई भी प्रोपर्टी का अधिग्रहण किया जाता है, मुआवजे का भुगतान लम्बित रहता है, सरकार इस प्रकार के मामलों में संवेदनशील नहीं रहती है, तो मैंने जो सवाल पूछे हैं, उसके बारे में स्पष्ट जवाब दें।

श्री अध्यक्ष : श्री देवेन्द्र सिंह जी।

श्री देवेन्द्रसिंह (बनेडा) : अध्यक्ष महोदय, क्या यह सही है कि जिन 588 खातेदारों की भूमि अवप्ति हुई है, उनमें से बहुत से लोग ऐसे हैं, जिनको नौकरी दी जा सकती है, परन्तु वहां के सरकारी अधिकारियों के लड़के और रिश्तेदारों के एम्प्लायमैण्ट एक्सचेंज में नाम लिखवाये जा कर उनको नौकरी में भर्ती किया जा रहा है और इन लोगों को महरूम रखा जा रहा है ? पहली बात। दूसरी बात, यह जो आपने फिगर दी हैं कि वहां पर केवल 106 व्यक्तियों को रोजगार दिया गया है, यह गलत है। चूंकि यह मेरे निर्वाचन क्षेत्र पास में पड़ता है, कुछ दिनों पहले वहां के कलक्टर, हिन्दुस्तान जिंक के प्रबन्ध और हम लोगों ने मिलकर मीटिंग की थी और उसमें उन्होंने कहा था कि हमने 450 आदमियों को वहां पर भर्ती किया है। उनमें से कुल 69 रामपुरा–आगूचा के लोगों को भर्ती किया है, इसलिए आप इस फिगर को करेक्ट करने की कोशिश कीजिए। तीसरा, मेरा प्रश्न यह है कि आपने भूमि अवाप्ति के प्रश्न को या तो समझा नहीं है, या समझने की कोशिश ही नहीं की है। यह भूमि इसलिए अवाप्त की गई थी कि रामपुरा–आगूचा का जो प्लाण्ट लग रहा है, उसमें जमीन की आवश्यकता पड़ेगी। जैसा अभी माननीय सदस्य ने

(श्री देवेन्द्रसिंह)

कहा, 6 साल तक उस भूमि को अवाप्ति की दृष्टि से, एक्वीजीशन की दृष्टि से उसमें लोगों को खेती नहीं करने दी गई। 6 साल बाद रामपुरा आगूचा के लोगों को यह कहा गया कि अब इस भूमि की हमको आवश्यकता नहीं है, उन्होंने वापस छोड़ दी और उनको कहा कि आपकी भूमि को वापस सम्भालो। इसमें भूमि अवाप्ति का सवाल नहीं है, भूमि तो उनको वापस मिल चुकी है। प्रश्न अब सामने है, वह यह है कि 6 साल तक उन लोगों को काश्त नहीं करने दिया गया। उस 6 साल की काश्त का जो मुआवजा है, वही काश्तकारों को मिलना है और उसके लिए कलक्टर ने एस. डी. ओ. को निर्देश दिये, हमारे सामने कि हर साल की फसल की क्या कीमत हो सकती है, उसका मूल्यांकन करके आप उनकी तिथि घोषित कीजिए। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि जैसा इन्होंने कहा, आप इसकी तिथि घोषित कीजिए। कलक्टर इसका मूल्यांकन करे कि एक फसल पर काश्तकार को कितना नुकसान हुआ और 6 साल में कुल कितना नुकसान हुआ, उसके मुआवजे की रकम हिन्दुस्तान जिंक वालों से दिलवाने की बात है। इस सम्बन्धों में इश्यू नोटिफिकेशन करने की जरूरत नहीं है। जैसा आपने कहा कि नोटिफिकेशन होगा और उसके बाद क्लेम पेश करेंगे। क्लेम तो काश्तकारों को पेश करना ही नहीं है। कीमत तो आपको तय करनी है कि एक फसल की इतनी कीमत हुई, 6 साल तक इतनी बीघा भूमि अवाप्त रही तो उस काश्तकार को इतना रुपया देना है। इसलिये इस तरफ आप कार्यवाही कीजिये।

तीसरी, बात मैं माननीय पर्यावरण मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूँ कि वहां पर आपके अधिकारियों को भेजिये। इस आगूचा माइन्स के माध्यम से इतना प्रदूषण वहां फैल रहा है कि वहां पर जो पानी निकलता है, उससे मवेशी मर रहे हैं। हर नाले और ग्वाले में वह पानी जाता है, और उस पानी को पीने से मवेशी मर रहे है। वहां पर पास में एक गांव है पेरू-खेड़ा, क्योंकि वह कहते हैं कि हम बाउण्ड्री से बाहर रह गये, वह उससे बिलकुल मिला हुआ हैं, माइनिंग की ब्लास्टिंग होती है, उसके पत्थर उस गांव में जाते हैं, मकानों की छतों पर पड़ते हैं, उनके बर्तन हिलते हैं, वहां के लोग रहने की स्थिति में नहीं हैं। हमने हिन्दुस्तान जिंक के लोगों से कहा था कि आप इसका भी मुआवजा देकर इस गांव को भी उठवा दीजिए। वह यह कहते हैं कि यह हमारी सीमा से बाहर है, इसलिए नहीं उठवायेंगे। आगूचा गांव इतना बड़ा गांव है, 7-8 हजार की आबादी है, वहां स्कूल हैं, उस पर जाकर पत्थर गिरते हैं और सारी बिल्डिंग हिलती है। कहीं बच्चे न मर जाये, हमने कलक्टर साहब से इस बात के लिए कहा है, आगूचा गांव वालों को भी कहा है। फिर उन्होंने कहा है कि उसके सम्बन्ध में सोचेंगे, लेकिन अभी तक उन्होंने कोई कार्यवाही नहीं की। मैं यह सब आपसे इसलिए निवेदन कर रहा हूँ कि इस माइंस के कारण किसी-न-किसी रोज बड़ा हादसा हो जायेगा। इसका नुकसान उन लोगों को तो होगा, आपकी

(श्री देवेन्द्रसिंह)

सरकार की भी बदनामी होगी। इसलिए मैं आपसे खासकर पर्यावरण मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं कि आप अपने अधिकारियों को भेजकर खासतौर से पेरूखेड़ा गांव के लोगों की क्या हालत है, उसको दिखवाइये। सारी मिट्टी उनके गांव पर पड़ती है, वहां घर धूजते हैं, पानी जो निकलता है उससे मवेशी मरते हैं। उन गांव वालों को बाहर निकलने के लिए रास्ता नहीं। इस स्थिति में भी आज वे सुनवाई नहीं कर रहे हैं। इस सम्बन्ध में क्या सोच रही है, इसका जवाब देने का कष्ट करें।

श्री लक्ष्मीलाल (आसीन्द) : माननीय अध्यक्ष महोदय, सरकार की ओर से जो जवाब आया है उसमें यह बताया गया है कि 489 खातेदार ऐसे रहे हैं जिनके परिवार वालों को नियुक्ति नहीं मिली है। मैं यह जानना चाहता हूं, क्या यह सही है कि इस रामपुरा-आगूचा माइंस में जो व्यक्ति नियोजित किये जाते हैं वे उदयपुर जिंक स्मैल्टर से नियुक्त किये जाते हैं और कुशल कारीगर की आड़ में यहां के काश्तकारों को मौका नहीं मिलता है। दूसरा, मैं यह जानना चाहता हूँ कि सेक्शन 48 के अन्तर्गत मुआवजा देने के जो नोटिस हैं वे काश्तकार कितने हैं, सरकार के पास इसकी सूची है और उनकी कितनी जमीन डीनोटिफाई हुई है?

श्री कालूलाल गुर्जर : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने, जो भिनाय वाले हैं, 4–5 सवाल किये हैं उनके बारे में मेरा उत्तर यह है कि कुल मिलाकर 69 परिवारों को रोजगार दिया गया है। इनमें जो योग्यता रखते हैं और जिस तरह माइंस पर आवश्यकता होती है उसी अनुसार रोजगार दिया जा रहा है। दूसरा रोजगार कार्यालय से नाम आने पर ही वहां रोजगार दिया जा रहा हैं क्योंकि सेण्ट्रल गवर्नमैंट ने कार्पोरेशन के जिस तरह नियम बना रखे हैं उसी नियम से दिया जा रहा हैं। तीसरा यह है कि नियुक्ति कहां कहां दी गयी है। मैंने दी है उसमें स्पष्ट है। एक प्रश्न आपने यह पूछा कि परिवार में कौन योग्य हैं कौन अयोग्य हैं, इसका पता लगाने के प्रयास किये गये या नहीं माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें जो भूमि अवाप्त की गयी है उसका मुआवजा पूरा दिया गया है। उस मुआवजे के अन्दर यह कोई कानूनी शर्त नहीं थी कि इन लोगों को रोजगार दिया जायेगा, लेकिन चूंकि वे वहां के निवासी हैं, इनकी जमीन ली गयी है इसलिए सहानुभूतिपूर्वक विचार करके जिस-जिस तरह की योग्यता रखते हैं उस तरह इनको बराबर रोजगार दिया जा रहा है।

श्री देवेन्द्रसिंह : यह गलत है। वे कानून न पाबन्द हैं। प्रोसिडिंग्स में है, आगूचा माइंस और कलक्टर के बीच में एक राइटिंग है कि जो लोग रामपुरा से विस्थापित हुए हैं उनमें हर एक परिवार से एक एक आदमी को नियुक्ति दी जायेगी। आप जो कह रहे हैं वह गलत है।

श्री कालूलाल गुर्जर : आप जो बता रहे हैं कि मीटिंग की प्रोसिडिंग में है, उसमें

(श्री कालूलाल गुर्जर)

यह था कि जिनके मकान हटाये गये रामपुरा के अन्दर, जो निवासी हैं उनमें एक-एक को रोजगार देने का मिनट्स बुक में है और रोजगार दे दिया गया है। बाकी जो अन्य खातेदार हैं उनको भी सहानुभूतिपूर्वक, जिस तरह से जरूरत हो रही है, जगह खाली हो रही है उसी अनुसार नियुक्ति दी जा रही है।

जहां तक डीनोटिफिकेशन का सवाल है, आपने बताया डीनोटिफिकेशन छः साल बाद किया गया है इसलिए इसका मुआवजा दें। इसमें नियम यह है कि एक तो ये क्लेम पेश करेंगे। कुछ लोगों ने क्लेम पेश कर दिया है, कुछ और कर रहे हैं। जब क्लेम पेश हो जायेंगे भूमि अवाप्ति अधिकारी महोदय मुआवजा तय करेंगे और तत्काल उनको मुआवजे का भुगतान हो जायेगा।

श्री अध्यक्ष : नहीं, मंत्री महोदय, इनका यह कहना है कि जब डीनोटिफिकेशन हो गया तो आप लोगों को तो पता है, उसका मुआवजा जो गवर्नमैंण्ट तय करेगी एक-एक मुश्त होगा, क्योंकि उसमें कोई काश्त का सवाल नहीं है। छः साल तक उनकी काश्त नहीं हुई, आप अपना एक फिगर बना लें।

श्री कालूलाल गुर्जर : काश्त तो होती रही। जिन लोगों की भूमि अवाप्त की गयी है, डीनोटिफाई की है उनसे कब्जा नहीं लिया गया था, कब्जा उनका बराबर कण्टीन्युअस था।

श्री अध्यक्ष : कह रहे हैं कि छः साल तक काश्त नहीं हुई।

श्री कालूलाल गुर्जर : काश्त काश्तकार करते रहे हैं बराबर, काश्तकारों को बेदखल नहीं किया।

श्री अध्यक्ष : फिर मुआवजा किस बात का दे रहे हैं ?

श्री कालूलाल गुर्जर : क्योंकि सैक्शन में यह प्रावधान है कि जो भी भूमि अवाप्त की जायेगी नोटिफाई करके और फिर डीनोटिफाई की जायेगी तो जो भी होगा, थोड़ा बहुत उचित मुआवजा दिया जायेगा। बाकी आज दिन तक काश्तकारों का ही कब्जा है, काश्तकार ही काश्त कर रहे हैं। एक भी फसल का काश्तकार को नुकसान नहीं हुआ।

श्री सांवर लाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ माननीय मंत्री महोदय से कि जब अनिवार्य अधिग्रहण के लिए अधिसूचना जारी कर दी जाती है तो कोई किसान उसके ऊपर न तो कुआं खुदवाता है, न किसी प्रकार का कंस्ट्रक्शन करवाता है और न फसल बोता है, क्योंकि उसको पता है कि कभी भी गवर्नमैण्ट या जो भी संस्था उसको अधिग्रहित करेगी, वह उस पर कब्जा कर सकती है। इसलिए मंत्री महोदय का यह कहना कि किसान वह खेती करते थे या उन्होंने कुआं खुदवा लिया, मैं सोचता हूँ, ये सब बातें...

श्री अध्यक्ष : एक मिनट, बैठिये। आप यह बताइये कि नोटिफिकेशन जारी होते

(श्री अध्यक्ष)

ही कब्जा आपके पास आ गया या नहीं आया ?

श्री कालूलाल गुर्जर : नोटिफिकेशन जारी करने के बाद भी कब्जा नहीं लिया गया, काश्तकार के पास ही कब्जा था।

श्री देवेन्द्रसिंह : आप यह बताइये कि उस जमीन का अवार्ड इश्यू हो गया कि नहीं ? मैं यह कह रहा हूँ कि उस जमीन का अवार्ड इश्यू हो गया, जिस जगह को डीनोटिफाई किया है उसका।

श्री अध्यक्ष : मंत्रीजी, इसको आप फिर देखकर जवाब दें।

श्री कालूलाल गुर्जर : कब्जे का तो कन्फर्म है, साहब।

श्री अध्यक्ष : आप इसमें देख लीजिए।

श्री कालूलाल गुर्जर : मैंने जानकारी की है, कब्जा इनका ही रहा, ये बराबर फसल बोते रहे। यह बात सही है........ (व्यवधान)

श्री प्रद्युम्नसिंह : इस प्रश्न को स्थगित कर दीजिए।

श्री अध्यक्ष : मैं कर रहा हूं, वही कर रहा हूं। इसका पता लगा लीजिए कि क्या नोटिफिकेशन करते ही कब्जा आ गया, क्योंकि जनरली नोटिफिकेशन जारी होते ही सैक्सन 4 में कब्जा गवर्नमैण्ट ले लेती है।

श्री कालूलाल गुर्जर : यह लेकिन एक्सस भूमि थी, इसका कब्जा नहीं लिया गया है। कन्फर्म है।

श्री अध्यक्ष : मालूम करके आप माननीय सदस्य को इन्फार्म कर दीजिये।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेडा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, एक सवाल मैं पूछना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : आप बिराजिये। श्री जुबेर खान।

श्री श्रीचन्द कृपलानी : एक सवाल हिन्दुस्तान जिंक, चित्तौड़ के सम्बन्ध में।

श्री अध्यक्ष : छोड़िये, हो गया जिक बहुत लम्बा।

अलवर के उद्योग से प्रदूषण

323. **श्री जुबेर खान (रामगढ़) :** क्या पर्यावरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :---

(1) क्या यह सही है कि एम. आई. एरिया अलवर में लगे हुए उद्योगों से प्रदूषण फैल रहा है ?

(2) क्या यह भी सही है कि कैमिकल्स की यनिटों के प्रदूषण के कारण उस क्षेत्र के पशुओं की मृत्यु हुई है ?

(3) क्या सरकार इस प्रदूषण को रोकने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

पर्यावरण मंत्री (श्रीलालचन्द डूडी) : (1) एम. आई. एरिया अलवर में लगे

(श्री लालचन्द डूडी)

उद्योगों से प्रदूषण होने की सम्भावना बनी रहती है।

(2) जी नहीं, उक्त क्षेत्र में प्रदूषण के कारण पशुओं के मरने की कोई सूचना नहीं है।

(3) जी हां, राज्य सरकार इस प्रदूषण को रोकने हेतु लगातार प्रयास कर रही है। यह एक निरन्तर चलने वाली प्रक्रिया है।

श्री जुबेर खान : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूँगा कि प्रदूषण यह नहीं कि फैक्ट्री के अगल-बगल में ही हो, एम. आई. एरिया से लगती हुई जमीन है वहाँ पेटा बंध है। इन तमाम फैक्ट्रियों का पानी एक नाले के माध्यम से उस बंध में जाकर गिर जाता है। जब उस बांध में पानी ज्यादा होता है तब तो उसको कोई फर्क नहीं होता, लेकिन जब पानी कम रह जाता है तो पशु पानी पी लेते हैं और मरते हैं। इसकी जांच करा लीजिए। मैं वहां का स्थानीय रहने वाला हूँ। अगर मैं आपको डाक्टर की पोस्टमार्टम रिपोर्ट पेश कर दूं कि पशुओं की मौत पानी पीने से, केमिकल एकत्र होने से हुई है तो आप क्या कदम उठायेंगे ? अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय कहते हैं कि हम इसकी पाल्यूशन बोर्ड से जांच करा लेंगे। वे तो चूंकि उद्योगपतियों से मिले हुए होते हैं इसलिए जवाब इस तरह का दे देते हैं कि प्रदूषण कोई ज्यादा नहीं फैल रहा। मेरा आपसे यह निवेदन है कि इसमें किसी दूसरी एजेंसी को इन्वाल्व करके आप इसकी जांच कराइये कि प्रदूषण कहां-कहां हो रहा है, कैसे रुक सकता है। अगर प्रदूषण हो रहा है तो ऐसे व्यक्ति को दण्डित करने का आपका विचार है ?

श्री रतनाराम चौधरी : हमारे वहां भी प्रदूषण से प्रभावित है।

श्री अध्यक्ष : आप बिराजिये, आपका नाम पुकार लूंगा। आप उतावले क्यों हो रहे हैं आपका नाम लिख लिया।

श्री लालचन्द डूडी : माननीय सदस्य ने जो बात कही है, प्रदूषित पानी पीने से पशुओं के मरने की कोई रिपोर्ट अभी तक हमारे सामने नहीं आयी थी। आप जब आज कह रहे हैं तो इसके बारे में पूरी जानकारी करके इसको कण्ट्रोल करने की कोशिश की जायेगी। जहां तक दूसरा आपका सवाल है कि पर्यावरण बोर्ड के अधिकारी सही रिपोर्ट नहीं दे रहे, आपकी यह बात कुछ हद तक सही थी। सही रिपोर्ट नहीं दे रहे हैं, जिसकी वजह से वहां काफी सारी तो ऐसी इण्डस्ट्रीज, जिनको एन. ओ. सी. भी नहीं मिली थी, जिनको नहीं लगना चाहिये था, वह चल रही हैं। उनको भी बन्द करने की सरकार कोशिश कर रही है। अब तो सरकार ने यह फैसला कर लिया विशेष रूप से एक बात का तो कि क्लोरिडेटेड पैराफिल वैक्स की नयी इण्डस्ट्री वहां लगने देने की आइन्दा कोई इजाजत अलवर में इस एरिया के अन्दर नहीं दी जायेगी। सरकार इस बारे में पूरी तरह से चिन्तित है।

Page No. 19

(19)

श्री जुबेर खान : अध्यक्ष महोदय, एक निवेदन मेरा है।

श्री अध्यक्ष : आप बाद में पूछ लीजिए। श्री जीतमल जैन।

श्री जीतमल जैन (अलवर) : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय की जानकारी में एक बात लाना चाहता हूँ कि सन् 1978 से 1985 के काल में इस विधान सभा के अन्दर कई बार इस मामले में प्रश्न उठे हैं, उस समय कई पशुओं की मौत हुई है। आप इसके बारे में जानकारी कर लें। यह विधान सभा के प्रांगण में तत्कालीन मंत्रीजी ने स्वीकार किया है। मैं एक बात आपसे जानना चाहता हूँ कि जितनी फैक्ट्री लगी हैं उन्होंने सब ने ट्रीटमैण्ट प्लाण्ट लगा रखा है? अगर नहीं लगा रखा है तो ऐसी कितनी फैक्ट्रियां हैं, उनके खिलाफ अब तक क्या कार्यवाही हुई? मंत्री महोदय यह बताने का कष्ट करें।

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी।.... अलवर का है, मुझे मालूम है आप दूसरा पूछेंगे, पहले अलवर का मैंन क्वेश्चन हो जाय।

श्री लालचन्द डूडी : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह सही है कि बहुत सी इण्डस्ट्रीज ऐसी हैं जिन्होंने यह ट्रीटमैण्ट प्लाण्ट नहीं लगा रखा है, उनकी जानकारी ले ली गई है, उनको नोटिसेज दिये जा चुके है, उनमें से कुछ के चालान कोर्ट में किये जा चुके है, बाकी के खिलाफ कार्यवाही चल रही है और बहुत जल्दी ही कोर्ट में चालान कर दिये जायेंगे। जैसा कि मैंने पहले कहा था उन्हें बन्द करवाने की सरकार कोशिश कर रही है।

श्री अध्यक्ष : श्री जुबेर खान।

श्री जुबेर खान : अध्यक्ष महोदय, मेरा मंत्रीजी से यह निवेदन है कि जो फैक्ट्री का पानी बान्ध में जाता है उस पानी के डाइवर्शन के लिए और बांध में आने से रोकने के लिए सरकार क्या कदम उठाने जा रही है?

श्री लालचन्द डूडी : अब उसका पानी बांध में जा रहा है, कहां ले जाना चाहिये या उसको ट्रीट करके फिर से इस्तेमाल करना चाहिये या क्या कार्यवाही की जानी चाहिये उसके बारे में बैठकर जांच करवा लेंगे और जो बात होगी...

श्री अध्यक्ष : श्री राजेन्द्र गहलोत।... बात आपकी आ रही है, इसी बाबत पूछवा रहा हूं।

श्री राजेन्द्र गहलोत (सरदारपुरा) : माननीय अध्यक्षजी, पश्चिमी राजस्थान में बालोतरा, पाली और जोधपुर क्षेत्र में टेक्सटाइल फैक्टरीज के कारण जो प्रदूषण फैल रहा है उसके कारण लूणी नदी के आसपास के गांवों में गम्भीर समस्यायें पैदा हो गई हैं उनके सम्बन्ध में प्रदूषण बोर्ड क्या कार्यवाही कर रहा है?

श्री अध्यक्ष : श्री झामनानी।

श्री हरीश झामनानी (अजमेर पश्चिम) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से एक दो जानकारी लेना चाहता हूं। एक तो यह है, कि क्या यह सही है कि उद्योगों में काम आने वाले संयंत्र

(श्री हरीश भामनानी)

और मशीनरीज जो होती हैं उससे ज्यादा कास्टली यह ट्रीटमेन्ट प्लान्ट होता है इस कारण से लोग लगाते नहीं है ? दूसरा यह है कि...

श्री अध्यक्ष : अब आप सवाल पूछ रहे हैं या जबाव दे रहे हैं ?

श्री हरीश भामनानी : मैं सबाल पूछ रहा हूँ कि ट्रीटमेन्ट प्लान्ट ज्यादा कास्टली होता है। इस कारण से लगाते नहीं है ? क्या सरकार का इस प्रकार का मानस है कि ट्रीटमेन्ट प्लान्ट लगाने के लिये, लोगों को इन्ट्रस्टेड करने के लिए अनुदान राशि रखने की सरकार की कोई योजना है ?

श्री अध्यक्ष : श्री रतनाराम चौधरी।

श्री रतनाराम चौधरी (रानीवाड़ा) : अध्यक्ष महोदय, इस बार लूणी नदी में बाढ़ आने से पाली और बालोतरा की टेक्सटाइल्स फैक्ट्रीज का पानी रिसाव होकर हमारे सांचोर क्षेत्र में काफी तादाद में फैल गया जिसके कारण इस वर्ष काश्तकारों की फसल खेतों में नहीं उगी।....

श्री अध्यक्ष : सवाल क्या है ?

श्री रतनाराम चौधरी : इस पानी को रोकने का प्रबन्ध किया जाय ताकि पानी साँचोर नहीं पहुंचे।

श्री अध्यक्ष : श्री फूलचन्द गुर्जर।

श्री फूलचन्द गुर्जर (नीमका थाना) : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से आपकी मार्फत एक बात पूछना चाहूँगा कि उन्होंने अपने जबाब में कहा है कि जो जानकारी आ जाती है तो तुरन्त उसकी कार्यवाही करते हैं। तो मंत्री महोदय की जानकारी होगी कि ऐसी बहुत सारी शिकायतें उनके पास पेंडिंग पड़े हैं नीमका थाना की जांच होकर आ गई हैं, वहां पर पाउडर की फैक्ट्री शहर के बीच में लगी हुई है उसके बावजूद भी कोई कार्यवाही नहीं कर रहे हैं। मैं पिछले 5 सालों से इस मामले को यहां पर उठा रहा हूं, यह प्रदूषण का मामला है, जान-माल का सवाल है इस सम्बन्ध में जानकारी होने के बावजूद जिन को ट्रीटमेण्ट प्लान्ट नहीं है, खेतड़ी कॉपर प्रोजेक्ट से कितने ही हजार आदमी टी.बी. के मरीज हो गये हैं, सरकार की जानकारी में है लगातार लेकिन कोई कार्यवाही ही नहीं हो रही।

श्री अध्यक्ष : श्रीचन्द कृपलानी सबाल करिये।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके मार्फत मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि जे. के. सीमेन्ट फैक्ट्री निम्बाहेड़ा में प्रदूषण की वजह से हजारों बीघा जमीन को नुकसान पहुंच रहा है, हजारों आदमी आँखों, सांस और दमे की बीमारी से ग्रसित होते जा रहे हैं, डाक्टर्स ने रिपोर्ट दी है, सरकार को भेजी जा चुकी है उसके बावजूद भी कार्यवाही नहीं की गई है। इसके अलावा जे. के. सीमेण्ट फैक्ट्री वाले जो डस्ट फिल्टर

Page No. 21

(21)

(श्री श्रीचन्द कृपलानी)

लगा हुआ हैं उसे नहीं चलाते हैं, क्योंकि उससे 10 लाख रुपये महीने की बिजली की बचत होती है। 20 साल फैक्ट्री को लगे हुए हो गये उस हिसाब से अगर एवरेज लगाया जाय तो....

श्री अध्यक्ष : श्री लक्ष्मीनारायण दवे।

श्री लक्ष्मी नारायण दवे (सोजत) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि अलवर के अन्दर मोदी अल्कलीज और भारत केमीकल्स फैक्ट्री जिनसे प्रदूषण फैलने के सन्दर्भ में वहां के कार्यकर्ताओं ने और वहां के समाज सेवियों ने जिला कलेक्टर को एक ज्ञापन दिया था। क्या उस ज्ञापन के आधार पर माननीय मंत्री महोदय और जिला कलेक्टर द्वारा कोई कार्यवाही करवाई गई और यदि कार्यवाही की गई तो क्या की गई ?

श्री अध्यक्ष : श्री अमृतलाल परमार। सवाल करिये।

श्री अमृतलाल परमार (बाली) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूँ कि यह सवाल पहले भी उठ चुका है विधान सभा में...।

श्री अध्यक्ष : अब आपका सवाल क्या है ?

श्री अमृतलाल परमार : पाली के अन्दर प्रदूषण फैल रहा है, वातावरण दूषित हो रहा है...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : ठीक है। बिराजें। श्री गुलाबसिंह राजपुरोहित।

श्री गुलाब सिंह राजपुरोहित (सुमेरपुर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, पर्यावरण-प्रदूषण के सम्बन्ध मे...

श्री अध्यक्ष : कहां के बारे में ?

श्री गुलाबसिंह राजपुरोहित : पाली के बारे में।

श्री अध्यक्ष : बिराजें, हो गया पाली। पाली का रिपीट नहीं। श्री मदनलाल सैनी। (व्यवधान) हो गया पाली।

श्री गुलाबसिंह राजपुरोहित : सिरोही का पूछ रहा हूं। व्यवधान)।

श्री अध्यक्ष : पाली जिले में ही है, आप बिराजें।

श्री प्रकाशचन्द बैरवा (फागी) : माननीय अध्यक्षजी, यह सदन में प्रदूषण फैला रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : हो गया आपका। please sit down.

श्री मदनलाल सैनी (गूढ़ा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्रीजी से पूछना चाहूँगा कि खेतड़ी कापर प्रोजेक्ट से जो धूंआ या गैस निकलती है उसके लीक होने से हर वर्ष साल में कई बार किसानों की...

श्री अध्यक्ष : हां, उसके लिये क्या व्यवस्था कर रहे हैं ?

श्री मदनलाल सैनी : और पानी का स्तर नीचे हो जाने के कारण से किसान

(श्री मदनलाल सैनी)

फसल के लिये कुएं तैयार करते हैं वहां पानी पीने के योग्य भी नहीं रहता है, तो क्या कॉपर प्रोजेक्ट को इस प्रकार के इन्स्ट्रक्शन्स या व्यवस्था करने के लिये कहा जायेगा ताकि वायु प्रदूषण नहीं फैले ?

श्री अध्यक्ष : श्री बंशीलाल पटवा।

श्री बंशीलाल पटवा (भीलवाड़ा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, पर्यावरण का मामला राजस्थान व्यापी मामला है और इसको आप भी मानते है कि जितनी राजस्थान में फैक्ट्रीज हैं वहां पर ट्रीटमेण्ट प्लान्ट नहीं है तो मेरा मंत्री महोदय से निवेदन है कि उन्होंने स्वयं यह कहा है कि ट्रीटमेन्ट प्लान्ट के लिए हम कार्यवाही करेंगे तो जनरली इस तरह के दिशा निर्देश दिये जाकर राजस्थान व्यापी सर्वे करवा कर जानकारी ले ली जाय।

श्री अध्यक्ष : श्रीमती सुमित्रासिंह। हो गया आप बिराजें।

श्रीमती सुमित्रासिंह (पिलानी) : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्रीजी यह बता दें कि खेतड़ी कॉपर प्रोजेक्ट की बजह से सल्फ्यूरिक एसिड के कारण से जैसा कि नीमका थाना से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा था कि 20 मील के एरिया में आम लोग टीबी की बीमारी से ग्रसित होते जा रहे हैं। इसके साथ ही जो कैमिकल्स का पानी वहां से आता है उसने जमीन को ऊसर बना दिया है लेकिन क्या यह बात सही है कि भारत सरकार के सामने राजस्थान सरकार किसी प्रकार का आब्जेक्शन करने में अपने आपको असहाय पाती है ?

श्री अध्यक्ष : मोहम्मद माहिर आजाद।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद (झुंझुनूं) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी से दो सवाल पूछना चाहता हूँ। पहला तो यह है कि अलवर के प्रदूषण से जो पशुधन समाप्त हुआ, क्या माननीय मंत्रीजी उन पशु स्वामियों को कोई राहत या मुआवजा देने के लिये योजना रखते हैं ? नम्बर दो, मंत्रीजी ने यह तो कहा है कि हम उसका पानी उस नाले में नहीं जाय उसके लिये कोई दूसरा रास्ते से निकासी की योजना पर विचार करेंगे, तो यह कब तक करेंगे ? और कब तक प्रदूषण का पानी उस नाले में जाने से रोका जायेगा ?

श्री अध्यक्ष : श्री रमाकांत जी।

श्री रमाकांत शर्मा (थानागाजी) : अध्यक्ष महोदय, कोई भी उद्योग जब लगाया जाता है तो प्रदूषण बोर्ड से क्लियरेन्स लेनी पड़ती है तो क्या इन सारे के सारे उद्योगों ने क्लियरेन्स ली ? क्लियरेन्स ली जाती है इसमें ट्रीटमेण्ट प्लान्ट का प्रावधान होता है तो ट्रीटमेन्ट प्लान्ट किन-किन ने क्यों नहीं लगाया ? उसमें एक कन्डीशन होता है कि ट्रीटमेण्ट प्लान्ट 6 महीने में नहीं लगाया गया तो कैन्सिल कर दिया जायेगा बिना किसी नोटिस के दिये हुये, तो आज 8-10 वर्ष हो गये इन इण्डस्ट्रीयल को कैन्सिल कर बन्द करवाने की कार्यवाही क्यों नहीं की गई ? अन्त में, इण्डस्ट्रीयल एरिया अलवर के अन्दर कितने ऐसे उद्योग हैं जिनके बारे में रिपोर्ट आई हुई है और यह कार्यवाही कब तक हो जायेगी ?

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी—इन सब का कृपया समुचित जवाब दे दें।

श्री लालचन्द डूडी : अध्यक्ष महोदय, जिन-जिन माननीय सदस्यों ने अलग-अलग प्रश्न पूछे हैं...

श्रीमती सुमित्रासिंह : मंत्रीजी प्रदूषण बनाकर मंत्री बने हैं वह क्या जवाब देंगे? (व्यवधान)

श्री लालचन्द डूडी : क्या? जरा अपने मुखारबिन्द से दुबारा कहिये।

श्री अध्यक्ष : मंत्रीजी मेरी तरफ देखिये। उधर नहीं। आप मेरी तरफ देख कर जवाब दें।

श्री लालचन्द डूडी : मैं यह निवेदन कर रहा था कि अलग अलग माननीय सदस्यों ने अलग-अलग सवाल किये हैं उनके बारे में तो पूरी जानकारी लेकर सारे को दिखवाऊंगा। जहां तक अलवर का मामला है उसके बारे में मैंने पहले भी कह दिया था इसके अन्दर काफी लापरवाही हुई है। उसके ऊपर तुरन्त कार्यवाही करवाकर उनके खिलाफ कार्यवाही की जायेगी।

श्री जुबेर खान : मंत्री महोदय, सीमा बांध दीजिए कि कब तक करवा देंगे।

श्री लालचन्द डूडी : जल्दी ही करवा देंगे।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट, श्री फूलचन्द मीणा।

जयसमन्द नहरों का आधुनिकीकरण एवं नवीनीकरण

324. **श्री फूलचन्द मीणा** (सलूम्बर) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि जयसमन्द की नहरों के आधुनिकीकरण एवं नवीनीकरण 12.50 करोड़ रुपये की योजना केन्द्रीय जल आयोग एवं सरकार के मध्य विचाराधीन है? यदि हां, तो उसमें अब तक क्या प्रगति हुई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

सिंचाई मंत्री **(श्री विजयसिंह झाला)** : जी हां। संशोधित योजना केन्द्रीय जल आयोग को दिनांक 21.1.91 को प्रस्तुत की गई है, जो कि आयोग के विचाराधीन है।

श्री फूलचन्द मीणा : माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी मार्फत मंत्रीजी से जानना चाहता हूं कि यह योजना कितने वर्षों से विचाराधीन है और कब-कब सी. डब्ल्यू. सी. को भेजी गई और किन-किन कारणों से योजना की लौटा फेरी होती रही? विस्तृत विवरण सदन में बतायें।

श्री विजयसिंह झाला : अध्यक्ष महोदय, 1980 से यह योजना चालू है। 1989 में इस पर 12 करोड़ 40 लाख रुपये की लागत की योजना बना कर के केन्द्रीय जल आयोग को भेज दी है और वहां से सभी तरह की फोर्मलिटिज पूरी हो गई हैं केवल प्रशासनिक स्वीकृति लेना बाकी है जो कि डिजाइन नहरों का किस प्रकार का होगा

(श्री विजयसिंह झाला)

उसके बाद में ही इसका काम चालू हो सकता है।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट। श्री रामसिंह विश्नोई, उनकी जगह पूछ रहे थे, पूछिये।

दुग्ध संघों के प्रबन्ध संचालक

325. श्री परसादीलाल मीणा (लालसोट) श्रीरामसिंह विश्नोई (लूणी) के स्थान पर) : क्या दुग्ध विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि वर्तमान में जिला दुग्ध संघों में प्रबन्ध संचालक आर. सी. डी. एफ. द्वारा प्रतिनियुक्त किया जाता है ? यदि हां तो किन नियमों के तहत ?

(2) क्या एन. डी. डी. बी. एवं आनन्द पद्धति से चलाई जा रही इन सहकारी संस्थाओं में खुद का प्रबंधक नियुक्त करना सहकारी सिद्धान्तों के अनुरूप हितकर नहीं होगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या यह सही हैं कि मौजूदा प्रबन्ध संचालक नियुक्त करके राजस्थान को, आपरेटिव डेयरी फैडरेशन प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष तौर पर पूरे राजस्थान के दुग्ध संघों में अनावश्यक एवं गैर कानूनी तरीके से हस्तक्षेप कर रही हैं ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

दुग्ध विकास राज्य मंत्री (श्री जगमाल सिंह यादव) : (1) जी हां। विलीनीकरण की स्वीकृत योजना के अनुसार।

(2) इस सम्बन्ध में विचार किया जा रहा है।

(3) जी नहीं। (व्यवधान)

श्री परसादीलाल मीणा : अध्यक्ष महोदय, यह जो जवाब दिया गया हैं क्या एन. डी. डी. बी आनन्द पद्धति से चलाई जा रही है....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज, आर्डर प्लीज।

श्रीमती उजला अरोड़ा : यह मैडम क्या होता है मैं पूछ रही हूँ यह मैडम क्या होता है ?

श्री अध्यक्ष : आप मैडम हैं बिराजिए, मैडम बैठिए।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मैं मैडम नहीं हूँ, मैं आयातित वस्तु नहीं हूँ। मैं यहां की सदस्या हूँ, आपको सदस्या बोलना चाहिये। मैडम कैसे बोल रहे हैं ?

श्री परसादीलाल मीणा : इन्होंने प्रश्न के पैरा 2 में यह जवाब दिया है कि विचार किया जा रहा है। तो क्या मन्त्री जी राजस्थान डेयरी फैडरेशन की ओर से प्रबन्धक नियुक्त किये जा रहे हैं और किए हैं जिला उद्योग केन्द्रों में, जिला दुग्ध केन्द्रों में तो क्या उनको आप ठीक मानते हैं या नहीं मानते हैं तो किस प्रश्न पर आप विचार कर रहे हैं ? विचार कब से कर रहे हैं, इसको कब तक फाइनल कर देंगे। क्या विचार हो रहा है ? पहले तो यह बताइए।

Page No. 25

(25)

श्री जगमाल सिंह यादव : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो पूछा क्या एन. डी. डी. बी. क्या आनन्द पद्धति से चलाई जा रही सहकारी संस्थाओं में खुद का प्रबन्ध नियुक्त करना सहकारी सिद्धान्तों के अनुरूप हितकर नहीं होगा, यदि नहीं तो क्यों ?

श्री परसादीलाल मीणा : पहले तो यस और नो में जवाब दो आप।

श्री जगमाल सिंह यादव : इसका जवाब तो मैंने पहले खण्ड में दिया है कि यह आर. सी. डी. एफ. अपने मैनेजिंग डाइरेक्टर नियुक्त कर रही है उसके पीछे माननीय अध्यक्ष महोदय, तर्क एक ही है कि राजस्थान में चलने वाले जितने डेयरी के और आर. सी. डी. एफ. के जिले के जो केन्द्र हैं उन सब में एकरूपता आ जाए और सरकार का नियंत्रण उचित तरीके से रह सके। यह सोचकर आर. सी. डी. एफ. ने अपने मैनेजिंग डाइरेक्टर नियुक्त किये थे।

श्रीमती सुमित्रासिंह : किस नियम के तहत इसका भी जवाब दोगे।

श्री अध्यक्ष : इस प्रश्न को स्थगित कर दें तो अच्छा रहेगा। यह प्रश्न स्थगित किया जाता है। नेक्स्ट। डा. जितेन्द्रसिंह।

जैसलमेर जिले में इन्दिरा गांधी नहर के निर्माण पर व्यय

326. **श्री जितेन्द्र सिंह (जैसलमेर)** : क्या इन्दिरा गांधी नहर परियोजना-मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) इन्दिरा गांधी नहर परियोजना के निर्माण पर अब तक जैसलमेर जिले में कितनी धनराशि खर्च हो चुकी है ? वर्ष 1991-92 में कितनी धनराशि खर्च करने का प्रावधान रखा गया है ?

(2) अब तक इन्दिरा गांधी नहर परियोजना से जैसलमेर जिले में कितने सिंचित योग्य क्षेत्र में सिंचाई की जा रही है, तथा उनसे कितनी आय अर्जित की जा रही है ?

(3) वर्ष 1991-92 में कितनी अतिरिक्त सिंचाई सुविधा उपलब्ध करा दी जाएगी ?

इन्दिरा गांधी नहर मंत्री (श्री भंवर लाल शर्मा) :—(1) इन्दिरा गांधी नहर परियोजना के निर्माण पर अब तक जैसलमेर जिले में कुल 187.14 करोड़ रुपये की धनराशि खर्च हो चुकी है। वर्ष 1991-92 में जैसलमेर जिले हेतु 39.40 करोड़ रुपये की धनराशि का प्रावधान रखा गया है।

(2) इन्दिरा गांधी नहर परियोजना से जैसलमेर जिले में 69916 हैक्टेयर सिंचाई योग्य क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराई जा चुकी है जिसमें से इस वर्ष में 5018 हैक्टेयर भूमि में सिंचाई की गई एवं इससे 2.47 लाख रुपयों की आय अर्जित होने का अनुमान है।

(3) वर्ष 1991-92 में जैसलमेर जिले में लगभग 32000 हैक्टेयर क्षेत्र में अतिरिक्त सिंचाई सुविधा नहर आउट लेट पर उपलब्ध कराया जाना प्रस्तावित है।

श्री जितेन्द्रसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय और सदन का ध्यान इस ओर आकृष्ट करना चाहता हूँ कि इन्दिरा गांधी नहर परियोजना में जैसलमेर जिले में इतनी विपुल धनराशि के व्यय के पश्चात और इन्दिरा गांधी नहर के मुख्य नहर के निर्माण के पांच वर्ष पश्चात भी इसका कैपेसिटी यूटिलाइजेशन मात्र 14 प्रतिशत हुआ है। नहर का निर्माण मुख्यतया या तो सिंचाई के लिए था या पेयजल व्यवस्था उपलब्ध करवाने के लिए हुआ था।

जहां तक सिंचाई का प्रश्न है, मंत्री महोदय का ध्यान मैं इस ओर आकृष्ट करना चाहूंगा कि 69916 हैक्टेयर सिंचाई योग्य क्षेत्र था उसके मुकाबले में केवल पांच हजार 18 हैक्टेयर में सिंचाई सुविधा उपलब्ध करवाई गई है। जहां तक पेयजल सुविधा का सवाल है इन्दिरा गांधी नहर के सागरमल गोपा शाखा की देवा माइनर उप शाखा के जैसलमेर शहर को वहां 47 आर. डी. एवं 23 अन्य ग्रामों को पेयजल सुविधा उपलब्ध करानी थी। जैसलमेर शहर की पेयजल योजना मात्र इस कारण अटकी हुई है कि इन्दिरा गांधी नहर परियोजना वाले पानी उपलब्ध नहीं करा सके हैं। जहां तक बिजली वालों का है उन्होंने बिजली उपलब्ध करा दी है और पी. एच. इ. डी. ने पाइप लाइन लगा दी है। इस देवा माइनर शाखा में पिछले करीब 15-20 दिन बल्कि महीना भर हो गया होगा बिल्कुल पानी नहीं दिया जा रहा है। बाकी 23 ग्राम जिनको पेयजल सुविधा उपलब्ध करानी थी वह पेयजल से सवर्था वंचित है।

दूसरा मेरा आपसे यह निवेदन है कि जो नहर का निर्माण हुआ है इसके साथ साथ सिंचित क्षेत्र का विकास होना चाहिए अन्यथा इतनी विपुल धनराशि व्यय करके भी उसका कोई लाभ अर्जित नहीं होगा। नहर के जो सिंचित क्षेत्र का कार्य है वह बहुत ही निम्न स्तर का हुआ है, अधिकारियों का मुख्यालय है वह बीकानेर में स्थित है जहां कि वर्ग कम से कम 300 किलोमीटर दूर नाचना, मोहनगढ़ और रामगढ़ में स्थित है।

श्री अध्यक्ष : आपके सवाल क्या हैं ?

श्री जितेन्द्र सिंह : यह कि सरकार इसका निराकरण करने का विचार कब तक रखती है।

श्री भंवरलाल शर्मा : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने कहा है कि 69916 हैक्टेयर में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने का था उसमें से 5.10 हजार हैक्टेयर भूमि में ही सिंचाई उपलब्ध करा पाये हैं। इसका मुख्य कारण यह रहा है कि उपलब्ध सिंचाई सुविधा एवं वास्तविक में भारी अन्तर है। इसे कम करने के लिए इन्दिरा गांधी नहर परियोजना और सिंचित क्षेत्र विकास विभाग इन्दिरा गांधी नहर परियोजना का कोलोनाइजेशन विभाग द्वारा आपसी तालमेल के सम्बन्ध में विकास कार्य किया जा रहा है। कहीं तो भूमि अलाटमेंट में नहीं आई। मैं मौके पर जाकर आया हूँ। जहां यह खाले बना दिये गये हैं परन्तु वास्तव में काश्तकारों को, जिनको भूमि अलाट कर दी गई है वह काश्तकार वहां नहीं पहुंचे हैं और पहले तो यह समस्या रही कि भूमि अलाट नहीं हुई थी और

(श्री भंवरलाल शर्मा)

भूमि अलाट करने से पहले खाले नहीं बनाये गये थे। अब खाले बना दिये गये हैं तो वास्तव में वहां काश्तकार नहीं आये। इस लिए कोलोनाइजेशन विभाग और सिंचित क्षेत्र विकास विभाग दोनों विभाग ताल-मेल से वहाँ काश्तकारों को लाकर और वहां पहुंचाकर जो लक्ष्य है उनकी पूर्ति करने के लिए हम तत्पर हैं और उन लक्ष्यों को पूरा करेंगे। दूसरा, आपने जैसा बताया कि जहां तक अधिकारियों के साथ सी. ए. डी. और कोलोनाइजेशन दोनों साथ चलती हैं। कोलोनाइजेशन विभाग सी. ए. डी. और आई. जी. एन. पी. के साथ-साथ है। जहां कोलोनाइजेशन विभाग वाले अलाट कर देंगे हम उस क्षेत्र को डवलप करेंगे। इसके साथ-साथ जिन अधिकारियों का हैड क्वार्टर बीकानेर है, जैसलमेर में अगर वास्तव में आवश्यकता है अगर ऐसी स्थिति है तो मैं इसकी जानकारी करवाकर, हैड क्वार्टर की जांच जरूर होगी। अधिकारियों की सुविधा से नहीं बल्कि कार्य-कुशलता के हिसाब से हैड क्वार्टर वहां स्थापित कर दिया जायेगा। पीने के पानी का जहां तक सवाल है। देवा माइनर के बारे में पहले इन्होंने पूछा नहीं था। पी. एच. ई. डी. से हालांकि सम्बन्धित है परन्तु देवा माइनर का जो प्रश्न है कि देवा माइनर कितने दिनों से बन्द है इसके विषय में पूर्ण जानकारी करके तुरन्त वहां पानी उपलब्ध कराने की कार्यवाही एक सप्ताह में करा देंगे।

श्री अध्यक्ष : श्रीमती सुमित्रा जी आप कुछ पूछ रही थीं ?

श्रीमती सुमित्रा सिंह : माननीय मंत्री महोदय, उधर नहीं देखें इधर देखें। मंत्री महोदय, यह जो अतिरिक्त सिंचाई की सुविधा और जो पेयजल व्यवस्था की बात आप कर रहे हैं उसके लिए क्या बजट प्रावधान किया गया है? यह भी बता दीजिए।

श्री भंवरलाल शर्मा : ऐसा है बजट प्रावधान जहां पेयजल के लिए....

श्रीमती सुमित्रा सिंह : थोड़ा मुंह अलग करो और धीमे बोलो ताकि पता लगे कि क्या बोल रहे हैं।

श्री भंवरलाल शर्मा : आप मुझे उपदेश नहीं दें। आपको जो बीमारी है वह मैं समझता हूँ। आप उपदेश नहीं दें मेरा जवाब सुनिये।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : जवाब तो जब सुनाई देना जब आप ठीक से बोलें मैं आपको राय दे रही हूँ कि धीरे बोलें। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री भंवरलाल शर्मा : आप जवाब सुनिये। जहां तक पेयजल के लिए बजट का प्रावधान है। पेयजल की व्यवस्था जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग करता, सिर्फ नहर ही विभाग को पानी देता है और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि 1200 क्यूसेक्स पानी, जिसमें नागौर जिला भी सम्मिलित है। 1200 क्यूसेक्स पानी गंगानगर, चूरू, बीकानेर, नागौर और

(श्री भंवरलाल शर्मा)

बाड़मेर में 1200 क्यूसेक्स पानी की अतिरिक्त व्यवस्था हमने पेयजल के लिए नहरों से कर रखी है इस राजस्थान कैनाल से.... (व्यवधान)।

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकाल समाप्त होता है।

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिए परिशिष्ट-3 देखें)।

अतारांकित प्रश्नोत्तर

थानागाजी में औद्योगिक क्षेत्र का स्थापना

574. श्री रमाकांत शर्मा (थानागाजी): क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या "रीको" के समक्ष थानागाजी में औद्योगिक क्षेत्र स्थापित करने का प्रस्ताव है ?

(2) क्या यह भी सही है कि इस हेतु भूमि का सर्वेक्षण किया जा चुका है ? यदि हां, तो औद्योगिक क्षेत्र कब तक स्थापित हो जायेगा ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी हां, थानागाजी औद्योगिक क्षेत्र के लिए भूमि के चयन हेतु स्थल चयन समिति द्वारा दिनांक 9.10.90 एवं दिनांक 13.11.90 को निरीक्षण किया जा चुका है। प्रस्तावित स्थल में जल एवं विद्युत की उपलब्धता एवं अन्य पहलूओं का विस्तृत सर्वेक्षण करवाया जा रहा है। सर्वेक्षण के पश्चात औद्योगिक क्षेत्र स्थापित करने के सम्बन्ध में भूमि अवाप्ति की कार्यवाही की जावेगी।

दंगों में गिरफ्तार लोगों से जयपुर कारागृह में मारपीट

575. श्री मोहम्मद माहिर आजाद (झुंझुनूं) :—क्या कारागृह राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि नवम्बर 1989 को जयपुर में हुए साम्प्रदायिक दंगों के सम्बन्ध में गिरफ्तार लोगों को केन्द्रीय कारागृह, जयपुर में बन्दी बनाकर रखा गया था ?

(2) क्या यह भी सही है कि इनके साथ जेल अधिकारियों, कर्मचारियों तथा सजा भुगत रहे कैदियों ने अमानवीय व्यवहार एवं मारपीट की थी ? यदि हां, तो किन-किन लोगों ने ?

(3) क्या उक्त घटना की जांच हेतु कोई समिति बनाई गई थी ? यदि हां, तो किन-किन लोगों की ? समिति की रिपोर्ट सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(4) क्या उक्त जांच समिति ने एक जाति विशेष के लोगों के साथ मारपीट होना पाया था ? यदि हां, तो दोषी लोगों के विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की

(श्री मोहम्मद माहिर आजाद)

गई ? यदि नहीं, तो कब तक कार्यवाही की जावेगी ?

उत्तर

(1) यह सही हैं।

(2) जेल अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने इन गिरफ्तार व्यक्तियों के साथ मारपीट एवं अमाननीय व्यवहार नहीं किया। जेल के अन्दर कैदियों और गिरफ्तार हुए बंदियों के बीच झगड़ा हुआ था।

(3) उक्त घटना की जांच हेतु कोई समिति नहीं बनाई गई थी। श्री आई. सी. श्रीवास्तव, संभागीय आयुक्त, जयपुर को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया था। जिनकी जांच रिपोर्ट सदन की मेज पर रख दी गई है।

(4) जी हां। दोषी अधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करने का निर्णय लिया जा चुका हैं।

(रिपोर्ट विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

पशुपालन विभाग द्वारा "पानाकुर" पाउडर की खरीद

576. श्री फूलचन्द गुर्जर (नीमका थाना) : क्या पशुपालन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) वर्ष 1990-91 में विभाग द्वारा "पानाकुर" पाउडर के कितने डिब्बे किस रेट पर खरीदे गये ? खरीद बिलों की प्रतियों सहित, विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त पाउडर किन-किन स्थानों पर किस किस मात्रा में वितरित किये गये ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विभागीय क्रय, समिति द्वारा "पानाकुर" पाउडर की दरें वर्ष 1990-91 के दौरान क्रय हेतु अनुमोदित नहीं की गई है। अतः खरीद बिलों की प्रतियां सदन की मेज पर रखने का प्रश्न ही नहीं उठता।

(2) उक्त पाउडर चूंकि वर्ष 1990-91 में क्रय हेतु अनुमोदित नहीं था अतः विभागीय अधिकारियों द्वारा क्रय एवं वितरण किये जाने का प्रश्न ही नहीं उठता है।

गिर नस्ल के पशुओं के विकास हेतु राज्य सरकार द्वारा विशिष्ट संचालित योजना

577. श्री हरीश झामनानी (अजमेर पश्चिम) :—क्या पशुपालन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि अजमेर जिले में गिर नस्ल के पशुओं के विकास हेतु राज्य सरकार कोई विशिष्ट योजना संचालित करना चाहती है ? यदि हां तो इन योजनाओं पर वर्ष 1990 से जनवरी, 1991

(श्री हरीश आमनानी)

तक कुल कितनी राशि व्यय की गयी ? इस योजना से कुल कितने पशुपालक लाभान्वित हुए ?

(2) क्या अजमेर नगर में पशु पालकों एवं पशुओं के लिए, कोई क्षेत्र आवंटित कर उसे विकसित करने की कोई योजना है ?

(3) अजमेर जिले में राज्य सरकार द्वारा अनुदानित कितने गौ सदन संचालित हो रहे हैं ? वर्ष 1990-91 में उक्त अनुदान हेतु कितनी राशि आवंटित की गयी है ? तथा प्रति पशु कितना अनुदान दिया जाना है ?

(4) अजमेर जिले में ग्रामीण पशु पालकों के लिये कितने बकरी प्रजनन केन्द्र स्थापित किये हुये हैं ? आगामी वित्त वर्ष हेतु विदेशी सहायता से क्या कोई और केन्द्र खोलना प्रस्तावित है ?

उत्तर

(1) जी हां । देशी गोवंश नस्ल सुधार कार्यक्रम के अन्तर्गत अजमेर में गिर गोवंश की नस्ल सुधार परियोजना विद्यमान है । वर्ष 1990-91 के दौरान जनवरी, 1991 तक इस योजना हेतु 2 लाख रुपये व्यय किये गये हैं । इस योजना से लगभग 3,000 पशुपालक लाभान्वित होंगे तथा 30 शिक्षित ग्रामीण बेरोजगारों को रोजगार मिला है ।

(2) अजमेर नगर में पशुपालकों एवं पशुओं के लिये कोई क्षेत्र आवंटित नहीं किया गया है एवं न ही इस प्रकार की कोई योजना है ।

(3) अजमेर जिले में राज्य सरकार द्वारा अनुदानित कोई गौ सदन संचालित नहीं है । इसलिये अनुदान देने का कोई प्रश्न ही नहीं है ।

(4) अजमेर जिले के ग्रामीण पशु पालकों के लिये एक बकरी विकास परियोजना रामसर में विद्यमान है । आगामी वित्तीय वर्ष 1991-92 में विदेशी सहायता से कोई नया केन्द्र खोलने की योजना नहीं है ।

अतारांकित प्रश्न संख्या 578

(स्थगित)

उदयपुर में ईंट के भट्टों, कीटनाशक दवाइयों के कारखानों से प्रदूषण

579. **श्री हजारी लाल (खेतड़ी) :** क्या वन एवं पर्यावरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे–

(1) क्या सही है कि उदयपुर में ईंट के भट्टों, कीटनाशक दवाइयों के कारखानों से समीप के गांवों एवं बस्तियों में वातावरण दूषित हो रहा है ?

(2) क्या यह भी सही है कि भूमिगत जल दूषित होने से पीने का पानी दूषित हो रहा है साथ ही जमीन भी क्षारयुक्त व अकृषि योग्य बनती जा रही है ?

(श्री हजारी लाल)

(3) क्या यह भी सही है कि पिछौला की रमणीय झील में भी गन्दगी बढ़ती जा रही है ?

(4) क्या सरकार इन प्रदूषणों के दूर गामी प्रभावों से पीड़ित जनता को राहत दिलाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो उसके लिये सरकार की क्या योजना है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां, उदयपुर शहर व आस-पास के क्षेत्रों में कार्यरत ईंट भट्टों व कीट-नाशक दवाइयों के कारखानों से वातावरण दूषित होने की संभावना रहती है।

(2) भूमिगत जल दूषित होने से पीने का पानी दूषित हो रहा है। जमीन के क्षार युक्त एवं अकृषि योग्य होने के सम्बन्ध में कोई शिकायत कृषि विभाग को प्राप्त नहीं हुई है।

(3) जी हां। पिछौला झील के समीप आवासीय बस्तियों, होटलों से उत्पन्न मल-जल के उच्छिष्ठ के उचित निकास की व्यवस्था न होने एवं झील की परिधि पर बनी सीवरेज योजना प्रभावी नहीं होने के कारण पिछोला में उसके प्रवाह की संभावना बनी रहती है। अतः झील में गंदगी बढ़ने की सम्भावना रहती है।

(4) प्रदूषण से पीड़ित जनता को राहत दिलाने के लिये निम्न कार्यवाही की जा रही है :

(क) जन स्वास्थ्य विभाग द्वारा इन झीलों के पानी को पीने के पूर्व कीटाणु रहित किया जाता है।

(ख) इन स्रोतों के किनारे में कोई नई होटलों के निर्माण की स्वीकृति नहीं दी जा रही है।

(ग) राज. नियन्त्रण एवं निवारण मंडल द्वारा आयुक्त नगर परिषद, उदयपुर को अनधिकृत ईंट भट्टों को हटवाने हेतु लिखा गया है कि ये भट्टे शहरी आबादी से दूर चयनित स्थान पर चलाये जाये ताकि इन भट्टों के कारण होने वाले वायु प्रदूषण को कारगर ढंग से रोका जा सके।

(घ) भारत सरकार द्वारा 7 लाख रु. की एक योजना पिछोला, फतेहसागर झीलों के संरक्षण हेतु 1989 में स्वीकृत की गई थी जिसमें इन झीलों से जलकुम्भी हटाने व जन चेतना जाग्रत करने का प्रावधान था। जल कुंभी हटाने का कार्य उसी वर्ष योजनानुसार पूर्ण कर लिया गया।

(ङ) उदयपुर शहर के लिये रु. 277 लाख की सीवरेज प्रणाली पूरी कर ली गई।

खण्डार जिला सवाई माधोपुर के रेन्जर द्वारा निकाले गये कोटेशन

580. **श्री चुन्नीलाल** (खण्डार) : क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) प्रोजेक्ट रेंज खण्डार, जिला सवाई माधोपुर के रेन्जर द्वारा निकाले गये दिनांक 7-11-1990, 9-11-1990 व

Page No. 32

(32)

(श्री चुन्नीलाल)

12-11-1990 के कोटेशन किन-किन कार्यों से सम्बन्धित है ? सूची सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या रेन्जर खण्डार ने चूना, पत्थर, बजरी के टेण्डरों के स्थान पर 11/90 में कोटेशन जारी किये है ? यदि हां, तो क्या इसमें वित्तीय नियमों का उल्लंघन किया गया हैं ? यदि हां, तो क्यों ?

(3) किन-किन ठेकेदारों को चूना, पत्थर व बजरी की सप्लाई के आदेश बिना टेण्डर के दिये जबकि डी. पी. आर द्वारा प्रकाशन करवाना चाहिये था ? यदि प्रकाशन नहीं करवाया तो क्यों ?

(4) तलावड़ा, सावटा, फरिया, बालेर, कसो, उठानपुरा, लाहपुर के किन-किन ठेकेदारों के अधिक दर पर कोटेशन आये ? उनकी-कितनी राशि का कार्य आदेश किया गया, तथा कितना-कितना भुगतान किया गया कार्य आदेश की प्रति, चैक द्वारा किये गये भुगतान की राशि मय चैक संख्या सहित सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) प्रोजेक्ट रेन्ज खण्डार जिला सवाई माधोपुर के रेन्जर द्वारा दिनांक 7.11.90 को फरिया, तलावड़ा, बालेर, सावटा, बस्सों, लाहपुर, अणतपुरा व तालड़ा की बाउण्ड्री बाल व संधारण के लिए चूना क्रय करने की निविदायें तथा दिनांक 9.11.90 को वनरक्षक चौकी तलावड़ा, सावटा, फरिया बालेर, बस्सी व तालड़ा के लिए बनास की बजरी के लिए निविदायें आमंत्रित की गई थी । दिनांक 12.11.90 को कोई निविदा आमंत्रित नहीं की गई ।

(2) इस सम्बन्ध में उप निदेशक, बाघ परियोजना कौर क्षेत्र द्वारा जांच करवाई जा रही है ।

(3) क्षेत्रीय वन अधिकारी, खण्डार द्वारा किसी भी ठेकेदार द्वारा चूना पत्थर व बजरी सप्लाई के लिखित आदेश नहीं दिये गये हैं । किन्तु न्यूनतम कोटेशन देने वाले ठेकेदारों से मौखिक आदेश पर चूना, पत्थर व बजरी प्राप्त किया है । क्षेत्रीय वन अधिकारी द्वारा विभिन्न साइटों पर ली जाने वाली विभिन्न सामग्री का मूल्य प्रत्येक साइट पर सीमित निविदाओं की परिधि में यानि 10,000/– रु. से कम होने के कारण डी. पी. आर. द्वारा निविदा सूचना का प्रकाशन नहीं करवाया गया । विभिन्न ठेकेदारों से प्राप्त की गई सामग्री की मात्रा व राशि परिशिष्ट–1 में अंकित है ।

(4) तलावड़ा, सावटा, फरिया, बालेर, लाहपुर के कार्यों के लिये न्यूनतम दर वालों को ठेके दिये गये हैं ।

सभी निविदादाताओं की तुलनात्मक सूची संलग्न है ।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 4 देखें ।)

मुख्य वन संरक्षक, जयपुर द्वारा किये गये स्थानान्तरणों आदेशों की पालना

581. श्री भरोसी लाल (हिण्डौन) : क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

राज्य आदेश 13(7) वन 1911 दिनांक 22.1.1991 एवं राज्य के प्रधान मुख्य वन संरक्षक, जयपुर के कार्यालय आदेश 2347–55 दिनांक 25.1.91 द्वारा किये गये स्थानान्तरणों की पालना कर्मचारियों द्वारा किन कारणों से अब तक नहीं की गई ?

उत्तर

अधिकांश कर्मचारियों द्वारा स्थानान्तरण आदेशों की पालना की जा चुकी है। अवशेष में से कुछ प्रशासनिक कारणों से आदेशों की पालना नहीं कर पाये हैं।

"रावली रेन्ज" का प्रशासन

582. श्री चम्पालाल जैन (ब्यावर) : क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि "रावली रेन्ज" को उदयपुर जिले के वन प्रशासन में ले लिया गया है ? क्या यह पूर्व में अजमेर जिले के वन प्रशासन में था ? यदि हां, तो इसे उदयपुर जिले में क्यों लिया जबकि यह अजमेर जिले के नजदीक पड़ता है और लोगों को आने-जाने में सुविधा रहती है ?

(2) क्या यह भी सही है कि अजमेर वन विभाग में कार्यरत तीन आई.एफ.एस. अधिकारी है इसे आसानी से सम्भाल सकते हैं ? यदि हां, तो "रावली रेन्ज" को कब तक अजमेर जिले में ले रहे है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। रावली रेन्ज क्योंकि वन्य जीव अभयारण्य है इसका नियंत्रण उप मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक, उदयपुर के अधीन किया गया है।

(2) रावली रेंज कार्यालय को तो वही पर रखा गया है। मात्र रेन्जर का प्रशासनिक नियन्त्रण उप मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक, उदयपुर को सौंपा गया है। अभयारण्यों का नियंत्रण वन्य जीव प्रशिक्षण प्राप्त अधिकारों के अधीन ही रखा जाना उचित होता है।

शाहबाद किशनगंज में व्यापार मण्डल द्वारा किये गये क्लोजरों के कार्य

583. श्री हेमराज (किशनगंज) : क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) शाहबाद, किशनगंज में व्यापार मण्डल द्वारा 1983 से 1990 तक कितने क्लोजरों का कार्य किया गया ? किस-किस क्लोजर पर कितनी राशि स्वीकृत की गई व कितनी खर्च की गई ? क्षेत्रवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या क्लोजरों के निर्माण में खाद्य सामग्री भी वितरित की गई ? यदि हां, तो किस क्लोजर पर कितनी खाद्य सामग्री का वितरण किया गया ? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विभागीय कार्य मण्डल कोटा द्वारा शाहबाद एवं किशनगंज तहसील क्षेत्र से वर्ष 1983 से 1990 तक 28 क्लोजर

(वन मंत्री)

बनवाये गये जिसके लिए स्वीकृत राशि एवं व्यय राशि का क्षेत्रवार विवरण सदन की मेज पर परिशिष्ट (क) के अनुसार रख दिया गया है।

(2) जी नहीं।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 5 देखें)

जिला बूंदी में कार्यरत दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी

584. **श्री रामनारायण वर्मा** (नैनवां) : क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या वन विभाग जिला बूंदी में रघुनाथ आत्मज सुन्दर लाल मीणा निवासी देवरिया तहसील नैनवां दैनिक मजदूरी पर कार्यरत है ? यदि हां, तो कब से ?

(2) उक्त रघुनाथ द्वारा वन विभाग में कार्य करने की तिथि से अब तक प्रत्येक वर्ष में कितने-कितने दिन कार्य किया है ?

(3) क्या उक्त व्यक्ति द्वारा सन् 1981 में शेल्टर बैल्ट प्लान्टेशन रेन्ज बूंदी में भी कार्य किया गया था ? यदि हां, तो उसके पश्चात् सन् 1984 में किस-किस जगह पर कार्य किया था ?

(4) क्या वन विभाग जिला बूंदी में दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को अर्द्ध-स्थाई घोषित किया गया है ? यदि हां, तो उनकी सूची वन विभाग में कार्य करने प्रथम तारीख सहित, सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। जून 1981 से विभिन्न अवधियों में कार्यरत रहा है।

(2) श्री रघुनाथ द्वारा जून 1981 से अब तक किये गये कार्य का वर्षवार विवरण परिशिष्ट (क) के अनुसार है।

(3) जी हां। श्री रघुनाथ ने वर्ष 1984 में रेंज नैनवां, वन मण्डल, बूंदी में कार्य किया।

(4) जी हां। वन मण्डल बूंदी में अर्द्धस्थायी किये गये श्रमिकों की सूची मय कार्य करने की प्रथम तिथि के सदन की मेज पर परिशिष्ट (ख) के अनुसार रख दी गई है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-6 देखें)।

ग्राम भैरूवास (लालसोट) में क्रेशर मशीन से प्रदूषण

585. **श्री परसादीलाल मीणा** (लालसोट) : क्या वन एवं पर्यावरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि तहसील लालसोट के ग्राम भैरूवास में क्रेशर मशीन लगाने से पूर्व पर्यावरण विभाग की अनुमति ली गई थी। यदि हां, तो कब ?

(2) क्या सरकार भैरूवास ग्राम के जनजीवन व कृषि भूमि पर बढ़ते प्रदूषण को रोकने के लिए क्रेशर मशीन को तुरन्त हटाने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) वर्तमान में उद्योग लगभग एक माह से बन्द है। प्रदूषण रोकने हेतु, उद्योग को पुनः उत्पादन शुरू करने से पहले राज. प्रदूषण निवारण एवं नियन्त्रण मण्डल द्वारा उनकी सम्मति लेने एव प्रदूषण नियन्त्रण व्यवस्था करने हेतु दिनांक 4.3.91 को वायु अधिनियम, 1981 के तहत नोटिस दिये जा चुके है।

झालावाड़ जिले में सड़कों के किनारे लगे पेड़ों की सुरक्षा

586. **श्री बालचन्द आर्यवीर (डग) :** क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) झालावाड़ जिले में 1980 से अब तक कितने-कितने, किस-किस किस्म के पेड़ किन-किन सड़कों या अन्य स्थानों पर लगाये गये ? पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) जिले में पौध रोपण हेतु सन् 1980 से अब तक कितना-कितना बजट कब-कब स्वीकृत किया गया ? वर्षवार ब्यौरा सदन को मेज पर रखें।

(3) जिले में कितनी नर्सरिया किन-किन स्थानों पर हैं ? उनमें किस-किस किस्म की पौध लगाई जाती है उनके वितरण की व्यवस्था क्या है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह भी सही है कि राज्य में में वनों की पूर्ण सुरक्षा नहीं हो रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार के ध्यान में है कि वन रक्षक ही वनों को नष्ट करने में लगे हुए हैं ?

(5) सरकार ऐसे मामलों में क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) झालावाड जिले में वर्ष 1980 से अब तक सड़कों व अन्य स्थानों पर लगाये गये पेड़ों की संख्या का विवरण सदन की मेज पर परिशिष्ट "ब" के अनुसार रख दिया गया है। इनमें अधिकतर छायादार, फलदार, कांटेदार, इमारती एवं जलाऊ लकड़ी तथा चारा देने वाले वृक्ष लगाये गये।

(2) झालावाड़ वन मण्डल को पौधा रोपण हेतु वर्ष 1980 से अब तक स्वीकृत बजट का वर्षवार ब्यौरा परिशिष्ट "ख" के अनुसार सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(3) झालावाड़ जिले में वर्तमान में विभाग की नर्सरियां परिशिष्ट "ग" में दर्शाये स्थलों पर कार्यरत हैं जिनमें विभागीय वृक्षारोपण की आवश्यकता एवं जनता की मांग के अनुसार फलदार, फूलदार, छायादार, कांटेदार, इमारती लकड़ी, जलाऊ लकड़ी एवं चारा देने वाले पौधे तैयार किये जाते हैं। जनता को कांटेदार पौधे 10 पैसे प्रति पौध एवं अन्य पौधे 20 पैसे प्रति पौध की दर से उपलब्ध कराये जाते हैं।

(वन मंत्री)

(4) जी नहीं।

(5) वन रक्षकों द्वारा वनों को नष्ट करवाने की जानकारी मिलने पर नियमानुसार जांच करवायी जाती है तथा दोषी पाये जाने पर उचित दण्ड दिया जाता है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

(अतारांकित प्रश्न संख्या 587)

(स्थगित)

सरिस्का टाइगर प्रोजेक्ट क्षेत्र (अलवर) में सरिस्का पैलेस होटल का संचालन

588. **श्री ईश्वरलाल सैनी** (लक्ष्मणगढ़) : क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या सरिस्का टाइगर प्रोजेक्ट क्षेत्र अलवर में सरिस्का पैलेस होटल को चलाने की मंजूरी दी गई है ? यदि हां, तो कब और किसके आदेश से ?

(2) क्या टाइगर प्रोजेक्ट क्षेत्र में प्राइवेट पार्टी को होटल चलाने की मन्जूरी दी जा सकती है ? यदि हां, तो क्या अन्य होटल के लिये अब स्वीकृत दी जावेगी ? नहीं, तो क्यों ?

(3) उक्त अनुमति नहीं दी जाती है तो सरिस्का टाइगर प्रोजेक्ट क्षेत्र में सरिस्का पैलेस होटल किन नियमों के अन्तर्गत चल रहा है ? क्या अब सरिस्का पैलेस होटल को वहां से हटाने का सरकार का कोई इरादा है ?

(4) क्या यह सही नहीं है कि सरिस्का पैलेस होटल के कारण वन्य प्राणियों के स्वतन्त्र विचरण में बाधा नहीं आ रही है ? यदि हां, तो राज्य सरकार इसके लिए क्या उपाय कर रही है ?

उत्तर

(1) जी नहीं। वन विभाग द्वारा मंजूरी नहीं दी गयी है।

(2) जी नहीं। वन्य जीव (सुरक्षा) अधिनियम 1972 के प्रावधानों के अनुसार नया होटल चलाने की स्वीकृति नहीं दी जा सकती है।

(3) वन्य जीव (सुरक्षा) अधिनियम 1972 के तहत सरिस्का पैलेस होटल के बेचान को अवैध मानकर इसके विक्रय पत्र को निरस्त करने के लिये एक दिवानी वाद राज्य सरकार द्वारा न्यायालय जिला एवं सत्र न्यायालय, अलवर में दायर किया गया है।

(4) जी हां। यह सही है कि सरिस्का होटल के कारण वन्य प्राणियों के स्वतन्त्र विचरण में बाधा आ रही है। सरिस्का पैलेस होटल प्रस्तावित राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है। प्रस्तावित राष्ट्रीय उद्यान की सीमाओं में पड़ने वाली सम्पत्ती की जांच उप जिला कलक्टर, अलवर कर रहे है। जांच उपरांत यदि आवश्यक हुआ तो इसकी अवाप्ति की कार्यवाही की जावेगी।

ग्राम मेवड़ी (सिवाना) में स्वीकृत बांध निर्माण योजना

589. **श्री हुक्माराम** (सिवाना) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) विधान सभा क्षेत्र सिवाना में देवन्दी ग्राम पंचायत के अन्तर्गत मवड़ी गांव में बांध निर्माण की योजना कब स्वीकृत की गई और इस योजना पर अब तक कितने रुपये व्यय हो चुके हैं ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त बांध का निर्माण चार वर्ष से बन्द पड़ा हुआ है ? यदि हां, तो क्यों ?

(3) क्या यह भी सही है कि उक्त क्षेत्र के पीपलून गांव में नया बांध बनाने के लिए राज्य सरकार ने तेरह लाख रुपये स्वीकृत किये थे ? यदि हां, तो उक्त बांध पर कितना व्यय हो चुका है ? क्या सरकार उक्त बांध को पूरा कराने का विचार रखती हैं ? यदि हां, तो कब तक, नहीं, तो क्यों नहीं ? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(4) क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र सिवाना में और नये बांध बनवाने का विचार रखती है ? यदि हां तो कहां-कहां नहीं तो क्यों नहीं ? सूची सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) इस योजना की प्रशासनिक स्वीकृत वर्ष 1985-86 में हुई थी । इस पर अब तक 10.29 लाख रुपये व्यय किये जा चुके हैं ।

(2) जी हां । इस कार्य का संशोधित प्रशासनिक तख्मीने के स्वीकृति के अभाव में बजट जारी नहीं होने के कारण कार्य बन्द पड़ा हुआ हैं ।

(3) जी हां । उक्त क्षेत्र के पीपलान गांव में नया बांध बनाने के लिये सरकार ने 18.65 लाख रुपये की स्वीकृति प्रदान की थी । उक्त बांध पर अब तक 13.31 लाख रु. की राशि व्यय की जा चुकी है । वर्तमान में कार्य पर लागू स्टे आर्डर हाल में निरस्त हो गया है । तथा कार्य के इसी माह शुरू कराने की कार्यवाही की जा रही हैं ।

(4) जी हां । विधान सभा क्षेत्र सिवाना में 1991-92 हेतु नये बांध बनाने के प्रस्ताव सिंचाई खण्ड द्वारा बनाये गये हैं । जिसकी सूची सदन की मेज पर प्रस्तुत है । इनकी जांच की जा रही है । इनको उपयुक्त पाये जाने पर ही इनके बनवाने पर विचार किया जायेगा ।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 7 देखें) ।

क्षेत्र अटरू के तालाबों की सिंचाई क्षमता

590. **श्री मदन दिलावर** (अटरू) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) अटरू विधान सभा क्षेत्र में सिंचाई विभाग के अन्तर्गत कितने तालाब

(श्री मदन दिलावर)

हैं ? नाम सहित बताये। किस-किस तालाब की कितनी भूमि सिंचित करने की क्षमता है ?

(2) वर्तमान में कौन-कौन सा तालाब कितनी भूमि सिंचित कर रहा है ?

(3) क्या यह सिंचित करने का रकबा उनकी क्षमता से कम हैं ? यदि हां, तो क्या इनकी क्षमता बढ़ाने के लिये इनकी अधिक गहराई या मरम्मत की जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) अटरू विधान सभा क्षेत्र सिंचाई विभाग के दो तालाब हैं। बुद्धसागर व मोठपुर। इनकी सिंचाई क्षमता क्रमशः 240 एकड़ व 50 एकड़ है।

(2) इस वर्ष बुद्धसागर से 220 एकड़ व मोठपुर से 20 एकड़ सिंचाई होने का अनुमान है।

(3) बुद्धसागर से सिंचाई क्षमता के अनुरुप ही सिंचाई हो रही है एवं मोठपुर तालाब में पानी की आवक कम होने के कारण 20 एकड़ सिंचाई होने का अनुमान है। मोठपुर तालाब की क्षमता बढ़ाने के प्रस्ताव की जांच की जा रही है।

बीसलपुर परियोजना से टोंक जिले में सिंचाई

591. **श्री सुरेन्द्र व्यास** (मालपुरा) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि बीसलपुर परियोजना के अन्तर्गत पूर्व में टोंक जिले में सिंचाई के लिये पानी उपलब्ध कराने की भी कोई योजना थी ?

(2) क्या यह भी सही है कि सरकार के पास यह प्रस्ताव विचाराधीन था कि टोरडी सागर में एक फीडर लाइन डालकर बीसलपुर बांध में पानी भिजवाया जाये ?

(3) क्या उक्त दोनों प्रस्तावों को राज्य सरकार ने निरस्त कर दिया है ? यदि हां तो क्यों ?

(4) क्या राज्य सरकार इन पर सहानुभूतिपूर्वक विचार कर इन्हें योजना में सम्मिलित करने का प्रयास करेगी ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी नहीं।

(3) जी नहीं।

(4) बीसलपुर परियोजना के अन्तर्गत टोंक जिले में सिंचाई सुविधा प्रदान किया जाना अभी भी प्रस्तावित है। बीसलपुर परियोजना से पेयजल हेतु जल की मात्रा का निर्धारण कर आरक्षित करने के पश्चात् शेष उपलब्ध जल का सिंचाई हेतु उपयोग किया जायेगा।

सम्भावित सिंचित क्षेत्र का निर्धारण जल की उपलब्ध मात्रा पर निर्भर करेगा एवं अधिकतम क्षेत्र को सिंचित क्षेत्र में सम्मिलित करने के प्रयास किये जायेंगे।

उदयपुर जिले में तोड़ी गई पुलियाएं

592. **श्री बंशीलाल पटवा** (भीलवाड़ा) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) उदयपुर जिले में पिछले दो वर्षों में किन कारणों से किन-किन पुलियाओं को किस-किस तिथि को तोड़ा गया ? तोड़ने पर कितना खर्चा किया गया ?

(2) तोड़ी गई पुलियाओं को पुनः बनाने हेतु किस-किस तिथि को किस-किस मद से कितनी-कितनी राशि की स्वीकृतियां मांगी गई ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) उदयपुर जिले में पिछले दो वर्षों में सिंचाई विभाग द्वारा कोई पुलिया नहीं तोड़ी गई।

(2) उपरोक्त उत्तर के सन्दर्भ में तोड़ी गई पुलियाओं के पुनः बनाने का प्रश्न ही नहीं उठता।

जयपुर जिले में वर्षा से टूटे बन्धों की मरम्मत

593. **श्रीमती उजला अरोड़ा** (जयपुर ग्रामीण) :—क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या जिला जयपुर के वर्षा से टूटे मूंडला, धाउपुरा, रूपवास, पापल्ड डंगरावाला बंधा खटीकन, निनिडिया का बंध व बंध पत्यावास व (इन्द्रगढ़) पंचायत समिति जमवारामगढ़ की मरम्मत कराने विचार है ? यदि हां, तो कब तक ?

(2) क्या यह सही है कि वर्ष 1981 से टूटे बांधों की मरम्मत का कार्य आज तक शुरु नहीं हुआ है ? यदि हां, तो क्यों ?

उत्तर

(1) ये तालाब सिंचाई विभाग के नहीं हैं। ऐसी स्थिति में सिंचाई विभाग द्वारा उक्त बांधों की मरम्मत कराने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(2) वर्ष 1981 में जमवारामगढ़ पंचायत समिति में सिंचाई विभाग का कोई बांध नहीं टूटा। अतः मरम्मत कराने का प्रश्न नहीं उठता।

चिकलवास बांध निर्माण पर प्रस्तावित व्यय

594. **श्री शांतिलाल** (राजसमंद) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) चिकलवास बांध निर्माण पर कुल कितनी राशि खर्च होने का प्रस्ताव है ?

(2) उक्त बांध से किस क्षेत्र की कितनी-कितनी भूमि सिंचित होना प्रस्तावित है ?

(3) यह बांध कब तक बन कर तैयार हो जायेगा ?

उत्तर

(1) चिकलवास परियोजना की अनुमानित लागत 718.14 लाख रुपये है।

(2) इस परियोजना से उदयपुर जिले की नाथ द्वारा तहसील में 810 हैक्टयर भूमि सिंचित होना प्रस्तावित है। ब्यौरा सदन की मेज पर प्रस्तुत हैं।

(3) वांछित बजट राशि उपलब्ध होने पर इस योजना के वर्ष 1993-94 में पूर्ण होने की सम्भावना है।

(विवरण के लिये कृपया परिशिष्ट-8 देखें)

कस्बा रानी, तहसील बैर के बांध में पानी की आवक

595. **श्री रामप्रसाद लढ्ढा (बैर)** : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि भरतपुर जिले की तहसील बैर कस्बा रानी वाले बांध के भरने में अनेक कठिनाइयां हैं ?

(2) यदि हां, तो उपरोक्त स्रोत बांध में आने वाले जल स्रोत सम्बन्धित नाले की सफाई तथा उसे गहरा खुदवाने के सम्बन्ध सरकार क्या विचार कर रहा है ?

(3) क्या यह भी सही है कि नाले को बीच में काटने से बांध की आवक रुक जाती है ? यदि हां, तो सरकार कब तक नाले को गहरा करवा कर बांध को भरवाने की व्यवस्था करेगी ?

उत्तर

(1) जी हां। नाले में मिट्टी भर जाने एवं कम वर्षा होने से बांध नहीं भरता है।

(2) नाले से मिट्टी खुदवाने का प्रस्ताव जवाहर रोजगार योजना में इस वर्ष प्रस्तावित था परन्तु बजट के अभाव में कार्य नहीं किया जा सका। बजट उपलब्ध होने पर कार्य कराया जा सकेगा।

(3) पैरा 2 के अनुसार।

विधान सभा क्षेत्र, केकड़ी के अपूर्ण पड़े बांध एवं एनीकट्स

596. **श्री शम्भू दयाल बड़गूजर (केकड़ी)** : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि केकड़ी विधान सभा क्षेत्र में कई बांध एवं एनीकट्स अपूर्ण पड़े हुए हैं ? यदि हां, तो अपूर्ण पड़े हुए उपरोक्त कार्यों पर कितनी-कितनी राशि व्यय की जा चुकी है ? सूची सदन की मेज पर रखें ?

(2) क्या यह भी सही है कि राज्य सरकार उपरोक्त समस्त अपूर्ण कार्यों को पूरा करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? नहीं, तो क्यों ?

(3) केकड़ी विधान सभा क्षेत्र में वर्ष 1990-91 में सिंचाई विभाग द्वारा किन-किन कार्यों पर कितनी-कितनी राशि स्वीकृत की गयी ? स्वीकृत राशि में से अब

(श्री शम्भू दयाल बड़गूजर)

तक किन-किन कार्यों पर कितनी-कितनी राशि व्यय की जा चुकी है ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) सिंचाई उप-खण्ड केकड़ी के तहत वर्ष 1990-91 में कौन-कौन से कार्य संचालित किये जा रहे हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) केकड़ी विधान सभा क्षेत्र में कोई बांध अपूर्ण नहीं है। कुल 12 एनिकट्स के कार्य जो कि विभिन्न मदों के अन्तर्गत कराये गये थे, अपूर्ण हैं, उन पर व्यय की गयी राशि की सूची सदन की मेज पर प्रस्तुत है ("परिशिष्ट-1)

(2) जी हां। उक्त समस्त कार्य जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित है। वांछित बजट आवंटन होने के अनुसार पूर्ण किये जा सकेंगे।

(3) वर्ष 1990-91 में सिंचाई विभाग द्वारा केकड़ी विधान सभा क्षेत्र में कुल दो कार्यों पर राशि स्वीकृत की गयी हैं। इस राशि का एवं 2/91 तक किये गये खर्च का ब्यौरा परिशिष्ट दो में सदन की मेज प्रस्तुत है।

(4) सिंचाई उपखड़ केकड़ी में वर्ष 1990-91 में कुल छः कार्य संचालित किये जा रहे है। उनकी सूची परिशिष्ट तीन में सदन को मेज पर प्रस्तुत हैं।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-9 देखें)।

जवाई बांध एवं हेमावास बांध में पानी का आरक्षण

597. **श्री गुलाबसिंह (सुमेरपुर)** : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जवाई बांध एवं हेमावास बांध से गत दस वर्षों में जलदाय विभाग एवं सिंचाई विभाग के लिए कितना-कितना पानी आरक्षित किया गया है ?

(2) आरक्षित पानी की मात्रा में से जलदाय विभाग द्वारा कितने-कितने पानी का उपयोग किया गया ? क्या यह सही है कि आरक्षित मात्रा में से कम पानी लिया गया ? यदि हां, तो क्यों ?

(3) क्या जलदाय विभाग द्वारा आरक्षित मात्रा में से उपयोग नहीं किये गये पानी का भुगतान भी किया ? यदि हां, तो कितना-कितना ? वर्षवार सूची सदन की मेज पर रखें। यदि नहीं, तो क्यों ?

(4) यदि बचे हुए पानी की मात्रा सिंचाई हेतु उपयोग में लायी जाती तो उससे कितने क्षेत्र में सिंचाई होती तथा कितनी मात्रा में खाद्यान्न उत्पन्न होता ?

उत्तर

(1) जवाई व हेमावास बांध से गत 10 वर्षों में पेयजल हेतु पानी जलदाय विभाग एवं सिंचाई विभाग के लिए आरक्षित किया गया वो प्रपत्र-"अ" व "ब" में सदन की मेज पर प्रस्तुत है।

(2) विवरण उपरोक्त प्रपत्रों में दिया

(सिंचाई मंत्री)

है। हेमावास बांध से आरक्षित पानी से कम पानी जलदाय विभाग द्वारा नहीं लिया गया है। जवाई बांध से जलदाय विभाग द्वारा आवश्यकतानुसार ही पानी लिया गया है।

(3) जी हां ? जवाई बांध से आरक्षित मात्रा में से उपयोग नहीं किये गये पानी का भुगतान जलदाय विभाग द्वारा किया गया है। उसका विवरण प्रपत्र-"स" में सदन की मेज पर प्रस्तुत है।

(4) जवाई बांध से बचे हुये पानी की मात्रा से अनुमानित सिंचाई एवं खाद्यन्न सम्बन्धी सूचना प्रपत्र-"द" सदन की मेज पर प्रस्तुत है। पेयजल को प्राथमिकता दिये जाने के कारण एवं जवाई बांध के अधिकतर वर्षों में खाली रहने के कारण ऐसा करना आवश्यक होता है तथा आरक्षित जल अगले वर्ष उपयोग में आ जाता है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट 10 देखें)

ग्राम आंधी में विभाग की भूमि पर अवैध कब्जा

598. **श्री रामेश्वर प्रसाद गुर्जर** (जमवारामगढ़) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या सिंचाई विभाग के भवन निर्माण हेतु ग्राम आंधी (जयपुर) में कोई भूमि है ?

(2) क्या उस पर किसी व्यक्ति ने कब्जा कर रखा है ? यदि हां, तो क्या सरकार इस कब्जे को हटाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी, हां।

(2) जी, नहीं।

राज्य में स्वीकृत वृहद, मध्यम एवं लघु सिंचाई योजनाएं

599. **श्री गोविन्दसिंह गुर्जर** (नसीराबाद) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य में कितनी वृहद, मध्यम एवं लघु सिंचाई योजनाएं वर्ष 1985 से अब तक स्वीकृत की गई और उनके लिए कितनी-कितनी धनराशि प्रारम्भ में आवंटित की गई और उनमें कितनी सिंचाई क्षमता अर्जित करने का प्रावधान था ?

(2) उक्त योजनाओं में से कितनी योजनायें समयावधि में समाप्त हो गई है और कितनी समयावधि के कितने अन्तराल के बाद तथा उनसे कितनी सिंचाई क्षमता अर्जित की गई जो लक्ष्य से कितनी कम या अधिक है ?

(3) कितनी योजनायें अभी तक पूरी नहीं हो सकी और उन पर मूल प्रावधान से कितनी अधिक राशि व्यय करनी पड़ेगी ?

(श्री गोविन्दसिंह गुर्जर)

(4) समय पर योजनायें पूरी न होने के लिये कौन अधिकारी दोषी है और उनके विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

उत्तर

(1) वर्ष 1985 से अब तक स्वीकृत की गई वृहद एवं लघु सिंचाई योजनाओं को सूची सदन की मेज प्रस्तुत है। इस अवधि में कोई भी मध्यम सिंचाई योजनाएं स्वीकृत नहीं की गई। योजनाओं की अनुमानित लागत एवं आंकलित सिंचाई क्षमता तालिका "एक" में अंकित है।

(2) अब तक पूर्ण हो चुकी योजनाओं का विवरण तालिका संख्या "दो" में प्रस्तुत हैं। योजनाओं की समयावधि बजट की जो धनराशि के आवंटन पर निर्भर करती है। अर्जित सिंचाई क्षमता लक्ष्य के अनुरूप ही है।

(3) अपूर्ण रही योजनाओं की सूची व वर्तमान में अनुमानित शेष लागत तालिका संख्या "तीन" में सदन की मेज पर प्रस्तुत है।

(4) प्रायः योजनाओं का समय पर पूर्ण न होने के मुख्य कारण आवश्यक धनराशि का उपलब्ध न होना, भूमि अवाप्ति सम्बन्धी कठिनाई व ठेके से सम्बन्धी विवाद इत्यादि होते हैं। यदि कोई अधिकारी विशेष रूप से देरी के लिए उत्तरदायी पाया जाये तो ही कार्यवाही की जाती है। अभी ऐसे कोई प्रकरण जानकारी में नहीं है।

(तालिका विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

तहसील जैतारण में तालाबों एनिकटों व खडीन रपटों का नव-निर्माण

600. **श्री सुरेन्द्र गोयल** (जैतारण) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(1) पाली जिले की जैतारण तहसील में सिंचाई विभाग भू-संरक्षण के तहत भू-संरक्षण विभाग व अकाल राहत विभाग द्वारा गत पांच वर्षों में कितने तालाबों, एनिकटों व खडीन रपटों से नव-निर्माण कराये गये ? कितनों की पाल चादर आव व मोरी आदि की मरम्मत कराई गई व कितने अधूरे पड़े हैं, उन पर कुल कितनी धनराशि व्यय की गई ? अधूरे पड़े कार्यों को कब तक सरकार पूर्ण कराने का विचार रखती है ?

(2) उपरोक्त तालाबों में से कितने ऐसे हैं, जिनका इस अवधि में एक बार से अधिक कार्य कराया गया ?

उत्तर

(1) पाली जिले की जैतारण तहसील में सिंचाई विभाग के माध्यम से गत पांच वर्षों में विभिन्न कार्यक्रमों के अन्तर्गत तालाबों के पांच, एनीकटों के 55, खडीनों के 7 एवं बाढ़ बचाव के 6 निर्माण कार्य

(सिंचाई मंत्री)

शुरू करवाये गये थे। जिनमें से तालाबों के 5, एनीकटों के 19, खंडीनों के 1 एवं बाढ़ बचाव के 4 कार्य पूर्ण हो गये थे। तथा कुल 44 कार्य तालाबों, एनीकटों खण्डीनों एवं बाढ बचाव के अपूर्ण रह गये। इन सभी कार्यों पर कुल 111.952 लाख रुपये व्यय हुए, जिनका विवरण प्रपत्र "अ" में सदन की मेज पर प्रस्तुत हैं। अपूर्ण रहे कार्यों हेतु बजट उपलब्ध होने पर पूर्ण कराया जाना सम्भव होगा। भू-संरक्षण विभाग की सूचना के अनुसार उस विभाग द्वारा 5 एनीकट तथा 18 खंडीन कार्य कराये गये। विवरण प्रपत्र "स" में सदन की मेज पर प्रस्तुत हैं। इन कार्यों की मरम्मत भू-संरक्षण द्वारा नहीं की गई हैं। केवल एक कार्य केसरपुरा एनीकट अधूरा हैं। अकाल राहत विभाग की सूचना प्रपत्र 'द' में सदन की मेज पर प्रस्तुत हैं।

(2) ग्यारह कार्यों पर गत पांच वर्षों की अवधि में एक बार से अधिकार कार्य कराया गया। जिनका विवरण प्रपत्र 'ब' में सदन की मेज पर प्रस्तुत है। केसरपुरा एनीकट को 91-92 में डी. डी. पी. में प्रस्तावित किया गया हैं।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

बांसवाड़ा में एन. आर. ई. पी., आर. एल. जी. पी. के तहत स्वीकृत बांध

601. **श्री बहादुर सिंह** (दानपुर) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) सिंचाई विभाग के अन्तर्गत बांसवाड़ा में एन. आर. पी. आर. ई. जी. पी. के कौन-कौन से कार्य स्वीकृत हुए थे ? उनमें से कितने पूर्ण हुए व कितने अधूरे हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या राज्य सरकार इन अधूरे कार्यों को प्राथमिकता से पूर्ण करवाने का विचार रखती हैं ? यदि हां तो कौन-कौन से कार्य किस मद में कब तक पूर्ण किये जायेंगे ?

उत्तर

(1) सूची सदन की मेज पर प्रस्तुत है। इसमें पूर्ण/अपूर्ण कार्यों की सूचना अंकित हैं।

(2) विवरण संलग्न सूची में अंकित है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 11 देखें)।

बनास नदी की बजरी का ठेका

602. **श्री मोतीलाल** (सवाई माधोपुर) : क्या खनिज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या सरकार ने वर्ष 1987-88 में सवाई माधोपुर बनास नदी बजरी की रायल्टी स्वयं ने वसूल की थी ? यदि हां, तो सरकार ने प्रति ट्रक कितनी रायल्टी

(श्री मोतीलाल)

ली थी तथा उक्त वर्ष में सरकार को शुद्ध वसूली कितनी हुई थी ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त बजरी की रायल्टी वसूली को ठेके पर दे दिया है ? यदि कहां. तो कब, कितने में व किसको ?

(3) ठेकेदार वर्तमान में प्रति ट्रक कितनी रायल्टी वसूल कर रहा है ?

(4) वर्ष 1987-88 की रायल्टी दर की तुलना में आज ठेकेदार द्वारा ली जा रही रायल्टी की दर से यदि सरकार स्वयं रायल्टी वसूल करती तो कितना शुद्ध लाभ होता ? क्या यह ठेके की राशि से कम होता या ज्यादा ? यदि ज्यादा होता तो सरकार पर ऐसी क्या मजबूरी थी कि रायल्टी वसूली ठेके पर देनी पड़ी ?

(5) क्या उक्त ठेके की नीलामी की सूचना प्रदेश के सभी प्रमुख समाचार-पत्रों में दी गई थी ? यदि हां, तो किस-किस समाचार-पत्र में ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

उत्तर

(1) जी हां । प्रत्येक ट्रक द्वारा निर्गमन की गई बजरी की रायल्टी दर रुपया 1.50 प्रति टन तथा परमिट फीस की राशि रुपया 5 प्रतिवाहन की दर से वसूल की गई । उक्त अवधि में सरकार को रुपया 1,53,669.00 की शुद्ध आय हुई ।

(2) जी हां । दिनांक 15.4.88 से 31.3.90 तक के लिए रायल्टी व परमिट फीस वसूली का ठेका रुपया 3,00,000.00 प्रतिवर्ष की दर से श्री देवनदास गोवर्धन दास पक्ष में स्वीकृत किया गया । रायल्टी व परमिट फीस की दर में संशोधन होने पर ठेका अवधि दिनांक 27.2.89 से 16.3.89 तक रुपया 4.50 लाख प्रतिवर्ष व दिनांक 17.3.89 से 31.3.90 तक रुपया 5,95,425.00 प्रतिवर्ष निर्धारित किया गया । तत्पश्चात दिनांक 21.4.90 से 31.3.92 के लिए उक्त ठेका श्री नरेन्द्र सिंह पुत्र श्री गरुवेरसिंह को नीलामी द्वारा रुपया 2,28,101 प्रतिवर्ष की दर से दिया गया है ।

(3) ठेकेदार वर्तमान से रायल्टी दर रुपया 2.50 प्रतिटन तथा परमिट फीस रुपया 15.00 प्रति ट्रक वसूल कर रहा है ।

(4) वर्ष 1987-88 की रायल्टी दर की तुलना में अब ठेकेदार द्वारा ली जा रही रायल्टी दर में विभाग द्वारा रायल्टी वसूली करने तथा उससे शुद्ध लाभ होना खनिज के निर्गमन पर निर्भर करता है । उक्त स्थिति में शुद्ध लाभ की राशि बताना सम्भव नहीं है । राज्य सरकार द्वारा जो ठेका दिया गया है वह नियमानुसार सही है ।

(5) एम. एम. सी. आर. 1986 के नियम 34(अ) के प्रावधानुसार दो अखबारों में (1) दैनिक देश की धरती, सवाई-माधोपुर (2) दैनिक निर्भीक राजस्थान, हिण्डौन में नीलामी विज्ञप्ति प्रकाशित कराई गई । नियमानुसार प्रदेश के सभी समाचार पत्रों में नीलामी सूचना का प्रकाशन आवश्यक नहीं हैं ।

अजमेर जिले में खनन कार्यों के पट्टे

603. **श्री सांवरलाल जाट** (भिनाय) : क्या खनिज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या अजमेर जिले में विभिन्न खनन कार्यों के लिये विभाग द्वारा पट्टे जारी किये गये हैं ? यदि हां तो अब तक जारी किये गये विभिन्न खनन पट्टे मय नाम, खनिज का नाम एवं कुल क्षेत्र सहित सम्पूर्ण सूची सदन की मेज पर रखे ।

(2) क्या विभाग के कर्मचारी, अधिकारी मौके पर इस बात की जांच करते हैं कि जितना स्थान दिया गया है उसी पर खनन कार्य हो रहा है ? यदि हां, तो क्या कहीं पर अतिक्रमण के मामले पकड़े गये ? यदि हां, तो कहां ? सम्पूर्ण सूचना सहित सूची सदन की मेज पर रखें ।

(3) क्या पूर्व में नियमानुसार जिलाधीश, अजमेर से पट्टे देने से पूर्व अनापत्ति प्रमाण-पत्र लेने हेतु लिखा जाता था ? यदि हाँ, तो कब तब, किस-किस के सम्बन्ध में लिखा गया ? पत्र क्रमांक सहित विवरण सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) जी हां । अब तक जारी किये गये एवं चालू प्रधान तथा अप्रधान खनिजों के पट्टों की सूची परिशिष्ट "अ" संलग्न हैं ।

(2) जी हां, प्रायः जो क्षेत्र स्वीकृत किया जाता है, उसी में खनन कार्य होता है । अजमेर जिले में वर्ष 1989-90 में क्षेत्र से बाहर खनन कार्य के 3 मामले पकड़े गये, जिनका विवरण परिशिष्ट "ब" पर संलग्न है ।

(3) खनन पट्टा स्वीकृत करने से पूर्व जिलाधीश, अजमेर से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त करना आवश्यक नहीं है । खनन पट्टा स्वीकृत किया जाकर आदेश की एक प्रति सम्बन्धित जिलाधीश को पृष्ठांकित की जाती है ।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

अवैध रूप से खनन करने वालों के विरूद्ध कार्यवाही

604. **श्रीमती रमा पायलट** (हिण्डौली) : एवं **श्री गोविन्द सिंह गुर्जर** (नसीराबाद) : क्या खनिज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) खनिज विभाग में अवैधानिक रूप से खनन कर खनिज पदार्थों को ले जाने वालों के विरुद्ध सरकार ने क्या कोई कार्यवाही की है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(2) गैर-कानूनी खनन के लिये कितने अधिकारियों के विरुद्ध सरकार ने क्या कार्यवाही की ? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) जी हां। अवैधानिक रूप से खनन कर खनिज पदार्थों को ले जाने वालों के विरुद्ध खान एवं खनिज विनियमन एवं विकास अधिनियम, 1957 के अन्तर्गत प्रधान खनिजों के सम्बन्ध में एवं राजस्थान अप्रधान खनिज रियायती नियम, 1986 के अन्तर्गत आवश्यक कार्यवाही की जाती है।

(2) गैर-कानूनी खनन के ऐसे मामलों में अवैध रूप से खनन करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध अवैध खनन सामग्री की कीमत के अनुरूप मांग कायम की गई है। अधिकारियों के विरुद्ध कोई मामला नहीं बना है, अतः उनके विरुद्ध कार्यवाही नहीं की गई।

खनिज अभियन्ता, जयपुर के क्षेत्राधिकार में स्थापित चैक पोस्ट एवं नाके

605. **श्री रामकिशोर सैनी** (बांदीकुई) : क्या खनिज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) खनिज अभियन्ता जिला जयपुर के क्षेत्राधिकार में कुल कितने चैक पोस्ट व नाके स्थापित हैं? नाम सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) जयपुर जिला खनिज अभियन्ता जयपुर के विभिन्न चैक पोस्ट व नाकों से वर्ष 1985 से अब तक ईंट, चूना, पत्थर, बजरी एवं चेजा पत्थर इत्यादि से प्राप्त राजस्व की वर्षवार विस्तृत जानकारी सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या उक्त चैक पोस्ट व नाकों पर नाकेदारों की सुरक्षा व बैठने की कोई व्यवस्था है? यदि नहीं, तो क्यों?

(4) क्या जयपुर जिला खनिज अभियन्ता जयपुर कार्यालय की वर्ष 1985 से अब तक कोई अंकेक्षण (आन्तरिक/महालेखाकार/निदेशक कोष एवं लेखा द्वारा) हुआ है? यदि हां, तो समस्त रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें। यदि नहीं, तो क्यों?

(5) क्या खनिज अभियन्ता जयपुर की वर्ष 1985 से किसी भी अंकेक्षण रिपोर्ट/आन्तरिक जांच में कोई अनियमितता या गबन का प्रकरण प्रकाश में आया? यदि हां, तो क्या दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की गई? विस्तृत रिपोर्ट मय प्रलेख के सदन की मेज रखें।

(6) जयपुर जिले में खनिज अभियन्ता जयपुर के क्षेत्राधिकार में प्रत्येक चैक पोस्ट व नाकों पर किस प्रकार के पद नोर्मस के अनुसार सृजित हैं? क्या वर्तमान में उन पर उसी अनुसार कर्मचारी पदस्थापित हैं? सूची सदन की मेज पर रखी जावे।

उत्तर

(1) वर्तमान में खनिज अभियन्ता, जयपुर के क्षेत्राधिकार में 9 चैक पोस्ट स्थापित हैं। नाम सहित विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है (परिशिष्ट "क")

Page No. 48

(48)

(खनिज राज्य मंत्री)

(2) वर्ष 1985-86 से 1990-91 (जनवरी, 91 तक) प्राप्त राजस्व का वर्ष-वार ब्यौरा सदन की मेज पर रख दिया गया है (परिशिष्ट "ख")

(3) जी हां।

(4) खनिज अभियन्ता, जयपुर कार्यालय का विभागीय अधिशुल्क संग्रहण लेखों का वर्ष 1985-86 का अंकेक्षण विभागीय अंकेक्षण दल द्वारा किया गया है जिसकी रिपोर्ट सदन की मेज पर रख दी गई है। (परिशिष्ट "ग")

(5) जी हां। अंकेक्षण में पांच गबन के मामले तादादी रुपये 8,573-25 ध्यान में आये हैं। यह राशि कर्मचारियों से वसूल कर ली गई है। दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही विचाराधीन है।

(6) नार्म्स के अनुसार पद सृजित नहीं है। नाकेदारों की ड्यूटी रोटेशन प्रणाली से पदस्थापित की जाती है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

मकराना-परबतसर रेलवे लाइन के पास की संगमरमर खानों में खनन कार्य

606. **श्री गुलाम मुस्तुफा खान** (नागौर) : क्या खनिज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि मकराना-परबतसर रेलवे लाइन के आस-पास करीब 57 संगमरमर की खानों में खनन कार्य पिछले दो वर्षों में इसलिये रोक दिया गया है कि इस खनन कार्य से उक्त रेल लाइन को खतरा हो गया है ?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त रेल लाइन को आर्थिक दृष्टि से हानिप्रद होने के कारण रेल विभाग बन्द करने का निर्णय ले चुका है ? यदि नहीं, तो क्या उक्त रेल लाइन को उक्त खनन क्षेत्र से हटाकर हजारों मजदूरों को रोजगार नहीं दिया जा सकता है ? यदि हां तो राज्य सरकार इसके लिए पहल करेगी ?

(3) क्या यह भी सही है कि उक्त खनन कार्य बन्द करने से राज्य सरकार लाखों रुपये की रायल्टी उक्त खानों से प्राप्त नहीं कर सकती ? क्या राज्य सरकार उक्त करोड़ों रुपये की खनिज सम्पदा को बचाने के लिये कोई प्रयास कर रही है ?

उत्तर

(1) मकराना-परबतसर रेल्वे लाइन के पास 43 क्वारी लाइसेन्स क्षेत्रों में रेल्वे लाइन के 45 मीटर की सीमा में खनन कार्य होने से खनन सुरक्षा विभाग के पत्र दिनांक 27.1.88 द्वारा रोका गया है।

(2) उक्त रेल्वे लाइन को आर्थिक दृष्टि से हानिप्रद होने के कारण बन्द करने का मामला भारत सरकार से सम्बन्धित है।

(खनिज राज्य मंत्री)

(3) यह सही है कि उक्त खानों को बन्द करने से राज्य सरकार को रायल्टी प्राप्त न होने से राजस्व पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।

विधान सभा क्षेत्र निम्बाहेड़ा में विभाग द्वारा सड़कों का निर्माण

607. **श्री श्रीचन्द कृपलानी** (निम्बाहेड़ा) : क्या खनिज राज्य मंत्री यह बताने कृपा करेंगे :—

(1) निम्बाहेड़ा विधान सभा क्षेत्र में खनिज विभाग द्वारा आज तक कौन-कौन सी सड़कों का निर्माण कराया गया है? नामवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) इस वर्ष खनिज विभाग द्वारा उपरोक्त क्षेत्र में कौन-कौन सी सड़कें स्वीकृत की गई हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) उपरोक्त क्षेत्र में स्वीकृत सड़कों में से कौन-कौन सी सड़कें अधूरी हैं कौन-कौन सी विचाराधीन हैं? नामवार सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) निम्बाहेड़ा विधान सभा क्षेत्र में निर्माण करवाई गई सड़कों की नामवार सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) उपरोक्त क्षेत्र में इस वर्ष खनिज विभाग द्वारा कोई सड़क स्वीकृत नहीं की गई।

(3) उपरोक्त क्षेत्र में स्वीकृत दो सड़कों में से एक सड़क निर्माणधीन है तथा एक का कार्य प्रारम्भ नहीं हुआ है नामवार सूची सदन की मेज पर रख दी गई हैं।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 12 देखें)

उप कृषकों से अधिकतम राजस्व कर की वसूली

608. **श्री रघुवीरसिंह कौशल** (बारां) एवं

श्री हेमराज मीणा (किशनगंज) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान टीनेन्सी एक्ट की धारा 98 से 102 में उप कृषक से अधिकतम लगान का 2 से $2\frac{1}{2}$ गुणा तक मुनाफा वसूल करने का अधिकार है तथा राजस्व मण्डल में कई निर्णयों में इस सीमा से अधिक राशि खातेदार कृषक से वसूल करने को अवैध माना है?

(2) क्या यह भी सही है कि टीनेन्सी एक्ट लागू होने के बाद से आज तक इस राशि में संशोधन नहीं किया गया है? क्या इसी प्रकार धारा 183 में अतिक्रमी के विरुद्ध पेनेल्टी अधिकतम लगान से 15 गुना निर्धारित है?

Page No. 50

(50)

(श्री रघुवीरसिंह कौशल)

(3) क्या यह भी सही है कि सन् 1975 में भू-राजस्व अधिनियम की धारा 91 में सरकारी भूमि पर अतिक्रमणी पर पेनल्टी की राशि लगान से 15 गुना से बढ़ा कर 50 गुना कर दी गई थी ?

(4) क्या यह सही है कि उप-कृषक से वसूल की जाने वाली मुनाफा राशि व धारा 183 के अन्तर्गत निर्धारित राशि में वृद्धि बढ़ती हुई मंहगाई के अनुरूप होना आवश्यक है ?

(5) क्या इस सम्बन्ध में राज्य सरकार कानून में आवश्यक संशोधन करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) राजस्थान टिनेन्सी एक्ट की धारा 99 में कृषक को उप-कृषक से अधिकतम लगान का दो गुणा तक वसूल करने का प्रावधान है। इस सीमा से अधिक लगान वसूल नहीं किया जा सकता।

(2) जी हां। एक्ट की धारा 183 (1) में अतिक्रमी के विरुद्ध पेनल्टी प्रत्येक कृषि वर्ष के लिये वार्षिक लगान का 15 गुना तक निर्धारित है।

(3) जी हां।

(4) लगान एवं शास्ति की राशि में परिवर्तन पर विचार करते समस्त आवश्यक तथ्यों को मद्देनजर रखा जाता है।

(5) इस सम्बन्ध में अधिनियम में संशोधन का मामला विचाराधीन नहीं है।

जयपुर नगर में आवासीय उपयोग हेतु कृषि भूमि का रूपान्तरण

609. **श्री मदन लाल सैनी** (गुढ़ा) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान लैण्ड रेवेन्यु (एलाटमेंट एवं रेग्यूलराईजेशन आफ कन्वसेन आफ एग्रीकल्चरल लैण्डफार रेजिडेंशियल और कामशियल परपजेज इन अरबन एरियाज) रूल्स, 1971 राजस्थान लैण्ड रेवेन्यु (एलोटमेंट, कन्वर्सन एण्ड रेग्युलराजेइशन ऑफ एग्रीकल्चरल लैण्ड फोर रेजिडेशियल और कॉमशियल परपजेज इन अरबन एरियाज) रूल्स, 1978 और राजस्थान लैण्ड रेवेन्यु (एलोटमेंट व कन्वर्सन एण्ड रेग्युलराइजेशन ऑफ एग्रीकल्चरल लैण्ड फोर रेजिडेंशियल एण्ड कामशियल परपजेज इन अरबन एरियाज रूल्स, 1981 के अन्तर्गत जयपुर नगर में आवासीय उपयोग हेतु कृषि भूमि के रूपान्तरण की अधिकतम दर क्रमशः रु. 40/- रु. 16/- एवं रु. 24/- प्रति वर्ग गज निर्धारित की गई थी ?

(2) क्या यह सही है कि उपरोक्त वर्ष 1971 के रूल्स लागू होने के 20 वर्ष पश्चात जयपुर नगर में आवासीय भूमि के भाव अब अनुमानित सौ गुना एवं थोक भावों का सूचकांक लगभग सात गुणा हो गए हैं परन्तु उक्त रूपान्तरण के भाव रु. 40/- से घटाकर रु. 24/- प्रति गज कर

(श्री मदन लाल सैनी)

दिये गये हैं जिसके फलस्वरूप कुछ सौ कृषि भूमि के व्यापारी करोड़पति बन गये हैं एवं लाखों नागरिक इतनी महंगी भूमि खरीदने के लिये साधन के अभाव में गंदी बस्तियों में नारकीय जीवन बिता रहे हैं जो संविधान एवं मानवता के सिद्धान्तों के विपरीत है ?

(3) क्या यह सही है कि उपरोक्त कम भाव से कृषि भूमि के रूपान्तरण आबादी भूमि के आकाश छूते भाव और उसकी अनुपात में कृषि भूमि के भावों के परिणामस्वरूप स्थानीय निकायों को आर्थिक दृष्टि से कमजोर परिवारों के आवास हेतु उचित मूल्य पर कृषि भूमि मिल नहीं रही है और साथ ही साथ अत्यन्त घाटे में चल रहे राजकीय बजट में भूमि रूपान्तरण से नगण्य आय हो रही है जिससे कई जन कल्याण की योजनाओं को स्थापित करना पड़ा है ?

(4) अब उक्त मानवता एवं संविधान विरोधी रूपान्तरण कब तक समाप्त कर दिया जायेगा ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जयपुर नगर में आवासीय भूमि के भावों में वृद्धि हुई है। आवासीय सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने कृषि भूमि के आवासीय प्रयोजनार्थ रूपान्तरण शुल्क की दर कम की थी।

(3) जी नहीं।

(4) कृषि भूमि का रूपान्तरण समाप्त करने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है।

अरबन एरिया, जोधपुर में आवासीय पट्टे

610. **श्री राजेन्द्र गहलोत** (सरदारपुरा) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि दी राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू (एलोटमेन्ट, कन्वर्सन एण्ड रेग्यूलराइजेशन ऑफ एग्रीकल्चरल लैण्ड फोर रेजिडेंशियल एण्ड कार्मशियल परपजेज इन अरबन एरियाज) रूल्स, 1981 के अन्तर्गत जोधपुर अरबन एरिया में अधिकृत अधिकारियों ने अनुमानित पचास लाख वर्ग गज कृषि भूमि का रूपान्तरण कर लगभग बीस हजार आवासीय पट्टे पिछले आठ वर्षों में प्रदान किये हैं ?

(2) क्या यह सही है कि उपरोक्त पट्टे दी राजस्थान अरबन एरियाज (सब डिवीजन, रिकोन्सटीटयूशन एण्ड इम्प्रूवमेन्ट ऑफ प्लोट्स) रूल्स, 1975 के नियमों की पूर्ण अवहेलना करते हुए प्रदान कर दिये गये हैं जिसके अनुसार स्टेण्डर्ड प्लोट्स विथ सेट बेक्स पर्याप्त चौड़ी सड़कें, खुले क्षेत्र, खेल व उद्यान के लिये मैदान अधिकतम 66 प्रतिशत विक्रय योग्य भूमि इत्यादि के साथ लगभग 93 नर्सरी स्कूल, 35 प्राईमरी स्कूल एवं 14 हायर सैकण्डरी स्कूल के लिये भूमि आरक्षित करने की तुलना में इन अति आवश्यक जन सुविधाओं के लिये नगण्य भूमि रखी गई हैं ?

Page No. 52

(52)

(श्री राजेन्द्र गहलोत)

(3) क्या उपरोक्त अति आवश्यक एवं वैधानिक जन सुविधाओं का अभाव वहां निवास करने वाले नागरिकों के साथ प्रशासन द्वारा घोर अन्याय है ?

(4) यदि हां, तो उपरोक्त नागरिकों को उक्त वैधानिक एवं अति आवश्यक सुविधायें भविष्य में राज्य सरकार कैसे व कब तक प्रदान करेगी एवं सम्बन्धित दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कब तक कार्यवाही करेगी ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) कृषि भूमि रूपांतरण नियम, 1981 के अन्तर्गत ही भूमि का रूपान्तरण किया गया है। इन नियमों में दी राजस्थान अरबन एरियाज सब डिवीजन रिकोन्स्टीट्यूशन एण्ड इम्प्रूवमेन्ट ऑफ प्लाट्स रूल्स 1975 का सन्दर्भ नहीं है।

(3) यह सही नहीं है कि प्रशासन द्वारा जन सुविधाओं की अनदेखी की गई हैं।

(4) प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है।

छात्रावासों में रहने वाले विद्यार्थियों को निःशुल्क सुविधायें

611. **श्री निर्भय लाल** (रूपवास) : एवं **श्री मोती लाल** (सवाई माधोपुर) : क्या समाज कल्याण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि विभाग द्वारा प्रदेश में अनुसूचित जाति। जनजाति के छात्रों हेतु छात्रावास संचालित है ? यदि हां तो प्रदेश में कुल कितने राजकीय एवं अनुसूचित जाति/जनजाति के छात्रावास हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि इन छात्रावासों में रहने वाले विद्यार्थियों को सरकार द्वारा निशुल्क व्यवस्था दी जाती है ? यदि हां, तो प्रति छात्र प्रति माह कितना-कितना खर्चा किस-किस सुविधा बाबत प्रदान किया जाता है ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि एक विद्यार्थी एक सौ सत्तर रुपये प्रतिमाह में समस्त सुविधाएं पर्याप्त मात्रा में प्राप्त कर सकता हैं ? यदि नहीं, तो क्या सरकार इस सुविधा राशि को रु. 300/- प्रति छात्र प्रतिमाह तक बढ़ाने का इरादा रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(4) क्या यह सही है कि सहायक निदेशक, समाज कल्याण विभाग, कोटा द्वारा छात्रावासों की सुविधा सुधार बाबत कोई सुझाव प्रतिवेदन निदेशालय को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या सरकार इस प्रकार के सुझावों पर वास्तविक अमल कर अनुसूचित जाति/जनजाति के छात्रों को लाभान्वित करने का इरादा रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां, विभाग द्वारा राज्य में

(समाज कल्याण राज्य मंत्री)

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के छात्रों हेतु 330 छात्रावास संचालित किये हैं। सूची परिशिष्ट "क" सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) जी हां, छात्रों को दी जाने वाली सुविधाओं की सूची परिशिष्ट "ख" सदन की मेज पर रख दी गई है ?

(3) यह कठिन है। यह राशि बढ़ाये जाने हेतु प्रस्ताव विचाराधीन है।

(4) ऐसा सुझाव उपलब्ध नहीं है। सुझाव प्राप्त होने पर आवश्यक कार्यवाही की जा सकेगी।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

जयपुर में रैन बसेरा प्रोग्राम के तहत खर्च राशि

612. श्री श्रीकिशन सोनगरा (अजमेर पूर्व) **श्रीगोविन्द सिंह गुर्जर**(नसीराबाद)एवं **श्री भरोसीलाल** (हिण्डौन) : क्या समाज कल्याण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) अजमेर व जयपुर में रैन बसेरा प्रोग्राम के तहत राज्य सरकार द्वारा कितनी राशि दी गई तथा उसमें से कितनी राशि खर्च की गई व कितनी राशि शेष रही ? खर्च की राशि का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या इस सम्बन्ध में किसी प्रकार के टेण्डर प्राप्त किये गये थे ? यदि हां, तो किन-किन के टेण्डर प्राप्त हुए और किस कम्पनी का टेण्डर पास किया गया ?

(3) क्या इन टेण्डरों को खोलने के लिए किसी प्रकार की समिति गठित की गई थी ? यदि हां, तो समिति के सदस्य कौन-कौन थे ?

(4) रैन बसेरा कहां-कहां खोले गये तथा प्रति रैन बसेरा पर कितना-कितना व्यय किया गया ? ब्यौरा सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या उक्त रैन बसेरा खोलने में किसी प्रकार की अनियमितता बरतने पर किसी प्रकार की शिकायत प्राप्त हुई है ? यदि हां, तो इनमें किन-किन को दोषी पाया गया और उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की गई ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जयपुर रैन बसेरा प्रोग्राम के तहत राज्य सरकार के द्वारा दो लाख रुपये की धनराशि दी गई। इसके विरुद्ध कुल राशि चार लाख नौ हजार रुपये व्यय किये गये अजमेर के रैन बसेरा प्रोग्राम के तहत राशि उपलब्ध नहीं कराई गई। परन्तु एक हजार तीन सौ अट्ठासी रुपये चौतीस पैसे व्यय किये गये। विवरण परिशिष्ट "क" में सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(2) जयपुर में अजमेरा टेन्ट हाउस, गोयल टेन्ट हाउस तथा जनता टेन्ट हाउस

(समाज कल्याण राज्य मंत्री)

के टेण्डर प्राप्त हुए और जनता टेन्ट हाउस का टेण्डर पास हुआ। अजमेर में प्रदीप टेन्ट हाउस तथा महावीर टेन्ट हाउस के टेण्डर प्राप्त हुए और भारत टेन्ट हाउस का टेण्डर पास हुआ।

(3) जी हां, जयपुर में इस समिति के सदस्य अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अतिरिक्त जिला कलक्टर, भूमि रूपान्तरण तथा तहसीलदार, भूमि रूपान्तरण थे। अजमेर में इस समिति के सदस्य सहायक निदेशक, समाज कल्याण विभाग, अजमेर जिला बालक अधिकारी, अजमेर तथा परिवीक्षा अधिकारी, अजमेर से।

(4) ब्यौरा सदन की मेज पर परिशिष्ट "ख" पर रख दिया गया है।

(5) समाज कल्याण विभाग में शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट 13 देखें)।

समाज कल्याण बोर्ड एवं परियोजना के कर्मचारियों का वेतनमान

613. श्रीमती सूर्य कान्ता व्यास (जोधपुर): क्या समाज कल्याण राज्य यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) समाज कल्याण बोर्ड और परियोजना के किन-किन कर्मचारियों को राज्य सरकार का वेतनमान दिया जा रहा है? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) ऐसे कौन-कौन कर्मचारी है जिन्हें अप्रशिक्षित होने पर राज्य सरकार के वेतनमान का 20 प्रतिशत कम वेतन दिया जाता है? कर्मचारीवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) अप्रशिक्षित कर्मचारियों को कम वेतन देने के क्या नियम हैं? नियम की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या इन नियमों की स्वीकृति केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड और राज्य सरकार से है? यदि हां, तो आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(5) जिन कर्मचारियों को अप्रशिक्षित अनक्वालिफाइड होने पर अधिक वेतन दिया गया है, उसकी वसूली के लिए राज्य सरकार क्या कदम उठा रही है? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) सूची परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(2) सूची परिशिष्ट "ब" पर संलग्न है।

(3) इस सम्बन्ध में जारी आदेश की प्रति परिशिष्ट "स" पर संलग्न है।

(4) यह आदेश केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड द्वारा जारी किये गये थे जिनकी प्रति परिशिष्ट "स" पर संलग्न है।

(5) सूची परिशिष्ट "द" पर संलग्न

(समाज कल्याण राज्य मंत्री)

हैं। इस सम्बन्ध में जांच कराने के पश्चात कार्यवाही सम्भव है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)।

राज्य में राजकीय एवं अनुदानित छात्रावास

614. श्री मोहन लाल (परबतसर) : क्या समाज कल्याण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) राजस्थान में राजकीय छात्रावास एवं अनुदानित छात्रावास कहां-कहां कितने हैं? इनमें कितने चालू हैं और कितने बन्द हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) राजस्थान में ऐसे कितने राजकीय छात्रावासों एवं अनुदानित छात्रावासों में सहायक अधीक्षक, छात्रावास के पद कितने समय से रिक्त हैं? इन्हें रिक्त रखने का क्या कारण है?

(3) क्या सरकार सहायक अधीक्षक, छात्रावासों के रिक्त पदों को भरने की आवश्यकता महसूस करती है? यदि हां, तो कब तक?

(4) ऐसे कितने सहायक अधीक्षक, अधीक्षक छात्रावास हैं जिनके विरुद्ध गबन एवं भ्रष्टाचार के आरोप हैं? यदि उक्त आरोप सही हैं तो क्या उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की है? सूची सदन की मेज पर रखें।

(5) सहायक अधीक्षक छात्रावास एवं अधीक्षक छात्रावास के कुल कितने पद हैं तथा इनमें अनुसूचित जाति एवं जनजाति के कितने हैं? क्या इनमें आरक्षण के अनुसार आरक्षण का कोटा पूरा है? यदि आरक्षण का कोटा पूरा नहीं है तो इन्हें कब तक भर लिया जायेगा? जिलेवार सूचना सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राजस्थान में 416 राजकीय एवं 100 अनुदानित छात्रावास हैं। अनुदानित छात्रावासों में 13 छात्रावास बन्द हैं। सूची परिशिष्ट "क" सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) राजकीय छात्रावासों में वेतन श्रृंखला 6 से 93 पद सहायक छात्रावासों के रिक्त है। सूची परिशिष्ट "ख" सदन की मेज पर रख दी गई है। वेतन श्रृंखला 6 तक के पदों पर सीधी भर्ती पर प्रतिबन्ध होने के कारण ये पद रिक्त हैं। अनुदानित छात्रावासों में सहायक अधीक्षक के राज्य सरकार द्वारा सृजित नहीं है।

(3) जी हां। सिंचाई विभाग/सार्वजनिक निर्माण विभाग के अतिरेक वर्कचार्ज कर्मचारियों से रिक्त पदों को भरने की कार्यवाही की जा रही है।

(4) 14 सहायक छात्रावास अधीक्षकों के विरुद्ध ऐसे आरोप हैं। सूची परिशिष्ट "ग" सदन की मेज पर रख दी गई है। आरोपित सहायक अधीक्षकों के विरुद्ध सी. सी. ए. 16 में कार्यवाही विचाराधीन है।

Page No. 56

(समाज कल्याण राज्य मंत्री)

(5) सहायक छात्रावास अधीक्षक के कुल 416 पद स्वीकृत हैं। इसके विरुद्ध राजस्थान समाज कल्याण अधीनस्थ सेवा ग्रुप "जी" में 365 कर्मचारी कार्यरत हैं। इनमें 95 अनुसूचित जाति एवं 47 अनुसूचित अनजाति के कर्मचारी कार्यरत है। आरक्षण का कोटा पूर्ण है।

(सूची विस्तृत होन के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)।

शिव (बाड़मेर) में अनुसूचित जाति/जनजाति छात्रावास की स्थापना

615. श्री अमीन खां (शिव) : क्या समाज कल्याण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या सरकार राजस्थान के सीमावर्ती जिला बाड़मेर व जैसलमेर के अनुसूचित जाति व जनजाति के उत्थान के लिए कोई विशेष व्यवस्था करने का इरादा रखती है ? यदि हां तो, क्या ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

(2) क्या जोधपुर डिवीजन मुख्यावास पर भी जनजाति के लिए ट्राइजम योजना के तहत कोई व्यवस्था नहीं है ? यदि हां, तो क्यों ?

(3) क्या सरकार तहसील मुख्यावास शिव में अनुसूचित जाति व जनजाति के छात्रावासों की व्यवस्था करना चाहती हैं ? यदि हां, तो कब तक ? नहीं तो क्यों ?

उत्तर

(1) राजस्थान के अन्य जिलों की तरह सीमावर्ती जिलों बाड़मेर व जैसलमेर में अनुसूचित जाति के व्यक्तियों के लिए विशिष्ठ संगठन योजना तथा बिखरी जन जाति योजना के तहत व जनजाति के उत्थान के लिए योजनायें संचालित की जा रही है।

(2) एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले ग्रामीण युवक-युवतियों को ट्राईसम योजना के अन्तर्गत प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। जोधपुर डिवीजन मुख्यावास पर ट्राइसम योजना के तहत व्यवस्था है।

(3) जी हां, तहसील मुख्यावास शिव में अनुसूचित जाति तथा जनजाति के छात्रों के लिए दिनांक 10 अक्टूबर, 1990 को छात्रावास प्रारम्भ करने की स्वीकृति दी जा चुकी है।

राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ, जयपुर द्वारा की गई खरीद

616. श्री अर्जुनदास मदान (लाड़पुरा) क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राजस्थान सरकारी उपभोक्ता संघ, जयपुर ने वर्ष 1988-89 से अब तक नवीनीकरण एवं उसके सामान की खरीद में कितनी धन राशि व्यय की ?

(2) यह राशि संघ ने किस मद से व्यय की ? क्या यह नियमानुसार थी ?

(श्री अर्जुनदास मदान)

(3) क्या यह नवीनीकरण एवं सामान की खरीद का काम जी. एफ. आर के अनुसार हुआ ? यदि नहीं तो इसके लिए कौन उत्तरदायी है ?

उत्तर

(1) राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ लि., जयपुर ने वर्ष 1988-89 से 1990-91 तक नवजीवन काम्पलेक्स, समृद्धि, राजापार्क परिधान (इन्द्रा बाजार) सी–स्कीम, ज्योति नगर एवं सहकारी भवन स्थित मुख्यालय के नवीनीकरण व उसके सामान की खरीद पर वर्षवार व्यय निम्न प्रकार किया गया है—

वर्ष	व्यय की गई राशि
1988-89	—
1989-90	3,90,632.70
1990-91	54,105,78

(2) यह राशि संघ में मद संख्या 830 भवन मरम्मत एवं रख-रखाव व्यय के अन्तर्गत की गई है। यह व्यय संचालक मण्डल/प्रशासक महोदय की स्वीकृति के अनुसार व्यय की गई है।

(3) संघ के अनुसार नवीनीकरण व उसके सामान की खरीद का काम जी. एफ. आर. के अनुसार हुआ है।

तहसील टोडाभीम के ग्राम साकरवाड़ा की सोसायटी में व्याप्त भ्रष्टाचार

617. श्री रामस्वरूप मीणा (टोडाभीम) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) तहसील टोडाभीम-व-नादोती में कोपरेटिव मार्केटिंग सोसायटी कहां-कहां कार्यरत है ? ग्रामवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि तहसील टोडाभीम के ग्राम साकरवाड़ा की सोसायटी में व्याप्त भ्रष्टाचार के आरोपों की गत वर्षों में जांच की गई थी ? यदि हां, तो दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) तहसील टोडाभीम एवं नादोती में पृथक से, कोई क्रय-विक्रय सहकारी समिति नहीं है। तहसील टोडाभीम का क्षेत्र हिण्डोन क्रय विक्रय सहकारी समिति लि. के कार्यक्षेत्र में और नादोती का क्षेत्र गंगापुर क्रय विक्रय सहकारी समिति के कार्यक्षेत्र में आता है।

(2) तहसील टोडाभीम के ग्राम साकरवाड़ा की ग्राम सेवा सहकारी समिति में व्याप्त भ्रष्टाचार की कोई भी जांच पूर्व में नहीं की गई थी। लेकिन समिति के आडिट वर्ष 84–85 एवं 85–86 के आधार पर समिति में व्याप्त भ्रष्टाचार की जानकारी होने पर आरोपितों के विरुद्ध सहकारी अधिनियम की धारा 74 में मामले पंजीकृत किये गये जिनका ब्यौरा निम्न प्रकार है :—

(सहकारिता मंत्री)

केस नं.	राशि	दोषी का नाम
1. 3/86–87	3.18 लाख	श्री जगदीश प्रसाद गुप्ता (व्यवस्थापक)
2. 16/88–89	0.02 लाख	श्री जगदीश प्रसाद गुप्ता ,,
3. 17/88–89	0.05 लाख	श्री बाबूलाल शर्मा सेल्समेन

उपरोक्त मामलों में धारा (74)(1) की जांच कार्यवाही जारी है।

इस समिति से सम्बन्धित श्री चिरंजी लाल मीणा, सहायक व्यवस्थापक के विरुद्ध अनियमितता बरतने के मामले में संयुक्त रजिस्ट्रार, स. स. भरतपुर खण्ड भरतपुर द्वारा प्रधान व्यवस्थापक क्रय विक्रय सहकारी समिति लि., स. माधोपुर को जांच अधिकारी नियुक्त किया हुआ है जिनसे जांच रिपोर्ट अपेक्षित है।

सहायक अधिशाषी अधिकारी, केन्द्रीय सहकारी बैंक लि., शाखा टोडाभीम को इस समिति का विस्तृत निरीक्षण करने हेतु दिनांक 5-2-91 को केन्द्रीय सहकारी बैंक लि., स. माधोपुर द्वारा निर्देशित किया गया है।

श्री भागचन्द्र सोनी, गुरुनानक भवन संस्थान, जयपुर के वेतन का प्रकरण

618. श्री हबीबुर्रहमान (मुण्डवा) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि श्री भागचन्द सोनी गुरुनानक भवन संस्थान/जयपुर को सितम्बर 1990, नवम्बर 1990 के वेतन का भुगतान यथा समय नहीं किया गया ? संयुक्त निदेशक (पूर्व) जयपुर के पत्रांक स/सं निशि/जय/संस्था-5एफ-28/(स्पे./90 दिनांक 7-11-1990 द्वारा सूचित किया गया कि सितम्बर, 1990 के वेतन का भुगतान कर देने की सूचना देने वाले के विरुद्ध क्या कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(2) सितम्बर 1990, नवम्बर 1990 के वेतन का भुगतान कब किया गया ? वेतन बैंक से ड्रा करने के पश्चात् यथा समय भुगतान किस नियम, आदेश के अन्तर्गत नहीं किया गया तथा दोषी अधिकारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) श्री भागचन्द सोनी, व. लि. के दि. 4-9-90 से 8-10-90 तक विदेश जाने के समय पर भुगतान नहीं हुआ था। सूचना

(शिक्षा मंत्री)

देने वाले अधिकारी के विरुद्ध जांच के आदेश दे दिये गये हैं।

(2) सितम्बर, 1990 का भुगतान 31-12-90 को कर दिया गया है। नवम्बर, 90 के वेतन का भुगतान अभी तक नहीं हुआ है। उसके विरुद्ध बकाया निकल रही राजकीय राशि का सही हिसाब नहीं दिये जाने के कारण भुगतान नहीं हुआ है। इस मामले की भी जांच किये जाने के आदेश दे दिये गये हैं।

(अतारांकित प्रश्न संख्या-619)

(स्थगित)

राज्य में अध्यापकों के चयन का विचार

620. श्री रामनारायण बेरवा (निवाई): क्या शिक्षा (प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा) मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) राज्य में विभिन्न जिलों में उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कितने अध्यापकों की कमी है ?

(2) क्या यह सही है कि गत वर्ष 1990 में इस कमी को पूरा करने हेतु अध्यापकों की कोई नई नियुक्ति नहीं की ?

(3) क्या सरकार इस वर्ष इस कमी को पूरा करने के लिए अध्यापकों के नये चयन का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) 1855 अध्यापकों के पद रिक्त हैं।

(2) जी नहीं।

(3) रिक्त पदों पर अध्यापकों की नियुक्ति की प्रक्रिया जारी है।

शिक्षा विभाग में शारीरिक शिक्षकों के रिक्त पद

621. श्री मनोहर सिंह (लाडनूं): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि सरकार विद्यालयों में खेलों और स्वास्थ्य शिक्षा पर विशेष ध्यान दे रही है ? यदि हां, तो क्या सभी माध्यमिक विद्यालयों में द्वितीय वेतन श्रृंखला और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में प्रथम श्रेणी के शारीरिक शिक्षकों के पद सृजित कर दिये गये ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(2) शिक्षा विभाग शारीरिक शिक्षकों के रिक्त व सृजित पदों को कब तक भरने का इरादा रखती है ? जानकारी सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। सभी विद्यालयों में निर्धारित नार्मल एवं वित्तीय साधनों को दृष्टिगत रखते हुए विभिन्न श्रेणी के पद स्वीकृत है। वर्तमान में इन विद्यालयों में 176 प्रथम श्रेणी, 612 द्वितीय श्रेणी एवं शेष में तृतीय श्रेणी के पद स्वीकृत है।

(शिक्षा मंत्री)

(2) रिक्त पदों को भरने की कार्यवाही जारी है।

विधान सभा क्षेत्र सपोटरा में अध्यापकों के रिक्त पद

622. **श्री प्रभुलाल** (सपोटरा) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) सपोटरा विधान सभा क्षेत्र में कितने सैकेण्डरी, हायर सैकेण्डरी विद्यालय चल रहे हैं ? इनमें से किस-किस विद्यालय में किस-किस विषय के अध्यापकों के कब से पद रिक्त चल रहे हैं। कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार इन पदों को भरने का इरादा रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) सपोटरा विधान सभा क्षेत्र में 15 सैकण्डरी व 3 हायर सैकण्डरी विद्यालय हैं। इनमें रिक्त पदों का विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(2) रिक्त पदों को भरने की कार्यवाही जारी है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट 14 देखें)

बीकानेर में नर्सिंग व फार्मेसी के पाठ्यक्रम

623. **श्री बुलाकी दास कल्ला** (बीकानेर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि सितम्बर, 1989 में राजकीय चौपड़ा सीनियर उच्च माध्यमिक विद्यालय गंगाशहर, बीकानेर राजकीय बागला सीनियर उच्च माध्यमिक विद्यालय, चूरू में नर्सिंग व फार्मेसी के पाठ्यक्रम प्रारम्भ किये गये थे ?

(2) यदि हां, तो उक्त पाठ्यक्रम में कितने विद्यार्थियों ने किन-किन शालाओं में किन किन विषयों में प्रवेश लिया ? पाठ्यक्रम किनके आदेशों से क्यों बन्द किया गया ?

(3) क्या यह सही है कि विद्यार्थियों की पढ़ाई व समय की बर्बादी के लिये शिक्षा विभाग जिम्मेदार है ? यदि हां, तो विद्यार्थियों को क्षतिपूर्ति मुआवजा कितना कितना दिया जा रहा है ?

(4) शिक्षा विभाग इन विद्यार्थियों के लिए नर्सिग एवं फार्मेसी की परीक्षायें अब कब आयोजित कर रहा है ?

(5) क्या यह सही है कि राज्य सरकार कोई वैकल्पिक पाठ्यक्रम शुरू करने जा रही है ? यदि हां, तो कब से एवं उसकी परीक्षाएं कब से ली जावेगी।

उत्तर

(1) जी हां।

(2) नर्सिग व फार्मेसी के पाठ्यक्रम में निम्न लिखित विद्यालयों में प्रवेश लिया।

(शिक्षा मंत्री)

नाम विद्यालय	विषय	छात्र सं.
चौपड़ा रा.सी.उ.मा.वि. बीकानेर ।	नर्सिंग	89
		61
बागला रा.सी.उ.मा.वि. चूरू ।	फार्मेसी	34

उक्त पाठ्यक्रम दिनांक 27-3-90 को राज्य सरकार शिक्षा विभाग के आदेश से बन्द कर दिये गये । उक्त पाठ्यक्रमों हेतु वैधानिक एवं तकनीकी कारणों के राज. माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा मान्यता दिया जाना सम्भव नहीं था ।

(3) जी नहीं, छात्रों को नर्सिंग व फार्मेसी के स्थान पर हास्पिटल हाऊस कीपर, हेल्थसैनटरी इन्सपेक्टर एवं मल्टीरिहेबिलिटेशन वर्कर में परीक्षा देने की स्वीकृति दे दी हैं । मुआवजा दिये जाने की प्रश्न ही नहीं आता ।

(4) जी नहीं ।

(5) जी हां । नर्सिंग फार्मेसी के स्थान पर मेडिकल लैब टेक्नीशियन पाठ्यक्रम में प्रवेश का प्रावधान दिनांक 26-2-91 से कर दिया गया हैं । ये परीक्षा में वर्ष 1991 में होगी ।

झालावाड़ जिले की विचाराधीन सिंचाई योजनाएं

624. **श्री बालचन्द आर्यवीर** (डग) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) झालावाड़ जिले में उपलब्ध पानी के उपयोग हेतु क्या क्या योजनायें कब-कब तैयार की गई ? इन योजनाओं पर कितनी-कितनी धनराशि व्यय होने का अनुमान है ?

(2) जिले में ऐसी कितनी सिंचाई योजनाएं है जो कई वर्षों से विचाराधीन हैं ? इन पर कितनी धनराशि व्यय होने का अनुमान है ? विवरण सहित सूची सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) झालावाड़ जिले में पानी के उपयोग हेतु 4. वृहद, 11 मध्यम एवं 13 लघु सिंचाई योजनाओं के तखमी ने बनाये गये हैं, तैयार करने का वर्ष एवं अनुमानित लागत का विवरण परिशिष्ट "अ" में सदन की मेज पर रख दिया है । इन सिंचाई योजनाओं की अनुमानित लागत वर्तमान में कुल रुपये 45,995 लाख है ।

(2) विवरण उपरोक्त परिशिष्ट में अंकित है ।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

बारां बिलास सिंचाई परियोजना को आवंटित राशि

625. **श्री हेमराज** (किशनगंज) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि बिलास सिंचाई परियोजना, बारां को 170 लाख

(श्री हेमराज)

रुपये आवंटित किये गये थे ? यदि हां, तो क्या इस राशि का उपयोग किया गया ? नहीं, तो क्यों ?

(2) क्या यह भी सही है कि विलास सिंचाई परियोजना का 50 लाख का बजट विभाग ने सरकार को सरेन्डर किया है ? यदि हां, तो क्यों ?

(3) आवंटित की गई राशि का कार्य नहीं करवाने वाले कौन-कौन अधिकारी जिम्मेदार है ? उनके खिलाफ सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

उत्तर

(1) जी नहीं । विलास परियोजना 170 लाख रुपये आवंटित नहीं किये गये थे।

(2) जी हां । उक्त कार्य का मध्यावधि प्रगति को देखते हुए पूर्व बजट 150 लाख रु. को संशोधित कर 110 लाख रु. किया गया था।

(3) कार्य की प्रगति धीमी होने के कई कारण थे जिनकी समीक्षा की जा रही है ।

माही परियोजना बांसवाड़ा की नहरों से पानी का रिसाव

626. **श्री बहादुर सिंह** (दानपुर) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या माही परियोजना बांसवाड़ा की नहरों से पानी रिसाव हो रहा है ? उससे फसलें तथा जमीन पर बुरा असर पड़ रहा है । इसे रोकने हेतु सरकार क्या उपाय कर रही है ?

(2) जिनके खेत खराब हुये हैं उनको सरकार सहायता देने के सम्बन्ध में क्या विचार कर रही है ?

(3) इसके लिए कौन जिम्मेदार है ? क्या सरकार इसका सर्वे कराने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) कच्ची नहरों से कहीं-कहीं पर पानी का रिसाव हो रहा है । लेकिन अधिकतर नुकसान काश्तकारों के धोरों के सही रख-रखाव न होने के कारण उनके रिसाव से हो रहा है, साथ ही माही परियोजना के सिंचित क्षेत्र में अधिकांश नालों का काश्तकारों ने मेढ बन्दी कर खेत बन लिये है व बहुत से काश्तकार रात में नहर का पानी नाले में छोड़ देते हैं अब इन खेतों में पानी भर जाता है ।

जहां-जहां कच्ची नहरों से रिसाव होता है वहां इन्हें पक्का करने का प्रस्ताव है लेकिन इस वर्ष सीमेण्ट की कमी के कारण पक्का करने का कार्य धीमा चल रहा है ।

(2) ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

(3) ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

नीमका थाना सीकर के लक्की मिनीमैट लाइम स्टोन खान में ब्लास्टिंग कार्य

627. **श्री फूलचन्द गुर्जर** (नीमका थाना) : क्या खनिज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) ब्लास्टिंग के बारे में क्या नियम/निर्देश प्रवृत हैं, प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि नीमका थाना उप-खण्ड (सीकर) के लक्की मिनी-मेट लाइम स्टोन खान में ब्लास्टिग नियमों की पालना नहीं की जाती है, जिससे झामावास ग्राम में अधिकतर मकान क्षति-ग्रस्त होने व ग्रामवासियों की जानमाल की सुरक्षा को खतरा पैदा हो गया हैं ? यदि हां, तो उक्त कार्य को रोकने की क्या कार्यवाही की जा रही है ?

उत्तर

(1) ब्लास्टिग के बारे में धातु उत्पादक खान विनियम 1961 के विनियम 153 से 170 के अन्तर्गत आवश्यक प्रावधान निर्देश प्रदत्त हैं, जिनकी प्रति संलग्न है।

(2) नीमका थाना उप-खण्ड (सीकर) के लक्की मिनीमेट लाइमस्टोन की खान में डीप होल ब्लास्टिग की जाती थी जो नियमों के अनुसार नहीं होने से दिनांक 22.7.90 से बन्द कर दिया गया है। अतः झामावास ग्राम के मकान आदि की सुरक्षा को खतरे की सम्भावना नहीं है। खान सुरक्षा विभाग (भारत सरकार) द्वारा धातु उत्पाक खान विनियम, 1961 के अन्तर्गत कार्यवाही की जा रही है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)।

(अतारांकित प्रश्न संख्या 628)

(स्थगित)

सामोद के ऐतिहासिक महल के आसपास खनन कार्य

629. **श्री गोविन्दसिंह गुर्जर** (नसीराबाद) : क्या खनिज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि पर्यटन विभाग द्वारा सरकार को सामोद के ऐतिहासिक महल के आस-पास खनन रोकने व महल के अस्तित्व को खतरा होने की रिपोर्ट पेश की गई है ? यदि हां, तो क्या और कब ? रिपोर्ट सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में कोई प्रभावी कार्यवाही की गई है ? यदि हां, तो क्या ? उसके क्या परिणाम रहे ?

उत्तर

(1) शासन सचिव, पर्यटन विभाग को निदेशक, पर्यटन विभाग द्वारा खनन कार्य के फलस्वरूप ब्लाटिंग को रोकने तथा इससे महलों को होने वाली क्षति को दूर करने के सम्बन्ध में पत्र दिनांक 25.1.91 प्रेषित किया, प्रतिलिपि परिशिष्ट "क" संलग्न है। सचिव, पर्यटन-विभाग द्वारा

(खनिज राज्य मंत्री)

अर्द्ध शासकीय पत्र दिनांक 25/28 जनवरी, 1991 शासन सचिव, खान-विभाग को खनन कार्य शीघ्र रूकवाने के सम्बन्ध में लिखा गया, जिसकी प्रति परिशिष्ट "ख" संलग्न है।

(2) पर्यटन विभाग से उक्त सूचना प्राप्त होने से पूर्व ही शिकायत प्राप्त होने पर महलों की सुरक्षा हेतु खनन पट्टाधारी को खनिज अभियन्ता, जयपुर के पत्र क्रमांक 1272 दिनांक 22.11.90 के द्वारा महल के पास स्थित महल के पास स्थित पिट नं 2 जो कि महलों के लिए असुरक्षा पैदा करता था उसे बन्द करने व दूसरे पिट से जो मलबा नीचे महल की तरफ गिराया जाता उससे धूल उड़ती उसे ट्रेक्टर से ले जाने हेतु निर्देश दे दिये है, जिसके बाद महलों को कोई खतरा नहीं रहता है।

(विवरण के लिये कृपया परिशिष्ट-15 देखें)

(अतारांकित प्रश्न संख्या 630)

(स्थगित)

भू-प्रबन्ध विभाग द्वारा गृह निर्माण सहकारी समितियों के नाम अमल दरामद करने की शिकायतें

631. **श्रीमती रमा पायलट** (हिण्डोली) एवं **श्री गोविन्द सिंह गुर्जर** (नसीराबाद) : एवं **श्री बुलाकीदास कल्ला** (बीकानेर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या राजस्थान राज्य आवासन मण्डल की अवाप्त शुदा भूमि, जो जयपुर जिले के ग्राम सुखालपुरा, देवरी, झालाना चोड़, नन्दकिशोरपुरा व मानपुरा डेयरी आदि में अवस्थित है, को भू-प्रबन्ध विभाग द्वारा अनियमित व प्रतिकूल तरीके से गृह निर्माण-सहकारी समितियों के नाम अमल दरामद करने की शिकायतें भ्रष्टाचार निरोधक विभाग व सम्भागीय आयुक्त के जांचाधीन हैं ?

(2) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में दोषी अधिकारियों के विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं तो क्यों व अब कब तक की जायेगी ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां, ऐसी शिकायतों पर सम्भागीय आयुक्त, जयपुर द्वारा जांच की जा रही है।

(2) जांच की कार्यवाही पूर्ण होकर जांच रिर्पोर्ट अभी प्राप्त नहीं हुई है। जांच रिर्पोर्ट प्राप्त होने के पश्चात आगामी कार्यवाही की जावेगी।

ग्राम अभयपुरा मे चारागाह भूमि पर कब्जा

632. **श्री परसादीलाल मीणा** (लालसोट) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्री परसादीलाल मीणा)

(1) क्या यह सही है कि ग्राम पंचायत हेमल्यावाला के सरपंच एवं ग्रामीणों ने जिलाधीश, जयपुर को पंचायत क्षेत्र के गांव अभयपुर में करीब 100 बीघा चारागाह भूमि पर सरसों की फसल को तत्काल जप्त करने का प्रार्थना-पत्र दिया था ?

(2) यदि हां, तो क्या जिलाधीश जयपुर ने उप जिलाधीश, दौसा को कार्यवाही कर दिनांक 15-2-1991 तक रिपोर्ट करने के आदेश दिये थे ? यदि हां, तो उप जिलाधीश दौसा ने अब तक क्या कार्यवाही की ? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(3) क्या फसल को जप्त करने की कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) यह सही नहीं है कि ग्राम पंचायत हेमल्यावाला के सरपंच एव ग्रामीणों ने कलक्टर, जयपुर को पंचायत क्षेत्र के ग्राम अभयपुरा के करीब 100 बीघा चरागाह भूमि पर सरसों की फसल को तत्काल जब्त किये जाने का प्रार्थना पत्र दिया था । बल्कि ग्राम पंचायत हेमल्यावाला के सरपंच एवं ग्रामीणों ने दिनांक 5-2-91 को पंचायत क्षेत्र के ग्राम अभयपुरा की करीब 80 बीघा चरागाह भूमि पर विभिन्न व्यक्तियों द्वारा किये गये अतिक्रमण को हटाने का प्रार्थना-पत्र कलक्टर, जयपुर के समक्ष प्रस्तुत किया था ।

(2) जी हां कलक्टर, जयपुर ने उक्त प्रार्थना-पत्र पर उप-खण्ड-अधिकारी, दौसा एवं तहसीलदार लालसोट को 15-2-91 तक की गई कार्यवाही का प्रतिवेदन भेजने के निर्देश दिये थे । उक्त आदेश सरपंच ग्राम पंचायत हेमल्यावाला द्वारा दस्ती प्राप्त किया था और यह आदेश सरपंच ने दिनांक 11-2-91 को उपखण्डाधिकारी दौसा के कार्यालय में प्रस्तुत किया । इन आदेशों के तहत उप खण्डाधिकारी, दौसा द्वारा उनके अ. शा. पत्र क्रमांक पी./ए. 91/132 दिनांक 11-2-91 तहसीलदार लालसोट को विशेष पत्र वाहक द्वारा भेजते हुए प्राथमिकता देकर पालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिये गये थे । तहसीलदार लालसोट द्वारा दिनांक 15-2-91 को मामला दर्ज करने, अतिक्रमियों को नोटिस जारी करने एवं अतिक्रमित आराजी पर खड़ी फसल को कब्जे राज में लिये जाने के आदेश दिये । अतिक्रमियों को जरिये सम्मन तलब किये जाने पर उन्होंने तहसीलदार, लालसोट के न्यायालय में खसरा नम्बर 150 रकबा 41 बीघा 11 बिस्वा भूमि से बेदखल नहीं करने बाबत तत्कालीन उप खण्डाधिकारी दौसा द्वारा न्यायिक प्रकरण में जारी आदेश दिनांक 17-4-90 एवं 13-12-90 के द्वारा प्रार्थी को प्रश्नगत भूमि से बेदखल ,नहीं किये जाने एवं पैनल्टी वसूल नहीं किये जाने के निर्देश दिये थे । इस खसरा नम्बर की शेष अतिक्रमित भूमि 10 बीघा 10 बिस्वा में से 5 बीघा भूमि मन्सी, भोरया, रामफल पुत्र गणेश कौम मीणा द्वारा प्रथम बार अतिक्रमण करना पाये जाने पर लगान 3 रु. 10 पैसे की 50 गुना राशि 155/- रुपये शास्ति आरोपित करके बेदखली के आदेश तहसीलदार, लालसोट द्वारा दिये गये एवं

(राजस्व मंत्री)

शेष 5 बीघा 10 बिस्वा भूमि पर कालू पुत्र रामनाथ, कल्याण पुत्र समुधा, पन्ना पुत्र कल्याण, सुलतान पुत्र कल्याण, दशरथ पुत्र कल्याण, छोटू पुत्र साखा द्वारा अतिक्रमण पाये जाने पर तहसीलदार, लालसोट ने 3-3 माह के सिविल कारावास की सजा से दण्डित किया तथा मौके पर खड़ी फसल को जब्त सरकार किये जाने के आदेश दिये। शेष चारागाह खसरा नम्बर 143 की 11 बीघा 10 बिस्वा भूमि के सम्बन्ध में सहायक कलक्टर, लालसोट, के न्यायालय का स्थगन आदेश होने के कारण न्यायालय तहसीलदार लालसोट के यहां कार्यवाही जेरकार है।

(3) जी हां। न्यायालय के स्थगन आदेश के अलावा जो अधिक भूमि पर अतिक्रमण पाया गया, उनकी फसल को जब्त किये जाने की कार्यवाही की गयी है।

ग्राम थली (जयपुर) की चरागाह भूमि पर अतिक्रमण

633. रामेश्वर प्रसाद गुर्जर (जमवारामगढ़) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि ग्राम थली-तहसीलदार जमवारामगढ़ के चरागाह पर खनन विभाग के ठेकेदार ने अतिक्रमण कर रखा है ?

(2) यदि हां, तो इन ठेकेदारों के खिलाफ सरकार ने क्या कार्यवाही की ?

(3) क्या यह सही है कि चरागाह भूमि में खनन कार्य किया जा रहा है ?

(4) क्या यह भी सही है कि इस अतिक्रमण व खनन कार्य की जांच में सत्यता पाई जाने पर भी सरकार ने अब तक कार्यवाही नहीं की है ? यदि हां, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। यह सही है कि ग्राम थली तहसील जमवारामगढ़ में ठेकेदारों द्वारा चरागाह भूमि ख. नं. 2/713/1 रकबा 30 बीघा पर मलवा डालकर अतिक्रमण किया है जिसमें 1600 वर्ग फीट में मकान बना हुआ है।

(2) ठेकेदारों के खिलाफ मकान बनाने व मलबा डालकर अतिक्रमण करने पर राज. भू. राज. अधिनियम 1956 की धारा 91 के अन्तर्गत कार्यवाही जेरकार है।

(3) जी नहीं।

(4) जी नहीं। जांच करवाये जाने पर एवं अतिक्रमण पाये जाने पर नियमानुसार कार्यवाही की गई है।

ग्राम राजपुरा (उदयपुर) की खदान

634. श्री शान्ति लाल (राजसमन्द) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि ग्राम राजपुरा तहसील रेलमगरा, जिला उदयपुर में पुरानी भूमिगत खदान पिछले दो वर्षों में अचानक ध्वस्त हुई ?

(श्री शान्ति लाल)

(2) क्या सरकार ने भविष्य से ध्वस्तता के कारण उत्पन्न खतरों से ग्रामीणों की सुरक्षा के कोई उपाय किये हैं?

(3) यदि नहीं, तो क्यों? इसके लिए कौन जिम्मेदार है एवं उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की जा रही है?

उत्तर

(1) ग्राम राजपुरा तहसील, रेलमगरा जिला उदयपुर में मैसर्स हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड की राजपुरा दरीबा अण्डरग्राउण्ड खान के लीज क्षेत्र से करीब 650 मीटर की दूरी पर अगस्त, 88 में पुराने तालाब के पास भूमि ध्वस्त हुई।

(2) भूमि के ध्वस्त होने का कारण वर्षों पुरानी अन्डर ग्राउण्ड खान है। सुरक्षा की दृष्टि से गड्ढों के चारों ओर कंटीले तार मैसर्स हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड द्वारा लगा दिये गये हैं। ये भूमि घसान क्षेत्र, आबादी क्षेत्र से एक किलोमीटर दूर है।

(3) सुरक्षा के उपाय कर दिये गये हैं इसलिए किसी की जिम्मेदारी नहीं है तथा कार्यवाही की कोई आवश्यकता नहीं है।

पास-बुकों को कानूनी मान्यता

635. श्री सालिगराम (बयाना) एवं श्री गोविन्द सिंह गुर्जर (नसीराबाद): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(1) क्या यह सही है कि किसानों को भूमि सम्बन्धी दस्तावेजों को पास बुक के रूप में उन्हें देने हेतु कानूनी मान्यता प्रदान की गई है?

(2) क्या यह भी सही है कि अभी तक कई जिलों के किसानों को पास बुकें नहीं दी गई हैं? यदि हां, तो क्यों? अब इन्हें कब तक पास-बुकें दे दी जायेंगी?

(3) क्या यह भी सही है कि सब रजिस्ट्रार व बैंक इन पास-बुकों को मान्यता प्रदान नहीं करते हैं, जिससे किसानों को अपनी भूमि सम्बन्धी विवाद व ऋण आदि के मामले के निस्तारण में कठिनाई होती है?

(4) क्या सरकार पास-बुक की इस कानूनी मान्यता को अधिकृत व बैंक स्तर पर सार्वजनिक मान्यता प्रदान कराने हेतु कोई प्रयास करने का विचार रखती है? यदि हां, तो क्या? यदि नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राजस्थान पास-बुक कृषि जोत अधिनियम, 1983 के अन्तर्गत काश्तकारों को दी जाने वाली कृषि जोतों से सम्बन्धित पास-बुकों को विधि के द्वारा जोतों से सम्बन्धित प्रमाणित अधिकार अभिलेख माना गया है।

(2) राज्य के समस्त जिलों में माह दिसम्बर 90 तक काश्तकारों को 41,25,797 पास-बुकें वितरित की जा चुकी हैं। शेष रहे कुछ किसानों को भी

(राजस्व मंत्री)

पास-बुकें वितरित करने के निर्देश दिये जा चुके हैं।

(3) राजस्थान पास-बुक (कृषि जोत/ अधिनियम, 1983 की धारा, 7 के अनुसार पास-बुक के धारक द्वारा किया गया अन्तरण का पंजीकरण रजिस्ट्रार या उप रजिस्टार द्वारा तब तक नहीं किया जायेगा जब तक कि उसके समक्ष अन्तरणकर्ता और अन्तरिति द्वारा यदि वे पास-बुक धारक हैं, पास-बुकें प्रस्तुत नहीं कर दी जाये। रजिस्ट्रीकृत अन्तरण की प्रविष्टियां पास-बुक पर पृष्ठांकन की जावेगी। पास-बुकों को अधिकार अभिलेख का दर्जा दिये जाने के कारण बैंकों व वित्तीय संस्थाओं को ऋण सुविधा के लिये मान्यता दी जानी चाहिये। इस सम्बन्ध में प्रशासनिक निर्देश भी जारी किये हुए हैं। इस सम्बन्ध में आने वाली कठिनाइयों के निराकरण के लिये बैंक के प्रतिनिधियों से विचार-विमर्श किया गया है तथा पुनः विचार-विमर्श किया जाना प्रस्तावित है।

(4) वर्तमान कानूनी स्थिति के अनुसार कृषि जोत पास-बुकों को अभिलेख का दर्जा प्राप्त है। इस सम्बन्ध में बैंकों व वित्तीय संस्थाओं को पाबन्द करने हेतु तथा सम्बन्धित समस्याओं के लिये पूर्व में विचार विमर्श किया गया है तथा पुनः विचार-विमर्श प्रस्तावित है।

विभाग द्वारा स्वयं सेवी संस्थाओं को दी गई राशि का उपयोग

636. **श्री मोतीलाल** (सवाईमाधोपुर) : क्या समाज कल्याण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राजस्थान राज्य समाज कल्याण बोर्ड द्वारा विगत पांच वर्षों में विभिन्न स्वयं सेवी संस्थाओं को सवाई माधोपुर जिले में कितनी-कितनी राशि कब-कब किस-किस कार्य हेतु दी गई ?

(2) क्या इन संस्थाओं द्वारा उपलब्ध राशि का उपभोग कर लिया गया है !

उत्तर

(1) सूचना परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(2) अधिकांश संस्थाओं द्वारा उपयोग किया जाना तथा कुछ मामलों में परीक्षित लेखे प्राप्त नहीं होने की स्थिति है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 16 देखें)

सहायक रजिस्ट्रारों के अधिकार

637. **श्री रामनारायण बैरवा** (निवाई) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राजस्थान में सहकारी समितियों के सहायक रजिस्ट्रारों के कितने पद, सृजित हैं ? उनमें से कितने सहायक पंजीयकों को ग्राम सेवा सहकारी समितियों के चुनाव आदेश जारी करने तथा मध्यस्थता के लिए विवाद सुनने के अधिकार प्राप्त हैं ?

(2) क्या सरकार द्वारा सहायक पंजी-

(श्री रामनारायण बैरवा)

यकों को हाल ही में सम्पन्न ग्राम सेवा सहकारी समितियों के चुनावों में पत्र लिखकर ग्राम सेवा सहकारी समिति विशेष या समितियों के समूह के लिए चुनाव याचिकाओं में स्थगत आदेश दिये जाने, या मनोनयन पत्र स्वीकार करने या अस्वीकार करने अथवा इसी प्रकार के किसी कार्य या निर्णय को करने के निर्देश/आदेश प्रदान किये गये थे ? यदि हां, तो उन पत्रों की प्रतियां सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राजस्थान से सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी समितियों के कुल 222 पद स्वीकृत हैं इनमें से जिला/अंश जिला स्तर पर इकाइयों में लगे 28 सहायक रजिस्ट्रारों को राजस्थान सहकारी संस्था अधिनियम 1965 एवं नियम 1966 के अन्तर्गत शक्तियां प्रदत्त हैं जिनमें ग्राम सेवा सहकारी समितियों के चुनाव आदेश जारी करने तथा मध्यस्थता विवाद सुनने के अधिकार हैं। इसके अलावा 9 जिलों में उप रजिस्ट्रार के सृजित पदों पर नियोजित अधिकारियों को भी अधिकार है।

(2) ग्राम सेवा सहकारी समितियों के निर्वाचन के सम्बन्ध में शिकायतों के निस्तारण के सम्बन्ध में स्थान नहीं करने आदि के सम्बन्ध में जारी निर्देशों को प्रतियां संलग्न परिशिष्ट "क", "ख", "ग", "घ", "ङ", "च" के रूप में सदन के पटल पर रख दिये गये हैं।

(निर्देशों की प्रतियां विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई।)

(अतारांकित प्रश्न संख्या 638)

(स्थगित)

उपभोक्ता संघ, जयपुर द्वारा खरीद

639. **श्री अर्जुनदास मदान** (लाडपुरा) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि उपभोक्ता संघ, जयपुर की उपहार शाखा ने बूडर्स लि. नामक कम्पनी से बिस्कुट एवं डबल रोटी की खरीद की थी ? यदि हां, तो कब व कितनी मात्रा में ?

(2) कितने बिस्कुट व डबल रोटी की उपहार शाखा ने बिक्री की ? कितनी राशि के बिस्कुट व डबल रोटी उपहार में शेष हैं व कब से ? क्या इतनी मात्रा में बिस्कुट व डबल रोटी क्रय करने की आवश्यकता थी ? यदि हां, तो किसकी सिफारिश थी, व किस आधार पर ? कितनी धनराशि का माल उपहार शाखा में बिना बिका हुआ पड़ा है ? इसके लिये कौन उत्तरदायी है ? अब तक उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही हुई ?

(3) बुडर्स लि. के प्रोप्राइटर कौन हैं ?

(4) क्या यह सही है कि यह प्रोप्राइटर सरकार के एक बड़े अधिकारी के पुत्र ?

(5) क्या यह सही है कि आवश्यकता

(श्री अर्जुनदास मदान)

न होने के उपरान्त भी उक्त वस्तुएं इसी कारण क्रय की गईं ?

उत्तर

(1) जी हां, उपभोक्ता संघ जयपुर की उपहार शाखा द्वारा मैसर्स बुडर्स बेकरी एवं कन्फेक्शनरी से बिस्कुट आदि की खरीद की थी। खरीद का विवरण परिशिष्ट "क" में संलग्न है।

(2) उपहार शाखा में वर्ष 1982-83 की खरीद रुपये 4,868/- में से 3211/- रुपये की बिक्री की गई और 1,657/- रुपये की बिक्री होनी शेष थी। खरीद की गई मात्रा का अनुमान सम्बन्धित प्रभारी अधिकारी द्वारा जनरल बिक्री के आधार पर लगाया गया था। तत्कालीन प्रबन्धकों द्वारा बिस्कुट क्रय करने की सिफारिश की गई थी। शेष रहे 1,657/- रुपये की बिक्री में से रुपये 1,030/- के बिस्कुट खाने योग्य न रहने कारण दिनांक 15-1-89 को आग लगाकर नष्ट कर दिया गया। शेष 627/- रुपये के बिस्कुटों के निस्तारण की कार्यवाही जारी है। इस खरीद के लिए श्री एन. एस. चौहान संयुक्त, रजिस्ट्रार तत्कालीन प्रधान व्यवस्थापक, राज. राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ लि. जयपुर के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही राज्य सरकार के कार्मिक [क-3] विभाग द्वारा शुरू कर दी गई है। नियमित विभागीय जांच चल रही है।

(3) इस फर्म के प्रोप्राइटर श्री एस. लाल थे।

(4) उपभोक्ता संघ को इस बारे में जानकारी नहीं है।

(5) जी नहीं। उपभोक्ता संघ द्वारा बिस्कुट का व्यवसाय भी किया जाता रहा है एवं अन्य बिस्कुटों के साथ-साथ बुडर्स बिस्कुट भी व्यवसाय हेतु खरीदे गये थे।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट 17 देखें)

व्यवस्थापकों/अध्यक्षों के विरुद्ध गबन के मामले

640. **श्री प्रभुराम गरासिया** (पिण्डवाड़ा) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) पंचायत समिति सोजत एवं मारवाड़ जंक्शन की ग्राम सेवा सहकारी समितियों के कितने व्यवस्थापकों एवं अध्यक्षों के विरुद्ध आडिट में रिपोर्ट में गबन के मामले प्रकाश में आये हैं ? पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त आडिट रिपोर्ट की जांच के पश्चात् किन-किन व्यवस्थापकों एवं अध्यक्षों के विरुद्ध फौजदारी मुकदमें कब-कब, किन-किन थानों में दर्ज हुए ?

(3) उक्त प्रकरणों की जांच में कितनों के विरुद्ध चालान पेश हुए तथा कितनों में अन्तिम रिपोर्ट दी गई ? यदि हां, तो, क्यों ?

(4) सरकार ने अन्तिम रिपोर्ट के आधार पर मुकदमा पंजीकरण हेतु किन-किन सक्षम न्यायालय में कार्यवाही की ?

यदि नहीं, तो क्यों ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) पंचायत समिति सोजत एवं मारवाड़ जंक्शन की ग्राम सेवा सहकारी समितियों के व्यवस्थापकों एवं अध्यक्षों के विरुद्ध ऑडिट रिपोर्ट के आधार पर कुल 59 मामलें 7,79,433.26 रु. की राशि के प्रकाश में आये हैं। सम्पूर्ण विवरण परिशिष्ट "अ" पर सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(2) ऑडिट रिपोर्ट के आधार पर 3 अध्यक्षों एवं 4 व्यवस्थापकों के विरुद्ध 2,99,306.04 रु. की राशि के पुलिस में मामले दर्ज कराये गये हैं। जिनका पूर्ण विवरण परिशिष्ट "ब" पर सदन के पटल पर रख दिया गया है।

(4) संलग्न परिशिष्ट "ब" के क्रम संख्या 1,2,3,4, 5 व 7 के विरुद्ध मुन्सिफ कोर्ट सोजत सिटी में चालान पेश किया गया है। क्रम संख्या 6 के विरुद्ध पुलिस द्वारा एफ.आर. लगा दी गई है।

(4) संलग्न परिशिष्ट "ब" के क्रम संख्या 6 के विरुद्ध लगायी गई एफ. आर. के विरुद्ध बैंक द्वारा पुनरावलोकन हेतु मुन्सिफ कोर्ट सोजत सिटी में आवेदन किया हुआ है व एफ. आर. न्यायालय द्वारा स्वीकृत नहीं हुई है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

"डाईट" भवन, ब्यावर का निर्माण कार्य

641. श्री चम्पालाल जैन (ब्यावर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

ब्यावर में "डाईट" भवन पर सरकार ने अब तक कुल कितनी राशि खर्च की है ? डाईट का निर्माण कार्य क्यों रोका गया ? कार्य पुनः प्रारम्भ करने के लिये सरकार क्या विचार कर रही है ?

उत्तर

ब्यावर डाईट भवन पर सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा दो लाख रुपये राशि व्यय की जा चुकी है तथा दो लाख रुपये की सामग्री निर्माण कार्य हेतु शेष पड़ी है। न्यायालय के निर्णय के अनुसार ही आगे कार्यवाही की जा सकेगी।

(अतारांकित प्रश्न संख्या 642)

(स्थगित)

जिला नागौर में छात्रवृत्ति का भुगतान

643. श्री मोहनलाल (परबतसर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जिला नागौर में छात्रवृत्ति हेतु अनुसूचित जाति के छात्रों के कितने आवेदन प्राप्त हुए हैं ? विद्यालयवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(श्री मोहनलाल)

(2) क्या छात्रों को इस वर्ष की छात्रवृत्ति का भुगतान कर दिया गया है ? यदि हां, तो विद्यालयवार सूची सदन की मेज पर रखें। यदि नहीं, तो क्यों नहीं तथा अब तक कर दिया जायगा ?

(3) क्या छात्रवृत्ति का गत वर्ष का भुगतान बकाया है ? यदि हां, तो किस-किस विद्यालय में कितने-कितने छात्रों का तथा क्यों ? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) नागौर जिले में अनुसूचित जाति के छात्र/छात्राओं के छात्रवृत्ति हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों का विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

(2) राजकीय माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालय (छात्र/छात्रा) तथा उच्च माध्यमिक विद्यालय (छात्रा) द्वारा किये गये भुगतान का विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है। उच्च प्राथमिक विद्यालयों (छात्र) का भुगतान शेष है। भुगतान इसी माह में कर दिया जायेगा।

(3) जी हां, उप निदेशक, समाज कल्याण विभाग, जयपुर से गत वर्ष की उत्तर मैट्रिक की छात्रवृत्ति का बजट प्राप्त नहीं होने से भुगतान बकाया है। छात्रों की संख्या विद्यालयवार सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(विवरण विस्तृत होने से विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

(अतारांकित प्रश्न संख्या 644)

(स्थगित)

टोडाभीम एवं नादोती क्षेत्र के विद्यालयों में रिक्त पद

645. **श्री रामस्वरूप मीणा** (टोडाभीम) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) टोडाभीम एवं नादोती क्षेत्र में सैकेण्डरी एवं हायर सैकण्डरी स्कूलों में रिक्त अध्यापकों के पदों को सरकार कब तक भरने का विचार रखती है ?

(2) क्या टोडाभीम में कन्या विद्यालय को क्रमोन्नत करने का सरकार विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नही, तो क्यों ?

उत्तर

(1) रिक्त पदों को भरने की कार्यवाही जारी है।

(2) विद्यालयों की क्रमोन्नति हेतु छात्र संख्या जनसंख्या, भवन व्यवस्था आदि गुणावगुण के आधार पर वित्तीय साधन उपलब्ध होने पर क्रमोन्नति हेतु विचार किया जाता है व इसी मापदंड के अन्तर्गत टोडाभीम के बारे में भी विचार किया जा सकेगा।

जोधपुर शहर में अध्यापकों की प्रतिनियुक्तियां

646. **श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास** (जोधपुर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास)

(1) शिक्षा सत्र 1989-90 में जोधपुर शहर में कितने अध्यापकों एवं अध्यापिकाओं को अन्य स्थानों से प्रतिनियुक्ति पर पदस्थापित किया गया ?

(2) क्या जोधपुर शहर के विद्यालयों में छात्र-छात्राओं की संख्या को देखते हुए यह प्रतिनियुक्तियां जरूरी थी ?

(3) शिक्षा सत्र 1990-91 के लिये छात्र-छात्राओं की बढ़ती संख्या को ध्यान में रखते हुए नगरीय क्षेत्र में शिक्षक शिक्षिकाओं के आवश्यकतानुसार नवीन पद सृजित किये जाने का विचार है ?

(4) क्या जोधपुर जिले में शिक्षा विभाग में प्रयोगशाला सेवकों की नियुक्ति के संबंध में भ्रष्टाचार के आरोप हैं ? यदि हां, तो क्या इस बारे में विभागीय स्तर पर कोई जांच करवाई गई है ? जांच रिपोर्ट सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या भ्रष्टाचार के दोषी अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई है ?

(6) जोधपुर जिले में कितने प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र संचालित हो रहे हैं ?

(7) क्या प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र सुचारू रूप से चल रहे हैं ?

(8) क्या प्रौढ़ शिक्षा केन्द्रों के फर्जी होने की शिकायत जिला कलक्टर या विभाग से गई थी ? यदि हां, तो क्या इसकी जांच की गई ? यदि हां, तो क्या शिकायत सही पाई गई ?

(9) सरकार प्रौढ़ शिक्षा कार्यों में फर्जी कार्यवाहियां और भ्रष्टाचार को रोकने के लिये क्या कार्यवाही कर रही है ?

(10) क्या जोधपुर जिले में प्रौढ़ शिक्षा कार्यों के लिये कोई प्रौढ़ शिक्षा समिति गठित की गई है ? यदि हां, तो क्या इस समिति का कोई संविधान है ? क्या यह समिति उसके अनुरूप कार्य कर रही है ? क्या समिति में चुनाव का प्रावधान है ? क्या यह चुनाव नियमित और निर्धारित समय पर करवाये जा रहे हैं ?

(11) क्या प्रौढ़ शिक्षण समिति के पास वाहन आदि साधन हैं ? क्या इन साधनों का उपयोग प्रौढ़ शिक्षण कार्यों के अलावा अन्य कार्यों के लिये भी किया जा रहा है ?

(12) राज्य सरकार इन प्रौढ़ शिक्षण केन्द्रों के कुशल संचालन के लिये क्या कार्य कार्यवाही करने जा रही है ?

उत्तर

(1) शिक्षा सत्र 1989-90 में जोधपुर शहर में 32 वरिष्ठ अध्यापकों तथा 21 अध्यापिकाओं को मई 90 तक प्रतिनियुक्ति पर रखा गया था।

(2) जी नहीं, यह प्रतिनियुक्तियां गम्भीर पारिवारिक परिस्थितियों एवं मानवीय दृष्टिकोण के आधार पर की गई थीं।

(3) निर्धारित मापदण्डों के आधार पर ही नये पद सृजित किये जाते हैं।

(4) जांच अभी पूर्ण नहीं हुई है।

(शिक्षा मंत्री)

(5) जांच सम्पन्न होने पर दोषी पाये जाने की स्थिति में कार्यवाही की जायेगी।

(6) जोधपुर जिले में विभिन्न एजेन्सियों के माध्यम से वर्ष 1990-91 में निम्नानुसार प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र चल रहे हैं :—

1–परियोजना अधिकारी जोधपुर ग्रामीण साक्षरता–300

2–ग्रामीण बाल विकास संस्थान पीपाड़ शहर–30

3–राधा बाल मंदिर विद्यालय समिति पीपाड़ रोड–300

4–जोधपुर प्रौढ़ शिक्षण समिति–400 (100 केन्द्रों की योजना का सत्र 14-11-90 को एवं 300 केन्द्रों की योजना का सत्र 31-12-90 को समाप्त हो गया है। दि. 1-12-91 से केन्द्रों के संचालन की स्वीकृति भारत सरकार से प्राप्त नहीं हुई है।

(7) कतिपय केन्द्र निरीक्षण/जांच के दौरान बन्द/अनियमित भी पाये गये हैं।

(8) जी हां। जांच करवाई जा रही है।

(9) जिन स्वैच्छिक संस्थाओं का कार्य संतोषजनक नहीं पाया जाता है उनको भविष्य में भारत सरकार द्वारा अनुरूप बन्द कर दिया जाता है। भ्रष्टाचार के प्रकरणों में अनुदान राशि की वसूली की जाती है व अन्य समुचित कार्यवाही नियमानुसार की जाती है।

(10) जी हां, जोधपुर जिला प्रौढ़ शिक्षण समिति, जोधपुर ग्रामीण विकास संस्थान, पीपाड़ शहर एवं राधा बाल मंदिर विद्यालय समिति पीपाड़ रोड जोधपुर जिले में प्रौढ़ शिक्षा का कार्य कर रही हैं। उपर्युक्त तीनों समितियां सोसायटी रजिस्ट्रेशन एक्ट, 1958 के अन्तर्गत पंजीकृत हैं और इनके संविधान में चुनाव का प्रावधान है। चुनाव नियमित रूप से हो रहे हैं।

(11) जी हां। जांच कराई जा रही है।

(12) प्रौढ़ शिक्षा केन्द्रों के कुशल संचालन हेतु जिला प्रौढ़ शिक्षा अधिकारी परियोजना में कार्यरत अधिकारी एवं निदेशालय के अधिकारियों द्वारा परिवीक्षण किये जाने का प्रावधान है।

(अतारांकित प्रश्न संख्या 647)

(स्थगित)

विधान सभा क्षेत्र सिवाना (बाड़मेर) के विद्यालय

648. **श्री हुक्माराम** (सिवाना) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) विधान सभा क्षेत्र सिवाना में प्राइमरी, मिडल सैकण्डरी, हायर सैकण्डरी व सीनियर हायर सैकण्डरी, कुल कितने स्कूल हैं ?

(श्री हुक्माराम)

(2) इन स्कूलों में अध्यापकों के कितने पद स्वीकृत हैं ? तथा कितने व कहां कहां स्थान रिक्त हैं ? रिक्त स्थानों पर कब तक अध्यापकों की नियुक्ति कर दी जायेगी ? पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र सिवाना में शिक्षा विभाग के प्राइमरी, मिडल, सैकण्डरी व सीनियर उच्च माध्यमिक विद्यालयों का विवरण संलग्न है :

	छात्र	छात्रों	कुल
प्राइमरी	8	2	10
उच्च प्राथमिक	4	—	4
माध्यमिक	8	2	10
सीउमावि	3	—	3

(2) स्वीकृत एवं रिक्त पदों का विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है। रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया जारी हैं ।

(विवरण के कृपया लिए परिशिष्ट-18 देखें) ।

(अतारांकित प्रश्न संख्या 649)

(स्थगित)

जिला उद्योग केन्द्र, नागौर द्वारा शिक्षित बेरोजगारों को आवंटित ऋण

650. **श्री गुलाम मुस्तुफा खान** (नागौर) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) नागौर जिला उद्योग केन्द्र में वर्ष 1990-91 में कुल कितने आवेदकों ने शिक्षित बेरोजगार के रूप में आवेदन किया ?

(2) इन आवेदकों में से कितने-कितने आवेदकों को ऋण स्वीकार करने की स्वीकृति दी गई ? उनमें अल्प संख्यक समुदाय के कितने आवेदक थे ।

(3) ऋण स्वीकृति हेतु राज्य सरकार द्वारा क्या मापदण्ड तय किये गये हैं ?

(4) ऋण स्वीकार होने के पश्चात् भी कितने आवेदकों को सम्बन्धित बैंक द्वारा ऋण नहीं दिया गया ? यदि हां, तो क्यों ? ऐसे व्यक्तियों को ऋण उपलब्ध कराने के क्या प्रयास किये जा रहे हैं ?

उत्तर

(1) नागौर जिला उद्योग केन्द्र में वर्ष 1990-91 में कुल 940 आवेदकों ने शिक्षित बेरोजगार योजना के अन्तर्गत ऋण हेतु आवेदन किया ।

(2) उपरोक्त आवेदकों में से कुल 165 आवेदकों को टास्क फोर्स कमेटी द्वारा ऋण स्वीकार करने हेतु बैंकों को अभिशसा की गई । उनमें से अल्प संख्यक समुदाय के आवेदकों की संख्या 14 है ।

(3) शिक्षित बेरोजगार युवाओं को स्वरोजगार योजना के अन्तर्गत निम्न मापदण्ड तय किये हुए हैं :—

(1) युवा को दसवीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिये ।

(उद्योग मंत्री)

(2) युवा की आयु 18 वर्ष से 35 वर्ष के बीच होनी चाहिये।

(3) आठवीं कक्षा पास युवा यदि आई. टी. आई. पास है, तो इस योजना में लाभान्वित हो सकता है।

(4) युवा के परिवार की वार्षिक आय सभी स्रोतों से दस हजार रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिये।

(5) युवा को बेरोजगार होना चाहिये।

(4) नागौर जिले में इस योजना के सम्बन्ध में शिकायत की जांच चालू रहने से इस वर्ष अब तक बैंकों से ऋण स्वीकृति कार्यवाही नहीं हो सकी है। जांच शीघ्र पूर्ण करने के प्रयास जारी है।

राजस्थान औद्योगिक विनियोजन निगम (रीको) द्वारा स्वीकृत ऋण

651. **श्री बुलाकीदास कल्ला** (बीकानेर) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राजस्थान औद्योगिक विनियोजन निगम रीको ने अब तक जिन-जिन उद्योगों को ऋण प्रदान किया हैं उसमें ऐसे कितने उद्योग हैं जिनको ऋण प्रदान करने के बाद अभी तक उत्पादन प्रारम्भ नहीं हुआ ? इन उद्योगों की स्वीकृति किसने प्रदान की एवं उस समय अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक कौन-कौन थे ? सूची मय विवतण सदन की मेज पर रखें।

(2) खेड़ा उद्योग एवं रील उद्योग की स्वीकृति किसने दी थी ? तत्कालीन अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक ने क्या स्वीकृति हेतु अपनी सहमति दी थी ? उद्योग के उत्पादन में न आने एवं बकाया राशि वसूल नहीं किये जाने पर किन-किन अधिकारियों पर जिम्मेदारी डाली गई ? विवरण सदन की मेज रखें।

उत्तर

(1) रीको द्वारा अब तक जितने उद्योगों को ऋण प्रदान (डिस्बर्स) किया गया उनमें उत्पादन प्रारम्भ नहीं होने वाले उद्योगों की सूची परिशिष्ट–1 पर संलग्न है। इन उद्योगों को ऋण की स्वीकृति निगम की इण्डस्ट्रियल कमेटी ने प्रदान की थी तथा उस समय जो अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक थे उनके नाम उपरोक्तानुसार संलग्न सूची में उल्लिखित उद्योगों के सामने दर्शाये हुए हैं।

(2) रीको की इण्डस्ट्रियल कमेटी ने दिनांक 19.2 1983 को अपनी बैठक में निर्णय लेकर रील उद्योग को रीको की रुपये 19·60 लाख की हिस्सा पूंजी के लिए स्वीकृति प्रदान की थी। इसी बैठक में इस कम्पनी को रुपये 66·00 लाख का ऋण देना भी स्वीकृति किया गया था। रील प्रारम्भ से उत्पादनरत है अतः इसमें किसी अधिकारी पर जिम्मेदारी डालने का प्रश्न ही नहीं उठता।

मैसर्स खेड़ा रिफाइनरी को निगम की इण्डस्ट्रियल कमेटी ने दिनांक 23.10.84, को अपनी बैठक में (रु. 59.70 लाख) ऋण

(उद्योग मंत्री)

की स्वीकृति प्रदान की थी। इस प्रकरण में इकाई के उत्पादन में आने से पहले ही धोखाधडी का मामला सामने आया जिसमें चार अधिकारियों यथा अधिशाषी निदेशक, सचिव, डिप्टी मैनेजर तथा एक सहायक मैनेजर को जिम्मेदार ठहराया गया।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 19 देखें)

राजस्थान, स्टेट टेनरीज, टोंक का विक्रय

652. **श्री महावीर प्रसाद जैन (टोंक)**: क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान स्टेट टेनरीज, टोंक को किसी प्राइवेट संस्था को बेचा गया है ? यदि हां, तो कब एवं कितनी राशि में और किन-किन शर्तों पर ? एग्रीमेन्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) वहां कार्यरत श्रमिकों एवं कर्मचारियों का कहां-कहां समायोजन किया गया ? क्या उन कर्मचारियों एवं अधिकारियों को वेतन का भुगतान कर दिया गया है ? किन-किन लोगों का समायोजन अन्य विभागों में नहीं किया गया एवं किन-किन की बकाया वेतन का भुगतान नहीं किया गया ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं। राजस्थान स्टेट टेनरीज लिमिटेड को मंत्री-मण्डल की आज्ञा दिनांक 19.12.88 की अनुपालना में मैसर्स कृष्ण कौशल जो कि अप्रवासी भारतीय है, को हस्तान्तरण की कार्यवाही राज्य सरकार में चल रही है। हस्तान्तरण की सहमति शर्तों के अन्तर्गत श्री कौशल इकाई की दिनांक 31 मार्च, 1988 तक की रु. 208.69 लाख की देनदारियां जो कि भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, बैंक आफ बड़ौदा तथा अन्य चालू देनदारियों से सम्बन्धित है का भुगतान करेंगे। साथ ही राजस्थान स्टेट टेनरीज लिमिटेड में राज्य सरकार के रु. 194·16 लाख अंकित मूल्य के 1941600 अंशों को केवल रु. 1000/- की टोकन राशि पर हस्तान्तरण किया जावेगा। प्रस्तावित अनुबन्ध में टेनरीज के सभी कर्मचारियों को उनकी वर्तमान सेवा शर्तों तथा वेतनमानों पर श्री कौशल अपनी कम्पनी में नियुक्ति देंगे। जो कर्मचारी इन शर्तों पर श्री कौशल की कम्पनी में कार्य करने के इच्छुक नहीं होंगे, उन्हें माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशों के अनुरूप राज्य सरकार द्वारा निर्देशित छंटनी भुगतान कर उनकी सेवायें समाप्त की जा सकेंगी। अनुबन्ध का प्रारूप कानूनी विशेषज्ञों की राय से तैयार किया जा रहा है।

(2) कर्मचारियों का समायोजन एवं प्रतिनियुक्ति सम्बन्धित विवरण परिशिष्ट "क" पर संलग्न है। जहां तक वेतन भुगतान करने का प्रश्न है, माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 6/3/91 के अनुसरण में समस्त कर्मचारियों को दिनांक

(उद्योग मंत्री)

28/2/91 तक की बकाया राशि का 50 प्रतिशत भुगतान दो सप्ताह में करवाने की कार्यवाही की जा रही है। जिन कर्मचारियों का समायोजन नहीं किया गया है उनकी सूची परिशिष्ट "ख" पर संलग्न है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा से पुस्तकालय में रखी गई)

राज्य में घाटे में चल रहे उद्योग के नियुक्त विशेषज्ञों की रिपोर्ट

653. **श्रीमती रमा पायलट** (हिण्डौली) **श्री गोविन्द सिंह गुर्जर** (नसीराबाद) एवं **श्री बुलाकीदास कल्ला** (बीकानेर) : क्या राजकीय उपक्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या राज्य सरकार ने घाटे में चल रहे उपक्रमों में से कुछ के बारे में विशेषज्ञों की राय मांगी है ? यदि हां, तो किस-किस उद्योग के लिए ?

(2) क्या विशेषज्ञों ने सरकार को परामर्श दिया ? यदि हां, तो प्रत्येक उद्योग के सम्बन्ध में परामर्श रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) विशेषज्ञों की राय पर निर्णय कर क्या कार्यवाही की गयी ? विवरण सदन की मेज पर रखें। यदि नहीं तो क्यों ? अब कब तक कार्यवाही कर दी जावेगी ?

उत्तर

(1) राज्य सरकार के राजकीय उपक्रम ब्यूरो द्वारा घाटे में चल रहे उपक्रमों के सम्बन्ध में विशेषज्ञों की राय नहीं माँगी गई है।

(2) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

(3) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

प्रहरियों के पदों पर नियुक्तियां

654. **श्री माँगीलाल मेघवाल** (केशोरायपाटन) : क्या कारागार राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या वर्ष 1989–90 में प्रहरियों के पदों पर नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किये गये थे ? यदि हां, तो कितने पदों के लिये एवं कहां-कहां के लिये ?

(2) क्या उक्त पदों को भर लिया गया है ? यदि हां, तो कब एवं कितने ? यदि नहीं, तो रिक्त स्थान होते हुए भी विलम्ब के क्या कारण हैं ?

(2) अब सरकार कब तक इन पदों को भरने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) वर्ष 1989-90 में नहीं अपितु वर्ष 1990-91 में कारागार विभाग में समस्त राजस्थान के लिए कुल 168 प्रहरियों के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किये गये थे। विभिन्न जिलों के लिए संख्या निर्धारित नहीं है।

(राज्य मंत्री, कारागार)

(2) उक्त पदों को अभी नहीं भरा गया है। रिक्त पदों के विरुद्ध 18,687 आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं, जिनकी जांच व छंटनी का कार्य प्रगति पर है।

(3) प्राप्त आवेदन पत्रों की जांच व छंटनी का कार्य पूर्ण होने पर रिक्त पदों को भरने को कार्यवाही शीघ्र की जायेगी।

राज्य में ऊन उद्योग की स्थापना

655. **श्री चम्पालाल बांठिया** (पचपदरा) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य की सबसे बड़ी ऊन मण्डी कहां पर है एवं ऊन आधारित उद्योग कहां-कहां है ?

(2) क्या सरकार ऊन आधारित उद्योग लगाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो किस स्थान पर एवं किस रूप में ?

(3) क्या विभाग ऊनी गलीचों के उत्पादन को बढ़ाने हेतु कुशल श्रमिकों को तैयार करने के लिए बाड़मेर, बालोतरा, जसोल जैसे स्थानों पर प्रशिक्षण केन्द्र खोलने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) राज्य की सबसे बड़ी ऊन मण्डी बीकानेर में है। ऊन पर आधारित स्थापित उद्योगों के जिलेवार स्थानों की सूची संलग्न है।

(2) राज्य सरकार का स्वयं ऊन आधारित उद्योग लगाने का कोई विचार नहीं है परन्तु निजी उद्यमियों को इस प्रकार के उद्योग लगाने के लिए राजकीय औद्योगिक नीति के अनुसार सभी प्रकार के प्रोत्साहन दिये जावेंगे।

(3) वर्तमान में राजस्थान लघु उद्योग निगम द्वारा 15 प्रशिक्षण केन्द्र चलाये जा रहे हैं (सूची संलग्न है) निगम द्वारा बालोतरा में वर्ष 1978 से 1989 तक एक गलीचा प्रशिक्षण केन्द्र चलाया गया था। वर्तमान में बाड़मेर, बालोतरा, जसोल में इस प्रकार के गलीचा प्रशिक्षण केन्द्र चलाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-20 देखें)

जोधपुर में सीलिंग भूमि का रूपान्तरण

656. **श्री मदन लाल सैनी** (गुढ़ा) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि शासन उप सचिव, राजस्व (भूमि रूपान्तरण) विभाग ने अपने पत्र संख्या 606 दिनांक 17-10-87 द्वारा अतिरिक्त कलक्टर, भूमि रूपान्तरण जोधपुर को राज्यादेश दिया कि यदि कोई भूमि अरबन लैण्ड सीलिंग अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत सीलिंग में आती है तो बगैर सक्षम अधिकारी से मुक्ति

(९८)

(श्री मदनलाल सैनी)

प्रमाण-पत्र लिये ऐसी भूमि का रूपान्तरण किया जाना उचित नहीं होगा ? यदि हां, तो इस पत्र की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर ने रिट याचिका संख्या 1658/1989 से सम्बन्धित स्टे याचिका संख्या 1309/1989 के निर्णय दिनांक 7-9-89 में राज्यदेश क्रमांक एफ. 9 (105) यू.डी.एच./82, दिनांक 19-10-82 एवं संख्या एफ. 9(105) यू. डी.एच./82, दिनांक 22-7-85 की क्रियान्विति पर तत्काल रोक लगा दी थी ? यदि हां, तो न्यायालय के इस आदेश की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि नगरीय विकास विभाग ने अपनी अधिसूचना दिनांक 16-9-89 जो राजस्थान राज-पत्र, दिनांक 18-1-90 के भाग 1 (ख) के पृष्ठ 628 पर प्रकाशित हुई के द्वारा नगर सुधार न्यास, जोधपुर के पत्थर एवं व लकड़ी मार्केट योजना हेतु भूमि अवाप्ति अधिनियम, 1894 की धारा 4 (1) सार्वजनिक सूचना प्रकाशित की ? क्या इस अधिसूचना में उल्लिखित भूमि का रूपान्तरण भूमि रूपान्तरण नियम, 1981 के विपरीत है ?

(4) क्या यह सही है कि उपखण्ड अधिकारी भूमि रूपान्तरण जोधपुर ने उपरोक्त सभी वैधानिक प्रावधानों का स्पष्ट उल्लंघन करते हुए उपरोक्त मार्केट की भूमि के जनवरी, 1990 से सितम्बर, 1990 तक लगभग सौ वाणिज्यिक पट्टे प्रदान कर दिये ?

(5) यदि हां, तो वे अवैधानिक पट्टे कब तक निरस्त किये जायेंगे एवं दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कब तक कार्यवाही की जावेगी ?

उत्तर

(1) जी हां, शासन उप सचिव, राजस्व (भूमि रूपान्तरण) विभाग, जयपुर के पत्र संख्या 606 दिनांक 17-10-87 की प्रतिलिपि संलग्न है।

(2) जी हां। आदेश की प्रतिलिपि संलग्न है।

(3) जी हां। यह नियम 1981 में वर्णित नियमानुसार सही है।

(4) जी हां, उप खण्ड अधिकारी भूमि रूपान्तरण द्वारा 148 मामलों में वाणिज्यिक रूपान्तरण के पट्टे जारी किये हैं।

(5) कथित अनियमितताओं की जांच सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर कर रहे है। उनकी रिर्पोट प्राप्त होने पर कार्यवाही की जायेगी।

(आदेश के लिए कृपया परिशिष्ट 21 देखें)

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

श्री अध्यक्ष : मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नलिखित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है :—

(श्री अध्यक्ष)

(1) सर्वश्री चन्द्रभान व हेतराम बेनीवाल तथा एक अन्य माननीय सदस्य, विधान सभा की ओर से दिनांक 13 मार्च को जल्दी सुबह चाकसू कस्बे के मोहल्ला देशवालियान में सशस्त्र डकैती पड़ने व एक व्यक्ति के मर जाने से निवासियों में व्याप्त भय के वातावरण को दूर कर आवश्यक कार्यवाही के सम्बन्ध में।

उक्त स्थगन प्रस्ताव के सम्बन्ध में राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है, जानकारी प्राप्त होने पर निर्णय लिया जायेगा।

(1) श्री नत्थीसिंह, सदस्य, विधान सभा की ओर से दिनांक 20 फरवरी, 1991 को भरतपुर कृषि उपज मण्डी के उद्घाटन के समय उपस्थित पत्रकारों के साथ अभद्र व्यवहार किये जाने के सम्बन्ध में।

(2) उपरोक्त विषय में दिनांक 12 मार्च, 1991 को श्री रामकिशन सदस्य, विधान सभा की ओर से भी एक प्रस्ताव पेश किया गया था जिसका राज्य सरकार से उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है।

मैं इन प्रस्तावों को स्वीकार करने में असमर्थ हूँ। माननीय सदस्यों को दो-दो मिनट बोलने की अनुमति होगी।

(1) श्री रामनारायण वर्मा, सदस्य विधान सभा की ओर से भीलवाड़ा में पुलिस की गोली से दो व्यक्ति मारे जाने, एक सौ पांच के घायल होने व दो अन्य स्थानों के विविध मामले उठाये जाने के सम्बन्ध में।

भीलवाड़ा के सम्बन्ध में व साथ ही कुछ अन्य स्थानों के साम्प्रदायिक दंगों के बारे में कल दिनांक 13 मार्च, 1991 को चर्चा हो चुकी है। अतः उक्त प्रस्ताव को स्वीकार करने में असमर्थ हूँ।

(1) श्री सुनील विश्नोई, सदस्य, विधान सभा की ओर प्रदेश में कानून व व्यवस्था समाप्त होकर अराजकता की स्थिति उत्पन्न होने, विशेष कर गंगानगर जिले में कानून व व्यवस्था की स्थिति अत्यन्त खराब होने से उत्पन्न स्थिति से आम जनता में व्याप्त आक्रोश के सम्बन्ध में।

उपरोक्त प्रस्ताव से लगभग मिलता हुआ एक प्रस्ताव सर्वश्री हेतराम बेनीवाल व प्रो. केदारनाथ, सदस्य विधान सभा द्वारा सागरिया कस्बे में आतंककारियों द्वारा दो व्यक्तियों की हत्या कर दिये जाने से सम्बन्धित था।

राज्य सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में आज सदन में वक्तव्य दिया जा रहा है, उस समय इन माननीय सदस्यों को चर्चा में भाग लेने की अनुमति होगी।

(1) मुझे माननीय सदस्यों को यह भी सूचित करना है कि दिनांक 12 मार्च, 1991 को श्री पूनमचन्द विश्नोई, सदस्य, विधान सभा की ओर से जिला जोधपुर की तहसील फलोदी के ग्रामों में भयंकर अकाल की स्थिति के सम्बन्ध से दिये गये स्थगन प्रस्ताव की राज्य सरकार से जान-

(श्री अध्यक्ष)

कारी प्राप्त नहीं हुई है । मैं इस प्रस्ताव को स्वीकार करने में असमर्थ हूं । माननीय सदस्य को दो मिनट बोलने की अनुमति होगी ।

प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत प्रस्ताव

(1) श्री मोहम्मद माहिर आजाद, सदस्य, विधान सभा की ओर से झुंझुनूं विधान सभा क्षेत्र में पेयजल की समुचित व्यवस्था नहीं होने से निवासियों को हो रहे कष्ट के निवारण के सम्बन्ध में ।

(2) श्री मांगीलाल मेघवाल, सदस्य, विधान सभा की ओर से केशोरायपाटन स्थित डीजल पम्प के मालिक मै. बंसल ब्रदर्स द्वारा डीजल/पैट्रोल आदि के वितरण में अनियमितताएं बरतने एवं कालाबाजारी करने से किसानों को हो रही परेशानी को दूर कराने के सम्बन्ध में ।

(3) श्री परसादीलाल, सदस्य विधान सभा की ओर से राजस्थान पुलिस में उप निरीक्षक पुलिस से पुलिस निरीक्षक की पदोन्नति में चयन मण्डल द्वारा किये गये कथित भ्रष्टाचार व अनियमितात्रों की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में ।

(4) श्री हजारी लाल, सदस्य, विधान सभा की ओर से विनोदनी महाविद्यालय, खेतड़ी के नाम से हो रहे निर्माण कार्य में जबरदस्ती एवं गलत तरीके से किसानों एवं हरिजनों की कब्जे शुदा और पट्टेशुदा भूमि को हड़पने से व्याप्त असन्तोष के बारे में ।

(5) श्री मनोहर सिंह इन्दा, सदस्य, विधान सभा की ओर से विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ में ग्रेवल सड़कें बनाने व पुरानी सड़कों की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में ।

(6) श्री रामकिशोर सैनी, सदस्य, विधान सभा की ओर से जयपुर नगर में ऑटोरिक्शा चालकों द्वारा यात्रियों से मीटर से किराया वसूल न कर मनमाना किराया वसूलने के सम्बन्ध में ।

(7) श्री गुलाब सिंह राजपुरोहित, सदस्य, विधान सभा की ओर से विधान सभा क्षेत्र सुमेरपुर में पेयजल की विकट समस्या के समाधान के सम्बन्ध में ।

(8) श्री हरिश चन्द्र कुमावत, सदस्य विधान सभा की ओर विधान सभा क्षेत्र नावां में पीने के पानी की समस्या का समाधान कराने हेतु ।

(9) श्री जीतमल जैन, सदस्य, विधान सभा की ओर से जिला सवाई माधोपुर में दिनांक 9.5.88 को पुलिस जीप से बालक मिन्टू की मृत्यु हो जाने के सम्बन्ध में ।

(10) श्रीरमाकांत, सदस्य, विधान सभा की ओर से विधान सभा क्षेत्र थानागाजी में ग्रामीण सहकारी समितियों की दुर्दशा व प्रशासनिक व्यवस्था सुधारने के सम्बन्ध में ।

माननीय सदस्यों को उनके द्वारा दिये गये प्रस्तावों को पढ़ने की अनुमति होगी ।

श्री अध्यक्ष)

श्री रामकिशन।

स्थगन प्रस्तावों आदि पर चर्चा

श्री प्रकाश चन्द्र बैरवा : माननीय अध्यक्ष महोदय, चाकसू में डकैती काण्ड का बहुत गम्भीर मामला है जिसमें एक आदमी मारा गया है।

श्री अध्यक्ष : कोई गम्भीर मामला नहीं है। प्लीज सिट डाउन। यह हो चुका है। राजस्थान बहुत बड़ा है। बिराजिये आप। सदन का समय खराब मत करिये आप। कल आप बता चुके हैं। आप बोलिये, पण्डितजी। प्लीज सिट डाउन। बैठिये आप (व्यवधान)....हो गया गम्भीर। बिराजिये आप। जिसका एडजोनमेण्ट मोशन दिया जा चुका है, सरकार को जानकारी के लिए दे दिया है। आपने सरकार को सूचना भी दे दी है। इससे ज्यादा महत्व का नहीं है। आप हर चीज को महत्व की बताते हैं। सब चीजें महत्व की नहीं होतीं। बिराजिये आप। पण्डित श्री रामकिशन जी। (व्यवधान)...

श्री प्रकाशचन्द्र बैरवा : इस पर आज ही चर्चा होनी चाहिए।

श्री रामस्वरूप मीणा : माननीय अध्यक्ष महोदय, बहुत ही गम्भीर विषय है।

श्री अध्यक्ष : कोई गम्भीर विषय नहीं है। बैठिये आप। मैंने माननीय सदस्य आपको पहले कहा था कि सदन की कार्यवाही रोकने का आपको अधिकार नहीं है। मैं कह चुका हूँ कि इतना गम्भीर मामला नहीं है जिसके लिए अभी चर्चा की जाय। (व्यवधान)....प्लीज सिट डाउन। मैं नहीं मानता। कृपया बैठ जाइये। आई से सिट डाउन। मिस्टर बैरवा आई से सिट डाउन। पहले पण्डितजी बोलेंगे। प्लीज हियर फर्स्ट। मिस्टर चन्द्रभान, प्लीज हियर। मैं हाथ जोड़कर निवेदन कर रहा हूं कि आप बिराजिये।

श्री रामकिशन (भरतपुर) : आदरणीय अध्यक्ष महोदय, 20 तारीख को राजस्थान के मुख्य मंत्री पहली बार भरतपुर गये थे। भरतपुर की जनता उनका स्वागत करना चाहती थी और अपनी समस्याओं का उनके सामने इजहार करना चाहती थी उस समय प्रशासन ने इन सारी चीजों की जानकारी देने के लिए वहां पत्रकारों को भी इन्वाइट किया था लेकिन जैसे ही मुख्यमंत्री जी कृषि उपज मण्डी का उद्घाटन करने पहुंचे तो वहां एक पुलिस ऑफिसर है, जो ट्रेनिंग ले रहे हैं, उन्होंने पत्रकारों के साथ जिस तरह दुर्व्यवहार किया था, मैं समझता हूँ किसी भी पुलिस आफिसर को उस तरह का व्यवहार नहीं करना चाहिए। अगर उन्होंने अज्ञानता से किया था, उन्होंने गलती से भी किया था, तो भी पत्रकारों ने बार-बार यह कहा था कि हम पत्रकार हैं, उन्होंने अपने पास वगैरह बताये थे और इसके साथ-साथ जानकारी दी थी हमको प्रशासन ने बुलाया है। यह सारी घटनाएं जिस तरह से हुई उससे मुख्य मंत्री के कार्यक्रम में जिस तरह का प्रकाशन होना चाहिये था, जिस तरह प्रकाशन को तरजीह मिलनी चाहिए थी, एक बार तो पत्रकारों ने सारे मामले का बहिष्कार कर दिया लेकिन समझाने बुझाने के बाद पत्रकार

(श्री रामकिशन)

समारोह में शामिल हुए। उस सारी घटना की जानकारी उस समय माननीय मुख्य मंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी तथा माननीय कृषि मंत्रीजी को दे दी गई थी और जो मुझे बताया गया है, क्योंकि मैं सभी जगह नहीं था, केवल अस्पताल में था। उस समय माननीय मुख्य मंत्रीजी, गृह मंत्रीजी ने आश्वासन दिया था कि हम तत्काल इस पुलिस अफसर के खिलाफ कोई कार्यवाही करेंगे। लेकिन आज 20-22 दिन बीतने के बाद भी उस पुलिस आफिसर के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की गई। कल से भरतपुर के पत्रकार जिला प्रशासन के सामने धरना दे रहे हैं और धरने के साथ-साथ वे दूसरा कार्यक्रम बना रहे हैं।

(12.10 म. प.)

(श्री यदुनाथ सिंह, उपाध्यक्ष, पदासीन)

मैं माननीय मुख्यमंत्रीजी से कहना चाहूंगा कि आज जब सब जगह अशांति है, कभी-भी कोई छोटी सी बात बहुत बड़ी अशांति का कारण बन सकती है। छोटी-सी घटना अशांति का कारण बन सकती है। इसलिए मैं ज्यादा निवेदन न करके इतना ही निवेदन करना चाहूँगा कि उन्होंने जो वायदा किया था कि किसी न किसी प्रकार की कार्यवाही करेंगे, उस वायदे को उन्हें पूरा करना चाहिये। मैंने कल ही गृह मंत्रीजी से व्यक्तिगत तौर पर निवेदन किया था और मुख्यमंत्री जी से भी कहा था। गृह मंत्रीजी ने कहा कि मैंने सार्वजनिक रूप से क्षमा मांग ली हैं, अब हम इस से ज्यादा क्या कर सकते हैं? खैर, यह तो वे देखें कि उन्हें क्या करना है क्या नहीं करना है। यह संदेश भी मैंने उनको दे दिया था लेकिन फिर भी पत्रकार यह कह रहे हैं कि जब तक उस पुलिस आफिसर के खिलाफ उचित कार्यवाही नहीं होगी या उसके खिलाफ की गई कार्यवाही से संतोष नहीं होगा तब तक वे अपना संघर्ष को जारी रखेंगे कार्यक्रम को आगे बढ़ायेंगे।

मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी, गृह मंत्रीजी और कृषि मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूँगा कि यह छोटी सी घटना किसी बड़े आन्दोलन का कारण न बन जाय, इसलिए मेहरबानी करके उन्होंने जो वायदा किया है और वायदा यदि नहीं भी किया है, तो वर्तमान परिस्थिति में जो उचित समझते हैं वह तत्काल कार्यवाही करके वहां के पत्रकारों के सम्मान की रक्षा करनी चाहिए और पुलिस आफिसरों को इस तरह का ज्ञान होना चाहिये कि उन्हें नागरिकों के साथ, विशेषकर पत्रकारों के साथ किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए। इस सबकी जब तक किसी कार्य के मार्फत जानकारी नहीं दी जायगी तब तक मुख्य मंत्रीजी के आश्वासन या गृह मंत्रीजी के क्षमा मांगने से ऐसे अधिकारियों के आचरण में परिवर्तन नहीं होगा। मैं लम्बी बात नहीं करके क्योंकि 2 मिनट का समय दिया है मैं 2 ही मिनट में अपनी बात खत्म करना चाहता हूं और मुख्य मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि उनकी जानकारी इस मामले में है इसलिए बजाय इसके कि इस मामले को बहस में डालें तत्काल किसी कार्यवाही से सदन को अवगत कराने का कष्ट करें।

श्री उपाध्यक्ष : श्री नत्थीसिंह ।

श्री नत्थीसिंह (कुम्हेर) : उपाध्यक्ष महोदय, 20 तारीख को जब मुख्यमंत्रीजी भरतपुर पधारे थे उस समय यह घटना घटी थी । उस वक्त आप स्वयं भी वहां मौजूद थे और पत्रकारों के साथ आर. पी. एस. प्रशिक्षणार्थी श्री कुमारेन्द्र भूषण ने किस प्रकार का अभद्र व्यवहार किया और उत्तेजना फैलाई । उनके साथ ही नहीं टी. वी. टीम आई उनके साथ भी किया बताया । हमें यहां तक बताया गया है कि मुख्यमंत्री जी के जो प्रेस अटैची थे उनके साथ भी दुर्व्यवहार किया था । पत्रकारों ने उस समारोह का बहिष्कार किया । उसके बाद स्वयं मुख्यमंत्री जी ने और गृह मंत्रीजी ने खेद भी व्यक्त किया और उनको आश्वासन दिया गया कि हम सारे मामले का जयपुर जाकर निराकरण करेंगे, कार्यवाही करेंगे ।

उसके बाद तीन हफ्ते गुजर गए, मुख्य मंत्रीजी स्वयं आश्वासन देकर आए हैं, गृह मंत्री स्वयं आश्वस्त करके आये हैं । आप आसन पर बिराजमान हैं । मुझे यह बताया गया है कि पत्रकारों को वापस समारोह में लाने के लिए आपने खुद ने पहल की और कहा कि इस पर जरूर कार्यवाही होगी । उसके बाद भी कोई कार्यवाही नहीं हो और पत्रकार इस तरह परेशान हो जाय कि वे डी. आई. जी. परिसर में कल से धरना देने को मजबूर हों और उसके बाद वह आन्दोलन को और उग्र करना चाहते हैं । कोई बड़ी बात नहीं है कि पत्रकारों के साथ, मैं तो यह समझता हूँ कि हमारे मुख्य मंत्रीजी जो बडे ही संवेदनशील हैं, सहिष्णु हैं, सहयोगी हैं और जो फोर्थ एस्टेट है उस का बड़ा ख्याल रखने वाले हैं, इसके बावजूद भी भरतपुर के पत्रकारों से कोई एलर्जी हो तो बात दूसरी है । नहीं तो अब तक कोई न कोई निश्चित रूप से कार्यवाही हो जानी चाहिये थी । मैं समझता हूँ कि भरतपुर के पत्रकारों में जो तीव्र आक्रोश है, यहां भी वे आये थे और उन्होंने कहा था कि तत्काल इस मामले का किसी तरह समाधान हो जाय । वे नहीं चाहते कोई टकराव की स्थिति हो, लेकिन कुछ भी सुनवाई नहीं हो रही है । जैसा श्री रामकिशनजी ने बताया कि हमारे गृह मंत्री जी ने कह दिया कि मैंने सार्वजनिक रूप से खेद व्यक्त कर दिया इससे काम तो चलेगा नहीं । ठीक है, आपने कर दिया लेकिन जो कल्प्रिटस हैं, जिन्होंने इस तरह की स्थिति पैदा की है उनको भी आपको सबक देना चाहिये जिससे पत्रकारों और वहां की जनता को यह मालूम हो कि मुख्य मंत्रीजी का भरतपुर में जो प्रथम आगमन था, कई बार आपने बढ़ा दिया था, शायद दिमाग में ख्याल होगा कि कहीं ऐसी बात नहीं हो, तब भी नहीं थी ? अब भी कोई बात नहीं थी, आपके अधिकारियों ने इस तरह की स्थिति पैदा कर दी उसके निराकरण के लिए मुझे पूरी उम्मीद है अविलम्ब कार्यवाही करने उन पत्रकारों की समस्या का समाधान करेंगे ।

डा. चन्द्रभान (मण्डावा) : पत्रकारों के साथ ही ऐसा व्यवहार पुलिस करती है तो आम जनता के साथ कैसा करती होगी ?

(डा. चन्द्रभान)

सरकार इसको जरा गम्भीरता से ले। मुख्य मंत्री जी की मौजूदगी में यह हुआ।

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिए।

श्री भैरोंसिंह शेखावत (मुख्य मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, भरतपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने पत्रकारों के सम्बन्ध में जो बात कही हैं, मैं ऐसा समझता हूं कि मुझे अभी थोड़ी देर पहले माननीय श्री नत्थीसिंह जी ने जानकारी दी थी, मैंने उसी समय टेलीफोन लगाया कि क्या स्थिति है, क्या नहीं है लेकिन अभी बात नहीं हो पायी है, जिस समय यह घटना घटी उस समय मैं नहीं था और जैसा डा. चन्द्रभान जी ने कहा मेरी मौजूदगी में हुई।

डा. चन्द्रभान : आप भरतपुर में नहीं थे ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : हां, भरतपुर में था, राजस्थान में भी था। लेकिन इस का मतलब यह नहीं कि मेरी मौजूदगी में हुई। आप श्री रामकिशन जी से और श्री नत्थीसिंहजी से पूछ लेते कि मेरी मौजूदगी में हुई या गैर मौजूदगी में हुई ?

श्री उपाध्यक्ष : मुझसे ही पूछ लेते।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : हां, आपसे ही पूछ लेते। आप ही टोक देते कि इनकी मौजूदगी में नहीं हुई, यह ज्यादा अच्छा रहता। भरतपुर में था इसमें कोई सन्देह नहीं है। ज्यों ही मैं उस मण्डी यार्ड के दरवाजे पहुंचा तो पत्रकार मुझे मिले। पत्रकार नाराज थे इसमें कोई सन्देह नहीं है। मैंने उनसे कहा कि मैं इस मामले को देख रहा हूं क्या है, क्या नहीं है। मैं अन्दर चला गया और श्री दिग्विजयसिंह जी तथा माननीय उपाध्यक्ष महोदय खुद, दोनों ने उनसे बातचीत की और बातचीत करने के बाद वे अन्दर आ गये, अन्दर आने के बाद वे सारे कार्यक्रम में साथ रहे।

यह सही है कि गृह मंत्रीजी ने और मैंने, दोनों ने खेद व्यक्त किया था इसमें कोई सन्देह नहीं है। हमने कोई प्रतिष्ठा का प्रश्न नहीं बनाया कि पुलिस आफिसर ने किसी के साथ अभद्र व्यवहार किया है तो उसकी जिद करके बैठ जायं। लेकिन जहां तक जांच कराने का प्रश्न है, कार्यवाही कराने का प्रश्न है मैंने तो कोई आश्वासन दिया नहीं। यदि आश्वासन दिया हुआ होता तो मैं श्री नत्थीसिंह जी से पूछना चाहता हूँ कि 20 दिन की घटना के बाद में जब आज पत्रकारों ने भूख-हड़ताल या धरना देने की योजना बनाई तो उस समय क्यों बोले, पहले ही मुझे कहते कि इस मामले में कोई और कार्यवाही करनी है। (व्यवधान)...कोई प्रतिष्ठा का प्रश्न नहीं बनाया था। अब भी मैं समझता हूं कि श्री रामकिशन जी, आप और मैं, तीनों पत्रकारों से मिलकर टेलीफोन से या किसी तरह से बात कर लें कि उनकी मांग का समाधान किस प्रकार से हो सकता है। मुझे उसमें कोई प्रतिष्ठा का प्रश्न नहीं बनाना है। अभद्र व्यवहार हुआ उसके लिए मैंने खेद प्रकट किया और यदि वे उसकी

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

जांच कराना चाहते हैं तो उसमें भी मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी। अपन सब बैठकर बात कर लेंगे और उसको निपटाने की कोशिश करेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : श्री पूनमचन्द विश्नोई।

श्री पूनम चन्द विश्नोई (फलौदी) : उपाध्यक्ष महोदय, यह तो प्रसन्नता की बात है कि इस वर्ष सम्पूर्ण राजस्थान में बहुत ही अच्छी वर्षा हुई और अच्छी फसल हुई। कई जगह बाढ़ आयी और उससे भी नुकसान हुआ लेकिन मेरा चुनाव क्षेत्र एक ऐसा अभागा क्षेत्र है जिसमें इस साल भी कुछ गांवों में भयंकर अकाल हैं। ये 60-70 गांव हैं जिनमें फसल बिलकुल नहीं हुई और इनमें में कुछ गांव, जैसे कानासर, नेंवा, मड़वा, बुर्ज, अजेरी ये ऐसे गांव है जहां 11 साल तक बराबर बरसात नहीं नहीं हुई। इस क्षेत्र में भूजल है वह कड़वा है इसलिए लोग वहां तालाबों के पानी पर निर्भर हैं। कुएं वहां बन नहीं सकते। वहां पर सिंचाई के कुएं नहीं हैं, जिनसे कोई फसल ली जा सके या पेयजल प्राप्त किया जा सके। क्योंकि वहां थोड़े ही इलाके में अकाल पड़ा है इसलिए राज्य सरकार ने उतना ध्यान नहीं दिया है, क्योंकि मेरा इलाका एक विशेष तरीके का इलाका है। यहां पर बहुत से माननीय सदस्य बात करते हैं कि उनके यहां 3 किलोमीटर से जनता पानी ला रही है, 4 किलोमीटर से ला रही है। मैं कहता हूँ 3-4 किलोमीटर तो मेरे इलाके में आम बात है, 20 से 25 किलोमीटर दूर से पेयजल और पशुओं के लिए जल प्राप्त किया जाता है। एक ऊंट गाड़े पर आने वाली जो टंकी होती है वह 150-200 गैलन की होती है उसका 100 रुपया देना पड़ता है। मवेशी भी इतनी दूर जा करके पानी पीकर के वापस नहीं आ सकती। राज्य सरकार जब अकाल होता है तब तो पेयजल का प्रबन्ध करती है, टैंकर्स लगाती है, इस साल अभी तक कोई टैंकर्स वगैरह लगाये नहीं गये हैं। वर्षा वैसे अनूपगढ़ से लगाकर पाकिस्तान बोर्डर पर फलौदी तक के क्षेत्र में नहीं हुई है लेकिन वह क्षेत्र ऐसा है जिसके अन्दर राजस्थान नहर आ गई है इसलिए वहां मजदूरी भी खुली है, सिंचाई भी हो रही है, लेकिन मेरा जो यह प्रभावित क्षेत्र है वह ऐसा है जिसमें एक एकड़ भी सिंचित क्षेत्र नहीं है, न किसी तरह की मजदूरी है। चूंकि पेयजल जमीन में तो कड़वा है और बरसात से हुआ नहीं, इसलिए पेयजल की विकट समस्या है। मंत्री महोदया यहां विराज रही हैं, मैं उनसे विनम्र शब्दों में निवेदन करूंगा कि पेयजल का तुरन्त प्रबन्ध करें, टैंकर्स लगायें जैसे हमेशा लगाये जाते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : 295, श्री माहिर आजाद।

श्री हेतराम बेनीवाल : व्यवस्था का प्रश्न है।

सुश्री पुष्पा जैन (अकाल राहत मंत्री) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो अभी पेयजल के लिए कहा है, तो मुझसे आपने स्वयं ने फरमाया था कि कुछ गांवों में कुछ दिनों के लिए विशेष टैंकर्स लगाये जायं, मैंने तत्काल

(सुश्री पुष्पा जैन)

उसकी व्यवस्था करवा कर आपको भी जानकारी करवाई है। अगर आप और भी कहेंगे तो उसकी व्यवस्था करेंगे।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : वह ऐसा है कि एक गांव में, जाम्बे में मेला हो रहा है जहां पचास हजार लोग इकट्ठा होंगे उसके लिए मैंने आपको प्रार्थना-पत्र दिया था, मैं धन्यवाद देता हूँ कि उसके लिए प्रबन्ध दो-तीन दिन का आपने कर दिया लेकिन मैंने जो बात कही है वह पचास...

सुश्री पुष्पा जैन : और भी हम करवा देंगे। और भी जो आपकी पेयजल सम्बन्धी व्यवस्था है, टैंकर्स लगा देंगे।

श्री हेतराम बेनीवाल (संगरिया) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान के करोड़ों किसानों की जो फसलें तबाह हुई हैं उस सिलसिले में हमारा एक स्थगन प्रस्ताव था। फसल दो तरीके से तबाह हुई है, एक तबाह हुई है ओलों से और बहुत ज्यादा सर्दी होने से। सरसों की फसल कई स्थानों पर इस तरह से है कि बिल्कुल बरबाद हो गई। ओले जहां गिरे वहां पांच प्रतिशत भी फसल बाकी नहीं बची और सर्दी जहां हुई वहां चालीस प्रतिशत तक नुकसान हुआ है....

श्री उपाध्यक्ष : इस पर चर्चा हो चुकी है। सरकार...

श्री हेतराम बेनीवाल : नहीं, इस पर चर्चा नहीं हुई। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं यही तो कह रहा हूँ कि इस पर न शासन से कोई व्यवस्था हुई है न इस पर चर्चा हुई है। मुख्य मंत्रीजी उस दिन थे और माननीय पुष्पाजी थी, इन्होंने कहा कि हमारे पास सूचना आ रही है। क्या राजस्थान के अन्दर कोई सूचना अभी तक नहीं आई ? दूसरा मेरा था नहरी पानी की वजह से जो राजस्थान में नुकसान हुआ है, पानी हमारा डेमों में कम हुआ है। यह दोनों सवाल ऐसे अहम हैं जिनमें पूरे पश्चिमी राजस्थान और करोड़ों किसानों की फसलों के सवाल के बारे में राज्य सरकार द्वारा मुआवजा देने की बात थी। मुख्य मंत्रीजी ने उस पर एक प्रश्नचिन्ह लगाया था कि वह मुआवजा उस रूप में नहीं दे रहे। तो फिर निश्चित तौर से राज्य सरकार को चाहिये कि उस मामले में क्या कर रही है ? इस मामले में, मैं समझता हूँ कि आप व्यवस्था दें कि राज्य सरकार इन दोनों सवालों का कब जवाब देगी।

श्री भैरोंसिह शेखावत : उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक नहरों में पानी कम होने के कारण से नुकसान की बात हुई है, कल माननीय सदस्य मेरे से बात कर चुके हैं और आज मैंने उनसे कहा था कि सारी जो आपकी जानकारी है, मुझे लिख कर दे दें। अभी ग्यारह बजे मुझे लिख कर दी है और मैंने अभी सैक्रेटेरी इरिगेशन के पास भेजकर उसके ऊपर टेलीफोन से सारी जानकारी देने की बात कही है। माननीय सदस्य से मैं ऐसी आशा करता था कि कम से कम वह इतनी तो तसल्ली करते कि सब प्रकार की जानकारी मैं प्राप्त कर लेऊं।

श्री हेतराम बेनीवाल : नहीं-नहीं, ओलों वाली बात....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : दूसरा प्रश्न आता है ओलावृष्टि का, ओलावृष्टि के सम्बन्ध में मैं पहले भी हाउस में कह चुका हूं, आज भी कहता हूँ कि जो पुराने नार्म्स हैं मैं उनको बदलना चाहता हूं। अब बदलना मेरे अकेले के हाथ में नहीं है। पूरी रिपोर्ट आ जाय, मैंने 18 तारीख को मंत्रिमण्डल की बैठक रखी है, इस सारे इश्यू पर विचार करना है। पुरानी स्थिति में में क्या मुझे सहायता देनी है, यदि आप उसका वक्तव्य चाहते हैं तो अभी मैं तैयार हूँ, वक्तव्य देने में कोई संकोच नहीं होगा।

श्री नत्थी सिंह : पहले ही हो गया था, नये आधार पर करेंगे। आपने कहा था कि नये नार्म्स बना कर करेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : वह कहा है न कि 18 को मीटिंग...

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अब आप तो मन्त्रिमण्डल में रहे है, अकेले तो मैं कर नहीं सकता।

श्री नत्थीसिंह : अच्छा, 18 को कर दो।

श्री हेतराम बेनीवाल : ठीक, 18 को कर देना।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : 18 को मन्त्रिमण्डल की बैठक हो जाय, उसके बाद में आपके सामने रख दूंगा।

प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख

श्री उपाध्यक्ष : श्री मोहम्मद माहिर आजाद। (अनुपस्थित)।

श्री माँगीलाल मेघवाल।

केशोरायपाटन में डीजल पैट्रोल के वितरण में हो रही अनियमतिता

श्री मांगीलाल मेघवाल (केशोराय पाटन) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से इस तेल संकट के समय मेरे विधान सभा क्षेत्र में, जो ग्रामीण क्षेत्र हैं और कृषि का राजस्थान में एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है, उसमें डीजल पम्प के मालिक द्वारा बरती जा रही अनियमितता और कालाबाजारी से किसान परेशान हैं, इसके विषय में निवेदन करना चाहता हूं।

मान्यवर, मेरे विधान सभा क्षेत्र में तहसील मुख्यालय केशोरायपाटन स्थित एक मात्र डीजल पम्प है उसके मालिक मै. बंसल एण्ड ब्रदर्स हैं जो केशोराय पाटन के हैं। अभी जब से खाड़ी संकट के कारण मूल्य वृद्धि एवं तेल का अभाव रहा, इसकी ओट लेकर उन्होंने अपनी मनमानी की। हर रोज खाड़ी संकट की बात कर डीजल देने से मना करते रहे, इसकी ओट में कालाबाजारी करते रहे। इसकी जांच उपभोक्ताओं द्वारा शिकायतें करने पर स्थानीय सहायक कलक्टर महोदय द्वारा की गई। भारी-हेराफेरी की गई। रसीद बुकों में खाली रसीदें पायी गई जिन पर सहायक कलक्टर ने हस्ताक्षर किये हैं। दिनाँक 31.1.91 को सहायक कलक्टर महोदय ने नाप-बाट निरीक्षक श्री जे. के. शर्मा, बूंदी को बुला कर जांच करवाई जिसमें डीजल पम्प की सील टूटी मिली तथा 203 लीटर डीजल अधिक पाया गया। इन्हीं दिनों डीजल की भारी मांग थी, क्योंकि केशोराय

(श्री मांगीलाल मेघवाल)

पाटन में 700 ट्यूब वैल डीजल से चलाये जा रहे हैं। अनुमानित एक हजार के आस-पास क्षेत्र में किसानों के पास ट्रेक्टर होने से डीजल की भारी समस्या रही। स्थानीय केशारायपाटन के सहायक कलक्टर महोदय को इस डीजल पम्प के मालिक द्वारा मनमानी करने पर कृषक वर्ग ने सोने तक नहीं दिया। सहायक कलक्टर ने इस मामले को गम्भीरता से लिया जिसमें डीजल पम्प मालिक द्वारा बिलों में हेराफेरी, स्टाक रजिस्टरों में हेराफेरी तथा परमिटों पर फर्जी इन्द्राज पाया गया। इसकी रिपोर्ट स्वयं ए. सी. एम. महोदय ने दिनांक 2 फरवरी, 1991 को केशोरायपाटन पुलिस थाने में आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 के तहत एफ. आई. आर. दर्ज करवा कर की। इस मामले में कई किसानों ने जिला कलक्टर, बूंदी, मुख्य मंत्री, खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री केन्द्रीय पेट्रोलियम मंत्री, दिल्ली एवं जिला रसद अधिकारी को शिकायतें भेजीं और मांग की कि इस डीजल पम्प मालिक का लाइसेन्स खारिज किया जाय एवं बरती गई अनियमिताओं पर उचित कार्यवाही की जाय। परन्तु दुःख एवं अफसोस के साथ निवेदन है कि स्वयं जिला कलक्टर द्वारा पुलिस में मुकदमा दर्ज करवाने के बाद भी इस व्यक्ति के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं हुई और ना ही इसको गिरफ्तार किया गया। दुःख का विषय है कि सहायक कलक्टर अगर स्वयं रिपोर्ट करें और उस पर कोई कार्यवाही नहीं हो। मैं इस प्रस्ताव के माध्यम से सरकार से मांग करता हूँ कि तुरन्त इस व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाकर इसके खिलाफ उचित कार्यवाही की जाय और इसका लाइसेंस खारिज किया जाय। आपने समय दिया, इसके लिए धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री परसादी लाल मीणा।

पुलिस निरीक्षक की पदोन्नति में चयन मण्डल द्वारा किये गये कथित भ्रष्टाचार

श्री परसादीलाल मीणा (लालसोट) : उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान पुलिस में उप निरीक्षक पुलिस से पुलिस निरीक्षक की पदोन्नति के सम्बन्ध में चयन बोर्ड द्वारा भारी भ्रष्टाचार तथा अनियमिततायें की गई हैं। 17-18 सितम्बर, 1990 को पुलिस निरीक्षकों की भर्ती की लिखित परीक्षा ली गई थी। साक्षात्कार के लिए पुलिस चयन बोर्ड का गठन किया गया था जिसके अध्यक्ष, श्री वी. के. थानवी, महानिरीक्षक पुलिस थे। परीक्षा में कुल 360 उम्मीदवार बैठे थे, जिनमें से 190 परीक्षार्थी लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण किये गये थे। कुल पदों की रिक्तियों में से अनुसूचित जाति के 25 तथा जन-जाति के 18 पदों लिए चयन किया जाना था। लिखित परीक्षा में अनुसूचित जाति के 16 तथा जन जाति के 14 उम्मीद्वार सफल हुए थे। कुल रिक्त स्थानों की संख्या 59 थी। लिखित परीक्षा में 190 परीक्षार्थियों में से 92 आउट डोर परीक्षा में उत्तीर्ण घोषित किये गये जिनमें से अनुसूचित जाति के 9 तथा जन जाति के 6 उम्मीदवार थे। चयन

(श्री परसादीलाल मीणा)

बोर्ड द्वारा लिये गये साक्षात्कार में 60 उप पुलिस निरीक्षकों को पुलिस निरीक्षकों में पदोन्नत किया गया जिनमें से अनुसूचित जाति के 5 तथा जन-जाति के 4 उप पुलिस निरीक्षकों की पुलिस निरीक्षकों में पदोन्नति की गयी। अनुसूचित जाति तथा जन-जाति के कुल आरक्षित पदों, 43 में से केवल 9 उप पुलिस निरीक्षकों का पुलिस निरीक्षकों में चयन किया गया, शेष सभी आरक्षित पदों पर सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों का चयन कर रिक्त पदों को भर दिया गया हैं। इस प्रकार से आरक्षित पदों को सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों से भर कर चयन बोर्ड ने जान बूझकर अनुसूचित जाति तथा जन-जाति के उम्मीदवारों को आउट डोर परीक्षा तथा साक्षात्कार में अनुत्तीर्ण घोषित करने का उद्देश्य केवल सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों से भारी रकम लेकर चयन करने का उद्देश्य मात्र है। यदि अनुसूचित जाति तथा जन-जाति के योग्य उम्मीदवार उपलब्ध नहीं थे तो पदों को रिक्त क्यों नहीं रखा गया? पुलिस निरीक्षकों के चयन में 40-50 हजार की रिश्वत लेकर व्यापक तौर पर भ्रष्टाचार किया गया है। जिसकी शिकायत मैंने पूर्व में मुख्य मंत्रीजी तथा गृह मंत्रीजी को भी लिखित में की थी तथा सम्पूर्ण मामलें की जांच करने तथा आरक्षित पदों पर सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों का चयन निरहंत किया जाकर अनुसूचित जाति तथा जन जाति के योग्य उम्मीदवारों का चयन किया जायं।

श्रीमन्, लिखित परीक्षाओं में सामान्य वर्ग के चयनित पुलिस निरीक्षकों से अनुसूचित जाति तथा जन जाति के उप पुलिस निरीक्षकों के अधिक अंक प्राप्त किये हैं केवल आउट डोर परीक्षा की जाती है जिसके कारण अनुसूचित जाति तथा जनजाति के उप पुलिस निरीक्षकों को पुलिस निरीक्षकों में पदोन्नति से वंचित होना पड़ता है।

अतः उपरोक्त सम्पूर्ण मामले की जांच किसी निष्पक्ष एजेन्सी से करवाई जावे, आरक्षित पदों पर सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों को चयन को अविलम्ब निरस्त किया जावे तथा चयन बोर्ड के अध्यक्ष द्वारा की गयी अनियमितता तथा भ्रष्टाचार की जांच करवाई जावे।

श्री उपाध्यक्ष : श्री हजारीलाल।

विनोबनी महाविद्यालय खेतड़ी के नाम से हो रहे निर्माण कार्य में गलत तरीके से किसानों एवं हरिजनों की पट्टे शुदा भूमि को हड़प से असन्तोष

श्री हजारीलाल (खेतड़ी) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, विनोदनी महाविद्यालय खेतड़ी के नाम से जबरदस्ती करके गलत तरीके से किसानों व हरिजनों की कब्जे शुदा और पट्टे शुदा भूमि को हड़पने से हो रहे असन्तोष के क्रम में।

उपाध्यक्ष महोदय, खेतड़ी में विनोदनी महाविद्यालय के भवन का निर्माण हो रहा हैं। उपाध्यक्ष महोदय, श्रीमती विनोदनी श्री बी. एल. मेहरड़ा, सीनियर आई. ए. एस. आफिसर की धर्मपत्नी है तथा इनके ही नाम से इस महाविद्यालय का निर्माण हो रहा है।

[redacted]

(श्री हजारीलाल)

उपाध्यक्ष महोदय, श्री बी. एल. मेहरड़ा वर्तमान में रेवेन्यू बोर्ड, अजमेर में मैम्बर हैं तथा अपने पद का दुरुपयोग करते हुए दबाव व धोंस से किसानों एवं हरिजनों के कब्जे शुदा मकान एवं पट्टे शुदा मकानों को विनोदनी महाविद्यालय के नाम अलाट बताकर स्वयं बी. एल. मेहरड़ा एवं कालेज की प्रिंसिपल श्रीमती पन्चौरी दोनों ने मौके पर हाजिर होकर खेतड़ी कापर प्रोजेक्ट से एक विशेष बुलडोजर लाकर मकान तोड़े हैं एवं कब्जे शुदा भूमि पर बुलडोजर फेरा गया है।

उपाध्यक्ष महोदय, ग्रामीणों को डरा-धमका कर भयभीत कर रखा हैं। ग्राम राजोता में एक पुराना जोहड़ है जिसमें ग्राम के पशु पानी पीते हैं तथा वर्षों से पानी पीते आये हैं। अभी कुछ दिन पहले श्री बी. एल. मेहरड़ा व प्रिंसिपल दोनों जोहड़ पर चारदीवारी लगाने हेतु प्रयास किया, परन्तु गांव वालों ने उन्हें खदेड़ दिया ऐसी हालत में श्री बी. एल. मेहरड़ा ने गांव वालों पर झूठे मुकदमें लगाये हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, इतना ही नहीं पुरानी हवेलियां जो ग्राम राजोता में हैं, उनको तोड़ने की भी रोजना श्री बी. एल. मेहरड़ा एक डकैत की तरह रोबिली धौंस देते रहते हैं और कहते हैं ये सारी जमीन कालेज की जमीन है। इन सब मकानों को तोड़ूंगा तथा यहां पर स्वीमिंग पूल बनाऊंगा। इस तरह गांव को भयभीत कर रखा है।

उपाध्यक्ष महोदय, इसी कालेज के नाम से एक गेस्ट हाउस डाडा फतेहपुरा बांध पर बनाया गया है। सम्वत् 2044 में इस गेस्ट हाउस पर अकाल राहत का 1,69,000 रुपये खर्च हुआ है। इसी तरह अकाल राहत के तहत ही 2044 में 1,71,000 रु. लगे हैं एवं इसी कालेज में 1,52,000 रुपये का खर्चा हुआ है भवन निर्माण हेतु।

उपाध्यक्ष महोदय, 4,92,000 रुपये का सरकारी खर्च होने के बाद भी सरकार का इस कालेज में कोई हस्तक्षेप नहीं है। यहां तक कि इस कालेज के प्रिंसिपल के पद पर एक पी. टी. आई. की डिप्लोमा-धारी विराजमान हैं जो कि इस कालेज में पी. टी. आई. बनकर आयी थीं, वह दुर्भाग्य से वर्तमान में वे प्रिंसिपल हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि क्या ये प्रिंसिपल इस पद हेतु योग्य हैं? क्या ये कालेज में व्यवस्था व शिक्षा दे सकती हैं?

उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करता हुआ मांग करता हूँ कि उक्त महाविद्यालय की जांच करवाते हुए प्रिंसिपल व व्याख्याताओं के पद योग्यता के अनुसार भरे जावें तथा कालेज के विद्यार्थियों से विकास फण्ड के नाम से हो रही वसूली इसकी जांच की जावे कि इस फण्ड का उपयोग कहां किया जा रहा है।

उपाध्यक्ष महोदय, इस तरह हो रही एक अधिकारी की मनमानी को रोका जायं अन्यथा क्षेत्र की जनता, विद्यार्थियों में भारी असन्तोष है तथा कालेज की इसी

(श्री हजारीलाल)

तरह बिगड़ती हुई हुई हालत रही तो कभी भी बहुत बड़ा हादसा हो सकता है।

उपाध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि समय रहते हुए व्यवस्था सुधारने एवं इस कालेज को सरकारी कालेज बनाये जाने की कृपा करें।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामकिशोर सैनी।

जयपुर शहर में आटो रिक्शा चालकों द्वारा यात्रियों से मनमाना किराया वसूली

श्री रामकिशोर सैनी (बांदीकुई) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जयपुर शहर में आटो रिक्शा चालकों द्वारा यात्रियों से, मोटर से किराया वसूल न कर मनमाना किराया वसूलने के क्रम में नियम 295 के अन्तर्गत में सदन का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जयपुर शहर जो राजस्थान की राजधानी है एवं जहां हजारों व्यक्ति प्रतिदिन जयपुर शहर में अपने विभिन्न कार्यवश आते रहते हैं। लेकिन जयपुर शहर के आटोरिक्शा चालकों द्वारा यात्रियों से मीटर से किराया न लेकर मनमाने तौर पर किराया वसूलते हैं जिससे यात्रियों को अधिक आर्थिक भार के साथ-साथ असुविधा तो होती ही है, उनका शोषण भी होता है। साथ ही उल्लेखनीय है कि आटोरिक्शा चालकों का व्यवहार भी यात्रियों के प्रति ठीक नहीं रहता है और यात्रियों को आटो रिक्शा में मिलने वाली पूर्ण सुविधा का अभाव रहता है।

यातायात विभाग का आटोरिक्शा चालकों पर प्रभावी नियंत्रण नहीं होने तथा यातायात विभाग के निरीक्षकों की मिलीभगत होने के कारण आटोरिक्शा चालकों को यात्रियों से मनमानी राशि वसूलने में किसी प्रकार की हिचकिचाहट नहीं होती।

सदन में इस मुद्दे पर कई बार चर्चा हो चुकी है तथा आटोरिक्शा चालकों के इस आचरण के बारे में ध्यान आकर्षित किया जा चुका है, किन्तु समस्या वहीं की वहीं हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यातायात मंत्री महोदय से निवेदन करना करना चाहता हूँ कि यातायात विभाग के निरीक्षकों को इस तरह के निर्देश जारी करें कि जो भी आटो रिक्शा चालक यात्रियों से किराया मीटर के अनुसार नहीं लेता हुआ पाया जायेगा, उसका लाइसेंस तुरन्त जब्त कर लिया जावे तथा भविष्य में उसे वाहन चालन का लाइसैन्स नहीं दिया जावे। इसके लिए यातायात निरीक्षकों की टोलियां शहर में समय-समय पर निरीक्षण करती रहें, तो आटो रिक्शा चालकों पर कुछ हद तक नियंत्रण रखा जा सकता है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री गुलाबसिंह राजपुरोहित।

सुमेरपुर (पाली) की पेयजल समस्या

श्री गुलाबसिंह राजपुरोहित (सुमेरपुर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं नियम 295 के अन्तर्गत मेरे विधान सभा क्षेत्र सुमेरपुर की पेयजल के सम्बन्ध में विशेष उल्लेख के जरिये आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ।

सुमेरपुर विधान सभा क्षेत्र में पेयजल की विकट समस्या पहले से ही बनी हुई है। लोग 5-5 किलोमीटर दूर से तालाबों, पोखरों का पानी लाकर पीने को मजबूर हैं। आधे से अधिक क्षेत्र में खारे या फ्लोराइड युक्त पानी है जिससे वह पानी पी नहीं सकते हैं या पीने पर उनके अंग विकृत हो जाते हैं। फ्लोराइड युक्त पानी वाले गांवों में चेनपुरा, बोरायी, चाणोद, अनोपपुरा, बिट्टड़ा, घणा दौलपुरा, बद्‌ली, पिचावा, मनिहारी, भावरी आदि प्रमुख हैं और वहां पर पेयजल की विकट समस्या बनी हुई है।

पेयजल संकट निवारण के लिए सुमेरपुर साण्डेराव में फिल्टर प्लान्ट योजना स्वीकृत होने के बावजूद आज तक कार्य नहीं हो पाया है। इसी तरह बाबागांव, चाणोद की 68 लाख रुपये की योजना तथा गुडिया, मोरडू, पोपाण की 2.6 लाख की, दुजाना 6.40 लाख, बाकेली 6.15 लाख, भारून्दा 5.79 लाख, सिन्दक 3.35 लाख, बसन्त 4.30 लाख, कानपुरा फतापुरा सलोदरिया 6.50 लाख, कोरटा 4.41 लाख, पालड़ी 5.55 लाख, बलाना 3.50 लाख, हिंगोला 9.98 लाख, राजपुरा गोगरा की 15.42 लाख आदि योजनाओं की प्रशासनिक स्वीकृति होने के बावजूद तकनीकी स्वीकृति के अभाव में लटकी पड़ी हैं।

चाणोद के क्षेत्र में खारे पानी की विकट समस्या है जिसके सन्दर्भ में मेरा निवेदन है कि वहां पर काफी गहराई तक ट्यूब वैल खोदे जायें तो सम्भव है मीठा पानी उपलब्ध हो और ग्रामीण व काश्तकार कुएं आदि खोदने की हिम्मत कर सकें। इसी तरह गत जुलाई में बाढ़ के समय से उखड़ी पाइप लाइन आज तक दुरुस्त नहीं करवाई गई है जिससे सातो सुन्देलाव, साकदड़ा आदि गांवों में पेयजल संकट का सामना करना पड़ रहा है। मेरे क्षेत्र खाण्डेराव, भांवरी मनिहारी, डेण्डा, कूरनाहाथलाई, तोगावास, गोदावास, उरी दयालपुरा, मादड़ी, कानलाव, साली, सुण्डेराव भावनगर गुड़ा, प्रतापसिंह गिरवर ढाणी, पैणाव गोगरा हिंगोला, राजपुरा मोरडू, भारून्दा, बिरानी, जेनपुरा, केनपुरा, ढोलगुडिया, बसाना, दुजाना, तखतगढ़, सुमेरपुर, मोकमपुरा, माताजी का बाड़ा, घाणदा सरखेजड़ा, बनणिया खीमेत अनोपपुरा, बड़गावड़ा, पियावा, लामोद आदि गांवों में पेयजल का गम्भीर संकट ग्रीष्मकाल में और भी गहरायेगा। इस संकट निवारण के लिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इन लम्बित योजनाओं की तुरन्त स्वीकृति दी जाकर शीघ्र ही अपेक्षित कार्यवाही की जावे।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, खारे तथा फ्लोराइड युक्त पानी से निजात दिलाने के लिए वहां स्थानीय स्तर पर मीठे पानी के स्रोत खोदने के लिए व्यापक प्रयास किये

(श्री गुलाबसिंह राजपुरोहित)

जावें। पेयजल की समस्याओं से मंत्री महोदय तथा विभागीय अधिकारी को कई बार मौखिक व लिखित निवेदन कर चुका हूँ, किन्तु खेद है कि अपेक्षित कार्यवाही आज तक नहीं की गई। इस दृष्टि से मेरा निवेदन है कि पेयजल संकट के निवारण के लिए सरकार विशेष ध्यान देकर ग्रीष्म ऋतु से पूर्व लोगों को पेयजल मुहैया करवाये जाने की कार्यवाही करावें।

श्री उपाध्यक्ष : श्री हरिशचन्द्र कुमावत।

नावां तहसील में पीने के पानी की समस्या

श्री हरिशचन्द्र कुमावत (नावां) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस विशेष उल्लेख प्रस्ताव के जरिये नावां तहसील में पीने के पानी की समस्या के समाधान हेतु राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

महोदय, नावां तहसील क्षेत्र में लम्बे अर्से से निर्मित ट्यूब वेल अभी तक चालू नहीं किये गये हैं जिससे कुचामन, लालास, खोरण्डी, ठिकरिया (भीण्डा), राणासर, रजालिया आदि गाँवों में पीने के पानी की किल्लत बनी हुई है। ग्राम पंचायत भांवता में हरिपुरा में टंकी बना दी गई है मगर पाइप लाइन से जोड़कर पानी देना चालू नहीं किया गया है। केरपुरा में टंकी बना दी गई, कुआं एवं पानी है उसमें जोड़ने के लिये विद्युत मोटर व सामान आदि लाया जाकर अभी तक इसे चालू नहीं किया गया है। पंचायत खारड़िया में ग्राम गुढ़ा में बवली से पानी पहुंचाया जा सकता है पाइप लाइन डालकर वहां कार्य नहीं किया गया है जबकि मीठडी से खारड़िया होकर जाने वाली पाइप लाइन का बवली गुढ़ा तक पानी पहुंचाया जा सकता है लेकिन अभी तक काम चालू नहीं किया गया है। ग्राम ठिकरिया (भीण्डा) की योजना बना कर भेजी गई अभी तक स्वीकृत होकर वहां काम चालू नहीं किया गया है। ग्राम गुढ़ा साल्ट में पीने का पर्याप्त पानी नहीं है उसके लिए अभी तक पुख्ता स्रोत की व्यवस्था नहीं की गई है। ग्राम पंचायत अडकसर के ग्राम दौलतपुरा में इस गांव के लोगों द्वारा निजो जल व्यवस्था बना रखी है, परन्तु अब यह चलाना उनके बस की बात नहीं है। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा इस ओर ध्यान में रख कर वहां अपनी ओर से कोई व्यवस्था नहीं की जा रही है। कुचामन शहर एवं नावां शहर की बढ़ी हुई आबादी के अनुरूप मौजूदा जल योजनाओं के विस्तार हेतु नावां क्षेत्र नवीन गांवों व बड़ी ढाणियों में पीने का पानी उपलब्ध कराने हेतु योजनाएं बनाकर भेजी गई हैं, परन्तु अभी तक उनकी स्वीकृति नहीं हुई है। इससे वहां पीने के पानी की समस्या का समाधान नहीं हो रहा है। अब गर्मी का मौसम प्रारम्भ होने वाला है वह इस कार्य में किसी प्रकार का विलम्ब किया गया तो ग्राम लोगों को पीने के पानी की बड़ी किल्लत होगी। इसी प्रकार राजलिया से मुआणा तक अभी तक पाइप लाइन नहीं डाली गई है। अतः मैं इस प्रस्ताव के जरिये राज्य सरकार का ध्यान

(श्री हरिशचन्द्र कुमावत)

आकर्षित कर अनुरोध करना चाहूँगा कि इस समस्या का शीघ्र समाधान किया जाय और जो अधूरे कार्य वहां हैं वह शीघ्र पूरे कराये जायें ताकि वहां की समस्या का समाधान हो सके।

श्री उपाध्यक्ष : श्री जीतमल जैन।

पुलिस जीप से बालक की मृत्यु

श्री जीतमल जैन (अलवर) : उपाध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया एवं कार्य संचालन के नियमों के नियम 295 के अन्तर्गत आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि दि. 9-5-88 को मुण्डावर (जिला सवाईमाधोपुर) कस्बे में अपराह्न 4.30 बजे पुलिस गाड़ी नम्बर आर. एस. बी. 3508 तेज गति से थाने की ओर से आती हुई बस स्टेण्ड के पास पूर्व प्रधान, श्री रामस्वरूप की दुकान के पास खड़े बालक मिन्टू पुत्र श्री आर. पी. कोठारी को टक्कर दी। जीप की टक्कर से बालक मिन्टू की घटना स्थल पर ही मृत्यु हो गई। टक्कर देने के पश्चात् ड्राइवर जीप को भगाकर ले गया। मानवीय आधार पर जीप रोकर चोटग्रस्त व्यक्ति को संभालने की भी आवश्यकता नहीं समझी। जीप गाड़ी पुलिस की थी एवं एस. एच. ओ. अन्य पुलिस कर्मियों सहित गाड़ी में बैठे थे। पुलिस अधिकारी के उक्त अमानवीय व्यवहार ने जनता को उत्तेजित कर दिया एवं जनता का एक समूह एकत्रित होकर पुलिस थाने पहुंचा। वहां पुलिस के अमानवीय व्यवहार के लिये पुलिस को धिक्कारने लगी। पुलिस अधिकारी एवं अन्य कर्मचारीगण अपने व्यवहार के लिये खेद प्रकट करते एवं लज्जा का अनुभव करते उसके बदले वहां एकत्रित जनता के साथ अभद्र व्यवहार किया। फलस्वरूप जनता अधिक उत्तेजित हो गई और वहां थाने में खड़ी जीप में आग लगा दी। थाने में एकत्रित जन साधारण से लक्ष्मणगढ़ पंचायत समिति के प्रधान, श्री रामस्वरूप व अन्य संभ्रांत नागरिक थे। पुलिस ने प्रधान, श्री रामस्वरूप सहित 13 लोगों के विरुद्ध रपट दर्ज करली। प्रधान, श्री रामस्वरूप ने उच्च न्यायालय में अपनी अग्रिम जमानत की अर्जी दी। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश ने जमानत मंजूर करके पुलिस व्यवहार एवं जनता की मनोदशा पर अपनी निम्न टिप्पणी की है :—

"That was a natural reaction of the people, particularly in the case where a senior police officer of the rank of S. H. O. of Police Station runs away from the scene of the commission of crime and no respect even for an injured"

आगे लिखा है :—

"Infact it is F. I. R. No. 35/88 of the Police Station Mandwar which requires a serious investigation into the conduct of S. H. O. Mahua, by an independent officer of the Crime Branch."

अब जानकारी मिली है कि पुलिस उन व्यक्तियों के विरुद्ध चालान पेश कर

(श्री जीतमल जैन)

रही है जिनके विरुद्ध जीप जलाने का आरोप है। लेकिन आश्चर्य का विषय है कि इस चालान में से श्री रामस्वरूप, प्रधान लक्ष्मणगढ़ को अलग कर दिया गया है जिनको पुलिस ने प्रथम अपराधी माना था एवं उनके नाम से एफ. आई. आर. दर्ज की गई थी। यह केवल आश्चर्य नहीं बल्कि दुख का विषय है कि पुलिस ने अमानवीय कृत्य के लिये लज्जा अनुभव करने के स्थान पर दे लज्जित तरीके से कुछ लोगों के विरुद्ध मुकदमें का चालान पेश कर रही है। ऐसे काण्ड ही पुलिस की छवि को बिगाड़ते हैं। मैं इस चालान को रोकने का अनुरोध करूंगा एवं दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने की मांग करता हूँ।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रमाकांत।

थानागाजी (अलवर) में ग्राम सहकारी समितियों की दुर्दशा

श्री रमाकांत शर्मा (थानागाजी) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं थानागाजी विधान सभा क्षेत्र में ग्राम सहकारी समितियों की दुर्दशा है उसके बारे मे नियम 295 के तहत राज्य सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, थानागाजी पंचायत समिति क्षेत्र में कुल चौदह ग्रामीण सहकारी समितियां जीवित हैं। कुछ समितियां अवसायन में लायी जा चुकी है। सम्भवतः किसी ग्रामीण सहकारी समिति को निष्क्रिय तो घोषित किया जा सकता है, परन्तु गबनकर्ताओं को संरक्षण देने हेतु बड़े दुर्भाग्य की बात है कि ग्रामीण सहकारी समितियों को अवसायन में ला दिया गया है जिसके कारण सम्बन्धित गांवों के किसान ऋण एवं अन्य सुविधाओं से वंचित रह गये। ऋणदात्री प्राथमिक सहकारी समितियों की विचाराधारा में मुझे पूर्ण विश्वास है, इसमें कभी भी किसी ने अवसायन की कल्पना नहीं की होगी। चालू चौदह ग्रामीण सहकारी समितियों ने आज तक कभी भी किसानों की खरीफ अथवा रबी में समय पर ऋण नहीं दिया। खरीफ का ऋण सितम्बर में और रबी का दिसम्बर के अन्त में दिया जाता रहा है। परिणामस्वरूप किसान एक ओर ऊंची ब्याज दरों पर बुआई के समय साहूकारों से ऋण ले रहा है और दूसरी ओर सहकारी समिति से जो ऋण प्राप्त होता है वह उसके घरेलू उपयोग में काम में आ जाता है और इस प्रकार से थानागाजी क्षेत्र के किसान की दोहरे ऋण के बोझ से कमर टूट गई है। जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक अलवर एवं क्षेत्र के व्यवस्थापक जब अप्रेल में फसल पककर खलिहान में आती है तो उस समय नींद में सोये रहते हैं। जून के महीने में जब किसान के पास फसल की कमाई का कुछ नहीं बचा होता है तब ऋण वसूली की जाती है और जो भी ऋण वसूल हो पाता है उसी के आधार पर ऋण साख सीमा के प्रपत्र बनाये जाते हैं और इस प्रकार की दोषपूर्ण प्रक्रिया के अन्तर्गत अवश्यम्भावी है कि रबी का ऋण जनवरी से पहले मिल ही नहीं सकता। केन्द्रीय बैंक का समितियों के अध्यक्षों से कोई सम्पर्क नहीं है। समिति के अध्यक्षों एवं व्यवस्थापकों के बीच भी

(श्री रमाकांत शर्मा)

कोई समन्वय नहीं है। व्यवस्थापक जिनका वास्तव में समिति के प्रति उत्तरदायित्व होना चाहिये उनको दोषपूर्ण व्यवस्था के अन्तर्गत बैंक के प्रति उत्तरदायी बनाया गया है और वास्तव में वे किसी के प्रति उत्तरदायी नहीं हैं। सरकारी विभाग द्वारा कैडर अथारिटी के बारे में कोई निर्णय न लेने के कारण आज तक व्यवस्थापकों के बारे में यह तय नहीं हो पाया है कि वे वास्तव में किस समिति की सेवा में हैं हैं और इसका परिणाम है कि उनमें अपने कर्तव्यों के प्रति कोई भावना की मानसिकता ही पैदा नहीं हुई है।

थानागाजी क्षेत्र के ग्रामीण सहकारी समितियों को कई वर्षों पूर्व उपभोक्ता सामग्री के व्यापार हेतु पांच हजार रुपये मार्जिन मनी मिला था। जिसके आधार पर उन्हें करीबन एक लाख रुपये की केन्द्रीय बैंक से साख सीमा मिलनी थी, परन्तु ना इस प्रक्रिया का किसी व्यवस्थापक को पता है और ना ही किसी अध्यक्ष को। उपाध्यक्ष महोदय, पांच हजार रुपया जिला उपभोक्ता भण्डार के पास चला गया और जिन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिये योजना वर्षों पूर्व बनाई गई थी वह कागजों में ही रह गई। उपभोक्ता भन्डारों को ग्रामीण सहकारी समितियों की साख सीमा के आधार पर क्रेडिट पर उपभोक्ता वस्तुओं को देना था उस दिशा में आज तक कभी कुछ नहीं हुआ।

ग्रामीण सहकारी समितियों का क्रय विक्रय सहकारी संघ के साथ भी कुछ इस ही तरह का दोषपूर्ण सम्बन्ध है। थानागाजी में क्रय विक्रय की अपनी दुकान खाद का एक कट्टा किसान को 118 रुपये में देती है जब कि ग्रामीण सहकारी समिति को वह 120 रुपये में दिया जाता है जिसे वह किसान को 122 रुपये में बेचता है, जिसका परिणाम ग्रामीण सहकारी समिति के गोदामों में बिना बिके कट्टे पड़े रहते हैं और खराब हो रहे हैं और उनको जो दी गई धनराशि है उस पर ब्याज बढ़ता चला जा रहा है।

दस्तकारों से हिस्सा राशि ले ली गई है, परन्तु उन्हें ऋण आज तक नहीं दिया गया है। तत्कालीन अध्यक्ष ने जो भी जिला के लक्ष्य तय किये गये थे, थानागाजी को छोड़कर अन्य पंचायत समिति क्षेत्रों में बांट दिये गये। लक्ष्यों का 80 प्रतिशत केवल मात्र एक मुण्डावर तहसील में चला गया।

आज तक कभी थानागाजी क्षेत्र की ऐसी कल्पनातीत ग्रामीण सहकारी समिति की दुर्व्यवस्था हेतु सहकारी विभाग का कभी कोई अधिकारी देखने नहीं गया। यदि यही सहकारी विभाग की प्रशासनिक व्यवस्था रही तो सहकारिता के माध्यम से किसान को साधन उपलब्ध कराकर जो उत्पादन बढ़ाने की कल्पना थी वह कोरी कल्पना ही रह जायेगी और समय-समय पर जनता के खून पसीने की कमाई से प्राप्त राजस्व कर अन्तर्गत प्राप्त धनराशि समय समय पर ऋण माफी योजनाओं के द्वारा नाली में बह जायेगी। ना उत्पादन बढ़ेगा, ना किसान कभी ऋण मुक्त होगा। मैं

(श्री रमाकांत शर्मा)

सहकारिता विभाग का थानागाजी क्षेत्र की दुर्दशापूर्ण हालात की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं और मांग करता हूं कि इस ढांचे को तत्काल सम्भाला जाय। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मोहम्मद माहिर आजाद।

जिले झुंझुनूं की पेयजल समस्या

श्री मोहम्मद माहिर आजाद (झुंझुनूं) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से प्रक्रिया के नियम 295 के तहत झुंझुनूं की पेयजल समस्या की तरफ जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री का ध्यान दिलाना चाहता हूँ।

झुंझुनूं जिला और विशेषकर झुंझुनू विधान सभा क्षेत्र की अप्रर्याप्त पेयजल आपूर्ति तथा झुंझुनू के अनेकों गांवों में बड़ी मात्रा में किये गये धन के अपव्यय तथा उससे निर्मित पानी की टंकियों (उच्च जलाशय) जिन पर सरकार का लाखों रुपया बर्बाद हुआ है और आज उन जलाशयों का निर्माण तो विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत कर दिया गया है लेकिन वर्षों बाद भी आज तक उनमें जल संचय तथा उनके द्वारा जल वितरण की कार्यवाही नहीं हो पाई है बल्कि किसानों ने ओवर हैड टंकों से छाने घाप रखें हैं, कई स्थानों पर पशुओं का चारा भर कर रखा हुआ है। जैसे-ग्राम अजाड़ी कलां, देवीपुरा, हमीरनास (बजावा) चनाना, इस्लामपुर, जखोड़ा, बदनगढ़, बीवासर, किशोरपुरा, कैरपुरा तथा अन्य कई ग्रामों में इसी तरीके की स्थिति है।

जहां तक झुंझुनू शहर का सवाल है, इसमें भी खोरा मोहल्ला, मोहल्ला बंटवाला का, श्रीमालों का मोहल्ला, चोमालों का मोहल्ला न्यू कालोनी, हाऊसिंग बोर्ड, व्यापारियों का मोहल्ला, काजीवाड़ा मोती सिंह की ढाणी आदि मोहल्ला में पेयजल आपूर्ति नाम मात्र की ही की जाती है। वहां के निवासियों ने अपने पीने के कनेक्शनों के स्थान पर 5-5, 6-6 फीट गहरे गड्ढे खोद रखे हैं, जिनमें महिलायें और बच्चे पानी का प्रेसर नहीं आने के कारण लोटा भर-भर कर बड़ी मुश्किल से काम चलाते हैं।

मैं माननीय मंत्री महोदय तथा सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित कर निवेदन करता हूँ कि गर्मी का मौसम आ रहा है और इस स्थिति में पानी के लिए त्राहि-त्राहि मचेगी, इसलिए सरकार को समय रहते ही इस प्रकार के प्रबन्ध कर नई पाइप लाइन डालकर प्रयास करना चाहिए कि लोगों को पर्याप्त एवं आवश्यक मात्रा में पेयजल आपूर्ति की जा सके।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मनोहरसिंह इन्दा।

शेरगढ़ (जोधपुर) में सड़कों की व्यवस्था

श्री मनोहरसिंह इन्दा (शेरगढ़) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रक्रिया के नियम 295 के उल्लेख में मेरे विधान सभा क्षेत्र

(श्री मनोहरसिंह इन्दा)

शेरगढ़ में ग्रेवल सड़कें बनवाने व पुरानी सड़कों को रिपेयर करने के बारे में मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, मेरा विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ जो थार के रेगिस्तान में एक बड़े भू-भाग पर विस्तृत है, यहां की आबादी 95% ढाणियों में आबाद है तथा दूर दराज के लोग आवागमन के साधन नहीं होने के कारण बिना सड़क परिवहन के साधन उपलब्ध होने के कारण मुश्किल में हैं। इसलिए, श्रीमान, मेरा आग्रह है कि विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ में ग्रेवल सड़कों के निर्माण की स्वीकृति प्रदान करावें तथा साथ ही जो पुरानी ग्रेवल सड़कें बनी हुई हैं, जो गर्मी के समय धूल भरी आंधियों के कारण सारी परिवहन व्यवस्था बिगड़ जाती है तथा गर्मी के समय धूल भरी हवाएं चलने के कारण सड़कों पर तमाम मिट्टी आ जाने के कारण लोगों को भारी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। इस लिए, श्रीमान, मेरा निवेदन है कि फलौदी की रोड़ से बस्तवा माताजी का श्रम करावें ताकि करीब 15-20 गांवों को सीधा तहसील हैडक्वार्टर से सम्पर्क हो सकता है तथा करीब 15-20 गांवों को इस पर कार्य शुरू होने पर रोजगार मिलेगा तथा सरकार में वैसे ही रिंग रोड की प्रथम प्राथमिकता है और यह एक प्रकार की रिंग रोड होगी जो 15-20 गांवों को सीधा तहसील हैड क्वार्टर से जोड़ेगी। दूसरी सड़क बेलवा ग्राम पंचायत से बेलवा राणी जी का वास साढे चार, कि. मी. स्वीकृत कराने का श्रम करें ताकि यहां की करीब तीन हजार की आबादी लाभान्वित हो सके तथा कच्चा कार्य होने पर यहां के लोगों को रोजगार भी मिल सके तथा कच्ची सड़कों की मरम्मत का कार्य भी जल्दी कराने के आदेश प्रदान करावें ताकि आगे आने वाले गर्मी के मोसम में धूल भरी आंधियों से मार्ग अवरुद्ध न हो सके। गर्मी के समय यहां सड़कों पर भारी मात्रा में रेत आ जाती है तथा इस समय चलने वाली गाड़ियों को बन्द होना पड़ता है इस लिए श्रीमान से मेरा आग्रह है कि विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ में नई ग्रेवल सड़कों के निर्माण की स्वीकृति प्रदान करावें तथा पुरानी सड़कों के रिपेयर के आदेश का श्रम करावें।

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

पंचायत समिति शिव में ग्रामीण विद्युतीकरण योजना का पूर्ण न होना

श्री उपाध्यक्ष : ध्यानाकर्षण प्रस्ताव। श्री अमीन खां।

श्री अमीन खां (शिव) : उपाध्यक्ष महोदय, बाड़मेर जिला रेगिस्तानी जिला है और इस जिले में आठ पंचायत समितियां हैं, जिनमें से सात ग्रामीण पंचायत समितियों सन् 1980 से समस्त ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के तहत स्वीकृति हो चुकी लेकिन पंचायत समिति, शिव मात्र एक ऐसी रही जिसमें ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के तहत राज्य सरकार से एक भी से एक भी गांव स्वीकृति नहीं हुआ भारत सरकार से।

(श्री अमीन खां)

1978-79 में जलदाय विभाग की डिमाण्ड पर विद्युत बोर्ड ने कोडू, भींयां, और शिव कानासर...

श्री हेतराम बेनीवाल : माननीय उपाध्यक्ष जी, बिजली मंत्री तो है ही नहीं।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : मैं लिख रहा हूँ।

श्री अमीन खां : और गडरा रोड, गेराप जहां पर बड़े-बड़े जनरेटर सैट डीजल के पी. एच. ई. डी. को चलाने पड़ते थे। उस जगह 78-79 में 6-7 गांवों में एक लाइन 11 के. वी. की है उसके बाद में राज्य सरकार की तरफ से जितने भी समस्या ग्रस्त ग्राम थे उनकी पेयजल योजनाओं को चलाने के लिए जलदाय विभाग करीब-करीब फैल रहा और अधिकारियों ने लगातार जलदाय योजनाओं को सुचारु रूप से चलाने के प्रयास किये मगर वह सही नहीं चली। उसके कारण इस क्षेत्र में विद्युत का कोई इन्तजाम नहीं था और अकेली एक पंचायत समिति शिव में विद्युतीकरण योजना के तहत कोई योजना स्वीकृत नहीं हुई थी और केवल वाटर वर्क्स की डिमांड जमा करने के बाद मामूली लाइन से बाकी योजनाओं को चलाने के लिए उनके पास पावर नहीं था। उसके तहत वाटर वर्क्स की सिफारिश और उनकी मांग के ऊपर एक सर्वे किया गया और उस सर्वे में 1984 में 19 गांवों की एक स्कीम पंचायत समिति शिव की जलदाय विभाग के नोट को मानते हुए स्वीकृति की गई और जलदाय विभाग को सुचारू रूप से बनाने के लिए 33 के. वी. का सब स्टेशन चेतरोड़ी में कायम करने का प्रावधान किया गया। जिसके द्वारा साउथ गेराप, सलाड़िया योजना जिसके तहत 38 गांव आते हैं। गेराप खड़ीन योजना, गेराप विस्तार खड़ीन योजना और गेराप चेतरोड़ी योजना, शाहपुरी ग्राम बामण योजना, तुड़बी-हरसानी योजना को चलाने के लिए इन्होंने 33 के. वी. का चेतरोड़ी के सब स्टेशन से माकूल इन्तजाम महसूस किया। यह स्कीम दिसम्बर 1984 में स्वीकृत हुई थी। उस 33 के. वी. सब स्टेशन का काम आज तक पूरा नहीं होने से ये जितनी भी जलदाय योजनायें हैं, वे पूरा वोल्टेज नहीं मिलने के कारण से रेगिस्तान में फैल हैं। उपाध्यक्ष महोदय, दूसरी बात है, आज के युग में न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के तहत इस आजादी के युग में हर ग्रामीण कहीं चक्की लगाना चाहता है, रोशनी चाहता है और छोटे-मोटे काम के लिए बिजली चाहता है। मैं सरकार से यह चाहता हूँ कि मात्र एक समिति को ही नजर अन्दाज क्यों किया जा रहा हैं? मैं यह महसूस करता हूँ कि इस समिति को इसलिए नजर अन्दाज किया जारहा है कि मैं एक मात्र चारों तरफ से अकेला कांग्रेसी सदस्य हूँ। इसलिये इतनी बड़ी योजनाओं को फैल करने के लिए अन्य 33 के. वी. के सब स्टेशन हैं, उनसे एक जगह से दूसरी जगह हजारों कनेक्शन देने की बात होती है। यहां हजारों कनेक्शन की डिमान्ड नहीं और इस तहसील में सन् 81 की जनगणना के अनुसार 85 रेवेन्यू ग्राम थे। उसमें से 19 गांव स्वीकृत हुए और सन् 1991 की अभी जो जनगणना हुई है, उसके तहत में

(श्री अमीन खां)

अब 168 गांव हो चुके हैं। इस 168 गांवों की विद्युतीकरण की योजना को क्यों नहीं शामिल किया जाता जबकि दूसरी समितियों के लिए योजनायें बनाई जा रही हैं?

नम्बर दो, पूर्व में मैंने यह बात कही कि इस पंचायत समिति के अन्दर करोड़ों रुपयों की जलदाय विभाग की योजनायें हैं, जिनमें 150 गांवों में पीने का पानी पंचायत समिति बाड़मेर और बायतू के गांवों को यहां से सप्लाई किया जाता है क्योंकि उन समितियों में पानी का सोर्स नहीं है, समिति के गांवों में अच्छे पानी का सोर्स है तो कम से कम पीने के पानी की योजना चलाने के लिए यहाँ जो विद्युत की जरूरत है, वह क्यों नहीं दी जाती है?

इसके अलावा, वाटर वर्क्स में पैसा जमा होने के बाद से बूंठिया से गड़ानियों का पार में एक लाइन खींच दी गई आर. ई. सी. वालों ने। उसके बाद में उस लाइन के तारों को लोग चोरी करके ले गए और आज तक जलदाय विभाग का पैसा यों ही बरबाद हो गया। विद्युत विभाग ने भी कोई दूसरा इतन्जाम नहीं किया और न ही उस लाइन को आज तक लगाई जिससे बूठिया से साउथ गाम सलारिया योजना में 38 गाँव आते हैं, वे पीने के पानी से महरूम रहते हैं। वाटर वर्क्स के पास लोग शिकायत करते हैं तो कभी बूस्टर कहाँ लगाते हैं, कभी जनरेक्टर कहाँ लगाते हैं जिससे इस पूरे इलाके में विद्युत विभाग का इन्तजाम नहीं होने से जलदाय विभाग की स्कीमें फैल हैं; और वहां पशु पालक एरिये में पशुओं के लिए पीने के पानी का भारी संकट अब गर्मियों में पैदा हो रहा है। मैं माननीय मंत्री महोदय से यह चाहूँगा कि एक तो इस समिति के समस्त गांव विद्युतीकृत हों, इसके योजना लिए बनाकर भारत सरकार को क्यों नहीं पेश की जा रही है? दूसरी सन् 1984 में स्वीकृत चेतरोड़ी 33 के. वी. का स्टेशन अभी तक पूरा क्यों नहीं किया जा रहा है? इसमें कौन अधिकारी जान बूझकर लापरवाही कर रहे हैं? उनसे जवाब-तलब किया जावे और जनता तथा जलदाय विभाग को सही रूप से चलाने के लिए और अमन चैन कायम रहे, इसके लिए इसका माकूल इन्तजाम करें।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय ऊर्जा मंत्री जी।

श्री रामनारायण विश्नोई (ऊर्जा मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य श्री अमीन खां के ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के सम्बन्ध में 33 के. वी. सिंगल सर्किट रामसर चितरोडी लाइन ग्रामीण विद्युतीकरण निगम द्वारा पंचायत समिति शिव पश्चिम में आर. एम. एन. पी. स्कीम, कोड नम्बर 179/24 माह दिसम्बर 1984 में स्वीकृत की गई थी। इस लाइन का कार्य करने हेतु माह अक्टूबर, 1987 में मण्डल द्वारा अपने वार्षिक कार्यक्रम में सम्मिलित किया गया था। इस कार्य को करने के लिए अधीक्षण अभियन्ता जोधपुर द्वारा माह दिसम्बर, 1987 में मैसर्स बंशीधर भगवान दास सेठिया, बाड़मेर को आदेश प्रसारित किये गये थे। अब तक इस आदेश की पालना में उक्त फर्म द्वारा 40 कि. मी. पोल खड़े कर दिये गये हैं। 22

(श्री रामनारायण बिश्नोई)

कि. मी. में स्क्रीनिंग का कार्य भी किया जा चुका है। इस लाइन का शेष कार्य प्रगति पर है और यह कार्य एक माह में पूर्ण होने की सम्भावना है।

श्री अमीन खां : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने पहली बात यह कही थी कि सारी पंचायत समितियों के समस्त गांवों की विद्युतीकरण की योजनाएं बनाकर भेजी गई हैं जबकि इस पंचायत समिति के समस्त की विद्युतीकरण की योजना को बनाकर आप क्यों नहीं भेजते हैं? मेरा यह निवेदन है कि यदि नहीं भेजते हो तो इसकी क्या वजह है?

श्री रामनारायण विश्नोई : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य का ध्यान इस ओर आकर्षित करूंगा कि 1987 में ठेकेदार को कार्य करने के आदेश देने के बावजूद भी उक्त फर्म द्वारा बार-बार कार्य बन्द करने की वजह से देरी हो गई और अब यह कार्य एक माह में पूर्ण कर दिया जायेगा। पहली बार ठेकेदार ने इस कार्य को मई 1988 में बन्द कर दिया था और बाद में दूसरी बार मार्च 1990 में बन्द कर दिया। उसके बाद उस कार्य को शुरू करवाकर जनवरी 1991 से लगातार चालू है और इसके एक माह में पूर्ण होने की सम्भावना है। यह ऐसा कार्य हे जिसके लिए मौजूदा सरकार को वास्तव में दोषी नहीं ठहराया जा सकता। 1984 में स्कीम स्वीकृत की गई थी, उसके बाद 1987 में कार्य शुरू की गई थी, उसके बाद 1987 में कार्य शुरू किया गया और 1987 में कार्य शुरू करने के बाद भी 1988 तक ठेकेदार ने कोई कार्य नहीं किया और कार्य को बार-बार बीच में बन्द करता रहा। अब ठेकेदार को इसके लिये बराबर आदेश दे दिये गये हैं कि इस कार्य को जल्दी से जल्दी पूर्ण करवाया जावे और इसी वजह से मैं यह विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि एक माह में इस कार्य को पूर्ण करवा दिया जायेगा।

श्री अमीन खां : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने जो बात कहीं, उसे आप सुनते नहीं हैं। इस जिले में 8 पंचायत समितियां है जिनमें से 7 पंचायत समितियों के समस्त गांव विद्युतीकरण योजना के तहत स्वीकृत हैं। इस पंचायत समिति के समस्त गांव की विद्युतीकरण योजना बनाकर भारत सरकार को स्वीकृत कराने के लिये क्यों नहीं भेजते हैं? इसके लिए आपने कुछ नहीं कहा। नम्बर एक।

दूसरा आपने यह पूरब और पश्चिम की बात कही। ये टालने की कोशिश करते हैं। मैंने यह नहीं कहा कि यह सरकार हमको निहाल करती थी और आपकी सरकार हमारी दुश्मन है। आप सरकार है, मैं सरकार से पूछता हूँ कि यह योजना क्यों नहीं बनाई? पूरब का क्या हुआ, पश्चिम का क्या हुआ, यह तो लोग आप को भी देख लेंगे और हमको भी देख लेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, आठ पंचायत समितियों में से शिव पंचायत समिति ऐसी है, जिसके लिए समस्त गांवों की योजना बनाने के लिए भेजते नहीं हैं? यहां तो जलदाय विभाग की डिमाण्ड पर 1984 में 19 गांव स्वीकृत हुए, पैसा खर्च होने

(श्री अमीन खां)

के बावजूद भी उसका भी काम नहीं हो रहा है। + + + कौन कहता है कि आप उस ठेकेदार को बचाओ। मैं खुद मानता हूँ कि ठेकेदार के पास कोई सामान नहीं हैं, एक घटिया किस्म का ठेकेदार है। मेरे खुद के गांव के बीच से यह लाइन जाती है। आज तक इसका काम नहीं चल रहा और आप एक महीने में पूरा कर दोगे, आपको धन्यवाद लेकिन इस पंचायत समिति के सारे गांव की विद्युतीकरण योजना को स्वीकृत कराने के लिए आप भारत सरकार को क्यों नहीं भेजते हो ? हमारे साथ यह क्या भेदभाव है ?

श्री रामनारायण विश्नोई : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूँ कि ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अन्दर जो गांव स्वीकृत हो चुके हैं, वे वित्त की उपलब्धि के अनुसार फर्स्ट फेस और सेकण्ड फेस के मुताबिक जिस प्रकार प्रोग्राम बोर्ड ने, राज्य सरकार ने बना लिये हैं, उसी के अनुसार पूर्ण करवाये जायेंगे। उसके अन्दर....

श्री अमीन खां : इस समिति के कितने गांव स्वीकृत है ? वित्त के अनुसार काम किया जाये, उसमें हमें कोई आपत्ति नहीं लेकिन इस समिति में कुल गांव कितने हैं, विद्युतीकरण योजना में कितने स्वीकृत हैं, और जो गांव स्वीकृत नहीं है, उनकी योजना बनाकर स्वीकृत कब तक करायेंगे ?

श्री रामनारायण विश्नोई : जैसा मैंने कहा, 132 के. वी. की सिंगल सिस्टम लाइन पूरी नहीं होने की वजह से योजना अन्दर इस गांव को लेकर, यह कार्य शुरू नहीं किया जा सकता।

श्री अमीन खां : जो गांव अब तक इस योजना में नहीं लिये गये हैं, उन गाँवों की योजना अब तक क्यों नहीं बनाई ?

श्री रामनारायण विश्नोई : वे योजना में इसलिए नहीं ले रहे कि 132 के. वी. का जब तक लाइन सब स्टेशन नहीं होगा तब तक योजना में लेने से आपका कोई परपज हल नहीं होगा।

श्री अमीन खां : नहीं, आप गलत बात कह रहे हैं। मैं तो कहता हूँ, इस पंचायत समिति की ग्रामीण विद्युतीकरण योजनाएं स्वीकृत कराने के लिये भेजी भी नहीं है। ये तो 19 गांवों की भेजी थी जलदाय विभाग के सुझाव के अनुसार। इस गांव में कम से कम एक 33 के. वी. की लाइन दी जाय और बाकी इस गांव में 11 के. वी. के कनेक्शन दिये जाये तो हमारी योजनाएं चलें लेकिन इस पंचायत समिति शिव के गांव में विद्युत नहीं भेजी। जैसे पंचायत समिति, बायतू, बाड़मेर, चौहटन, शिवाना, समदड़ी, धोरीमन्ना इनके समस्त गांवों की योजनाएं स्वीकृत हैं। अब कौन से वर्ष में कितने गांव लिये जायेंगे ? वह ठीक है, वित्त उपलब्धि से लिये जायेंगे लेकिन हमारे भी ये सारे गांव स्वीकृत तो करा दो और वित्त उपलब्धि से हमारा चाहे 10

+ + + शब्द/माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री अमीन खां)

साल में नम्बर आवे, तो आप इस बात का जवाब नहीं दे रहे।

श्री रामनारायण विश्नोई : माननीय उपाध्यक्षजी, माननीय सदस्य यह चाहते हैं कि हमारी पंचायत समिति के जो बचे हुए गांव हैं उनको विद्युतीकरण में इसी साल स्वीकृत कर दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : नहीं, यह नहीं है। इनका प्रश्न यह है कि जो गांव विद्युतीकरण....

श्री अमीन खां : बिल्कुल गलत कह रहे हैं। कोई प्रस्ताव नहीं करो। विद्युतीकृत योजना क्यों नहीं बनायी जा रही है, मैं यह कहता हूं। मैं यह नहीं कहता कि आप करके दे दो हमको।

श्री रामनारायण विश्नोई : इनके प्रश्न का जवाब यह है...

श्री अमीन खां : आर. एस. ई. बी. की स्कीम में इस पंचायत समिति के गांवों की स्कीम आप क्यों नहीं बनाते हो।

श्री उपाध्यक्ष : स्कीम की कह रहे हैं।

श्री रामनारायण विश्नोई : यह स्कीम इसलिए नहीं बनायी जा रही है कि नयी योजना की स्कीम पर, तब तक नहीं बनायी जायेगी जब तक 132 के. वी. का सिस्टम चालू कर दिया जायेगा अन्यथा ऐसी योजना बनाने से कोई फायदा नहीं होगा।...

श्री अमीन खां : आप स्कीम बता कर क्यों नहीं भेजते हो।

श्री रामनारायण विश्नोई : पहले जब तक सिस्टम 132 के. वी. का नहीं होगा, लाइन खींच करके तैयार नहीं हो जाती जब तक कोई स्कीम....

श्री अमीन खां : 132 के. वी. तो वैसे ही....

श्री रामनारायण विश्नोई : और ऐसी योजना बनाने के लिए आगे एप्रूव भी नहीं होगी जब तक वहां 132 के. वी. का सिस्टम....

श्री अमीन खां : आप सब भी नहीं करवाओ। जहां मर्जी आये जैसे देते हो। उपाध्यक्ष महोदय, यह बिल्कुल माकूल जवाब नहीं है, यह गैर जिम्मेदाराना जवाब है। यह कहते है कि 132 के. वी. बाड़मेर में दूसरी समितियों को दिये जा रहे हैं। शिव समिति में 132 का इन्तजार कर रहे है। कौनसी 132 का इन्तजार कर रहे हैं। केवल शिव पंचायत समिति एक ऐसी पंचायत समिति है जिसमें 132 की नई लाइन आयेगी जब तक इस पंचायत समिति की योजना आप नहीं बनाते। योजना तो बनाकर भेज सकते हो। उसका मन्जूर करना, नहीं करना और टेक्नीकल पाइंट में कोई एतराज होना या कौन से गांव, कितने गांव किस फाइनेन्सियल ईयर में लिये जा सकते हैं वह हम भी समझते हैं, यह बाद की बात है। लेकिन आप तो गांव बढ़ाने के लिए इमको टाल रहे हो कि पहले 132 हो। 132 बाड़मेर में है। कौन

(श्री अमीन खां)

सी 132 आप ला रहे हो जिसका इन्तजार कर रहे हो। यह गलत बात है। इस पंचायत समिति की स्कीम क्यों नहीं बनायी जा रही है। मेरा पूछने का और निवेदन करने का एक ही वजह है जिसका जवाब नहीं दे रहे हो। एक जवाब दे दिया। वह तो पूर्व की सरकार का काम चालू किया हुआ था, उनकी ढिलाई थी उनको तो दण्ड मिल गया और क्या आप भी वही दण्ड चाहते हो।

श्री रामनारायण विश्नोई : माननीय उपाध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मैं फिर इस बात का निवेदन करना चाहता हूँ कि जब तक 132 के. वी. की लाइन पूरी वहां से होकर और स्कीम कम्प्लीट नहीं हो जाती तब तक नयी कोई विद्युतीकरण की स्कीम बना कर राज्य सरकार भेजने का कोई औचित्य नहीं समझती।

शासकीय वक्तव्य

संगरिया जिला श्रीगंगानगर में आतंकवादियों द्वारा दो हत्यायें

श्री उपाध्यक्ष : मंत्री द्वारा वक्तव्य। माननीय गृह मंत्रीजी।

श्री दिग्विजय सिंह (गृह मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, श्रीगंगानगर के एक प्रमुख कस्बे संगरिया में दिनांक 6-3-1991 को दोपहर 2.10 पर हथियारों से लैस एवं स्कूटरों पर सवार आतंकवादियों द्वारा श्री गुरुदाससिंह एवं श्री जयसिंह को गोली दाग कर निर्मम हत्या कर दी गई। डाक्टर बलदेव सिंह पर भी गोली दागी गई परन्तु वह बच निकले। दिनांक 8 मार्च, 1991 को मैं स्वयं व श्री लालचन्द जी डूडी एवं श्री कुन्दनलाल मिगलानी मंत्रीगण एवं प्रोफेसर केदार, विधायक महोदय स्थिति का जायजा लेने के लिए घटना स्थल पर पहुंचे। श्री हेतराम बेनीवाल स्थानीय विधायक मौके पर मौजूद थे जिन्हें भी साथ लिया।

घटना कुछ इस प्रकार से हुई कि सम्भवतः 2 स्कूटरों पर 2-2 व्यक्ति सवार होकर संगरिया बाजार में दिन में करीब 2.00 बजे आये। एक स्कूटर डॉक्टर बचदेव सिह की दुकान पर पहुंचा और उसके पीछे बैठे व्यक्ति ने अपने हथियार से ब्रस्ट फायर द्वारा डाक्टर बलदेव सिंह पर गोलियां दागी। डाक्टर बलदेव सिंह कुर्सी से एकदम फर्श पर लेट गये। एक गोली उनके पैर से होती हुई निकल गई तथा स्कूटर सवार ने ही एक पर्चा भी फेंका। इसी दौरान दूसरे स्कूटर वाले पंजाब वाच कम्पनी के आगे आये और आते ही श्री गुरुदास सिंह पुत्र इन्द्र सिंह सुनार, सिख, उम्र 48 साल पर गोलियां दागी और दुकान पर खड़े ग्राहक जयसिंह पुत्र ख्याली राम जो घड़ी खरीदने के लिये दुकान पर आया था पर गोलियां दाग दी, इससे दोनों की घटना स्थल पर मृत्यु हो गई। हमलावर अपने मुंह पर कपड़ा लगाये हुये थे, जिससे उनकी शिनाख्त नहीं हो सकी। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई तथा प्रत्यक्षदर्शियों के बताये अनुसार पीछा करने के लिये निकल पड़ी।

(श्री दिग्विजय सिंह)

एस. एच. ओ., संगरिया पुलिस गाड़ी में स्वयं पीछा कर रहा था परन्तु डबवाली तिराहे पर पहुंचने के उपरान्त पता चला कि बदमाशान इधर नहीं भागे हैं, वह पुनः घटनास्थल पर वापस आकर और फिर कैनाल कालोनी होता हुआ नहर की तरफ गया व नहर का पुल क्रोस करके नथवाना व मोरजण्ड गांव की ओर गया, परन्तु दुर्भाग्य से पीछा करने में सफलता प्राप्त नहीं हुई और बदमाशन भागने में सफल हो गये। घटना की सूचना मिलते ही जिलाधीश एवं पुलिस अधीक्षक, गंगानगर मौके के लिये रवाना हो गये एवं पंजाब राज्य के थाना सरवरखुइया, सदर, अबोहर मलोठ और सीनियर पुलिस अधीक्षक, फरीदकोट और पुलिस अधीक्षक (मुख्यालय) फिरोजपुर, पुलिस उप अधीक्षक, अबोहर को घटना की सूचना करवा दी गई। फलस्वरूप पंजाब पुलिस और राजस्थान की सीमा पर भी नाकाबन्दी कर दी गई व बदमाशान की तलाश में सक्रिय हो गये। पंजाब सीमा पर स्थापित 25 चैक पोस्ट से हरियाणा सीमा में लगी तमाम चैक पोस्टों को जिले के भीतर विभिन्न मार्गों पर लगी। 11 चैक पोस्टों को अर्थात कुल 54 पोस्टों को वायरलैस द्वारा सतर्क कर दिया गया और नाकाबन्दी के लिये आदेश दे दिये गये। प्रदेश में तैनात मोबाइल पार्टी को भी गश्त के लिए सम्भावित मार्गों पर रवाना कर दिया।

अब तक की जांच से यह स्पष्ट हो गया है कि यह जघन्य घटना घायल डाक्टर बलदेव सिंह व मृतक श्री गुरुदास सिंह पर उनके कट्टर निरंकारी होने के कारण उनके विरोधियों द्वारा की गई। डाक्टर बलदेव सिंह उन निरंकारियों में से हैं जिनके विरुद्ध पंजाब में निरंकारियों द्वारा 'भिण्डर वाला' के बीच हुआ संघर्ष के फलस्वरूप 1978 में मुकदमा चलाया गया था और जिसकी ट्रायल हरियाणा में हुई थी। इस केस में ये बरी हुये थे तभी से इनके विरोधी पक्ष द्वारा बार-बार में इन्हें मारने की धमकियां दी जाती रहीं और इनको मारने के प्रयास भी जारी रहे। 1984 में प्रथम सूचना रिपोर्ट नम्बर, 66 द्वारा जो थाना संगरिया के फरियादी श्री महावीर प्रसाद द्वारा कत्ल का मुकदमा दर्ज करवाया था एवं जिसमें उसके ताऊ के लड़के मुरलीधर की हत्या कर दी गई थी क्योंकि वह भी निरंकारी मिशन का प्रचारक था। डाक्टर बलदेव सिंह की हत्या हो जाती परन्तु उस दिन वे संगरिया में नहीं थे। पुलिस को इसे पृष्ठभूमि का भलीभांति पता था और इसी वजह से डाक्टर बलदेव सिंह की सुरक्षा हेतु एक गन मैन 24 घंटों के लिये उनकी रक्षा के लिये उनको दियों गया था जो आज भी उनके पास ही है एवं जिस वक्त यह घटना हुई इनका अंगरक्षक इनकी इजाजत से ही खाना खाने गया हुआ था।

एक पर्चा जो मौके पर डाक्टर बलदेव सिंह की दुकान के पास मिला है और जिसे एक प्रत्यक्षदर्शी ने मुल्जिमान द्वारा ही फेंकना देखा है वह खालिस्तान का नेशनल आर्मी हैड आफिस श्री आनन्दपुर साहिब के पैड पर है, जिसमें मारने वाले ने लिखा है बड़े समय की तलाश के बावजूद यह मिले हैं और अंगरक्षक को मारने का उनका कोई इरादा नहीं था। उनको अपने बचाव

(श्री दिग्विजय सिंह)

हेतु मारना पड़ा। इससे यह स्पष्ट है कि यह जघन्य अपराध पूर्णतः सोच विचार कर किया गया है और डाक्टर बलदेव सिंह तथा गुरुदास सिंह को जो दोनों निरंकारी हैं को मारने के उद्देश्य से किया गया है। कोई अन्य अन्धाधुन्ध जनता पर फायरिंग नहीं किया गया क्योंकि यदि ऐसी इच्छा बदमाशों की होती तो भरी मण्डी में लाशों के ढेर लग गये होते एवं यह दुर्भाग्यपूर्ण घटना जो इस प्रकार से निन्दनीय है एक बदला लेने की घटना है।

गंगानगर जिले में संवेदनशीलता को देखते हुये इस समय केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल की छह कम्पनियां, सीमा सुरक्षा बल की छह कम्पनियां एवं एक बटालियन आर. ए.सी. की आन्तरिक सुरक्षा की दृष्टि से इस समय तैनात है। इन बलों के द्वारा 204 किलो मीटर भारत पाक सीमा तथा 115 किलोमीटर लम्बी पंजाब प्रान्त की सीमा तथा 165 किलोमीटर लम्बीहरियाणा प्रान्त की सीमा पर चौकसी रखी जाती है। गंगानगर में 1982 से अब तक डकैती पुलिस पर हमले, हत्याओं का प्रयास, बम्ब विस्फोट, सार्वजनिक स्थानों पर तोड़फोड़, रेल्वे लाइन एवं रेल्वे स्टेशन पर तोड़फोड़ डकैती व अन्धाधुन्ध फायरिंग पाकिस्तान से हथियारों की तस्करी मादक पदार्थों की तस्करी तथा पुलिस तथा सीमा सुरक्षा बल से मुठभेड़ आदि की करीब 50 प्रकरण विभिन्न स्थानों पर घटित हो चुके हैं। विधान सभा चुनाव तथा संसद चुनाव में यू. ए. डी. मान के अनुयाइयों ने इस जिले में बहुत रुचि ली एवं आज भी संयुक्त अकाली दल (मान) के व्यक्तियों द्वारा गंगानगर जिले के प्रमुख गुरुद्वारों में अमृतपान कराया जा रहा है तथा समाज सुधार के भाषण दिये जाते हैं।

जून, 1988 में केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल की छह कम्पनियां गंगानगर जिले में केन्द्रीय सरकार द्वारा उपलब्ध करवाई गई एवं मई, 1989 में और छह कम्पनियां सादुलशहर डकैती के बाद उपलब्ध करवाई गई परन्तु माह सितम्बर, 1990 में राम जन्म भूमि बाबरी मस्जिद विवाद के कारण इन 12 कम्पनियों को केन्द्रीय सरकार ने वापस बुला लिया था एवं राज्य सरकार के बार-बार निवेदन करने के फलस्वरूप फरवरी, 1991 में केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल की 5 कम्पनियां ही उपलब्ध करवाई है। स्पष्ट है कि जिले में संवेदनशीलता को देखते हुये पुलिस बल कम है। राज्य सरकार ने केन्द्रीय सरकार को फिर आग्रह किया है कि गंगानगर जिले में कम से कम 7 कम्पनियां और केन्द्रीय रिजर्व पुलिस की उपलब्ध करवायी जाय जिससे जिले में सुरक्षा सुदृढ़ कम से कम हो।

इस अपराध की सरगर्मी से पता लगाया जा रहा है तथा संगरिया में किसी प्रकार का भय का वातावरण नहीं है एवं पुलिस तथा प्रशासन की इस प्रकरण में कहीं पर भी कोई गफलत या कोताही नहीं पाई गई।

बल्कि वहां मौके पर मौजूद जन समूह ने जिसमें सभी राजनैतिक दलों के कार्यकर्ता शामिल थे, इस बात की सराहना करते हुये कहा कि पुलिस प्रशासन की

(श्री दिग्विजय सिंह)

चुस्ती एवं तुरन्त मौके पर पहुंचना बहुत ही वांछनीय कदम रहा।

मृतकों के परिवार के सदस्यों से हम मिले, अपनी व सरकार की ओर से संवेदना दर्शायी। मृतकों के परिवार को एक-एक लाख रुपयों की राशि सरकार द्वारा देने की घोषणा से अवगत करवाया एवं घायल डाक्टर बलदेव सिंह को 5000/- रुपये देने का निर्देश दिया जा चुका है।

श्री हेतराम बेनीवाल (संगरिया) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो राजस्थान के गृह मंत्री ने गंगानगर की उस घटना पर अपना वक्तव्य दिया है। मैं उस सिलसिले में उन से कुछ सवाल पूछना चाहता हूं। मेरा सबसे बड़ा इस मामले में सवाल यह है कि उन्होंने यह कोशिश की है, जो वहां की पुलिस की भी कोशिश थी कि जो घटना हुई वह निरंकारियों की और उन पर्टिक्यूलर उग्रवायियों की दुश्मनी के बीच में है। जबकि मैं समझता हूं और मैं अकेला नहीं गंगानगर जिला यह महसूस करता है कि उग्रवादियों की यह घटनाएं अकेले एक व्यक्तिगत निरंकारी समुदाय के दो या चार आदमियों से नहीं, बल्कि गंगानगर जिले में जितनी घटनाएं हुई हैं उनका यदि हम कड़ीवार सर्वेक्षण करें, राज्य सरकार उन पर नजर रखें, राज्य सरकार के दिमाग में उस वातावरण बनाये जाने का असर हो तो निश्चित रूप से हम महसूस करेंगे कि यह घटनाएं एक विशेष उद्देश्य से फैलाई जा रही है। इसका विशेष प्रचार है, विशेष उद्देश्य है, और उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए वह जो कुछ कर रहे हैं। मैं समझता हूं मैं राजस्थान सरकार के सत्ता में बैठे हुए लोगों को और पूरे हाउस को यह बताना चाहता हूँ कि वहां पर जो घटनाएं हुई हैं वह इतनी सनसनीपूर्ण और इस तरह दिलेरी से हुई है कि उसका सारे जन जीवन पर बहुत ही निराशाजनक असर रहा है।

वहां बूढ़ा जोहड़ पर जब पुलिस पहरे पर थी, खुद पुलिस के जवानों से बंदूकें खोसकर ले गये, एक को मार दिया, सरे आम हमला किया, थानेदार को मारने आये, जिसको नोटिस दिया हुआ था और नोटिस में लिखा था क्योंकि तुमने उग्रवादियों का जो ट्रेन से भाग गये थे, पता बताया है राजस्थान का जो बहुत बड़ा खूंखार उग्रवादी है, इसलिए तुमको सजा देंगे और सजा देने के लिए बूढ़ा जोहड़ की चौकी थी, जहां पुलिस का पहरा है वहां आये और दिन दहाड़े आकर मारकर, हथियार लेकर चले गये। वह थानेदार मौके पर मिला इसलिए वह बच गया। इसके बाद गंगानगर के बाजार में सरे आम जो बाजार में सड़क चलती है वहां पर पुलिस से बंदूक छीनने की कोशिश की और जिन्दा बच गए यह तो ठीक है बंदूक हाथ नहीं आयी पर जो उग्रवादी बंदूक छीनने को कोशिश करने गये वह भी किसी को हाथ नहीं आये।

इसके बाद जो वहां पर पायल थियेटर है, जो पूरे बाजार के बीच है, हजारों आदमी आते जाते हैं, उस थियेटर के अन्दर उन्होंने बम फेंका और उसके बाद पकड़ में नहीं आये। किसी शक के बिना

(श्री हैतराम बेनीवाल)

पर किसी तरह से पुलिस ने उनको गिरफ-तार किया, मुकदमा बनाया, उसका नतीजा यह हुआ कि उस मुकदमें के अन्दर सारे गवाह हट गये, कोई गवाह नहीं रहा और वह सब बरी हो गये। इस तरह से गंगा-नगर के गुरुद्वारे में जो मैन बाजार है उसमें बम रखा, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, गुरुद्वारे में बम रखा। ए. डी. एम. और पूरी पुलिस तलाशी लेने गये और उसको बरामद किया। ताज्जुब की बात है कि जो ए. डी. एम. तलाशी लेने खुद गया, अदा-लत में गवाही देने से इन्कार कर दिया और वह सब लोग बरी हो गये। उन पर मुकदमें से कुछ नहीं मिला। इसी तरह से स्टेशन जलाये गये, बस रोकी गयी, उन सारे मुकदमें में जिनको गवाह बनाया गया वह भी मौके पर नहीं थे और सब रिहा हो गये। इसलिए गंगानगर में यह वाता-वरण बन गया है कि कोई भी कार्यवाही वह कर सकते हैं।

इससे पिछले वर्ष डेढ़ साल पहले जो सादुलशहर में हुआ वह घटना इस तरह की थी जिस तरह की यह बाजार में हुई। बाजार के बीच में गये, एक बैंक को लूटा। 11 बजे आते हैं, जीप लेकर आते हैं, जीप रोकते हैं, उतरते हैं उसके बाद बैंक कर्म-चारियों को, दो कर्मचारियों को मारा, पास खड़े दो तीन लोगों को मारा और रुपया लेकर गये। सारे बाजार में बिल्कुल सड़कों से होते हुए गये। जो रास्ते में ऊंगली करने वाला मिला उसको मार दिया। उसके बाद एक घटना हुई संगरिया के बाजार में जो माननीय गृह मंत्रीजी ने बताया मुरलीधर को मारा। उसको भी रेहड़ी पर सब्जी बेच रहा था, शाम के वक्त, जब बाजार भरा हुआ था। आदमी पैदल बाजार से निकल सकता था उस जगह मारने के लिए गये और उसको वहां मारा। बड़े ताज्जुब की बात है। उसको देशी कट्टे से मारा देशी पिस्तौल से मारा वह किसी सवारी पर नहीं चढ़े थे और पैदल ही चले गये।

इसी तरह दूसरी घटना उसी साल हुई वह हुई लीवावली गांव में। एक मुनि बाबा थे, यह कह रहे हैं कि एक आदमी निरं-कारियों को मारने की बात है। मुनि बाबा को मारने आये, ऐलान करके आये, चिट्ठी दी पहले, तुमको मारेंगे। पुलिस को उसने इतला दी, उसने पुलिस में रिपोर्ट लिखवाई कि मुझे मारेंगे, मुझे बचाओ। उस बाबा को मारने के लिए भी जब 50-60 लोग वहां थे, उन सबके सामने बाबा को मारा और लोगों से कहा तुम यहीं बैठो कोई नहीं हिलेगा, हिल गया तो तुमको भी मार देंगे और वह लोग वहां से पैदल ही 10-12 किलोमीटर तक, कोई साधन उन उग्र-वादियों के पास नहीं था, पंजाब में चले गये। यह जो घटना है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इससे पहले वहां जो घटनाएं हो रही थीं। हमने वहां के अखबारों में स्टेट-मेण्ट दिये हैं, वहां के एस. पी. से शिकायत की है वहां खालसा पंचायत लगती है यह जो बता रहे हैं कि आपसी दुश्मनी से हो रहा है। गंगानगर जिले में विशेष तौर से सिख समुदाय के मामले न पुलिस तय करती है न अदालत तय करती है, पंचायत में बैठकर यह उग्रवादी करते हैं। गुरुद्वारों में

(श्री हेतराम बेनीवाल)

पंचायत लगती है। पहले माननीय मुख्य मंत्री जी के पास पहले एक बार आए थे जब पुलिस ने उन लोगों को गिरफ्तार किया और यह कहने आये थे कि हम नहीं करेंगे पर उसके बाद उन्होंने फिर पंचायत शुरू कर दी है। गुरुद्वारों के अन्दर शादियों के मामले में, औरतों के मामले में, उनके सामाजिक लेन देन के मामले में, यह सारे मामले गुरुद्वारों में तय होते हैं। जो भी वहां आता है प्रार्थी या अप्रार्थी, उनके दण्ड को स्वीकार नहीं करता है उसको भी गुरुद्वारों में बैठकर सजा सुनाते हैं इस तरह की व्यवस्था पूरे गंगानगर जिले में है। राज्य सरकार को इस बात का पता है? वहां पर पांच घटनाएं हुई इन्हीं दिनों में। मैं माननीय गृह मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि यह घटना अकेली नहीं है। इससे पहले पांच घटनाएं हुई हैं क्या राज्य सरकार की जानकारी में है बारात को रोका गया भाखरावाली में, गरीब कुम्हार सिखों की बारात थी, उसमें 60-70 आदमी थे बारात को रोककर एक नौजवान ने जो स्कूटर पर सवार था उसने रोककर कहा 11 आदमी उतर जाओ, 11 आदमी चले जाओ बारात में बाकी अपने घर चले जाओ यदि तुम लड़की वाले के पहुंच गये तो वह एक डाड्डू बनाते हैं। उग्रवादी जो उनका आदेश नहीं मानता उसको सर्दी के मौसम में तालाब के अन्दर खड़ा कर देते हैं, कपड़े उसके उतार लेते हैं और जब तक बारात वापस वहां से रवाना नहीं होती है, शादी होकर लड़की वालों के घर से नहीं आती है तब तक उस बाराती को वहां खड़ा रखते हैं। इसको कहते हैं डाड्डू बनाना। उन्होंने कहा डाड्डू बना देंगे। इसलिए वह सारे के सारे बाराती, सिवाय आठ दस आदमियों के वहां से चले गये बाकी भाखरावाली के उस गांव में गये। उन्होंने पुलिस को रिपोर्ट की। पुलिस वहां पहुंची। यह गृह मंत्रीजी को पता नहीं है। इसके बाद खारा गांव में गये। खारा गांव के अन्दर सारे गांव को इकट्ठा किया और शादी वाले घर जाकर जो खाना बना हुआ था, खाना पड़ा हुआ था। सारे सामान पर एक आदमी ने जाकर कहा कि यह खाना कोई नहीं खायेगा। वह पूरी की पूरी बारात वहीं रुक गई। उन्होंने कहा कि चाय पियो और अपने गांव चले जाओ। वहां उन्होंने प्रार्थना की, और हाथ जोड़े और कहा कि हमारी बेइज्जती हो रही है, सामान हमारा खराब हो रहा है। वह सामान खराब हो गया उसके बावजूद भी इनको जाना पड़ा।

हमारे वहां अमृत प्रचार चल रहा है। पूरे जिले के जितने सिखों के गांव हैं, उन गांवों में पूरे गांव को इकट्ठा करते है जीप पर उग्रवादी और पूरे गांव से चन्दा लेते हैं। मेरे पास ऐसे दसों गांवों की लिस्ट है जहां से 10-10 मिनट के अन्दर 5-5, 10-10 हजार रुपये इकट्ठे किये बिना रसीद दिये बिना बात किये वहां से चल पड़े। मैं माननीय गृह मंत्री से पूछना चाहता हूँ कि क्या उनको इस बात की रिपोर्ट है? अगर इस बात की रिपोर्ट होती माननीय गृह मंत्रीजी यह स्टेटमेंट नहीं देते कि यह घटना दो निरंकारियों के और उनके दुश्मनी के रूप में है।

मैं असल में आपको इस मामले में और जो बात बताना चाहता हूँ, वह यह है कि

(श्री हेतराम बेनीवाल)

संगरिया जो शहर है, एक तरफ उसके रेल्वे लाइन है। रेल्वे लाइन भी डबल है। पूर्व का जो हिस्सा है, उसमें रेल्वे लाइन है डबल और उसके पश्चिम और उत्तर का हिस्सा है, उसमें बड़ी कैनाल है पक्की, जिस कैनाल में कोई आदमी क्रास नहीं कर सकता। दो पुल हैं और दो पुलों में से एक पुल पर हमारी पुलिस रहती है, पूरी चौकी रहती है। दूसरे पुल के आगे जो सड़क है, वह जाती नहीं। सिर्फ पूल बना हुआ है। एक ही रास्ता बाकी है। उस रास्ते में टीले हैं, कोई सड़क नहीं है। जो दक्षिणी रास्ता है, जहां से माननीय गृह मंत्रीजी कह रहे हैं, वे भागे हैं या पुलिस भागी है। पुलिस उस रास्ते भागी, जहां टीले हैं कोई रास्ता नहीं। वह निर्जन इलाका है।

श्री उपाध्यक्ष : अब प्रश्न कर लें आप।

श्री हेतराम बेनीवाल : मैं प्रश्न ही कर रहा हूँ।

मैं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह आपसे कहना चाहूँगा कि क्या वजह है कि जिस सड़क पर मुरली को मारने वाले गये, मुरलीधर को बाजार में मारा, मारने के बाद पैदल बाजार से गये। जिस सड़क से वे पैदल गये, वहां गांव हैं तीन चार मोर-जड-जण्डवाड़ा। वे बिल्कुल सिखों के गांव हैं और पुरा गांव उन उग्रवादियों के नियन्त्रण में है। उग्रवादी उस गांव में नहीं रहते, यह मैं मानता हूँ पर जो पंजाब से उग्रवादी आते हैं, उनका वे हुक्म मानते हैं। पिछली बार भी वे लोग जो मुरली को मारने आये, वे उसी सड़क से गये। इस बलदेव सिंह पर, जिस पर माननीय गृह मंत्रीजी कह रहे हैं, हमला हुआ, इस पर पहले दो हमले हो चुके हैं। तलवार से हमला हुआ, यह घायल हुआ। यह बच गया। दुबारा हमला हुआ, फिर बच गया। इसका कत्ल करने वाले भी उसी सड़क से गये। माननीय उपाध्यक्ष, संगरिया में सिर्फ दो सड़कें हैं। एक हरियाणा की तरफ है जो हरियाणा की बोर्डर के बिल्कुल नजदीक हैं संगरिया के अन्दर है और रेल्वे लाइन है। दूसरी सड़क मोरजण्डा की है या गंग नहर की है। गंग नहर सड़क पर चौकी है।

श्री उपाध्यक्ष : अब प्रश्न करें। भाषण नहीं।

श्री हेतराम बेनीवाल : पुलिस क्यों नहीं गई। मैं पूछना चाहता हूँ कि जिस पर पहली बार उग्रवादी गये, जिस पर पहली बार मार के सीधे सामने चले गये, अब भी उग्रवादी चारों के चारों उससे गये। कचहरी वहां बीच में है। कचहरी के वकीलों ने, वहां पर खड़े सैकड़ों लोगों ने उनको देखा, उस सड़क पर कोई पुलिस वाला नहीं गया।

दूसरा मुझे माननीय गृह मंत्रीजी से पूछना है कि अपने चारों तरफ नाकाबन्दी है। हमारे पंजाब से बोर्डर पर लिंक नहर बनी है। गंग कैनाल की जो लिंक नहर बनी है, वह पूरे पंजाब बोर्डर पर है और सारे पुलों पर हमारी नाकेबन्दी है। कोई पुल नहीं हैं। दो स्कूटर नहर में से जा नहीं सकते, 20 फुट नहर है। वे किस तरह चले गये पंजाब के बोर्डर को क्रोस करने

(श्री हेतराम बेनीवाल

का कोई रास्ता नहीं जिस रास्ते पर माननीय गृह मंत्रीजी कह रहे हैं....

श्री उपाध्यक्ष : कृपया समाप्त करें।

श्री हेतराम बेनीवाल : मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ इस मामले में कि क्या वे बतायेंगे कि पुलिस ने कब सूचना दी उनको नाकाबन्दी करने की। हमारी जो 54 चौकियां हैं, 11 चौकियां इस क्षेत्र में हैं, उनको कब सूचना दी कि नाकेबन्दी कर ली जायेगी।

माननीय उपाध्यक्षजी, इस सिलसिले में जो मुझे एक और बात पूछनी है, वह यह है कि यह जो क्षेत्र है, यह परा ढाणियों में बसा हुआ है। हर जगह ढाणियां हैं और हर ढाणी में पुलिस कितनी देर बाद पहुंची ? आस-पास के क्षेत्र में क्या पुलिस ने किसी में खोज की ?

क्या माननीय गृह मंत्रीजी बतायेंगे कि संगरिया के आस पास के जो गांव हैं, उनमें पोस्टर लगे हुए थे ? माननीय गृह मंत्रीजी ने हाऊस को यह नहीं बताया कि यह पोस्टर लगे हुए थे बब्बर खालसा के लिए हम आयेंगे, इनको मारेंगे। क्या माननीय गृह मंत्रीजी को पता है कि एक गांव के अन्दर अब भी पोस्टर लगे है उग्रवादियों के और उन पोस्टरों में धमकी दी हुई होती है कि हम यह काम करेंगे, यह नहीं किया तो इसका यह नतीजा होगा।

श्री उपाध्यक्ष : प्रो. केदारनाथ जी।

श्री हेतराम बेनीवाल : मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा, इस मामले में एक दो सवाल पूछना चाहूँगा कि माननीय गृह मंत्रीजी को क्या पता है कि पानी और बिजली देने की धमकी भी उग्रवादी देते हैं ? ये उग्रवादी यह भी कहते हैं कि गांव में हम पानी छुड़ायेंगे या नहीं छुड़ायेंगे, बिजली लेने देंगे या नहीं लेने देंगे। मैं आप से निवेदन करना चाहूंगा हाउस के सामने, गंगानगर जिले के अन्दर इस तरह का वातावरण बनाया जा रहा है, उनकी एक मांग है उग्रवादियों की कि गंगानगर जिला भी पंजाब का हिस्सा होना चाहिये और इसके लिये...

श्री उपाध्यक्ष : इस तरह की चीजें हाऊस में बोलनी भी नहीं चाहिये।

श्री हेतराम बेनीवाल : मैं यह निवेदन करना चाहूँगा कि इस बारे में राज्य सरकार गम्भीर नहीं है। जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया है, यह मामूली सी घटना है...

श्री उपाध्यक्ष : माननीय प्रो. केदार नाथ जी।

श्री हेतराम बेनीवाल : इसलिए मैं चाहूँगा कि इस मामले को राज्य सरकार पूरी तरह से स्पष्ट करें।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय प्रोफेसर केदारनाथ शर्मा।

श्री केदारनाथ शर्मा (श्री गंगानगर) : मान्यवर, इस स्टेटमेंट को अगर हम आइसोलेट करके देखें और केवल संगरिया के अन्दर जो फायरिंग से दो आदमी मारे गये, वह स्टेटमेंट

(श्री केदारनाथ शर्मा)

फैक्चग्रल है। ग्राप मौके पर गये, हम भी वहीं थे ग्रौर संगरिया के माननीय विधायक एक दिन पहले चले गये। दो स्कूटर्स पर चार ग्रादमियों का ग्राना ग्रौर वारदात करने के बाद एस्केप करना मगर तीन मिनट के ग्रन्दर ग्रन्दर ही पुलिस का वहां पहुंचना, यह तो प्रोम्प्टनैस तो है ही। मगर उस समय जो भीड़ थी, स्पर ग्राफ म्वमैंट पर ग्रपना माइण्ड एप्लाई नहीं कर पाये कि किस इन्गल से जा सकते हैं, किस रूट से जा सकते हैं। लोगों ने कहा इस रास्ते निकल गये, उन्होंने पीछा कर लिया। स्वाभाविक है, इसमें कोई शक नहीं। मैं भी एस. एच. ग्रो होता तो स्वभावत: रास्ता मैं वही लेता। पर एप्लीकेशन ग्राफ माइण्ड, इसकी कोई ट्रेनिंग नहीं थी। ग्रौर वे मेटिकुलसली प्लान करके ग्राये थे, वैल इन्फोर्म्ड थे कि इस रास्ते से ग्राज पेट्रोलिंग नहीं होगी ग्रौर डाक्टर के पास गनमेन नहीं होगा। हालांकि बाजार बड़ा बिजी है, पुलिस स्टेशन बड़ा नजदीक है, सैकड़ों ग्रादमी वहां खड़े थे ग्रौर बहुत ग्रच्छे प्लान वे से ग्राये थे। इस रास्ते जाना, इस रास्ते ग्राना, यहां इकट्ठा होना, यहां से भाग जाना। इसमें कोई शक नहीं कि हम ट्रेस नहीं कर पाये। यह मिसिंग लिंक ग्रापके स्टेटमेंट में है। ग्राप मौके पर गये, वहां लोगों को काफी सैटिस्फाई किया। जिनकी हत्या हुई, उनको मुग्रावजा देने की बात कही, ऐलान कर दिया, ग्रोफिशल्स से बैठकर, क्या हो सकता है, जैसा माननीय हेतरामजी ने कहा, दो बारातों को रोका, वहा साथ पंचायतें लग रही हैं, गांव में जाते हैं, चन्दा करते हैं, पैम्फलेट पहले शाया करते हैं, ये सारी बातें वहां पर ग्राई कि क्या इन्तजाम हो सकता है। तो मैं इसके बारे में इतना ही निवेदन करना चाहता हूँ कि जहां तक जिला प्रशासन की प्रोम्प्टनैस का सवाल है ग्रौर लोकन पुलिस की प्रोम्प्टनैस का सवाल है, वह तो ग्रा गई। मैंने जो मिसिंग लिंक ग्रापको निवेदन किया। इसके लिये इन्टेंसिव ट्रेनिंग चाहिये हमारे ग्रादमियों को। सोफिस्टिकेटेड हथियार हमारे पास इतने कम हैं ग्रौर फोर्स इतनी एडिक्वेट नहीं है पेट्रोलिंग की, ग्रगर चारों तरफ के हमारे पांचों रास्ते सील कर देते इतने ग्रच्छे व्हीकल हमारे पास होते, हमारी मोबिलिटी इतनी ग्रच्छी होती तो हो सकता है वे पकड़े जाते। वह तो कमी रही है। उसका इन्तजाम तो ग्राइन्दा करना पड़ेगा मगर मैं ग्रापसे निवेदन करना चाहता हूँ कि एक्सट्रीम प्रोवोकेशन के बावजूद भी हमारे जो ग्रापस के रिलेशंस हैं हिन्दू ग्रौर सिख कौम के, उनमें कोई किसी प्रकार का...

श्री उपाध्यक्ष : बात नहीं करें ग्रापस में, प्लीज।

श्री केदारनाथ शर्मा : डिसरेप्शन ग्राज तक नहीं हो पाया। जो टैरेरिस्ट का ऐम है उस इलाके में कि हम उनमें सेन्स ग्राफ एलीनेशन पैदा कर दें, वहां की सिख कौम को मेनस्ट्रीम से ग्रलग कर दें, वे उस ग्राब्जेक्टिव में ग्रभी तक सफल नहीं हुए हालांकि 3-4 साल से इनकी एक्टिविटी काफी इटेंसिव की गई है—बूढ़ाजोड़ हुग्रा, गंगा नगर शहर में हुग्रा। गंगानहर शहर में हुई

(श्री केदारनाथ शर्मा)

दो बारातों को उन्होंने रोका । दो पहले मर्डर कर दिये, फिर सादुलशहर में डकैती डाली, बोर्डर में भी काफी लोग आये, उनमें से कुछ को हमारी फोर्स ने पकड़ा भी है आम एम्युनेशन भी पकड़े हैं, इसमें कोई शक नहीं बहुत सीरियस मामला है, मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि...

श्री उपाध्यक्ष : बातें नहीं, आपस में, प्लीज ।

श्री केदारनाथ शर्मा : पंजाब की तुलना में हमारी पुलिस का मोरल ठीक है और जूनियर, सीनियर में विश्वास है, जो पंजाब में नहीं है। वहां कांस्टेबल का विश्वास अपने सीनियर पर से मिट गया, खत्म हो गया, हमारे यहां विश्वास है और वह जो पेनिक क्रियेट करना चाहते हैं, वह पेनिक भी नहीं है। सिख कौम में हो सकता है कुछ नौजवान हो, लेकिन उनकी गिनती कम है, जिनकी हमदर्दी हो सकती है लेकिन आम सिख कौम में हमदर्दी भी नहीं है, उनके कहने से वहां कोई टेरर पैदा कर नहीं पाया है, मगर फिर भी इन्तजाम होना चाहिए । सगरिया के पास हरियाणा भी है, पंजाब भी है, पाकिस्तान को बोर्डर भी है, अब सार्क कण्ट्रीज और आ जायें, मेरा आपके माध्यम से निवेदन करना है कि हमारी कोई इन्टेन्सिव ट्रेनिंग होनी चाहिये, हमारी मोबिलिटी, हमारे रिसोर्सेज, हमारी ट्रेनिंग, उसमें काफी जाप्ता करना पड़ेगा । मोबिलिटी बहुत कम है, यहां के अफसर बहुत अच्छे हैं; एस. पी. अच्छा है, डी वाई एस. पी अच्छा है, थानेदार साहबान भी जैसे होते है, मतलब के हैं, उनके बारे में मैं नहीं कह सकता, सीनियर अफसर ठीक हैं, मगर मोबिलिटी के लिए जो आपके पास ज्यादा व्हीकल्स हों, उनमें कुछ और ज्यादा आ जाये वायरलेस सेट आ जाए और फोर्स भी आपका अनएज्यूकेटेड है, उसको एज्यूकेट करना पड़ेगा और ट्रेनिंग भी इन्टेन्सिव देनी पड़ेगी । वैसे एनकाउण्टर करो आप अध्यक्षजी, वे लोग बहुत होशियार हैं, उनकी ट्रेनिंग और उनके रिर्सोसेज, उनकी सी. आई. डी. उनका इन्टरसेपशन इतना मजबूत है कि इसका कोई मुकाबला नहीं है । आप ताज्जुब करेंगे पुलिस की जो पंजाब में इन्टरनल डिफेंसेज हैं, उनमें वह दखल कर गये । पंजाब की जो सीक्रेट डिफेंसेज हैं, उनमें पेनेट्रेट कर गये वह लोग, हमारे यहां वह हालत नहीं हैं । पंजाब में हो गया कश्मीर में हो गया और यहां पर भी आपको सबक सीखना पड़ेगा । मैं मानता हूँ कि एक कौम के खिलाफ 28 आदमी हिटलिस्ट में हैं जिनमें से 22 को लिक्वीडेट कर दिया, 6 रह गये । हमारे जिले में केवल दो हैं । एक तो भण्डावली और एक यह डाक्टर है और डाक्टर के बारे में मैं निवेदन करना चाहता हूँ, डाक्टर के कारण भी वहां अनरेस्ट है, लोगों में अनइजीनैस है, लोगों में कुछ बेचैनी है । उसके पास ऐसी ऐक्टिविटीज करने लोग आते हैं, उनसे प्रोवोक होते हैं, बैठे-बैठे पंजाब के लोग, उसका भी थोड़ा जाप्ता कीजिए, किस तरह से परस्यूएट कर सकते हो, आप, किस तरह से रास्ता निकाल सकते हो, कैसे वातावरण को सुधार सकते हो, यह प्रशासन का काम

(श्री केदारनाथ शर्मा)

है। डाक्टर से भी वहां लोगों को एलर्जी है मगर जैसा माननीय हेतरामजी ने कहा मैं भी सोचता हूं कि जो हार्ड कोर यहां थे भिण्डरा वाले के, वह यहां पर आये, माननीय मुख्यमंत्रीजी से मिले, उसके बाद यह पंचायतें बन्द हो गई, जहां तक मेरी जानकारी है संगरिया में अब एक्टिव हो गये हैं, हमारे इलाके में काफी बन्द हो गई और माननीय मुख्य मंत्रीजी से मिलने के बाद आपने आश्वासन भी दिया, उनकी कुछ शिकायतें भी थीं कि हमें शक करते हैं, दस नम्बर में कर दिया, फटमैन्ट्स नोट किये गये है, हमें हमेशा चेज करते हैं, हमें काम नहीं करने देते। काफी राहत मिली, उन्होंने अपने आपको काफी सुधारा भी है, मगर यह पंचायतें ऐक्टिव हो रही हैं, आप को उसका इन्तजाम रखना पड़ेगा, ताकि उनका एरिया आफ इन्फ्यूनेन्स नहीं फैले, हाई डाउटस कहीं क्रियेट नहीं कर पाये, लोगों को अपने पक्ष में अट्रैक्ट नहीं कर पायें और हमारी इण्टरनल डिफेन्स में एन्टर नहीं कर पायें, मोरल को नहीं गिरा पायें और हमारे यह पेनिक क्रियेट नहीं कर पायें, यह जाप्ता आपको लाजिमी तौर पर करना चाहिये। अन्त में मैं इतनी बात और कह दूं उपाध्यक्षजी कि यह कोई मामूली बात नहीं है। सारे पंजाब में हिन्दुस्तान की जो रिजर्व फोर्स है, उसका 3/4 वहां पड़ा है फिर भी वह काबू में नहीं आ रहे हैं। यह एक पोलिटिकल और ला एण्ड आर्डर का मसला भी है। हमारी मौजूदा प्रधानमंत्री से पहले के जो हमारे प्रधानमंत्री थे, उन्होंने काफी कोशिश की कि डायलोग के मार्फत टेबल पर आकर बैठकर कोई रास्ता निकल जाये और मौजूदा प्रधानमंत्री ने भी कहा मिलिरेन्टस से बात करनी चाहिये तो रास्ता कोई न कोई निकालना पड़ेगा कि पंजाब में कैसे सारा प्रशासन रेस्टोर हो, कैसे बैठकर यह ऐक्टिविटीज बन्द हो, कैसे कोई रास्ता निकले, जब तक वहां नहीं हो सकेगा, हम अपने यहां कितने भी इन्तजाम कर लें, उसका इम्पैक्ट हमारे यहां रहेगा। हम अलूफ नहीं रह सकते, बिल्कुल नजदीक बोर्डर है, वहां प्रेशराइज करते हैं, तो यहां भाग आते हैं, हरियाणा में प्रेशराइज करते हैं, तो यहां भाग आते हैं। आज तक कोई अपनी हाई डाउट्स क्रियेट नहीं कर पाये, लोगों को अपनी ओर नहीं ले पाये, यह हमारे इलाके के लिए एक बहुत बड़ी सिल्वर लाइन है, इसलिये मैं सिख कौम की तारीफ करता हुआ जो मेन स्ट्रीम के अन्दर हैं, उनके अन्दर कोई घबराहट नहीं, सेन्स आफ एलीनिटी पैदा नहीं कर पाये और हमारी मौजूदा पुलिस का मोरल ठीक है और आपस में कार्डिनेशन ठीक है और मुझे विश्वास है कि जो हमारी कमियां हैं, वह पूरी की जायेंगी ताकि आइन्दा न तो पंचायत लगे, न ऐसी कोई वारदात हो और हमारा ज्यादा पेट्रोलिंग हो, जितने गेटवेज हैं, वह सील कर दिये जायें ताकि आइन्दा कोई वारदात रिपीट नहीं कर पाये, यही बात कहता हुआ अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : गृह मंत्रीजी।

डा. चन्द्रभान : उपाध्यक्ष महोदय, मेरे दो स्पेसिफिक प्रश्न हैं।

श्री उपाध्यक्ष : नहीं, आपका हर विषय पर बोलना जरूरी है ?

डा. चन्द्रभान : इतना गम्भीर मसला है और बोलना जरूरी नहीं है। दो सवाल हैं, एक तो मैं आपके माध्यम से गृह मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूँ कि क्या सरकार गंगानगर जिले को आतंकवादी गतिविधियों का प्रदेश में केन्द्र मानती है और यदि मानती है तो फिर सरकार के पास...

श्री उपाध्यक्ष : कई प्रश्नों को नहीं करना ही बेहतर होता है, कई प्रश्न नहीं करना ही बेहतर होता है, राज्य के हित में भी होता है और ...

डा. चन्द्रभान : नहीं. नहीं। यह कोई ऐसा प्रश्न नहीं है जो राज्य के हित में नहीं हो, मैं यह पूछना चाहूँगा...

श्री उपाध्यक्ष : माननीय गृहमंत्रीजी। माननीय गृह मँत्री जी।

डा. चन्द्रभान : मैं यह पूछना चाहूंगा कि सरकार के पास गतिविधियों को रोकने के लिए योजना है और क्या राजस्थान प्रदेश की पुलिस का सरकार आधुनिकीकरण करना चाहती है।

श्री उपाध्यक्ष : यह बात ही नहीं, आप सुन नहीं, रहे थे जब प्रो. साहब कह रहे थे, बेनीवाल साहब कह रहे थे।

श्री भैरोंसिंह शेखावत (मुख्यमंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय मैं माननीय सदस्यों का आभारी हूं कि उन्होंने संगरिया प्रकरण के आधार पर पूरे गंगानगर जिले की स्थिति का यहां एक चित्र प्रस्तुत किया। यह बात सही है कि आतंकवादियों की नजर गंगानगर जिले पर है, आज से ही नहीं बहुत वर्षों से और खास तौर पर जब आनन्दपुर साहिब में एक सम्मेलन हुआ और उसमें प्रस्ताव पारित किया गया, इस प्रस्ताव में भी गंगानगर जिले की कुछ तहसीलों पर उनकी नजर थी और इस बात का उन्होंने प्रस्ताव भी पारित किया कि गंगानगर जिले की 8 तहसीलें पंजाब में शामिल की जायें। यह भी सही है कि गंगानगर जिले में राजस्थान के अन्य जिलों की तुलना में सिखों की सबसे ज्यादा आबादी है। यह जिला पंजाब से लगा हुआ है, यह जिला पाकिस्तान से लगा हुआ है, यह जिला हरियाणा से लगा हुआ है और इस कारण समय-समय पर पंजाब में किसी न किसी वर्ग द्वारा यह मांग उठायी जाती रही है कि पंजाब का और गंगानगर जिले का बहुत निकट का सम्बन्ध है और गंगानगर जिले की 8 तहसीलें पंजाब में शामिल होनी चाहिये। मैं समझता हूँ कि कभी भारत सरकार ने भी इसको स्वीकार नहीं किया, न राजस्थान सरकार ने इसको स्वीकार किया और न आतंकवादियों के मन में इस बात का कोई तनिक मात्र भी विश्वास पैदा हुआ है कि हम मारधाड़ से हत्याएं कर, या इस प्रकार की छोटी-मोटी पंचायतें कर हम इस जिले की 8 तहसीलों को पंजाब में शामिल कर पायेंगे। आपको याद होगा कि इस वर्ष जिस समय चुनाव हुए, कुछ चुनाव के पहले एक बार ऐसी स्थिति जरूर बनी थी कि सिमरनजीतसिंह मान का ग्रुप यहां चुनाव लड़ेगा और

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

चुनाव में आतंकवादियों के सहारे यह गंगानगर जिले सब सीटों पर अपना कब्जा कर लेगें। उस समय समाचार पत्रों में भी इस बात का कई बार उल्लेख हुआ है। गंगानगर जिले के लोगों को भी इस बात की चिन्ता थी लेकिन आपने इस बात को अच्छी तरह से देखा होगा कि चुनाव के समय जिस प्रकार का भ्रम उत्पन्न हो रहा था, वह भ्रम सही नहीं निकला और जहां-जहां भी मान गुट के व्यक्ति खड़े हुए, वह सब चुनाव में पराजित हुए। उस पराजय के पहले भी इस प्रकार की पंचायतें हुई थीं। इन पंचायतों के माध्यम से मान ने अपना वर्चस्व गंगानगर जिले में बढ़ाने की कोशिश की है। लेकिन चुनाव के जो परिणाम आये उन परिणामों से गंगानगर जिले की जनता ने यह सिद्ध कर दिया कि आतंकवाद से दबकर हम किसी प्रकार का निर्णय लेने वाले नहीं हैं। उस स्थिति में कई दिनों तक आतंकवादी और उनके समर्थक शान्त रहे। लेकिन उसके बाद पंजाब में जिस प्रकार की राजनीतिक गतिविधियां दूसरे रूप में बदलने लगीं, उन्होंने इस बात की कोशिश की कि अब हम पंजाब के साथ-साथ गंगानगर जिले में भी अपनी खालसा पंचायतें करें, पंचायतों का वर्चस्व बढ़ायें पंचायतों के माध्यम से धन एकत्र करें और पंचायतें इस बात का एक आधार भी बन जायं कि कभी उग्रवादी छिपने के लिए जायं तो उन उग्रवादियों को वहां शरण भी मिल जाय। प्रोफेसर केदार अच्छी तरह से जानते हैं कि जिस समय ये गतिविधियां बढ़ने लगीं पुलिस ने सख्ती की, प्रशासन ने सख्ती की और उसके अच्छे परिणाम निकले। इसी सख्ती के वातावरण में उनका प्रतिनिधिमण्डल मुझसे मिला और उन्होंने अपनी समस्यायें रखीं। प्रोफेसर केदार इस बात के साक्षी होंगे कि मैंने उनको एक बात का एश्योरेंस दिया था कि आप सबके साथ यदि किसी प्रकार का अन्याय होता है तो मैं उसकी जिम्मेदारी लेता हूँ, लेकिन आप यदि आतंकवादी गतिविधियों में शामिल होते हैं तो मेरे पास किसी प्रकार का बचाव नहीं हो सकता। और ये खालसा पंचायतें उसी का अंग हैं। इन खालसा पंचायतों के माध्यम से जनता में एक आतंक का वातावरण बन रहा है ये कि खालसा पंचायतें धन एकत्र करने के लिए एक साधन बन गयी हैं, खालसा पंचायतें आपस के मुकदमें निपटाने के लिए एक अदालत का रूप ले रही हैं, खालसा पंचायतें लोगों के सामाजिक जीवन में अवरोध पैदा करने का भी प्रयत्न कर रही हैं। लेकिन मुझे यह कहते हुए खुशी है कि उस समय वे जो वचन देकर गये थे उस वचन को उन्होंने निभाया और कई महीनों तक इन खालसा पंचायतों का काम बन्द रहा। मैं अब भी मानता हूँ कि जिस क्षेत्र के लोग आये थे कि हम आज से खालसा पंचायतों का किसी प्रकार का आयोजन नहीं करेंगे और उन लोगों ने जो एश्योरेन्स दिया था, उस एश्योरेंस के आधार पर आज भी काम कर रहे हैं। प्रोफेसर केदार ने भी इस बात को स्वीकार किया है कि उस क्षेत्र में इस प्रकार को खालसा पंचायतों की गतिविधियां चालू नहीं हैं। प्रश्न आया संगरिया का। संगरिया में जिस प्रकार की स्थिति हुई वह

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

गृह मंत्रीजी ने अपने वक्तव्य में पूरी तरह से बता दी, मैं उसको रिपीट करना नहीं चाहता। मैं इस बात को भी मानता हूं कि पंजाब की बार्डर पर होने के कारण, पाकिस्तान की बार्डर पर होने के कारण गंगानगर में सुरक्षा बलों की संख्या अधिक होनी चाहिये। जिस समय केन्द्रीय गृह मंत्री मुफ्ती साहब थे उन्होंने एक बैठक का आयोजन किया था गंगानगर के विषय में। उस समय मैंने उन से निवेदन किया था। राजस्थान की बार्डर के सम्बन्ध में एक एक्शन प्लान बनाया गया था। पंजाब की तरह से ही राजस्थान की बार्डर के लिए भी एक्शन प्लान बना था। उस एक्शन प्लान का पालन अभी तक नहीं किया गया। जितनी संख्या में फोर्स होनी चाहिये, फ्लश लाइट्स का जिस प्रकार प्रबन्ध होना चाहिये, बार्डर पर जिस प्रकार की तारबन्दी होनी चाहिये, सुरक्षाकर्मियों के पास जिस प्रकार के वाहन होने चाहिये, जिस प्रकार के आर्म्स एण्ड एम्युनिशस होने चाहिये उस प्रकार की स्थिति नहीं बनी। उस समय मैंने निवेदन किया था कि इसकी तुरन्त व्यवस्था की जाय ताकि गंगानगर जिला भी इस प्रकार की कार्यवाही को रोकने में सक्षम और समर्थ सिद्ध हो सके। मुझे इस बात की खुशी है कि भारत सरकार ने हमारी बात को माना। आज मैं यहां कहना नहीं चाहूंगा, इस सम्बन्ध में जो व्यवस्थायें की जा रही हैं वे व्यवस्थायें होते ही आपने जो बताया फोर्स की, आर्म्स एण्ड एम्युनिशश की इस प्रकार की कमियों की बहुत जल्दी पूर्ति हो जायेगी। इस कमी के कारण जो अपराध हो रहे हैं वह मैं समझता हूँ उस कमी पूर्ति करने के बाद अपराधों पर एक प्रकार का नियन्त्रण आयेगा। मुझे इस बात की खुशी है कि पुलिस संगरिया में मौके पर पहुंच गयी, तत्काल मौके पर पहुंच गयी। वहां से, उपाध्यक्ष महोदय, मेरे पास एक चिट्ठी भी आयी है कि पुलिस जब वहां पर पहुंची तो पुलिस ने बजाय इसके कि आतंकवादियों का पीछा करे पुलिस मृतक के घर पर गयी और वहां शराब पीने लगी। मुझे समझ में नहीं आता कि जांच करने वाले व्यक्ति मृतक के परिवार के पास जाकर किसी प्रकार से शराब पीयें, इस प्रकार गैर जिम्मेदार तो नहीं हो सकते। मैंने जानकारी की, गृह मंत्रीजी से भी पूछा। उन्होंने कहा यह बात असत्य है। वहां पर किसी ने इस बात को स्वीकार नहीं किया, बल्कि सब लोगों ने एक ही आवाज में कहा कि पुलिस तत्काल पहुंच गयी। प्रश्न आया कि जिधर स्कूटर गया उनका सही पीछा क्यों नहीं किया। हेतराम जी की यह शिकायत उचित हो सकती है, लेकिन मैं कह सकता हूं कि जिस प्रकार घनी आबादी में देखा लोगों ने, वे उनसे डर गये। किधर आतंकवादी गये हैं या हत्यारे गये हैं, इस बात की तो जानकारी दी नहीं, सामने कोई आया नहीं। संयोग से मृतक के परिवार या घायल के परिवार के लड़के के हिम्मत करके बताया कि इन-इन लोगों से जानकारी कर ली जाय ये किधर से गये हैं उसका रास्ता बता देंगे। जानकारी की और जो रास्ता बताया उस रास्ते वे गये। पीछा किया लेकिन नहीं पकड़े जा सके। पुलिस के सामने यह समस्या जरूर है कि वह अपने

(श्री भैरोंसिह शेखावत)

विवेक से काम ले या लोग जो जानकारी दे रहे हैं उस आधार पर उनका पीछा करे। अगर जानकारी जिस रास्ते की दी गयी उस रास्ते पर ही आतंकवादी गये होते और पुलिस उनकी बात का विश्वास नहीं करके दूसरे रास्ते की ओर जाती तो लोग यह आरोप भी लगाते कि पब्लिक तो यह कह रही थी कि यह स्कूटर इस तरफ से गया है और इस तरह से पुलिस वालों ने अपनी जान बचाने के लिये उनका पीछा नहीं किया बल्कि दूसरा रास्ता पकड़ लिया। जब सार्दुल शहर बैंक डकैती का मामला हुआ था उस समय यह बात हुई थी। उस समय मैं भी गया था सार्दुल शहर। वहां पर लोगों की आम शिकायत थी कि हमने जिस रास्ते के लिए बताया उस रास्ते पर पुलिस नहीं गयी, हमने पुलिस को जिस समय सूचना दी उस समय पुलिस नहीं आयी, आने में विलम्ब किया और विलम्ब करने के मामले में भी कई प्रकार की शिकायतें उस समय की गयीं। पुलिस सुविधा में भी हो सकती है। केदार जी जैसा कह रहे हैं कि इस प्रकार की ट्रेनिंग पुलिस की हो कि ऐसे मौके पर किसी तरह सही अनुमान लगा सकें कि वे कौन से रास्ते से नहीं जा सकते। मैं समझता हूँ कि इतना ज्ञान ट्रेनिंग के बाद भी उनको मिल जायेगा, मैं कह नहीं सकता। यह सही है कि विवेक और पुराने अध्ययन से वे अनुमान जरूर कर सकते हैं कि स्कूटर वाले गये हैं तो किस रास्ते से जायेंगे, किस रास्ते से जाने की उनकी सम्भावना है।

श्री हेतराम बेनीवाल : पक्की सड़क से क्यों नहीं गये ? एक ही सड़क है। गंगानगर की सड़क पर ब्लाकेड है और एक मोड़जन्द की सड़क है, जिस पर पुलिस क्यों नहीं गयी ? पक्की सड़क को छोड़कर कच्चे रास्ते पर पुलिस घूमती रही। एक जीप अगर चली जाती तो मिल जाते।

श्री भैरोंसिह शेखावत : हेतराम जी, आप जरा इस आधार पर सोचें कि आपने भी पुलिस की नीयत पर सन्देह नहीं किया, न प्रोफेसर केदार ने उनकी नीयत पर सन्देह किया। यह सवाल तो आता है नीयत का कि क्या उनकी नीयत यह थी।

श्री हेतराम बेनीवाल : असल बीमारी यह है कि उनके पास दो लम्बी राइफलें थीं। यह भी सही है कि बाजार में लोग डर गये, औरतों ने बताया नहीं, लोग लेट गये। ए.के. 47 राइफलें लेकर आये उससे डर गये। पक्की सड़क के बिना दो स्कूटर जा नहीं सकते।

श्री भैरोंसिह शेखावत : मैं मानता हूं कि उनके पास ए. के.-47 थी और हमारे पास नहीं थी, मैं इसको इंकार नहीं करता। क्वेश्चन यह है कि क्या पुलिस की नीयत खराब थी और क्या पुलिस वाले मन से यह चाहते थे कि हम उनका...

श्री हेतराम बेनीवाल : यह तो हमने भी नहीं कहा। डर गये।

श्री भैरोंसिह शेखावत : नहीं कहा तो केवल उनके अनुमान लगाने का ही प्रश्न है। अनुमान लगाने का प्रश्न भी इस पर

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

डिपेण्ड करता है कि एक तरफ कुछ आदमी कह रहे हैं कि उस रास्ते से गये। जब वे कह रहे हैं तो रास्ते से पुलिस नहीं जाय? जैसा मैंने पहले निवेदन किया, मान लीजिए कि वे उसी रास्ते से गये हों और पुलिस उनका पीछा उस रास्ते से नहीं करे तो पुलिस को लोग यह कहते कि गांव वालों ने और आंख से देखने वालों ने तो यह कहा...

श्री हेतराम बेनीवाल : भैरोंसिंह जी, उस रास्ते पर पुलिस गयी है अन्दाजे से, पुलिस को किसी ने बताया नहीं। बाजार के जो लोग हैं उन्होंने पुलिस को नहीं बताया कि किधर गये वे। पुलिस अपने अन्दाजे से गयी है।

श्री कुन्दनलाल मिगलानी : हमें बताया है। उन्होंने कहा है कि हमने कहा कि गलत बताया गया है। मैं कह रहा हूं आदमियों ने बताया है कि हम उनको गुमराह कर बैठे इसलिए वे चले गये। हमारे सामने बताया है।

श्री हेतराम बेनीवाल : बताया होगा, सड़क ही नहीं है वहां।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : इसमें कोई विवाद ही नहीं है। विवाद केवल इतना-सा है कि पुलिस वहां जिस रास्ते से हेतराम जी कह रहे हैं उस रास्ते से नहीं गयी। उनको दूसरे रास्ते से जाना चाहिये। मैं कह सकता हूं कि जब मुठभेड़ नहीं है, कोई भी कह सकता है कि वह इस रास्ते से जाते तो मुठभेड़ हो जाती, इधर से जाते तो मुठभेड़ हो जाती यह बात अत्र कोई भी आदमी कह सकता है लेकिन जैसे मैंने कहा कि अगर नीयत साफ हो तो छिपाने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है।

(2,00 म. प.)

अब प्रश्न आया, उपाध्यक्ष महोदय, कि जिस प्रकार की घटनाएं हो रही हैं, मैं समझता हूँ कि उन घटनाओं की जानकारी है, घटनाओं के बारे में चिन्ता भी है और घटनाओं के बारे में पूरी व्यवस्था भी कर रहे हैं। यही गंगानगर जिला है, एक तरफ पाकिस्तान से पूरी सुरक्षा का प्रबन्ध करना पड़ रहा है और दूसरी तरफ पंजाब के लोग यहां आकर कोई उत्पादत न कर जायं इस सम्बन्ध में व्यवस्था करने में सब सक्रिय हैं। कोई इस सम्बन्ध में नहीं चाहता कि गंगानगर जिले में किसी प्रकार की अशांति फैले, भय पैदा हो, लोगों में आतंक पैदा हो और लोग रोज-मर्रा के काम में किसी प्रकार का भी गुरेज कर सकें। यह सब प्रकार की चीजें रोकने की कोशिश कर रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, आज यदि पुलिस निष्क्रिय होती, आज मैं आपको बता सकता हूँ कि राजस्थान में एक वर्ष या डेढ़ वर्ष में बी. एस. एफ. ने और राजस्थान पुलिस ने और राजस्थान के प्रशासन ने बार्डर के ऊपर जितने हथियार पकड़े हैं वह उन्होंने एक नया कीतिमान बनाया है। वही हथियार अगर गंगानगर में आ जाते या वही हथियार

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

पंजाब में पहुंच जाते या वही हथियार कोई दूसरे क्षेत्र में पहुंच जाते तो कितना उत्पात होता आप इसका अन्दाज लगा लें। एक तरफ बार्डर की सुरक्षा कोई आसान नहीं है, लोग कर रहे हैं अपनी जी जान को जोखम में डालकर उसकी रक्षा किस प्रकार से की जा सकती है वह कर रहे हैं। पाकिस्तान और हिन्दुस्तान के बीच में कितनी बार्डर है, फिरोजपुर से शुरू होती हुई कहां रणकच्छ के आगे समुद्र के किनारे तक पहुंचती है और जो लोग अपराध करने वाले हैं वह तो मिटिक्यूलस ट्रेनिंग किये हुए होंगे और उस ट्रेनिंग का मुकाबला स्केटर्ड वे में तो किया जा सकता है लेकिन आज मुकाबला यह कर सकें कि किधर से आने वाले हैं, यह आने वाले की मर्जी पर निर्भर करता है कि वह किधर से आयेगा। पुलिस वहां पर हो या नहीं हो इस बात की जानकारी मिले इसके लिये इन्टेलिजेन्स की काफी स्ट्रेन्थन किया गया है, सब प्रकार की सूचनाएं मिल रही हैं। मैं सदन को जानकारी देना चाहूँगा कि आज 14.3.1991 को प्रातः साढ़े चार बजे पिलर संख्या 276 हिन्दुमल कोट के पास सीमा सुरक्षा बल ने पाकिस्तान की ओर से भारत की सीमा में प्रवेश करते हुए 4-5 आदमियों को ललकारा। ललकारने पर वह तो भाग गये, सीमा के बिल्कुल निकट थे, निकट थे इसलिये सीमा के अंदर वापस चले गये, ललकारा लेकिन वह व्यक्ति अपने साथ में जो हथियार लाये थे वह हथियार नहीं ले जा सके। अब आप अन्दाज लगायें कि हथियार किस प्रकार के थे, 4 बैग में थे सारे हथियार जमा, जिनमें 1 एम. एम. जी. मय 20 मैगजीन के, 2107 कारतूस, 6 पिस्टल 9 एम. एम. की मय 16 मैगजीन, 321 कारतूस, 10 हैण्ड ग्रेनेड, 40 थैलिया प्लास्टिक विस्फोटक की वजन 20 किलोग्राम, 2 क्वायल कोर्डक्ट, 25 मीटर तार, एक रिमोट कन्ट्रोल डिवाइस, 2 वाटर कटर, 15 इलेक्ट्रिक डिटोनेटर, 15 प्लेन डिटोनेटर, 20 ट्राँजिस्टाइजड डिटोनेटर यह यहां तो अभी आया नहीं, पहली बार हिन्दुस्तान में प्रवेश हुआ है, 6 राइफल, तेल की शीशियां व 10 राइफल तेल के डिब्बे।

इसके पहले मैं समझता हूं कि जब-जब भी इधर से आतंकवादियों ने राजस्थान की सीमा में प्रवेश करने की चेष्टा की है तो बी. एस. एफ और पुलिस ने, दोनों ने मिल कर उनका मुकाबला ही नहीं किया उनका माल जप्त किया है। कई लोग एनकाउण्टर में मारे भी गये हैं, कई घायल भी हुए हैं और उन लोगों ने जिस प्रकार की जानकारी दी है वह सदन में बताना तो उचित नहीं होगा लेकिन उस प्रकार की जानकारी का आप अन्दाज लगा सकते हैं कि इनकी तैयारी किस प्रकार की है, किस प्रकार का उनको प्रशिक्षण मिल रहा है, प्रशिक्षण की व्यवस्था किस प्रकार हो रही है, किस प्रकार से आतंकवाद को बढ़ाया जाय इस प्रकार से उनका प्रशिक्षण हो रहा है। अब उसके मुकाबले में हमारी पुलिस को जो साधारण प्रशिक्षण मिल रहा है उस प्रशिक्षण से उनका मुकाबला करने में तैयार हैं, मुकाबला करते भी हैं और पंजाब में जिस प्रकार की स्थितियां हो रही

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

हैं, पंजाब में भी लोग मर रहे हैं, पंजाब के डी. जी. पी. पर उनके ग्राफिस में ग्रातंकवादियों ने हमला किया, कितने ग्रादमी मारे गये ? वहां तो सब प्रकार की सुरक्षा का प्रबन्ध था लेकिन जैसा मैंने कहा कि जो ग्रादमी खुद ग्रपनी योजना बनाकर काम करता है उस योजना का जब तक हमको पता नहीं लगता कि उसकी योजना किस प्रकार की है उस समय तक उसका मुकाबला करने में कहीं दिक्कत ग्रा सकती है, समय की भी ग्रा सकती है, साधनों की ग्रा सकती है ग्रौर शस्त्रों की भी ग्रा सकती है, यह सब दिक्कतें ग्रा सकती हैं। ग्रातंकवादी ग्राज इस प्रकार तुले हुए हैं कि हम जिस चीज का बदला लेना चाहे, बदला लें ग्रौर लेने के उपरान्त भय का वातावरण पैदा करने के उपरान्त भी मुझे इस बात की खुशी है कि वह ना पंजाब में हिन्दू-सिक्खों के ग्रन्दर डिविजन क्रियेट कर पाये ग्रौर गंगानगर जिले में तो डिविजन क्रियेट करने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है। जहां तक हिन्दु ग्रौर सिक्ख, गंगानगर जिले के सिक्खों के बारे में कह सकता हूँ कि कोई गंगानगर जिले को पंजाब में मिलाना चाहे इसके पक्ष में नहीं है, कोई ग्रातंकवाद का समर्थन करना चाहे इसके पक्ष में नहीं है लेकिन ग्रपने परिवार में भी 4 भाई होते हैं, 4 में 3 सज्जन होते हैं ग्रौर एक ग्रादमी दूसरे स्वभाव का होता है, दूसरे स्वभाव वाला व्यक्ति गड़बड़ कर ले तो पूरे परिवार को हम दोषी ठहराने की स्थिति में नहीं रहते हैं। उसी प्रकार से कुछ लोगों ने ग्रातंकवादियों को शरण दी है तो उनके खिलाफ हम एक्शन ले रहे हैं ग्रौर लिया है ग्रौर भविष्य में भी लेंगे। लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि गंगानगर की जनता न ग्रातंकवादियों के साथ है, न ग्रातंकवादियों से प्रभावित है, न ग्रातंकवादियों से भयभीत है। ग्रब ग्रातंकवादी किसी ग्रकेले ग्रादमी को पकड़ कर उससे किसी प्रकार का कुछ एक्सटेक्ट करना चाहें तो कई बार सवाल ग्राता है जिसमें ग्रादमी ग्रपने बचाव के लिये इस प्रकार की कार्यवाही कर सकता है। मैं तो सदन को इस बात से ग्राश्वस्त करना चाहता हूं कि गंगानगर जिले में ग्रातंकवादी गतिविधियां न तो बढ़ रही हैं, न बढ़ने दी जायेंगी। ग्राज तक जितनी बार ग्रातंकवादियों ने गंगानगर जिले में प्रवेश किया है उनके खिलाफ सख्ती से कार्यवाही की गई है, पुलिस को भी सख्ती से कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये हैं लेकिन मैं इंकार नहीं करता कि इस बीच में कुछ घटनाएं हो गई हैं, उस घटनाग्रों को रोकने की भी कोशिश की जा रही है, दोषी व्यक्तियों के खिलाफ भी कार्यवाही की जा रही है।

श्री हेतरामजी ने एक बात बताई, जो मेरी जानकारी में ग्रभी नहीं थी कि कोई ग्राफिसर थे जिसको कोर्ट में जाकर उनके खिलाफ एविडेन्स देनी थी। मैं जानकारी करके ग्रापको बता सकूंगा। ग्रभी तत्काल उसका उत्तर दे सकूं इस प्रकार की स्थिति में नहीं हूँ। लेकिन मैं इतना बता देना चाहता हूँ कि जिस ग्रधिकारी के भी पुलिस में 161 में बयान दर्ज हुए हैं ग्रौर कोर्ट में जाकर ग्रातंकवादियों को प्रभावित करने या लाभान्वित करने या उनको बचाने की

(श्री भैरोंसिह शेखावत)

दृष्टि से यदि अपने बयानों में किसी प्रकार की हेराफेरी की है तो निश्चित रूप से सरकार उसके खिलाफ कार्यवाही करेगी...

श्री हेतराम बेनीवाल : कोर्ट में इंकार किया है और अभी ए. डी. एम. है राजस्थान में।

श्री भैरोंसिह शेखावत : वही मैं कह रहा हूँ. आपकी ही बात पर मैं कह रहा हूँ। मुझे तो इस समय आपने जानकारी दी है। यदि आप विधायक के नाते विधान सभा में बोलने के लिये इस पाइण्ट को रिजर्व नहीं रखते और पहले मुझे इत्तला दे देते तो मैं आपको कह सकता हूँ कि आज आपको यहां बोलने की आवश्यकता नहीं पड़ती और उस अधिकारी के खिलाफ निश्चित रूप से एक्शन ले लेते।

श्री हेतराम बेनीवाल : राज इनका था, इनिशियली डेढ़ साल पहले की घटना है। जहां बम बरामद हुआ, बम बरामदगी के के बाद में उसका केस चला। कोर्ट के अन्दर जब केस चला, बरामदगी ए. डी. एम. ने करवाई थी मौके पर ए. डी. एम. भी गवाह था...

श्री भैरोंसिह शेखावत : वह मैं समझ गया। मैं कह रहा हूँ कि चाहे 2 वर्ष पहले की घटना हो, चाहे तीन वर्ष पहले की घटना हो। न तो उस सरकार की ऐसे व्यक्तियों को छिपाने की इच्छा हो सकती थी और न इस सरकार की ऐसे व्यक्तियों को छिपाने को इच्छा हो सकती है।

मैं इतना ही निवेदन करना चाहूंगा कि आपने जानकारी दी है, मैं उन सारी पत्रावलियों का अध्ययन करूंगा, यदि किसी प्रकार का कोई दोषी पाया गया तो सदन को आश्वस्त करना चाहता हूँ कि निश्चित रूप से एक्शन लिया जायेगा। मैं इस सदन को फिर आश्वस्त करना चाहूंगा कि गंगानगर में आतंकवादी गतिविधियों को रोकने के लिये पूरे प्रयास किये जा रहे हैं, आतंकवादियों के पैर जमने नहीं दिये हैं और भविष्य में भी उनके पैर नहीं जमे इस सम्बन्ध में राज्य सरकार कोई कार्यवाही करने में कसर नहीं छोड़ेगी।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : चर्चा समाप्त हुई।

श्री हेतराम बेनीवाल : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे सिर्फ....

श्री उपाध्यक्ष : अब कुछ बचा ही नहीं है।

श्री हेतराम बेनीवाल : मैं बचने की बात नहीं कह रहा हूँ। ऐसा है कि मैं एक बात निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे पड़ोस में पंजाब में जो लोग रहते हैं ढाणियों में उनको हथियार दिये गये हैं। यह निश्चित तौर से सही है कि उग्रवादियों की घटनाएं जो हमारे वातावरण को पैदा कर पायी हैं वह उस रूप में नहीं हैं फिर भी जो लोग वहां पर रहते हैं, अभी गृह मंत्रीजी को मालूम नहीं है वहां पर धारा 144 लगी हुई थी, हथियार लोग बाहर निकालकर

(श्री हेतराम बेनीवाल)

ला नहीं सकते थे, हथियार वहां पर 3 साल से किसी को मिल नहीं रहे हैं, इस लिए बहुत से ऐसे परिवार हैं जो ढाणियों में रह रहे हैं 3-3, 4-4 घरों के रूप में उनको इस तरह का खतरा है। माननीय मुख्य मंत्रीजी से प्रार्थना करूंगा कि गंगानगर जिले में भी हथियारों के मामले में जो पाबन्दी सरकार ने लगाई है उसके सम्बन्ध में किसी रूप में छूट दें ताकि लोगों को सैल्फ डिफेन्स का भी अहसास हो सके और उनकी हथियारों से रक्षा की भावना पैदा हो सके।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : उपाध्यक्ष महोदय, यह हथियार के लाइसेन्स देने का मामला भी बहुत गम्भीर है। मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि यह सही है कि कई लोगों ने इस बात के लिये आवेदन पत्र दिये हैं कि हमको हथियारों के लाइसेन्स दिये जायें। उसके सम्बन्ध में दोनों प्रकार की जानकारी मिली है। एक तो सैल्फ डिफेन्स में हथियार लेना और हथियार का प्रयोग करना नहीं जानता, यह सैल्फ डिफेन्स नहीं है सुसाइड है। जो लोग हथियार चलाना जानते नहीं, उनको हथियार दिये जायें, नम्बर एक। तो इस बात को आपको भी जानकारी है और मुझे भी जानकारी है कि आतंकवादियों की सबसे पहली नजर हथियार पर पड़ती है। अभी पंजाब में जो पिछले वर्ष और इस वर्ष घटनाएं हुई हैं, हथियार जिनके पास थे उन पर हमला हुआ और सबसे पहले उनसे कहा कि या तो मौत को मन्जूर करो और मौत मन्जूर नहीं करते हो तो तुम्हारे पास जो हथियार हैं वह दे दो। आज पंजाब में तो हालत यह है कि लाइसेन्स होल्डर के पास लाइसेंस है और हथियार नहीं है। मुझे कोई व्यक्तिशः किसी को हथियार दिये जायें इसमें आपत्ति नहीं है लेकिन हथियार उस लाइसेंस के माध्यम से आतंकवादियों के हाथ में नहीं चले जायें, इस बात की तो जानकारी लाइसेंस देने से पहले करनी ही पड़ेगी।

श्री हेतराम बेनीवाल : ऐसी कितनी घटनाएं हुई हथियार खोसने की? एक पुलिस से घटना हुई है। पब्लिक में हजारों लोगों के पास हथियार हैं और आज तक एक भी हथियार नहीं खोसा, सिर्फ पुलिस से खोसा।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : वह ठीक है। मैं तो जनरल बात कह रहा हूं। देने में कोई आपत्ति नहीं है। दूसरा प्रश्न यह आता है कि जिनको हथियार दिये जायें वह हथियार देने के मामले में क्या कभी हथियारों के लिए क्रिमनल टेन्डेंसी तो उनकी नहीं बन जायेगी। यह भी एक प्रश्न आता है।

इन सारे प्रश्नों के आधार पर विचार करके मैरिट के आधार पर लाइसेंस दिये जायें। मैं खुद कई बार सोचता हूं कि गंगा नगर जिले के सभी लोगों को हथियार दे दें। तो मुझे यह गारण्टी दे दीजिये कि अगर सब लोगों को हथियार हम दे देंगे तो वहां जो मर्डर का रेट है या पर्सेण्टेज है, यह अन्य जिलों के मुकाबले में बहुत ज्यादा है वह कम होगा या बढ़ेगा। (व्यवधान) यही तो मैं कह रहा हूँ। फिर लाइसेंस अपने दे दें तो फिर नाजायज लेने की कोई जरूरत ही नहीं है। यह कुछ प्रश्न हैं,

Page No. 126

126

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

केदार जी गृह मंत्री रहे हुए हैं और इन्होंने भी इस प्रश्न के ऊपर गम्भीरता से चिन्तन किया है तो मुझे तो कोई आपत्ति नहीं है। यदि आप चाहें कि अमुक लोगों को लाइसेंस दिये जायें तो सरकार को क्या आपत्ति है। यही सरकार लेना चाहती है। इन प्रिकाशन्स के आधार पर यदि मैरिट कोई बनती है तो लाइसेंस देने में सरकार को कोई आपत्ति नहीं होगी। आप अगर चाहें गंगानगर जिले के सब विधायक और सब मिनिस्टर बैठ जायें...

श्री सम्पतराम : मुख्य मंत्रीजी, यह तो यह कह रहे हैं कि जो अपने सिद्धान्त बने हैं उस मैरिट के ऊपर जांच करें, उस पर विचार कर लिया जाये।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यही कह रहा हूं। इसलिए न तो इनको आपत्ति होगी, न मुझे आपत्ति होगी।

समिति का प्रतिवेदन

प्राक्कलन समिति 'क' 1990-91 का पहला प्रतिवेदन

श्री उपाध्यक्ष : समिति के प्रतिवेदन का उपस्थापन। श्री बंशीलाल पटवा।

श्री बंशीलाल पटवा (सभापति, प्राक्कलन समिति 'क') : अध्यक्ष महोदय मैं सार्वजनिक निर्माण विभाग (भवन एवं पथ) विषयक प्राक्कलन समिति "क" 1986-87 के दूसरे प्रतिवेदन में समाविष्ट सिफारिशों पर शासन द्वारा की गई कार्यवाही से सम्बन्धित प्राक्कलन समिति 'क', 1990-91 का पहला प्रतिवेदन उपस्थापित करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : याचिकाओं का उपस्थापन। श्री अमीन खां।

याचिकाओं का उपस्थापन

श्री अमीन खां (शिव) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित याचिकाओं का उपस्थापन करता हूँ :—

(1) जिला जैसलमेर के ग्राम चेलक से बईया वाया बम्बरा मंगरा तक सड़क बनाने बाबत, पांच व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित,

(2) जिला जैसलमेर के ग्राम देवीकोट से रामा तक अपूर्ण सड़क को पूर्ण कराने बाबत, पांच व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित,

(3) जिला बाड़मेर के ग्राम गिराब से झिनझिनीयाली तक सीमा विकास के तहत सड़क बनाने बाबत, पांच व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित,

(4) जिला बाड़मेर के ग्राम भाचभर से तामलीयार तक सात किलोमीटर सड़क बनाने बाबत। पांच व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित।

श्री उपाध्यक्ष : आय-व्ययक पर सामान्य वाद-विवाद। श्री जनार्दनसिंह।

आय-व्ययक पर सामान्य वाद-विवाद

श्री जनार्दनसिंह गहलोत (करौली) : उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान के मुख्य मंत्री

(श्री जनार्दन सिंह गहलोत)

जी ने वित्त मंत्री के रूप में इस वर्ष 1991-92 का जो बजट सदन में पेश किया है, मैं यह कह सकता हूं कि यह बजट सही मायने में विकास की दृष्टि से, जो राजस्थान के चहुंमुखी विकास की बात हमेशा मुख्य मंत्रीजी किया करते थे उसकी दृष्टि से बिल्कुल निराशाजनक है। जहां एक तरफ बीस करोड़ रुपये की बचत पिछले वर्ष में मुख्य मंत्री जी ने दर्शायी है, उपाध्यक्ष महोदय, यह कहा जाये तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि पिछला वर्ष राजस्थान के लिए इस प्रकार का रहा है शायद ही राजस्थान के इतिहास में ऐसा कभी रहा हो जहां राजस्थान के चहुंमुखी विकास की बात मुख्य मंत्रीजी किया करते थे वहीं राजस्थान में कहीं सड़कों का निर्माण नहीं हुआ। जहां राजस्थान के मुख्य मंत्री जी ने यह कहा कि पूरे राजस्थान के अन्दर पानी की किल्लत नहीं होने दूंगा। पूरे साल सही मायने में जिन कठिनाइयों से राजस्थान की जनता पानी के लिए तरसी है वह बातें केवल मात्र खोखली साबित हुई हैं। इन्द्र देवता की कृपा अगर नहीं होती तो सही मायने में क्या राजस्थान में बीतती यह राजस्थान की जनता से छिपा हुआ नहीं है।

पूरे राजस्थान के अन्दर जो हैण्ड पम्प्स थे, आज 90 प्रतिशत खराब पड़े हैं। गांवों में पानी पीने के लिए उपलब्ध नहीं करा पाये। मुख्य मंत्रीजी ने नागौर के अन्दर भारत सरकार के प्रधान मंत्रीजी के सामने कोई नई योजना रखने की बात कही थी। लगता है कि राजस्थान की सरकार ने नई योजना बनाई ही नहीं। यह बात भी सही है कि रेवेन्यू विलेजेज के अन्दर जिस प्रकार के नाम राजस्थान में हैं उन नामों के नहीं होने की वजह से कई ढाणियों के अन्दर पानी नहीं पहुंच पाया है। आज आवश्यकता इस बात की है कि पहले गांव के अन्दर कहीं बैठे थे और कई दिनों बाद वह ढाणियों से उठ उठ कर दूसरी जगह चले गये। ऐसी स्थिति में आज भी राजस्थान के अन्दर हजारों गांव ऐसे हैं जहां पर पानी उपलब्ध नहीं है। राजस्थान में हैण्ड पम्पों का एक्सपेरीमेंट कई दफा करीब-करीब फेल हो गया है। अब हमें नये सिरे से इसकी योजना हाथ में लेनी पड़ेगी ताकि हम राजस्थान के लोगों को पानी उपलब्ध करा सकें। हैण्ड पम्प का एक्सपेरीमेंट करीब-करीब पथरीले इलाकों में टोटल फेल्योर रहा है। खास तौर से मैं कहूँ चाहे उदयपुर के पहाडी क्षेत्र हों, चाहे हमारे करौली क्षेत्र के पहाड़ी क्षेत्र हों, जिसके अन्दर आज बिल्कुल ही पानी पीने को नहीं है बल्कि मवेशियों को भी पीने का पानी नहीं है, तो ऐसी स्थिति में बजट के अन्दर मुख्य मंत्रीजी ने पानी की बात रखी है लेकिन मेरा उनसे कहना है कि हैण्ड पम्प जहां पथरीले इलाके में सफल नहीं हो रहे हैं वहां उन्हें नये ढंग से योजना बनाने की आवश्यकता है। जिन-जिन कस्बों के अन्दर 20-20 साल पुरानी योजनाएं बनी हुई थीं जिस पर टंकियों बनी हुई थीं उसके अनुपात में आज हमारी जनसंख्या बढ़ गई और पानी का अभाव हो गया। उन कस्बों के अन्दर भी नई योजनाओं का जिक्र किया है। मैं सोचता

(श्री जनार्दन सिंह गहलोत)

हूँ कि राजस्थान के अन्दर वो कस्बे जिनके अन्दर बीस साल पहले का ढांचा बना हुआ था था उसके अन्दर अब दुबारा पुनरावलोकन करने की आवश्यकता है और नई योजनाएं बनाकर पानी की टंकियों का निर्माण करवाकर पानी की सप्लाई से जोड़ने की आवश्यकता है। क्योंकि आज राजस्थान सरकार ने केवल मात्र 52 कस्बों के अन्दर यह स्कीम लाने की बात कही हैं लेकिन राजस्थान के अन्दर कई ऐसे कस्बे हैं जिनके अन्दर यह पानी की कठिनाई बनी हुई है। 54 करोड़ की योजना जो हुड़को के सहयोग से बनाने की बात कही है, मैं सोचता हूं राजस्थान की जनता के अन्दर इसका लाभ मिल पायेगा। यह बात सही है कि राजस्थान सरकार ने पांच सौ ढाणियों को, एक हजार बस्तियों को पानी देने की बात 1992 के अन्दर कही है और इसी प्रकार 250 व्यक्तियों के स्थान पर 100 व्यक्तियों पर एक हैण्ड पम्प लगाने की बात कही है। अगर सही मायने में इसकी पूर्ति होती है तो इस बजट के माध्यम से निश्चित तौर से राजस्थान में पानी की समस्या का कुछ निदान हो सकेगा। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं, करौली की भी योजना उसी प्रकार की है जिस प्रकार आज से 25 साल पहले की योजना थी। आज पानी करौली शहर में उपलब्ध नहीं है। मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी को आपके माध्यम से यह कहना चाहूंगा कि करौली कस्बे को इसके अन्दर जोड़ा जाय।

उपाध्यक्ष महोदय, शिक्षा के क्षेत्र के अन्दर जिस प्रकार के बजट के अन्दर प्रावधान किये हैं मैं यह कहूं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि लगता है कि मुख्य मंत्रीजी को शिक्षा की दृष्टि से कोई विशेष नाराजगी है। राजस्थान के अन्दर जिस प्रकार का स्तर रहा है शिक्षा का उस, स्तर को आगे बढ़ाने की दृष्टि से पिछले वर्ष कोई उपलब्धि नहीं की। कांग्रेस राज के अन्दर जो 5 हजार स्कूलें खोली गयी थीं उनको भी उन्होंने बन्द कर दिया। इस बार जो प्रावधान किया है वह सही मायने में बहुत कम किया है। आज जितनी स्कूलें खोलने की बात कही है वह अनुपात के अन्दर राजस्थान के अन्दर बहुत कम हैं। एक हजार ग्रामीण क्षेत्रों में प्राइमरी स्कूलें खोलने की बात कही है। 25 सैनिक क्षेत्रों में खोलने की बात कही है, 25 मिडल स्कूलों की बात कही है और 80 हाई स्कूलों की बात कही है। मैं सोचता हूँ, राजस्थान के अन्दर अगर मुख्य मंत्रीजी अपनी पार्टी के विधायक के यहां भी खोलें तो भी कम पड़ती हैं। यह तो आशा करें या न करें लेकिन राजस्थान की शिक्षा की दृष्टि से इस अनुपात के अन्दर बहुत कम है खास तौर से शिक्षा का, नैतिक शिक्षा का जो जिक्र किया है, मैं सोचता हूं कि मुख्यमंत्री जी इस नैतिक शिक्षा को कहां तक ले जाना चाहते हैं। पूरी साक्षरता की बात, एक जिला इन्होंने रखा अजमेर। अब तीन जिलों के रखने की बात कही है। मैं सोचता हूँ कि देश के अनुपात के अन्दर शिक्षा का जिस प्रकार का राजस्थान का हमारा स्तर नीचा है अगर इस बजट के अन्दर कल मुख्य मन्त्रीजी जवाब देते समय कुछ स्कूलें बढ़ायें तो मैं सोचता हूं अच्छा होगा क्योंकि अब तो चुनावी वर्ष भी आ गया उसका शायद फायदा मुख्य मंत्रीजी को मिल जायेगा। कम से कम जहां-जहां शिक्षा का स्तर नीचा

(श्री जनार्दन सिंह गहलोत)

है वहां स्कूलें और बढ़े उसके सम्बन्ध में मुख्य मंत्रीजी विचार करेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, कर्जा माफी की बात। पिछले बजट के अन्दर 170 करोड़ की अनुमानित राशि रखी गयी थी उसके अनुपात से कहा गया है कि उसकी तुलना में 241 करोड़ की राशि दी जा चुकी है। मैं पूछना चाहता हूं मुख्य मंत्री जी को कि यह कर्जा माफी के अन्दर जिस प्रकार का लोगों को फायदा हुआ है उससे क्या आप सन्तोष रखते हैं? जो लोग डिफाल्टर्स थे उनको ही सही मायने में बेनिफिट मिला है और जो समय पर किश्त भरते रहे उनको कोई फायदा नहीं मिला है। आज भी कई बैंकों के अन्दर तो इसको माना जा रहा है और कई बैंकों के अन्दर इसको नहीं माना जा रहा। कुछ बैंकों ने इस कर्जा माफी को माना है और कुछ बैंकों ने नहीं माना। तो ऐसी स्थिति में भेदभाव पूर्ण नीति क्यों? राजस्थान के अन्दर अगर कोई किसी को फायदा मिलता है तो सबको एक तरफा मिलना चाहिये। कोई एक लीड बैंक तो कर रही है और दूसरी नहीं कर रही है। इससे तुलनात्मक दृष्टि से ऐसा लगता है कि राजस्थान की जनता के साथ न्याय नहीं हुआ। हमारे कई माननीय सदस्य जो पहले इधर बैठा करते थे उनके सहयोगी पार्टी के रूप में जनता दल में बैठते थे, आज वह सब मुख्य मंत्री जी के साथ बैंचेज पर बैठते हैं। जब इधर बैठते थे उस समय बड़ी बातें करते थे, कर्जा माफी की बातें की थी और मण्डल आयोग की सिफारिशों की बात की थी। राजस्थान के मुख्य मंत्री जी ने मण्डल आयोग की रिपोर्ट के बारे में राजस्थान के अन्दर इसमें कोई जिक्र नहीं किया। ऐसा लगता है कि उनकी नीयत नहीं राजस्थान के अन्दर इसको लागू करने की।

श्री भैरोंसिंह शेखावत: आपकी है। राजीव फार्मूला।

श्री जनार्दन सिंह गहलोत: हमारी पूरी है। मेरी व्यक्तिगत तौर से पूरी है। ऐसी स्थिति में जो इधर बैठने वाले भाई कई मंत्री उस समय बड़ी टीका टिप्पणी करते थे। मुख्य मंत्रीजी कुछ नहीं कर रहे हैं। अब तो कम-से-कम आप हिस्सेदार बन गये, इस मंत्री मण्डल में हिस्सेदार बन गये और मैं सोचता हूँ कि वहां बैठ कर इस राजस्थान की सरकार से वह बजट के अन्दर नहीं जुड़ा पाये। यह दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं सोचता हूँ कि ऐसे लोगों को मंत्री पद से इस्तीफा दे कर आ जाना चाहिए। कम से कम आज जो यहां बैठ कर अपनी बात कुछ किया करते थे और वहां बैठ कर कुछ बात करते हैं, आप भागीदारी करते हो। राजस्थान के अन्दर मण्डल आयोग की सिफारिशों को लागू नहीं करवा रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक भैरोंसिंह जी का प्रश्न है मुख्य मंत्रीजी का व्यक्तिगत प्रश्न है जब वी. पी. सिंहजी प्रधान मंत्री थे तो ऐसा लगता था कि मण्डल आयोग की रिपोर्ट लागू करने के लिए राय देने के लिए यही जाया करते थे और ऐसा लगता था कि राजस्थान के अन्दर यह पूरा करेंगे। राज बदला तो ऐसा लगा कि चन्द्रशेखर जी को राय देने के लिए जाते हैं तो ऐसी स्थिति में मैं सोचता था मण्डल आयोग की राय जो आप देकर आये थे वी. पी. सिंहजी को, राजस्थान में तो लागू करें –

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आपने सारी अन्दरुनी जानकारी कैसे हासिल की।

श्री जनार्दन सिंह गहलोत : मुख्य मंत्री जी दुर्भाग्य इस बात का है कि आप जिसके नजदीक रहते हैं वहीं चला जाता है। पहले वी. पी. सिंहजी के नजदीक थे तो उनकी कुर्सी चली गयी और अब के भी कुर्सी गयी।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : राजीव गांधी ने टिकट दिया लोक सभा में अब तक पछता रहे हैं।

श्री जनार्दन सिंह गहलोत : तो सही मायने में जिस-जिस के नजदीक लगे वही चला जाता है। इसलिए हम तो दूरी रखना चाहते हैं। राजीव गांधी कहीं आपको नजदीक नहीं रखने वाले।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप ही बहुत है। आपने पहले ही सफाया कर दिया अब की बार गलती करोगे तो फिर सफाया हो जायेगा।

श्री जनार्दन सिंह गहलोत : उपाध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्रीजी ने बिजली के मामले में काफी मुझे लगता है चिन्तन किया है। वैसे ये विरोधी पार्टी में विपक्षी दल के नेता की हैसियत से बैठते थे तब भी बिजली की काफी चर्चा करते थे। अब के तो ऐसा लग रहा था कि भारत सरकार के अन्दर कालवी साहब ऊर्जा मंत्री बन गये तो ऐसा लगने लगा था कि, मैं सोचता हूँ अब तो सारे मामले ठीक कर लेंगे लेकिन भाषण में यह बात कही। जगह-जगह बजट में अंकित किया है जो कि हमारे एक माननीय सदस्य ने काफी इसका जिक्र किया है। ऐसा लगता है कि भारत सरकार हमेशा ही आपकी राय से चलती रही है। आपने बार-बार जिक्र किया है मैंने यह सुझाव दिया, उस कमेटी में यह दिया वह दिया तो बार-बार ऐसा लगता है कि सारे सुझाव मान लिये हैं। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि अब तक जिस विधान सभा क्षेत्र से आप चुन कर आये हैं, धौलपुर में एक थर्मल पावर का आप फैसला नहीं कर पाये और यह सरकार फिर जा रही है। अभी तो इनके हाथ में है चाहे टेम्प्रेरी सरकार कहो, कम से कम धौलपुर वाला तो आप निकलवा लीजिये और बातें तो मान लेंगे, बाद की बात है। बिजली के मामले में काफी संकट बार-बार खड़ा किया जाता है कि राजस्थान में बिजली की कमी है उपाध्यक्ष महोदय, आप इसके अन्दर बिजली को बढ़ाने के लिए काफी कोशिश कर रहे हैं लेकिन देखने में यह आ रहा है कि आपने राजस्थान की जनता पर जिस प्रकार इसकी दरें बढ़ायी है 65 करोड़ की आय आपकी होती थी। पिछले साल में 85 करोड़ हो गयी। आपने राजस्थान के किसानों पर, राजस्थान की जनता पर यह भार बढ़ा दिया। लेकिन ऐसा लगता है कि राहत की ओर ध्यान नहीं दिया जहां एक तरफ आप कमाई की बात तो कर रहे हैं और उससे आपने बेनिफिट भी उठाया है। 20 करोड़ का तो आपको वैसे ही फायदा हुआ। किसानों की जो नीति निर्धारित की है उसके अन्दर जो-जो पैसे वाले लोग थे उनको तो बिजली के कनेक्शन मिल रहे हैं और जिनके पास साधन नहीं हैं वह आज बिजली का कनेक्शन नहीं ले पा रहे हैं। आज गांवों में हमारे माननीय सदस्य जाते

(श्री जनार्दन सिंह गहलोत)

होंगे। मैं सोचता हूँ अनुसूचित जाति, जनजाति, गरीब पिछड़े लोगों को कनेक्शन पिछले एक साल में एक भी नहीं मिला। वे कहते हैं कि हमको कनेक्शन नहीं मिल रहे हैं। ऐसी स्थिति के अन्दर आपकी क्या योजना यही रहेगी। आप इस योजना को बदल कर गरीबों के फायदे के लिए कुछ फैसला करेंगे। माननीय मुख्य मंत्रीजी पहले मध्य प्रदेश से बिजली हमको मिला करती थी और मुझे ऐसी जानकारी मिली है कि मध्य प्रदेश में आपकी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है इसलिए आप कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं यह तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन ऐसा लगता है कि कई बार कोई समय ऐसा था कि मध्य प्रदेश बिजली दिया करता था राजस्थान को। आज मध्य प्रदेश की सरकार को राजस्थान बिजली दे रहा है। जहां राजस्थान को बिजली मिल रही थी वह राजस्थान से जा रही है, सुमित्रा जी। मुझे उसकी फेक्चुअल पोजिशन मालूम है। तो ऐसी स्थिति के अन्दर अगर आपकी यही नीयत है तो आप इसके अन्दर क्या सोचते हैं, गरीब किसानों को इसके अन्दर क्या राहत देना चाहते हैं।

माननीय मुख्य मंत्री जी, मैं आपको इस बात के लिए बधाई देना चाहता हूं कि आपने राजस्थान सरकार का फैसला किया हुआ था, जब हरिदेव जोशी मुख्य मंत्री थे तब राजस्थान में नये जिले बनाने का फैसला राजस्थान की केबिनेट ने किया था। राजस्व मण्डल के द्वारा रिपोर्ट भी उसके अन्दर आयी। यह बात तो सही है कि राजस्व मण्डल की रिपोर्ट में करौली का नाम नहीं आया लेकिन कांग्रेस सरकार ने यह करीब-करीब मानस बना लिया था कि राजस्थान में 4 जिले बनाये जायेंगे और उसमें करौली का नाम राजस्थान के मुख्य मंत्री और कैबिनेट के बीच विचाराधीन था। ज्योंही जिले खुलने वाले थे, क्योंकि फैसला हमारी कैबिनेट करीब-करीब कर चुकी थी और उस समय मुख्य मंत्रीजी ने चुनाव कमीशन में एक तार दिया कि चुनाव होने वाले हैं इस समय जिले खुल जायेंगे तो मतदाताओं के ऊपर इसका असर पड़ेगा और यह तो गलत नीति है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत (मुख्य मंत्री) : इसी के कारण रुक गये क्या आप ?

श्री जनार्दन सिंह गहलोत : उस समय जो जिले कांग्रेस सरकार खोल रही थी उन जिलों को रुकवाने में भी भैरोंसिंहजी ने पूरी भूमिका निभाई और उस समय जो राजस्थान सरकार कर रही थी उस पर चुनाव कमीशन की वजह से रोक लग गयी। नहीं तो आज आप जो वाह-वाही लूट रहे हैं, सही मायने में कांग्रेस पार्टी ने...

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मेरे तार के कारण से आप जिले नहीं बना पाये।

श्री जनार्दन सिंह गहलोत : सही बात है, क्योंकि चुनाव का नोटिफिकेशन हो गया था। यह बात सही है कि कमीशन का नोटिफिकेशन हो गया था। प्रक्रिया चालू हो गयी थी और वहां से यह गाइडेंन्स आ गयी थी कि कोई ऐसे नये काम नहीं करें जिससे मतदाताओं पर असर पड़े।

(श्री जनार्दन सिंह गहलोत)

लेकिन आपने निश्चित तौर से इन जिलों को रुकवाने के लिए तार दिया और चुनाव कमीशन की हिदायत की वजह से जो राजस्थान की कैबिनेट करने जा रही थी उस पर रोक लग गयी।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : इतना बता दीजिए कि रेवेन्यू बोर्ड ने रिपोर्ट कब दी थी ?

श्री जनार्दन सिंह गहलोत : यह बात सही है कि रेवेन्यू बोर्ड की रिपोर्ट पहले की है लेकिन उसका इम्पलीमेंट...

श्री भैरोंसिंह शेखावत : 1982 में रिपोर्ट दी।

श्रीमती सुमित्रा सिंह (पिलानी) : आपको राइट आफ रिप्लाई है तब आप सब बातों का जवाब दीजियेगा।

(2.32 म. प.)

(श्री हरिशंकर भाभड़ा, अध्यक्ष, पदासीन)

श्री जनार्दन सिंह गहलोत : मुख्यमंत्री जी, यह बात सही है कि रेवेन्यू बोर्ड की रिपोर्ट पहले की है लेकिन राजस्थान सरकार के मुख्य मंत्री उस समय हरिदेव जी जोशी थे। उनका मानस था और कैबिनेट के अन्दर चर्चा हो गयी थी। (व्यवधान)

श्री रामकिशन (भरतपुर) : मुख्य मंत्रीजी ने कान पकड़े हैं। ये भैरोंसिहजी की हैसियत से पकड़े हैं या मुख्य मंत्री जी की हैसियत से पकड़े हैं सुमित्रा जी के जवाब में ? जरा बता दें।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैंने तो अपने कान नहीं पकड़े हैं। कोई दूसरा पकड़ता है तो मैं रोक नहीं सकता। इसका मतलब यह है कि जो कुछ फैसला किया वह जोशी जी ने किया, शिवचरण जी ने नहीं किया।

श्री जनार्दन सिंह गहलोत : यह तो हमारा आपस का मामला है। शिवचरण जी करें, देवपुरा जी करें, जोशी जी करें एक ही बात है। अध्यक्ष महोदय, मैं कह रहा था उस समय करौली जिला बनने की बात थी और मैं सोचता हूँ करौली की जनता जो सही मायने में आज सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर एक तरफ पड़ता है, हिण्डौन, सपोटरा, टोडाभीम सबके लिए अगर करौली जिला बन जाय तो हमको प्रशासनिक दृष्टि से फायदा मिलता। दुर्भाग्य यह है कि हमारी कांग्रेस गवर्नमेंट के जमाने में जो-जो कार्यालय वहाँ गये, सिर्फ एस. पी. और कलक्टर को छोड़कर वहां सारे कार्यालय मौजूद हैं लेकिन आपकी एक साल की सरकार ने वहां से कार्यालय जगह-जगह बदलने की कोशिश की। कभी इन्स्पेक्टर आफ स्कूल्स हटाने की बात की, कभी सी. एम. एच. ओ. आफिस हटाने की बात की, डिप्टी इन्स्पेक्टर का आफिस हटाने की बात की। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने करौली के अन्दर जो कार्यालय थे उनको भी हटाने की साजिश की बल्कि नये जिले बनाने के अन्दर उनका कोई योगदान नहीं रहा और इस बजट भाषण में आपने करौली को जिला नहीं

(श्री जनार्दनसिंह गहलोत)

बनाकर सवाई माधोपुर क्षेत्र की कम-से-कम आठ तहसीलों के साथ अन्याय किया है। आपने चुनावों के अन्दर वहां बातें की कि अगर मैं मुख्य मंत्री बना तो जिला बना दूंगा।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : नहीं कहा। यह गलत बात है।

श्री जनार्दन सिंह गहलोत : झालावाड़ में बी. जे. पी. का सम्मेलन हुआ उस सम्मेलन में प्रस्ताव हुआ कि करौली को जिला बनाया जाय। भारतीय जनता पार्टी का प्रस्ताव हुआ उसके बाद भी जिला नहीं बनाया।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : करौली के लोग तो यह शिकायत कर रहे थे कि करौली को जिला बनाने के सम्बन्ध में हमारे विधायक ने आज तक विधान सभा में कोई पैरवी नहीं की।

श्री जनार्दन सिंह गहलोत : इसलिए अभी भी कल समय है। अब कल बना दीजिए। भारतीय जनता पार्टी का जो प्रतिनिधि मण्डल आपसे मिला है वह तो बड़ा निराश होकर गया है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : वह कल सुबह मुझसे मिल गया।

श्री जनार्दन सिंह गहलोत : वह कल सुबह आपसे मिल गया है इसलिये मैंने सोचा कि भारतीय जनता पार्टी ही श्रेय ले लें। मुझे कोई तकलीफ नहीं है लेकिन भारतीय जनता पार्टी वालों को आपने जो रूखा जवाब दिया उससे मुझे लगता है कि आप जिला नहीं खोलोगे। कोई बात नहीं। अगर आप खोलें तो आपका बड़ा अहसान होगा। अगर आप श्रेय लेना चाहें तो कल घोषणा कर दें और अगर आप श्रेय नहीं लेना चाहें तो कांग्रेस गवर्नमेंट आयेगी उस दिन तो नया जिला बनकर रहेगा।

श्री अध्यक्ष : आपको 20 मिनट हो गये। अब आप समाप्त करें। 15 मिनट का समय आपको सचेतक महोदय ने दिया है। 15 मिनट से ज्यादा नहीं बोलने दिया जाय। 20 मिनट हो गये हैं आपको।

श्री जनार्दन सिंह गहलोत : ठीक है, अध्यक्ष महोदय, मैं 2-4 मिनट में समाप्त करता हूं। अध्यक्ष महोदय, मेरी एक बात का जवाब मुख्य मंत्री जी कल दे दें तो मैं तो बिल्कुल नहीं बोलूं। अगर करौली को जिला बना देते हैं तो इस पर कोई मांग रहती ही नहीं है और कोई बात हो तो मैं डिमाण्ड्स पर कर लूंगा। क्योंकि हमारे नेता महोदय भी आ गये हैं उनको भी बोलना है इसलिये मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा।

अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात कहना चाह रहा था। ऐसा लगता है मुख्य मंत्री जी की वृद्धों के साथ बहुत नाराजगी है। आप भी अब उस उम्र के नजदीक पहुंच गये हैं। आपने 70 साल की वृद्धावस्था पेन्शन लागू करके आप राजस्थान में कितने लोगों को पेंशन देना चाहते हैं जो कांग्रेस

(श्री जनार्दन सिंह गहलोत)

सरकार 60 साल के लोगों को दिया करती थी। हम तो सोचते थे आप 55 साल करेंगे लेकिन आपने 70 साल कर दी। इससे अच्छा तो होता आप 90 कर देते ताकि किसी को देने की जरूरत ही नहीं पड़ती। इसमें कम से कम आप जो असहाय लोग हैं उनके साथ तो न्याय करें।

अध्यक्ष महोदय, एक बात मैं नौजवानों के लिए कहना चाहता हूँ। आज बेरोजगारी बढ़ रही है नये कार्यालयों में भर्ती हो नहीं रही है। आज जिसके पास रोजी-रोटी का इन्तजाम नहीं है उसके बच्चे नौकरी के लिए जहां इन्टरव्यू देने जाते हैं और अपने घर के 1000-500 रुपये खराब करके वापस आते हैं क्योंकि नौकरी तो मिल नहीं पाती। मेरा मुख्य मंत्री जी को सुझाव है कि रोडवेज में जिन के इन्टरव्यू काल आ जाय कम से कम उनको तो आने-जाने के लिए रोडवेज की बसों के अन्दर फ्री सुविधा कर दें ताकि राजस्थान के बेरोजगार नौजवान जब नौकरियों की तलाश में जाये उसका पैसा तो खर्च नहीं हो।

माननीय मुख्यमंत्री जी आपने बड़ी भावना रखी कि खेल सामग्री के ऊपर कर में काफी छूट देने की कोशिश की। मैं आपसे कहना चाहता हूँ ऐसी उदार भावना है तो कम से कम आप 5 प्रतिशत कोटा राजस्थान के खिलाड़ी हैं उनको नौकरियों के अन्दर सुरक्षित करें तो राजस्थान के खिलाड़ियों का स्तर बढ़ सके और अपनी आजीविका से जी सके। आज हमारे खिलाड़ियों की हालत यह है कि अच्छा खिलाड़ी जो भी बनता है वह अपनी रोजी-रोटी कमाने चला जाता है और अपना खेल छोड़ देता है। मैं अध्यक्ष महोदय, इतनी बात कहकर, मेरे पास पांइन्ट तो बहुत थे लेकिन आप आसन पर आ गये और मेरे नेता महोदय भी आ गए इसलिए मैं अपनी बात यहीं समाप्त करता हूँ।

श्री अध्यक्ष : धन्यवाद। माननीय जोशी जी।

श्री हरिदेव जोशी (नेता, प्रतिपक्ष) : सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूँ कि आपने विचार प्रकट करने के लिए आपने मुझे समय दिया। अध्यक्ष महोदय, मैंने राज्यपाल महोदय का अभिभाषण भी पढ़ा और यह बजट भाषण भी पढ़ा मुझे इसमें कहीं कोई किसी सिद्धान्त के दर्शन नहीं होते हैं, किसी विचारधारा के दर्शन नहीं होते हैं। केवल एक मनोवृत्ति दिखती है कैसे लोग खुश हो जाय, कैसे लोगों को राजी किया जाय इसी प्रकार का दृष्टिकोण ले करके इस बजट को बनाया गया है।

राजस्थान हिन्दुस्तान के पिछड़े प्रदेशों में से एक है। उन पिछड़े हुए प्रदेशों की परिस्थितियां कैसे ठीक हों इस ओर भावी कदम उठाने चाहिये। कांग्रेस का एक कार्यक्रम था, आजादी के पहले देश को आजाद कराने का, प्रदेश के अन्दर सामंती व्यवस्था को खत्म करने और पिछड़े हुए लोगों को आगे बढ़ाने का। दुर्भाग्यवश कांग्रेस के बाद में जो दूसरी पार्टी आती है वह भारतीय जनता पार्टी है जो जनसंघ से

(श्री हरिदेव जोशी)

जन्मी पार्टी होने के कारण ही, अध्यक्ष महोदय, उसके आर्थिक, सामाजिक या राजनीतिक सिद्धान्त कुछ निर्धारित नहीं हुए। वर्षों पहले हिन्दू फण्डामेन्टलिज्म को लेकर यह खड़ी हुई थी बाद में जब जनता पार्टी बनी और उसमें भाजपा का विलय हुआ तो उसका उद्देश्य हो गया गांधीवादी समाजवाद की रचना। मगर जैसे ही जनता पार्टी टूटी और अलग पार्टी बनी तो गांधीवादी समाजवाद तो रह गया और अब जो आज चल रहा है वह हिन्दू फण्डामेन्टलिज्म को बढ़ावा देने की बात चल रही है। उसमें दूसरी सारी चीजें गौण हो गई है और देश में प्रमुखता आ गई है फन्डामेन्टेलिज्म जिससे आज देश परेशान सा होता चला जा रहा है।

उस परेशानी में राजस्थान भी पीछे नहीं है। मैं नहीं कहता कि सरकार के ध्यान में यह चीज नहीं हो मगर मैं कहना चाहता हूँ कि जिस रास्ते पर यह सरकार चल रही है उस रास्ते पर चल कर के राजस्थान तबाह हो जायेगा, हिन्दुस्तान तबाह हो जायेगा। आपने देखा है कि जो शार्ट-कट्स हम चाहते हैं पावर में आने के लिए, वह शार्ट-कट्स मुफीद नहीं होते, वह हमें कमजोर करने वाले होते हैं। आज इतिहास नया बना है राजस्थान के अन्दर, हिन्दू-मुस्लिम दंगों का। कल छेड़खानी हुई भीलवाड़ा के अन्दर, आज गृह मंत्रीजी यहां है नहीं, कल उन्होंने जो जवाब दिया था, एक सरकार का गृह मंत्री दूसरे दिन सवेरे 11-12 बजे, तो कहे कि मेरे पास में सूचना नहीं है, क्या अधिकार है इस प्रकार के मंत्री को रहने का? आज आपका हर जिला टेलीफोन से जुड़ा हुआ है, हाट लाइन से जुड़ा हुआ है, फैक्स मशीनें लगी हुई हैं, और भी दूसरे साधन है, क्या बात थी कि आपको यह खबर नहीं मिल पाती थी कि कौन-कौन लोग उसमें आगे थे? कलक्टर ने, एस. पी. ने जाकर यह कहा कि आप मेमोरण्डम देना चाहते हैं तो मेमोरण्डम हम यहीं ले लेते हैं, आप विवाद क्यों करते हो, गर्मी में क्यों आते हो, तपते क्यों हो, गर्म क्यों होते हो? इस बात को उन्होंने स्वीकार नहीं किया, हुड़दंग किया और हुड़दंग करने वाले कौन थे? सरकार में बैठी हुई पार्टी के लोग। सरकार में बैठी हुई पार्टी के लोग अगर कानून अपने हाथ में ले लें और यह कोशिश करें कि असाम्प्रदायिक लोग उनके सामने सिर नहीं झुकायें, तो मैं तो इसी नतीजे पर पहुंचता हूं कि यह सरकार को भंग करने अथवा बदनाम करने की साजिश के सिवाय कोई चीज नहीं हो सकती है। मुझे समझ में आता है...

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मेरे लिए सहानुभूति प्रकट कर के क्यों मरवा रहे हो?

श्री हरिदेव जोशी : मैं आपके प्रति कतई कोई सहानुभूति प्रकट नहीं कर रहा हूँ, मैं तो आपको मरवाना नहीं चाहता। जो मरवाने के लिए बैठे हुए हैं आप खुद अच्छी तरह जानते हैं।

श्री परसराम मदेरणा : आपके प्रति तो सहानुभूति है और आपकी सहानुभूति चन्द्रशेखरजी के प्रति है। सहानुभूति का तो एक राउण्ड सर्कल चल रहा है।

श्री हरिदेव जोशी : मैं यह कह रहा था कि यह बात इतने तक ही सीमित नहीं है। आज मुख्य मंत्रीजी, आपको मालूम है कि अटरू में क्या हुआ। मालूम है न आपको ? इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के जे. ई. एन. और ए. ई. एन. को वहां के एम. एल. ए. साहब ने और कुछ लोगों ने बुलाया। बुलवाकर अपने पास बैठाया, बैठा कर उनका काला मुंह किया, उनको गधे पर बैठाया गया और सारे गांव में फिराया गया। इसकी एफ. आई. आर. दर्ज करवाई है। और तो और, कोटा शहर के अन्दर, दुर्भाग्यवश कोटा से आने वाले मंत्री महोदय यहां पर नहीं है, जिनको सारी बातें कही जाती हैं, वह डवलपमेंट कमिश्नर के कमरे में घुस गये, इसमें एम. एल. ए. भी थे। दूसरे ऑफिस बियरर्स भी थे, फर्नीचर तोड़ा। और तो और, कमिश्नर ने पुलिस को लिखा कि केस दायर किया जाये और बी. जे. पी. के लोगों ने कोई ध्यान ही नहीं दिया। मुझे एक बात समझ में नहीं आती मुख्य मंत्रीजी, इस प्रकार के सारे केसेज की फाइलें यहां क्यों आ जाती है ? जब कोई बी. जे. पी. का आदमी शरारत करता है, कानून तोड़ता है, लोगों को पीटने की कोशिश करता है, आतंक पैदा करता है, दो दिन के बाद में उसकी फाइल जयपुर मंगा ली जाती है। ऐसे कम से कम पचास केस मैं गिना सकता हूँ। स्वयं बांसवाड़ा के अन्दर देवझूलनी एकादशी के दिन झगड़ा हुआ। इसलिए झगड़ा हुआ कि कलक्टर और एस. पी. ने नागरिकों को बुला कर देवझूलनी एकादशी के दिन और मोहर्रम, जो हफ्ते भर के पहले आता था, उसके दिन उनका रूट तय कर दिया। दोनों पार्टियों ने स्वीकार कर लिया। मुस्लिमों ने अपने रूट पर अपने ताजिये निकाले मगर देवझूलनी एकादशी के दिन बी. जे. पी. के कार्यकर्ताओं ने रास्ता वही पुराना लेने की कोशिश की, इसके ऊपर मारपीट हुई और डी. वाई. एस. पी. के खून निकला। कलक्टर और एस. पी. पहुंचे, उनके ऊपर भी हमला किया। पुलिस ने सुरक्षा के लिए गोली चलाई, एक आदमी मर गया। अब होता क्या है कि भाग कर एक मिनिस्टर साहब पहुंचते हैं और पहुंच कर मालूम करते हैं कि किस का क्या दोष है ? कैसे हुआ ? वह सारी फाईल यहां आ जाती है और आज तक एक आदमी को सजा नहीं हुई है। मैं यह जानना चाहता हूं मुख्य मंत्रीजी, कि भारतीय जनता पार्टी के लोग गैर कानूनी कार्यवाही करें, हरकतें करें और आप उनको बचाओ, यह जितने भी केसेज चले हैं यह सारे के सारे यह दिखाते हैं कि आपने उन सबको हरी घास चरने के लिए छोड़ रखा है। वह जैसे चाहें, वैसे दुलत्तियां झाड़े, वह जैसे चाहें मारे-पीटे। वह जो कुछ भी गैर कानूनी कार्यवाही कर सकते हैं, करें। मगर आप, सिवाय इसके कि अपने साथियों की बात इधर सुन लें, उधर निकाल दें, उनके दबाव में आकर करें अथवा आपकी स्वयं की यह नीति है, मैं यह नहीं कह सकता मगर मैं इतना जरूर चाहता हूँ आपसे, आज तो यह दरगुजर हो रहा है, हो जायेगा और एक दिन आयेगा जब आपको इन सब के लिए पछताना पड़ेगा, आपकी पार्टी को पछताना पड़ेगा। अध्यक्ष महोदय, मैंने कल एक पर्चा देखा था, वह पर्चा अभी मैं ढूंढने लगा, मुझे मिला नहीं। उस

(श्री हरिदेव जोशी)

पर्चे में जो भारतीय जनता पार्टी का अधिवेशन जयपुर के अन्दर हुआ, उस अधिवेशन के अन्दर लोगों की रायशुमारी की गई है, आपकी क्या राय है, उसमें काफी क्वेरीज है, उन क्वेरीज के अन्दर नाम भी लिखा गया, जाति लिखी गई, स्थान भी लिखा गया है, दूसरी चीजें लिखी गई हैं और ओपिनियन मांगी है इस बारे में कि जो हिन्दू-मुस्लिम रॉयट हुए उससे भारतीय जनता पार्टी को लाभ हुआ नुकसान हुआ। तो उस भाई ने कहा है कि उसमें फायदा हुआ है। आप चाहें तो कागज में आपको दे दूंगा। प्रद्युम्न सिंह जी ने दिखा दिया है। मैं भी, अध्यक्ष महोदय, आपको एक कागज दिखा देता हूं।

श्री मदनलाल सैनी : कागज की वैद्यता क्या है ?

श्री हरिदेव जोशी : यह भारतीय जनता पार्टी द्वारा सर्वे करवाया गया है, उस सर्वे की रिपोर्ट है 1990-91 की। इसके अन्दर इस वायलेंस के कारण से क्या परिणाम निकला उसके बारे में रिपोर्ट दी गई है। और किसी ने सर्वे नहीं करवाया, यह सर्वे स्वयं भारतीय जनता पार्टी का ही है। ऊपर ब्लाक लैटर्स में लिखा है, भारतीय जनता पार्टी, 11, अशोका रोड़, नई दिल्ली रिव्यू सितम्बर-अक्टूबर, 1990 और है यह किया हुआ–ओरिएण्ट ओपीनियन एण्ड या इस तरह का कुछ लिखा है। मैं यह कहना चाहता था कि आप अमुक चीजों के ऊपर एक्सपेरीमेंट करते हैं और करके ओपीनियन काल करते है और तब उसके अनुसार चलते हैं। बहुत अच्छी बात है, आप ओपीनियन लीजिए और अगर हिन्दुस्तान आपको यह कहता है कि हिंसा से आप पनपेंगे तो आप दूसरे धर्म के लोगों को जैसे भी चाहें वैसे रखिये मगर एक बात समझ लेनी चाहिए कि जिस प्रकार की नफरत आज इस देश के अन्दर पैदा की जा रही है, जिस प्रकार की कार्यवाही बी. जे. पी. के नेतृत्व में आर. एस. एस., महावीर दल और दूसरे लोगों के द्वारा, विश्व हिन्दू परिषद के द्वारा जो कुछ भी किया जा रहा है वह हिन्दुत्व नहीं है। हिन्दू होने का ठेका कुछ अमुक प्रकार के लोगों ने ही नहीं ले लिया है। लोग कहते हैं, गर्व से कहो हम हिन्दू है। इसमें क्या कहने की बात है ? मुझे क्यों चिल्ला कर कहना है कि मैं हिन्दू हूं ? आप नारे लगाते हैं, कहते हैं कि साहब हमारा जुलूस निकल रहा था, हम तो नम्रतापूर्वक निकल रहे थे, मुसलमानों के मोहल्ले में जाकर कहते हैं कि मुसलमानों के दो स्थान, पाकिस्तान या कब्रिस्तान। यह सही है या गलत है ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : गलत है।

श्री हरिदेव जोशी : गलत है। सारे देश के अन्दर मैंने खुद ने सुना है।

श्री राजेन्द्र पारीक : सीकर में कई बार लगाये हैं यह नारे। मैंने खुद ने सुना है।

श्री हरिदेव जोशी : कोई इलाका ऐसा नहीं है जहां यह नारे न लगे हों।

श्री मदनलाल सैनी : यह नारे तो आप

Page No. 138

(138)

(श्री मदन लाल सैनी)

लोगों ने बनाये होंगे, हम ने तो कहीं लगाये नहीं, सुने नहीं।

श्री हरिदेव जोशी : भैरोंसिंह जी, मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट होडिंग्स के ऊपर...

श्रीमती सुमित्रा सिंह : गिरधारी लाल भार्गव के विजय जुलूस में खूब जमकर नारे लगे थे कि मुसलमानों के दो स्थान, पाकिस्तान या कब्रिस्तान। खूब जम कर नारे लगे थे।

श्री मदनलाल सैनी : आपने लगाये होंगे, हमने तो लगाये भी नहीं, सुने भी नहीं।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : इसी जयपुर में लगे हैं और जम कर लगे हैं।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : उस जुलूस में आप थे क्या ? आप तो जयपुर में ही नहीं थे।

श्री मदनलाल सैनी : आप थे क्या उस जुलूस में ?

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : मैंने सुने थे...(व्यवधान)

मैं था चश्मदीद गवाह, मैंने देखा था, मैंने सुने थे। लोक सभा चुनावों में यहां नारे लगे थे। आपको पता ही नहीं है कुछ।

श्री मदनलाल सैनी : यह नारे नहीं लगे। यह नारे केवल बनाकर बनाये गये हैं, आपने बनाये हैं अभी बैठे-बैठे।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज, आर्डर प्लीज,

श्री हरिदेव जोशी : मैं एक बात पूछना चाहता हूं, मुख्य मंत्री जी, जयपुर के अन्दर दो बड़े दंगे हुए हैं। दूसरा जो दंगा हुआ उसे आप हिन्दु-मुस्लिम दंगा मानते हैं ना ? उस हिन्दु-मुस्लिम दंगे के अन्दर किस प्रकार से लोग मारे गये और उससे आप खुश हैं ? आपको गर्व है इसके ऊपर ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : बिलकुल नहीं है।

श्री हरिदेव जोशी : आपको और मेरे को दोनों को शर्म आनी चाहिये कि हम बैठे हुए हैं और यहां ऐसी घटना हो रही है। इस जयपुर के अन्दर, अध्यक्ष महोदय, जैसे किसी को भुट्टे पर सेंकते हैं आग के अन्दर छोटे-छोटे बच्चों को फेंक दिया गया, औरतों को मार डाला गया और वह मारने वाले और करने वाले आज भी इस शहर के अन्दर खुले घूम रहे हैं जैसे कोई शेर घूमता है, उनको कोई भय नहीं है। उस मोहल्ले में मैं भी गया था, हजारों लोगों ने इकट्ठे हो कर कहा। उसके बाद में हिन्दुस्तान के गृहमंत्री यहां पर आये। उन्होंने जाना चाहा। आपने और आपकी सरकार ने उनको रोक दिया। वह नहीं गये। मैं सारा सोचता हूं तो पाता हूं कि आपने उनको क्यों नहीं जाने दिया। इसलिए नहीं जाने दिया कि अगर वह वहां पर जायेंगे तो लोग

(श्री हरिदेव जोशी)

उनको शिकायत करेंगे कि अमुक-अमुक लोग मारने वाले थे। आप उनको बचाना चाहते थे, आपकी सरकार उन को बचाना चाहती थी। लोग हिन्दुस्तान के गृह मंत्री को नहीं कहें इसलिये आपने उनको नहीं जाने दिया। आपने यह कहा था कि श्री राजीव गांधी नहीं जायें और उन्होंने जिद की और आपकी आज्ञा का उल्लंघन करके उन्होंने जाने की कोशिश की। उन्होंने सबको समझाया। आप क्या समझते हैं कि गृह मंत्री, मुफ्ती साहब से सारी चीजें छिपी हुई हैं? कोई जानता नहीं है कि आर. एस. एस. वालों ने, महावीर दल वालों ने और भारतीय जनता पार्टी वालों ने क्या किया? मैं घूम रहा था...

श्री मदनलाल सैनी : यह भी पता है कि कांग्रेस के एक्स एम. एल. ए. ने गोली चलाई थी वहां। यह भी सब लोग जानते हैं। (व्यवधान)

श्री हरिदेव जोशी : मैं यह कहना चाहता हूं मुख्य मंत्रीजी, पहले हम हिन्दुस्तानी हैं पहले हम भारतीय हैं, मुख्य मंत्री होना, प्रधान मंत्री होना सैकण्डरी चीज है। जिसके भाग्य में जो लिखा होगा वह होगा लेकिन आप यह कलंक क्यों लेना चाहते हैं अपने सिर के ऊपर कि आप वह मुख्य मंत्री हैं जिनकी आंखों के सामने लोगों को मार डाला गया। मैंने पिछली बार अपने भाषण में आपसे कहा था कि भारतीय जनता पार्टी के अन्दर फण्डामेन्टेलिस्ट्स आगे आ रहे हैं और आपके जो माडरेट टाइप के लोग हैं वह पीछे धकेले जा रहे हैं। तो आपके लोग हंसे थे। मगर आपने देखा है अखबार कि जो आपका अधिवेशन हुआ उसमें, और किसी अखबार ने नहीं राजस्थान पत्रिका ने अटल जी का इन्टरव्यू लिया और उन्होंने कहा उस इन्टरव्यू के अन्दर कि हां मेरा भारतीय जनता पार्टी के अन्दर मतभेद है। पढ़ा है आपने उस इन्टरव्यू को? मैं पढ़कर सुनाऊं? उसको मैं पढ़ूं?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : सुनाना चाहें तो सुना दो।

श्री हरिदेव जोशी : आपने नहीं पढ़ा हो तो।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप हाउस को पढ़कर सुनाना चाहें तो पढ़ दो।

श्री हरिदेव जोशी : आप यह मानते हैं या नहीं?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं मानता हूं या नहीं मानता हूं लेकिन अखबार को सुनाना आप पढ़कर चाहें तो सुना दें।

श्री हरिदेव जोशी : मुझे शौक नहीं है। मैं तो आपकी आत्मा को जगाना चाहता हूं। और आपकी आत्मा जगी हुई होती तो आप क्या समझते हैं कि जो व्यवहार आज अटल जी के सामने हो रहा है और मजबूर होकर उनको कहना पड़ा विदेशी अखबारों को कि अगर यही गतिविधि चलती रही तो मुझे भारतीय जनता पार्टी छोड़नी पड़ेगी। यह जो उन्होंने कहा, यह

(श्री हरिदेव जोशी)

आपके लिए एक पाइन्टर है। अगर आपके जैसे लोग यह सोचते हैं...

एक माननीय सदस्य : नहीं छोड़ने देंगे।

श्री हरिदेव जोशी : हां नहीं छोड़ने दोगे, पकड़ रखोगे, उनको पिंजरे में बन्द करके रखेंगे। अपने आपको सुधार लेंगे तो नहीं छोड़ेंगे। और अगर अपने आपको नहीं सुधारा तो कुदरत भी आपको सजा देगी और राजनीति भी आपको सजा देगी, यह देश भी आपको सजा देगा। मैं एक बात कहना चाहता हूं आपको कि आज दुनियां सोती है मगर दुनियां की जीभ जागती है। आज लोग किस प्रकार से त्रसित हैं, दुखी हैं इसको शायद आप सोचते हैं। मेरे कई मित्रों ने कल परसों में दो दिनों में जो भाषण दिये उसमें महंगाई की बात काफी कही। मैं उस विषय में नहीं जाना चाहता हूं कि पहले कितने भाव थे और किस चीज की क्या लागत थी और आज क्या है। मगर एक बात आपसे कहना चाहता हूं कि अगर आपमें थोड़ी सी भी सैंजिविटी है तो आप इन तकलीफों को देखें। खाली भाषणों तक ही आप अपने आपको सीमित मत रखो। कुछ ऐसी चीज करें कि जिससे जो ठग लोग हैं वह आपको ठगें नहीं, जनता को ठगें नहीं। मुझे मुश्किल यह लगती है कि आप बेबस हैं। जो आपकी पार्टी है उसके बारे में कहा यह जाता है कि वह सेन्ट्रेलाइज पार्टी है, डिक्टेटर पार्टी है, किसी को कुछ करने नहीं देती है। आज कोई आदमी हत्या कर देता है फिर भी उसको सजा नहीं मिल सकती अगर वह भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है तो। आतंकवादियों को, डाकूओं को सजा मिल सकती है मगर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता अगर किसी का कुछ नुकसान करके आ जाये तो उसको कभी सजा नहीं हो सकती, यह लोग कहते हैं।

श्री शांतिलाल चपलोत : एक दो उदाहरण तो बता दीजिए आप।...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर..... आर्डर प्लीज।

श्री हरिदेव जोशी : कोटा में जो केसेज थे उनके ऊपर कमिश्नर ने एफ. आई.आर. दर्ज कराई है उसकी एफ. आर. यहां पर दे दी गयी। यह न्याय है और यह न्याय के रखवाले हैं? सारा होम डिपार्टमेन्ट तो होम मिनिस्टर के पास है और उसका एक अमुक हिस्सा मुख्य मंत्री जी के पास है। क्यों? ताकि आपको दूसरों को कुछ कहना नहीं पड़े। कुछ करना चाहें तो आप खुद कर सकें।

अध्यक्ष महोदय, यह सरकार अपने आपको किसानों की हित चिंतक कहती है। मुख्य मंत्रीजी ने अपने बजट भाषण के अन्दर किसानों के हितों की कई बातें कही थीं। आप शायद उस समय थे या नहीं थे, मेरा ख्याल है कि थे। हमने अपने बजट के अन्दर दो पैसा बिजली का एग्रीकल्चर के ऊपर बढ़ाया था उस समय यही भैरोंसिहजी शेखावत विरोधी दल के नेता थे, इन्होंने आन्दोलन किया

(श्री हरिदेव जोशी)

था और एक लाख बीस हजार आदमियों की गिरफ्तारियां दिलवाई थीं। कांग्रेस के जमाने में 25 रुपये में एक दरख्वास्त फाइल की जाती थी आज कितने में होती है, मुख्य मंत्री जी ?

श्री रामनारायण चौधरी : सिक्योरिटी के हैं यह।

श्री हरिदेव जोशी : अध्यक्ष महोदय, प्रार्थना पत्र के साथ में 25 रुपये कांग्रेस के जमाने में लगते थे और अब 1025 रुपये लगते हैं। 5 खम्भों के लिये राशि उस समय फ्री थी और आज 16,500 हैं। 5 एच. पी. की मोटर के ऊपर कोई शुल्क नहीं लगता था और अब 7500 रुपया लगता हैं। कुल मिलाकर कांग्रेस के जमाने में 25 रुपये लगते थे आज 25 हजार लगते हैं। आपने 25 रुपये के ऊपर 25 हजार कर दिया और कहते हैं कि आप किसानों के सपोर्टर्स हैं। मुख्य मंत्रीजी, थोड़ी मेरी बात भी सुन लीजिए। मैं यह कह रहा था कि कांग्रेस के जमाने में हमने 2 पैसा टैक्स बढ़ाया था तो आपने आन्दोलन किया था और कहा था कि हरिदेव जोशी की सरकार किसान विरोधी सरकार है। अब जहां पहले 25 रुपये लगते थे वहां अब 25 हजार रुपये आपने कर दिये, यह सही है या गलत है ? ......याद नहीं रहा......

श्री भैरोंसिह शेखावत : मैं कल आपको जवाब दे दूंगा। आप बोलिये।

श्री ईश्वरलाल सैनी : इनकी चलती ही नहीं है।

श्री हरिदेव जोशी : माननीय मुख्यमंत्री जी, आज के समय में 25 हजार रुपये कोई एप्लीकेशन के दे सके ऐसे लोग नहीं हैं।

श्रीमती सुमित्रासिंह : असेम्बली में की हुई घोषणा की अवमानना हुई। मुख्य मंत्री जी की नहीं चलने दी। मेरी क्या बात नहीं चलने दी। सदन की नहीं चलने दी, मेरी क्या नहीं चलने दी इसमें ?

श्री ईश्वरलाल सैनी : आपने स्टेटमेन्ट दिया था वह सब ने पढ़ लिया था।

श्री हरिदेव जोशी : मुख्य मंत्री जी, पिछले अधिवेशन के अन्दर आखिरी दिन आपने कहा, वायदा किया था मुझसे, It was a gentleman,s agreement कि आप एक आर्डर निकालेंगे जिससे आप विथड्रा कर लेंगे सारा जो किया है। मैं आपसे आशा करूं, आज तो नहीं मगर कल जब आप रिप्लाई देंगे उससे पहले इस आर्डर को विथड्रा करके आयेंगे ? आपको अधिकार है केबिनेट से आप आर्डर ले करके अथवा सरकार आदेश दे सकती है बोर्ड को। यह बात नहीं है कि बोर्ड इतना इण्डिपेंडेण्ट है कि आपकी आज्ञा ही नहीं माने। या तो आपकी नीयत नहीं है या आपका एक करेक्टर और हो गया है कि कहते कुछ हो और उधर जाकर चेयरमैन समझा देता है उसकी बात मान लेते हो।

श्री भैरोंसिह शेखावत : I am subject to correction.

श्री हरिदेव जोशी : You are subject to correction. Correction in what connection ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : कोई भी हो ।

श्री हरिदेव जोशी : तो यह क्या होगा ? क्या आशा करूं आपसे ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यह मैं बता दूंगा, आपको कल बताऊंगा ।

एक माननीय सदस्य : कल बतायेंगे ।

श्री हरिदेव जोशी : आज तो आप यह सोचते हैं कि क्यों किया आपने ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : वह मैं कल दूंगा जवाब, सुमित्राजी नाराज हो जायेंगी, बीच-बीच में क्यों बोलते हो ।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : सोच-समझकर करना जो करो ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : सोच-समझकर ।

श्री हरिदेव जोशी : अध्यक्ष महोदय, हमने एक मैमोरेण्डम मुख्य मंत्रीजी को और राज्यपाल महोदय को दिया था । उस मैमोरेण्डम में कई मुद्दे थे । उसमें, लोकतन्त्र की हत्या नहीं करनी चाहिये, यह भी एक बात थी । मुख्य मंत्रीजी कहते तो यह हैं कि वह अनेक सुधार करना चाहते हैं और जनता को अधिकार देना चाहते हैं । यहां तक हमको चिट्ठी लिखी, चिट्ठी की नकल आपको भी मिली होगी जिसमें उन्होंने मांगा था, आपकी कांस्टीट्यूएंसी में क्या काम करें तो आप खुश होओगे । यह लालीपाप दे करके......

श्री भैरोंसिंह शेखावत : खुश होओगे, यह नहीं लिखा था ।

श्री हरिदेव जोशी : लालीपाप दिया था ना आपने, क्या लिखा था ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : नहीं, लालीपाप नहीं भेजा, मैंने शब्द "आप खुश होओगे" यह नहीं लिखा है, मैं आपकी जानकारी के लिये बता देऊं ।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : लेकिन उसको पढ़कर हम खुश हो गये थे, लिखो चाहे मत ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : क्या ?

श्रीमती सुमित्रा सिंह : आपने चाहे उसमें लिखा नहीं होगा लेकिन आपसे उस पत्र की प्राप्ति से हम प्रसन्न हो गये थे ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : बस ठीक है तो, मेरा काम आपको प्रसन्न करने का है ।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : केवल बातों से ।

श्री हरिदेव जोशी : तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि इस प्रकार की बातों से तो हम खुश नहीं होंगे, प्रसन्न नहीं होंगे । प्रसन्न तब होंगे जब आप सच्चे मायने में लोकतन्त्र की रक्षा करें । आपने चुने हुए आदमियों को हटाया और आफिसर्स को ले जा कर बैठाया, यह परीक्षण आपका कैसा रहा है ? को आपरेटिव बैंक्स के अन्दर और म्यूनिसिपैलिटीज के अन्दर जो आपने कार्यवाही की इससे आपने कुछ नसीहत ली या नहीं ली ? आपने एक तरफ आर्डर निकाला म्यूनिसिपैलिटीज को भंग करने का, दूसरी

(श्री हरिदेव जोशी)

तरफ हाई कोर्ट ने उनको रेस्टोर कर दिया। हाई कोर्ट के अन्दर जितनी बार जनता के लोग गये उनके हक में फैसला हुआ और सरकार गई तो उसके विरोध में फैसला हुआ। यह क्या बतलाता है? क्या यह नहीं दिखाता है कि आप अलोकतांत्रिक हैं, हाई कोर्ट की निगाह के अन्दर आपने ऐसा बतेरा अख्तियार किया है जो जन विरोधी है? क्या फर्क पड़ जाता था अगर 15 बैंक का चेयरमैन कोई दूसरा आदमी रहता? आज नीचे के तो चुनाव हो नहीं रहे हैं। यह क्यों नहीं हो रहे हैं, कुछ बता सकेंगे आप?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : सुप्रीम कोर्ट ने हमको जन विरोधी नहीं माना।

श्री हरिदेव जोशी : नहीं, यह कहा है कि आप बैंकों में चुनाव मत करायें?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : जन विरोधी न हाई कोर्ट ने कहा, और अगर हाई कोर्ट ने आप मानते हैं कि कहा है, तो सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट की बात नहीं मानी।

श्री नत्थी सिंह : सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि चुनाव की प्रक्रिया जारी रहेगी।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यह सही है लेकिन जन विरोधी और जनतन्त्र विरोधी, यह तो नहीं कहा है न?

श्री हरिदेव जोशी : यह तो मैं कह रहा हूं। मैं अभिप्राय दे रहा हूं कि इसका अभिप्राय यह है कि जहां जनता के चुने हुए प्रतिनिधि बैठे हुए हैं वहां पर नामीनेटेड आदमी जायं इसको आप प्रिफर करते हैं। मैं यह सोचता हूं कि आप और हम जहां बैठे हैं वहां पर हमें जनता के प्रतिनिधि की इज्जत बनानी चाहिये।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप जहां बैठे हैं वहां बैठे रहेंगे, आपकी यह कल्पना है, भगवान उसको पूरा करे।

श्री प्रकाश चन्द्र बैरवा : यह तो वक्त बतायेगा।

श्री हरिदेव जोशी : यह तो समय दिखायेगा थोड़े दिन बाद। वैसे मैं आपकी आलोचना कर रहा हूं, मगर मैं मन में खुश हूं कि जिस प्रकार से आप चल रहे हैं उससे दीवार पर क्या लिखा हुआ है यह मालूम हो जायेगा।

अध्यक्ष महोदय, मैं और दो बातें कह कर अपनी बात को खत्म करूंगा। वह यह है कि जिस प्रकार से साम्प्रदायिक तत्वों को हम पनपा रहे हैं उससे लोकतन्त्र खतरे में जायेगा। बल्कि मैं तो यह कहता हूं एक जाति और दूसरी जाति के बीच में जिस प्रकार आज राग-द्वेष पैदा हो रहा है वह भी हमको बहुत नुकसानदेह है। इन सारी चीजों को समझ कर हमारा सीमित क्षेत्र है राजस्थान, उस राजस्थान में हम इन चीजों को नहीं आने दें तो ज्यादा ठीक होगा और सरकार उसमें सबसे अधिक सहायता कर सकती है। आज दुर्भाग्य है कि राजस्थान इतना पिछड़ा हुआ है शिक्षा के क्षेत्र के अन्दर। पिछले दो तीन वर्षों

(श्री हरिदेव जोशी)

के अन्दर हमने जितने भी स्कूल खोले थे आपने वन स्ट्रोक आफ दी पैन उन सबको कैंसिल कर दिया। एक तरफ बेरोजगारी है और दूसरी तरफ आपने हजारों मास्टरों को बेरोजगार कर दिया। आपने अपने भाषण में भी यह कहा है, राज्यपाल महोदय ने रिसोर्सेज की कमी के कारण से, ऐसे हो चाहे कैसे भी हो, जो बेरोजगार हैं उन सबको रोजगार देने की बात तो नहीं कही मगर यह कहा है कि जितनों को भी हो सके, हम रोजगार देंगे। फिर क्या कारण था कि आपने जो रोजगार पर लगे हुए लोग थे उनको हटा दिया? मान लिया जाय हमने कोई गलती की हो, लड़के कम हों, आप उनको एक जगह से दूसरी जगह बदल सकते थे। इन सबको, साढ़े पांच हजार स्कूल्स को बन्द करने का अर्थ क्या? हमने, मान लिया जाय, एक जगह सब्जेक्ट खोल दिया उसके लड़के कम हों, मैं उदाहरण के तौर पर कहता हूँ, तो आप उस सब्जेक्ट को बन्द कर दें मगर स्कूल को न तोड़ दें। तो आज राजस्थान के लिये यह देखना जरूरी है कि शिक्षा की नीति कैसी हो। आज इधर देखो तो पोलमपोल, उधर देखो तो पोलमपोल। आपने इस बात के लिए शाबासी चाही है कि एक हजार नये स्कूल खोलेंगे। मैं यह कहता हूं साढ़े पांच हजार स्कूल बन्द करके एक हजार स्कूल खोलने का फैसला आपने किया है। ललितजी अभी हैं नहीं, उनको खुश करने के लिये आपने एक मेडिकल कालेज खोल दिया कोटा के अन्दर। आपको धोखा होगा, आप समझ लीजिये, आप यह सोचते होंगे कि यह राजी हो जायेंगे और आप इससे बच जाओगे एक मेडिकल कालेज खोल करके। तो उनको आप जानते हैं उतना हम भी जानते हैं। इस भ्रम में मत रहियेगा आप कि...

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप भी भ्रम में मत रहिये कि मेरे से ज्यादा जानते हैं।

श्री हरिदेव जोशी : मुझे तो कोई अफसोस नहीं है। (व्यवधान) आज यूनिवर्सिटी एजूकेशन के अन्दर देखिये तो वाइस चांसलर्स नहीं हैं। आज वाइस चांसलर्स को हटा करके वहां क्या करना चाहते हैं, कैसा एडमिनिस्ट्रेशन चाहते हैं? क्यों नहीं जल्दी फैसला ले लेते आप चीजों का? 72 डेज तक हड़ताल रही रोडवेज की। आखिर कितना नुकसान हुआ उन सब बसों को? कारीगर चुपचाप बेकार बेरोजगार बैठे रहे इससे कौनसा लाभ था? आप क्यों नहीं कर सके उसका फैसला? जो फैसला इतने दिनों के बाद में हुआ वह फैसला पहले नहीं हो सकता था? मगर आपको तो फुरसत ही नहीं है। जिन लोगों को आप काम सौंपते हैं उनको काम का पता ही नहीं। ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर इस चीज को अगर अपने हाथ में लेते, उसमें क्षमता होती तो वह उसका फैसला कर सकते थे। हर काम इतना सैन्ट्रलाइज्ड है आपके बगैर हो नहीं सकता। और आपके बगैर हो नहीं सकता, पत्ता हिल नहीं सकता, आप मिल नहीं सकते। वह यहां टेलीफोन करते हैं तो आप और कहीं हैं और टेलीफोन करते है तो और कहीं हैं। इस तरह से 87 दिन तक बसों की हड़ताल चली...

श्री भैरोंसिंह शेखावत : लेकिन यह तो मालूम है न कि हड़ताल क्यों रही ?

श्री हरिदेव जोशी : किसने की यह मुझे मालूम नहीं है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आपने उस वक्त जिनके लिये आदेश निकाल दिये उसके कारण हुआ था। वह आदेश कभी भी उचित नहीं थे। न लागू हुए।

श्री हरिदेव जोशी : हम तो जो भी आदेश देते थे उसका चाहते थे कि पालन हो। मैं यह नहीं कहता कि हम कोई गलती नहीं करते या हमने कोई गलती नही की होगी। हमने गलती की होगी मगर आप सुधारो तो जल्दी सुधारो ना। आप उसको बस्ता-ए-खामोशी में क्यों डाल रहे हो ? मैं कहना चाहता हूँ कि देर से दिया हुआ न्याय भी अन्याय ही है। आज, अध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्री जी यह सोचते हैं कि वह जैसे चल रहे हैं, सब लोगों को अच्छा लग रहा है। मगर जब तक आप इन्टीग्रेटेड डवलपमेंट की बात नहीं रखेंगे तब तक हेप-हेजर्ड डवलपमेंट कभी भी राजस्थान को लाभदायक नहीं होगा। इसलिए आपके दृष्टिकोण में परिवर्तन आना चाहिये। वह परिवर्तन या तो सारे राजस्थान के साथ विकसित हो और इस प्रकार से काम हो जिसमें सारे लोग अनुभव करें कि सब लोगों को कुछ न कुछ मिल रहा है। आप चाहे कोटा में कुछ मन्जूर कर दें उससे काम नहीं चलेगा। कोटा में कुछ देते हैं, मुझे कोई एतराज नहीं है। मैं यह भी नहीं कहना चाहता कि कोटा का विकास नहीं होना चाहिए। मैं यह भी नहीं कहना चाहता कि वहां जो आपने संस्था खोली वह बुरा किया। मगर आप यह देखिये कि आप जो काम करते हैं उन कामों को सब लोगों का समर्थन मिले।

दूसरा, अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूँ जब सरकार किसी धर्म अथवा किसी एक वर्ग को उपेक्षित करती है तब सारी चीज प्रिजुडिस हो जाती है। भा. ज. पा के लोग किसी धर्म को न मानें, यह मैं नहीं कहता। मैं भी एक धर्म को मानता हूँ, उसकी जो क्रिया-प्रक्रियायें हैं उनको मानता हूँ मगर अपने आग्रह को दूसरों पर थोपना नहीं चाहता और राजनीति में उसका दुरुपयोग नहीं करना चाहता। जो कुछ भी आप लोगों ने यह रथयात्रा के अन्दर राम जन्म भूमि के नाम को लेकर किया उसका परिणाम इस देश में क्या निकला है उसको आप देखिये। इसको अगर आप नहीं समझोगे, यह देश बर्बाद होगा। इसकी धार्मिक वृत्ति कुण्ठित होगी और सबसे बड़ा नुकसान इस देश को यह होगा कि संसार के लोग है हमें हेय दृष्टि से देखेंगे। वह समझने लगेंगे कि यह किस बात के लिए लड़ रहे हैं। अगर हिन्दु-मुसलमानों के नाम पर दंगे होते हैं तो दुनिया के लोग चुपचाप देखते रहेंगे ? वह इसका कुछ न कुछ दुरुपयोग करेंगे। हमारे बारे में संसार में विकृति पैदा होगी। इस लिए मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जिस प्रकार से आपने हिन्दु मुसलमान रायट्स को डील किया है वह उचित तरीका नहीं था। जिन लोगों को सजा मिलनी चाहिये, आज उनको सजा मिल जानी

(श्री हरिदेव जोशी)

चाहिये। मर्डरर्स बैठे रहें, मर्डरर्स यह समझें कि वह सब कुछ कर सकते हैं और जो दबा हुआ आदमी है वह दबा हुआ रहे तो उसके मायने यह है कि अगर हिन्दुस्तान में बी. जे. पी. का राज कायम हुआ तो दूसरे लोगों को रहने की कोई जगह नहीं रहेगी। वर्ना आपके लोग क्यों नारे लगाते—"मुसलमानों के दो ही स्थान, पाकिस्तान या कब्रिस्तान"? यह नारा क्यों लगाते?

मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ लाल कृष्ण अडवाणी पहले तो कहते थे, जो रथ यात्रा है वह धार्मिक है। उसके बाद उन्होंने स्वीकार किया कि नहीं, यह पालिटिकल है। उस रथ के ऊपर अडवाणी जी बैठे हुए हों, कमल के फूल का निशान लगा हुआ हो और झण्डा लगा हो आपकी पार्टी का और फिर आप कहते हैं कि हमने धर्म का प्रचार किया राम का ही नाम लिया है, उसके सिवा कुछ नहीं किया। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जो राम का नाम आपने लिया उसको हमने देखा है कि कैसे लिया है। करोड़ों रुपये गांवों में वसूल हुए हैं राम के नाम पर। भोले-भाले बच्चों, बूढ़े लोगों, बुढ़ियाओं और विधवाओं से जो संचित पैसा था वह राम के नाम पर अपने झोले में डलवा लिया और आज जो शिलाएं आपने ले जाकर रखी थीं उनके ऊपर कुत्ते पेशाब करते हैं और बच्चे टट्टी करते हैं। यह है आपकी राम की भक्ति।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यह आप नहीं कहते तो ही अच्छा था। आप अयोध्या गये हैं क्या?

श्री हरिदेव जोशी : मैं तो जागरूक करने के लिए कहना चाहता हूँ आपको। मैं गया हूं अयोध्या।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : जहां शिलाएं रखी हुई हैं वह जगह आपने देखी नहीं।

श्री हरिदेव जोशी : मैं गया हूं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आपको नजर आया वहां पेशाब और टट्टी, अब यह तो दुर्भाग्य है, मैं क्या कहूं। (व्यवधान)

श्री हरिदेव जोशी : आप मुझसे क्यों पूछते हैं। राम के नाम पर इस प्रकार एक्सप्लायट करना राजनीति का आधार नहीं है...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री हरिदेव जोशी : इसलिए मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि अगर हम धर्म निरपेक्ष हैं अगर हम यह चाहते हैं कि किसी भी प्रकार से धार्मिक विवाद इस देश में न हो तो हम को समन्वयवादी बनाना होगा। इस देश में हिन्दू, मुसलमान, क्रिश्चियन, ईसाई, जैन, बौद्ध सभी रहते हैं, सब लोगों को महसूस होना चाहिये कि हम यहां इस देश में सुरक्षित हैं। अगर उन्हें महसूस हो कि इस देश में सुरक्षित नहीं हैं तो वह भी कट्टरता की ओर जायेंगे और दूसरी प्रकार से, कृत्रिम ढंग से जीने की

(श्री हरिदेव जोशी)

कोशिश करेंगे। इसलिए, अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि राजनीति के अन्दर अपनी पार्टी को बचाने के लिए गलत तरीका अख्तियार नहीं किया जाय।

अभी और भी इन दो दिनों में कुछ केसेज मैं आपके सामने रखूंगा जिसके अन्दर अफसरों को पीटना और उनके साथ दुर्व्यवहार करने के कई मसले हैं। क्या कारण है, आखिर क्यों इंजीनियर को पीटने वाला, उसका काला मुंह करने वाला आदमी गिरफ्तार नहीं हुआ? क्या कारण है कि डवलपमेंट कमिश्नर के यहां हड़कम्प मचाने वाले, पिटाई करने वाले और कपड़े फाड़ने वाले लोग पकड़े नहीं गये। उनको सजा नहीं दी गई? क्या कारण है कि कोटा के कलक्टर को भी, उसने शिकायत की थी, उसको तो ट्रांसफर कर दिया मगर जो लोग बदमाशी करने वाले थे, जिसमें एम. एल. ए. साहब भी थे, उन लोगों को पकड़ा नहीं गया? इसका कारण क्या है? कारण क्या यह है कि आपका होम मिनिस्टर इनइफेक्टिव है, अथवा यह है कि उसकी मिनिस्ट्री इनअफेक्टिव है, अथवा यह है कि आप पक्षपात करते हैं? कोई न कोई कारण ऐसा होना चाहिये जिससे जो गड़बड़ करते हैं उनको अच्छी तरह से सजा नहीं मिल रही यही मुझे कहना है। धन्यवाद। जय हिन्द।

श्री अध्यक्ष : श्री रमजान खां।

श्री रमजान खां : अध्यक्ष महोदय, 6 मार्च को राजस्थान के माननीय मुख्य मंत्रीजी ने अपना बजट भाषण यहां पर दिया उसके लिये आने वाले समय में जो भी राजस्थान का वित्त मंत्री बनेगा और वह राजस्थान की विधान सभा में बजट पेश करेगा, यह बजट उस वित्त मंत्री के लिए मार्गदर्शक रहेगा। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। अभी आपने शांति से भाषण सुना...

श्री भैरोंसिह शेखावत (मुख्य मंत्री) : आप बीच में टोका न कीजिए।

श्री अध्यक्ष : उसी स्पीरिट को मेनेटेन करिये वरना समय समाप्त हो जायेगा। मेरा आपसे हाथ जोड़ कर निवेदन है please keep quiet and hear patiently. Have Patience.

श्री रमजान खां : इनकी तो आदत बनी हुई है। इस तरह का बजट पिछले, 40 वर्षों में किसी वित्त मंत्री ने पेश नहीं किया है और मैं उम्मीद करूंगा कि आगे भी माननीय मुख्यमंत्रीजी भैरोंसिहजी इससे अच्छा बजट पेश करने की कोशिश करेंगे। माननीय जोशी जी ने और अन्य माननीय सदस्यों ने बिजली के सम्बन्ध में कुछ शंका जाहिर की है। इस सम्बन्ध में मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि कांग्रेस के दस साल लगातार शासन में रहने के बाद 1980, 1981 और 1982 के काश्तकारों को बिजली के कनेक्शन नहीं दिये गये, उनको बिजली मुहैया नहीं करवाई गई, इससे बड़े दुर्भाग्य की और क्या बात हो सकती है।

एक माननीय सदस्य : आपने कुछ किया ही नहीं।

श्री अध्यक्ष : Please sit down. माननीय सदस्य, आप खड़े नहीं होंगे, मैं आपको हाथ जोड़ कर निवेदन कर रहा हूं। Please sit down.

श्री रमजान खां : बजट में यह प्रावधान किया था कि सन् 1982 तक जितनी भी पत्रावलियां उच्च वर्ग के लोगों की पेंडिंग पड़ी हुई हैं, सन् 1985 तक की जितनी अनुसूचित जाति और जनजाति की पत्रावलियां पेंडिंग पड़ी हैं उन तमाम को कनेक्शन दिया जायेगा। मैं, अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यमसे सदन को बताना चाहता हूं कि सन् 1982 और 1985 के कनेक्शनों के अन्दर कभी भी पांच-पांच हजार, दस-दस हजार, और बीस-बीस हजार रुपये नहीं लिये गये। उन्हें सामान्य दरों से ही कनेक्शन दिये गये। (व्यवधान)

श्री प्रकाशचन्द्र बैरवा (फागी) : एक साल के पीरियड में आपने एक कनेक्शन नहीं दिया। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप फिर खड़े हो गये। क्या बीमारी है आपको? आप बाहर जाना चाहते हैं तो बाहर जाइये मगर यहां डिस्टर्ब मत करिये। Please keep calm.

श्री रमजान खां : मुझे खुशी है, सन् 1982 के सामान्य व्यक्तियों की पत्रावलियां और 1985 तक अनुसूचित जातियों की पत्रावालियां जिन पर पुरानी रेत लगी हुई थी, उनको निपटा दिया, इसके लिए मैं सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूँ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इस बजट भाषण में 25,000 कुओं का विद्युतीकरण करने के लिए और 700 गांवों का विद्युतीकरण के लिए जो प्रस्ताव किया है, इसका भी मैं समर्थन करता हूं और प्रशंसा करता हूँ। मैं आप लोगों को यह भी बताना चाहता हूँ कि इसके लिये 5000, 10,000 और 20,000 रुपये नहीं लिये जायेंगे, जो कुछ माननीय जोशीजी ले रहे थे। सामान्य दरों से ही इनको कनेक्शन दिये जायेंगे। इसलिये आप लोग जिस चीज को बढ़ा-चढ़ाकर कह रहे हैं, वह गलत है। यह तो जो जल्दी कनेक्शन लेना चाहते हैं, माननीय सुमित्राजी जानती हैं, जो जल्दी कनेक्शन लेना चाहता है, तत्काल कनेक्शन लेना चाहता है, जिसकी इच्छा हो कि मैं आज पत्रावली भरूं और कल ही मुझे कनेक्शन मिल जाये, जो पैसे वाले काश्तकार हैं, उनके लिये ये सहूलियत है कि इस तरह से पैसे भरकर कनेक्शन लिये जा सकते हैं। बाकी सभी के लिये, गरीब तबके के लिये, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति के लिये नहीं है। यही मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : वे फाइलें 6 महीने से पड़ी हैं। (व्यवधान)

श्री परसराम मदेरणा (भोपालगढ़) : अनुसूचित जाति के लोगों को आपने 112 कनेक्शन दिये हैं पूरे राजस्थान के अन्दर 1982 में। कुल 32,000 कनेक्शन हैं इनमें

(श्री परसराम मदेरणा)

से 13,000 कनेक्शन ओवर राइडिंग प्रायोरिटी के हैं। मैं जो बात कह रहा हूँ, वह आथेन्टिक है।

श्री प्रकाशचन्द्र बैरवा : 800 कनेक्शन तो 31 मार्च तक जिनके डिमांड जमा थे, वे दिये हैं। आपने सिर्फ 1800 कनेक्शन दिये हैं। (व्यवधान)

श्री रमजान खां : मैं माननीय सदस्यों से यह निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान विधान सभा का सदस्य होने के नाते अपनी बात कह रहा हूँ। आप लोगों को अपनी बात कहनी है तो आप मुख्य मंत्रीजी से कहिये। मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है और जब कभी भी आप कांग्रेसी साहिबान बोलते हैं, आज तक मैंने आप लोगों के भाषण के बीच में एक शब्द तक नहीं कहा तो कम से कम मेरी बात तो सुन लीजिये। बात आपके जंचे तो मानिये, नहीं तो मत मानिये।

सिंचाई विभाग के तहत बिसलपुर योजना, जो कई वर्षों से कांग्रेसी शासन के अन्दर एकदम धीमी गति से चल रही थी, अजमेर, ब्यावर, नसीदाबाद और किशनगढ़ नगरों के व्यक्ति पानी की एक-एक बूंद के लिए तरस रहे थे, अध्यक्ष महोदय, मुझे बहुत खुशी है इस बात को कहते हुए कि सिंचाई मंत्री जी ने इस बार योजना के दोनों फेस स्वीकृत कर दिये हैं। उसके तहत पीने का पानी तो मिलेगा ही मिलेगा, टोंक के लिये सिंचाई योजना के लिये पानी भी तुरन्त मिल जायेगा और मुझे यह भी खुशी है कि अगले वर्ष यानी 1992 में, जिस तेज गति से पी. एच. ई. डी. का कार्य अजमेर जिले में चल रहा है, अजमेर, ब्यावर, नसीदाबाद और किशनगढ़ शहरों की जनता जो कई वर्षों से पानी की बूंद-बूंद के लिए तरस रही थे, उनको पानी मिलने लगेगा।

इसके साथ-साथ मैं सिंचाई मंत्रीजी को यह भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि अजमेर जिले के अन्दर पिछले कई वर्षों से, जैसा कि माननीय गोविन्द सिंह जी भली-भांति जानते हैं, गोविन्दगढ़ बांध जो अजमेर शहर की पेयजल के लिये भी काम आ सकता था, 40 वर्षों से तत्कालीन सरकार के पास लम्बित पड़ा हुआ था। सिंचाई मंत्री जी ने पिछले माह उस कार्य को करने की स्वीकृति दी और ढाई करोड़ रुपये का बांध गोविन्दगढ़ के अन्दर बनना शुरू हो गया है, इसके लिए सिंचाई मंत्री जी को धन्यवाद।

जहां कृषि मण्डियों की आय का सम्बन्ध है, जिन कृषि मण्डियों में पैसा होता था, वे तो अपने गांवों में सड़कें बना लेते थे, सब कुछ कर लेते थे मगर कई मण्डियां ऐसी भी थीं जिनमें बहुत ही कम आय होती थी, पैसा नहीं होता। इसके लिए माननीय मुख्य मंत्रीजी ने अपने बजट भाषण में प्रस्ताव किया है जिला स्तरीय मण्डी कोष बनाने की योजना का जो बहुत ही सराहनीय योजना है। उसके लिए उन्हें धन्यवाद देता हूं।

जहां तक पशुपालन विभाग का सम्बन्ध है, माननीय अध्यक्ष महोदय, इस सम्बन्ध

(श्री रमजान खां)

में हमारे मुख्य मंत्री जी जागरुक हैं और चाहते हैं कि राजस्थान के अन्दर पशुपालन एक ऐसा धन्धा है जो राजस्थान से जुड़ा हुआ है, गरीब लोगों के साथ जुड़ा हुआ है।

(3.25 म. प.)

(श्री यदुनाथ सिंह, उपाध्यक्ष, पदासीन)

पूर्व में आज से एक साल पहले पशु पालन की केवल मात्र ग्राम आधारित योजना थी, उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस विभाग का सर्वे किया और इस विभाग के अन्दर तीन अन्य योजनाओं को जोड़ा जिसमें मुख्य रूप से गोपाल योजना को शामिल किया गया। हर गांव में कोई पढ़ा-लिखा लड़का है, वह अपने गांव के जानवरों का इलाज अपने गांव में ही करे। उसे बाकायदा विभाग की तरफ से तनख्वाह मिलेगी, औजार मिलेंगे, दवाइयां मिलेंगी। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह योजना 10 जिलों में शुरू की गई है, जो बहुत ही सराहनीय रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि इस गोपाल योजना को सम्पूर्ण राजस्थान में शुरू करके और इसका लाभ गांव-गांव, ढाणी-ढाणी तक पहुंचाने की व्यवस्था करें।

इसके साथ-साथ पशु पालन विभाग के अन्दर, जयपुर संभाग के जितने भी जानवर हैं, उनके लिए इस तरह के कार्यक्रम चलाकर, सघन कार्यक्रम चलाकर कृत्रिम गर्भाधान के तहत पूरे जयपुर संभाग में जानवरों की नस्ल बदलने के लिए भी बहुत ही सराहनीय कार्यक्रम है।

भेड़ ऊन विभाग के अन्दर बहुत ही प्रगति हुई है। मैं कहना चाहता हूँ, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ऊन को कृषि जिंस में शामिल करने का माननीय मुख्यमंत्रीजी का प्रयास बहुत ही सराहनीय है। यदि यह ऊन कृषि जिंस में शामिल हो गई तो इसका बहुत फायदा भेड़ पालकों को मिलेगा और चार प्रतिशत ब्याज की दर से नाबार्ड से कर्जा लेकर भेड़ पालक अपने जानवर खरीद सकेंगे और ऊन को खरीद सकेंगे और इसके तहत कृषि विपणन बोर्ड फैडरेशन, जो भेड़ ऊन विभाग में बना हुआ है, यह फैडरेशन ऐसा है जो 50 लाख रुपये का प्रति वर्ष मुनाफा कमा रहा है और यह मैं समझता हूं कि यदि कृषि जिंस के तहत इसमें कम ब्याज पर कर्जा मिलना शुरू हो गया तो यह फैडरेशन करोड़ों रुपये का फायदा राज्य सरकार को देगा, ऐसी मेरी मान्यता है।

जहां तक मत्स्य पालन विभाग का सवाल है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह एक वर्ष माननीय शेखावत जी की सरकार का ही है जिसने 90 प्रतिशत का राजस्व अर्जित करके एक रिकार्ड स्थापित किया है। किसी भी विभाग के अन्दर 90 प्रतिशत की बढ़ोतरी आज तक नहीं हुई, आज राजस्थान के अन्दर मत्स्य विभाग के अन्दर 90 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। यह बात मैं बड़े फख्र के साथ कहना चाहता हूँ।

माननीय जोशी जी कह रहे थे कि हम

(श्री रमजान खां)

काश्तकारों के हितैषी नहीं हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज तक कई वर्षों से काश्तकार अपनी बारानी भूमि का लगान देने में बहुत कसमसा रहे थे, बहुत दुःखी हो रहे थे और इस वर्ष बारानी भूमि के लगान को माफ करने का प्रस्ताव माननीय मुख्य मंत्रीजी ने अपने बजट भाषण में किया है। आज आप गांव-गांव में जाकर देखिये, जिस दिन यह न्यूज रेडियो और अखबारों में आई थी, गांवों में काश्तकारों ने दीपावली मनाई थी कि यह राजस्थान में ऐसा मुख्यमंत्री आया है जिसने बारानी भूमि का लगान माफ कर दिया। इससे बढ़कर माननीय मुख्य मंत्रीजी से और आप क्या आशा कर सकते हैं ?

इसके साथ-साथ जब सन् 1989 में हम चुनाव लड़ने गये थे, हमने हमारे चुनाव घोषणा पत्र में यह बात कही थी, लोगों से वायदा किया था कि जो लोग अकाल की वजह से अपना कर्जा चुकाने में डिफाल्टर हो गये हैं, उनका कर्जा माफ कर देंगे। उस वक्त ये कांग्रेसी साथी हमारा मजाक उड़ाया करते थे कि कहने की बात और होती है और करने की बात और होती है। परन्तु माननीय मुख्य-मंत्री भैरोंसिहजी ने राजस्थान के 10 लाख गरीब काश्तकार, जो कई वर्षों से ब्याज से दबे हुए थे, उनके कर्जे, 41 करोड़ रुपये के कर्जे, माफ कर दिये। यह एक ऐतिहासिक निर्णय लिया है। ये आने वाली पीढ़ी भी याद करेगी और ये राजस्थान का इतिहास भी याद करेगा, माननीय उपाध्यक्ष महोदय। इस तरह की उम्मीद कांग्रेस के लोगों से नहीं थी। और जहां तक कमाण्ड सिंचित क्षेत्र में खालों के निर्माण हेतु भूमि विकास बैंक से लोन लिया गया था, इस बजट भाषण में उसका भी प्रस्ताव किया गया है कि उसको भी 1990-91 में माफ किया जायेगा। इससे बढ़कर काश्तकारों के लिए खुशी की बात और क्या हो सकती है।

मैं एक बात माननीय मुख्य मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि पंचायत समितियों और तहसीलों के माध्यम से 20 वर्ष पहले हमारे काश्तकारों ने तकाबी ऋण लिया था। वह तकाबी ऋण 20 साल पूरे होने पर भी अकाल की वजह से और अन्य किसी कारणवश काश्तकार चुका नहीं पाये। मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी जब कल जवाब दें तो उसके अन्दर इस तकाबी ऋण को माफ करने की घोषणा करें ताकि काश्तकारों को कुछ सहारा मिले।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सन् 1977 में जब माननीय शेखावत साहब मुख्यमंत्री बने थे, उन्होंने मुख्य मंत्री पद की शपथ लेने के बाद एक बात की घोषणा की थी कि आज मेरे प्रदेश के अन्दर वृद्ध माता-पिता हैं, उनका बेटा भैरोंसिह शेखावत होगा और जो विधवा बहिनें हैं उनका भाई भैरोंसिह शेखावत है और उन्होंने अपने कार्यकाल में यह करके बताया है। घर बैठे 40 रुपये की पेन्शन दी जो आज बढ़कर 100 रुपये की हो गई है। इस सम्बन्ध में मैं निवेदन करना चाहता हूँ, नियमों में कुछ गड़बड़ है, थोड़ी-सी रुकावट है जिसकी

(श्री रमजान खां)

वजह से सभी लोगों को इसमें राहत नहीं मिल पाती। इसलिए मेरा यह निवेदन है कि इस सम्बन्ध में जिनके लड़के हों, कमाने खाने वाले या जिनकी थोड़ी बहुत जमीन हो उनको भी इसमें रियायत दी जाय क्योंकि आज के जमाने में जो बड़े लड़के होते हैं वह मां-बाप को कमा के नहीं देते और थोड़ा बहुत (व्यवधान)... बैठें तो सही।

श्री बन्शीलाल पटवा (भीलवाड़ा) : आपकी खिलाफत नहीं कर रहा हूं। कुंवारों का घणीधोरी कौन है? विधवा का, बुजुर्गों का कुंवारों का कौन है?

श्री रमजान खां : इतने समझदार आदमी होकर के। हम तो कभी बीच में बोलते ही नहीं हैं। थोड़ा दो मिनट तो ठहरो।

तो मैं निवेदन कर रहा था कि इस तरह के वृद्ध माताओं और पिताओं के लिये जिनके औलाद भी हो और 5-7 बीघा जमीन भी हो, सीमान्त लघु काश्तकार हो, तो माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आजकल जमीन में कुछ उपजता नहीं है। इसके लिए उनको भी पेन्शन दी जाय। नियमों में कुछ संशोधन करके उनको राहत पहुंचायी जाय, यह मेरा विशेष रूप से निवेदन है।

उपाध्यक्ष महोदय, एक हजार प्राथमिक शिक्षा शालायें खोलीं उसके लिए तो स्वागत है। परन्तु प्राथमिक विद्यालय से उच्च प्राथमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करने का जो ग्रामीण एरिया के लिए माननीय मुख्य मंत्रीजी ने केवल 25 का आंकड़ा रखा है वह बहुत ही कम है, इसे बढ़ा कर कम से कम 250 किया जाय ताकि हर विधान सभा क्षेत्र में कम से कम एक मिडल स्कूल हो जाय। पांच कालेजों का बहुत ही स्वागत है। इसके लिए मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि पीसाण मेरे निर्वाचन क्षेत्र में एक बहुत ही इन्टिरियर में गांव है, जिसके अन्दर भी कालेज खोलना अति आवश्यक है। इसलिए मेरा निवेदन है कि वहां पर कालेज खोलना चाहिये।

अजमेर जिले में सम्पूर्ण साक्षरता की गत वर्ष माननीय मुख्य मंत्री जी ने अपने बजट में घोषणा की थी और उसके तहत माननीय शेखावत साहब ने स्वयं अपने बजट भाषण में माना है कि अजमेर जिले में यह कार्यक्रम बहुत सभयतापूर्वक चल रहा है और उन्होंने 1992 के मार्च तक का समय और बढ़ा दिया है। इसके लिए तो मैं उनका बहुत आभारी हूँ, अजमेर जिले की जनता जनार्दन बहुत आभारी है और मैं यह भी फख्र करता हूँ कि आजकल अजमेर जिले की क्या पहिचान है, पढ़ा लिखा हैं हर इन्सान यह हमारे अजमेर जिले की पहिचान हो गयी है। इसके लिए हमें फख्र है और माननीय मुख्य मंत्री भैरोंसिंह शेखावत की वजह से यह पहिचान मिली है, उसके लिए पूरा अजमेर जिला बहुत ही उनका आभारी है।

(श्री रमजान खां)

माननीय जोशीजी ने अभी अपने भाषण में 3-4 बार लगातार हर बात को रिपीट किया है जो एक विपक्ष के नेता के नाते मेरे ख्याल से भाषण कुछ जमा नहीं है। इसमें विशेष रूप से उन्होंने मुसलमानों की बात कही है। मुझे बड़ी खुशी है, मैं भी मुसलमान हूँ जाति का और इसके लिए उन्होंने यह बात कही है, इस सम्बन्ध में तो खुशी की बात है। मैं उनसे यह पूछना चाहता हूं कि पिछले 5-6 साल से लगातार राजस्थान मुस्लिम वक्फ बोर्ड ऐसी रद्दी की टोकरी में रहा था उसका गठन क्यों नहीं किया ? मुख्य मंत्री भैरोंसिंह शेखावत ही हैं जिन्होंने दो महीने पहले राजस्थान मुस्लिम वक्फ बोर्ड का गठन किया और यह बता दिया कि राजस्थान के मुसलमानों की हिमायत मुस्लिम वक्फ बोर्ड के माध्यम से होगी जिसको सरकार सहयोग करेगी। मैं और भी निवेदन करना चाहता हूँ, उपाध्यक्ष महोदय, कि भारतीय जनता पार्टी को यह लोग साम्प्रदायिक कहते हैं। हज यात्रा के लिए हर वर्ष 25-30 प्रतिशत मुसलमान बड़ी मुश्किल से जाते थे, सचिवालय के हमेशा चक्कर काटा करते थे। मगर राजस्थान के मुख्य मंत्रीजी ने स्पेशल टेलीफोन करके ऐसी व्यवस्था की कि इस वक्त, मैं आपको बडे गर्व के साथ कहता हूँ, 95 प्रतिशत मुसलमान जिन्होंने फार्म भरे हैं, सब हज के लिए जा रहे हैं। यह अगर साम्प्रदायिक पार्टी होती तो फिर मुसलमानों को हज के लिए कैसे भेजती ? यह एक सोचने की बात है, यह आप लोगों के सोचने की बात है।....(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री हरिसिंह (महुआ) : आपको यह कहना चाहिये कि बी. जे. पी. मुसलमानों की हितैषी है।

श्री रमजान खां : गत वर्ष सरकार में टूट आयी और सरकार टूटी और माननीय भैरोंसिंह शेखावत को महामहिम राज्यपाल महोदय ने कहा कि आप अपना विश्वास मत प्राप्त करो। मैं बड़ी खुशी के साथ और गर्व के साथ कहता हूँ अगर राजस्थान के अन्दर भैरोंसिंह शेखावत की पार्टी, भारतीय जनता पार्टी साम्प्रदायिक होती तो मुसलमानों के तीन विधायक भैरोंसिंह शेखावत को बचाने के लिए नहीं आते। यह सब उदाहरण हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय जोशी जी से मैं पूछना चाहता हूं कि मुसलमान एम. एल. ए. जो जनता दल से सम्बन्धित थे वह क्यों आये ? (व्यवधान)... आप सुन लीजिये। इसके साथ मैं, रमजान खां, पक्का मुसलमान, जिस तरह से हिन्दू कहता हो गर्व से कि मैं हिन्दू हूँ, रमजान खां कहता है कि गर्व से कहो मैं मुसलमान हूँ। कहीं भी रोकटोक नहीं है भारतीय जनता पार्टी में। और मेरे जैसे व्यक्ति को इसी भारतीय जनता पार्टी ने तीर्थराज पुष्कर जो हिन्दुस्तान ही नहीं पूरी दुनिया में हिन्दुओं का सब से बड़ा तीर्थ स्थान है, वहां से टिकट दिया भैरोंसिंह शेखावत और ललित किशोर चतुर्वेदी ने। रमजान खां को फिर जीत हासिल करायी और दूसरी बार राजस्थान विधान सभा के विधायक के नाते यहां पर खड़ा हूँ, मंत्रि-

क्रमशः

(श्री रमजान खां)

मंडल में भी शामिल किया गया। इसलिये कैसे कहते हो कि भारतीय जनता पार्टीसांप्रदायिक है ? मैं कहना चाहता हूं, उपाध्यक्ष महोदय, कि जिस वक्त मैं चुनाव लड़ता हूं उस वक्त चाहे हिन्दू परिषद हो, चाहे बजरंग दल हो, चाहे आर. एस. एस. यह हो, सब लोग रमजानखां के लिए टोकरी लेकर वोटों की भीख मांगते फिरते हैं, उस वक्त भारतीय जनता पार्टी साम्प्रदायिक क्यों नहीं होती है ? जहां तक बीगोद का सवाल है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माथुर साहब कल बीगोद के लिए अपना वक्तव्य दे रहे थे, बात कर रहे थे, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि उनके शासन काल में, जब वह मुख्य मंत्री थे, उस टाइम में बीगोद तीन महीने तक जलता रहा, लोग जेलों में सड़ते रहे, दुकानें बन्द रहीं, उस वक्त माथुर साहब जब राज में थे तो उन्होंने क्या किया ? मैं यह बड़े गर्व के साथ कह सकता हूँ कि श्री भैरोंसिंह शेखावत के मंत्रिमंडल के दो सदस्य, श्रीभंवरलाल शर्मा और रमजान खां बीगोद में गये, 24 घण्टों के अन्दर सुलह करा दी, बाजार खुल गये, भाई चारा वापस हो गया।...(व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : जब यह मुख्य मंत्रीजी थे तब टोंक में क्या कराया... (व्यवधान)

भैरोंसिंह जी मिलने गये और कोई पूछने भी नहीं गया।

श्री रमजान खाँ : यह पहली सरकार है जिन्होंने दंगों में मरने वाले लोगों को एक-एक लाख रुपया मुआवजा दिया है। आज तक कांग्रेस के शासन काल में कभी भी इतना मुआवजा नहीं दिया गया है।

श्री रामनारायण वर्मा : यह असत्य है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, दो मुसलमान मर गये उनको पैसा नहीं दिया है। आप जांच करवा लें।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, बैठिये।

एक माननीय सदस्य : यह दिखावटी आंसू बन्द करो।

श्री रमजान खां : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे याद है कि जिस वक्त जयपुर में दंगा हुआ था, शेखावत साहब लगातार 3-4 रात सो नहीं सके और धन्यवाद देना चाहता हूँ उनको कि जिस ढंग से दंगे राजस्थान के अन्दर भड़के तत्काल उनके ऊपर काबू पा लिया और वे ही बधाई के पात्र हैं। अगर कांग्रेस का शासन होता तो पता नहीं कितने लोग मरते, कितने लोग बेसहारा हो जाते। इस चीज के लिए माथुर साहब ने या जोशीजी ने कोई बात नहीं कही।

राम जन्म भूमि, बाबरी मस्जिद के बारे में माननीय जोशीजी ने बहुत बड़ी बातें कहीं। नारों के लिए भी बहुत बातें कहीं। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं आपके माध्यम से कि राम जन्म भूमि और बाबरी मस्जिद का सिलसिला किसने शुरू किया, ताले किसने खुलवाये उस मस्जिद के ? यह ताले खुलवाये कांग्रेस की सरकार ने। शिलान्यास किसने कराया ? यह करवाया कांग्रेस की सरकार ने। माननीय अडवाणीजी तो रथ यात्रा लेकर इसलिये

(श्री रमजान खां)

निकले थे कि हिन्दुस्तान की जनता जनार्दन को समझाये और मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आज बाबरी मस्जिद के अन्दर राजस्थान ही नहीं, हिन्दुस्तान ही नहीं, दुनिया का कोई भी मुसलमान यह कह दे कि नमाज पढ़ने के लिए तैयार हूँ तो मान जाऊंगा कि बाबरी मस्जिद मुसलमानों को मिलनी चाहिये । मस्जिद के अन्दर मूर्तियां रखा दीं कांग्रेस की सरकार ने और आज मुसलमानों को कहते हो कि वह नमाज पढ़ें । कोई मुसलमान तैयार नहीं होगा ।

श्री हेतराम बेनीवाल : तोड़ने के लिए तैयार हैं । कौन मुसलमान तोड़ने के लिए तैयार है ?

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : ज्यादा उत्तेजित मत करो मैं इतनी देर से सुन रहा था....(व्यवधान)

श्री टीकमचन्द कांत : बोलने दो ।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : ज्यादा सीमा से बाहर मत होइये ।

श्री टीकमचन्द कांत : झुंझुनू से आने वाले माननीय सदस्य, जब कोई अल्पसंख्यक के हकों की बात करता है तो बोलने से रोकते हैं ।

श्री रमजान खां : झुंझुनूं से आने वाले माननीय सदस्य से अनुरोध करूंगा कि आप क्या बाबरी मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए तैयार हैं ?

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : तैयार हैं । आप यही कहो ना कि तोड़ना चाहते हैं । इतनी बातें आपने कहीं उसको हम मान रहे हैं लेकिन आप जरूरत से ज्यादा मत कहिये...(व्यवधान)

श्री टीकमचन्द कांत : आपका इस्लाम नमाज पढ़ने की इजाजत देता है क्या ?

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : जो नमाज का मतलब ही नहीं जानते वह क्या नमाज की बात करते हैं । बैठ जाइये, आप ।

श्री टीकमचन्द कांत : यहां नमाज की इजाजत इस्लाम नहीं देता है ।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : इस्लाम को आप जानते हैं क्या ? खाली इस्लाम का नाम जानते हो....(व्यवधान) कहां से आरम्भ हुआ यह पता नहीं । आप इतनी देर से बोल रहे थे, जो बातें आपने कहीं हम खामोश बैठे हैं लेकिन आप लोगों की भावनाओं के खिलाफ नहीं बोलेंगे...(व्यवधान)

श्री जुबेर खान : रमजान खां जी, एक निवेदन है । किस्सा ही खत्म है अगर आप यह कहते हैं कि आपने और भैरोंसिहजी ने ऐसा कर लिया है भाजपा मुसलमानों की हमदर्द हो गयी है तो किस्सा ही खत्म । आप यह कहला दीजिए तो कोई विवाद ही नहीं है ।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : आप तो अपनी बात कहो, यह कह दें कि मैं चाहता हूँ कि इसको तोड़कर मंदिर बना दिया जाय....(व्यवधान)

श्री रामप्रताप कासनिया : आप तो सिर्फ इतना बता दें कि दिन में कितनी बार नमाज पढ़ी जाती है और नमाज किस तरह से पढ़ी जाती है। यह पता है आपको ?

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : बैठो आपको क्या पता है ? अक्ल नाम की चीज नहीं है और बात कर रहे हैं...(व्यवधान)

श्री रमजान खां : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, शेखावत साहब की बात कर रहे हैं। शेखावत साहब ही ऐसी हस्ती थे, इस हिन्दुस्तान के अन्दर विश्व हिन्दू परिषद के लोगों को और बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के लोगों को एक साथ बैठाने का श्रेय अगर किसी को है तो शेखावत साहब को है। इसके लिये क्या कहते हैं ? तीन-तीन लगातार मीटिंग करायी। आपस में सौहार्दपूर्ण वातावरण कायम किया और वह सौहार्दपूर्ण वातावरण आज भी कायम है। कहीं भी भारतीय जनता पार्टी ने यह नहीं कहा कि बाबरी मस्जिद को तोड़ा जाय। कोई साबित कर दे बाबरी मस्जिद को तोड़ देंगे तो रमजान खां भी इस्तीफा दे देगा। यह बात भाजपा ने नहीं कही है। यह जो कह रहे हैं बिल्कुल गलत है।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : यह अखबार की कटिंग है जिसमें बाबरी मस्जिद पर चढ़ी हुई है...

श्री उपाध्यक्ष : माननीय वैर से आने वाले माननीय सदस्य।

श्री प्रेमसिंह दहिया : रमजान खाँ जी, आप ऐसी बात कर रहे हैं, आप दुबारा जीतकर आयेंगे नहीं। जीतकर आयें तो पता लगेगा। इस तरह का स्टेटमेण्ट देंगे तो देखते हैं कैसे जीतकर आते हैं ?

एक माननीय सदस्य : गारण्टी आपकी भी नहीं है।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : यह टी. वी. पर दिखाया है बाबरी मस्जिद को तोड़ रहे हैं। सदन में, माननीय मंत्री महोदय, इतना बड़ा असत्य तो मत बोलो।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह पूछ रहे हैं कि रमजान खां जी दुबारा जीतकर आयेंगे या नहीं। यह दो बार पुष्कर से जीते हैं, हिन्दुओं के धार्मिक स्थान से जीते हैं इससे आप अन्दाज लगा लें कि हिन्दुओं में किस प्रकार की भावना है।

श्री प्रेमसिंह दहिया : मस्जिद को मुसलमानों से छीनने की बात करेंगे तो दुबारा जीतकर नहीं आयेंगे।

श्री रमजान खां : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जोशीजी अभी कुछ गंदे नारों की बात कर रहे थे। मैं आपके माध्यम से सदन से निवेदन करना चाहता हूँ हो सकता है गलत नारे लगे हो। तो दूसरे समुदाय के अन्दर विरोध होना स्वाभाविक है। परन्तु यह नारे कब शुरू हुए ? यह नारे कांग्रेस शासन में लगते रहे और इसकी रोकथाम नहीं हुई। जिस तरह से भैरोंसिंह जी ने भीलवाड़ा और बांसवाड़ा जिले में जो लोग साम्प्रदायिकता फैलाना चाहते थे उनको दढ़ता से रोक कर दबाया, उसी

(श्री रमजान खां)

तरह से अगर कांग्रेस भी रोकती तो इस तरह के नारे कभी नहीं लगते।

मैं जयपुर के अधिवेशन की बात आपके सामने रखना चाहता हूँ कि जयपुर के अधिवेशन में कुछ कांग्रेसी गलत तत्व वहां पर घुस गये और एक नारा दिया, उपाध्यक्ष महोदय, कि जो हिन्दुत्व की बात करेगा दिल्ली का राज करेगा। माननीय लालकृष्ण अडवाणी ने कहा कि गलत तत्व हमारे अधिवेशन में आ गये हैं जो शत प्रतिशत की बात करेगा वही दिल्ली का राज करेगा। यह अडवाणीजी की बात थी। इसलिये जो कहते हैं गलत नारे, गलत नारे पैदा करने वाले खुद कांग्रेसी हैं। अगर इनको कुचल दिया जाता इस तरह के तत्वों को, तो गलत नारे की बात जोशीजी नहीं करते, मगर मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कि गलत नारों को उन्होंने जन्म दिया, उन्होंने प्रोत्साहन दिया था ताकि हिन्दू मुसलमान लड़ें और लोगों को यह कह सकें कि भारतीय जनता पार्टी साम्प्रदायिक पार्टी है, इससे दूर रहो, मुसलमान दूर रहें। मगर अब मुसलमान समझ चुके हैं कि भाजपा साम्प्रदायिक नहीं है।

मैं आपके माध्यम से सदन को कहना चाहता हूँ कि माननीय भैरोंसिह शेखावत के जमाने में, जब तक यह मुख्य मंत्री रहेंगे साम्प्रदायिक दंगों की कल्पना मात्र करना भी गुनाह है। भैरोंसिह जी के शासनकाल में साम्प्रायिक दंगे नहीं हो सकते और इस तरह के जहां कहीं भी करवाने की कोशिश करेंगे उसको सांप की कुण्डली की तरह कुचल दिया जायेगा।

श्री जुबेर खान : इधर तो बोल दिया, पीछे भी कह देना।

श्री रमजान खां : जो बजट भाषण छपा है उसके अन्दर मुख्य मंत्री ने यह प्रस्ताव किया है कि अब स्कूलों के अन्दर भी धार्मिक-ग्रन्थों का ज्ञान कराया जायेगा। इसके अन्दर कहीं नहीं लिखा कि कुरान शरीफ की आयतों के बारे में ज्ञान नहीं कराया जायेगा। झुंझुनू से आने वाले माननीय सदस्य, कुरान शरीफ की आयतों का भी हिन्दू और मुसलमानों के बच्चों को ज्ञान कराया जायेगा जैसे गीता और रामायण का कराया जायेगा। फिर आप कैसे कहते हैं कि भैरोंसिह शेखावत साम्प्रदायिक हैं ?

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : भैरोंसिह जी से कहला दें, वह कह दें कि रामायण और कुरान पढ़ायी जायेगी। इसका मतलब समझिए। यह कहा गया है कि सारे धर्मों का आदर करो। इस्लाम धर्म के उद्देश्य क्या हैं ? उसका मतलब धार्मिक ग्रन्थ नहीं। पहले इसको समझो...(व्यवधान) कुरान और रामायण नहीं पढ़ायी जायेगी। सारे धर्मों के क्या अच्छे सिद्धांत हैं, मानव धर्म क्या कहता है, यह पढ़ाया जायेगा।

श्री कुन्दनलाल मिगलानी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, नैतिक शिक्षा की बात

(श्री कुन्दनलाल मिगलानी)

कही गयी है। इस्लाम में भी नैतिक शिक्षा की बात है...

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : रामायण पढ़ायी जायेगी क्या ?

श्री कुन्दनलाल मिगलानी : रामायण या कुरान नहीं पढ़ायी जायेगी पर उसके तत्व पढ़ाये जायेंगे।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : आप खुद पढ़े हुए नहीं हैं।

श्री रमजान खां : मैं तो पढ़ा हुआ हूँ।

श्री उपाध्यक्ष : आप मेरे माध्यम से बात करें...(व्यवधान)

श्री हेतराम बेनीवाल : आज सारे मंत्री आक्रामक हैं।

श्री रमजान खां : आप जानते नहीं कुरान क्या है।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : मुख्यमंत्री से कहलाओ कि कुरान और रामायण पढ़ायी जायेगी।

श्री रमजान खां : यह मुख्य मंत्री ने कहा है।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : अच्छे सिद्धांत हैं वह बताये जायेंगे।

श्री हीरासिंह चौहान : आपका मौका आने वाला है उस समय खण्डन कर सकते हैं...(व्यवधान)

श्री रमजान खां : आपसे ज्यादा जानता हूँ कुरान के बारे में। सच्ची बात कड़वी लगती है...

श्री उपाध्यक्ष : समाप्त करें, माननीय सदस्य।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मोहम्मद माहिर आजाद साहब, ऐसा करने से यदि आप इधर आ सकते हैं और आपकी सद्भावना बनती है तो मैंने जो नैतिक शिक्षा की बात कही है उसमें इस्लाम धर्म में भी नैतिक शिक्षा दी जाती है। आप यह मत कहो। सब में दी जाती है। तो जब मैंने कहा कि नैतिक शिक्षा और सभी धर्मों की शिक्षा दी जायेगी तो इसमें कुरान की आयतें भी आयेंगी इसमें कोई सन्देह करने की आवश्यकता नहीं है।

अनेक माननीय सदस्य : अब बोलो।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : जब मेरा नम्बर आये तब सुनना।

श्री महावीर प्रसाद जैन : अब इधर आओगे क्या ? (व्यवधान)

श्री हेतराम बेनीवाल : उपाध्यक्ष महोदय, यह भी साम्प्रदायिक है कि आप कुरान का नाम लेकर किसी को पटा लें।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यह साम्प्रदायिकता नहीं है, उनको इतना कहना है कि कुरान ज्यादा प्यारा या जनता दल ज्यादा प्यारा है। यह तय करना है।

श्री ओमप्रकाश गुप्ता : इसमें लाल किताब शामिल नहीं है।

श्री नत्थीसिंह : आप कितना ही लालच दो यह किसी कारण से दलबदल नहीं करेंगे ।

श्री भैरोंसिह शेखावत : कुरान के नाम से भी नहीं करेंगे ?

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : पहले मुसलमान हूँ फिर जनता दल में हूं ।

श्री भैरोंसिह शेखावत : पहले मुसलमान हो तो फिर मैं कहना चाहता हूं कि जहां कुरान पढ़ाने की व्यवस्था हो उस दल में आओ ।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : उसका समर्थन करूंगा ।

श्री रमजान खाँ : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे खुशी है कि जो हमारे साथी, मेरे हम कौम के भाई जो मेरे से लड़ रहे थे उसने समर्थन की बात तो कम से कम कही । 24 मई या 25 मई को लोकसभा के चुनाव होने जा रहे हैं, यह हिन्दुस्तान की जनता जनार्दन और राजस्थान की की जनता जनार्दन बता देगी कि कौन साम्प्रदायिक है और कौन गैर साम्प्रदायिक है । मैं यह दावे से कह सकता हूं कि राजस्थान के अन्दर 25 की 25 सीटें भाजपा को मिलेंगी, कोई दुनिया की ताकत उसको रोक नहीं पायेगी । यह आप 25 तारीख को देख लेना और यह इतिहास आपको बता देगा । इतनी जल्दी क्या है ?

श्री हेतराम बेनीवाल : नहीं आये तो इस्तीफा देंगे ? मेरे से शर्त रख लो । मैं इस्तीफा देने को तैयार हूं, आप ले लो । नहीं तो आप दे देना ।

श्री कुन्दनलाल मिगलानी : आपने तो मेरे से शर्त लगा रखी है ।

श्री उपाध्यक्ष : आपको कोई रोक रहा है ? आप भी कह दो कि 25 सीटें मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की आयेंगी ।

आप भी अपनी कह दो ।

श्री रमजान खां : पहले जनता दल के तीन मुसलमान भाई भैरोंसिहजी का समर्थन करने के लिए आये थे आज हमारे आजाद साहब भी बने हैं और कल जुबेर साहब भी जानेंगे और मुझे उम्मीद है कि राजस्थान के अधिकांश मुसलमान समझेंगे, भाजपा की नीतियों का समर्थन करेंगे ।

श्री जुबेर खां : उन को क्यों दिखा रहे हो ? हम तो सभी मानते हैं । जो पीछे बैठने वाले हैं उन के बारे में वकालत करिये । भैरोंसिहजी के लिए आप वकालत मत करो । उनके लिए तो हम भी मानते हैं । उनके लिए करो जो आपके पीछे बैठे हैं ।

श्री रमजान खां : अजमेर जिले के लिए भी बजट भाषण में मुख्य मंत्री जी ने प्रस्ताव किये हैं । उसके लिए तो मैं आपका बहुत-बहुत आभारी हूं ।

ब्यावर के अन्दर कृष्णा मिल का मसला कई वर्षों से चला आ रहा है...

श्री उपाध्यक्ष : बहुत उठाते रहे हैं आप ।

श्री रमजान खां : कृष्णा मिल्स को जल्द से जल्द खोलें ।

(श्री रमजान खां)

आपने अपने बजट भाषण में कहा है कि प्रत्येक जिले के अन्दर एक मुख्य समस्या ली जायेगी। उसके लिये मेरा निवेदन है कि अजमेर जिले से सैटलमेंट का काम पिछले कई बरसों से उलझा हुआ पड़ा है, उसको शीघ्र सुलझाने का प्रयत्न करेंगे।

मैं अपनी बात समाप्त करते हुए मुख्य मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि आबादी बहुत बढ़ गई है, एक लाख को भी पार कर गई है आज, तो जिस तरह आपने तीन जिलों को बनाया है, उस तरह ब्यावर क्षेत्र को भी एक जिला बनाने की आप घोषणा करेंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। इसी के साथ में बजट का समर्थन करते हुए अपनी बात समाप्त करूंगा। जय हिन्द।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : इनकी तरफ से मैं मुख्य मंत्री से निवेदन करूंगा कि वे अल्पसंख्यकों के बड़े हितैषी हैं और रमजान खां ने खूब वकालत की है, कृपया आप इनको प्रमोट करके केबिनेट रेंक का मिनिस्टर तो बना दीजिये।

श्री भैरोंसिह शेखावत : मेरे पास इन की जगह लेने के लिए आप आ जायें तो मैं इस बात पर विचार कर सकता हूँ।

श्री रामकरण सिंह : माननीय उपाध्यक्ष जी, आज 7 तारीख से बजट पर भाषण हो रहे हैं। निर्दलीय सदस्यों में से एक को भी आपने बोलने का मौका नहीं दिया है।

श्री उपाध्यक्ष : आपको मिलेगा मौका।

श्री रामकरण सिंह : इनको तो हिन्दू और मुसलमान की बात उजागर करने की इजाजत आपने दे दी, और हम लोग, जो दोनों को बराबर मानते हैं, उनको आप मौका नहीं देते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : इसलिये तो आपको बीच में मौका मिल जायेगा।

श्री नत्थी सिंह : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, व्यवस्था का प्रश्न है।

पहले भी अध्यक्ष महोदय के सामने तय हो चुका है और जब हमारे दल का नम्बर आता है तो आप ही आसन पर होते हैं और हमारा नम्बर काटने को मजबूर हो जाते हैं। हमारे दल के चार सदस्यों के नाम पहले दिये हुए हैं और उनका क्रम है बोलने का। उस क्रम को आप मत तोड़िये, यही मेरा निवेदन है।

श्री रामकरण सिंह : मैंने 7 तारीख को ही अपना नाम दे दिया था, और 7 तारीख से अब तक आपने...

श्री उपाध्यक्ष : आपका नाम शीघ्र ही आ रहा है।

श्री रामकरण सिंह : उधर तो सूरज जा रहा है।

श्री नत्थी सिंह : दूसरे सदस्य बोल नहीं पाते।

श्री भैरोंसिह शेखावत : मैं आपसे एक जानकारी करना चाहता हूँ। श्री जनार्दन सिंह बोले, उनके बाद जोशीजी बोले, उस वक्त तो आपने एतराज नहीं किया।

(161)

श्री नत्थी सिंह : वह हम पर फेवर नहीं है। यह आपकी सरकार ने कराया है कि लीडर आफ अपोजीशन बोलने के लिये खड़े हों, तो वह बोलेंगे ही। इससे हमारा क्रम नहीं टलेगा।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : उस समय क्रम टूटा था और कांग्रेस वालों ने क्रम तोड़ा।

श्री नत्थी सिंह : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस बन्दर बांट का यह फायदा उठा रहे है। इस बन्दर बांट का पहले भी आपने फायदा उठाया। अब यह नहीं चलेगा। इसलिये मेरा निवेदन है कि जो क्रम है उस क्रम में आप बुलवाइये।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आपने जो बात कही, उस पर किसको आपत्ति हो सकती है? मुझे तो आपत्ति इस बात पर है कि कांग्रेस के लोग क्रम तोड़ कर बोले, उस समय आप बोले नहीं।

श्री नत्थीसिंह : मैं था नहीं। मैं खाना खाने गया था।

श्री उपाध्यक्ष : आपका आ रहा है। बहुत शीघ्र आ रहा है।

श्री रामकरण सिंह : नहीं, नहीं, वह सूरज जा रहा है। सूरज जा रहा है नीचे।

श्री उपाध्यक्ष : फिर निकल आयेगा।

श्री नत्थी सिंह : यह विशेष समारोह हो रहा है हम लोग उसको छोड़कर बैठे हैं। सिर्फ इसलिये बैठे हैं कि हमारे एक वरिष्ठ सदस्य बोलेंगे। वे बोल रहे हैं, उसके बाद जायेंगे। उनका क्रम काटा जा रहा है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप कितनी ही + + + करो, आपके साथ नहीं आने वाले।

श्री नत्थी सिंह : आपने कितनी + + + की आपके साथ नहीं आये। मुझे जरूरत नहीं पड़ी।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं जानता हूं। मेरे साथ रहते हैं।

श्री रामकिशन (भरतपुर) : मीटिंग में जाना है। हमारी मीटिंग चल रही है।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : मुख्य मंत्रीजी, पण्डितजी को शायद आप भी सुनना पसन्द करेंगे।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान के लोकप्रिय मुख्य मंत्री ने 6 मार्च को इस सदन के अन्दर जो अद्वितीय बजट रखा, उसके सम्बन्ध में अपनी बात कहने को खड़ा हुआ हूं। माननीय मुख्य मंत्रीजी ने अपने बजट का मुख्य आधार किसान, खेत और गांवों को बनाया हैं। इस पर मुख्य मंत्रीजी को हार्दिक बधाई देता हूँ, उनका धन्यवाद करता हूं।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : सचेतक बनाने की भी दे दो।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : वह तो, सुमित्रा जी, आप बहुत बनना चाहती थीं। आपने

+ + + शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

तो पूरा "भैरों पुराण" पढ़ाया था हमें। मुझे वह दिन याद है जब आप बुला-बुला कर कहती थीं कि भैरोंसिह जी में यह यह उपलब्धि हैं, यह खूबी हैं। आज पता नहीं, क्या हो गया। समय का फेर है। आपको सारी कमियां नजर आने लग गईं।

श्री सुमित्रा सिंह : मैं तो आपको यह कह रही हूँ, इस बात के लिये भी बधाई और धन्यवाद दे दो कि आपको सचेतक बना दिया।

श्री भैरोंसिह शेखावत : आपने तो मंत्री बनने के बाद भी धन्यवाद नहीं दिया।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बजट मात्र आंकड़ों का मायाजाल नहीं, बल्कि बजट से किसी भी सरकार की राजनीतिक इच्छा शक्ति, राजनीतिक सोच और राजनीतिक विचारधारा प्रतिबिम्बित होती है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस बजट में अहसास करा दिया कि उनके मन में राजस्थान के गांव, राजस्थान के किसान, राजस्थान के गरीब की खुशहाली के लिए कल्पना है, उनके मन में पीड़ा है। उपाध्यक्ष महोदय, इस बार जो बजट माननीय मुख्य मंत्रीजी ने पेश किया है, वह जन-आकांक्षाओं को पूरा करने वाला बजट है। मुख्यमंत्रीजी ने दूसरी बार लगातार खजाने का मुंह गांव के विकास की ओर खोला है। उपाध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्री जी ने इस बजट में, बजट के खज़ाने का 60 प्रतिशत हिस्सा जो पिछली बार अपने बजट के अन्दर इन्होंने कहा था कि गांव के विकास के लिये, किसानों के विकास के लिए खर्च किया जायेगा, उसकी जगह 62 प्रतिशत जो खर्च रखा है उससे यह प्रदर्शित होता है कि आपके मन में गांव के किसान, गांव के मजदूरों को ऊंचा उठाने के लिए कल्पना है, इच्छा है।

उपाध्यक्ष महोदय, पिछले साल के बजट के अन्दर जो हमारी वार्षिक योजना थी, उसके अन्दर माननीय मुख्य मंत्रीजी ने प्रयास करके एक रिकार्ड बढ़ोतरी की। पिछली बार हमारे इस बजट में वार्षिक योजना के अन्दर 20 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई और इस बार मुख्यमंत्रीजी ने अपने द्वारा कायम किया गया रिकार्ड तोड़ा और 22 प्रतिशत बढ़ोतरी करके हमारे इस प्रदेश के अन्दर विकास की गंगा को बहाने का काम किया। उपाध्यक्ष महोदय, किसी भी प्रदेश के विकास के लिये वार्षिक योजना एक मुख्य आधार हुआ करती है। वार्षिक योजना की बढ़ोतरी इस बार राजस्थान के लिये नया संदेश लेकर आयेगी, इस तरह का मेरा विश्वास है।

मुख्य मंत्रीजी ने इस बार किसानों जो फसली इलाकों में खेती करते हैं, धरती का सीना चीरकर अन्न पैदा करते हैं, जो कि प्रदेश और देश के असली मालिक हैं, उनका मान-सम्मान बढ़ाने के लिये जो बारानी भूमि पर लगान माफ किया है, वह प्रदेश के किसान जगत के लिए एक वरदान है। कई वर्षों से यह मांग प्रदेश के किसान की तरफ से बार-बार उठती रही कि बारानी भूमि, जो एक फसली इलाका है, शुष्क खेती पर निर्भर करने वाला किसान जिनका पेट बड़ी मुश्किल से भरता है, उनका लगान माफ किया जाये। मुख्य

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

मंत्रीजी ने जब यह पहले भी मुख्य मंत्री जी थे, 1977 में, तब कुछ बारानी भूमि का लगान माफ किया था। इस बार पूरा लगान माफ करके आपने जो काम किया है, उसके लिए मैं माननीय मुख्य मंत्री जी का आभार प्रकट करता हूं। अपने बजट के भाषण में विपक्ष के नेता हरिदेवजी जोशी कह रहे थे कि पिछले एक साल में इस प्रदेश के अन्दर विकास का कोई काम नहीं हुआ। मैं आपके माध्यम से माननीय जोशी साहब से निवेदन करना चाहूँगा कि आपने इस प्रदेश के अन्दर 41-42 साल तक राज किया और जब माननीय मुख्य मंत्रीजी ने इस प्रदेश की सत्ता संभाली, तब आपने खाली तिजोरी और भ्रष्ट अधिकारियों की फौज के अलावा क्या दिया ? जब माननीय शेखावत साहब ने सत्ता सम्भाली, उस समय हमारा प्रदेश सड़क के मामले में 13 वें स्थान पर था, पानी के मामले में 12 वें स्थान पर था, जनसंख्या के आधार पर अस्पताल बने, वह 9वें स्थान पर था। इस तरह 42 साल के अन्दर, कांग्रेस हुकुमत के अन्दर जो विकास हुआ, वह विकास आपके सामने है। आज किसी भी गांव में चले जाइये, ढाणी में चले जाइये, विकास की गंगा बहती हुई नजर आयेगी। पिछले पांच वर्षों के दरम्यान जो अधूरे काम थे, वह एक वर्ष के दौरान ही सारे काम प्रारम्भ हो रहे हैं, इसके लिए मैं आपको बधाई देता हूँ।

माननीय मुख्य मंत्री जी ने बिना कर लगाये बजट के घाटे को मात्र 9 करोड़ पर लाकर छोड़ दिया, यह आपकी वित्तीय कुशलता है, और, उपाध्यक्ष महोदय, इस बार पेयजल के मामले में इस बजट के अन्दर जो 91 करोड़ का प्रावधान रखा है, वह स्वागत योग्य है। परन्तु मैं जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री से निवेदन करना चाहूंगा कि 42 वर्षों की आजादी के बाद, लाखों करोड़ों रुपया खर्च करने के पश्चात् भी आज प्रदेश के अन्दर पेयजल संकट गंभीर है। मैं जिस जिले से चुनकर आता हूं वहां प्रमुख समस्या पानी की है। आज 42 वर्षों की आजादी के बाद भी जब हम गांवों में जाते हैं, तो गांव का इन्सान खड़ा होकर पानी की ही मांग करता है, हम अपने आपको टटोलने के लिए मजबूर होते है तथा हमें अहसास होता है कि कांग्रेस इतने लम्बे समय तक राज करने के बाद भी किसानों को पानी मुहैया नहीं करा सकी, उसने किसान को ठगने के अलावा दूसरा काम नहीं किया। इसलिए इस बार जो बजट में 91 करोड़ का प्रावधान किया है, उसके लिए मैं मुख्य मंत्रीजी को बधाई देता हूं और साथ ही यह निवेदन करता हूँ कि मेरे चुनाव क्षेत्र चूरू के अन्दर कुछ जलप्रदाय योजनाएं और जल अभिवर्द्धन योजनायें, जिसकी पूरी राशि यह सरकार देती है, उन योजनाओं को प्रारम्भ हुए लम्बा अरसा हो गया। यह योजनायें पूरे 3-4 सालों से एक्स, ईएन. के दफ्तर से लेकर एस. ई. के दफ्तर, एडीशनल चीफ इंजीनियर के दफ्तर, चीफ इंजीनियर के के दफ्तर और टेक्निकल मैम्बर के आफिस के चक्कर लगाती रही हैं परन्तु वास्तविक रूप से इन योजनाओं से किसी तरह का

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

कोई लाभ वहां के किसानों, मजदूरों को नहीं पहुंचा है। इसलिए मैं मांग करता हूँ कि जो चूरू तहसील की धीरासर, माकरासर योजना, जिसमें जो 8 गांवों को लाभान्वित करने की योजना हैं, उस योजना को तुरन्त प्रारम्भ किया जाये. दूसरी योजनाओं पर काम शुरू किया जाये, धीतरासर, सातरा योजना पर काम शुरू किया जाये।

उपाध्यक्ष महोदय, इसके अलावा केन्द्रीय सरकार ने टेक्निकल मिशन के अंदर, खारे पानी के जो गांव हैं, जहां पीने का पानी उपलब्ध नहीं है, नीचे का पानी खारा है, वहां खारे पानी को मीठे पानी में बदलने के सेण्टर लगाये है, मुझे यह कहते हुए दुःख होता है कि मेरे चुनाव क्षेत्र के अन्दर 74 लाख रुपये की लागत से आज सेण्टर लगे हैं, उन सेण्टरों को लगे करीब 3—4 साल होने जा रहे थे, परन्तु आज तक भी गाँव में रहने वाला कोई निवासी लाभान्वित नहीं हुआ है, उन सेण्टरों को चलाने के लिए टेक्निकल स्टाफ की नियुक्ति आज तक भी नहीं हुई है। इसलिए मैं आपके माध्यम से जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री से मांग करूंगा कि जो लम्बे समय से बन्द पड़े आरोप्लाण्ट हैं, उन आरोप्लाण्टों को तुरन्त प्रारम्भ किया जाये।

उपाध्यक्ष महोदय, इस बार चिकित्सा संस्थाओं को सुघड़ बनाने के लिये जो उनके प्रशासनिक ढांचे का पुनर्गठन किया गया हैं, वह भी स्वागत योग्य है। शहर के अन्दर प्रिंसिपल, मेडिकल आफिसर और गांव के अन्दर, पूरे जिले के अन्दर मुख्य चिकित्सा अधिकारी को अलग-अलग कार्यक्षेत्र बांटा है, उससे प्रशासनिक क्षमता बढ़ेगी, यह भी स्वागत योग्य है। इस बार बजट के अन्दर 50 प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र, 15 रेफरल अस्पताल, 6 डिसपेंसरीज और एक मेडिकल कालेज खोलने की जो घोषणा हुई है, वह भी स्वागत योग्य है। इन घोषणाओं के स्वागत के साथ-साथ, मैं माननीय चिकित्सा मंत्रीजी का ध्यान, जो गांवों के अन्दर स्वास्थ्य केन्द्र है, जो लम्बे समय से खाली पड़े हैं, उनकी तरफ आकर्षित करना चाहूँगा। गांव के लोगों को आधारभूत चिकित्सा सुविधा मिले, इसके लिए ही उप केन्द्रों को बनाया जाता है परन्तु उन केन्द्रों को संचालित करने के लिए किसी भी तरह के बजट का प्रावधान नहीं है, इसलिए मैं मांग करता हूं कि गांवों के अन्दर जो सब सेण्टर खाली पड़े हैं, उनमें स्टाफ की नियुक्ति की जाये और इनके लिए उचित बजट का भी प्रावधान किया जाये।

उपाध्यक्ष महोदय, शिक्षा के क्षेत्र में इस बार गुणात्मक पहलू पर जोर दिया गया है, इसका मैं स्वागत करता हूं और साथ ही मुख्यमंत्रीजी ने जो एक हजार नये स्कूल खोलने की घोषणा की है, वह भी स्वागत योग्य है, परन्तु मैं आपका ध्यान इस ओर भी आकर्षित करना चाहूंगा कि इससे पहले जब कांग्रेस सरकार जा रही थी, चुनाव की घोषणा हो रही थी, तब अन्धाधुंध बिना योजना के उन्होंने हजारों स्कूल खोलने की घोषणा कर दी, वह स्कूल आज प्राथमिक शिक्षा के नासूर बन गये हैं; कुछ

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

स्कूलों को बन्द भी किया गया, परन्तु सब स्कूलों को बन्द नहीं करने के कारण ग्रामीण स्कूलों के अन्दर आज भी अध्यापकों की संख्या बहुत कम है, जो 1 : 40 का मापदण्ड है, उस मापदण्ड को भी पूरा नहीं कर सके, परन्तु 1 : 80 में तो अध्यापक गांवों में पहुंचें, इसके लिए मैं शिक्षा मंत्रीजी का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूँ कि गांवों के अन्दर जो स्कूल अध्यापकों के अभाव में खाली पड़े हैं, वहां भी ध्यान दें। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : बात नहीं करें। बात नहीं करें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, शिक्षा के साथ जो कांग्रेस ने खिलवाड़ किया, असत्य वाहवाही लूटने के लिए जो आनन-फानन में तीन विश्वविद्यालय खोलने की घोषणा की, आज वह शिक्षा जगत पर एक नासूर बन गये हैं। आज विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के निर्धारित मापदण्डों के बिना उन विश्वविद्यालयों को खोला गया है। इसलिये मैं आपके माध्यम से शिक्षा मंत्रीजी से मांग करूंगा कि जो तीन विश्वविद्यालय, बीकानेर कृषि विश्व विद्यालय, अजमेर विश्वविद्यालय, कोटा खुला विश्वविद्यालय के नामों की घोषणा कर दी, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अनुसार, निर्धारित मापदण्डों के अनुसार उन विश्वविद्यालयों का कार्य प्रारम्भ हो, इसके लिए भी सरकार को प्रयास करना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय, कृषि के क्षेत्र में इस बार हमारा प्रदेश सरसों के उत्पादन में पूरे देश में प्रथम आया है, यह स्वागत योग्य है और साथ ही 176 लाख हैक्टेयर की बुआई के अगेंस्ट में जो 91 लाख हैक्टेयर बुआई हुई, वह भी स्वागत योग्य है। हमारा प्रदेश कृषि प्रधान प्रदेश है, और कृषि प्रधान राजस्थान व किसान दोनों शब्दों का एक ही अर्थ है, उपाध्यक्ष महोदय, हमने हमारे चुनाव घोषणा पत्र में फसल बीमा की बात कही थी, लेकिन इस पूरे भाषण में कहीं भी फसल बीमा की घोषणा नहीं की गई। इसलिए किसानों को राहत मिले, प्राकृतिक प्रकोप से बचने के लिए फसल बीमा की घोषणा भी मुख्य मंत्री जी अपने उत्तर पर ही करेंगे, ऐसी मुझे उम्मीद है।

इसके अलावा एस.सी. और एस. टी. के लिए सिंचाई में और कुएं बनाने में 75 प्रतिशत के अनुदान की जो घोषणा की है, वह भी स्वागत योग्य है। उपाध्यक्ष महोदय, कृषि उपज मण्डियों का जिला स्तर पर एक पूल बनाना जो कमजोर कृषि उपज मण्डी हैं उनको उठाने में सहायक होगा, यह भी स्वागत योग्य है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस बार बजट की करीब 27–28 प्रतिशत राशि बिजली पर खर्च की गयी है। इससे पहले कांग्रेसी हुकूमत के समय में गलत आंकड़ों के आधार पर कुछ गांवों को विद्युतीकृत बताया गया था। गांवों में एल. टी. लाइन खींचीं नहीं, गांवों में ट्रांसफार्मर रखा नहीं गया और रिकार्ड में यह कह दिया गया कि ये गांव विद्युतीकृत हो गये हैं। इसलिए मैं आपके माध्यम से माननीय ऊर्जा मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वे इन गांवों की जिनको गलत आंकड़ों के आधार पर

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

पिछली हुकूमत ने विद्युतीकृत बताया है, सूची तैयार कर उन गांवों को भी विद्युतीकृत करें।

इसके अलावा, उपाध्यक्ष महोदय, ओ आई. टी. स्कीम प्रारम्भ की गयी है। इस से आम आदमी में एक धारणा बन गयी है कि ओ. आई. टी. स्कीम राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल का व्यापारीकरण कर रही है, जिसके पास पैसा हो उसको विद्युत कनेक्शन में प्राथमिकता मिले और जिसके पास पैसा नहीं हो वह लम्बी लाइन में पीछे खड़ा हो जाय। मैं आपके माध्यम से मांग करूंगा कि ओ. आई. टी. स्कीम बन्द होनी चाहिए।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, विद्युत विभाग ने 1982 और 1985 के टार्गेट तय किये हैं 1982 तक के एस. सी. और एस. टी. के लोगों को कनेक्शन देने की बात कही है और 1985 तक जनरल कैटेगरी के लोगों को कनेक्शन देने की बात कही है। उसमें भौगोलिक परिस्थितियां देखते हुए पूरे प्रदेश को एक साथ रखना गलत बात है क्योंकि गंगानगर जिले में, जहां एक वर्ष में हजारों कुएं विद्युतीकृत होते हैं, वहीं चूरू जिले में एक वर्ष में मात्र 30-40 कुएं ही विद्युतीकृत होते हैं। इन सबको एक ही कैटेगरी में रखना न्यायोचित नहीं है। इसलिए मैं आपके माध्यम से मांग करूंगा कि इस कैटेगरी में भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए अलग-अलग करने का प्रयास करें।

श्री उपाध्यक्ष : समाप्त करें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : हमारे प्रदेश में भ्रष्टाचार रहित संवेदनशील प्रशासन देने का सरकार ने संकल्प किया। इसी का उदाहरण है कि पहली बार इस बार भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी को भ्रष्टाचार निरोधक विभाग द्वारा गिरफ्तार किया गया। उनसे लूट-खसोट का माल बरामद किया गया, भ्रष्टाचार से अर्जित की गयी सम्पत्ति बरामद की गयी। यह प्रदर्शित करता है कि राज्य सरकार का जो संकल्प है भ्रष्टाचार रहित संवेदनशील प्रशासन देने का, उसके प्रति वह कटिबद्ध है।

श्री उपाध्यक्ष : समाप्त करें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मुख्य मंत्री जी का आभार व्यक्त करूंगा कि उन्होंने गंगानगर जिले के किसानों की लम्बे समय से चली आ रही मांग कि खालों की कीमत वसूली को स्थगित किया जाय, उसे स्थगित करके उस मांग को पूरा किया है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, "अपना गांव अपना काम" योजना के अन्तर्गत गांव के आम आदमी की विकास में भागीदारी प्राप्त करने की योजना है। इस योजना का भी मैं स्वागत करूंगा। इसके अलावा एक निवेदन जरूर करूंगा कि शहरी सीमा में जो सड़कें हैं उनका आर्थिक रूप से कमजोर नगर परिषदें रखरखाव नहीं कर सकतीं। उन सड़कों का सार्वजनिक निर्माण विभाग अधिग्रहण करके उनकी मरम्मत का कार्य प्रारम्भ करे, वरना देखने को यह मिलता है कि लम्बे समय से कई नगर परिषदों में

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

सड़कों का बिलकुल काम नहीं होता क्योंकि नगर परिषदों के पास अपने कर्मचारियों को वेतन चुकाने के पैसे भी नहीं होते। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि म्यूनिसिपल रोड्स को पी. डब्ल्यू. डी. ले।

श्री उपाध्यक्ष : समाप्त करें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : मैं, उपाध्यक्ष महोदय, सदन के अन्य सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि यह बजट जो माननीय मुख्य मंत्रीजी ने रखा है, रचनात्मक बजट है, इसमें प्रदेश के भावी विकास की तस्वीर नजर आ रही है, यह बजट अपने आप में विकास का संकल्प लिये है। इस बजट को ध्वनि मत से पारित करें।

श्री उपाध्यक्ष : पण्डित रामकिशनजी।

श्री हीरासिंह चौहान : हमारा नम्बर था।

श्री उपाध्यक्ष : आपको जाना नहीं है।

श्री हीरासिंह चौहान : सबको ही काट रहे हैं ?

श्री उपाध्यक्ष : मैं और आप तो मित्र हैं, ऐसी बात क्यों सोच रहे हैं ?

श्री रामकिशन (भरतपुर) : माननीय उपाध्यक्षजी, इस बजट पर तीन-चार दिन से चर्चा हो रही है। न तो मैं इस चीज का जिक्र करूंगा जो अन्य माननीय सदस्यों ने सरकार के बजट के सम्बन्ध में खामियां बतायीं या सुझाव दिये और न मैं मुख्य मंत्री जी के डेढ़ घण्टे के भाषण का समय के अभाव में विवेचन कर सकूंगा। लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूँ कि मुख्य मंत्रीजी ने इस भाषण की मार्फत यह हवा बनाने की कोशिश की है कि राजस्थान का विकास मेरे प्रयत्नों से बहुत आगे हुआ है। साथ ही वे यह भी कह रहे हैं कि जिन योजनाओं, जिन समस्याओं को मैंने छुआ है उन समस्याओं का समाधान हो गया है। मैं उनसे केवल इतना ही निवेदन करना चाहूंगा, यह बात सही है कि राजस्थान पिछड़ा हुआ राज्य है, इस पिछड़े हुये राज्य के पिछड़ेपन की जिम्मेदारी कम से कम हम लोगों पर नहीं है, इसकी बड़ी जिम्मेदारी कांग्रेस पार्टी पर है। मैं इस बात का भी निवेदन करना चाहूंगा कि आज के मुख्य-मंत्री जी और पूर्व विपक्षी नेता ने इस पिछड़ेपन के मामले को लगातार उठाया भी है, लेकिन मैं उनसे एक बात कहना चाहता हूँ कि रोग की चर्चा करना एक बात है और रोग का इलाज करना दूसरी बात है। क्या चर्चा से रोग का इलाज हो गया ? अगर चर्चा से रोग का इलाज हो गया होता तो मैं समझता हूँ कि श्री भैरोंसिंह जी के भाषण के बाद राजस्थान हिन्दुस्तान में ही नहीं विश्व में सबसे प्रगतिशील राज्य हो जाता। लेकिन असल में यह बात नहीं है। असली बात यह है कि जैसा राजस्थान हमें मिला है, जैसा राजस्थान इस सरकार ने सम्भाला है, मैं उस राजस्थान की समस्याओं को समझता हूं। यहां क्षेत्रफल लम्बा है, आबादी का 5 प्रतिशत है, देश में जमीन के नीचे पानी के जितने रिसोर्सेज हैं उनका केवल एक प्रति-

(श्री रामकिशन)

शत हिस्सा यहां है, केन्द्र सरकार का नियोजन भी यहां कम हुआ है। ये सारे सवाल तो हमारी नजर में हैं, लेकिन सवाल यह उठता है कि इलाज क्या किया जाय। इनका इलाज करने के लिए जब हम देखते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि मुख्य मंत्रीजी इस मामले में कुछ नहीं कर पाये। मैं मुख्य मंत्रीजी से कहना चाहूंगा कि उन्होंने ज्ञापन दिया है भारत सरकार के सामने, उस ज्ञापन का मैं भी समर्थन करता हूँ, अगर उन संसाधनों का जिनका केन्द्र आज इस्तेमाल कर रहा है, राज्यों में बंटवारा हो जाय तो निश्चित तौर से राज्य की वित्तीय स्थिति पर असर पड़ेगा। उसका कोई विरोध नहीं है, लेकिन सवाल यह है कि बी. जे. पी. के तीन राज्य...

श्रीमती सुमित्रासिंह : पण्डित जी, एक सैकण्ड। एक भी केबिनेट स्तर का मंत्री यहां नहीं बैठा हुआ। इतने वरिष्ठ सदस्य बोल रहे हैं, बहुत काम की बात कह रहे हैं, एक भी काबिना मंत्री का न होना क्या आप उचित समझते हैं, उपाध्यक्ष महोदय? कहिये तो सही कि वे आयें नहीं, फिर क्या जवाब देंगे सरकारी पक्ष।

श्री रामकिशन : तो मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि मुख्य मंत्री जी ने केन्द्र के सामने ज्ञापन दिया कि टैक्सों में हिस्सा मिले। इस ज्ञापन का मैं समर्थन करता हूं। लेकिन यह ज्ञापन देने का मतलब आप यह समझते हैं कि आपकी मांग मंजूर हो जायेगी? अगर आप इस मामले में गम्भीर होते, अगर आप सचमुच प्रचार की बजाय राज्य का हिस्सा लेना चाहते तो मैं आपसे निवेदन करना चाह रहा हूँ कि आपको गैर भाजपा की जो सरकारें थीं उनको भी इसमें शामिल करना चाहिये था। आप जानते हो केन्द्र में भाजपा की सरकार तो है नहीं। आप ज्यादा से ज्यादा यह कह सकते हो कि चन्द्रशेखरजी से मेरी दोस्ती है। फिर आपसे तो मेरी बहुत ज्यादा दोस्ती है, बहुत पुरानी दोस्ती है। आप जानते हो राज्य सभा के मैम्बर के नाते और मैं जानता हूं सन् 1952 से। व्यक्तिगत आधार पर ये सवाल हल नहीं होते हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मेरी तो है ही नहीं। मैं आपकी दोस्ती का लाभ उठाना चाहता हूं।

श्री रामकिशन : मेरी का नहीं उठाओगे। आप जरा गम्भीरता से सुनिये, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आपको इस सारे मामले को दूसरी राज्य सरकारों को साथ लेकर उठाना चाहिये था क्योंकि आपके सभी राज्य सरकारों के मुख्य मंत्रियों से मित्रवत् सम्बन्ध हैं वे चाहे कांग्रेस के हों चाहे गैर कांग्रेस के।

दूसरा निवेदन मैं करना चाहता हूं कि आप केन्द्र से तो मदद चाहते हैं लेकिन राज्य का हिस्सा बढ़ाना क्यों नहीं चाहते? कर लगाना और नहीं लगाना, ये दोनों स्थितियां विशेष परिस्थिति में अलग-अलग होती हैं। आज हमें कर लगाने की जरूरत पड़ सकती है, लेकिन कर कौनसे लोगों पर लागू करेंगे, यह फैसला करना पड़ेगा।

(श्री रामकिशन)

जो सम्पन्न लोग हैं, साधन-सम्पन्न हैं, जिनको योजनाओं का लाभ मिला है उन पर आपको कर लगाना चाहिये। जो गरीब हैं, दरिद्र है, देने लायक नहीं है, उनकी मदद करनी चाहिये। लेकिन आपने तो एक बात कह दी कि मैंने बजट ऐसा पेश किया है जिसमें कर नहीं लगाया। पहला निवेदन तो आपसे मैं यही करना चाहता हूँ कि ऐसा बजट आपने ही पेश नहीं किया है, अबकी साल सभी राज्य सरकारों ने ऐसा बजट पेश किया है जिन्होंने कर नहीं लगाया। केवल एक राज्य सरकार जो आपके दल की हैं, उसकी मैं इस मामले में प्रशंसा करूंगा, हिमाचल सरकार ने 10 करोड़ के करीब कर लगाये हैं। आप जरा उन्हें पढ़िये, उन्होंने सम्पन्न लोगों पर कर लगाया है, देने लायक लोगों पर कर लगाया है। लेकिन आपने यह कहकर कि मैं कर नहीं लगा रहा हूं कोई क्रान्तिकारी काम नहीं किया। इसका नुकसान यह हुआ कि हमारा राज्य जो विकास के मामले में वैसे ही पीछे था, और पीछे हो जायेगा। रेल में हम पीछे, सिंचाई में हम पीछे, बिजली में हम पीछे। मैं सारे आंकड़ों में आपको उलझाना नहीं चाहता, आपकी नजर में है। अगर हम टैक्स नहीं लगायेंगे तो पूंजी का नियोजन कम होगा और जब पूंजी का नियोजन कम होगा तो जीवन स्तर बढ़ाने की जो हमारी लड़ाई है, गरीबी मिटाने की जो हमारी लड़ाई है उसमें हम पीछे चले जायेंगे। माननीय मुख्य मंत्रीजी, मैं आप से इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि आपने योजना का आकार बढ़ाने की बात कही है। पिछले साल भी आपने कहा और इस साल भी आपने कहा है और आपको इस एक बात को लेकर माननीय श्रीमती सुमित्रासिंहजी ने एतराज भी किया था, तो श्रीमती सुमित्रा जी से तो मैं एक निवेदन करना चाहता हूँ कि पुरुष में तो होता है अभिमान और नारी में होती है शालीनता, आप तो थोड़ा रह गई थीं चूप उस दिन मैं ही खींचता हूं थोड़ा सा उनको आप शालीन रहें। मैं इनसे निवेदन करना चाहता हूं कि यह योजना का आकार केवल अपने राज्य का ही बढ़ा है। एक फार्मूला है उसके तहत बढ़ता रहता है, लेकिन आप हवा बना रहे हैं कि योजना का आकार मेरी वजह से बढ़ गया। तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि यह ठीक है कि थोड़ा सा असर पड़ा है लेकिन अन्य राज्यों को जब मैंने देखा है तो अपना यह बढ़ा है 22 पर्सेन्ट और अन्य 3 राज्यों में बढ़ा है 23 पर्सेन्ट। तो यह तो बढ़ता रहता है, घटता रहता है, लेकिन अपने वित्तीय साधन बढ़ाने में माननीय मुख्यमंत्री जी, आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं कि आपने राजस्थान के विकास को ध्यान में नहीं रखकर कुछ टैक्सों को माफ किया। जैसे आपने बारानी जमीन का लगान माफ किया है इसके लिये मैं आपको देता हूँ बधाई। क्योंकि हम समाजवादी लोग, सोशलिस्ट पार्टी के लोग, आपकी तो उस समय शायद जानकारी नहीं होगी, शुरू से ही निवेदन कर रहे थे कि जिस जमीन का लगान नहीं लगता है, जिस पर मुनाफा नहीं होता है, उस पर टैक्स नहीं लगना चाहिये। आपने खत्म किया, अच्छा किया। देर से किया कांग्रेस वाले नहीं कर सके, आपने कर

(श्री रामकिशन)

दिया, इसके लिये तो देता हूं बधाई, लेकिन मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आज लगान कितना रह गया है। जब यह लगान लगता था उस समय राजस्थान का बजट था 14 करोड़ का और आज राजस्थान का बजट पहुंच गया 50 अरब के करीब का, तो मेरा सुझाव आपको यह है कि सभी प्रकार के लगान को आप खत्म करो और जो सम्पन्न लोग हैं, जो देने वाले लोग हैं गांव में, उन पर इन्कम टैक्स लगाओ। खेती पर जब तक इन्कम टैक्स नहीं लगेगा हम राजस्व में ज्यादा वृद्धि नहीं कर सकते हैं। गरीब को छोड़ो और अमीर को पकड़ो, तब ही देश का विकास होगा। अब दोनों चीजें एक साथ नहीं चल सकती हैं।

तीसरा निवेदन यह है कि आपने टैक्स माफ किया कुछ चीजों का, आपने टैक्स माफ किया है चीनी और नमक के बारदाने पर, चीनी और नमक के बारदाने पर टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन आपने यह पशु आहार क्यों छोड़ दिया, पशु आहार में भी लगता है बारदाना, आपको शायद ध्यान नहीं आया। जब बिक्री कर के मामले पर बहस होगी उस समय बताऊंगा आपको लेकिन आपको इसका टैक्स माफ करना चाहिये। आपने टैक्स माफ कर दिया साइकिल और साइकिल के पुर्जो का जो साइकिल के काम में आते हैं लेकिन रिक्शा चलाने वालों से आपकी क्या दुश्मनी है ? रिक्शे में तो आप और मैं बैठे हैं, आज कल तो आप कार में बैठते हैं पर मैं और आप रिक्शे में दोनों साथ जाते थे। पैसा मैं देता था आप उत्तर कर चले जाते थे। आपसे निवेदन करना चाहता हूँ मुख्यमंत्रीजी...

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं आपके सारे भाषण को गम्भीरता से सुन रहा था, सदन के सदस्य भी गम्भीरता से ले रहे हैं लेकिन पैसे लेने देने वाली बात आपने कह कर अपने भाषण को खत्म कर लिया।

श्री रामकिशन : खैर, मैं आप दोनों इसे तय कर लेंगे।

मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि आपने साइकिल के टायर व ट्यूब पर लगने वाले टैक्स को कम कर दिया लेकिन रिक्शे के टायर पर 10 पर्सेन्ट टैक्स लगा हुआ है। मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि आज दुनिया में सबसे ज्यादा शोषित, दुखी और दरिद्र कोई हैं तो वह रिक्शे वाले हैं। संसार में कहीं ऐसा नहीं मिलेगा कि मनुष्य पर मनुष्य सवारी करे पर इस देश में मनुष्य पर मनुष्य की सवारी हो रही है और आपने टैक्स माफ नहीं किया। तो मेरा आपसे निवेदन है कि आप रिक्शे वालों के बारे में सोचें। दूसरा मैंने आपको निवेदन किया कि पशु आहार के बारदाने पर टैक्स लगता है उस पर सोचें।

तीसरी चीज, आपने टैक्स लगाया है, यहां पर प्रचार यह करते हैं कि मैंने कोई टैक्स नहीं लगाया। अब हरेक कोई समझता नहीं, लेकिन आपका जो बिक्री कर का जो शिड्यूल है उसमें आपने कापियां, अब वह आ गई है जनरल आइटम्स में और लगा दिया 10 पर्सेन्ट टैक्स, मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि मैंने असेस किया

(श्री रामकिशन)

है 25 लाख रुपये आपने टैक्स लगा दिये है। शिक्षा में हम सबसे पिछड़े हुए हैं, राजस्थान सबसे पिछड़ा हुआ है, इसलिए इस मामले को दुरुस्त करें।

आप एक गलती और कर गये। कागज और कापी यह दो चीजें हैं। आपने इनको जनरल आइटम्स में डाला है। बेचते थे कापी और लिखते थे कागज, अब उसका उल्टा हो जायेगा। कापी पर 10 पर्सेन्ट टैक्स और कागज पर 6 पर्सेन्ट। इसका नतीजा यह होगा, मुख्यमंत्रीजी, कि बेचेंगे कागज लिखेंगे कापी तो एक टैक्स की चोरी और हो जायेगी। इसलिये आपके जो वित्तीय सलाहकार है, टैक्स के जानकर हैं उनसे सलाह मशविरा करके कल जब आप जवाब दें तब इस मामले को स्पष्ट करें।

एक चीज और,मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आपने टैक्स माफ किया है कागज पर, बिन्दी पर सलमा पर, सितारे पर, बालों में लगने वाली पिनों पर। काजल पर आपने टैक्स माफ किया है इसके लिये तो बधाई देता हूं, क्योंकि पिछले साल मैंने काजल और लिपिस्टिक के बारे में कहा था, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि यह कागज पर टैक्स लगाया, दूसरी चीजों पर टैक्स तो माफ होना चाहिये था पशु आहार पर, किसानों और गरीबों की चीजों पर, उपभोक्ताओं का माल सस्ता होना चाहिये और आपने टैक्स माफ किया है काजल, बिन्दी और चुटीले पर...

श्री भैरोंसिह शेखावत : पिछली बार आपने मांग की थी।

श्री रामकिशन : एक मिनट। कोई काजल लगाने वाली महिलाओं का प्रतिनिधि मण्डल आपसे मिला था क्या, कोई चुटीला पहनने वाली महिलाओं का प्रतिनिधि मण्डल मिला था क्या, क्या बालों में पिन लगाने वाली औरतें आपके पास आई थीं? तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपके पास आते हैं रिक्शे वालों के जुलूस, आपके पास आते हैं किसानों के जुलूस, आपके पास आते हैं विद्यार्थियों के जुलूस, उनका तो आपने टैक्स माफ नहीं किया और आपने महिलाओं को प्रभावित करने के लिये टैक्स माफ कर दिया काजल का। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि महिलायें आपसे प्रभावित होने वाली नहीं हैं। महिलायें अगर प्रभावित होगी तो मुझसे होगी। क्योंकि महिलाओं की लड़ाई लड़ी है हमने। हम यह कहते रहे हैं कि महिलायें पिछड़े (व्यवधान)

इसको आप गम्भीरता से सुनिये जरा। महिलाओं की लड़ाई हमने लड़ी है, हमने रखा है कि महिलाओं को पिछड़ा घोषित करो। हम कहते हैं कि महिलाओं को राज में 60 पर्सेन्ट हिस्सा दो, लेकिन आप काजल पर टैक्स माफ करके समझते है कि महिलाओं को प्रभावित कर लेंगे। मैं आप से एक बात कहना चाहता हूं आप नारी सौन्दर्य के बारे में शायद कम समझते हैं। नारी सौन्दर्य का मैं प्रशंसक रहा हूँ। नारी का मैं हमेशा प्रशंसक रहा हूं और उसके सोन्दर्य का बहुत ज्यादा प्रशंसक रहा हूं लेकिन आप बन गये उसके पूजक पूजक और प्रशंसक में फर्क होता है। पूजक स्पर्श करता है और प्रशंसक केवल सराहना करता है। आप यह समझ रहे थे कि चुनाव

(श्री रामकिशन)

आ रहे हैं इसलिये औरतों की तरफ हाथ फेंक दो, मुझे वोट मिल जायेंगे। मैं कहना चाहता हूँ, श्रीमानजी, इससे आपको वोट मिलने वाले नहीं है। महिलाओं को प्रभावित करने के कुछ और ही तरीके हैं जो मैं आपको कई बार बता चुका हूँ। तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि इन सारे टैक्सों पर आप गम्भीरता से सोचें और जो मैंने सुझाव दिये हैं, जो कुछ आपको कहा है उस पर गम्भीरता से सोचें।

दूसरी बात, माननीय श्रीमती सुमित्रा जी ने जिस समय भाषण दिया था उस समय आप यहां थे नहीं, श्रीमती सुमित्राजी ने आपको एक बड़ी गम्भीर बात कही थी, आपने पिछले बजट में राज्य के हर मामले में पिछड़ेपन का जिक्र किया था तो आपकी यह जिम्मेदारी थी, यह आपका कर्त्तव्य था कि इस एक साल में उस मामले में आपने क्या प्रगति की है यह इंगित करना चाहिये था। श्रीमती सुमित्राजी का इस मामले में आपको आभार व्यक्त करना चाहिये। लेकिन मैं बताता हूँ माननीय मुख्यमंत्रीजी कि आपने राजस्थान को पीछे कर दिया और पीछे कितना कर दिया, मैं पिछले 40 साल का हिसाब नहीं दे रहा हूँ, पिछले साल 1989–90 में हमारे यहां प्रति व्यक्ति राजस्व थी 375,54 रुपये और इस साल प्रति व्यक्ति राजस्व आय 436.28 रुपये। पिछले साल राजस्थान अपने संसाधन जुटाने के मामले में 13 वें नम्बर पर था और आज हम पहुंच गये 14वें नम्बर पर। आपने अमीर पर टैक्स नहीं लगाया इसलिये साधनों के मामले में चले गये। जाना चाहिये था आगे और चले गये पीछे। इसी प्रकार से केन्द्रीय करों में, केन्द्र में जहां जनता दल की सरकार है, हमें निश्चित तौर से फायदा मिला है। पिछले साल जब आपने बजट पेश किया था उस समय प्रति व्यक्ति जो हमें मिला 142.01 रुपया हम 9वें नम्बर पर थे, आज हमको मिला है 170·64 रुपया, हम चले गये पांचवें नम्बर पर तो केन्द्रीय कृपा से योजना का आकार बढ़ा है, राजस्व में वृद्धि हुई है, लेकिन अपने संसाधान जुटा लें उसमें आप काजल बिन्दी में ही उलझते रहे, राज्य के विकास के सम्बन्ध में आपने ध्यान नहीं दिया।

इस देश में 2 लाख करोड़ की ब्लैक मनी है और इस सम्बन्ध में आप मुझसे ज्यादा जानते हैं, मैं आपसे ज्यादा जिक्र नहीं करूंगा, क्योंकि भ्रष्टाचार के मामले में आपकी दक्षता मेरे से ज्यादा है, तो आपने इनको क्यों नहीं पकड़ा, किसी को पकड़ा है क्या ? आपने टैक्स माफ करने की बात कर दी। मैं आपको एक मिसाल देना चाहता हूँ। आपने इस बजट भाषण में, टैक्स चोर हैं उनकी सजा का प्रावधान 6 महीने से बढ़ाकर 2 साल का किया है। मैं इसका स्वागत करता हूं। मैं इस कदम को अच्छा कदम मानता हूं लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि 6 माह की सजा को प्रावधान था उसके तहत किसी को राजस्थान में सजा मिली है क्या, जरा बता सकेंगे कि कितनों को सजा मिली है ? 2 साल जो आपने कर दी है उसमें आप क्या कर पायेंगे ? टैक्स की चोरी रोकनी है तो जिस दिन वित्त विधेयक पर बात

(श्री रामकिशन)

होगी, उस दिन सैल्स टैक्स अमेण्डमैण्ट बिल आयगा, उस दिन आपको बताऊंगा। लेकिन मैं एक मिसाल आपको देना चाहता हूँ आप कहते हो कि हम टैक्स चोरों को सजा देंगे। आप तो टैक्स चोरों को इनाम दे रहे हो, इनाम दिए हैं आपने, वेजिटेबल आयल के दो कारखाने हैं। आप जानते हो, आर. सी. एस. और प्रिमियर वेजीटेबल इनका रिकार्ड क्या है और इनने क्या क्या घपले किए हैं ? इनने घपले किए हैं ? गलत बिल बनाए हैं। इनने अरण्डी का तेल मिलाया, इनका चालान होने वाला था। जाने चाहिये थे सजा में और आपने इनको क्या दिया, इन पर जो टैक्स होना चाहिए था, टैक्स का जो इवेजन था, इनके खिलाफ केस चले और इन्होंने एक एप्लीकेशन दे दी कम्पाउण्ड करने को। जब सजा होने लगी तो केस कम्पाउण्ड करने के लिए 35 लाख का एग्रीमेंट कर लिया और अब उन्होंने दरख्वास्त दे दी कि हम किसी को कम्पाउण्ड नहीं करना चाहते। तो मैं एकएक- टैक्स चोरों को आपको दिखा दूं तो आपको राजस्थान में टैक्स लगाने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपने इस कम्पनी को बड़ी सुविधा दी है। आप जानते हो इस पर पहले तीन पर्सेण्ट टैक्स लगता था, अब डेढ़ परसेण्ट कर दिया कच्चे माल पर। वेजीटेबल आयल बनाने वाले कारखाने राजस्थान से जो माल खरीदेंगे, पहले तीन पर्सेण्ट देते थे अब डेढ़ पर्सेण्ट कर दिया। इसी तरह से आज जो बाहर माल बेचते हैं तो यह दो पर्सेण्ट पर ले जायेंगे। राजस्थान के भीतर बेचेंगे तो बने हुए माल पर उन्हें 8 पर्सेण्ट बिक्री कर देना पड़ेगा। अब आप जानते हो क्या घपला हो रहा है। वह आपकी नजर में जरूर होगा, घपला यह हो रहा है कि माल तो बेचते हैं राजस्थान के भीतर और पर्ची बनवाते हैं बाहर की। अगर आप मेरी बात गलत समझते हो तो चलो ऊंचे गांव, चलो यह जो हरियाणा की चौकी है। यहां तो मिलेगी मोहर और उन चौकियों पर कोई एण्ट्री नहीं मिलेगी। तो आप कहते हो मैं टैक्स चोरों को पकड़ूंगा, मैं उनको सजा दूंगा, आपने तो उनको इनाम दे दी। आपसे मेरा मतलब आपसे व्यक्तिगत नहीं लेकिन आपके विभाग के लोग जो यह घपला करते रहते हैं, आप इसे रोक नहीं पाते हैं। आप रोक भी इसलिए नहीं पाते कि आप अच्छे लोगों की सलाह नहीं लेना चाहते। आप ऐसे लोगों के साथ बैठते हो जो न टैक्स के बारे में समझे, न वित्त के मामले में समझे।

(4.30 म. प.)

मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि यह माना कि आप होशियार हैं, यह सही है कि आप बहुत सी चीजों को जानते हैं लेकिन यह वहम् मत पाल लेना अपने दिमाग में कि सब कुछ ज्ञान आपको ही है। उसका नुकसान यह होता है कि राज्य के हित में जो काम होने चाहिये वह नहीं हो पा रहे हैं। वित्त मन्त्री जी, मैंने आपको कुछ सुझाव दिये हैं। अब मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ मैंने सारी बातें आपसे बहुत थोड़े में कही हैं क्योंकि आपका भाषण है डेढ़ घण्टे का और मुझे बहुत सी बातें आपसे कहनी हैं।

(श्री रामकिशन)

राजस्थान में जो आपकी पहचान बनी थी, ना तो कोई नीतिगत मामले उठाने के मामले में बनी थी, ना राजस्थान में आपने कोई बहुत बड़ा आन्दोलन किया। आपकी पहचान यह बनी थी विधान सभा में कि आप शेर की तरह से बोलते थे भ्रष्टाचार के खिलाफ और आपके दल के लोग कहते आप ताली बजाओ। अब मैं कहता हूं कि राजस्थान में एक ही सिंह भैरोंसिंह, भैरोंसिंह। यहीं कहते हैं, क्या कर रहा हूं मैं क्या कर रहा हूँ। मैंने कुछ मामले उठाये थे पिछली साल और आपने बड़ी शान से कहा था कि मैं कमेटी बना रहा हूँ और इनको सजा दिलवाऊंगा। हालांकि वह मामले परिपक्व थे, उनमें कमेटी बनाने की कोई बात नहीं थी। मैं और आप मिलते है मैं इसकी चर्चा भी करता हूं, मित्रता के नाते मिलते रहते हैं लेकिन चर्चा राजनीतिक मंच पर ही करना चाहता हूँ। कमेटी की रिपोर्ट आ गई, आपने उनके खिलाफ कार्यवाही क्यों नहीं की ? तो अगर आप भैरोंसिह हैं, एक ही सिंह हैं तो फिर आप डर किसलिए गये ? कौनसा शेर था जिसने आप को डरा दिया। मैं जानता हूँ कि शेर शेरनी आपके पास चक्कर लगाते रहते हैं और वो आपको इस मामले में कार्यवाही नहीं करने देते। आज जितने भ्रष्टाचार के मामले हैं, मेरे नहीं, आपके उठाये हुए, अगर आपने इनको सजा नहीं दी, इनमें से दस पर्सेण्ट को भी सजा नहीं दी तो फिर मैं बी. जे. पी. के लोगों से कहूँगा कि भैरोंसिह के बजाह भीरूसिंह कहो इनको। अगर भीरूसिह कहोगे इनको तो साहस आयेगा और भैरोंसिह कहोगे तो फिर यह मामला गड़बड़ हो जायेगा। आपने कमेटी पर पैसा खर्च किया, रिपोर्ट उसकी आ गई और आप उसके खिलाफ कार्यवाही नहीं कर रहे है।

टैक्स के मामले में, विकास के मामले में, योजनाओं के मामले में, पर कैपिटा इन्कम के मामले में मैं आपके रिकार्ड से बताना चाहता हूं हम राजस्थान में पीछे जा रहे हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूँ आप प्रयत्न जरूर करते हैं, आपने समस्याओं को छांटा भी है। आपने बिजली के मामले उठाये हैं, आपने पानी के सवाल भी उठाये हैं। अपने रेल का विस्तार कम है इसकी भी चर्चा की है लेकिन दिल्ली में आपकी लाबी नहीं है और लाबी आपकी इसलिये नहीं है कि आप अकेले सारे यश को लेना चाहते हो।

दुनियां में तीन लोभ होते हैं। स्त्री का लोभ, धन का लोभ और यश का लोभ। स्त्री का लोभ छोड़ने वाले लोग मैंने देखे हैं, धन के लोभ छोड़ने वाले लोग भी देखे हैं लेकिन यश के लोभ छोड़ने वाला कोई देखा नहीं। इसलिए आप सोचते हो कि सारा यश मुझे ही मिले, वह आपको मिल नहीं सकेगा। क्योंकि एक आदमी का काम एक आदमी हो कर सकता है। यह मंत्रीमण्डल बना क्यों रखा है आपने ? मुझे तो लोग यह कहते रहते हैं कि भैरोंसिहजी की वजह से पत्ता भी नहीं हिलता। अब आप तो समझते हो कि मैं बहुत ताकतवर हूँ, पर आपकी उम्र हो गई है 65 साल अकेला आदमी सबका काम नहीं कर सकता।

श्रीमती सुमित्रासिंह : 68 साल।

श्री रामकिशन : उम्र का ज्यादा पता आपको होगा, मुझे थोड़ा कम ही पता रहता है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता था कि आप यदि यश लेना चाहते हो, राज्य के हित में कुछ करना चाहते हो, तो दिल्ली में अपनी लाबी मजबूत करो। और दिल्ली की लाबी की मजबूती में हम आपका सहयोग करेंगे। आप कहते हो मेरी जानकारी है। भाई जानकारी तो मेरी बहुत है और कई मामलों में कई लोगों से आपसे ज्यादा मित्रता है और एक आध मामले में आपने मदद की तो हमने मदद भी की। आप एक लाबी बनाइये। अब तो ख़ैर क्या भविष्य होगा, राज्य का चुनावों के बाद कैसी तस्वीर आयेगी, मैं कुछ नहीं कह सकता लेकिन इतना मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप अकेले सारी जिम्मेदारी को ढोने की कोशिश मत करिये, अन्यथा राजस्थान सब मामलों में पीछे रह जायेगा।

मैं आपके बजट भाषण को देख रहा हूँ। यह तय बात है कि आपकी समझ, आपकी सूझ और आपकी दिलचस्पी राजस्थान के विकास में है लेकिन कुछ आपकी कमजोरियां हैं, जो कमजोरियां इस टाइप की हैं जिसका मैंने अभी जिक्र किया, मेरा ही नाम हो, केवल मेरी ही चर्चा हो, केवल मुझे ही यश मिले इससे गड़बड़ हो रही है इसे आप दुरूस्त करना। नहीं मानो तो आपकी मर्जी। मानोगे तो फायदे में रहोगे। रावण ने भी नहीं मानी थी। वह यही कहा करता था कि मैं, मैं, मैं, और नतीजा हुआ कुछ नहीं रहा। तो मैं आपसे इस मामले में निवेदन करना चाहूँगा आप कुछ सोचिये।

एक बात और निवेदन करना चाहूँगा। आपने कला की बात कही, आपने संस्कृति की बात कही, आपने नैतिक शिक्षा की बात कही। यह सब अच्छी शुरूआत है, बहुत बढ़िया शुरूआत है। हमारे देश का जितना नैतिक पतन हुआ है संसार में किसी भी देश का इतना नैतिक पतन नहीं हुआ। मैं आपके इस कदम की सराहना करता हूँ। लेकिन नैतिक शिक्षा का मतलब क्या है, नैतिक शिक्षा का मतलब है क्या आचरण का आदर्श और आदर्श आप किस का रखोगे। कौन-सा आचरण इस देश में आदर्श आचरण है? हमारे देश के तीन देवता हैं, तीन महापुरुष हैं, तीन अवतार हैं बड़े। राम कृष्ण और शिव। आप जरा चुनिए इनमें से कौनसा आदर्श चुनेंगे। इन तीनों के चरित्र का मैं यहां विवेचन नहीं करूंगा लेकिन यह तय बात है कि अगर चार बातों को छोड़ दिया जाए तो राम का जैसा चरित्र संसार में किसी महापुरुष का रहा नहीं होगा। सीता का सन्दर्भ, शंम्बूक का सन्दर्भ सूर्पनखा का सन्दर्भ और तारा का सन्दर्भ अगर छोड़ दिया जाए तो मैं सोचता हूं राम से बड़ा आदर्श इस देश में और कोई नहीं है। आप भी आज कल राम की खूब चर्चा करते हैं, बहुत जोर से कर रहे हैं लेकिन सचमुच आप राम के आदर्श पर चलेंगे क्या? इस देश में राम के आदर्श पर चलने वाला केवल एक महापुरुष हुआ, महात्मा गांधी। जिसके मुंह से मरते वक्त भी "राम" निकला और सारे जीवन में मर्यादा में बंधा रहा। लेकिन आपके दल ने तो

(श्री रामकिशन)

शुरूआत से ही गांधी का विरोध किया है। तो आप कैसे करोगे राम के चरित्र की मर्यादाओं का पालन।

दूसरा मैं निवेदन करना चाहता हूं, अब आपने मन्दिर की बात उठा दी। मैं उस प्रसंग को छेड़ नहीं रहा हूँ। मैं केवल नैतिक शिक्षा के सम्बन्ध में थोड़ा सा जिक्र करना चाहता हूँ कि सचमुच आप मन्दिर बनायेंगे। आप याद करिये जनसंघ बना था तब इन्होंने कहा हम गौ हत्या बन्द कराएगें हमारी सरकार बन गई, जनता पार्टी का राज बन गया और कई राज्यों में गौ हत्या होती है। आपके मन्त्रियों ने इस्तीफा दिया था क्या? गौ हत्या बन्द नहीं हुई। फिर आपने हिन्दी की बात कही। अब आप अंग्रेजी पर चले गये। तो आपका दल केवल वोट लेता है, किसी चीज पर डटता नहीं है। हिन्दी, हिन्दू हिन्दुस्तान, लेकिन अब आपके दल के नेता कहते हैं कि देश में अंग्रेजी चलनी चाहिये। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, मुख्यमंत्रीजी, आप राम के आदर्श पर चलने की कोशिश करेंगे आपसे मेरा मतलब हम सब तो निश्चित तौर से देश का कल्याण होगा। लेकिन आप कृष्ण को भी मत भूल जाना, शिव को भी मत भूल जाना और राम, कृष्ण, शिव इन तीनों का सम्मिलित व्यक्तित्व हिन्दुस्तान का सब कुछ है इसके अलावा हिन्दुस्तान कुछ नहीं है। हमें चाहिए राम की मर्यादा, कृष्ण का चाहिये उम्मत्त जीवन और हमें शिव का चाहिए हृदय जो दूसरों के कल्याण के लिए जहर पी जाते हैं। लेकिन आप कभी जहर पी जाओगे दूसरों के कल्याण के लिए, आप जरा खुद ही सोचना प्राइवेट में, पी सकते हो क्या? आप नहीं पी पाओगे। तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ नैतिक शिक्षा देते वक्त सारे सवाल खड़े होंगे। मैं उस पर बहस नहीं कर रहा हूँ। कुरान की आयत, रामायण की चौपाई यह सब पीछे की बात है। असल सवाल यह हैं कि हमारे सामने मर्यादा कौनसी हो और कौन से पुरुष की मर्यादा का आचरण करें और आप देखिए इतिहास का मजा और इतिहास का आनन्द। जमुना का पुत्र कृष्ण, उसकी मृत्यु हुई द्वारिका में और द्वारिका के पुत्र की मृत्यु होती है जमुना के किनारे। मैं एक दिन जा रहा था दिल्ली, पूरी जा रहा था तो बाइचान्स उस दिन सुमित्रा जी मुझे तीन जगह मिल गयी। आप इनसे पूछ लेना-पहले मिली हरिदेव जी के यहां, फिर मिली आपके वहां और फिर मैं यहा कूपन लेने आया तो यहां मिल गयी। तो मैंने कहा आज क्या सहयोग है हम और आप बराबर मिल रहे हैं। तो इन्होंने अनजाने एक गाना गा दिया "जहां-जहां तुम होंगे वहां मेरा साया साथ होगा। आप पूछ लीजिए इनको। अगर ये गाना गाया होता आज से चालीस साल पहले, तो मैं इनके कदमों को छू लेता क्यों इन गानों का तो मतलब ही नहीं है। कोई मेरे लिये मतलब नहीं था। लेकिन स्थिति क्या हुई कि मैं जा रहा था कि पूरी और मैं समझना चाह रहा था कि कृष्ण का मुंह किधर था? जब मैं द्वारिका गया तो कृष्ण जहां मरे थे, वहां मैंने सोचा कि कृष्ण के दिमाग में उस समय क्या बात हुई थी। परिवार हो गया नष्ट, उनके परिवार की औरतों को लूट ले गये डकैत। अकेले पड़ गये।

(श्री रामकिशन)

उनके मन में क्या होगी जब वो मरे थे। तो मैंने वहां के पण्डाओं से पूछा कि आप बता सकते हैं कि कृष्ण का मुंह किधर था तो उन्होंने कहा हमें इसका ज्ञान नहीं है। तो मैं पुरी में भी यह जानना चाह रहा था कि कृष्ण का मुंह किधर है, तो जान कर आनंद आ गया कि कृष्ण मथुरा की तरफ नहीं देख रहे थे, कृष्ण समुद्र की तरफ देख रहे थे। तो कृष्ण का व्यक्तित्व विशाल था, सारी दुनियां को देख रहे थे। हम ऐसा दृष्टिकोण अगर अपना पायेंगे तो निश्चित ही नैतिक शिक्षा देने का अधिकार सुरक्षित है, मैं आपके इस कदम की सराहना करूंगा। अगर आपने वैसे ही कोई गड़बड़ कर दी, भारतीय संस्कृति, के नाम पर तो केवल इस देश में नाच होता है और नाच भी बहुत भद्दा होता है। आप बहुत जाते हो नाचों में और मैं भी कभी-कभी चला जाता हूं। मैं अंग्रेजी नाचों में तो कम जाता हूँ लेकिन जो छोटे-मोटे नाच होते हैं, इतना भद्दा प्रदर्शन। तो संस्कृति का आप फैसला करेंगे। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि मैं कोई संस्कृति का ज्ञाता नहीं हूँ, मैं कोई धर्म का जानकार नहीं हूँ, मैं कोई अर्थशास्त्री नहीं हूँ। लेकिन इन तीनों चीजों को आप करें, तो देश के बढ़िया लोगों की इस मामले में सलाह लें। मेरा इसमें कुछ नहीं है। कहीं ऐसा मत करना कि आप सलाह ले आओ ललित किशोर चतुर्वेदी से। मैं जान रहा हूँ वे क्या सलाह देंगे। वह तो सीधे कहेंगे आर. एस. एस. के घोषणा पत्र को कर दो। यह नहीं है हिन्दुस्तान की संस्कृति। हिन्दुस्तान को समझने के लिए जो हमें मर्यादायें चाहिये उसके लिए मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा। तो माननीय मुख्य मंत्रीजी, मैं आपके प्रयत्न में, विकास के मामले में भागीदार बनना चाहता हूँ। आप सबका सहयोग लीजिए।

दूसरी बात आपने जो राजस्थान को पीछे डाल दिया है, जिस मामले में मैंने कहा कि केन्द्रीय करों में हिस्सा लेने में आप नम्बर 5 पर पहुंच गये, और अपने साधन जुटाने में आप नम्बर 13 से आ गये 14 पर। तो यह सीधा संकेत है कि आप भविष्य के विकास के लिए नुकसान कर रहे हैं। इसलिए थोड़ा कठोर बनो। इस देश में दो लाख करोड़ रुपयों की काली मुद्रा है लोगों के पास, जिनमें आपके आफिसरों के पास बहुत पैसा है। आप नहीं जानते कितना पैसा है। व्यापारियों के पास जितना है, एक-एक आई. ए. एस. आफिसर के पास करोड़ों रुपया है। मैं आपको बता दूंगा, जब बोलूंगा। मैं आपको हिसाब दूंगा कि इन्होंने क्या कर रखा है। जरा इन पर वजन डालो। इन पर वजन डालो, खेत को पानी दो। इन पर वजन डालो और जो फटे कपड़े पहनने वाली औरत है उसको कपड़े दो।

एक सवाल और हमको आपसे करना होगा और हम चाहते हैं कि इन सारे सवालों पर आप गम्भीरता से सोचें। मैं आपसे एक आखिर में इतना निवेदन और करना चाहूँगा। मुझे पता नहीं मेरे दल का कितना समय है? तैयारी मेरी बहुत है।

(श्री रामकिशन)

तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप कुछ मामलों में अब शुरूआत कीजिए। यह जो शुरूआत है, यह छोटी-छोटी शुरूआत, लेकिन आज राजस्थान मे असंगठित मजदूर है, भूमिहीन किसान है, चुनाई करने वाले लोग हैं। इनके कल्याण के लिए कोई योजना नहीं ला सकते आप? आपने कर्मचारियों के मकान का ख्याल रखा, रखो, लेकिन उनकी तो कुछ आमदनी है। लेकिन जो मकान चुनते हैं, सबका मकान बनाने वाले सारे जीवन भूखे मरते रहते हैं इनके लिए आप केरल की तरह कोई योजना शुरू कीजिये। मैने आपको कुछ सुझाव दिया था। परन्तु मुझे पता नहीं आपके सामने लोग कितना बोल पाते हैं। मुझे तो ऐसा लगता हैं कि आपके सामने कुछ मंत्री तो बोल ही नहीं पाते। इन सुझावों को आप गम्भीरता से सोचें। आज हम किसानों की बात करते हैं। कौन सा किसान? इस देश में दो किसान हैं, एक वह किसान जो करोड़पति है, सारी योजनाओं का लाभ जिनको मिल रहा है। सब्सिडीज का लाभ उठाते हैं और एक वह किसान है जो भूखा मरता है, जिनके पास जमीन नहीं है, जिनके पास आमदनी के जरिये नहीं हैं। मैं बता दूंगा कई किसानों को। मैं तो इस तरह से दबने वाला नहीं हूँ। हर किसान पवित्र है। जो शोषक है, जो बड़े किसान हैं उन पर वजन डालना पड़ेगा, जो गरीब है उसकी मदद करनी पड़ेगी। जो पूंजीपति है, जो धनवान है, उसके खिलाफ जाना पड़ेगा और जो गरीब है उसकी सेवा करनी पड़ेगी।

एक निवदन मैं आपसे और करना चाहता हूँ। आपके मंत्रीजी हैं ललितजी। वो बड़े भारी बोले थे क्षेत्रीय असन्तुलन के खिलाफ, अब इस बजट को जरा आप देखिये। सरसों पैदा कहां ज्यादा हुई? आप बताइये जरा, कहां ज्यादा पैदा हुई सरसों? सारी सरसों पैदा होती है भरतपुर, अलवर, सवाई माधोपुर में, कोई योजनाओं का लाभ हमें मिलने वाला है? जरा बताइये तो सही। जो विशिष्ट योजनायें हैं, जो कार्यक्रम हैं, उनका लाभ मिलता है राजस्थान के पश्चिमी हिस्सों को। आज राजस्थान की 60 प्रतिशत जमीन और 40 प्रतिशत आबादी 11 जगहों पर फैली हुई है। सारे विकास का मैंने हिसाब देखा है सारा पैसा उधर डाइवर्ट होता है। लेकिन भरतपुर में आपने क्या किया? कोई हमारे लिये कार्यक्रम दिया? एक कार्यक्रम हमारा चल रहा था भरतपुर में ग्रोथ सेन्टर का, बन रहा था जुरहड़ा में। आप जानते हो भरतपुर की हालत खराब है। वहां बन गयी चिड़ियाओं की, क्या कहते हैं, सेन्चुरी और नतीजा यह कि वहां कोई कारखाना लग नहीं सकता। आबादी वहां ज्यादा है तो वहां औद्योगीकरण की हमें जरूरत है। ऐसे औद्योगीकरण की जरुरत हैं जिसमें प्रदूषण नहीं हो। अब ले-दे कर एक ग्रोथ सेन्टर के लिए चलाया था काम जुरहड़ा में, उसका हो गया सर्वे। और आपने बताया उसको क्या कर रहे हैं आप? और तो कुछ काम आपका बना नहीं, धोलपुर में ले जा रहे हैं। मैं धोलपुर का विरोधी नहीं हूं क्योंकि मेरे धोलपुर से बहुत सम्बन्ध हैं। लेकिन आपकी इतनी हैसियत थी, इतनी क्षमता थी कि जुरहड़ा भी बन जाता और

(श्री रामकिशन)

धौलपुर भी बन जाता। तो आप ग्रोथ सेन्टर को नहीं बनायेंगे तो जिस इलाके ने सरसों ज्यादा पैदा की है, जो राजस्व आपको ज्यादा देता है, उस जिले का आप नुकसान करेंगे तो भविष्य में जो हिस्सेदारी होगी टैक्स की, वह कम होती चली जायेगी। आपके रेगिस्तान का विकास नहीं हो सकेगा।

मैं, माननीय उपाध्यक्षजी, आपके मार्फत यह कहना चाहता हूं, हमारे बड़े सवाल हैं। आपके जो सवाल है आप उनको रखिये। लेकिन पानी के मामले पर हम और आप चलते हैं। हम चाहते हैं कि हमारा टिहरी का पानी भरतपुर को मिले, गंगा का पानी भरतपुर को मिले, जमुना का पानी भरतपुर को मिले क्योंकि ये तीन पानी नहीं मिले तो कभी कोई पानी हमें मिलने वाला है नहीं। बारह महीने वाली नदी कोई है नहीं। एक नदी जो है उसका उत्तर प्रदेश कर रहा है उपयोग और आप उसका कोई उपयोग कर नहीं रहे। आप कहते है–मैं धौलपुर से चुना गया हूँ। धौलपुर में तो खाली आप चुनाव हराने गये थे बस फिर चले आये आप वहां से। ना कोई धौलपुर का ख्याल है, न भरतपुर का ख्याल है। तो मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि इन तीन पानी में आप जब तक हमारी मदद नहीं करेंगे तो हम समझेंगे हमारी भैरोंसिह जी से कोई दोस्ती नहीं। हम और आप जेल में रहे। कितने आनन्द से रहते थे। मुख्यमंत्री की बजाय आज खातीपुरा में आ जाओ तो आपको काबू फिर भी कर लूं। यहां तो आप काबू में आते नहीं। जैसा माननीय सदस्य कह रहे थे कि टेलीफोन कर रहे थे, कहां गये। तो आपके छुपने की जगह कई हैं। हर जगह को तो हम भी नहीं जानते। इसलिए मेहरबानी करके एक ग्रोथ सेन्टर आपकी तरफ से भरतपुर में होना चाहिये, जुरहड़ा में होना चाहिए। मेरी कान्स्टीट्यएंसी नहीं है। कहीं आप समझो, मैं चुनाव की दृष्टि से कर रहा हूं। लेकिन भरतपुर की कुछ समस्यायें हैं। इस लिए मेहरबानी करके इस ग्रोथ सेन्टर को आप मदद करें। पानी के मामलों को उठाये, बिजली के सवालों को तय करें। एक आप सब पर टैक्स माफ करते चले जा रहे हैं। हमारे नत्थी सिंह जी बड़ा हल्ला मचाते रहते थे। ये कोई वायदा कर आये कभी फ्लड के टाइम टैक्स का कि मैं माफ कराऊंगा। एक दिन ये भाषण दे आये कुम्हेर में कि अब आपका माफ हो रहा है। तो भाई नत्थीसिंहजी से सम्बन्ध आपके कैसे हैं, आप जानो, लेकिन इसलिए तो नहीं कि नत्थीसिंहजी कह आये, इसलिए आप माफ नहीं कर रहे।

मैं निवेदन करना चाहता हूँ हमारे यहां एक बड़ी भारी समस्या है। आप पानी देते नहीं, लोग बरबाद हो जाते थे। उस टैक्स का सबने वायदा किया। मेहरबानी करके जब आप खालों के मामले में सोच सकते हो, दूसरी चीजों के बारे में सोच सकते हो तो एक छोटा सा मुद्दा है, भरतपुर के इस मामले पर भी आप सोचें। और मैं आखिर में आपसे इतनी सी बात कहना चाहूँगा कि हमें विकास के सन्दर्भ बदलने होंगे। आप में वह समझ है, आपमें साहस भी है। ये जो विकास का पैसा है ये हमारे

(श्री रामकिशन)

देश में नहीं चल सकता। हमने दोनों सिस्टम देख लिये। केपिटलिज्म भी देख लिया और कम्युनलिजम भी देख लिया। कम्युनलिज्म भी फेल हो गया और केपिटलिज्म भी फेल हो गया, इसलिए जो अच्छाइयां थी उनको अपनाने की कोशिश करनी चाहिये और उस सिस्टम को मजबूत करना चाहिये। लेकिन आपने एक समस्या गिना कर छोड़ दी। आपने कहा, हमारे राजकीय उपक्रम घाटा दे रहे है? अब सदन बताये कि मैं क्या करूं? अब सीधी बात है आप जो करने जा रहे हैं, मैं समझ रहा हूँ कि आप क्या कर रहे हो। आप बदनामी तो मोल लेना नहीं चाहते और चाहते हो इन्हें भेज दो उद्योगपतियों के लिए, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि अगर सभी प्राइवेट उद्योग नफे में चलते हैं तो राजस्थान में आप जानते हो 27 हजार में से कितनी युनिट सिक हैं। 27 हजार यूनिटों में से 24 हजार सिक यूनिट हैं। प्राइवेट उद्योग ही सक्षम होते हों, ऐसा नहीं मानता। जो राजकीय उपक्रम रही है, खराब है उसे आप बेच सकते हो। लेकिन उनको दुरुस्त करो, बढ़िया आफिसरों को लगाओ। ये मतलब नहीं है कि आफिसर बढ़िया नहीं है। कई आफिसर बढ़िया हैं। बड़े चरित्रवान भी हैं, इन्टेग्रिटी के भी हैं। उनको सुपुर्द करिये आप। हर विभाग की जो आप समीक्षा करते हो उसकी बजाय मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि रिजल्ट की जिम्मेदारी आप इन पर डालिये। असल बात क्या है कि आप शुरू में तो आचरण करते हो बड़ा तेज बड़ी गर्मी का, लेकिन आप खुशामद में आ जाते हो क्योंकि आप जाति से ठाकुर हो ना। ठाकुर आंख भी बहुत दिखायेगा और कोई सलाम कर देगा तो एकदम झुक जायेगा। मैं आपसे चाहता हूँ आप थोड़ा मुलायम रहो। निर्णय के मामले में रहो सख्त और व्यवहार के मामले में रहो मुलायम। आप की स्थिति यह है कि आप व्यवहार के मामले में रहते हैं सख्त और निर्णय के मामले में रहते हैं मुलायम। नतीजा होता है आपका कोई रिजल्ट नहीं आ रहा हैं। तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ आप मत लगाओ टैक्स। एक-एक विभाग पर अरबों रुपये की गड़बड़ी है। मैं डिमाण्ड्स पर बोलूंगा, मैने कुछ इकट्ठा किया है, मैं आज उनका जिक्र नहीं करना चाहता। हर विभाग में 5-5, 10-10 करोड़ रुपये का इनवाल्वमेंट है। उन्हें आप दुरुस्त कर लें तो, मुख्यमंत्री जी, आपको टैक्स लगाने की जरूरत नहीं और हम तो निरन्तर आपकी जय बोलेंगे। बहुत लोग कंजूसी करते हैं, मुख्यमंत्री जी की तारीफ नहीं करते। हम तो आपकी खूब तारीफ करेंगे लेकिन तारीफ तब करेंगे जब तारीफ लायक काम करेंगे, भाषण से नहीं। हम करेंगे कर्म से। वाणी से नहीं, हम कर्म से आपको परखेंगे। अगर आप कर्म के मामले में खरे उतरते हैं तो मैं निवेदन करना चाहता हूँ आपकी मदद करेंगे, आपको सहयोग करेंगे। मैं बहुत मामले आपको दे सकता हूं लेकिन मुझे मुश्किल यह पड़ती है कि दें कैसे आपको। यह सही है आप व्यस्त रहते हैं, मुख्यमंत्री भी हैं और प्रशासन के जिम्मेदार हैं और आपका दल है उसे भी सम्भालना आपका काम है, यह मैं मानता हूँ। लेकिन थोड़ा सा समय आप राजनीतिक कामों के

(श्री रामकिशन)

लिए, आर्थिक चर्चाओं के लिये निकालें, बराबर के लोगों के साथ बैठे तो आपको ज्यादा नुकसान नहीं होगा। और आप किसी के घर जाओगे तो किसी को निहाल करने वाले तो हैं नहीं। चाय पी आवोगे, पान खा आवोगे, आपको घाटा क्या होना है, मुफ्त में सलाह मिल जायेगी, चाय पी आओगे। अगर इस सिस्टम को आप विकसित करें तो मैं पान तो नहीं खिलाता पर आप चाय तो पी ही आये हैं 2-1 बार। क्यों मना करते हैं ? (व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : उसका पेमेन्ट भी मुझे करना पड़ा। (व्यवधान)

ये मुझे होटल में ले गये। वहां खाना खाया। खाना खाने के बाद वहां आइस-क्रीम खाई। मैं यह समझता था कि पेमेण्ट करेंगे लेकिन आइसक्रीम खाकर मेरे से जल्दी ही वहां रवाना हो गये और पेमेन्ट मुझे करना पड़ा।....(व्यवधान)

श्री रामकिशन : तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कई ऐसे सुझाव हैं जिनकी मार्फत इस काम को हम करना चाहते हैं। मैं आपसे निवेदन करूं ये विवाद चलता है मुझे बड़ा खराब लगता है। कांग्रेस के लोगों को भी निवेदन करूंगा कि वे +++ न करें। आपका अधिकार है आरोप लगाने का। और आप, आपका दिमाग तो हिमालय की तरह ठण्डा होना चाहिए। आप हम पर आक्रमण कर सकते हैं लेकिन शांति से सुना करें। आप उछल जाते हैं छोटी सी बात पर। मन्दिर का नाम लिया कूद गए। पता नहीं कौनसा मन्दिर है। हम समाजवादियों ने रामायण मेला शुरू किया था आप नहीं जानते क्या मामला है। चित्रकूट में सबसे पहले हम समाजवादियों ने रामायण मेला शुरू किया था। आप तो इन चीजों को समझते ही नहीं। आप सब मेहरबानी करके शांति से बहस का स्तर बनाये रहें। मेरा तो सुझाव है, मानना न मानना आपका काम है, लेकिन बहस इस तरह की होनी चाहिए कि राजस्थान विधान सभा की जो परम्परा थी उसमें चार चांद लगें उसमें गिरावट नहीं आये।

मेरे दल के दूसरे सदस्य भी बोलने वाले हैं, अन्यथा मैं इतना कार्य लाया था, आपको ज्यादा ज्ञान तो हो। आपकी उम्र बढ़ गई है सुमित्रा जी के अनुसार इसलिए याद नहीं रहेगा। इसलिए मैं कुछ अलग समझाऊंगा और मैं निवेदन करता हूं इन सारी बातों को आप गम्भीरता से सुनें और इनके ऊपर गंभीरता से विचार करें।

श्री उपाध्यक्ष : श्री हीरासिंह चौहान।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री ओमप्रकाश गुप्ता (सरकारी मुख्य सचेतक) : माननीय उपाध्यक्षजी, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय 2 घण्टे और बढ़ा दिया जाय।

+++ शब्द/माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

श्री उपाध्यक्ष : राय हो तो सदन का समय 2 घण्टे और बढ़ा दिया जाय ।

(स्वीकृत)

सदन का समय दो घण्टे बढ़ाया गया ।

आय-व्ययक (1991–92) पर सामान्य वाद-विवाद

श्री हीरासिंह चौहान (रायपुर) : माननीय उपाध्यक्षजी, राजस्थान के मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री माननीय शेखावत साहब द्वारा 6 मार्च को विधान सभा में जो बजट पेश किया गया, मैं उसका स्वागत करता हूं ।

माननीय उपाध्यक्ष जी, राजस्थान का निर्माण होने के समय राजस्थान में जो जिले बने थे उसके बाद में जब राज्यों का पुनर्गठन हुआ था उस समय अजमेर और आबू का एरिया भी राजस्थान में मिल गया था । उसके बाद में केवल एक धौलपुर का जिला राज्य में और बना था । मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को इस बात के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इस बजट में उन्होंने दौसा, बारां और राजसमन्द को जिला घोषित किया, लेकिन माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है इन जिलों के पूर्व ही ब्यावर को जिला बनाने की मांग बहुत पहले रही है । ब्यावर डेढ़ लाख आबादी का शहर है और ब्यावर में जिला स्तर के बहुत सारे कार्य इस समय भी चल रहे हैं । ब्यावर शहर जिन भौगोलिक परिस्थितियों में बसा हुआ है, उसके चारों तरफ पहाड़ी क्षेत्र है । पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण से छोटी-छोटी जोत वाले किसान हैं जिनकी माली हालत भी ठीक नहीं है । ब्यावर से 14 किलोमीटर दूर एक आदमी पहले उदयपुर जाता था लेकिन अब राजसमन्द जायेगा । ब्यावर से पहले निकट में सुमेल और बावरा गांव बसे हुए हैं उन्हें 100-150 किलोमीटर चल करके पाली जाना पड़ता है ।

(4.55 म. प.)

(श्री रमाकांत, सभापति, पदासीन)

ब्यावर को जिला बनाना उस क्षेत्र की जनता की भारी मांग है । जितने भी मुख्य मंत्री ब्यावर में सभा-सम्मेलन करने गए हर बार ब्यावर की जनता की मांग को स्वीकार किया और उन्होंने यह कहा कि जब भी जिलों का निर्माण किया जायेगा ब्यावर को निश्चित तौर से जिला बनाया जायेगा ।

मैं, माननीय सभापति जी, आपकी मार्फत माननीय मुख्य मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूँ कि जिस प्रकार आपने सहृदयता से 3 जिलों को बनाया उन 3 जिलों के साथ इसी बजट सत्र में ब्यावर को भी जिला घोषित किया जाय । इसे जिला घोषित करने से इस क्षेत्र का कई प्रकार से विकास होगा क्योंकि अरावली पर्वत है, पिछड़ी जातियों का एक ऐसा बैल्ट आया हुआ है जिसके कारण से इस क्षेत्र की जनता को बहुत ज्यादा फायदा होगा, इसलिए मेरे लिए एक स्पेशल प्रोब्लम हो गई है कि मैं जब से विधायक बना, 1985 से मैं लोगों को यह कहता

(श्री हीरासिंह चौहान)

रहा कि जब भी राज्य में जिले बनाये जायेंगे तो उस समय अगर हमारी सरकार रही तो ब्यावर भी निश्चित तौर से जिला बनाया जायेगा।

श्री परसादी लाल मीणा (लालसोट) : तो फिर स्तीफा दे दो।

श्री हीरासिंह चौहान : स्तीफा देने का टाइम आयेगा तब दूंगा। अभी तो हमारी मांग है। मांग भी हम इसी बजट सत्र में स्वीकार कराने की कोशिश करेंगे और हमारी मांग स्वीकार होगी।

श्री परसादी लाल मीणा : अगर नहीं हुई तो क्या करोगे ?

श्री हीरासिंह चौहान : बाद में देखा जायेगा। मैं आपसे आकर पूछ लूंगा क्या करूं। मैं निवेदन कर रहा था जिस समय यह सीधा अंग्रेजों से गवर्न होता था उस समय ब्यावर में कमिश्नरियां लगती थी। अजमेर से ब्यावर का कोई सम्पर्क नहीं था कोई जिक्र नहीं था। ब्यावर का प्रशासन एक तरह से अलग था। इन सारी स्थितियों को देखते हुए ब्यावर को जिला घोषित किया जाना बहुत आवश्यक है। मैं यह निवेदन कर रहा था कि जिस बात को ले करके हम, पिछले विधान सभा के समय हम 8 विधायक थे, 8 विधायकों ने पिछली सरकार को लिखकर दिया था कि ब्यावर को जिला बनाया जाय। इसमें हमारा रायपुर क्षेत्र, जैतारण क्षेत्र, भीम क्षेत्र, उप तहसील मसूदा, उप तहसील बदनौज मिल करके एक बहुत अच्छा जिला बनता है और जिला बनने के बाद वहां की स्थिति ही अलग बन जाती है। इसलिए मेरा सरकार से निवेदन है कि इस बजट सत्र में ब्यावर को जिला बनाने की घोषणा की जाय। मैं माननीय शेखावत साहब को इस बात के लिए बधाई देना चाहता हूँ कि जिस समय राजस्थान का निर्माण हुआ था उस समय तहसील क्षेत्र जिस-जिस प्रकार के थे और जहां-जहां जिससे पहले वे लगे हुए थे उसी के अन्दर तहसीलें बना दी गई। तहसीलों की सीमाओं का पुनर्निर्धारण कभी भी कांग्रेस सरकार ने नहीं किया। यह जो प्रशासनिक सुधार है जिससे लोगों को आये दिन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है उन समस्याओं का समाधान करना बहुत जरुरी था और माननीय मुख्यमंत्रीजी ने एक वित्त सचिव की अध्यक्षता में एक कमेटी का निर्माण किया और उस कमेटी के द्वारा इन तहसीलों के पुनर्सीमन का कार्य शुरू किया जा रहा है। लेकिन इसमें मेरा एक सुझाव है कि इसी काम को अगर समयावधि में पूरा कर लिया जाता और उसकी निश्चित समयावधि दे दी जाती तो वह काम जल्दी पूरा हो जाता है।

मुझे एक उदाहरण याद आ रहा है। पोप से मिलने 3 यात्री गए थे और पोप से जाकर पूछा कि हम लन्दन देखना चाहते हैं। पोप ने पहले से पूछा कि आप लन्दन में कितने समय ठहरोगे। पहले व्यक्ति ने कहा कि 3 महीने तक लन्दन में ठहरूंगा। तो पोप ने उत्तर दिया कि आप इस लन्दन का थोड़ा-बहुत हिस्सा देख लेंगे। दूसरे से पूछा आप कितने सप्ताह ठहरेंगे। उसने कहा कि 3 सप्ताह ठहरूंगा तो पोप ने

(श्री हीरासिंह चौहान)

कहा कि आप लन्दन का आधे से ज्यादा हिस्सा देख लेंगे। तीसरे से पूछा आप कितने ठहरेंगे। उसने कहा कि केवल 3 दिन ठहरूंगा तो पोप ने उत्तर दिया कि आप 3 दिन में पूरा लन्दन देख लेंगे। मतलब समय निश्चित नहीं होता है तो एक इन्सान की आदत होती है चलते-चलते आज देखेंगे कल देखेंगे। हम जयपुर में 5 साल से रह रहे हैं लेकिन जयपुर के किसी हिस्से को देखा नहीं हैं, जो रास्ते में आते हैं देख लेते हैं। इसलिए मेरा निवेदन है कि यह जो वित्त सचिव की अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई है इसकी समयावधि तय की जाय कि तीन महीने में, दो महीने में इसकी रिपोर्ट आ जाय। प्रत्येक पंचायत स्तर से प्रस्ताव मांगे जाय, तहसील स्तर पर इसकी कमेटियां नियुक्त की जाय। कौन सा एरिया किधर मिलना चाहता है इसके प्रस्ताव लेने से तीन-चार बातों की सहुलियत होगी। कुछ एरिया जो बहुत दूर पड़ता है वह इससे अपने आप नजदीक हो जायेगा और प्रशासनिक कामों में जो इससे रात-दिन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है उस समस्या का समाधान हो जायेगा। कांग्रेस चालीस साल से शासन करती रही है लेकिन उसने इस जनता की समस्या को कभी सरल करने की कोशिश नहीं की, न जिले बनाने की कोशिश की, न तहसीलों का पुनर्गठन किया। मुझे एक घटना याद आ रही है जब 86-87 में माननीय हरिदेवजी जोशी मुख्यमंत्री थे, उन्होंने एक परिपत्र निकाला और परिपत्र निकाल कर सारे ही जन-प्रतिनिधियों से यह आव्हान किया कि मैं पंचायतों का पुनर्गठन करना चाहता हूं, अपने-अपने प्रस्ताव भेजें। बहुत सारे विधायकों, प्रधानों और सरपंचों ने अपने-अपने प्रस्ताव भेजे लेकिन उन प्रस्तावों का क्या हाल हुआ? पंचायत राज के कमिश्नर, डाइरेक्टर और जिला कलक्टर ने चार महीने बैठकर के पन्द्रह सौ या पन्द्रह हजार के आस-पास पंचायतों का पुनर्गठन किया लेकिन आज दिन तक उनकी घोषणा नहीं की। माननीय पंचायत राज मंत्रीजी यहां बैठे हैं, मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि जो ग्राम पंचायतें 1959-60 में बनी थी, कितने गांव शामिल होने चाहिए, ग्राम पंचायतों के मार्फत क्या-क्या काम होने वाले है, उस समय उन बातों का लोगों को अच्छी तरह मालूम नहीं था लेकिन भारतीय जनता पार्टी और हमारा शासन जब ग्राम पंचायत को इकाई बनाना चाहता है तो कितने गांव उस में शामिल हों, किस प्रकार के हों, उन सबका पुनर्सीमन करना वास्तव में बहुत जरूरी है। माननीय सभापतिजी, मैं आपके मार्फत निवेदन करना चाहता हूँ कि इस काम को पंचायत राज मंत्रीजी ने हाथ में लिया है लेकिन मैं यह कहना चाहता हूँ कि वह तत्काल इसके लिए प्रभावी कदम उठायें और प्रभावी कदम उठाकर जो उस कमेटी ने कुछ समितियां बना रखी हैं, उन समितियों ने जिन ग्राम पंचायतों का निर्माण कर रखा है उनको देखें और अभी जो प्रस्ताव आ रहे हैं उन पर पुनः बहुत शीघ्र ही निर्णय करें क्योंकि ग्राम पंचायतों के चुनाव आने वाले हैं। लोगों की वर्षों से, 1960 से इच्छा है कि हमारी पंचायत इस तरह की बने, कांग्रेस ने वह मंशा पूरी नहीं की। हम भी एक साल से शासन में हैं, हमारा काम है

(श्री हीरासिंह चौहान)

कि हर प्रकार की प्रशासनिक और अन्य जितनी भी असुविधा लोगों को है वह दूर करना चाहते हैं। हम राजस्थान को एक ऐसा नक्शा बनाना चाहते हैं कि हर इकाई हर ढाणी को, हर राजस्व ग्राम को उसकी को, सुविधा मिले इसके लिए बहुत जरूरी है कि ग्राम पंचायतों का पुनर्गठन बहुत जल्दी किया जाये। कांग्रेस के राज में जिन दिनों में सहकारिता मंत्री रामसिंह जी विश्नोई हुआ करते थे, उन्होंने एक घोषणा की थी कि ग्राम पंचायत के साथ-साथ ग्राम सेवा सहकारी समितियां गांव के विकास के लिए एक आधारभूत बिन्दु होती है, उसके लिए हर पंचायत क्षेत्र में ग्राम पंचायत के साथ-साथ ग्राम सेवा सहकारी समिति भी बनाई जाये। ग्राम सेवा सहकारी समिति पिछले दिनों में थी लेकिन एक बार इनका कोई आयोग बैठा, उन्होंने कोई आर्थिक आधार तय करके, अनउपजाऊ और अकृषि योग्य तय कर के चार-चार पंचायतों में एक-एक ग्राम सेवा सहकारी समिति कर दी। मेरा निवेदन है कि पूर्व घोषणा के अनुसार हमें भी प्रत्येक ग्राम पंचायत के साथ में ग्राम सेवा सहकारी समिति का गठन करना चाहिये जिससे लोगों की आवश्यकता की वस्तुएं उपलब्ध हों। भूमि विकास बैंक से, केन्द्रीय सहकारी बैंक से ग्रामीणों का किसानों का सीधा संबंध होता है, उनका लेन-देन का सम्बन्ध होता है, इससे उनका विकास होता है इसलिये मेरा निवेदन है कि प्रत्येक ग्राम पंचायत पर पुनः ग्राम सेवा सहकारी समिति की स्थापना की जाय जिससे हमारे गांवों का विकास हो सके अन्यथा हम गांवों का पूर्ण तौर से विकास नहीं कर सकेंगे।

माननीय सभापतिजी, इस बजट में एक राजस्थान विकास कोष की स्थापना भी की गई है। मैं माननीय शेखावत साहब को इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। राजस्थान विकास कोष स्थापित करना इस राज्य के कल्याण के लिए नितान्त आवश्यक है। हमारे इस प्रदेश के बहुत सारे लोग विदेशों में और हमारे इस प्रदेश से दूसरे प्रांतों में रह रहे हैं जिनकी माली हालत बहुत अच्छी है। वह राजस्थान के विकास के लिए कुछ देना चाहते हैं, उनकी नीयत है लेकिन देने वाला दानदाता यह भी चाहता है कि उसके द्वारा दी गई राशि का सदुपयोग हो। राजस्थान विकास कोष की स्थापना से निःसन्देह राजस्थान विकास की दिशा में बहुत ज्यादा अग्रणी होगा क्योंकि हमारे दानदाता या जो पैसे वाले बाहर रहते हैं, इस कोष के लिए अगर हम सब मेहनत करेंगे, हम सब इस प्रकार के लोगों का आव्हान करेंगे कि राजस्थान के अमुक कोष के लिए इस प्रकार की राशि दी जाय तो जब भी राजस्थान पर किसी प्रकार का संकट आयेगा या हमारा आर्थिक या सामाजिक, किसी प्रकार का विकास करना हो तो उसके लिए इस कोष की बहुत ज्यादा मदद रहेगी। इसलिए इस कोष की स्थापना के लिए मेरी ओर से माननीय मुख्यमंत्रीजी को बहुत-बहुत बधाई है। राजस्थान विकास कोष के निर्माण से इस प्रदेश के भावी निर्माण के लिए बहुत सारी अच्छी बातें हो सकेंगी।

श्री सभापति : बहुत लम्बी लिस्ट है मेरे पास, कृपया सहयोग करें।

श्री हीरासिंह चौहान : अभी तो कुछ नहीं बोला हूँ साहब। माननीय सभापतिजी बेरोजगारी दूर करने के लिए भी इस बजट में एक कमेटी बनाने का निश्चय किया गया है। इस प्रदेश में बेरोजगारी बहुत जबरदस्त है और भारतीय जनता पार्टी की ही नहीं, सभी राजनीतिक दलों की यह इच्छा है कि बेरोजगारी दूर की जाय और हर एक दल अपने घोषणापत्र में इस बात का वर्णन करता है कि हम शिक्षित बेरोजगारों की बेरोजगारी दूर करेंगे। लेकिन इस बेरोजगारी को कैसे दूर किया जा सकता है इस के लिये आज दिन तक कोई व्यवस्था नहीं हुई। पहली बार, इस बजट में बेरोजगारी दूर करने के लिए एक कमेटी बनाने का निर्णय लिया गया है। इस बेरोजगारी कमेटी में ऐसे अनुभवी लोगों को लिया जाये, इस प्रकार के लोगों को कमेटी बनाई जाये कि वास्तव में शिक्षित बेरोजगारों की बेरोजगारी दूर हो सके। इसके लिए प्रत्येक ग्राम स्तर से, तहसील, पंचायत समिति स्तर से, बड़े-बड़े शहरों के स्तर से उन सब की संख्या को इकट्ठा किया जाय और उसके अनुसार कहां-कहां, किस-किस कार्य में किन-किन लोगों को लगाया जा सकता है जिससे इस बेरोजगारी की समस्या का समाधान हो सके, इस प्रकार की व्यवस्था की जाय।

माननीय सभापति महोदय, भारतीय जनता पार्टी का एक फरवरी, 1991 को जयपुर में ही अखिल भारतीय अधिवेशन हुआ था उसमें हमारी पार्टी के अध्यक्ष माननीय मुरली मनोहर जी जोशी साहब ने एक घोषणा की कि हम अन्य पिछड़े वर्ग के लिए भी आरक्षण की व्यवस्था करेंगे। यह हमारी पार्टी के घोषणा-पत्र में हैं। माननीय सभापतिजी, मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि यह मांग इसलिए नहीं है कि हमें आरक्षण मिले, हमें सुविधा मिले, अन्य पिछड़ी जातियां वास्तव में पिछड़ी हुई हैं। उनका शैक्षणिक स्तर, उनका सामाजिक स्तर, उनका रहन-सहन, हर प्रकार से उनका स्तर कम है और उनको अगर आरक्षित नहीं किया जाता है, मैं यह नहीं कहता कि आप जाति के आधार पर करें, आप इनके लिए आर्थिक आधार तय कर दीजिये...

श्री सभापति : कृपया समाप्त करें।

श्री हीरासिंह चौहान : लेकिन पार्टी के घोषणा-पत्र के अनुसार इस प्रकार की कोई न कोई कमेटी बनाकर इनको आरक्षण की सुविधा दी जाय। हमें इसके लिए कोई न कोई पहल करनी चाहिये, कुछ न कुछ व्यवस्था करनी चाहिये। वास्तव में जिस प्रकार की हम घोषणा करते हैं उसकी क्रियान्विति की जानी चाहिये। हमारी तरफ लोगों की आंखें हैं, लोग देखना चाहते हैं कि यह भारतीय जनता पार्टी अपने घोषणा-पत्र के अनुसार क्या करना चाहती है? इसलिए, माननीय सभापति जी, मैं मेरी पार्टी के सारे नेताओं से निवेदन करना चाहता हूँ कि इस सम्बन्ध में तत्काल कोई निर्णय लें....

श्री महावीर प्रसाद जैन : आपके दर्द को हम जानते हैं -

श्री सभापति : कृपया समाप्त करें।

श्री हीरासिंह चौहान : मेरा दर्द नहीं है, हमारा सब का दर्द है। इसको मेरा दर्द मत मानिये। जब इस पार्टी का कार्यक्रम यह है कि हम पिछड़े वर्ग को, गिरे हुए को, जो गरीब तबका है, अनुसूचित जाति-जन जाति का है उनको ऊपर उठायेंगे इस पार्टी का मेन उद्देश्य यह है और कोई पार्टी नहीं करना चाहती हैं। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि कांग्रेस ने चालीस साल में कुछ नहीं किया लेकिन हम करना चाहते हैं.। हमारी पार्टी का मूल उद्देश्य ही यह है। इसलिए मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ कि इसको अधिक समय तक नहीं टालें और तत्काल इसके लिए प्रभावी कदम उठायें ताकि जो पिछड़ा वर्ग है यह हमारी तरफ आंखें फैलाकर देख रहा है इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस तरफ भी तत्काल कदम उठाया जाये। मैं अधिक समय नहीं लेकर माननीय सभापति जी आपके निर्देशों की पालना करते हुए....

श्री सभापति : जिस तरह से धन सीमित है विकास के लिए उसी तरह से समय भी सीमित है। अन्य सदस्यों की भावनाओं का ख्याल रखें, वह भी आज बोलना चाहते हैं।

श्री हीरासिंह चौहान : माननीय विपक्ष के नेता ने अभी-अभी हम पर यह आरोप लगाया था कि भारतीय जनता पार्टी पर कोई मुकदमा बन जाता है तो फट से फाइल आ जाती है। मैं माननीय जोशीजी से कह देना चाहता हूँ कि आज से एक वर्ष पहले गत विधान सभा का चुनाव हो रहा था तो सोजत विधान सभा क्षेत्र में श्री पुखराज जी कालानी को चुनाव लड़ने भेजने के एक वर्ग के तीन मुकदमें थे यह तीनों मुकदमें उन्होंने तत्काल उठा लिये थे और दूसरे वर्ग पर आज भी मुकदमें चल रहे हैं और दूसरे वर्ग को भी इन्होंने आश्वासन दिया हैं, लोगों के पास टेपरेकार्ड है, कि आपके भी उठा लिये जायेंगे लेकिन एक साल के शासन में भारतीय जनता पार्टी के लोगों पर हजारों मुकदमे बने हुए हैं और एक भी मुकदमा नहीं उठाया गया है। मैं माननीय विपक्ष के नेता से यह कहना चाहता हूँ कि इस प्रकार के आरोप लगाकर, मैं भाई रमजान खां को बहुत-बहुत बधाई देता हूं, बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने कहा कि माननीय विपक्ष के नेता के पिछले पांच साल में इस तरह के भाषण कि विपक्ष के नेता कोई कार्यक्रम की घोषणा करेंगे, कोई नयी रूपरेखा देंगे वह तो नहीं और केवल साम्प्रदायिक, हिन्दुवाद और साम्प्रदायिकता के बारे में ही कहा। पता नहीं इनको अयोध्या के राम तो इस भारत वर्ष की भूमि में और चर-अचर सब में चारों तरफ व्याप्त हैं, उनका नाम लेने से तो लोग तिर जाते हैं और उनके नाम से पता नहीं इनको क्यों घृणा हो रही है...

श्री सभापति : कृपया समाप्त करें, अब।

श्री हीरासिंह चौहान : और कहते हैं धार्मिकवाद फैला रहे हैं। हम तो कहते हैं कि साम्प्रदायिक वाद कौन कर रहा है ?

श्री सभापति : कृपया समाप्त करें।

एक माननीय सदस्य : पसीना आ गया।

श्री हीरासिंह चौहान : पसीना तो आयेगा ही। माननीय सभापति महोदय, अब अन्त में मैं दो चार बातें कहना चाहता हूँ....

श्री सभापति : बहुत लम्बा हो गया। कृपया समाप्त करें। दूसरों की भावनाओं का भी ध्यान रखें। कुछ माननीय सदस्य भी आज ही बोलना चाहते हैं। बहुत लम्बी लिस्ट है।

श्री हीरासिंह चौहान : मैं मेरे क्षेत्र की बात करूंगा।

श्री सभापति : आपके पास बात बहुत हैं इसमें कोई शक नहीं है परन्तु समय की सीमा है।

श्री हीरासिंह चौहान : सभापति महोदय, मैं इस बात का भी स्वागत करता हूँ...

श्री सभापति : आप अनुशासन नहीं मानेंगे तो दूसरे भी अनुशासन नहीं मानेंगे। बाकी सदस्य रह जायेंगे बोलने से।

श्री हीरासिंह चौहान : विशेष समस्या है इसके लिए मैं निवेदन करना चाहता हूं। गजनाई बांध है। सन् 1982 में यह बांध अतिवृष्टि में बह गया था। पिछले 8 साल से यह हमारे थे दीवान माधोसिंह जी। यह ऐढ़ी से चोटी का जोर लगा गये। वह राजस्थान सरकार में मंत्री थे लेकिन वह उसका एक प्लान पूरा कराके नहीं गये। उनसे एक प्रोजेक्ट पूरा नहीं हुआ लेकिन मुझे खुशी है कि इस वर्ष उसका प्रोजेक्ट तैयार हो गया है। मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि गजनाई बांध से सोजत तहसील के हजारों किसानों को फायदा होगा इसलिए उसकी तत्काल मंजूरी दी जाये। इसी तरह से हमारे यहां रायपुर दीपावास बांध हैं...

श्री सभापति : आपको बहुत अवसर मिलेंगे यह बात कहने के लिए, डिमाण्ड पर आपको मौका मिलेगा इन बातों को रखने का।

श्री हीरासिंह चौहान : जो अभी 25 न्यायालय मिले हैं तो खारची में एक मुंशी मजिस्टेट कोर्ट बनाया जाये और सोजत क्षेत्र में हमारे वकीलों की और लोगों के लिए बहुत बड़ी मांग है कि वहां एक ए. डी. जे. कोर्ट तत्काल खोली जाये। यह यहां की स्थानीय मांगें हैं।

अन्त में मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने समय दिया। जयहिन्द

श्री सभापति : श्री रामकरण सिंह।

श्री रामकरण सिंह (कोटपूतली) : माननीय सभापति जी, काफी कोशिश करने के बाद में जब कि 20 सदस्य बोल लिए उसके बाद हमारा नम्बर आना जरूरी था लेकिन हमें आपके अध्यक्ष जी ने, उपाध्यक्ष जी ने समय नहीं दिया और आपने दिया इसके लिए आपको धन्यवाद ?

माननीय सभापति महोदय, यह देखने के लिए मिला है कि यहां हाउस के अन्दर

(श्री रामकरण सिंह)

केवल रसीली बातों का संवाद होता है। अभी भैरोंसिंह जी हमारे मुख्यमंत्री और रामकिशन जी बोल रहे थे और इसी तरह से पिछले बजट में भी इसी तरह का संवाद हुआ था। माननीय सदस्य यह जानते हैं कि उनका कोई रिजल्ट नहीं निकलता है। केवल हमारा मनोरंजन हो जाता है। केवल मनोरंजन होता है। माननीय रामकिशन जी बैठे हैं यहां। एक भी बात इन्होंने कही हो और मुख्यमंत्रीजी ने उसको माना हो पिछले बजट के भाषण से। यदि एक भी बार बैठकर सलाह की होती, वरना उस समय घोषणा की थी माननीय मुख्यमंत्रीजी ने कि मैं रामकिशनजी से यह राय लूंगा। वही संवाद अब चल रहे हैं और मुझे नहीं कहना चाहिए इतना समय जो दूसरे माननीय सदस्यों का अपनी बात रखने के लिए था वह दोनों के संवाद में ही खत्म हो गया।

माननीय सभापति जी, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जब पिछले चुनाव हुए तो घोषणा पत्र में कुछेक मुख्य मुद्दे थे। एक मुद्दा जो उन्होंने पालन किया उसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि किसानों की बारानी भूमि का लगान माफ करेंगे। यह जगह जगह मीटिंग की। दुर्भाग्य से या सौभाग्य से मैं भी उस समय उसी पार्टी के समर्थन में पार्लियामेण्ट के चुनाव में निकला था तो जोधपुर में हमने वह भाषण दिया और यह घोषणा की। मैं उनके साथ था। पाली में भी और सवाई माधोपुर और बयाना और अलवर में भी था। सो वह इन्होंने पूरा कर दिया इसके लिये मैं अन्य माननीय केबिनेट के सदस्यों को और माननीय मुख्य मंत्री जी को धन्यवाद दिये बगैर नहीं रह सकता। लेकिन बाकी घोषणा यह थी कि बीमा योजना लागू की जायेगी किसानों के लिए खेती पर, फसल पर लेकिन वह नदारत है। हमने याद भी दिलाया था। अब यह चुनाव आ रहे हैं। इस बात को किस तरह से हम दोहरायेंगे, जनता के सामने जायेंगे। मण्डल आयोग भी घोषणा पत्र में था जिसके लिए कहा गया कि मण्डल आयोग लागू करेंगे लेकिन उसके बारे में बिलकुल चुप हैं। कोई किसी तरह का जिक्र नहीं आने देते। तो मुख्य मंत्री जी कब तक इससे अलग दौड़कर जायेंगे ? कब तक छिपे रहेंगे ? यह सम्भव नहीं है। जनता यह जानती है। हमारे सामने कल माननीय सचेतक महोदय कह रहे थे कि किसान तो इसमें आते ही नहीं हैं। मैं कहना चाहता हूँ मुख्य सचेतक महोदय किसान को केवल राजस्थान में आप चाहे न जानें वरना हरियाणा में तो जाटों को भी ले लिया। वह कौन से फिर बाकी किसान रह गये जो किसान इसमें नहीं आते हैं ? तो मैं कहना चाहता हूं कि यह मौका है, समय है...

श्री ओमप्रकाश गुप्ता (मुख्य सचेतक) : मैंने यह नहीं कहा कि किसान नहीं आते। मैंने कहा था कि किसानों को अपनी रोजी रोटी और मकान की चिन्ता है न कि मण्डल आयोग की।

श्री रामकरण सिंह : आपने यह कहा था कि किसानों का मण्डल आय न मे

(श्री रामकरण सिंह)

लेना-देना। मैं यह कहता हूँ कि किसानों का इस मण्डल आयोग से नहीं लेना-देना है तो बाकी रह ही क्या जाता है? किसके लिए मांग है? मण्डल आयोग की मांगें किसानों के लिए हैं जो ग्रामीण हैं। 85 प्रतिशत जो लोग गांवों में रहते है, जो किसानी करते हैं, किसानों से सम्बन्धित जिनका काम है, एक दूसरे पर आश्रित हैं उन लोगों का इस मण्डल आयोग से लेना-देना है और जब तक यह मण्डल आयोग लागू नहीं होगा उस समय तक उन लोगों को बहबूदी नहीं मिल सकती। जैसा अभी माननीय चौहान साहब ने कहा कि जब गांव का विकास नहीं हो सकता तो आपके हिन्दुस्तान में रह कितने से जाते हैं केवल 15 प्रतिशत जिनके विकास से आप इस हिन्दुस्तान की बहबूनी करना चाहते हैं. राष्ट्र को मजबूत बनाना चाहते हैं, राष्ट्र की आर्थिक हालत और औद्योगिक हालत में इसको विशेष स्थान पर पहुंचाना चाहते हैं? इसलिए यह मान लेना चाहिए कि मण्डल आयोग लागू नहीं हुआ तो देश का भला नहीं हो सकता, राष्ट्र का भला नहीं हो सकता। मण्डल आयोग होगा तो खेतों में अनाज पैदा करने में लोग अधिक समर्थ होंगे और लोगों की खेतों में अनाज ज्यादा पैदा करने की क्षमता बढ़ेगी और हमारे कल और कारखाने जिन में कच्चा माल आज किसान ही पहुंचाता हैं, आज आपके घर के अन्दर भी चाय मण्डल आयोग में आने वाले जातियों के ही जो सुबह पहले आपके बच्चों को और आपको चाय पिलाते हैं वह दूध भेजते हैं, वह चाय भेजते है खेतों में काम करके तब आपको चाय मिलती है। गन्ना पैदा करके शुगर भेजते हैं जब आपको चाय मिलती है। जब आप उठते हैं उस समय भी यह मण्डल आयोग के अन्दर आने वाली जातियों की बहबूदी के लिए ही यह सब शामिल है। वह फले फूलेंगे, उनका उत्थान होगा तो आपको अच्छे ढंग से सारी चीजें मुहैय्या होगी। कोई सी भी चीज है, मैं कहता हूं, कपड़ा, सब्जी है, तेल है, क्या है क्या नहीं है। इसके अलावा कोई बात ही नहीं रह जाती। केवल इसमें, माननीय सभापति महोदय, दो ही बात है कि लोगों को अपनी कुर्सी प्यारी है, ऐश और आराम प्यारा है, देश प्यारा नहीं है, राष्ट्र प्यारा नहीं है। अगर देश और राष्ट्र प्यारा हो तो राष्ट्र की सामूहिक रूप से बहबूदी करें। लेकिन नहीं करना चाहते। बहबूदी नहीं चाहते। इसलिये मैं चाहता हूं, फसल बीमा लागू किया जाय। कल जब इसका जवाब दें माननीय मुख्य मंत्री जी उस समय फसल बीमा की घोषणा करें ताकि किसानों को फायदा मिले। किसानों को फायदा ही नहीं आगे के आने वाले चुनाव के फायदे के लिये ही कर देना। मण्डल आयोग को भी लटकाये न रखें, वरना लोग पूछेंगे गांवों में जायेंगे जब कि बोलिये मण्डल आयोग के लिये ना और हां में जवाब दीजिये। इस लिये इनकी घोषणा करें। माननीय ललित जी यहां विराजमान हैं, आपका प्रभाव है, प्रभाव है यह बात दूसरी है कि दिल से नहीं है लेकिन आपका डर जरूर है। मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, मैं जो बाहर सुनता हूँ और भीतर सुनता हूँ माननीय सदस्यों से कि भाई, ललितजी अपने हिसाब से अपना काम कर लेते हैं बाकी मंत्रियों की

(श्री रामकरण सिंह)

फाइल बस्ता-ए-खामोशी माननीय मुख्य मंत्रीजी के यहां दफ्तर में पड़ी रहती है और उनकी हिम्मत नहीं होती कि कोई फाइल मंगा ले। तो जो बात सुनता हूं वह कह रहा हूँ। यही नहीं, माननीय सभापति जी, मैं विद्युत के बारे में बताना चाहता हूँ। माननीय सदस्या जब विद्युत मंत्री थीं। उन्होंने एक सुझाव दिया, कहते हैं कि हाकिम चला जाता है मगर हुकुम नहीं जाता। मगर हमने यह देखा है कि हाकिम गया। उससे इस कदम आगे हुकुम भी गया उन्होंने अपने आदेश में यह आदेश दिया था कि 25 रुपये से ज्यादा जो विद्युत के लिए फार्म भरे जायेंगे, फार्म फीस नहीं ली जायेगी। लेकिन एक हजार रुपये फार्म फीस हो गई। साथ ही नयी नीति। यह किसानों और गरीबों के हमदर्द जो बनते हैं और बात कहते हैं, जाकर उन किसानों और गरीबों से पूछो, नयी नीति बिजली की बना दी, मरता, क्या नहीं करता, किसान क्या करे, उसे मजबूर होकर अपना जेवर बेचना पड़ता हैं, बच्चों की भूखे मारना पड़ता है, अनाप-शनाप ब्याज में रुपये लेकर साढ़े तीन हजार रुपये एक फार्म के देने पड़ते हैं। सोचिये, विचारिये, हमारे हिन्दुस्तान के किसान को एक तरफ आप ग़रीब कहते हैं, एक तरफ यह कहते हैं कि किसान क्या करे, दूसरी तरफ आप उनसे 70 करोड़ रुपये ले लेते हैं। यही नहीं 70 करोड़ रुपये लेने के बाद भी आपने क्या क्या किया? उसके रुपये लेकर बैठ गये। उसका ब्याज लग रहा है और उसकी कोई सुनाई नहीं। कोई चीज की सुनाई नहीं। अभी लालसोट का जिक्र आया। आप ताज्जुब करोगे, साढ़े चार सौ नयी नीति के हिसाब से दरख्वास्त ली गई, फार्म भरे गये और पैसे लेकर केवल 90 लोगों को कनेक्शन दिया। आश्चर्य, विड़म्बना, क्या है यह तमाशा? उसके बाद गरीबों की हिमायत करने वाले हो। यह गलत है। जो लोग आपको अन्न देते हैं, जिनके पीछे पलते हो, खाने को अन्न, सब कुछ देते हैं, कपड़े देते हैं, उनके साथ यह खिलवाड़ कि अनाप शनाप ब्याज उनसे लिया जाय। यह एक मखौल है। माननीय उप नेताजी, आपकी किसी तरह से भी यह नयी नीति चलने वाली नहीं हैं।

एक माननीय सदस्य : भावी मुख्य मंत्री जी।

श्री रामकरण सिंह : भावी मुख्यमंत्री आप कहते हो तो भावी मुख्य मंत्री बन जायं, और भी बढ़िया है, हमें बड़ी खुशी होगी। हमें क्या वास्ता।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

देखिये, मैं मेरा टाइम ले रहा हूँ। जो इण्डिपेंडेंट्स जितने भी हैं उनको 40 मिनट मिले हैं। वह कम से कम हम दो आदमी बोले हैं तो वह टाइम तो है।

श्री सभापति : बाकी लोगों का आप ही ध्यान रखेंगे, नहीं तो कौन ध्यान रखेगा। और सब किसानों के ही प्रतिनिधि हैं यहां पर।

श्री रामकरण सिंह : मैं बिल्कुल रखूंगा।

श्री सभापति : कृपया समाप्त करने का प्रयास करें।

श्री रामकरण सिंह : आपकी बात भी रखूंगा लेकिन साथ में मेरे जो अधिकार और हक हैं ना उनके लिये भी आसन ध्यान रखे, यह मेरा आग्रह है ।

श्री सभापति : कृपया समय का ध्यान रखें ।

श्री रामकरण सिंह : बस यही चीज है ।

श्री सभापति : आप तो सबकी रिकमन्डेशन करते हैं ।

श्री रामकरण सिंह : एक मैंने पिछले टाइम भी रखा था, माननीय सदस्य भी जानते हैं, उस समय माननीय विद्युत मंत्री महोदया ने यह आश्वासन भी दिया था कि मेरे यहां पर ग्रामीण विद्युत सहकारी समिति है उसमें मैंने बता दिया कि यह हालत है । आप आश्चर्य करोगे, सभापति जी वहां एम. डी. जाता है वहां की लेबर इतनी हावी है कि जब उसे चारों तरफ से कर लेते है तो मुझे कहने में संकोच होता है कि धोती में पेशाब और टट्टी करा देती है, पेण्ट में करा देती है, यह हालात है । और वह जो चाहते हैं वह कराते हैं । वह खड़े रहते हैं और वह बैठे रहते हैं । विद्युत सचिव से, बोर्ड के चेयरमैन साहब से और दूसरे सभी उच्च अधिकारियों से मैंने बात की, बात कहने में कहते हैं हमने तो लिख दिया, हम तो यह चाहते हैं कि वह रहे ही नहीं । कोई यह विद्युत सहकारी समिति रहे ही नहीं, केवल आर. एस. ई. बी. ही सम्भाल ले चार्ज । लेकिन आश्चर्य है कि फिर हम किससे कहे ? राज्य सरकार का मंत्री यह कहे, राज्य सरकार के उच्च अधिकारी यह कहें और वहां पर वह तानाशाही, वह डिक्टेटरशिप, जो किसी अधिकारी को चाहे ए.ई.एन. हो, चाहे जे.ई. एन. हो एम. डी. हो, उनका कोई इशारा नहीं चलता । गांवों की जो बिजली की लाइनें हैं वह नीचे खिसक रही हैं और न जाने कितने आदमी और पशु टच होकर मरते हैं । किसी की खेती बरबाद हो रही है । कनेक्शन के लिये लूट मचा रखी है । आप ताज्जुब करोगे, सभापति महोदय, कि लोगों ने कुओं के ऊपर अनाज बांध रखा है लाइनमेनों ने फोर्थ क्लास हैं । मैं उलटी गंगा बहाने की बात कहता हूँ कि उच्च अधिकारी कोई रिश्वत लेते होंगे....

श्री सभापति : आपके अलाटेड समय से काफी ज्यादा हो गया ।

श्री रामकरणसिंह : हैं जी ?

श्री सभापति : आपको समय जितना दिया हुआ है उससे आप ज्यादा...(व्यवधान)

श्री रामकरण सिंह : समय कितना दिया हुआ है मुझे मालूम तो पड़ जाय ?

श्री सभापति : आपको दस मिनट का समय था, आप 16 मिनट बोल चुके हैं ।

श्री रामकरण सिंह : नहीं नहीं, 10 मिनट का क्यों है, हमारा चालीस मिनट का समय है जिसमें एक माननीय सदस्य यह बोलेंगे तो बीस मिनट तो मैं बोलूंगा ही । इसमें कौनसी बात हो गई ।

श्री सभापति : आपके अलाटेड समय से आपको ज्यादा समय हो गया। 16 मिनट बोल चुके हैं।

श्री रामकरण सिंह : अलाटेड ही ले रहा हूँ। चालीस मिनट हैं। चालीस मिनट में मैं आधा बोलूंगा।

श्री सभापति : नहीं, नहीं ऐसा नहीं है। कृपया समाप्त करने का प्रयास करें। (व्यवधान) कृपया समाप्त करने का प्रयास करें।

श्री रामकरण सिंह : माननीय सभापतिजी, मुझे मजबूर होकर आपसे आग्रह करते हुए यह कहना पड़ेगा कि + + +

श्री सभापति : आपसे कैसे पक्षपात करूंगा मैं।

श्री रामकरण सिंह : नहीं नहीं, आप एक चीज है, मेरा इस बारे में चालीस मिनट हैं, यह आप मानते हैं ?

श्री सभापति : मैं तो आपके पक्ष में हूं, आपसे कैसे पक्षपात करूंगा।

श्री रामकरण सिंह : बोलने दो, मेरा टाइम आप क्यों बरबाद करवा रहे हो।

श्री सभापति : कृपया समाप्त करें।

श्री रामकरण सिंह : नहीं नहीं, अभी समाप्त नहीं करूंगा।

श्री सभापति : कृपया समाप्त करने का जल्दी प्रयास करें।

श्री रामकरण सिंह : हां यह करूंगा मैं, जल्दी प्रयास कर रहा हूँ। सिंचाई के लिए माननीय सभापति जी, जो 8-10 तहसीलें हैं चाहे वह अलवर जिले की हों चाहे सीकर या जयपुर की बैराठ तक हों बल्कि जमवा रामगढ़ तक भी कुओं के अलावा कोई साधन नहीं है, कोई नदी नहीं है वह वैल-इरिगेटेड एरिया है, कूओं से सिंचित भूमि है जिसमें अभी खेतड़ी के बारे में आया था जहां आपका कापर प्रोजेक्ट है वह इतना पानी खेंच रहा है कि वहां आस-पास के पूरी खेतड़ी तहसील के कूओं का पानी खत्म होता जा रहा है और सतह नीची चली गई है। पानी की तो यह हालत है लेकिन कभी कोई योजना नहीं। मैं आग्रह करूंगा जैसे हमने बीकानेर, जैसलमेर में गंग नहर के हिसाब से उसमें से दूसरी नहरें निकलवाई है इसी तरह से आपके हरियाणा में आपके बोर्डर तक, इधर भरतपुर अलवर, झुंझुनूं जिले में जितनी भी नजदीक उनके पास आई हुई है उनका साझा किया जाय खर्चे में उनके शामिल होकर उस पानी को लीजिए वर्ना उन लोगों को वहां से उठना पड़ेगा और एक दिन पानी की यह हालत हो जायेगी कि हम अन्न का एक दाना भी पैदा नहीं कर सकेंगे। इसलिए इस बारे में विचार करें। जितने उच्च अधिकारी, बुद्धि-जीवी बैठे हुए हैं हमारे मंत्रीजी भी बहुत समझते होंगे, इस बारे में लेकिन कोई सोचे तो सही कि कल क्या होगा। कोई कल की नहीं सोचता। इस लिए मैं आग्रह करूंगा कि यह 3-4 जिले जो हरियाणा, यू. पी. के बोर्डर के पास हैं उनमें वहां से पानी लिया जाय ताकि

+ + + अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(श्री रामकरण सिंह)

सिंचाई के लिए नहरें यहां भी बन जाय।

शिक्षा के लिए सुबह एक क्वेश्चन आया था और हमारे शिक्षा मंत्री जी ने कहा था कि कोई खाली जगह नहीं है। मैं दावे से कहता हूँ, शिक्षा मंत्री जी एक भी तहसील ऐसी बता दें जहां अध्यापक पूरे हों पूरे राजस्थान में शहरों में बैठे हैं, डेपुटेशन पर बैठे हैं, छुट्टी लेकर बैठे हैं लेकिन हमारे ग्रामीण तबकों की स्कूलें खाली पड़ी है। लड़कों के साथ खिलवाड़ हो रहा है और हम चाहते हैं कि हम किसी तरह से गांवों में शिक्षा को बढ़ावें और उनकी तरक्की करें।

दूसरी बात, फर्नीचर का नाम नहीं। जब स्कूल में लड़का आता है तो उससे कहा जाता है कि एक सेट बैठने के लिए अपने लिए फर्नीचर लाओगे। यह खिलवाड़ है। हमारे कोटपूतली हाई स्कूल में आन रेकार्ड यह चीज है कि लड़कों का एडमीशन जब होता है उनसे सेट मंगाते हैं कि टेबल और कुर्सी लेकर आओगे, हायर सेकेण्डरी में हो चाहे दसवीं में चाहे नवीं में हो। यह मखौल है। टाट पट्टी स्कूल में नहीं है। मिस्लेनियस पैसा मिडल स्कूलों में, प्राइमरी को तो छोड़ा, मिडल और हाई स्कूल में नहीं दिया गया है 6 साल से। ऐसे-ऐसे रिकार्ड है। क्या हो रहा है यह? शिक्षा के बारे में क्या विचार है और गांवों की तरक्की चाहते हैं, केवल दिखाकर तरक्की नहीं हो सकती।

यही नहीं, पेयजल के बारे में, बोरिंग हो गया, मशीनें 6-6 महीने से नहीं रखी गई। कोटपूतली में चार हैण्डपम्प जिनको बोर कर दिया पड़े हैं उनके ऊपर 6 महीने से कोई मशीन नहीं है और हम जब अधिकारियों से या मंत्री जी से बात करते हैं तो कहते हैं अभी पाइप नहीं आये हैं। यह व्यवस्था है। फिर यह अनाप-शनाप, लाखों करोड़ों का विभागों पर खर्चा क्यों किया जाता है? क्यों नहीं जैसे पहले राजा महाराजा बैठते थे उनके सिवह-सालार इशारे से काम करते थे वैसे ही काम करना शुरू कर दो। क्या फायदा है इतने बड़े सफेद हाथी बैठाकर काम कर रहे हो? इसलिए यह होना चाहिए।

उद्योग विभाग में सीमेंट फैक्टरी सवाई माधोपुर के लिए, माननीय सदस्य इधर बैठे हैं वह माननीय मुख्यमंत्री जी सिविल लाइन की सड़कों पर आज भी किसान जहां पर पड़े थे, सो रहे थे रात भर वह पसीना भी शायद उनके और सड़कों के बीच का नहीं सूखा और आज भूल गये मुख्यमंत्री जी मुझे और माननीय अध्यक्ष भाभड़ा साहब, उनको भी जाने का समय मिला....

श्री सभापति : कृपया समाप्त करें, यह 40 मिनट नहीं है, आपको भ्रम है इसका।

श्री रामकरण सिंह : बीस मिनट के लिये तय हुई है।

श्री सभापति : बीस मिनट से ऊपर हो चुके हैं कृपया समाप्त करें। दूसरों को

(श्री सभापति)

बोलना है, 9 बज जायेंगे फिर उसके बाद ।

श्री रामकरण सिंह : पांच मिनट और (व्यवधान)

श्री सभापति : पांच मिनट और नहीं। आप बहुत बोल चुके । बीस मिनट से ऊपर बोल चुके, मेरे पास लम्बी लिस्ट है, मुझे उसका भी ध्यान है । मैं क्रमबद्ध प्रार्थना करता हूं, कृपया समाप्त करें ।

श्री रामकरण सिंह : मेरा भी नम्र निवेदन है, 5 मिनट लूंगा ।

श्री सभापति : पांच मिनट का समय नहीं मिल सकता, कृपया क्षमा करेंगे आप ।

श्री रामकरण सिंह : सीमेंट के लिए मेरे कोटपूतली में सीमेंट फैक्ट्री चल रही थी भली प्रकार से । मैंने किसी भी तरीके से वहां की हड़ताल को तुड़वा कर सेठ को राजी करके चालू किया तो विभाग ने आप ताज्जुब करेंगे, उसका कोटा ही छीन लिया और मैं जाकर उनके अधिकारियों से मिला तो बोले-साहब, हम उनको दे देंगे । आप क्या दे दोगे । न जाने कितनी जगह सीमेंट के कोटे में इस प्रकार की गड़बड़ी करते हैं । पत्थर नहीं देते । यह बात बहुत जरूरी है इसलिए कह रहा हूँ । इस समय आपको आश्चर्य होगा, सीमेंट की कीमतें इतनी बढ़ गई, महंगी हो गई और सीमेंट पैदा करने के लिए हमारा उद्योग विभाग और हमारी सरकार कोई तवज्जोह नहीं देती और पत्थर उनके ले लिये, खानें उनकी ले ली जब कि कंडीशन है, उनके साथ शर्तें हैं । लेकिन ले ली । यह हालत है । बहुत जल्दी खत्म कर रहा हूँ ।

सभापति महोदय, परिवहन निगम की आश्चर्य की बात है, 100 रुपये महिने के आपका जो परिवहन निगम है उसमें एक अधिकारी जमा करादे और पूरे महीने 24 घण्टे गाड़ी रखो । घर ले जाइये, बीबी, बच्चों को घुमाइये केवल पैट्रोल लिमिटेड हो उसका. मैं नहीं कह सकता बाकी 100 रुपये में गाड़ी घर ले जाने की छूट । आपको आश्चर्य होगा, सरदार कुशलसिंह उप सचिव को छुट, फिएट 999 काले रंग की गाड़ी दी है वह उनको ले जाती है, लाती है । यह मैं नामजद बता रहा हूँ । दूसरे चीफ एकाउण्ट्स आफिसर केवल 100 रुपये जमा करा कर महीने भर गाड़ी रखते हैं । यह एम्बेसेडर है लॉ मैनेजर को गाड़ी दी है, सरीन साहब, डिप्टी जी. एम. प्रशासन है, उनको गाड़ी दी हुई है 100 रुपये महीने में । यही नहीं, जी. एम. ट्रैफिक को गाड़ी दे रखी है चाहे दफ्तर से बाहर न जावें । यह हालत है । जी. एम. कार्मिक को गाड़ी दे रखी है । इसी तरह कावड़िया साहब को कमाल की बात है दो दो गाड़ी दे रखी हैं और तीसरी गाड़ी मेवाड़ टैक्सटाइल की ओर से, 3-3 गाड़ियों में चलते हैं । यह हालत है । बचत करने की बात कह रहा हूँ । सभापतिजी, यह बचत हो रही है ।

राज्य सरकार ने भर्ती पर बैन लगा रखा है लेकिन अपने मेहरबानों के लिए

(श्री रामकरण सिंह)

उच्चाधिकारी की अगर मेहरबानी हो गई तो एक भंवरसिंह ड्राइवर है उसको नियुक्ति दे दी। चाहे आपका बैन लगा हुआ है। यह हालत है।

श्री सभापति : मैं सभी माननीय सदस्यों की भावना के प्रति आपसे निवेदन कर रहा हूँ, कृपया ख्याल रखें दूसरे सदस्यों को भी बोलना है।

यहाँ सूत्रों में बोला जाता है, इतनी लम्बी बात थोड़े ही बोली जाती है। दूसरे सदस्य भी बोलना चाहेंगे।

श्री रामकरण सिंह : मैं मेरी तहसील कोटपूतली की बात एक मिनट में निवेदन कर समाप्त करता हूँ। कोटपूतली में ए. डी. जे. कोर्ट वैसे टाइमली जाता है मैं आग्रह करूंगा कि आप उसको कम से कम रेगुलर वहीं आफिस हो जाय तो ठीक है क्योंकि जिले में सबसे ज्यादा केसेज कोटपूतली सब डिवीजन के हैं। और वहाँ मुंसिफ मजिस्ट्रेट कोर्ट है, काम कर रही है। अगर वहां ए. डी. जे. कोर्ट स्थापित कर दी जाय तो बड़ी मेहरबानी होगी। लॉ मिनिस्टर साहब और मुख्यमंत्री जी और केबिनेट के माननीय सदस्यों से कहना चाहूँगा। इसके अलावा मैं यह भी कहना चाहूंगा कि कोटपूतली, जिसमें आप और हमारे बीच में ठीक रहेगा। दौसा जिला बना दिया, ठीक बात है। कहीं भी दूसरी जगह बना दिया उसका स्वागत है लेकिन कोटपूतली को जिला बनाना बहुत ही आवश्यक है। कोटपूतली एक ऐसी जगह है जो बहरोड़ से नजदीक है, बानसूर के नजदीक है, थानागाजी के नजदीक है। वहां बैराठ सब–डिवीजन है।

श्री सभापति : बात आ गई है। मेरिट्स पर आने का कोई अर्थ नहीं है।

श्री रामकरणसिंह : नीम का थाना से भी वह सेन्टर में पड़ता है। इसलिए व्यवस्था की दृष्टि से ऐसा किया जाना चाहिये। जयपुर जिला बहुत बड़ा जिला है। इसमें एडमिनिस्ट्रेशन किस तरह से कामयाब हो रहा है, वह आप जानते हैं। इसलिए इसमें तीन जिले, एक तो शहर का अलग बना दिया, एक दौसा बना दिया। एक कोटपूतली पर और इनायत कर दें तो बड़ी मेहरबानी होगी। इसी के साथ मेरे पावटा ठिकानों के समय से सब तहसील थी। जब सब–तहसील के समय से थी तो उसे वापिस बनाना बहुत ही आवश्यक है। इसलिए सभापति महोदय, मैं इन्हीं शब्दों के साथ, आपका आदेश मानता हुआ, यह चाहूंगा कि आपने मेरी बात सुनी लेकिन सुनी थोड़ी जल्दी-जल्दी में उसके लिए धन्यवाद।

श्री सभापति : धन्यवाद। आदेश तो आपने नहीं माना। श्री चम्पालाल बांठिया।

श्री चम्पालाल बांठिया (पचपदरा) : सभापति महोदय, वर्ष 1991-92 का राजस्थान का आय-व्ययक का जो लेखा जोखा और योजनायें माननीय मुख्यमंत्री जी पेश की है आज की वर्तमान परिस्थितियों के अन्दर इससे अच्छा बजट और

(श्री चम्पालाल बांठिया)

कोई नहीं हो सकता । अनेक नई योजनाओं पर चर्चा उन्होंने की है । उससे राजस्थान के उज्जवल भविष्य की एक परिकल्पना हम सभी लोगों के सामने हैं। अनेक इस प्रकार के प्रस्ताव हैं जिससे वास्तव में आने वाले समय में राजस्थान में विकास की गंगा त्वरित होगी. इसमें कोई सन्देह की बात नहीं है । उन्होंने काश्तकारों के लिए, गाँवों और गरीबों की ज्यादा चिन्ता की है । यह उनके बजट से साफ जाहिर है । गत वर्ष में उन्होंने गाँव को प्राथमिकता देते हुई सारी जितनी भी प्राथमिकताएं थीं, उन्होंने उनको चेंज किया है । जहाँ पिछले वर्षों में शहरों में ज्यादा पैसा खर्च होता था, वहीं इस वर्ष उन्होंने गाँवों पर 60 पर्सेन्ट कह करके 62, पर्सेन्ट खर्च करके यह साबित कर दिया है कि राजस्थान के मुख्यमंत्री के दिल में गांवों के प्रति और गरीबों के प्रति कितनी सहानुभूति है । यही नहीं, उन्होंने जो घाटे का बजट छोड़ा था और उस समय यह कहा था कि टैक्स की अच्छी वसूली करके और दूसरे अच्छे प्रबन्ध करके, खर्चों में मितव्ययता बरत करके उस घाटे को कम करेंगे, उससे भी उन्होंने साबित कर दिया कि वे किस प्रकार से आने वाले वर्षों की उन्होंने जो योजनाएं पेश की है, उसको सुचारू रूप से चला करके जो घाटा दर्शाया गया है, उस घाटे को निश्चित रूप आने वाले समय में मितव्ययता बरत करके, टैक्स की अच्छी वसूली करके उसको कम करेंगे । इसमें कोई संदेह की बात नहीं है ।

यहां बजट की कई प्रकार से आलोचना की गई, आलोचना का स्वागत होना चाहिये लेकिन आज यह कहना कि हमने कर्जा माफी का वायदा किया था उससे केवल उन लोगों को ही फायदा मिला है जो डिफाल्टर थे । मैं जानता हूँ और मैं आपसे विश्वासपूर्वक कहता हूँ, मैं अनेक कैम्पों में गया हूं । आपको सुनकर ताज्जुब होगा 100-100 रुपये तक लोगों के बाकी थे और ऐसे लोग थे जो 100 रुपये भी जमा नहीं करा पाये थे । क्या हम यह समझे कि 100 रुपये उसने डिफाल्टर के नाते मन से चाहे करके पैसा नहीं दिया । वास्तव में इस प्रकार की स्थिति मेरे क्षेत्र में है जो विशाल रेगिस्तानी क्षेत्र में है। दूर-दूर तक ढाणियां आई हुई है । अकाल के ऊपर अकाल पड़ने के पश्चात उनकी आर्थिक स्थिति इस तरह की नहीं है कि वे अपने कर्जे का एक साथ भुगतान कर सकें । इसलिए मैं निश्चित रूप से कहना चाहूँगा कि कर्जा माफी के अन्दर जो गरीब तबका है, जो शोषित और पीड़ित था और जिसका उधार सरकार पर और बैंकों में बाकी था, उसे निश्चित रूप से लाभ हुआ है । इसमें कोई संदेह की बात नहीं हैं । आपने बारानी भूमि का लगान माफ किया है, उसकी अनेक लोगों ने प्रशंसा की है लेकिन मैं उस क्षेत्र से आता हूं जहां पर अकाल पर अकाल पड़ते हैं और वहां पर खेतों के अन्दर खूब मेहनत करने के बाद, 2-2, 3-3 बार बीज डालने के पश्चात भी, पूरी मेहनत करके, पूरा परिवार खप करके भी, मेहनत करने के पश्चात, कई वर्षों तक उनको कुछ नहीं मिलता । बाद में पटवारियों और कचहरियों के चक्कर लगाने पड़ते हैं। लोग

(श्री चम्पालाल बांठिया)

उनसे जबरन वसूली करने के लिए आते हैं। अनेक बार कांग्रेस के शासन में लोगों के कपड़े नीलाम होते हुए हमने देखा है, डण्डे खाते हुए लोगों को देखा है। वह बहुत ही उपकार का कार्य सरकार ने अपने वादे के हिसाब से किया है।

पहली बार भैरोंसिहजी जब मुख्यमंत्री बने थे उन्होंने 28 बीघा जमीन तक का लगान माफ किया था लेकिन इस बार बारानी जमीन का पूरी की पूरी तरह से लगान माफ करके उन्होंने एक बहुत ही साहसिक काम किया है और छोटे काश्त कार, गरीब काश्तकार और बारानी सूखी खेती करने वालों के प्रति जो सहानुभूति बताई है, उसकी जितनी प्रशंसा की जाय वह कम है। काश्तकारों को अनेक प्रकार की रियायतें इस बजट में दी गई लेकिन मैं माननीय सभापति महोदय, आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि पंपिग सैट खरीदने के ऊपर वर्ष 1987-88 से पहले राजस्थान में कोई कर नहीं था लेकिन कांग्रेस की हुकुमत ने उस पर ढाई पर्सेन्ट लगाया और यदि आप अलग-अलग खरीदो तो 10 पर्सेन्ट का टैक्स है। इससे टैक्स की चोरी होती है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ लोग इंजन अलग खरीदे और दूसरा सामान अलग खरीदे तो उनको 10 पर्सेन्ट का टैक्स देना पड़ता है। इससे व्यापारियों को चोरी का फायदा मिलता है। काश्तकारों की हिमायती यह सरकार है इसलिए मैं मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि पंपिग सैट और इंजन और उसके अलग-अलग हिस्सों के ऊपर, उसकी असेसरीज के ऊपर जो 10 पर्सेन्ट का टैक्स है, उसको कम करके ढाई पर्सेन्ट किया जाय ताकि यह चोरी भी रुके और काश्तकारों को लाभ भी हो और निश्चित रूप से टैक्स की अच्छी वसूली होगी नहीं तो सारा का सारा माल बिना बिल के बिक रहा है, यह मैं आपकी जानकारी में लाना चाहता हूं।

माननीय मुख्यमंत्री जी के राजस्थान के अन्दर जो अनेक वर्षों से आन्दोलन चल रहे हैं और तीन जिले इस बार बनाने का जो प्रस्ताव किया है वह वास्तव में बहुत प्रशंसनीय है। लेकिन, सभापति महोदय, मैं आपका ध्यान और सदन का ध्यान उन जिलों की ओर दिलाना चाहता हूँ जो देश के सबसे बड़े जिले हैं, अनेक प्रान्तों से भी बड़े जिले हैं। आप कल्पना कर सकते हैं कि पूरा दिन चल करके गाड़ियों और बसों से जाने के बाद भी मुख्यालय पर व्यक्ति पहुंच नहीं पाता। उसको न्याय किस प्रकार से मिलता होगा। दूरदराज में ऐसे-ऐसे गांव और ढाणियां हैं जहां पर प्रशासन नाम की कोई चीज आज तक गई नहीं है इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूँ बाड़मेर और जैसलमेर जिलों में अगर वास्तव में नियोजित ढंग से विकास करना चाहते हैं तो वास्तव में यह सही कदम होगा और उस इलाके के साथ न्याय होगा। नहीं तो वह पिछड़ा का पिछड़ा हुआ इलाका रह जायेगा।

आप केवल राजस्व और आबादी के हिसाब से जिला बनाने की बात सोच रहे हैं, वह एक ढंग से सही हो सकती है लेकिन

(श्री चम्पालाल बांठिया)

राजस्थान शहर आने के पश्चात और आबादी के द्रुत गति बढ़ने के साथ ही आज उन इलाकों में अन्य दूसरे इलाकों से लोग आकर बस रहे हैं, उससे निश्चित रूप से आबादी की और राजस्व की जो कमी है वह भी पूरी हो रही है। इसलिये मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्रीजी से निवेदन करना चाहूँगा कि चाहे हम लोग आन्दोलन के रास्ते पर नहीं उतरे हों वहां के लोगों की कोई इस तरह की हठधर्मी नहीं है। आपने दूसरे जिले जरूर बना दिये उसके लिए आपकी प्रशंसा करना चाहता हूँ लेकिन आप जैसलमेर के अन्दर पोकरण और बाड़मेर के अन्दर बालोतरा को यदि जिला बनायेंगे तो निश्चित रूप से पश्चिमी राजस्थान का लाभ होगा।

मैं निवेदन करना चाहूंगा कि राजस्थान के अन्दर पश्चिमी राजस्थान को लेकर पूर्वी जिलों से आने वाले माननीय सदस्यगण हमेशा यही कहते रहे हैं कि राजस्थान के बजट का अधिक भाग पश्चिमी राजस्थान के ऊपर खर्च करना पड़ रहा है। सारा पैसा वे ले जाते हैं हमारे ऊपर कोई ध्यान नहीं देता इस प्रकार की बातें यहां कही गई हैं। वहाँ पर एक मात्र उद्योग जो पनपा है और जिसने हर गांव के लोगों को रोटी और रोजी के लिये आकर्षित किया है, मैं निवेदन करना चाहूँगा कपड़े पर डाइंग और प्रिण्टिंग, रंगाई और छपाई का काम पाली, जोधपुर और बालोतरा के अन्दर जिस कदर बढ़ा है वह आज लाखों लोगों के पेट भरने का साधन बना है। वहां लोगों को रोजगार मिलता है। अकाल के समय भी उन्हें यह अनुभूति नहीं होती कि अकाल की विभीषिका इस कद्र है। लेकिन मैं निवेदन करना चाहता हूं इसके साथ ही जो उससे निकलने वाला प्रदूषित जल है उसमें हमारी जमीन खराब हो रही है। स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ रहा है। मैंने अनेकों बार इस बात को विधान सभा के पटल पर उठाया है और मांग की है कि इस प्रदूषित जल को लूणी नदी के सहारे-सहारे जिस प्रकार से गुजरात के अन्दर माही नदी के किनारे-किनारे उन्होंने ले जाकर के एक पक्की चैनल के जरिये कच्छ की खाड़ी में उस प्रदूषित जल को छोड़ा है। उससे वहां पर जिस कदर औद्योगीकरण को विकास मिला है, लोगों की खुशहाली बढ़ी है, लोगों के चेहरे पर जो चमक आयी है ठीक उसी प्रकार से राजस्थान के इन जिलों का पाली, जोधपुर और बालोतरा का पानी आप लूणी के किनारे-किनारे एक पक्की चैनल बनाकर आप कच्छ की खाड़ी में डाल देंगे तो न प्रदूषण का डर होगा और विकास की गंगा बहुत त्वरित गति से बढ़ेगी। मैं निवेदन करना चाहूँगा, अकाल की मांग हम करना छोड़ देंगे। इस प्रकार का यह काम है और मैं माननीय मुख्यमंत्रीजी से निवेदन करना चाहूँगा कि यह काम राजस्थान की सरकार के बस का नहीं है। पूर्व सरकार ने भी इसमें 100-150 करोड़ रुपया खर्च होने की बात कही थी। लेकिन जहां प्रदूषण के रोकथाम का प्रश्न है या पानी को शुद्ध रखने का प्रश्न है, जहां औद्योगीकरण का सवाल है, जहां अकाल का स्थायी हल है, जहां लोगों को रोजगार का प्रश्न है, यह पैसा कोई वक्त नहीं रखता है। दुनिया की बैंकें, वर्ल्ड बैंक और सार्क कन्ट्रीज ने इस प्रकार से पैसा देने के लिए तय किया

(श्री चम्पालाल बांठिया)

है। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से निवेदन करना चाहूँगा, कि इस ओर ध्यान दिलाना चाहूँगा कि आप मेहरबानी करके इस काम को हाथ में ले और पैसा जुटायें। वहां के लोगों ने, उद्यमियों ने प्रति गांठ 15 रुपया देना शुरू कर दिया है, लगभग एक-डेढ़ करोड़ रुपया इकट्टा कर दिया है, बैंक के अन्दर जमा है और भी पैसा इकट्ठा होगा, वह भी सहयोग करेंगे, वहां की नगरपालिकाएं भी सहयोग करेंगी, निश्चित रूप से यह लाभ होगा, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा। मैं एक और निवेदन खास तौर से करना चाहता हूँ, लूणी नदी के अन्दर जब भी बाढ़ आती है बाड़मेर जिला दो भागों में बंट जाता है। इस बार की बाढ़ के अन्दर जुलाई और अगस्त के अन्दर दोनों तरफ के लोग एक दूसरे से मिलने से तड़पते रहे, आधा परिवार इस तरफ और आधा उस तरफ। सारा आवागमन ठप्प हो गया और जो कांग्रेस की सरकार ने लाखों रुपया लगाकर दो बार जिसका शिलान्यास किया, उस लूणी नदी के पुल को उन्होंने छोड़ दिया लेकिन मैं राजस्थान की भारतीय जनता पार्टी की सरकार से यह मांग करना चाहूँगा कि आप इस काम को हाथ में लें, आने वाले समय के अन्दर लोगों को इससे बहुत बड़ा लाभ होगा और बाढ़ के समय ही नहीं, लेकिन स्टेट हाई वे आपका राज मार्ग बालोतरा शहर के अन्दर से गुजरता है, लोगों को कितनी कठिनाई है, कितनी दुर्घटना के अन्दर मौतें होती हैं। इन सारी चीजों से बचने के लिए और जो प्रस्तावित मार्ग है उसके ऊपर कब्जा किया जा रहा है। आप इस काम को हाथ में लें और जो सड़क हैं, एप्रोच रोड जिसके लिए रास्ता छोड़ा हुआ है उन एप्रोच रोड्स को बनायें। चाहे इनके ऊपर टोल टैक्स देना पड़े तो वहां की जनता इस बात के लिए मन्जूर हैं, वहां कोई सहयोग की जरुरत है तो हम सहयोग देने के लिए तैयार हैं। लेकिन वर्षों से जो आश्वासन पूर्व सरकार ने दिया और हमारे साथ में धोखा किया। मैं वर्तमान सरकार से निवेदन करना चाहूँगा कि हमारे साथ में न्याय किया जाय। हमारी इन उचित मांगों को आप स्वीकार करके जब आप बजट भाषण का उत्तर देंगे उसके अन्दर इस बात का जिक्र करेंगे।

पांच कालेज खोले इस बार। यह बड़ी खुशी की बात है। बालोतरा के अन्दर कालेज की पिछली बार भी बात आयी थी, दो कालेज के अन्दर पहला नाम था लेकिन उस साल दूसरी जगह खोले गये। मुझे इस बात का कोई गम नहीं है लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा, आज 50 हजार की आबादी बालोतरा अकेले की है और आसपास जो कस्बा धनी आबादी का है और 120 किलोमीटर से नजदीक कोई कालेज नहीं है। बाड़मेर जिले में सिर्फ एक मात्र महाविद्यालय है। निश्चित रूप से राजस्थान के पांच कालेजों के अन्दर पहला हक अगर किसी का है तो वह बालोतरा का है। बालोतरा की जनता ने सब तरह का सहयोग का पहले से आश्वासन दे रखा है। पूर्व सरकार ने भी इसको लटकाये रखा। इलेक्शन के समय वहां वायदा भी किया था, एक योजना भी बनायी थी लेकिन वह

(श्री चम्पालाल बांठिया)

कर नहीं पायी। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि आप इस ओर ध्यान देकर इसको करें।...

श्री सभापति : कृपया आप समाप्त कीजिए।

श्री चम्पालाल बांठिया : आज की परिस्थिति के अन्दर यह जो बजट है वास्तव में इसकी जितनी प्रशंसा की जाय वह बहुत कम है। इसके अन्दर सब तरह से विकास हुआ है लेकिन उधर से बैठने वाले लोगों ने बहुत कुछ कहा कि राजस्थान के पिछले वर्षों में कुछ नहीं बना। मैं उस इलाके से आया हूँ जहां पर इनके राज के अन्दर कहीं पर मीलों चले जायं, लोग बीमार पड़ जायं, महामारी हो जाय कोई सम्भालने वाला नहीं था लेकिन आज मैं चैलेन्ज के साथ कहना चाहता हूँ कि...

श्री सभापति : कृपया समाप्त करें।

श्री चम्पा लाल बांठिया : इस सरकार के रहते हुए प्रत्येक छोटे से छोटे गांव के अन्दर कोई न कोई चिकित्सक सम्भालने वाला है। इस सरकार की यह नीति रही और इसी के कारण सारे डेप्युटेशन समाप्त किये, जितने ए. एन. एम. हैं वह गावों के अन्दर पहुंच गयीं, आज चिकित्सक वहां पहुंच रहे हैं लेकिन इन लोगों ने जो पूर्व सरकार थी इनका रवैया यह था और आज यह आलोचना करते हैं, इनको आलोचना करने का अधिकार नहीं है।

श्री सभापति : कृपया थोड़ा समय का ध्यान रखिये, दूसरे लोगों को भी बोलना है। यह कोई तरीका नहीं है, तीन दफा मुझे कहना पड़ता है। यदि आप लोग अनुशासन में नहीं रहेंगे तो बाकी सदस्य नहीं बोल सकेंगे।

श्री चम्पालाल बांठिया : आपने समय दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति : माननीय श्री मोहम्मद माहिर आजाद।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद (झुंझुनू) : माननीय सभापति महोदय, राजस्थान के के मुख्यमंत्रीजी ने वित्त मंत्री के रूप में 1991-92 का जो बजट इस सदन के सम्मुख प्रस्तुत किया है वह बजट मात्र एक औपचारिकता है उससे प्रदेश के करोड़ों लोगों में काफी निराशा व्याप्त हुई है। लोगों में बड़ी आशायें थी कि राजस्थान के मुख्यमंत्री भैरोंसिंहजी शेखावत 1991 और 92 के बजट के माध्यम से प्रदेश के उन लाखों बेसहारा, निर्धन और गरीबी का जीवनयापन करने वाले लोगों को, गांव में गरीब किसान को उसका जीवन स्तर उन्नत कराने के लिए और अधिक सुविधाए फरायम करने की घोषणा करेंगे।

राजस्थान के मुख्यमंत्रीजी ने इस बजट में, मैं ऐसा नहीं कहता कि लोगों को राहत देने का कोई भी काम नहीं किया, कुछ काम अवश्य किये हैं। जैसे बारानी भूमि का लगान माफ करना, एक हजार प्राथमिक विद्यालय खोलना, कुछ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र और कुछ अन्य महाविद्यालय और मिडिल और सैकण्डरी स्कूल खोलने

(श्री मोहम्मद माहिर आजाद)

की घोषणा की है। लेकिन यह सब बहुत कम है और "ऊंट के मुंह में जीरे के समान है।" राजस्थान जैसे पिछड़े हुए प्रदेश को उन्नत और विकासशील बनाने के लिए जिन चीजों की आवश्यकतायें थीं और जरूरतें थीं उनका अनदेखा किया गया और उन सबके लिए केवल एक जवाब राजस्थान सरकार और वित्त मंत्रीजी के पास है कि हमारे पास सीमित साधन हैं, हमारे पास धन की कमी है या यह कह देते हैं कि सरकार का खजाना पिछली कांग्रेस की सरकार जाते-जाते बड़ी बेदर्दी और खेरात की तरह लुटाने का काम कर गयी। हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि हमें जो लोगों के लिए करना चाहिये वह करें। मैं आज बजट पर अपने विचार व्यक्त करते हुए कोई लम्बा चौड़ा भाषण देने के बजाय राजस्थान के मुख्यमंत्रीजी को जिनके पास वित्त विभाग भी है कुछ सुझाव देना चाहूंगा हालांकि राजस्थान के वित्त मंत्रीजी ने इस बजट में कोई नया कर नहीं लगाया लेकिन बिना कर लगाया हुआ बजट में कोई नया कर नहीं लगाया लेकिन बिना कर लगाया हुआ बजट कोई ज्यादा अच्छा बजट नहीं माना जाता। मेरे दल के साथी माननीय पंडित रामकिशन जी कह रहे थे कि कई बार आवश्यकताएं कई चीजों से कर हटाने से होती हैं और कई बार विकास के कामों के लिए पैसा लाने के लिए नये सिरे से कर लगाने की जरूरत होती है। यह सही है जब हमारे आय के स्रोत होंगे, हमारी इनकम होगी, हमारे पास धन आने का और आवक का साधन होगा। तभी हम विकास की योजनाओं पर और दूसरे कामों पर खर्च कर पायेंगे। मैं माननीय सभापति महोदय, उक्त बजट में माननीय वित्त मंत्री जी ने रोजगार के सम्बन्ध में कहा है कि राजस्थान के 3·5 लाख बेरोजगार नवयुवकों को अतिरिक्त रोजगार उपलब्ध कराया जायेगा। इसके साथ ही यह भी कहा कि स्व रोजगार सुलभ कराने के लिए बैंकों से लोन भी दिया जायेगा। कोई योजना नहीं है रोजगार सुलभ कराने की। आज की तारीख में राजस्थान की सरकार ने नयी नियुक्तियों पर पाबन्दी लगा रखी है। एक तरफ साढ़े तीन लाख लोगों को रोजगार देने की बात करते हैं और एक तरफ नियुक्तियों पर पाबन्दी लगी हुई हैं, काफी लम्बे समय से। मेरी समझ में नहीं आता कि कैसे यहां पर रोजगार सुलभ करायेंगे। यहां तक भी कि जो राज्य सरकार के कर्मचारी थे, जो काम पर रहते हुए, सर्विस में रहते हुए मृत्यु को प्राप्त हो गये, उनके वारिसों को भी अब तक नौकरी इस सरकार के माध्यम से नहीं दी गयी है। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से जानना चाहूँगा कि कौन सी योजना है जिस योजना है जिस योजना के तहत उन बेरोजगार युवकों को रोजगार दिलाने की बात करते हैं?

दूसरी बात बिजली के बारे में सरकार ने कहा कि 700 ग्रामों को विद्युतिकृत करेंगे और 25 हजार कुओं को नये कनेक्शन देंगे। लेकिन यह नहीं बताया कि क्या वहीं कमाऊ स्कीम के जरिये बिजली के कनेक्शन दिये जायेंगे। पचास-पचास हजार रुपये का भार डालकर कनेक्शन दिये जायेंगे या यह 25 हजार कनेक्शन प्राथमिकता के आधार पर साधारण स्कीम के तहत दिये जायेंगे? इस बात का कोई

(श्री मोहम्मद माहिर आजाद)

विश्लेषण नहीं किया गया है। मैं आपके माध्यम से राज्य सरकार के विद्युत मंत्री से एक बात और निवेदन करना चाहूँगा कि बड़ी-बड़ी गांवों की और गरीबों की बात करते हैं, आज राजस्थान के गांवों के लोगों साथ इतना बड़ा अन्याय इस राज में हो रहा है। एक तरफ शहरों में रहने वाले लोगों को 24 घण्टे डोमेस्टिक लाइट मिलती है। गांवों में रहने वाले गरीब आदमी, गांव में रहने वाले गरीब किसान हैं उनको डोमेस्टिक लाइट भी 24 घण्टे नहीं मिलती है। वह रेडियो नहीं सुन सकता है, वह पंखा नहीं चला सकता है उसके बच्चे रात को लाइट के उजाले में पढ़ नहीं सकते हैं। मैं मांग करना चाहूँगा कि कम से कम डोमेस्टिक लाइट तो 24 घण्टे ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को भी सुलभ करानी चाहिये।

जहां तक सिंचाई का सवाल है। माननीय सभापति महोदय, यहां घोषणा की गयी थी कि 232.57 करोड़ रूपया इन्दिरा गांधी नगर के लिए तथा माही नदी के ऊपर 23.25 करोड़ का खर्चा किया जाये और बीसलपुर योजना पर 10 करोड़ रुपया खर्चा किया जायेगा। इसके अलावा योजना आयोग अतिरिक्त इन्दिरा गांधी नहर के लिए 35करोड़ रुपये केन्द्रीय सहायता से स्वीकृत किये हैं। माननीय सभापति महोदय राजस्थान सरकार में बैठे लोगों को शायद इस बात का पता नहीं है कि राजस्थान के अन्दर जो सिंचाई के स्त्रोत और साधन हैं उनमें इन तीनों नदियों और नहरों से केवल 25 प्रतिशत क्षेत्र की सिंचाई की जाती है। 50 प्रतिशत से ज्यादा क्षेत्र की सिंचाई का कार्य किसान अपने नलकूप और कुओं से करता है। इस बजट के अन्दर नलकूपों और कुओं के विकास के लिए किसानों को क्या सुविधा दी जायेगी। इसके लिए कोई घोषणा नहीं करके लोगों में निराशा पैदा करने की काम किया गया है।

माननीय सभापति महोदय, सिंचित कमाण्ड क्षेत्र के खालों की कीमतें माफ करने का जो काम सरकार ने किया है वास्तव में वह धन्यवाद के लायक है। इसके लिए मैं मुख्यमंत्री महोदय को धन्यवाद देना चाहूँगा लेकिन साथ ही मैं सरकार से यह भी मांग करना चाहूंगा कि इसके सम्बन्ध में जिन किसानों पर अब तक भी मुकदमें चल रहे हैं, जो पेशियां भुगत रहे हैं या जो वसूली के नोटिस उनको पूर्व में दिये जा चुके हैं उनको वापस लिया जाना चाहिये और मुकदमों को हटाया जाना चाहिये। ताकि काश्तकार मुकदमें बाजी में न लगें।

जहां तक 25 प्राथमिक विद्यालय शहरी क्षेत्रों में खोले जायेंगे, माननीय सभापति महोदय, कितनी मजाक की बात लगती है कि राजस्थान के जिले तो इस समय 30 हैं और प्राइमरी स्कूल खोल रहे हैं 25 शहरी क्षेत्रों में। याने एक जिले में एक प्राइमरी स्कूल भी नहीं खोला जा रहा है। फिर कहते हैं कि हम शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बड़ा काम करेंगे।

श्री ओमप्रकाश गुप्ता : मिडिल स्कूल।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : मिडिल स्कूल कह दीजिए। एक जिला मुख्यालय

(श्री मोहम्मद माहिर आजाद)

पर एक भी मिडिल स्कूल नहीं खोला जा रहा है। मुझे आपकी बेबसी पर बड़ा तरस आ रहा है।

माननीय सभापति महोदय, राज्य में जहां तक पांच नये महाविद्यालय खोलने का सवाल है। माननीय शेखावत साहब जब विपक्ष के नेता थे तो सरकार पर विकास के कार्यों में पक्षपात के बड़े-बड़े आरोप लगाया करते थे। मैं यह समझता था कि शायद शेखावत साहब विकास के कामों में राजनीति से ऊपर उठकर कोई निर्णय लेंगे लेकिन आज मुझे कहते हुए दुख होता है कि उन्होंने भी कांग्रेस की उसी पुरानी लीक पर चलने का काम उन्होंने किया है और विकास के कामों में राजनीति लाये 1982 में रेवेन्यू बोर्ड के अध्यक्षता में जो कमेटी नये जिलों के परिसीमन के लिए बनायी थी उसने प्रदेश में 6 नये जिले बनाने की सिफारिश की थी। लेकिन इस राजस्थान के बजट के अन्दर मुख्यमंत्री की ओर से केवल उन तीन जिलों को जिले बनाने की घोषणा की है जहां से उनके दल के विधायक आते हैं। इसमें करौली, हनुमानगढ़, ब्यावर को भी नये जिले बनाने को प्रस्तावित किया था लेकिन वहां से निर्दलीय और विपक्ष के विधायक हैं इसलिये विकास के कामों में राजनीति का काम मुख्य मंत्रीजी ने किया है। लेकिन फिर भी मैं उन से यह कहना चाहूंगा कि शायद वह इस बात पर पुनर्विचार करें और थोड़ा सोचें कि जो पांच नये महाविद्यालय इस प्रदेश में खोलने की घोषणा है। झुंझुनू जिला जो ऐसा जिला है जिसमें कोई गवर्नमेण्ट कालेज नहीं है। न सिर्फ झुंझुनू शहर में बल्कि पूरे जिले में कोई राजकीय महा विद्यालय नहीं है। मैं यह विश्वास करके चलता हूं और मुझे उम्मीद है, शायद मुख्य मंत्रीजी इसमें कोई राजनैतिक पक्षपात नहीं करेंगे और एक महाविद्यालय झुंझुनू में खोलने का काम अवश्य करेंगे।

चिकित्सा का जहां तक सवाल है, चिकित्सा में जो स्वास्थ्य केन्द्र खोलने की घोषणा की है। मैं आशा करता था, मैंने पिछले बजट पर भी मांग की थी चिकित्सा मंत्रीजी यहां नहीं हैं लेकिन आयुर्वेद मंत्री यहां हैं। काश उन्होंने इस बजट के अन्दर यूनानी जो एक पुरानी भारतीय सभ्यता और संस्कृति की पद्धति है, उसके प्रति यदि जरा सा भी सम्मान किया होता और यूनानी का पृथक निदेशालय और विभाग खोलने की घोषणा की होती तो मैं समझता था कि राजस्थान के लिए एक अच्छा काम होता।

माननीय सभापति महोदय, पेयजल का सवाल है, मैं निवेदन करना चाहूँगा कि कांग्रेस राज में मेरे निर्वाचन क्षेत्र की बात करता हूं कि 30 ओवर हैड टैंक बनाये, पैसा बरबाद कर दिया। इन ओवर हैड टैंक पर या तो काश्तकार छाने थाप रहा है या घास चारा जमा करके काम में ले रहे हैं। उसमें पानी आज तक नहीं कुदाया गया न उसमें पेयजल सुलभ कराया गया। मैं मुख्यमंत्री और जलदाय मंत्रीजी से कहना चाहूँगा कि इन बिगड़े हुए कामों को आप सुधारिए गर्मी का मौसम आने

(श्री मोहम्मद माहिर आजाद)

वाला है। आप लोगों को पेयजल सुलभ कराइये।

माननीय सभापति महोदय, जहां तक औद्योगिक विकास का सवाल है मैं माननीय उद्योग मंत्रीजी को आपके माध्यम से कहना चाहूँगा...

(समय-समाप्ति-सूचक-घण्टी)

मैं सुझाव दे रहा हूं। दो चार मिनट और चाहूँगा। आपके माध्यम से यह सुझाव देना चाहूँगा कि उद्योग दो तरीके से लगाये जाते हैं एक पूंजी आधारित और एक श्रम आधारित। राजस्थान में भारी संख्या में लोग बेरोजगार हैं। यहां मगर पूंजी पर आधारित उद्योगों के बजाय श्रम आधारित उद्योग लगाकर अगर आप औद्योगीकरण करेंगे तो मैं समझता हूं कि, एक हद तक बेरोजगारी की समस्या का भी समाधान होगा।

जो हस्त शिल्प बोर्ड के गठन की घोषणा की है मैं उसका भी स्वागत करता हूँ।

चुंगीकर के मामले में मैं स्वायत्त शासन मंत्रीजी को आपके माध्यम से एक सुझाव देना चाहूँगा कि नगरपालिका, नगर परिषद आजकल धन की कमी के चक्कर में वहां कर्मचारियों को तनख्वाह ही नहीं दे पाते हैं। विकास के काम तो बहुत दूर हैं। अगर यह मनोरंजन कर सीधा नगर परिषद को वसूल करने का प्रावधान करते तो नगरपालिकाओं की आर्थिक स्थिति तो सुधरती ही और वह अपने नगर पालिका नगर परिषद क्षेत्र में विकास के कुछ काम कर पायेंगे।

जहां तक राजस्थान के इस बजट में जो सबसे बड़ी कमी मुझे अखरी है। माननीय रमजान खां जी अपना भाषण देते समय बहुत जोर शोर से कह रहे थे। यह सही है और मैं भी बड़े फक्र के साथ यह बात कहना चाहता हूँ कि जब 1977 में भैरोंसिंह जी राजस्थान के मुख्यमंत्री थे उस समय नागौर जिले के रोल गांव के अलावा कहीं भी छोटी मोटी कोई साम्प्रदायिक घटना नहीं हुई थी। लेकिन आज उनके राज में इतने साम्प्रदायिक दंगे हुए। जयपुर में हुआ जोधपुर में हुआ खुद इनके शहर जहां यह रहते है ब्यावर शहर में हुआ। शायद जैसे यह भाषण दे रहे थे तो इन्होंने दूर की नजर का चश्मा लगा रखा था इससे उनको बीगोद, बांसवाड़ा और डूंगरपुर तो दिखायी दिया लेकिन जयपुर और ब्यावर का नाम इनको याद नहीं आया। यहां किस तरीके से बेकसूर लोगों को मारा गया, औरतें विधवा हुई, बच्चों को मारा गया और आज तक उनको मुआवजा तक नहीं मिला है। काफी लोग ऐसे हैं जिनके कैस सी. आई. डी. में पड़े हैं और उनकी हड्डी और राख की जांच नहीं हो रही है और उनको आज दिन तक तक किसी तरह का मुआवजा नहीं मिला है।

माननीय रमजान खां जी हज यात्रा पर राजस्थान से जाने वाले यात्रियों का कोटा बढ़ाने वाली बात कर रहे थे। कोटा आप फिक्स नहीं करते है कोटा केन्द्रीय

(श्री मोहम्मद माहिर आजाद)

सरकार फिक्स करती है। राजस्थान से इस बार इसलिये हज यात्रा पर ज्यादा लोग गये क्योंकि उत्तर प्रदेश में दंगा होने के कारण उत्तरप्रदेश के लोगों ने हज पर जाने से मना कर दिया था इसलिए उत्तर प्रदेश का कोटा राजस्थान और दूसरे प्रदेशों को आवंटित किया उसके अनुसार आपने भेजने का काम किया है...(व्यवधान) आपकी इस बात की मैं ताइद करता हूँ। यह सही है कि मुख्य मंत्रीजी ने अपने पिछले कार्य काल में टोंक में अरबी फारसी का शोध संस्थान खोला था और अजमेर में ख्वाजा साहब की दरगाह के लिए रेस्ट हाऊस बनाया था, जयपुर में जामा मजिस्द बनाने की इजाजत भी भैरोंसिह शेखावत जी के कार्यकाल में मिली थी। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप वक्फ मंत्री हैं, आज राजस्थान में 2.62 करोड़ रूपये की वक्फ की जायदाद है, पर उस वक्फ बोर्ड की हालत यह है कि कर्मचारियों को दो-दो महिने से तनखवाह नही मिली है। काश अच्छा होता यदि आप अपने भाषण में यह भी कहते कि मुख्य मंत्री जी आपने अपने भाषण में अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिये चीफ मिनिस्टर साहब को सेक्युलर बनाने की बात कह रहे थे। मैं भी आपसे इत्तफाक करता हूं, लेकिन इस साल पूरे बजट के अन्दर कहीं भी अल्पसंख्यकों का नाम नहीं लिया। अल्पसंख्यकों का जीवन स्तर उन्नत करने के लिये, अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए कोई घोषणा इसमें नहीं की गई है। न ही वक्फ बोर्ड, जिस की माली हालत खराब है, जिसकी आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर है, उस वक्फ बोर्ड के लिए कुछ कहा गया। कर्नाटक के अन्दर हमारे राम कृष्ण हेगड़े की सरकार थी, उन्होंने सालाना एक करोड़ रुपये का अनुदान वक्फ बोर्ड को दिया है। आंध्र प्रदेश में वहां की सरकार ने वक्फ बोर्ड को 25 लाख रुपये साल का अनुदान देती है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ राजस्थान की सरकार वक्फ बोर्ड को क्या अनुदान देती है इसके बारे में भी काश आप बोले होते।

माननीय सभापति महोदय, सरकार के आय के श्रोतों के सम्बन्ध में कुछ सुझाव देना चाहूंगा, भाषण नहीं। पहला मेरा सुझाव है कि आरामदेय चीजों पर उपभोग कर लगाया जाये। मोटर कार, जो पांच वर्ष से कम माडल की हो, उस पर दो हजार रुपया साल का कर लगे, और जो पांच वर्ष से ज्यादा पुरानी हो, उस पर एक हजार रुपया सालाना का कर लगाया जाय। स्कूटर, मोटर साइकिल और आधे हार्स पावर से ज्यादा जो वाहन है, उन पर 700 रुपये साल का कर लगायें। रेफ्रिजरेटर का जो लोग उपयोग करते है उन पर 500 रुपये साल का कर लगायें, एयरकन्डीशनर का जो लोग इस्तेमाल करते हैं उन पर एक हजार रुपये प्रति टन का कर लगाया जाय। वी. सी. आर और वी. सी. पी जो लोग अपने यहां रखते हैं, उन पर 500 रुपये साल का कर लगाइये और जो कलर टी. व रखते हैं, उन पर 250 रुपये साल का कर लगायें। मशीन द्वारा निर्मित वह वस्त्र, जो 30 रुपये प्रति मीटर से ज्यादा कीमत का हो, उस पर दो प्रतिशत अतिरिक्त कर लगायें, तो मैं समझता हूँ कि इनसे 150 करोड़ रुपये की

(श्री मोहम्मद माहिर आजाद)

आय राजस्थान सरकार को प्रति वर्ष प्राप्त होगी।

दुसरा मेरा सुझाव है कि निर्यात और खाद्यान्न को छोड़कर, सभी सबसिडियां बन्द कर देनी चाहिये।

तीसरा मेरा सुझाव है कि शासकीय खर्च में कमी की जानी चाहिये। जितने भी शासकीय, अर्द्ध शासकीय, स्व शासकीय अशासकीय विभाग और संस्थान हैं और वहां जो निजी उपयोग के लिये वाहन लेते हैं, उन लोगों के लिये इस सुविधा को बन्द कर दिया जाय। उनके निवास स्थान पर टेलीफोन की सुविधा भी बन्द कर देनी चाहिये, हालांकि इससे चिकित्सक, मंत्री, सचिव और जिला अधिकारियों को अपवाद में रखा जाना चाहिये।

जो आपके अधिकारी और कर्मचारी ऐसे हैं जिनको दो हजार रुपये महीने से ज्यादा हाऊस रेन्ट मिलता है, उनसे किराया 12.5 प्रतिशत के हिसाब से लेना चाहिये।

चौथा मेरा सुझाव है कि किसी व्यक्ति को चाहे वह शासकीय सेवा के अन्दर हो या निजी सर्विस में हो, उसको आठ हजार रुपये मासिक से अधिक वेतन नहीं दिया जाना चाहिये।

मेरा पांचवा सुझाव, माननीय सभापति महोदय, यह है कि काले धन के निर्माण को रोकने के लिए आय बढ़ाने बाबत, जो फर्जी किसान बन गये या बागवान बन गये, उन पर भी आयकर लगना चाहिये।

माननीय सभापति महोदय, काफी लोग ऐसे हैं जो दूसरे श्रोतों से आय करते हैं लेकिन अपने एक आदमी की कृषि से आय दिखाकर लाखों रुपयों की कर चोरी करते हैं। किसान नेता श्री शरद जोशी और अन्य नेताओं ने भी इस तरह का सुझाव दिया है।

मेरा छट्ठा सुझाव है खर्च कर लगाने के लिये, जो व्यक्ति आयकर कम चुकाता है और सामान्यतया धन उत्पत्ति और खर्चा ज्यादा बताता है, नौकर पर खर्चा बता देंगे, पैट्रोल पर खर्चा बता देंगे, मनोरंजन पर खर्चा बता देंगे, यात्रा पर खर्चा बता देंगे, इस सम्बन्ध में मेरा सुझाव है कि उनका ग्रास प्राफिट तो ज्यादा होता है लेकिन खर्च बताकर नेट प्राफिट कम शो करते हैं, और इससे सरकार को कम आय प्राप्त होती है। इस सम्बन्ध में मेरा सुझाव है कि जो व्यक्ति 25 हजार रुपये साल से अधिक खर्चा करता है, उस पर एक प्रतिशत और जो लोग एक लाख रुपये प्रति वर्ष से अधिक खर्चा करें, उन पर पांच प्रतिशत खर्च कर लगाना चाहिये। माननीय मुख्य मंत्री महोदय इस तरीके से अगर करेंगे और उसके अलावा सम्पत्ति कर जो एक करोड़ से अधिक सम्पत्ति रखते हैं, उस पर 30 प्रतिशत एस्टेट ड्यूटी लगाने। एक वर्ष में प्रत्येक जिले में 50 व्यक्तियों के यहां छापा मारा जाना चाहिये और वह छापा किसके मारे ?

(श्री मोहम्मद माहिर आजाद)

राजनेताओं के, प्राशसनिक अधिकारियों के और व्यापारियों के।

स्वर्ण आभूषण रखने की भी एक लिमिट बना देनी चाहिये कि कोई भी व्यक्ति 100 ग्राम से अधिक सीमा तक स्वर्ण आभूषण नहीं रखे। ऐसी लिमिट बना देंगे तो बाकी आभूषण को वे बैंक लॉकर में रखेंगे। बैंक डिपोजिट बढ़ेगी। उससे सरकार को बैंक लाकर में होने के कारण आय मालूम होगी।

इसके अतिरिक्त ट्रक, कार और मशीनरी पर जो डेप्रिशियेशन शुल्क लगाया जाता है, उसकी भी रेट को, डेप्रिशियेशन की रेट को कम किया जाना चाहिये।

मेरा एक अन्य सुझाव है कि कम्प्यूटर की खरीद छूट कतई नहीं दी जानी चाहिये।

मेरा आखिरी सुझाव काले धन को बाहर निकालने के बाबत है।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से राजस्थान सरकार को सुझाव देना चाहूँगा कि देश के दूसरे राज्यों की तरह ही राजस्थान में भी काफी मात्रा में काला धन लोगों के पास जमा है। उनको निकालने के लिये एक साल की अवधि का समय देकर बैंक में काला धन जमा कराया जाना चाहिये। ऐसा धन 5 वर्ष के लिये जमा किया जाय। ऐसे धन पर सरकार 3 या 5 प्रतिशत ब्याज दें और अगर उस व्यक्ति को जमा करने वाले को, जमाकर्ता को खुद अगर दुबारा आवश्यकता हो तो वर्तमान बैंक की ब्याज दर से उसको उसमें से लोन भी दिया जाना चाहिये। अगर ऐसा करेंगे तो काला धन बाहर निकलेगा और इससे खनिज विकास, आवास की समस्या पैट्रोल निकालने और दूसरे प्रदेश के हमारे जो काम है, उन सारों के सम्बन्ध में हम बात करना चाहेंगे।

श्री सभापति : कृपया समाप्त करें।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : मैं आपके माध्यम से सुझाव तो और भी देना चाहता था, लेकिन समय सीमा को समझता हूँ। आपने मुझे बोलने का समय दिया, उसके लिये धन्यवाद देते हुए मैं एक ही बात कहना चाहूँगा कि जो कुछ थोड़ी बहुत घोषणा लोगों की भलाई की इसमें की है, घोषणा करना तो आसान होता है, कहना बड़ा आसान होता है, कायदे-कानून बनाना आसान होता है लेकिन उसकी क्रियान्विति मुश्किल होती है। मैं यह कहना चाहूँगा कि मस्जिद तो बना दी पल भर में इमारत की हरारत वालों ने, और मन जो पुराना पापी था वर्षों में नमाजी हो न सका धन्यवाद। जय हिन्द।

श्री सभापति : श्री राजेन्द्र सिंह गहलोत।

श्री राजेन्द्र गहलोत (सरदारपुरा) : माननीय सभापतिजी, माननीय मुख्य मंत्री जी ने 6 मार्च को जो बजट प्रस्तुत किया है, वह राजस्थान के विकास के लिए, राजस्थान के हर वर्ग के लिये राजस्थान

(श्री राजेन्द्र गहलोत)

के इतिहास में समूचे राजस्थान के गांव और शहरी नागरिकों के विकास के लिये लम्बे समय की जन आकांक्षाओं का प्रतीक है। माननीय सभापति जी, पहली बार ऐसा बजट आया है जिसमें मुख्यमंत्री जी ने गत वर्ष बजट रखते हुए ग्रामीण विकास के लिए जो वायदे किये थे, जो घोषणा की थी कि वह बजट का 60 प्रतिशत खर्च करने की जो घोषणा की थी, उसमें 2 प्रतिशत की बढ़ोतरी कर 62 प्रतिशत बजट ग्रामीण जनता के लिये खर्च किया जायेगा।

राजस्थान में लम्बे समय से जिलों की मांग को लेकर आन्दोलन चलते रहे हैं और सम्भागीय क्षेत्र का सन्तुलन बनाने के लिये कोटा की जनता, हाड़ौती की जनता की यह मांग रही हैं और जोधपुर के अन्दर महिला पोलीटेक्निक कॉलेज खोलने की लम्बे समय से मांग चल रही थी। इन मांगों को पहली बार मुख्य मंत्रीजी ने पूरा किया और वह खोलने की जो घोषणा की है, नये जिलों के निर्माण की जो घोषणा की है, इसका मैं स्वागत करता हूं।

बजट के अन्दर कलाकार, चित्रकार और दस्तकार और जो हाथ से कार्य करने वाले मजदूर-श्रमिक हैं, उनको प्रोत्साहन देने के लिये उन्होंने जो शिल्पकार बोर्ड की जो घोषणा की है, वह आज राजस्थान में पहली बार जो वर्ग हाथ से काम करता था, उसकी ओर किसी का ध्यान नहीं गया। पहली बार मुख्यमंत्री भैरोंसिहजी शेखावत का ध्यान गया, उनको संरक्षण देने के लिए उन्होंने जो टैक्सों में छूट दी है, उसका मैं स्वागत करता हूँ। मेरे जोधपुर में पश्चिमी राजस्थान के अन्दर जोधपुर लिफ्ट केनाल, जो लम्बे समय से एक विवाद का विषय बनी हुई थी। 84 के अन्दर इस लिफ्ट केनाल का शिलान्यास किया गया और 84 से लेकर 89 तक यह लिफ्ट केनाल राजनीति का शिकार बनती रही, 6 वर्ष में मात्र 20 करोड़ रुपया खर्च हुआ और इस वर्ष माननीय मुख्यमंत्रीजी के निर्देश से 14 करोड़ रुपया खर्च हुआ और नहर के निर्माण में प्रगति हुई है। मैं मुख्य मंत्रीजी से यह निवेदन करना चाहूंगा कि पश्चिमी राजस्थान के लिए राजस्थान नहर और राजस्थान नहर से जो पेयजल योजना है, उसको तेज गति से चलाने का जो आपका संकल्प है, वह संकल्प पिछले 40 वर्षों में कांग्रेस राज के अन्दर पश्चिमी राजस्थान की जनता को प्यासा मारने का जो षडयंत्र था, उसका पर्दाफाश किया है। जोधपुर लिफ्ट केनाल का निर्माण तेज गति से किया जा रहा हैं, उसके लिए मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी को बधाई देना चाहता हूं। सभापतिजी, पश्चिमी राजस्थान एक ऐसा क्षेत्र है, जो पशुओं पर निर्भर है, जिसकी आर्थिक स्थिति पशुओं पर निर्भर है और पशुओं के चरागाह के लिए पशु विभाग की ओर से, राजस्थान सरकार की ओर से जो गौ पालक योजना चली है, उससे पश्चिमी राजस्थान के पशुपालकों को लाभ होगा। पश्चिमी राजस्थान आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए गाँवों को शहरों से सड़कों के माध्यम से जोड़ने के लिए इस वर्ष कितने कार्य किये गये हैं। चाहे जवाहर योजना के अन्तर्गत किये गये हों, चाहे सार्वजनिक निर्माण विभाग के द्वारा किया गया हो,

(श्री राजेन्द्र गहलोत)

इससे गांवों को, ढाणियों को जो शहरों से जोड़ने का जो कार्य हुआ है, वह सराहनीय है और इसी तरह से पश्चिमी राजस्थान में निर्माण के जो संकल्प राजस्थान में दिखाये गये हैं, उसका मैं स्वागत करता हूं। इस बजट के अन्दर बिक्री कर की बहुत सी छूट दी गई है। पश्चिमी राजस्थान में जोधपुर क्षेत्र के अन्दर स्टील रीकोलिंग का कार्य चलता है। तीन सौ के आस-पास स्टील रीकोलिंग की मिलें हैं और वहां से चद्दरें बनकर महाराष्ट्र और गुजरात में जाती है। मैं सुझाव के रूप में मुख्य मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूँगा कि स्टील की जो चद्दरें महाराष्ट्र और गुजरात जाती हैं और वहां से बर्तन बनकर राजस्थान में आते हैं, मैं यह निवेदन करना चाहूँगा कि रोजगार देने के लिए और बर्तनों के कारखानें भी पश्चिमी राजस्थान में लगें और यह जो स्टील की चद्दरें महाराष्ट्र और गुजरात में जाती हैं, क्योंकि वहां बर्तनों पर एक प्रतिशत टैक्स है और राजस्थान में आठ प्रतिशत टैक्स है, आपसे मैं निवेदन करना चाहूँगा कि स्टील और पीतल के बर्तन बनाने के लिए छूट दी जाये, उस पर एक प्रतिशत का टैक्स किया जाये, जिससे पश्चिमी राजस्थान में स्टील और पीतल के और भी अधिक कारखाने लग सकेंगे और मजदूरों को काम मिल सकेगा। मैं निवेदन करना चाहूँगा, मेरे साथी माननीय चम्पालालजी बांठिया ने पश्चिमी राजस्थान में टैक्सटाइल, कपड़ा उद्योग की चर्चा की है। कपड़ा उद्योग से आज जोधपुर, बालोतरा और पाली क्षेत्र के अन्दर हजारों मजदूरों को काम मिल रहा है और सरकार की विशेष योजनाएं इस क्षेत्र में लागू की जानी चाहिये। यह हमारा रेगिस्तानी क्षेत्र है, अभावग्रस्त क्षेत्र है। पिछले 40 वर्षों में लोगों को किसी तरह का रोजगार नहीं मिला, उसका किसी तरह का विकास नहीं किया जिससे रोजगार मिल सके। परन्तु पश्चिमी राजस्थान के रेगिस्तानी क्षेत्र को विशेष सुविधाएं दी जायें, जैसी कि माननीय मुख्यमंत्रीजी ने जनजाति क्षेत्र में दी है। उसी तरह की केन्द्र सरकार ने पर्वतीय क्षेत्र के जिलों को जो सुविधाएं दी हैं। पश्चिमी राजस्थान के रेगिस्तानी क्षेत्र को पिछड़ा घोषित किया जाये और उसके लिए मुख्य मंत्रीजी ने पहली बार केन्द्र सरकार से मांग की है, मैं उनकी मांग को बल देते हुए यह चाहूंगा कि सरकार और सदन भी इस बारे में चिन्ता करे और पश्चिमी राजस्थान के रेगिस्तानी क्षेत्र को पिछड़ा घोषित किया जाये, और विशेष दर्जा दिया जाये उद्योगों को और सुविधाएं दी जायें। राजस्थान नहर जो जैसलमेर और बाड़मेर तक जाने वाली है, उसका तीव्र गति से निर्माण हो सके, इसके लिए योजनायें बने। मैं आपसे यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि पश्चिमी राजस्थान का यह क्षेत्र ऐसा है, जिसकी पिछले कई वर्षों में विकास करने की दृष्टि से उपेक्षा की गई है। पिछली सरकार ने पश्चिमी राजस्थान में जिस तरह पक्षपातपूर्ण रवैये से कार्य किया है, वहीं इस सरकार ने आते ही निर्माण की घोषणायें की हैं। मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि चिकित्सा के क्षेत्र में जोधपुर के अन्दर जोधपुर मेडिकल कालेज है, मेडिकल कालेज के अन्तर्गत 2-3 अस्पताल आते हैं, जिला स्तर का कोई भी अस्पताल जोधपुर में नहीं है, मैं

(श्री राजेन्द्र गहलोत)

चिकित्सा मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि मेडिकल कालेज से अलग जिला स्तर का अस्पताल बनाये जायें जिससे जोधपुर में मेडिकल कालेज के अलावा भी लोगों को चिकित्सा सुविधा मिल सके। पश्चिमी राजस्थान का लम्बा क्षेत्र है और लम्बा क्षेत्र होने के कारण जैसा माननीय चम्पा लालजी ने यह मांग की थी कि उस क्षेत्र को एक अलग जिला बनाया जाये। बालोतरा को अलग जिला बनाने की मांग का मैं समर्थन करता हूं और इस क्षेत्र के विकास के लिए भी यह जरूरी है कि वह अलग जिला बने। जोधपुर, बालोतरा और पाली में जो प्रदूषण की समस्या है, जल प्रदूषण के कारण किसानों की जमीन खराब हो चुकी है, उसके लिए उनको मुआवजा मिलना चाहिए। चाहें उनको गांव में मुआवजा दें, या राजस्थान नहर पर जमीन दें। राजस्थान नहर और जोधपुर लिफ्ट कैनाल के अन्तर्गत जिन किसानों की जमीन आई हुई है, खेत की जमीन आई हुई है, उनको भी मुआवजा दिया जाये। इसके लिए मुख्य मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि इन किसानों को मुआवजा देने के लिए तुरन्त घोषणा करें। राजस्थान नहर और जोधपुर लिफ्ट कैनाल का कार्य तेज गति से हो सके, इसके लिए सरकार ने जो तत्परता दिखाई है उसके लिए मैं आभार प्रकट करता हूँ। धन्यवाद।

श्री सभापति : धन्यवाद। श्री घासी लाल चोपड़ा।

श्री घासीलाल चोपड़ा (टोडारायसिंह) : माननीय सभापति महोदय, वर्ष 1991 का बजट माननीय मुख्य मंत्रीजी ने पेश किया, जो कि वित्त मंत्री भी हैं, जो पेश किया वह चुनावी बजट है। आपने अपने बजट में बताया कि बजट में भी 62 प्रतिशत पैसा ग्रामीण क्षेत्रों में खर्च किया गया। मैं आपसे अर्ज करता हूँ कि ऐसी कौनसी मद है, जिसमें 62 प्रतिशत गांवों के लिए खर्च किया गया है। वर्तमान बजट में भी आपने बताया है कि हम ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 62 प्रतिशत खर्च करने जा रहे हैं। मैं कुछ बातों पर प्रकाश डालना चाहता हूँ। आप पेयजल को ले लीजिए, हमारे प्रदेश की 20 प्रतिशत आबादी शहरों और 80 प्रतिशत गांवों में निवास करती है। कुल 93 करोड़ 95 लाख का बजट है, जिसमें से 47.95 करोड़ रुपया उन्होंने 20 प्रतिशत आबादी को दिया है और 46 करोड़ उन्होंने 80 प्रतिशत आबादी के लिए दिया है, यह आपकी संवेदनशील, ग्रामीणों के प्रति, किसानों के प्रति आस्था का परिचायक है। इसी तरह से आप शिक्षा क्षेत्र को लीजिए, पिछली सरकार ने जहां 5 हजार 900 स्कूलें खोले थे, उनको साल भर बन्द करके यह बहाना बनाया गया कि हम शिक्षा को सुदृढ़ बनायेंगे उनके विरुद्ध उन्होंने हजार नयी प्राथमिक शालाएं खोली हैं। जो इतने बड़े प्रदेश में शून्य के बराबर हैं। अब आप चिकित्सा को लीजिए चिकित्सा क्षेत्र में ग्रामीण क्षेत्र के अन्दर कोई कार्य नहीं हुआ। कोई नये पी. एच. सी. सेण्टर नहीं खोले, कोई नयी डिसपेन्सरीज नहीं खोली गई और जो भी पिछले सालों में खोले गये थे, उनमें डाक्टरों और नर्सों की कमी चल रही है। शिक्षा के क्षेत्र में मैं माननीय शिक्षा मंत्रीजी से कहना चाहता हूँ कि हम कई बार निवेदन कर

(श्री घासीलाल चोपड़ा)

चुके हैं कि हमारे यहां सीनियर हायर सैकेण्डरी स्कूल, सैकेण्डरी स्कूल नहीं है और जो भी हैं उनमें अध्यापकों की कमी है। अभी पांच रोज पहले जब मैंने आपसे निवेदन किया था तो आपने फरमाया था कि हमने स्टाफ भेज दिया है। अब वह पांच रोज में चला गया हो तो बात दूसरी है। मार्च का महीना है, अप्रेल में बोर्ड के एग्जाम होंगे, क्या बच्चे पास होंगे, बच्चों का क्या भविष्य है और ग्रामीण क्षेत्रों की बड़ी दुर्दशा है। अब सड़कों को लीजिए, गत वर्ष मेरी कांस्टीट्येन्सी में, मेरे जिले में एक किलोमीटर से ज्यादा डामर रोड नहीं बनाई गई, मात्र इसमें जी. आर. आई. के तहत जो 533 किलोमीटर की सड़कें राजस्थान में दी हैं, वह कच्ची सड़कें हैं। उससे सिर्फ रास्ते सुधरे हैं, न कि डामर रोड बनाई गई है, ग्रामीण क्षेत्रों में और न ही रास्ते सुधारे गये हैं। जो भी ग्रामीण जी. आर. आई. के तहत एक किलोमीटर की भी डामर रोड नहीं बनी है।

श्री सभापति : कृपया शांत रहें।... (व्यवधान)...मैं आपसे बात नहीं कर रहा, मुख्य मंत्रीजी जवाब दे देंगे। कृपया व्यवधान नहीं डालें। जारी रखें, जारी रखें।

(6.30 सायं)

श्री घासीलाल चोपड़ा : आपके माध्यम से, माननीय सभापति जी, राजस्थान के मुख्य मंत्री, जो वित्त मंत्री भी हैं, का ध्यान ग्रामीण क्षेत्रों की तरफ आकर्षित करता हूं। उन्होंने स्वरोजगार योजना और शिक्षित बेरोजगार योजना और शिक्षित बेरोजगार योजना के बारे में बताया है। ग्रामीण क्षेत्र में बैंक अब तक 20 प्रतिशत लोगों को स्वरोजगार योजना प्रशिक्षित बेरोजगार योजना के तहत लोन नहीं दे पायी हैं, जबकि शहरी क्षेत्रों के अन्दर 80 प्रतिशत देती हैं। अब तक जितनी फाइलें बैंकों में जाती है, बैंक उन ग्रामीण बच्चों को शिक्षित बेरोजगार योजना के अन्दर 20 प्रतिशत लोन नहीं दे पाती हैं और 80 प्रतिशत सलेक्शन शहरी क्षेत्र वालों का, जबकि 80 प्रतिशत आबादी गांवों में रहती है और 20 प्रतिशत शहरों में।

आपने फरमाया कि बीसलपुर परियोजना की नहरों का काम चालू है। + + + मैं उस कांस्टीट्युएंसी का रहने वाला हूँ जहां यह प्रोजेक्ट बन रहा है। वहां कैनाल बोर्ड जरूर बना हुआ है, नहरों का सर्वे जरूर हो चुका लेकिन कैनाल बनाने के नाम से एक इंच कैनाल नहीं बनायी गयी है। मुख्य मंत्रीजी ने अपने इस बजट भाषण में दिखाया गया है कि नहरों का कार्य चालू है। अब आप समझ लीजिए कि ऐसी छोटी-छोटी बातों के लिए वे असत्य बोल सकते हैं और यह कहते है कि 62 प्रतिशत हम ग्रामीण क्षेत्रों को देते है। आप बजट पढ़ लीजिए, इसमें कौनसी मद है जिसमें 62 प्रतिशत दिया ?

+ + + अभि०वियत माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

(श्री घासीलाल चौपड़ा)

मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि मुख्य मंत्री जी और वर्तमान सरकार गांवों के प्रति उदासीन है। यह सोचती है कि गांवों में इन्सान नहीं रहते गांवों में पशु रहते हैं। इनका सोच यह है। पेयजल के लिए आज गांवों में यह समस्या है कि सारे हैण्ड पम्प खराब पड़े हैं। गत अधिवेशन में कहा गया था कि फलां महीने तक, जून तक ठीक करा देंगे, लेकिन हैण्ड पम्पों की हालत खराब है। गांवों में पाइप लाइन नहीं है। मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्रीजी और सिंचाई मंत्रीजी को एक सुझाव देना चाहता हूँ। मेरे क्षेत्र में बीसलपुर प्रोजेक्ट बन रहा है। इससे अजमेर, किशनगढ़ और ब्यावर को पानी दिया जा रहा है। जो लाइन जा रही है उससे देवली और टोडा-रायसिंह के ग्रामीण क्षेत्रों को भी पेयजल उपलब्ध कराया जाय। हम तो यही सुन रहे हैं कि यह सरकार पेयजल का यह प्रोजेक्ट पी. एच. ई. डी. को दे रही है सिंचाई के लिए। अगर सिंचाई विभाग को देती है तो मैं आपसे निवेदन करता हूं कि कोटा, बूंदी और देवली को, जहां यह प्रोजेक्ट बन रहा है, जहां के 80 प्रतिशत गांव डूब में आयेंगे, प्रायोरिटी के आधार पर पहले सिंचाई के लिए पानी दिया जाना चाहिए। अगर आपने कन्वर्ट कर दिया इस प्रोजेक्ट को पी. एच. ई. डी. में तो मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि वहां की जनता आन्दोलन करेगी, बहुत बड़ा आन्दोलन करके हो सकता है कि आपकी योजनाओं को ठप्प कर दे। मैं यह चेतावनी तो नहीं आग्रह के रूप में आपसे निवेदन करता हूं कि कम से कम उस क्षेत्र के लोगों को, जहां की भूमि डूब में आ रही है, जो पीड़ित है, पहले फायदा दीजिए। ग्रामीण क्षेत्रों के लिए जो इन्होंने अभाव रखा है इस बजट में, उसकी व्यक्तिगत तौर से निन्दा करते हुए आपसे निवेदन करता हूँ कि 62 प्रतिशत जो आपने दर्शाया हैं उसमें से हमें 5 प्रतिशत भी नजर नहीं आया। मैं आपसे यह निवेदन करता हूं कि गांवों का ज्यादा से ज्यादा ध्यान रखा जाय। जय हिन्द।

श्री सभापति : श्री हेमराज मीणा।

श्री हेमराज मीणा (किशनगंज) : माननीय सभापति महोदय, माननीय मुख्य मंत्रीजी ने जो बजट पेश किया है वह वास्तव में राजस्थान का चहुंमुखी विकास करने वाला बजट है। बजट के अन्दर जहां कर्मचारियों, मजदूरों, किसान, विद्यार्थी और बेरोजगारों का ध्यान रखा गया है वहीं अनुसुचित जनजाति और अनुसूचित जाति का भी विशेष ध्यान रखा गया है। मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी को इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने अनुसूचित जनजाति के गरीब आदिवासियों का बजट में विशेष रूप से ध्यान रखा है।

जहां तक प्रशासनिक व्यय में कटौती करने की बात हैं, मुख्य मंत्रीजी ने 30 करोड़ का लक्ष्य रखा है उस लक्ष्य को पूरा कर 34 करोड़ की प्रशासनिक व्यय में कटौती कर एक आशातीत सफलता प्राप्त की है। इसके लिए भी मैं उनको हार्दिक बधाई देता हूँ।

Page No. 214

(214)

(श्री हेमराज मीणा)

सिंचाई की दृष्टि से पिछले बजट से 132 करोड़ रुपये का प्रावधान था, उसको इन्होंने 232 करोड़ से ऊपर कर दिया। यह बात निश्चित है कि सिंचाई के कामों में वृद्धि होगी उससे गरीब गांव के किसान का उत्थान होगा। मैं माननीय सिंचाई मंत्री की एक बात के लिए प्रशंसा करना चाहूंगा। मेरे क्षेत्र में एक सिंचाई परियोजना 13 वर्ष से पड़ी थी। कांग्रेस के प्रधान, कांग्रेस के सारे कार्यकर्ता सात गांवों को बढ़ाने के लिए प्रोजेक्ट को रेज कराने के लिए प्रयास करते रहे परन्तु उनको सफलता नहीं मिल पायी। छः महीने में सिंचाई मंत्रीजी ने सात गांवों में कैनाल बढ़ाने की स्वीकृति देकर एक आशातीत सफलता दी है। इस कैनाल के बढ़ने से 30 हजार बीघा जमीन सिंचित होगी और एक करोड़ का राज्य सरकार का व्यय होगा। यह सरकार गांव और गरीब की सोचने वाली सरकार है, गांव का विकास करना चाहती है।

शिक्षा की दृष्टि से एक हजार प्राथमिक विद्यालय खोलने का निर्णय राज्य सरकार ने किया। प्राथमिक विद्यालय के साथ-साथ माध्यमिक विद्यालयों को क्रमोन्नत करने और सीनियर हायर सैकण्डरी स्कूल खोलने की भी बात है। शिक्षा मंत्री जी को बधाई देना चाहूंगा कि उन्होंने स्थानान्तरण नीति बनाकर राज्य सरकार के होने वाले व्यय में कमी की है। मैं एक सुझाव देना चाहूंगा कि पूरे राजस्थान में स्कूलों में जितनी जगहें खाली पड़ी हैं उनको जल्दी भरने का प्रयास किया जाना अपेक्षित है।

कृषि की दृष्टि से बारानी जमीन के विकास के लिए 15 करोड़ का बजट प्रावधान पूर्व में किया गया था। परन्तु वर्तमान बजट में 50 करोड़ की राशि असिंचित किसानों के लिए भूरक्षण द्वारा जमीन सुधार के लिए रखी गयी है। मैं समझता हूँ कि इससे भी किसानों को बहुत फायदा होगा। छोटी-छोटी जो मण्डियां हैं उनमें इनकम नहीं होती। इस कारण उस मण्डी क्षेत्र का विकास अवरुद्ध रह जाता है। इस हेतु एक मण्डी कोष स्थापित किया है। इस मण्डी कोष द्वारा छोटे-छोटे गाँवों का विकास हो सकेगा। यह जो सरकार ने निर्णय लिया है यह भी विकास की ओर कदम बढ़ाने वाला निर्णय हैं। पिछले बजट में माननीय वित्त मंत्रीजी ने कर्जा माफी की घोषणा की थी। घोषणा 170 करोड़ की थी परन्तु 200 करोड़ से ऊपर के कर्जे इण्होंने माफ किये हैं, पुराने कर्जे माफ किये हैं। इस बजट के अन्दर खालों और कैंचमैण्ट के कर्जे माफ करने की घोषणा माननीय मुख्य मंत्रीजी ने की है। यह स्वागत योग्य है, गरीब किसान जो कर्जे से दबा हुआ था उसको लाभ देने वाली है, उसके विकास की ओर बढ़ा हुआ एक कदम है। बारानी भूमि के लिए घोषणा माननीय मुख्य मंत्रीजी ने जब वे पिछली बार ढाई साल मुख्य मंत्री रहे थे उस समय की थी। पिछले दस वर्षों में जो कांग्रेस सरकार रही उसने उस घोषणा को पूरा नहीं किया। इस बार माननीय मुख्य मंत्रीजी ने बारानी जमीन का लगान माफ

(श्री हेमराज मीणा)

किया है। इससे लाखों किसानों को फायदा होगा। मेरा क्षेत्र तो बहुत गरीब और आदिवासी क्षेत्र है, जहां हालत यह है कि लगान चुकाना भी बहुत मुश्किल होता है। इसका सर्वाधिक लाभ ग्रामीण क्षेत्र के काश्तकारों को मिल सकेगा।

ज्योंही सरकार बनी, पेयजल की दृष्टि से सरकार को जबर्दस्त प्रयास करना पड़ा। 1000 गांवों को पेयजल सुलभ कराने का निर्णय इस बार लिया गया। उसके साथ-साथ 50 मजरे और ढाणियों को भी पेयजल सुलभ कराया जायेगा। 1000 एस. सी. और एस. टी. की बस्तियों में भी पेयजल सुलभ कराया जायेगा। यह एक ठोस और कठिन निर्णय है। मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ी परीक्षा तो जन-स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्रीजी की थी जिन्होंने मंत्री बनते ही आशातीत सफलता प्राप्त की।

"अपना काम अपना गांव" कार्यक्रम की माननीय मुख्यमंत्रीजी ने घोषणा की। इसमें भी आशातीत सफलता प्राप्त हुई है। मेरा क्षेत्र आदिवासी क्षेत्र है जहां पर पैसे का बहुत अभाव है, 10 लाख रुपये एक विधान सभा क्षेत्र में देने का लक्ष्य रखा था, 10 लाख से ज्यादा के प्रस्ताव पहुंच चुके हैं। जहां पर पैसे की कमी है उन लोगों ने भी इस योजना का स्वागत किया है। क्योंकि गांवों का जो थोड़ा-थोड़ा विकास है, जिसको गांवों के लोग करना चाहते हैं जिसमें पंच सरपंच और अन्य लोग ध्यान नहीं देते हैं उन कामों को स्वयं गांव के लोग कर सकेंगे इससे सबसे बड़ा लाभ ग्रामीण क्षेत्रों को होगा।

बारां को जिला बनाना, बारां के साथ साथ राजस्थान में अन्य तीन जिले बनाये हैं, बारां को जिला बनने की हमारी बहुत पुरानी मांग थी, मुख्य मंत्री जी की भी घोषणा थी इसके लिये मैं उनका हृदय से अभिनन्दन और स्वागत करता हूँ कि उन्होंने बारां को जिला बनाकर बारां के विकास का मार्ग खोला जो 40 वर्ष से विकास अवरुद्ध था वह आज जिला बनने के कारण से उसके लिये अलग से बजट होगा, अलग से प्रशासनिक व्यवस्था होगी, अलग से विकास की योजनायें होंगी। उसके कारण पूरे बारां क्षेत्र का विकास होगा।

इसके साथ-साथ कोटा के अन्दर मेडिकल कालेज खोलने की घोषणा की केवल सम्भागीय दृष्टि से कोटा ही इससे बचा हुआ था जिसके अन्दर मेडिकल कालेज खोलकर फायदा भी दिया है और वर्षों पुरानी मांग जो माननीय चिकित्सा मंत्री जी की थी और वह भी इसकी घोषणा कर चुके थे उस घोषणा की पूर्ति हुई है। साथ ही चिकित्सा विभाग की दृष्टि से इस प्रकार की कई व्यवस्थायें उन्होंने इस बार की है। दो प्रकार की व्यवस्थायें उन्होंने की हैं जिला केन्द्रों पर नियन्त्रक अलग होगा और ग्रामीण क्षेत्रों का नियन्त्रक उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य निरीक्षक होगा उसके कारण से ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सा सुविधा बढ़ेगी। ग्रामीण क्षेत्रों में कोई डाक्टर, कोई ए. एन. एम. जाने के लिए तैयार नहीं है लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों के

(श्री हेमराज मीणा)

अन्दर जब डिप्टी सी. एम. एण्ड एच. ओ बैठेंगे तो निश्चित रूप से ग्रामीण क्षेत्र के अन्दर चिकित्सा सुविधाओं का लोग लाभ उठा सकेंगे। साथ ही चिकित्सा सुविधाओं का विस्तार होगा। इसके साथ-साथ 50 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने का भी निर्णय लिया गया है वह भी महत्वपूर्ण निर्णय है।...

श्री सभापति : कृपया समाप्त कीजिये।

श्री हेमराज मीणा : माननीय सभापति महोदय, मैं थोड़ा।

श्री सभापति : आपका समय समाप्त हो गया। कृपया समाप्त करें।

श्री हेमराज मीणा : साथ ही माननीय मुख्य मंत्रीजी ने अनुसूचित जाति और जन जाति के लोगों के लिए आशातीत घोषणायें की हैं और उन्होंने खास तौर से ऐसी जगह का भी ध्यान रखा है उसके लिए मैं उनका बहुत आभारी हूँ। अनुसूचित जन-जाति के लोग जो पढ़ाई करने में अक्षम हैं, पढ़ नहीं पाते हैं उनके लिए अम्बेडकर प्रशिक्षण संस्थान खोलने की योजना बनाई। अनुसूचित जन-जाति के लोगों के लिए एकलव्य प्रशिक्षण संस्थान खोलने की योजना, और जब लोग उसके अन्दर अध्ययन करेंगे प्रतियोगितायें देंगे।

श्री सभापति : कृपया समाप्त कीजिये।

श्री हेमराज मीणा : प्रतियोगिताओं के अन्दर सफलता प्राप्त कर आगे बढ़ेंगे। सभापति महोदय, थोड़ा समय और मैं चाहता हूं ताकि अनुसूचित जन-जाति की बात आ जाये।

श्री सभापति : समय नहीं है, समय का उपयोग करना चाहते हैं। पर समय की सीमा है।

श्री हेमराज मीणा : अनुसूचित जन-जाति का आरक्षण 12 प्रतिशत था। कांग्रेसी सरकार ने कभी नहीं सोचा कि उन शहरी आदिवासी बन्धुओं का क्या होगा जो बड़ी नौकरियों में वह जा नहीं सकते, लेकिन छोटी-छोटी में भी इस शिक्षा की दृष्टि से विस्तार हो उसके लिये प्रशिक्षण केन्द्र खोले और 4-5 नौकरियां ऐसी थीं जिनके अन्दर माननीय मुख्य मंत्रीजी ने 50 प्रतिशत आरक्षण किया। मैं समझता हूँ कि इससे बड़ा और आदिवासियों के कल्याण करने की बात और क्या हो सकती है?

साथ ही अनुसूचित जन-जाति के जो गांव हैं जहां पर 50 प्रतिशत से ज्यादा लोग रहते है उनके अन्दर बाल्मिकी योजना लागू की है। ऐसे राजस्थान में 100 गांव चुने जायेंगे जिनमें बाल्मिकी योजना लागू होगी।

श्री सभापति : कृपया समाप्त कीजिये।

श्री हेमराज मीणा : उन गांवों में पेयजल, सिंचाई, विद्युत, सड़क ये सब सुविधायें उपलब्ध करवाई जायेंगी।

श्री सभापति : मैं जानता हूँ कि आपके पास बहुत कुछ कहने को है। कृपया समाप्त कीजिये।

श्री हेमराज मीणा : साथ ही वन क्षेत्र में तेन्दू पत्ता की मजदूरी कम थी उसको 10 रुपये से बढ़ा कर उन्होंने 20 रुपये की है।

माननीय सभापति महोदय, पिछली बार किशनगढ़—शाहबाद के लिए 27 लाख रुपये का बजट प्रावधान था इस बार उसे बढ़ा कर उन्होंने 34 लाख रुपए का रखा है। बजट प्रावधान बढ़ाने से सहरिया क्षेत्र का विकास होगा।

माननीय सभापति महोदय, माननीय मुख्य मंत्रीजी को आपके माध्यम से यह सुझाव देना चाहूंगा कि किशनगढ़-शाहबाद सहरिया क्षेत्र है वहां पर भी साढ़े बारह प्रतिशत की जगह 50 प्रतिशत छोटी नौकरियों में आरक्षण किये जाने हेतु निवेदय करना चाहूंगा। केन्द्रीय सहायता जो कम प्राप्त होती है उस केन्द्रीय सहायता को किशनगढ़-शाहबाद की दृष्टि से बढ़ाया जाय। मैं समझता हूं कि माननीय मुख्य मंत्रीजी मेरी इस बात पर गौर करेंगे।

माननीय मुख्य मंत्रीजी ने जो बजट पेश किया है वह राजस्थान के चहुंमुखी विकास का, गांव के गरीब के कल्याण का बजट है। मैं इस बजट का हृदय से अभिनन्दन करता हूं, स्वागत करता हूं और इसका समर्थन करता हूं। धन्यवाद।

श्री सभापति : श्री मोहनलाल चौहान।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री ओमप्रकाश गुप्ता (सरकारी मुख्य सचेतक) : माननीय सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं सदन का समय एक घण्टा और बढ़ाया जाय।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि सदन का समय एक घण्टे और बढ़ा दिया जाय ?

(स्वीकृत)

सदन का समय एक घण्टे और बढ़ाया जाता है।

आय-व्ययक पर सामान्य वाद-विवाद

श्री मोहनलाल चौहान (परबतसर) : माननीय सभापति महोदय, सदन में वर्ष 1991-92 का बजट माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने 6 मार्च को पेश किया था। इस पर विचार जारी है। माननीय सदस्यों ने अनुसूचित जाति और जन-जाति के लोगों के प्रति काफी चिन्ता प्रगट की है जिसमें विशेषकर ट्रेजरी बैंचेज पर बैठने वाले माननीय सदस्यों ने अधिक चिन्ता व्यक्त की है। वह बजट केवल मात्र दिखावा और चुनावी बजट है। मैं यह बात दावे के साथ कह सकता हूं कि यह बजट वास्तविकता से परे जाकर पेश किया गया है। अनुसूचित जाति के छात्रावासों में वर्ष 1986 से प्रति छात्र 170 रुपये दिये जाते हैं परन्तु इतनी महंगाई बढ़ जाने के बाद भी सरकार ने कोई चिन्ता नहीं की है।

(श्री मोहनलाल चौहान)

170 रुपये से वह अनुसूचित जाति के छात्रों को क्या सुविधा उपलब्ध करवा पायेगी। उक्त सुविधा छात्रों के लिए बिलकुल अपर्याप्त है। मैं मांग करता हूं कि आज महंगाई को देखते हुए 250/- रुपये प्रति छात्र को सुविधा इन छात्रावासों में उपलब्ध करायी जानी चाहिए, जन-जाति के छात्रावासों में भी 200 रुपये 2-3 माह पूर्व प्रति छात्र किये गये हैं जन जाति के छात्रावासों में भी महंगाई को देखते हुए 250 रुपये किये जाने चाहिये। अनुसूचित जाति के छात्रावासों में स्टेशनरी के 40 और 60 रुपये दिये जाते हैं आज 40 और 60 रुपये से क्या तो किताबें खरीदेंगे और कुछ पायेगा। इस सम्बन्ध में सरकार ने कोई चिन्ता व्यक्त नहीं की है। छात्रवृत्तियों जो अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों को उपलब्ध करायी जा जा रही है वह भी नगण्य है। मैं यह मांग करता हूँ कि अनुसूचित जाति के छात्रों की छात्रवृत्ति में बढ़ोतरी की जानी चाहिये...

(6.50 सायं)

(श्री रघुवीरसिंह कौशल, सभापति पदासीन)

जन-जाति क्षेत्र के बारे में माननीय सदस्य बोल रहे थे कि 12 पर्सेण्ट की बजाय पचास पर्सेण्ट हमारा आरक्षण का कोटा कर दिया है थर्ड ग्रेड से लेकर फोर्थ क्लास तक के कर्मचारियों के लिए। मैं यहां सरकार में बैठने वाले माननीय सदस्यों से पूछना चाहता हूं पहली बात तो यह भर्ती पर प्रतिबन्ध लगा रखा है और पांच साल से कोई भर्ती नहीं हो रही है। भर्ती जब भी होती है तो वह कोटा पूरा नहीं होता है।

दूसरी बात यह है कि रिक्त स्थान ही नहीं हैं, वेकेन्सियां ही नहीं हैं तो कहां से भरेंगे? इसलिए यह केवल मात्र एक दिखावा है। मैं यह दावे के साथ कह सकता हूं कि यह पचास पर्सेंण्ट सिर्फ अनुसूचित जन-जाति के लोगों को गुमराह करने की बात है।

सभापति महोदय, विशिष्ट योजना में कई बातें की गई हैं कि 1.38 लाख लोगों को लाभान्वित किया जायेगा। अनुसूचित जाति 1.35 हजार को लाभान्वित किया जाएगा। यह लाभान्वित किस प्रकार किये जायेंगे। आप लाभान्वित करने के लिए आई. आर. डी. पी. से चयनित कर लेते हो। आपको यह पता है यूनिट कोस्ट क्या है। महज एक भैंस की कीमत 5-5, 6-6 हजार है इससे कम भैंस नहीं मिलती है और आपकी कास्ट है 3500 रुपये, 3500 रुपये में भैंस खरीदेंगे आप, नहीं, नहीं। दूसरे आपके ऊंट छबड़ा की जो यूनिट कास्ट है वह है 8 हजार रुपये। आठ हजार में एक ऊंट नहीं आएगा और पाड़ा छकड़ी 4200 रुपये में है वह सात-आठ हजार बिना पाड़ा छकड़ी नहीं आयेगी। आप कह रहे हो कि हम लाभान्वित करेंगे, कुछ नहीं है। मैं यह मांग करता हूँ कि आपको यूनिट कास्ट बढ़ानी पड़ेगी।

सभापति महोदय, ऋण राहत योजना चालू की थी। ऋण राहत योजना में उन

(श्री मोहनलाल चौहान)

लोगों को फायदा हुआ है जिन्होंने लाख-लाख रुपये, पचास-पचास हज़ार रुपये भूमि विकास बैंक से लोन लिये हैं उनके तो ऋण माफ किये गये हैं, लेकिन जो अनुसूचित जाति के लोग जो दस्तकारी का धन्धा करने वाले हैं जैसे कुम्हारी उद्योग, लुहारी उद्योग, बुनकर उद्योग ऐसे जो गरीब अनुसूचित जाति के जो कुटीर उद्योग चलाते हैं उन लोगों का लोन माफ नहीं किया गया है। आई. आर. डी. पी. में खादी ग्रामोद्योग संघ से पंचायत समिति के मार्फत ऋण दिया जाता हैं उन लोगों का ऋण माफ नहीं हुआ है। उद्योग विभाग से दो-दो, ढाई हजार, तीन हजार रुपये या पांच-पांच हजार तक जो ऋण दिया गया है आई. आर. डी. पी. से चयनित लोगों को आर. एस. सी. के मार्फत। उद्योग विभाग की तरफ से छोटे-छोटे ऋण पांच हजार से अधिक कोई ऋण उनका माफ नहीं हुआ है। और जिन लोगों ने पचास-पचास हजार, लाख-लाख रुपये भूमि विकास बैंक से ऋण लिया उन लोगों का ऋण माफ हुआ है। गरीबों का ऋण माफ नहीं हुआ है। कल ही मेरे प्रश्न के जवाब में माननीय सहकारिता मन्त्री जी ने बताया है कि हमारे वित्तीय साधनों के कारण हम ऋण माफ नहीं कर सकते। आप गरीबों की दुहाई दे रहे हो, और गरीबों का ऋण माफ नहीं कर सकते। अनुसूचित जाति जन-जाति के लोग जो कुटीर उद्योग चलाते हैं छोटे-छोटे उद्योग, 2-2, 3-3 हजार रुपया उनका आप माफ नहीं कर सकते। यह क्या ऋण राहत योजना है? सभापति महोदय, मैं आपके मार्फत सरकार से मांग करता हूं कि ऋण राहत योजना के अन्तर्गत जो कुटीर उद्योग चलाते हैं उन ग्रामीण लोगों का ऋण माफ करना चाहिये।

बारानी जमीन का लगान माफ करने की जो मुख्य मंत्री जी ने घोषणा की उसका तो मैं स्वागत करता हूँ। लेकिन यह बीगोड़ी की जो रसीद दी जाती है काश्तकार को उसके टाइटल के सम्बन्ध में आपकी कोई घोषणा नहीं है। बीगोड़ी हमेशा अदालत में एवीडेंस में रसीद जो दी जाती है वह एवीडेंस में मानी जाती है। उसके सम्बन्ध में मेरा यह सुझाव है कि गिरदावरी स्लिप जो दी जाती थी ऐसी गिरदावरी स्लिप जारी करनी चाहिएं ताकि काश्तकार का टाइटल साबित हो सके।

सभापति महोदय, विद्युत के सम्बन्ध में बड़ी-बड़ी बातें कही गई हैं और बड़ी चिन्ता की गई है कि हमनें यह कर दिया, यह कर दिया। सभापति महोदय, 31 मार्च, 1990 के पहले पूर्व सरकार के 22 हजार कनेक्शनों की राशि काश्तकारों की जमा थी, डिमाण्ड थी। वह डिमाण्ड राशि जमा होने के बावजूद भी मौजूदा सरकार ने काश्तकारों को कनेक्शन रिलीज नहीं किए हैं। और भी बाकी काफी पड़े हैं, पहले जो कर दिए हैं उससे भी ज्यादा, 31 मार्च, मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि 31.3.90 के कनेक्शन आज तक कनेक्शन रिलाज नहीं होना काश्तकार की दुर्दशा है, काश्तकार को ब्याज भोगना पड़ता है। जो त्वरित योजना चलाई है इस योजना में 50-50 रुपये हजार काश्तकारों से रकम ली गई है और काश्तकारों को रकम जमा होने के बाद भी

Page No. 220

(220)

(श्री मोहनलाल चौहान)

कनेक्शन नहीं मिलता है तो काश्तकार को पचास हजार का कितना ब्याज भोगना पड़ता है इसकी कोई चिन्ता नहीं कर रहे हैं। काश्तकार को इतनी बड़ी राशि जमा कराने के बावजूद भी।

इधर कह रहे है कि बिजली बोर्ड में बड़ा घाटा चल रहा है। घाटा कैसे चल रहा है? काश्तकारों से करोड़ों रुपए अर्जित इकट्ठे किए गए हैं। यानि फार्म की फीस एक हजार रुपए फार्म के जो 25 रुपए फार्म की फीस थी वह डिपोजिट स्कीम के तहत में काश्तकारों के एक हजार रुपए लगे। मान लीजिए आपकी सरकार बदल जाती है या पॉलिसी चेन्ज हो जाती है तो काश्तकार उस हजार रुपए का ब्याज भोगेगा। एक साल कम करने के लिए एक हजार डिपोजिट की स्कीम और भी चालू की है कि 1982 की बजाए 1983 को फाइल है तो 82 करनी है तो एक हजार रुपए जमा कराओ। यह भी एक पॉलिसी चलाई है। इससे अगर मानलो काश्तकार एक हजार रुपए जमा कराकर के 83 की 82 करवा लेते हैं तो बताइए आप कि आज सरकार या कोई पॉलिसी चेन्ज होती है और उस काश्तकार को दस साल तक कनेक्शन नहीं मिलेगा और उसका एक हजार रुपया जमा रहेगा। तो इस प्रकार की गलत नीति के कारण काश्तकारों को परेशानी उठानी पड़ रही है।

सभापति महोदय, पांच साल से काश्तकारों को 8 घण्टे बिजली दी जा रही थी। इस साल 7 घण्टे बिजली दी जा रही है यह काश्तकारों के साथ बहुत ही अन्याय किया गया है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इस साल काश्तकारों ने बिजली के मामले में जितनी परेशानी उठाई है कभी भी नहीं उठाई है। सभापति महोदय, बिजली के बारे में काफी तरह की बातें सरकार के सामने विचाराधीन हैं।

सभापति महोदय, नागौर जिला काफी सूखा इलाका है और पानी की भयंकर समस्यायें हैं। डेगाना में एक मेराणा गांव है जिसका पानी पीने से लोग नपुंसक हो जाते हैं। इसी तरह से मेरे विधान सभा क्षेत्र में एक बांका पट्टी योजना है। लोग पानी पीकर के बांके हो जाते थे 27 ग्राम हमारे पूर्व विधायक मोतीलालजी के प्रयास से एक बांका पट्टी योजना भारत सरकार से जलदाय योजना लागू करवाकर के गांवों में पानी पहुंचा दिया लेकिन हमारी जो बड़ी-बड़ी ढाणियां हैं उनमें आज तक पानी नहीं पहुंचा है।...(व्यवधान) सभापति महोदय, मेरे विधान सभा का क्षेत्र है सब डिवीजन मुख्यालय का क्षेत्र है परबतसर में सब डिवीजनल मुख्यालय है. और ए. सी. जे. एम. कोर्ट है। गत साल बार एसोसिएशन की तरफ से बड़ी हड़ताल भी की थी। वहां पर ए. सी. जे. एम. की बजाए ए. डी. जे. कोर्ट खोलने की बड़ी मांग चली थी। हमारे यहां नागौर, परबतसर, नांवा, मकराना जाना पड़ता है एस. डी. जे. एम. कोर्ट हमारे जो स्पेशल कोर्ट हैं शिड्यूल्ड कास्ट का नागौर में है तो हमारे नांवा, मकराना और परबतसर के लोगों को जहां मेड़ता डी. जे. बैठता है वहां जाना पड़ता है और ए. डी. जे. कोर्ट

(श्री मोहनलाल चौहान)

हमारे परबतसर में नहीं है। यह मांग बड़ी जोरों से चल रही है। गरीब जनता को नागौर जाना पड़ता है, मेड़ता जाना पड़ता है, इसलिए मैं सरकार से यह मांग करता हूँ कि हमारे परबतसर एस. डी. ओ. हैड क्वार्टर पर जो ए. सी. जे. म. कोर्ट है उनको ए. डी. जे. कोर्ट में परिवर्तित कर दिया जाए। माननीय विधि मन्त्री जी बिराजे हैं उनका मैं बहुत-बहुत आभारी होऊंगा।

श्री सभापति : अब समाप्त करें माननीय सदस्य। डिमाण्ड्स आयेगी, उन पर बोल लीजिए। सारी समस्याएं एक साथ ही बता देंगे तो दिक्कत हो जायेगी।

श्री मोहनलाल चौहान : माननीय सभापति महोदय, शिक्षा के बारे में मैं कहना चाहता हूं कि कल ही विधान सभा प्रश्न के उत्तर में आया है कि नागौर जिले में हाई स्कूलों में कम से कम 84 मास्टरों की जगह खाली पड़ी है और सीनियर हायर सैकण्डरी स्कूलों में कम से कम चालीस-पैंतालीस मास्टर्स की जगह खाली पड़ी है। (व्यवधान)

श्री शांतिलाल चपलोत : यानि वर्षों से खाली हैं, यों कहिये आप।

श्री मोहनलाल चौहान : वर्षों से नहीं है, जुलाई 90 से खाली है। इसलिए मैं मांग करता हूं शिक्षा मंत्रीजी, यह जो खाली स्थान है। उनकी पूर्ति कराइये। आपने मुझे समय दिया, धन्यवाद।

श्री सभापति : श्री रामनारायण वर्मा।

श्री रामनारायण वर्मा (नैनवां) : माननीय सभापति महोदय, धौलपुर के विधायक राजस्थान के मुख्य मंत्री माननीय भैरोंसिंहजी शेखावत ने विधान सभा में जो बजट रखा, उस पर काफी माननीय सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त किये।.... (व्यवधान)...बजट रखने की संविधान में जो भी प्रक्रिया है, हम यहां काफी कुछ कहते हैं उसके बाद में कितना विचार होता है यह भी एक प्रक्रिया का हिस्सा है। इस बजट में वही घिसी-पिटी बातें वापस दोहराई गई हैं जो कुछ महीने पहले माननीय भैरोंसिंहजी ने इसी सदन में अपने श्रीमुख से कही थी। केशवराय पाटन के माननीय विधायक कह रहे हैं, वास्तव में देखा जाय तो इस बजट में अनुसूचित जाति के लोगों को आगे बढ़ाने के लिए उनके विकास के लिए क्या कुछ किया गया है, आप इसको देख लीजिये। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, जीवन धारा के तहत 12 बीघा से कम जमीन वाले गरीब आदिवासी हरिजन को फ्री में कुआ खोदने के लिए अनुदान दिया जाता है...(व्यवधान) आपकी आदत है, आप बोल लीजिए, जब आपको मौका मिले। भैरोंसिंहजी नहीं हैं, + + + जरूरत नहीं है...(व्यवधान)... सभापति महोदय, गरीब काश्तकार से यह आशा की जाये कि वह पच्चीस हजार

+ + + अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(श्री रामनारायण वर्मा)

पच्चीस रुपये पांच हार्स पावर की मोटर का दे, इससे ज्यादा शर्मनाक बात राजस्थान की जनता के लिए, राजस्थान के गरीबों के साथ यह सरकार क्या कर सकती है, यह विचारणीय मामला है। पच्चीस रुपये का कनेक्शन पच्चीस हजार पच्चीस रुपये में दे और फिर हम कहें कि कल्याणकारी राज्य है, यह हास्यास्पद बात है। फिर हम कहें कि हम बहुमत में हैं, हम राजस्थान के हित की बात करते हैं, राजस्थान का विकास करते हैं, यह सोचने की बात है, राजस्थान की जनता के सोचने की बात है। मैं आपके माध्यम से इस सदन के माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहूंगा कि ऐसी बातों पर, गरीबों के हितों को देखते हुये एकजुट होकर इस सरकार के मुखिया भैरोंसिहजी से यह बात कहें कि गरीबों के साथ इस प्रकार से अन्याय करना उससे भी ज्यादा खतरनाक बात है। माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन कर रहा था कि किसानों के हित में इस सरकार ने क्या किया है, एक साल की उपलब्धियां क्या हैं। एक बात जरूर की है इस सरकार ने कि सूचना कार्यालय से अखबार में बड़े-बड़े इश्तहार छापे गये हैं। लाखों रुपयों के विज्ञापन दिये गये हैं। यह काम जरूर किया है कि हमने यह उपलब्धि की, हमने यह प्रचार किया, हमने यह काम किया। वास्तव में आप फील्ड में जा करके देखें माननीय सभापति महोदय, साल भर बाद जिसको कनेक्शन मिलना चाहिए था, पैसे खा करके साल भर पहले उसको कनेक्शन दे दिया गया। कोई जांच कराने को तैयार है? मैं निवेदन करूं माननीय सभापति महोदय...(व्यवधान)...मैं कुछ नहीं बोलना चाहता लेकिन सत्ता पक्ष के माननीय सदस्य को + + +। आज माननीय भैरोंसिहजी नहीं है। मंत्रिमण्डल बढ़ने वाला नहीं है, जो बन गये सो बन गये।

श्री ओमप्रकाश गुप्ता (मुख्य सरकारी सचेतक) : + + + शब्द एक्सपंज किया जाय।

श्री रामनारायण वर्मा : यह असंसदीय नहीं है।

श्री मदन दिलावर : माननीय सदस्य को यह भी पता नहीं है कि सदन में कैसे बोलते हैं। इनको सिखाया जाय।

श्री सभापति : आप शान्त रहिये माननीय सदस्य। आप चेयर को सम्बोधित कीजिये।

श्री रामनारायण वर्मा : माननीय सभापति महोदय, गरीब का जीवन स्तर कैसे उठे, यह बात कल्याणकारी राज्य को कहनी चाहिए। इस बजट भाषण में ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिलता है। माननीय विधायिकाजी फरमा रही थी, मैं उसके बारे में नहीं कहता...

श्री सभापति : माननीय सदस्य यह ध्यान रखें कि थोड़े समय में ज्यादा बोलना है आपको।

+ + + शब्द/अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

श्री रामनारायण वर्मा : मैं जयपुर के हित की बात कर रहा हूं। जयपुर के साथ जो अन्याय हो रहा है, वह अन्याय इस कदर हो रहा है कि उससे सरकार का लाखों रुपया राष्ट्रीय नुकसान में पानी की तरह बहाया जा रहा है। बीसलपुर दो माही नदी हैं माननीय सभापति महोदय, उस दो माही नदी से जयपुर को पानी दिया जाय और बनास योजना, बीसलपुर योजना जिस एरिया के लिए बनाई गई थी उस एरिया को सिंचित नहीं किया जाय, उस एरिया के लिए कोई अल्टरनेट नहीं ढूंढा जाय और जयपुर के पाइप पानी की बजाय हवा देंगे। माननीय सभापति महोदय, बीसलपुर से 6 शहरों को पहले जोड़ दिया गया है ? 7वां शहर जोड़ा जा रहा है। मैं आपसे निवेदन करूंगा, माननीय भैरोंसिंह जी यहां नहीं है। माननीय भैरोंसिहजी ने पिछले लोक सभा चुनाव में पब्लिक मीटिंग में कहा था कि हमारी पार्टी को जिताइये, हम आपको पानी देंगे, बीसलपुर का पानी देंगे। आज वह दूसरे ढंग से जयपुर को पानी दे करके उस जनता के साथ धोखा कर रहे हैं, यह भी काफी विचारणीय बात है। राजस्थान के बजट का जितना हिस्सा पश्चिमी राजस्थान का होता है इससे हमें कोई ईर्ष्या नहीं है, मैं उस बारे में जाना भी नहीं चाहता लेकिन माननीय सभापति महोदय, अगर आप बीकानेर में या दूसरी जगह जायें, वहां लिफ्ट योजनायें जिस तरह से दो-दो सौ फीट पानी को उठा करके दी जा रही है, क्या चम्बल का पानी जयपुर में नहीं दिया जा सकता। चम्बल में 15 मिलियन एकड़ फीट पानी व्यर्थ जा रहा है, उत्तर प्रदेश उस पानी को अपने उपयोग में ले रहा है, मध्य प्रदेश लिफ्ट योजनायें बना रहा है। इसी सदन के चार-चार दिन तक आधा मिलियन एकड़ फीट पानी के लिए उस टाइम के विपक्ष के नेता और आज के मुख्य मंत्री ने खराब किये थे। क्या उस 15 मिलियन एकड़ फीट पानी का, जो उस आधा मिलियन एकड़ फिट पानी से तीस गुना ज्यादा है, उपयोग नहीं किया जायेगा ? क्या उत्तर प्रदेश को उसका हिस्सा नहीं दिया जा रहा है, क्या मध्य प्रदेश उसका फायदा नहीं उठा रहा है और राजस्थान के पानी में राजस्थान का हिस्सा नहीं मिले, यह सारी बातें, माननीय सभापति महोदय, मैं आपके मार्फत निवेदन करना चाहूँगा।

यहां स्कूलों के बारे में काफी कुछ कहा गया है। मैं संक्षेप में निवेदन करूंगा। माननीय सभापति महोदय, छह हजार स्कूल राजस्थान में बन्द किए गये हैं। मेरे क्षेत्र नैनवां में 40 स्कूल पंचायत शिक्षा में बन्द किए गये हैं। यदि ईमानदारी से बांटा भी जाय तो 5 स्कूल एक विधान सभा क्षेत्र में आते हैं। 40 में से यदि 5 भी दें दिए जाये तो 35 बड़े-बड़े गांवों में बन्द किए गये। वहां के बच्चे आज भी शिक्षा नहीं ले पा रहे हैं। उनको शिक्षा लेने के लिये कोई पास में स्कूल नहीं है। अच्छा होता जितने पंचायत केन्द्र बन्द किए गये थे उन सब पंचायत केन्द्रों को वापस प्राथमिक पाठशालाओं में बदला जाता। उन सब जगह स्कूल खोले जाते तो गरीबों के हित में होता। ढाणियों में जहां गरीब आदिवासी हरिजन रहते हैं, पिछड़े वर्ग के लोग रहते हैं, गरीब लोग रहते हैं, उनके बच्चों को शिक्षा मिल पाती।

(श्री रामनारायण वर्मा)

माननीय सभापति महोदय, स्कूल खोले गये, कहने को कहा जाता है। 8 मिडिल स्कूल, 10 मिडिल स्कूल, 25 मिडिल स्कूल, यह कोई राजस्थान के लिए खोलने की बात नहीं है, यह कोई बड़ाई की बात नहीं है। इस तरह का काम करने से राजस्थान का हित हो, यह मैं नहीं मानता और इस सदन में इस तरह का बखान किया जाय, मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूँगा, मैं इसे राजस्थान के मुख्य मंत्री की शान के खिलाफ भी मानता हूं।

माननीय सभापति महोदय, मैं जब से इस सदन का सदस्य बना हुआ हूँ, राजस्थान के मुख्य मंत्रीजी के श्रीमुख से भ्रष्टाचार के मामले में काफी कुछ सुना है। बेरी आयोग बिठायेंगे, एक साल में बेरी कमेटी के गठन के बाद उन्होंने कितनी दी, कितने लोगों को दोषी पाया, किसानों के खिलाफ क्या किया, इसकी जानकारी इस सदन के सभी माननीय सदस्यों को है, किसानों के खिलाफ भ्रष्टाचार में लिप्त होने के बाद भी कोई काम नहीं किया गया। यह काफी विचारणीय बात है।

माननीय सभापति महोदय, मैं मेरे क्षेत्र की बात नहीं कर रहा हूं। मैं स्वास्थ्य विभाग के ऊपर कोई आक्षेप नहीं लगा रहा स्वास्थ्य विभाग के माननीय मंत्री की आज से नहीं वर्षों से इज्जत करता हूं, इज्जत करता रहूँगा, ईश्वर मुझे इसमें मदद करेगा। लेकिन मुझे दुःख होता है जब यह देखता हूं कि प्राइवेट डिस्पेन्सरीज जो खोली जाती हैं वहां भीड़ होती है, राजकीय चिकित्सालयों में भीड़ नहीं है। सभापति महोदय, मंत्री के पास कोई भी डॉक्टर आयेगा, सही और ईमानदार बनकर आयेगा। किसी भी पब्लिक रिप्रजेन्टिटिव को कहीं खड़ा देखेगा तो राम-राम करेगा क्योंकि बड़ा आदमी है। गरीब के साथ स्वास्थ्य विभाग के अस्पतालों में क्या हो रहा है, इसके माननीय मंत्रीजी खुद देखें। आप खुद सारी बातें जानते हैं, गरीबों के दुःख-दर्द को समझने की सोचने की हैं, यह बातें आपके देखने की है। जिन डॉक्टरों को आप इधर से उधर करते हैं उनका कितना हौंसला बढ़ता है, घर की फीस दें, आप तो बैड टिकिट्स को ही चैक करवा लो कि कितने डाक्टर्स ने घर पर टिकिट बना कर मरीजों को भर्ती किया है, किसने कितना ध्यान दिया है। यह सारी बातें देखने की है।

माननीय सभापति महोदय, मैं साधारण सा उदाहरण दूं। बूंदी में तीन प्राइवेट डिस्पेन्सरीज हैं। तीनों प्राइवेट डिस्पेन्सरीज में अस्पताल से ज्यादा मरीजों की भीड़ रहती है और जो डाक्टर्स अस्पताल में हैं उनके घरों पर कितनी भीड़ रहती है, यह सारी बातें देखने की है।

माननीय सभापति महोदय, मैं इसको उदाहरण नहीं बनाना चाहता। मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि जिस बच्चे के लिए मैंने माननीय मुख्य मंत्रीजी और स्वास्थ्य मंत्रीजी को चिट्ठियां दी, उस बच्चे के मरने के 8 घण्टे बाद जब इस बात का पता चला कि यह तो किसी के जान-पहचान के हैं, यह मामला आगे बढ़ सकता है

(श्री रामनारायण वर्मा)

तो उस बच्चे के बैड टिकिट के II पेज पर लिखा गया। मेडिकल वार्ड काटा गया और सर्जिकल वार्ड लिखा गया। सर्जिकल वार्ड काटा गया और चाइल्ड वार्ड लिखा गया। उस बच्चे को मैंने अपनी आंखों से देखा है उस पर केवल दूध गिरा था और 20 पर्सेन्ट से ज्यादा बर्न उसको नहीं माना जा सकता। बर्न भी माना हो तो वह तो ऊपर का ऊपर बर्न था, सरफेसियल जिसको कहते हैं, लेकिन बच्चे को 80 पर्सेन्ट बर्न लिखा गया। इस तरह की जो कारगुजारियां डॉक्टर करते हैं उन डॉक्टर्स के खिलाफ एक्शन लेना चाहिये। वह कहीं के भी हों, मैं किसी विशेष केस की बात नहीं करता, उनके बारे में सोचना चाहिये, आज जो स्वास्थ्य विभाग के मंत्री हैं यदि उनके टाइम में ही स्वास्थ्य विभाग नहीं सुधरा तो मेरा यह मानना है कि काफी वर्षों तक इस प्रकार का वातावरण स्वास्थ्य विभाग में बने, यह मैं नहीं कह सकता।

माननीय सभापति महोदय, मैं हाड़ौती के बारे में निवेदन करना चाहूंगा। मैं यह नहीं कहता कि कोटा में जो मेडिकल कॉलेज खुला यह स्वागत योग्य चीज नहीं है। लेकिन कोटा क्षेत्र में राजस्थान के बजट का कितना हिस्सा गया, यह देखने की बात है। कोटा क्षेत्र में कितनी परियोजनाएं गई ? दायें मुख्य नहर से कितनी लिफ्ट योजनाएं बनीं, इस बारे में जानकारी आपको स्वयं को ही हो सकती है। लिफ्ट मैन कैनाल के बारे में मुख्यतया मैं बूंदी ब्रांच कैनाल की बात कहूँगा, बूंदी ब्रांच कैनाल जितने वर्षों से बनी हुई है, जितनी उसकी जर्जर अवस्था है, जब तक उसका आधुनिकीकरण नहीं किया जायेगा तब तक किसान को पानी नहीं मिलेगा। टेल के मामले में आप जानते हैं। टेल के काश्तकारों की फसल के ऊपर काश्तकारों की फसल के बनिस्पत खरीफ की फसल, स्यालू की फसल जितनी ज्यादा होती थी, वह कितने खुशहाल थे, आज उतने ही गरीब हैं, उतने ही दुःखी हैं। लेकिन चम्बल की नहरों के आधुनिकीकरण के नाम से अब कोई पैसा नहीं है। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूँगा कि मुख्य मंत्रीजी इसके बारे में सोचें। सी. ए. डी. मिनिस्टर से या जिनसे भी उनको राय लेनी हो, अफसरों से लें। जिनसे पानी टेल में जाता हो, उन नहरों का आधुनिकीकरण अवश्य होना चाहिये।

माननीय सभापति महोदय, मैं एक बात और निवेदन करना चाहूँगा कि मेरा क्षेत्र नैनवां सूखाग्रस्त क्षेत्र है। हर साल वहां अकाल रहता है। बीसलपुर का पानी कब आयेगा, कब नहीं आयेगा, यह मैं भी जानता हूं और आप भी जानते हैं। लेकिन उसमें सूखा संभावित क्षेत्र के तहत या राष्ट्रीय जल संग्रहण कार्यक्रम के तहत शामिल करते हुए मेड़बंदी से काम नहीं चलाया जा सकता। जब तक ऐसे इलाकों में एनीकट्स बना करके बरसाती पानी को रोका नहीं जायेगा, भूमिगत पानी की आवक नहीं बढ़ाई जायेगी, तब तक हम यह कैसे मानें कि उस क्षेत्र का उद्धार होगा। जो पिछड़े क्षेत्र हैं, जिनमें किसी प्रकार के कोई साधन नहीं है, जो ज्यादातर

(श्री रामनारायण वर्मा)

अकालग्रस्त रहते हैं उन क्षेत्रों के लिए स्पेशल योजनाएं बनाई जायं । इतना प्रावधान मुझे इस बजट में दिखाई नहीं देता है । मैं आशा करता हूं कि गरीब काश्तकारों के हित में बजट में कुछ रखा नहीं गया है, उसे बढ़ाया जायेगा, गरीबों के हित में सोचा जायेगा, आदिवासी-हरिजनों को आगे बढ़ाने में यह सरकार मदद करेगी, राजस्थान के किसानों का ध्यान रखेगी। इसी आशा और विश्वास के साथ धन्यवाद, जयहिन्द ।

श्री सभापति : श्री गुलाबसिंह राजपुरोहित ।

श्री गुलाबसिंह राजपुरोहित (सुमेरपुर) : माननीय सभापति महोदय, 6 मार्च को माननीय मुख्य मंत्रीजी ने वित्त मंत्री की हैसियत से राजस्थान का वर्ष 1991-92 का बजट प्रस्तुत किया । वाद-विवाद के दौरान माननीय विपक्षी सदस्यों द्वारा इसे दिशाहीन, निरर्थक, आंकड़ों का मायाजाल कागजों का पुलिंदा आदि बताया गया, आरोप-प्रत्यारोप लगाये, लेकिन दुःख इस बात का है माननीय सभापति महोदय, हम कुछ नये विधायक चुनकर यहां आए हैं, हमने यह सोचा था कि हम वहां जायेंगे, सदन में बैठेंगे तो हमें सदन में बैठे हुए पुराने विधायकों का लाभ मिलेगा, उनके अनुभवों का लाभ मिलेगा लेकिन मुझे उनकी बुद्धि पर तरस आता है जिन्होंने इस बजट को निरर्थक, दिशाहीन बताते हुए भी इस पर रचनात्मक सुझाव नहीं दिए, कोई ऐसी बात नहीं कही जो राजस्थान के विकास के लिए कल्याणकारी सिद्ध हो सकती है । मात्र आलोचना-प्रत्यालोचना करके उन्होंने अपनी इतिश्री समझ ली । आज मैं यह भी कहना चाहता हूँ, विपक्ष के नेता माननीय श्री हरिदेवजी जब उठ खड़े हुए तो हम बड़े ध्यान से उनका भाषण सुन रहे थे । हमारे दिल में इनके प्रति सम्मान है लेकिन उन्होंने सिर्फ साम्प्रदायिकता की बात कहकर इस बजट पर ऐसा माहौल बना दिया जैसे कोई दूसरी ही चर्चा हो रही हो । बजट के बारे में उन्होंने कोई चर्चा नहीं की, कोई सुझाव नहीं दिए, कोई विकास की बात नहीं कही । माननीय सभापति महोदय, हकीकत तो यह है कि इस बजट में इनके बोलने लायक कोई चीज ही नहीं है । ऐसी कोई बात ही नहीं है जिसके ऊपर यह रचनात्मक सुझाव दे सकें और दूसरी, इनके दिमाग में इतनी उपज ही नहीं है । मैंने 12 महीने में यही आंकलन किया है कि रचनात्मक सुझाव इनके पास होते ही नहीं । इसलिए यह मात्र आरोप लगाते हैं, आलोचना करते हैं । इनकी पीड़ा कोई राजस्थान के किसानों के लिए नहीं है, इनके मन में कोई ऐसा दर्द नहीं है जो गरीबों के प्रति हो, पिछड़े वर्ग के प्रति हो, अनुसूचित जाति, जनजाति के प्रति हो । इनका तो दर्द एक ही है कि इनसे तो सरकार छिन गई और दूसरे जो बैठे हैं उनकी कार और झण्डी छिन गई । इसकी पीड़ा इनके मन में है इसलिए यह विरोध करते है, बाकी कोई राजस्थान की जनता के लिए पीड़ा नहीं है । इसका मैं उदाहरण दूं कि जब घासीलाल जी चौपड़ा, जो एक पगड़ीधारी किसान नेता हैं, बोल रहे थे उस समय

(श्री गुलाबसिंह राजपुरोहित)

सदन में कोई भी कांग्रेस के नेता उपस्थित नहीं थे, एक भी विधायक उपस्थित नहीं था। यह किसानों के हित की बात कर रहे थे, इनके लोग ही सब गायब थे, किस तरह की बात करते हैं। माननीय सभापति महोदय, मैं अब बजट पर आता हूं। पिछले साल 956 करोड़ रुपये की योजना थी जिसमें 20.3 पर्सेन्ट का इजाफा हुआ और इस साल 1166 करोड़ की योजना है। 2 साल में 43 पर्सेन्ट की जो वृद्धि हुई हैं योजना में, क्या वह लाभ गरीबों को को नहीं मिलेगा ? इसको आज काश्तकार विरोधी बताते हो, इसको गरीब विरोधी बताते हो, अनुसूचित जाति और जनजाति का यह बजट नहीं है, ऐसी बातें कहते हो। मैं बता देना चाहता हूँ कि काश्तकारों के लिए 62 पर्सेन्ट का प्रावधान किया है और 62 प्रतिशत की राशि गाँवों में लगेगी। मैं उदाहरण देता हूँ इस बारे में—पश्चिमी राजस्थान में बाढ़ आई...

श्री परसादी लाल मीणा : माननीय सदस्य, आप तो एक बात बता दो।

श्री गुलाब सिंह राजपुरोहित : माननीय सदस्य, आप प्रश्न मत पूछिये, हम भी पूछ सकते थे।

श्री हीरासिंह चौहान : परसादीलाल जी, आपसे निवेदन है कि इनको इन्ट्रप्ट न करें।

एक माननीय सदस्य : माननीय सदस्य, बीच में टोका नहीं करते हैं, प्लीज। यह आदत पड़ गई दिखती है आपकी।

श्री परसादीलाल मीणा : हम जब अपनी बात कहते हैं तो सब खड़े हो जाते हैं।

श्री हीरासिंह चौहान : इनको बोलने दो, फ्लो टूटेगा (व्यवधान)

श्री सभापति : बिराजिए, बिराजिये।

श्री गुलाबसिंह राजपुरोहित : मैंने अभी बताया कि इनके पास कोई आधार नहीं है। मैं यह कहना चाहता था कि पश्चिमी राजस्थान में बाढ़ आई, बाढ़ के समय सारी नहरें टूट गई। मैं धन्यवाद देता हूं सरकार को कि समय रहते सारी नहरों को दुरूस्त करवाया गया और पाली जिले में इतनी सिंचाई हुई कि एक रिकार्ड है, आज तक इतने रकबा जमीन की कभी सिंचाई नहीं हुई। चाहे कितना भी जवाई बांध भरा हो या कितना भी पानी आया हो। इस बात को नकार नहीं सकते हो। राजस्थान की सरकार ने पिछले वर्ष के अपने बजट का पूरा सदुपयोग किया है और जनता को लाभ पहुंचा है। इस बार भी बजट का सदुपयोग होगा। हमारे घोषणा-पत्र में जो बारानी जमीन की बिगोड़ी माफ करने का वादा था वह वादा इस वर्ष पूरा हो रहा है, "सम्वत् 2048 से बारानी जमीन पर बिगोड़ी माफ की जायेगी, एक पैसा काश्तकारों को देना नहीं पड़ेगा। मैं इसके लिए सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूँ। 67 लाख काश्तकारों पौने पांच करोड़ रुपये का प्रति वर्ष फायदा होगा यह फायदा काश्तकारों को नहीं होगा तो किस को होगा ? मैं पूछना चाहता हूँ इन लोगों से। सिंचाई के मामले में राजस्थान में पानी की कमी को देखते हुए बूंद-बूंद सिंचाई पद्धति, फव्वारा सिंचाई पद्धति, कुओं पर पक्की पाइप लाइन बिछाने की योजना इन

(श्री गुलाबसिंह राजपुरोहित)

काश्तकारों के लिए नहीं है तो क्या उद्योग-पतियों के लिए है ? गोपाल योजना के अन्तर्गत इस चालू वित्तीय वर्ष के अन्दर दस जिलों में लोगों को प्रशिक्षण दिया गया है नस्ल सुधार का, बांध निवारण का, उनके बंधियाकरण का, चारा प्रदूषण का, यह लोग निःसन्देह गांवों में जायेंगे और अपने अनुभव का लाभ उठाते हुए इसको प्रोत्साहन देंगे जिससे गांवों का और काश्तकारों का विकास होगा। कम लागत की योजनाएं बनाई गई हैं। पानी की कमी है, लम्बी-लम्बी योजनाएं जो सालों भर अटकी रहती है, छोटी-छोटी योजनाओं का प्रारूप देकर इस सरकार ने एक अभिनव प्रयोग किया है कि हम छोटे-छोटे बांध, छोटे-छोटे एनीकट जो साल दो साल में पूरे हो जायें, उनके कम से कम पानी का भी उपयोग अधिक से अधिक काश्तकारों के खेतों में करेंगे। इस तरह की छोटी-छोटी योजनाओं से निःसन्देह राजस्थान के गरीब काश्तकारों को लाभ होगा। विद्युत के लिए भी बजट राशि का लगभग साढ़े सताइस प्रतिशत भाग रखा गया है। सात सौ गांवों का विद्युतीकरण और पच्चीस हजार कुओं के विद्युतीकरण का लक्ष्य रखा गया है, विद्युत की कमी होते हुए भी सरकार का यह प्रयास रहेगा कि इस साल 82 तक के कनेक्शन दिये, अभी 85 तक के भी हो जायेंगे। आपने तो कभी एक कनेक्शन दिया नहीं। यह बात निःसन्देह सत्य है कि सरकार के खजाने में भले ही पैसा जायेगा लेकिन अधिकारियों की और राजनेताओं की जेब में जो पैसा रिश्वत का कनेक्शन के नाम पर जाता था वह पैसा बन्द हो गया, रिश्वत के नाम पर किसी को पैसा नहीं मिलेगा, वह पैसा भी गरीब लोगों के काम में आयेगा। राजस्थान के अन्दर जो बंजर भूमि, पड़त भूमि, गोचर भूमि है जिसका कोई उपयोग नहीं हो पाता, वहां लोगों में सामुदायिकता की भावना से वन लगाये जायेंगे, इसका प्रबन्ध इस सरकार ने किया है। अन्त्योदय योजना के अन्तर्गत 87 हजार लोग लाभान्वित किये जा चुके हैं और इस मार्च के अन्त तक एक लाख छब्बीस हजार का लक्ष्य पूरा कर लिया जायेगा। यह अन्त्योदय योजना गरीबी की रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों को निःसंदेह लाभ पहुंचायेगी। इसी तरह जवाहर रोजगार में भी पांच साल की योजना बनाई है। पहले कच्चे कामों में पैसा सरपंच डकार जाते थे, बी. डी. ओ. खा जाते थे, प्रधान खा जाते थे लेकिन पक्के कामों से निःसंदेह गांवों को लाभ मिलेगा, पक्के काम होंगे और उनको पैसा खाने की कहीं भी छूट नहीं होगी। इसी तरह एक नया प्रयोग तीस काम तीस जिले रखा है। छोटा-छोटा पैसा छोटे-छोटे कामों में, अलग-अलग मदों में, अलग-अलग विकास के कामों में लगाने से न तो कोई काम पूरा होता है, न विकास पूरा हो पाता है। इस योजना के तहत यह लक्ष्य रखा गया है कि जिले की कोई विशेष समस्या हो, उस समस्या को लेकर सारा पैसा उस मद में लगाया जायेगा तो कम से कम एक क्षेत्र में तो सुधार हो जायेगा। इस योजना के लिए भी मैं सरकार को धन्यवाद देता हूं।

सभापति महोदय, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। अभी यह किसानों की बात

(श्री गुलाबसिंह राजपुरोहित)

मैंने बताई। इसी तरह से अनुसूचित जन-जाति और अनुसूचित जाति के लोगों के लिए भी योजना रखी गई है। समाज कल्याण विभाग द्वारा तीस नये छात्रावास खोले जायेंगे। शिक्षा की दृष्टि से शार्ट-हैण्ड और टाइपिंग के प्रशिक्षण हेतु एकलव्य प्रशिक्षण संस्थान खोले जायेंगे, अम्बेडकर प्रशिक्षण, संस्थान खोले जाने का भी लक्ष्य है। बालमुखी ग्राम विकास योजना के अन्तर्गत उन गांवों में पानी, कृषि, सिंचाई, शिक्षा, सड़कों और स्वास्थ्य की समुचित देख-भाल की व्यवस्था भी करने का इस सरकार ने अपना मानस बनाया है। जवाहर रोजगार योजना की राशि का 15 प्रतिशत भाग अनुसूचित जातियों और जन जातियों की बस्ती में लगता है, वह निः-संदेह ही उनके लिए लाभकारी सिद्ध होगा। पेयजल की दृष्टि से भी ढाणियों और उनकी बस्तियों में व्यवस्था रखी गई है। छात्रवृत्ति की व्यवस्था की गई है, निःशुल्क पोषाहार देने की व्यवस्था अनुसूचित जाति, जन जाति के छात्रों के लिये की गई है। लघु सिंचाई योजना के तहत एनीकटों का निर्माण, सब्जी उत्पादन, मुर्गी और भेड़, ऊन पालन, मत्स्य पालन के कार्यक्रम विकसित किये जायेंगे जिसका लाभ गांव अनुसूचित जाति, जन-जाति और गरीब लोगों को मिल पायेगा।

दौसा, राजसमन्द और बारां को जिला बनाया गया, इससे निःसन्देह इन क्षेत्रों को लाभ होगा। इस दृष्टि से, माननीय सभा-पतिजी, मैं कहना चाहता हूं कि यह बजट मात्र आंकड़ों का पुलिंदा नहीं होकर एक कल्याणकारी बजट है, गांवों के विकास के लिये यह बजट हमें प्रेरित करता है। मैं आपसे अन्त में यह भी निवेदन करना चाहता हूँ कि पिछड़े, ग्रामीण काश्तकारों और गरीब लोगों के विकास के साथ-साथ जब तक उद्योग और कृषि का विकास नहीं होगा तब तक उस राज्य का विकास सम्भव नहीं है। बिक्री.कर योजना में 1989 के अन्तर्गत जो सीमेंट की फैक्ट्रियों को 75 प्रतिशत की छूट दी है, मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि तिलहन के उत्पादन में राजस्थान अपना अग्रणी स्थान रखता है और अगर इस दृष्टि से इन तिलहन की मिलों को भी इस योजना का लाभ दिया जाये तो मैं आपको आंकड़ों से बता सकता हूँ कि निःसन्देह राजस्थान की सरकार को राजस्व की प्राप्ति होगी और जो बाहर रायड़ा और तिलहन जाता है, वह भी यहां रुक जायेगा।

श्री सभापति : समाप्त करें।

श्री गुलाबसिंह राजपुरोहित : यह मेरा संशोधन है, महत्वपूर्ण संशोधन है, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। आज जो हमारा रायड़ा बाहर जाता है—गुजरात में या मध्य प्रदेश में, वहां चार प्रतिशत हमको केन्द्रीय कर से आय होती है और वही अगर काश्त-कार बाहर भेजता है तो एक प्रतिशत भी राजस्व नहीं मिलता है। इसी तरह से काश्तकार अगर यहां की मिलों को देता है तो तीन प्रतिशत की हमको आय होती है, सिर्फ एक प्रतिशत का फर्क है। लेकिन यहां की मिलों में तैयार किया हुआ तेल अगर वापिस बिकने के लिए जाता है तो बिक्री-कर में छह प्रतिशत हम को मिलता

(श्री गुलाबसिंह राजपुरोहित)

है। अगर इसमें इस योजना का लाभ दिया जाये तो 75 प्रतिशत के हिसाब से डेढ़ प्रतिशत कर मिलेगा। तीन प्रतिशत तो खरीद पर टैक्स और डेढ़ प्रतिशत वापस उसकी बिक्री पर टैक्स यानि साढ़े चार प्रतिशत टैक्स राजस्थान सरकार को राज्य के अन्दर ही रायड़े और तेल पर मिल जायेगा।

श्री सभापति : समाप्त करें।

श्री गुलाबसिंह राजपुरोहित : जो चार प्रतिशत बाहर जाने पर मिलता है उसमें आधा प्रतिशत इजाफा होगा। इसलिये मेरा निवेदन है कि बिक्री-कर प्रोत्साहन योजना का लाभ जो सीमेंट फैक्ट्रियों को दिया है वही लाभ रायड़े और तेल की मिलों को दें। इससे न सिर्फ उद्योगों को लाभ होगा बल्कि काश्तकारों को भी लाभ होगा, समय की बचत होगी, पैसे की बचत होगी, श्रम नियोजन को बढ़ावा मिलेगा और राजस्थान सरकार को राजस्व की प्राप्ति होगी। मैं अन्त में, धन्यवाद देता हूं कि इस बजट में काफी अच्छी ग्रामीण विकास योजनाएं रखी गई हैं इसलिए जो भी इसका कोई विरोध करता है उसका कोई औचित्य नहीं है। धन्यवाद।

श्री सभापति : श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (जोधपुर) : माननीय सभापति जी, माननीय मुख्यमंत्री जी एवं वित्त मंत्रीजी ने जो बजट रखा वह वास्तव में स्वागत योग्य एवं सराहनीय है। मैं उसका स्वागत करती हूं। वर्ष 1991-92 का प्रस्तुत बजट राज्य के विकास को चहुंमुखी आयाम देने वाला है, विकासोन्मुखी एवं जन हितकारी है। इस बजट से हर वर्ग को राहत मिलेगी। यह बजट न केवल आत्मनिर्भरता प्राप्त करने की दिशा को बढ़ावा देने वाला है बल्कि इसका लाभ आम आदमी को मिलेगा। मुख्यमंत्री महोदय द्वारा पेश किये गये इस बजट में कोई नया कर नहीं लगाने से जनता को राहत मिलेगी। बजट में बारानी भूमि का लगान माफ करने के साथ ही रोजगार को बढ़ावा देने, कृषि तथा औद्योगिक क्षेत्र एवं कामगार, हस्तकार और गरीब तबके के लोगों को राहत देने सम्बन्धी महत्वपूर्ण निर्णय लिए गये हैं। इसके साथ ही बजट में राज्य में पेयजल एवं सिंचाई सुविधाओं के विकास, विद्युतीकरण, सहकारिता, शिक्षा प्रसार, तकनीकी शिक्षा, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य तथा पर्यटन सम्बन्धी विकासोन्मुखी योजनाओं को लागू करने के साथ ही राज्य में दौसा, बारां और राजसमन्द, तीन नये जिलों की घोषणा करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है।

माननीय सभापति जी, राज्य के इस बजट में कोटा में मेडिकल कालेज व जोधपुर में...

श्री सभापति : माननीय सदस्या, सदन में भाषण पढ़ने की अनुमति नहीं है।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास : मैं क्षमा चाहूंगी। मेरा दूर का चश्मा नहीं है, आप आज्ञा दें तो पढ़ दूं।

श्री सभापति : यह सदन की परम्परा नहीं है, भाषण लिख हुआ पढ़ने की ।

श्री हीरासिंह चौहान : नहीं, नहीं इस प्रकार का तो नहीं है ।...मैं कहता हूं कोई रोक नहीं है ।

श्री सभापति : हैं, है ।

श्रीमती सूर्यकांता व्यास : मेरे पास दूर का चश्मा नहीं है इसलिए तकलीफ है ।

श्री सभापति : मैं आपसे यह आग्रह करूंगा कि आप बिना पढ़े ही बोलें ।

श्रीमती सूर्यकांता व्यास : बिना पढ़े तो बोलने में असुविधा होगा ।

श्री रामकिशन : सभापति जी, पढ़े-लिख होंगे वह तो पढ़ेंगे ही, इसमें क्या दिक्कत है ।

श्री सभापति : सदस्य पढ़कर नहीं बोल सकते ।

श्री हीरासिंह चौहान : क्या ऐसा निषेध है ?

श्री सभापति : निषेध है, इसलिए मैं आग्रह कर रहा हूं । आपने तो पब्लिक मीटिंग में बहुत भाषण दिये हैं ।

श्रीमती सूर्यकांता व्यास : जोधपुर शहर में महिला पॉलिटेक्नीक कालेज, महाविद्यालय गांवों में एवं हजारों प्राथमिक विद्यालय शहरी क्षेत्रों में खोलने का प्रावधान है ।

श्री सभापति : आप तो समस्याओं पर वैसे ही बोलिये । आपने पब्लिक मीटिंग में बहुत भाषण दिये हैं ।

श्रीमती सूर्यकांता व्यास : इस सम्बन्ध में मैं अपने कुछ सुझाव देना चाहूंगी । राजस्थान में जोधपुर शहर सबसे बड़ा है । निरन्तर प्राकृतिक आपदाओं से जूझते जोधपुर शहर को पेयजल की समस्या रहती है । इसके स्थायी समाधान के लिये हालांकि फलौदी लिफ्ट योजना और कैनाल का निर्माण कार्य चल रहा है लेकिन नहर आने तक शहर की पेयजल समस्या को हल करने के लिये यहां लगी पुरानी पाइप लाइन को बदलने तथा कुछ जलाशयों के निर्माण करने की योजनाओं पर विचार करके इसका बजट में प्रावधान किया जाना चाहिये । इसके अलावा लिफ्ट नहर के पम्पिंग स्टेशनों को बनवाने का कार्य कई कारण से रुका पड़ा है । इसके लिए अलग से बजट आबंटन करके इसका निर्माण प्राथमिकता के आधार पर कराया जाना चाहिये । यह नहर निर्माण का प्रमुख कार्य है इसलिये इसको प्राथमिकता दी जानी चाहिये ।

जोधपुर शहर पर्यावरण विकास की दृष्टि से एक पिछड़ा हुआ क्षेत्र है । रेगिस्तानी इलाका होने के कारण प्रकृति का भी प्रकोप रहता है । इस क्षेत्र में सामान्य हरियाली तक नहीं रहती है ।....

श्री सभापति : आप पढ़कर तो नहीं बोल रही हैं ?

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास : इतना क्या

(श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास)

आपने कानून लगा दिया है, बिलकुल। क्या बिलकुल नहीं बोलने दोगे ?

श्रीमती तारा भण्डारी : सभापति महोदय, कृपया आप हमारी बहिन जी को डिस्टर्ब न करें।

श्री सभापति : ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करें माननीय सदस्या।

श्रीमती सूर्यकांता व्यास : जोधपुर राजस्थान का सबसे बड़ा शहर है और इसकी आबादी कच्ची बस्तियों तथा झुग्गी झोंपड़ियों में रहती है और इन बस्तियों में रहने वाले ज्यादातर लोग गरीब व मजदूरी पेशा लोग हैं तथा इनके पास जीवन-यापन की सामान्य सुविधायें का भी अभाव है। अतः इस सरकार को प्राथमिकता के स्तर पर जोधपुर शहर की कच्ची बस्तियों का सर्वे करवा कर इसके विकास का मास्टर प्लान लागू करना चाहिए तथा विभिन्न राष्ट्रीय बैंकों तथा विश्व बैंक की सहायता से इस योजना को पूरा करने की पहल करनी चाहिये।

एक मेरा सुझाव है कि जोधपुर में महिलाओं का पोलीटेक्नीक कॉलेज तो आपने खोल दिया मगर जोधपुर शहर जयपुर से दूसरे नम्बर पर है। वहां पर एक...

(7.35 सायं)

(श्री यदुनाथ सिंह उपाध्यक्ष, पदासीन)

महिला बी. एड. कालेज खोलने के लिये मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि बी. एड. कालेज भी वहां पर बना सकें तो महिलाओं को काफी सुविधा होगी।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके मार्फत मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से यह निवेदन करना चाहती हूं कि वह जोधपुर शहर को बड़ी लाइन से जोड़ने के लिए अति प्रयास करें और दिल्ली के प्रयास करें तो जोधपुर में विकास की दृष्टि से बहुत बड़ा लाभ होगा।

अन्त में मैं जोधपुर शहर के भीतरी भाग में सुरसागर, ब्रह्मपुरा और नवचौकियां आदि मोहल्लों की लड़कियों को शिक्षा की सुविधा हेतु बालिका महाविद्यालय फतहपोल को क्रमोन्नत करने की मांग करती हूँ। इससे उस इलाके की लडकियों को सुविधा होगी। वह वित्त मंत्री भी हैं और मुख्य मंत्री भी हैं उनको मैं मेरा निवेदन करना चाहती हूँ कि उसको क्रमोन्नत करने के लिए भवन की भी कोई आवश्यकता नहीं होगी क्योंकि वह भवन ही इतना बड़ा है कि जोधपुर शहर में इससे बड़ा भवन नहीं है। इसलिए इस फतहपोल स्कूल को क्रमोन्नत करने के लिये मैं मुख्य मंत्रीजी से मांग कर रही हूँ।

इसके साथ ही साथ में कहना चाहूँगी कि जोधपुर शहर पर भगवान की तो बहुत कृपा रही है। जब 77 के अन्दर मुख्यमंत्री श्री भैरोंसिंह की और भारतीय जनता पार्टी की सरकार आयी तभी भी जबरदस्त बरसात हुई और इस बार भी श्री

(श्रीमती सूर्यकांता व्यास)

भैरोंसिह जी शेखावत की सरकार आयी, हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आयी तो बहुत भारी वर्षा हुई। मगर इसके साथ-साथ जोधपुर का दुर्भाग्य समझो या कुछ समझो, जोधपुर के अन्दर पानी की समस्या में कोई सुधार नहीं हुआ। इसका कारण यह भी है कि जोधपुर में 40 साल के अन्दर आज तक कहीं भी पाइप लाइन का कोई बदलाव नहीं किया गया है। तो इस बजट के अन्दर जोधपुर शहर के विकास की दृष्टि से हमारे जलदाय विभाग के मंत्री महोदय से भी निवेदन करना चाहूँगी कि जोधपुर शहर में पानी की भारी किल्लत रहती है इस पुरानी पाइप लाइन को बदलने के लिये और जोधपुर शहर जो कि आज पानी के लिये तरस रहा है उस को पानी की सुविधा कराने के लिये तीन जलाशयों की जो मैंने मांग की है उसके ऊपर माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से जलदाय मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगी कि उस जलदाय की योजनाओं को लागू करने के लिये अतिशीघ्र कार्यवाही करें और जोधपुर शहर की समस्या का समाधान करें।

मैं इस बजट का स्वागत करते हुए कहना चाहूँगी कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने यह बजट गरीब तबके को राहत देने का बनाया है कि जोधपुर शहर के अन्दर जो पोलीटेक्नीकल कॉलेज लड़कियों के लिये निर्मित किया है वह वास्तव के अन्दर आने वाली बालिकाओं के भविष्य के निर्माण का एक प्रतीक होगा और इसी तरीके से मैंने महिला बी. एड कालेज की मांग की है उसके लिए भी मुख्य मंत्री जी से निवेदन करूंगी कि इसको अपने बजट में रखें और आने वाले बजट में जो भी रखा है, वास्तव के अन्दर बजट बहुत सराहनीय है और मैं इस बजट का स्वागत करती हूँ और जलदाय मंत्री जी से कहती हूँ कि वास्तव के अन्दर पानी की समस्या को देखते हुए लिफ्ट केनाल को पूरा प्राथमिकता के रूप में करना चाहिये। इसके अलावा लिफ्ट नहर के पम्पिग स्टेशनों को बनवाने का कार्य कई अर्से से रुका पड़ा है। इसके लिए अलग से ही बजट आवंटित कर इसका निर्माण प्राथमिकता से करवाया जाना चाहिये। यह निर्माण का प्रमुख कार्य है इसलिये इसे प्राथमिकता देनी चाहिये। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री कन्हैयालाल मीणा।

श्री कन्हैयालाल मीणा : माननीय उपाध्यक्ष जी, 6 मार्च को माननीय मुख्य मंत्री जी ने सदन में जो बजट प्रस्तुत किया है मैं उसका समर्थन करते हुए कहना चाहूंगा कि जो यह बजट प्रस्तुत किया है वह गरीबों, मध्य वर्ग और पिछड़े वर्ग और किसानों के लाभ का बजट है। माननीय उपाध्यक्षजी, मुख्य मंत्रीजी ने किसानों के लिये बजट में करोड़ों रुपयों का सिंचाई के लिये प्रावधान किया है। इसमें अनेक बड़ी जलप्रदाय योजनाओं के लिये करोड़ों रुपयों का प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही किसानों के लिये इस बजट में प्रावधान किया गया है कि जो 84 तक के काश्तकार हैं, जो सिवाय चक भूमि पर बीसियों वर्षों से खेती करते आ रहे हैं उनके

(श्री कन्हैयालाल मीणा)

अलाटमेंट की जो घोषणा की है उसका भी मैं स्वागत करता हूँ।

उसके साथ ही किसानों के लिये जो विद्युत नीति लागू की गई है वह किसानों के लिये काफी खर्चीली है। इसमें तुरन्त प्राथमिकता के तहत औसतन बीस हजार रुपये के करीब खर्चा आता है जो गरीब काश्तकारों को काफी महंगा पड़ता है। लेकिन साथ ही मैं कहना चाहूँगा कि जो कृषक, जो किसान सन् 77 से लेकर अब तक विद्युत कनेक्शन के लिये 10-12 साल में इन्तजार करता आ रहा था, उस किसान ने अपने यहां पर डीजल इंजन लगा रखा है, प्रतिवर्ष उसका 15 हजार रुपया खर्चा आता है, 15 हजार खर्चे के हिसाब से अगर जोड़ा जाय तो डेढ़ लाख रुपये दस साल में एक किसान को भुगतान पड़ता है। यदि बीस हजार रुपये में तुरन्त प्राथमिकता योजना के तहत कनेक्शन ले लेता है तो यह जो विद्युत नीति है इसका भी मैं स्वागत करता हूँ। इसके तहत जो ऐसे गाँव हैं, जो विद्युतीकृत नहीं हुए थे, राजस्थान का कोई ऐसा गाँव होगा, मेरे विधान सभा क्षेत्र के 90 गांव थे जो विद्युतीकृत नहीं थे उनमें से कोई एक गांव नहीं रहा जिसमें फार्म नहीं भरे गये हों। तुरन्त प्राथमिकता के तहत किसान चाहे वह गरीब से गरीब था उसने कनेक्शन लेने के लिए फार्म भरकर अपना कनेक्शन लिया। दस साल के बजाय उसको 6 महीनों में भी कनेक्शन मिल जाता है तो वह काश्तकार इस बात का स्वागत करता है। तो यह जो नीति लागू की है इसके लिये भी मैं मुख्यमंत्रीजी का आभार व्यक्त करता हूं। अभी कुछ दिन पहले जयपुर जिले के माननीय विधायकों, प्रधानों और अन्य प्रमुख सदस्यों की चेयरमैन की अध्यक्षता में रीको के अन्दर मीटिंग हुई। इस सम्बन्ध में माननीय विधायकों के विरोध करने के बावजूद भी कोटपूतली, दूदू और अन्य जगह से जो पांच सौ के करीब काश्तकार आये उन लोगों ने भी इस नीति का समर्थन किया। मानते हैं कि यह खर्चीली पड़ती है लेकिन दस साल के इन्तजार के के बाद अगर एक किसान को कनेक्शन मिलता है तो उसमें किसान को काफी फायदा होता है। अनुसूचित जाति, जनजाति की जो प्रायोरिटी है गरीब काश्तकार की जो प्रायोरिटी है उसमें से निकल कर जो टोटल 70 प्रतिशत काश्तकार अभी आये हैं तुरन्त प्राथमिकता के तहत के जिन्होंने कनेक्शन ले लिया है, 30 प्रतिशत व्यक्ति जो पीछे रहे गये हैं उनका नम्बर भी प्रायोरिटी के आधार पर जल्दी आ जाता है। तो मैं नीति के प्रति पुनः मुख्य मंत्रीजी का आभार व्यक्त करता हूं। इसके साथ ही शिक्षा और चिकित्सा के तहत स्कूल और चिकित्सालयों के लिये जो बजट का प्रावधान किया गया है उसका भी मैं समर्थन करता हूँ। समय के अभाव को देखते हुए मैं इसके साथ ही मेरे क्षेत्र की कुछ समस्याओं की ओर आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। मेरे विधान सभा क्षेत्र में कानोता बांध 80-81 में दो करोड़ रुपये की लागत से बनाने की स्वीकृति दी गयी थी, लेकिन बड़े दुख का विषय है कि अब तक उसमें करीब 60 लाख रुपये खर्च हुए हैं और वह ज्यों का त्यों पड़ा हुआ है। इसका इस

(श्री कन्हैयालाल मीणा)

बजट में कहीं प्रावधान नहीं रखा गया है। मैं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से इसका बजट में प्रावधान रखा जाय, ऐसा निवेदन करना चाहूँगा। कानोता बांध के साथ में श्यामपुरा बांध जो 60 लाख रुपये की लागत से बना हुआ है, आज से बीस साल पहले बना था लेकिन अब तक न उसमें पानी रुकता है, इसका भी बजट में थोड़ा प्रावधान रखा जाय तो काफी काश्तकारों को इससे फायदा हो सकता है। इसके साथ ही विधान सभा क्षेत्र की दो रोड़ ऐसी हैं जिनसे 27 ग्राम पंचायतों के हैडक्वार्टर जुड़ते हैं। उनका अकाल राहत के तहत मिट्टी का कम्पलीट काम हुआ पड़ा है, गिट्टी का काम भी हो रहा है। वह जो दो रोड़ हैं एक है सामारिया से ढेलाड़ा, दूसरी रोड़ है चाकसू से दौलापुरा। इन रोड्स को यदि इसमें सम्मिलित कर दिया जाय तो लाखों किसानों को बहुत फायदा होगा। कृषि उपज मंडी, चाकसू में आने के लिये चाकसू और कोटखावदा के बीच में ढूंढ नदी पड़ती है उस पर पुलिया के लिये काफी वर्षों से जनता की मांग रही है, बारिश के अन्दर काश्तकार अपनी सब्जी या कोई सामान जब चाकसू कृषि उपज मंडी में लाने के लिये आयें तो उसको कोटखावदा की तरफ ही रुकना पड़ता है और चाकसू आने के लिये वह नदी के अन्दर आ नहीं सकते हैं। इसलिये या तो उसमें रपट की व्यवस्था की जाय या पुलिया का प्रावधान इसमें रखवा दिया जाय।

इसके साथ ही विधान सभा क्षेत्र में 80-81 से लेकर अब तक 17 पानी की टंकियां बनी हैं जिन पर डेढ़ करोड़ के करीब खर्चा हो चुका है लेकिन वह टंकियां दस साल से बन कर ज्यों की त्यों पड़ी हुई हैं। उनमें पाइप लाइन भी गड़ी हुई है। 17 ग्राम पंचायतों में 17 ग्राम टंकियों में से एक भी टंकी चालू हालत में नहीं है। उनमें मात्र अगर बीस-बीस, तीस-तीस हजार रुपया एक पंचायत में प्रावधान रख दिया जाय तो वह पानी की टंकियां चालू हो सकती हैं। इसी प्रकार मैं कहना चाहूँगा कि जयपुर जिले में सैंकड़ों पानी की टंकियों हैं जो सूखी पड़ी हुई हैं। एक-एक ग्राम पंचायत में कम से कम दस-दस, बीस-बीस लाख रुपया खर्चा होकर वह ज्यों की ज्यों दस साल से बन्द पड़ी हुई हैं, इसलिये उनको चालू करवाया जाय, यह भी मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा। मेरे क्षेत्र में ऐसी 28 सडकें हैं जिन पर अकाल राहत के तहत मिट्टी का कार्य तो हो गया है लेकिन डामर का कार्य नहीं हुआ है। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि उन सड़कों को प्रायोरिटी के आधार पर लिया जाय। साथ ही मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि जयपुर जिला राजस्थान का एक जिला है जिससे सरकार को सबसे ज्यादा रेवेन्यू होती है। लेकिन जयपुर जिले में सबसे कम विकास पर खर्चा किया जाता है। यह भी बड़े दुःख का विषय है। पश्चिमी राजस्थान की बजाय इस साइड में चाहे वह कानोता बांध हो, चाहे रामगढ़ बांध हो, आज जयपुर जिले में काश्तकारों के 25 प्रतिशत खेती हुई है, कोई भी काश्तकार 25 प्रतिशत से ज्यादा खेती नहीं कर सका। इसलिये जयपुर जिले को अकाल ग्रस्त घोषित किया जाय, यह मैं आपके

(श्री कन्हैयालाल मीणा)

माध्यम से मांग करता हूं। साथ ही मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि जयपुर जिले में चाहे वह पुलिया बनाई जाय।

श्री उपाध्यक्ष : समाप्त करें, माननीय सदस्य।

श्री कन्हैयालाल मीणा : पुलिया से जो टोल टैक्स वसूल किया जाता है, जयपुर जिले में कानोता पुलिया और बम्बाला पुलिया से सरकार को करोड़ों रुपये की रेवेन्यू हुई हैं लेकिन विकास की तरफ ध्यान नहीं दिया जाता है। मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि इस ओर ध्यान दिया जाय, किसानों की ओर, कम से कम कानोता बांध के लिये तो।

श्री उपाध्यक्ष : समाप्त करें, समाप्त करें।

श्री कन्हैयालाल मीणा : इसमें प्रावधान किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : समाप्त करें।

श्री कन्हैयालाल मीणा : आपने जो समय दिया, उसके लिए धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री किशना राम।

श्री किशनाराम नाई : (श्रीडूंगरगढ़) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्रीजी, को राज्य के वित्त मंत्री भी हैं, ने जो राज्य का बजट रखा है उस पर मैं संक्षिप्त रूप से अपने विचार प्रकट करना चाहता हूं।

मुख्य मंत्रीजी ने जो बजट पेश किया है वह गरीब व गांव को मद्देनजर रखते हुए पेश किया है इसका श्रेय श्री भैरोंसिंह शेखावत को जायेगा। यह बजट इतना बढ़िया है कि मेरे पास इसे प्रकट करने के लिए शब्द नहीं है। बिक्री कर के ढांचे से आमूल-चूल परिवर्तन करते हुए इसे सरल एवं सुविधाजनक बनाया गया है। व्यापारियों की आम शिकायतों को दूर करने का प्रयास किया गया है। यह बजट मार्ग से हट कर नहीं, बल्कि अनेक मार्गों को जोड़ने वाला है। मैं दृढ़तापूर्वक कह सकता हूं कि भ्रष्टाचार मिटेगा और मितव्ययता के कारण हम राज्य के खजाने का पैसा गरीब व किसानों तक पहुंचा पाएंगे। मैं किसी की बड़ाई की बात नहीं कह रहा हूं, जो सच्ची है वह तो हमेशा सच्ची ही रहेगी। सरकार ने जो चुनावी वायदे किये हैं उन्हें पूरा करने में यह बजट सहायक सिद्ध होगा। ग्रामीण विकास के नाम पर कांग्रेस सरकार ने जो चाटुकारों को पैसा चटाया है वैसा यह सरकार बिल्कुल नहीं होने देगी। वास्तव में यह बजट किसान लोगों, गरीब व पिछड़े लोगों अनुसूचित जाति एवं जन जाति के लोगों को राहत देने वाला क्रान्तिकारी बजट है। इससे लोगों को राहत मिलेगी।

अब मैं इस बजट की कुछ विशेषताओं की ओर इस सदन एवं माननीय सदस्यों का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

माननीय सदस्यों को यह जानकर

(श्री किशनाराम नाई)

खुशी होगी कि पिछले वर्ष के प्रस्तावित प्रावधान की अपेक्षा आगामी वर्ष के लिए करीब सवा-डेढ़ गुणा अधिक प्रावधान रखा है। प्रदेश में विद्युत संकट को देखते हुए आगामी वर्ष में 700 गांवों में बिजली पहुंचाने तथा 25 हजार कुओं का विद्युतीकरण करने का जो लक्ष्य है वह अत्यन्त शोभाजनक है। विद्युत मण्डल की वित्तीय कार्यकुशलता में सुधार करने हेतु राज्य सरकार द्वारा दिये गये ऋण का 50 प्रतिशत भाग, जो लगभग 600 करोड़ रुपये होगा, हिस्सा पूंजी के रूप में परिवर्तन करने का जो निर्णय है यह बहुत ही अच्छी घोषणा है। हमारा चुरू जिला जितना कांग्रेस सरकार के दौरान दुखी था वह अब इस भा. ज. पा. के शासन में दुखी नहीं होगा। इस सम्बन्ध में लोगों की इस सरकार के प्रति काफी आस्था बढ़ेगी।

कृषि क्षेत्र में यह बहुत खुशी की बात है कि सरसों के उत्पादन में प्रदेश पूरे देश में प्रथम है। अगले 2-3 महीनों में कई क्षेत्रों को डार्क जोन से निकालना वहां के लोगों के साथ न्याय करना साबित होगा। अनुसूचित जाति एवं जनजाति के गरीब लोगों को बैंकों की सहायता से दो लाख सिंचाई के नये कुएं खोदने की विशेष योजना सरकार ने बनाई है यह बहुत ही खुशी की बात है। प्रदेश में सीमितता को देखते हुए उसका उपयोग करते हुए सरकार फव्वारा सिंचाई, बूंद-बूंद सिंचाई योजना व पक्की नालियों को बढ़ावा देना चाहती है। आगामी वर्ष में सवा तीन हजार फव्वारा सिंचाई सैट व सवा तीन लाख मीटर पक्की नालियों हेतु अनुदान दिये जाने की घोषणा अत्यन्त शोभाजनक है। जल ग्रहण विकास योजना को सफल बनाने हेतु भू एवं जल संरक्षण निदेशालय स्थापित करना एक अच्छा कदम है। इस बजट को देखते हुए तिलहन-दलहन विकास, भू जल विकास, पशु नस्ल सुधार, चारा विकास व कृषि वानिकी पर विशेष ध्यान देने का सरकार ने मानस बनाया है। स्वतंत्रता के बाद लोकतंत्र की व्यवस्था में राज्य का यह पहला ऐसा बजट है जिसमें ग्रामीण किसानों व काश्तकारों का हित देखा गया है। इसके लिए मुख्य मंत्रीजी धन्यवाद के पात्र हैं।

सहकारी विभाग में जो भागीरथ योजना है उसका मैं दिलोदिमाग से स्वागत करता हूं। राजस्थान विकास में वास्तव में इस योजना से गंगा बहेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। किसानों, बुनकरों व दस्तकारों के लिए ऋण राहत योजना लागू करने की जो बात बजट में कही गई है यह जानकर मुझे हर्ष होता है। इस योजना के लागू करने के बाद अब तक करीब 10 लाख लोगों को 241 करोड़ रुपये की राहत दी जा चुकी है। वे सभी किसान अब सहकारी संस्थाओं से पुनः ऋण लेने के लिए अधिकृत होंगे। इससे उन लोगों का जीवन स्तर ऊंचा होगा, इसमें कहीं सन्देह की बात नहीं है। इस बजट में यह भी बताया गया है कि तिलहन विकास हेतु तिलहन संघ की स्थापना होगी जिससे अन्तर्राष्ट्रीय सहायता प्राप्त कर जालौर, मेड़ता सिटी, गंगापुर सिटी, झुंझुनूं, बीकानेर व श्रीगंगानगर आदि में तिलहन संयंत्र लगाये जा रहे हैं। गंगापुर मिल की

(श्री किशनाराम नाई)

अपनी कार्यकुशलता के कारण देश भर में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। यह पूरे देश के लिए बहुत ही खुशी की बात है। प्रदेश के किसानों हेतु अल्पकालीन, मध्यकालीन व दीर्घकालीन ऋण देने का जो लक्ष्य रखा है व उपभोक्ता सामग्री वितरित करने का जो लक्ष्य रखा है इससे यह साबित होता है कि सरकार किसानों और गरीबों को सबसे ज्यादा प्रोत्साहन देगी। (व्यवधान) यह परम्परा आप कायम कर दोगे तो जिस तरीके से आप बोल रहे हैं उसमें मैं एक्सपर्ट हूँ। मैं नया-नया आया हूँ। आपको इतने साल बैठे-बैठे सीट घिस गई। यह सीट घिस चुकी है और आपके जनार्दन सिंहजी भी पढ़ रहे थे।

श्री उपाध्यक्ष : आपको अनुमति है। पाइंट देख रहे हैं।

श्री किशनाराम नाई : जनजाति के बालकों के लिए होस्टल खोलना सरकार का एक अच्छा कदम है। शिक्षा के क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण बात है कि विभिन्न धर्मों के सिद्धान्तों पर आधारित नैतिक शिक्षा का प्रारम्भ करना। इससे बच्चों में भाई चारा व सद्भावना पनपेगी। सभी धर्मों का आदर होगा, सम्मान होगा तथा राष्ट्रीय एकता को बल मिलेगा। अगले वर्ष 3 जिलों में सम्पूर्ण जन शिक्षा का कार्यक्रम लिया जाना राजस्थान के इतिहास में एक अच्छा कदम होगा।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि।

श्री राजेन्द्र सिंह राठौड़ (उप मुख्य सचेतक) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि माननीय किशनारामजी के भाषण तक सदन का समय बढ़ाया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : सदन की अनुमति से माननीय सदस्य का भाषण समाप्त होने तक सदन का समय बढ़ाया गया।

आय-व्ययक 1991-92 पर सामान्य वाद-विवाद

श्री किशनाराम नाई : मुख्यमंत्री महोदय द्वारा जोधपुर में विश्व बैंक की सहायता से एक आवासीय महिला पॉलीटेक्नीक कॉलेज की मंजूरी देना, कोटा व अजमेर महाविद्यालय में दो नये डिप्लोमा कोर्स प्रारम्भ करना तथा कर्मचारियों के शिक्षण हेतु केन्द्र जोधपुर में खोलना इस बजट में दर्शाया गया है उससे शिक्षा का चहुंमुखी विकास होगा इसमें मुझे बिल्कुल भी संकोच नहीं है।

इस क्षेत्र में मेरी मुख्य मंत्रीजी से मांग है कि विधान सभा क्षेत्र में शिक्षा का स्तर नीचा है, यहां पर 2-3 उच्च माध्यमिक विद्यालय, 2-3 आई. टी. आई. व एक पोलीटेक्नीक विद्यालय खुलना अति आवश्यक है। आशा है शिक्षा मंत्रीजी व मुख्य मंत्रीजी मेरी इस मांग पर जरूर ध्यान देंगे।

(श्री किशनाराम नाई)

अस्पतालों में समन्वय स्थापित करने हेतु प्रत्येक जिले में एक प्रिंसीपल ऑफिसर लगाने, मुख्य चिकित्सा व स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों की चिकित्सा सुविधाओं का समन्वय बैठाने तथा प्रत्येक उप खण्ड स्तर पर प्रशासनिक पुनर्गठन कर चिकित्सा क्षेत्र में आमूल-चूल परिवर्तन आदि से यह साबित होता है कि चिकित्सा विभाग को और अधिक सुदृढ़ बनाया जाएगा। राज्य में 50 नये प्राथमिक केन्द्र, 15 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र खोल कर, 50 उप केन्द्रों को क्रमोन्नत कर, 10 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में मातृ व शिशु कल्याण सुविधाएं उपलब्ध करा कर 7 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में 115 अतिरिक्त शैय्याएं उपलब्ध कराकर तथा शहरी क्षेत्रों में 8 नये डिस्पेंसरीज एक टी. बी. क्लिनिक खोलकर व भवन, मशीन, वाहन एवं अन्य कमियों को पूरा कर वास्तव में चिकित्सा व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ बनाया जायेगा। भारतीय चिकित्सा होम्योपैथी के 25 नए औषधालयों को सम्भागीय मुख्यालयों में 50 शैय्याओं के चिकित्सालयों में क्रमोन्नत करने की जो योजना इस बजट में दर्शाई गई है, वह अत्यन्त स्वागत योग्य है।

इस सम्बन्ध में माननीय चिकित्सा मंत्रीजी का ध्यान मैं मेरे विधान सभा क्षेत्र श्रीडूंगरगढ़ की ओर दिलाना चाहता हूं। मेरे क्षेत्र में एक डिस्पेंसरी बीदासर में है जो कि राजकीय सेट थानमल बनोत डिस्पेंसरी के नाम से स्टेट के समय से चल रही है। इस डिस्पेंसरी के अधीन 37 हजार जनसंख्या आती है, 5-6 गांव आते हैं। उनके लिए डिस्पेंसरी का क्रमोन्नत होना अति आवश्यक है। रोगी रतनगढ़, सुजानगढ़, चूरू व बीकानेर इलाज करवाने जाते हैं जिससे उनको भारी रकम खर्चा करना पड़ता है। इस डिस्पेंसरी के भवन के एक्सटेंशन का खर्चा ओसवाल सभा बीदासर बहन करने को तैयार है। मैं आशा करता हूँ कि मंत्री महोदय इसे क्रमोन्नत कर 30 शैय्याओं का रेफरल औषधालय जरूर मंजूर करेंगे। इसी प्रकार मेरे क्षेत्र मै लालगढ़ एवं उसके आस-पास के 4-5 गांव वालों की यहां पर एक प्राथमिक चिकित्सालय खोलने की मांग काफी समय से चल रही है। इस सम्बन्ध में मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी व चिकित्सा मंत्री महोदय से कई बार मिल चुका हूँ वहां की जनता ने भी मांग की है परन्तु आज तक एक डिस्पेंसरी नहीं मंजूर हो पाई है। आशा है मंत्री महोदय, इस ओर ध्यान देकर अवश्य मंजूरी देंगे।

आगामी वर्ष में 1000 गांवों में तथा 500 ढाणियों मै पेयजल उपलब्ध कराने की बात इस बजट में दर्शाई गई है इससे यह महसूस होता हैं कि यह सरकार गाँवों की ओर बहुत ही ध्यान देती है।

श्री सम्पत सिंह : ये क्रान्तिकारी लोग कहां चले गये ?

श्री उपाध्यक्ष : गृह मंत्री जी से कहो।

श्री सम्पत सिंह : ऐसा तो नहीं, फिर कोई नये दल में चले गये हों।

श्री किशनाराम नाई : कांग्रेस वाले नेताओं के साथ सांठ-गांठ करते गये हैं... (व्यवधान)

श्री सम्पत सिंह : आपका इस बरबादी में मन कैसे लग रहा है? चारों तरफ सफाया कर लिया, मन कैसे लग रहा है आपका ?

श्री किशनाराम नाई : जनजाति के क्षेत्रों में जहां कांग्रेस के समय में 250 की आबादी के स्थानों पर हैण्ड पम्प खोदा जाता था वहीं अब यह सरकार 100 व्यक्तियों की आबादी वाले स्थानों पर एक हैण्ड पम्प खोदेगी, इससे पेयजल शीघ्र ही उपलब्ध होगा।

जयपुर, जोधपुर, अजमेर, कोटा, बीकानेर व उदयपुर शहरों में यातायात सुविधा हेतु वहां से 50 किलोमीटर दूरी तक राष्ट्रीयकृत मार्गों पर प्राइवेट बसों को चलाने की अनुमति के प्रस्ताव पर सरकार विचार कर रही है, इसका प्रदेश की जनता स्वागत करती है।

इस सम्बन्ध में मेरा सरकार से अनुरोध है कृपया इन 6 शहरों के साथ-साथ, यह अनुमति प्रत्येक तहसील मुख्यालय से होनी चाहिये क्योंकि राष्ट्रीयकृत मार्ग तो कई जगहों से गुजर कर जाते हैं। निजी वाहनों की सेवाओं का भरपूर सदुपयोग गांव स्तर व जिला स्तर पर नहीं होता है। अगर उन्हें 50 कि. मी. की दूरी की अनुमति तहसील या उप तहसील मुख्यालयों से दी जावे तो अति उत्तम होगा।

20 नए मुन्सिफ मजिस्ट्रेट न्यायालय खोलने की घोषणा, 2 फैमिली कोर्ट की स्थापना करना, जयपुर ग्रामीण में 5 अतिरिक्त न्यायालय स्थापित करना तथा लोक अदालतों के माध्यम से बकाया प्रकरणों का निपटारा करने की जो व्यवस्था घोषणा में है, वह सराहनीय है।

मेरा इस सम्बन्ध में माननीय मंत्री महोदय से निवेदन है कि जिन-जिन न्यायालयों व उच्च न्यायालयों में जजों के रिक्त पद है उन्हें तत्काल भरा जावे ताकि गरीब तबके के लोगों को तत्काल न्याय मिल सके। श्रमिकों के लिए श्रम न्यायालय और खोले जावें।

राज्य में तीन नए जिलों की घोषणा भी बहुत महत्वपूर्ण है। यह मांग काफी समय से चली आ रही है जिसे कांग्रेस सरकार ने पूरी नहीं की। सरकार द्वारा वित्त सचिव की अध्यक्षता में गठित कमेटी के माध्यम से नई सब तहसीलों को स्थापित करने के निर्णय की जनता काफी सराहना कर रही है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : इनकी पार्टी के तीन घण्टे बाकी है। बोले जाओ आप तो।

श्री किशनाराम नाई : सिलाई की सुइयां, बिंदी, पिन, काजल, पैकिंग सामग्री, पशुओं की हड्डियों के चूरे, गोटा किनारी, बादला, तमचा, सितारा आदि पर पूर्णतः कर समाप्त कर मुख्य मंत्री महोदय ने अच्छा कदम उठाया है। इसी प्रकार टाइपराइटर, टायर ट्यूब, ट्रोली,

(श्री किशनाराम नाई)

बालीबाल, ब्लेड, हाकी, गेंद, कागज, पेन आदि पर कर घटाकर गरीबों के साथ न्याय किया है।

मैं अधिक समय नहीं लेकर मुख्य मंत्री महोदय ने धन्यवाद देना चाहता हूँ। श्री भैरोंसिंह शेखावत राजस्थान की एक बहुत बड़ी धरोहर है, राजस्थान व देश की रीढ़ की हड्डी है। सरकार एवं मुख्य मंत्रित्व के नशे के बाहर आकर कार्य करने की इनमें योग्यता है।

सूर्योदय होता है, उस समय सूर्योदय को देखकर अंदाजा लगाया जाता है कि आने वाला दिन किस प्रकार का दिन होगा। मैं इस बजट के प्रति आभार प्रकट करता हूँ और मुझे बहुत खुशी है। मैं राजस्थान की गरीब जनता का गरीब किसानों को मेरी तरफ से धन्यवाद देना चाहता हूँ। जय हिन्द।

श्री उपाध्यक्ष : सदन की कार्यवाही कल दिनांक 15 मार्च, सुबह 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही रात्रि 8.07 बजे शुक्रवार, 15 मार्च, 1991 को प्रातः 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई)।

परिशिष्ट-1

तारांकित प्रश्न संख्या 319 का विवरण

राजकीय सीनियर उच्च माध्यमिक विद्यालय, श्री विजयनगर में
रिक्त पदों का विवरण

पद का नाम	स्वीकृत पद	रिक्त पद
1. व्याख्याता	15	6
2. वरिष्ठ अध्यापक	3	—
3. शारीरिक शिक्षक	1	—
4. अध्यापक	8	1
5. प्रयोगशाला सहायक	3	2
6. पुस्तकालयाध्यक्ष	1	—
7. कार्यालय सहायक	1	1
8. कनिष्ठ लिपिक	1	1
9. प्रयोगशाला सेवक	4	1
10. चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	4	—
	14	12

परिशिष्ट-2

तारांकित प्रश्न संख्या 320 की सूची

कोटा जिले के पशु चिकित्सालयों की तहसीलवार सूची

क्र. सं.	पशु चिकित्सालय का नाम	तहसील	क्र. सं.	पशु चिकित्सालय का नाम	तहसील
1.	कोटा	लाडपुरा	19.	सांगोद	सांगोद
2.	मण्डाना	,,	20.	कनवास	,,
3.	कैथुन	,,	21.	कुन्दनपुर	,,
4.	सिविल लाइन्स	,,	22.	अटरु	अटरु
5.	विज्ञान नगर	,,	23.	कवांई	,,
6.	बारां	बारां	24.	शाहबाद	शाहबाद
7.	मांगरोल	मांगरोल	25.	केलवाड़ा	शाहबाद
8.	अन्ता	,,	26.	किशनगंज	किशनगंज
9.	बड़वा	,,	27.	रेलावन	,,
10.	सीसवाली	,,	28.	नाहरगढ़	,,
1.	खेतोली	,,	29.	जलवाड़ा	,,
112.	निमोला	,,	30.	भंवरगढ़	,,
13.	पीपल्दा	पीपल्दा	31.	छबड़ा	छबड़ा
14.	इटावा	,,	32.	सुलतानपुर	दिगोद
15.	छीपाबड़ोद	छीपाबड़ोद	33.	बड़ोद	,,
16.	सारथल	,,	34.	दिगोद	,,
17.	रामगंज मण्डी	रामगंजमण्डी	35.	सीमल्या	,,
18.	चेचट	,,			

परिशिष्ट-3

समयाभाव के कारण सदन में न लिए जा सके

तारांकित प्रश्न व उनके उत्तर

सिरोही में विभाग द्वारा संचालित विक्रय केन्द्र

327. **श्रीमती तारा भण्डारी** (सिरोही) : क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि सिरोही मुख्यालय में वन विभाग द्वारा संचालित लकड़ी, कोयला, विक्रय केन्द्र सरकार द्वारा बन्द कर दिया गया है ?

(2) क्या यह सही है कि लकड़ी, कोयला विकय केन्द्र बन्द कर देने से सिरोही में घरेलू ईंधन के साथ ही मुर्दे जलाने के लिये भी ईंधन की भारी समस्या उत्पन्न हो गई है ?

(3) सरकार सिरोही में ईंधन की क्या वैकल्पिक व्यवस्था करने जा रही है ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) विक्रय केन्द्र पर लकड़ी की उपलब्धता कम होने के कारण घरेलू ईंधन के साथ ही मुर्दे जलाने के लिए भी ईंधन की कुछ हद तक समस्या उत्पन्न हो गई है।

(3) राज्य सरकार द्वारा ईंधन के वैकल्पिक स्रोतों एवं उन्नत शवदाह गृहों को प्रोत्साहन दिया जा रहा है।

प्राथमिक व माध्यमिक शालाओं की क्रमोन्नति

328. **श्री लक्ष्मीलाल** (आसीन्द) एवं **श्री गोविन्द सिंह गुर्जर** (नसीराबाद) : क्या प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) इस वर्ष कितनी प्राथमिक शाला व माध्यमिक शाला क्रमोन्नत करने की सरकार की योजना है ?

(2) क्रमोन्नत करने का माप दण्ड क्या रखा गया है ?

(3) प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र में विद्यालयों को क्रमोन्नत किस आधार पर किया जावेगा ?

उत्तर

(1) इस वर्ष 1991-92 में 25 प्राथमिक विद्यालयों को उच्च प्राथमिक विद्यालयों में एवं 25 माध्यमिक विद्यालयों को सीनियर उच्च माध्यमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत करने हेतु बजट में प्रावधान रखा गया है।

(2) गांव की जनसंख्या, छात्र संख्या भवन व्यवस्था, फीडर स्कूलों की संख्या व भौगोलिक स्थिति, क्षेत्रीय मांग उपलब्ध बजट प्रावधान आदि के आधार पर विद्यालय क्रमोन्नति के प्रस्तावों पर विचार कर

(शिक्षा मंत्री)

गुणा व गुण के आधार पर निर्णय लिया जाता हैं ?

(3) उपरोक्तानुसार ।

(तारांकित प्रश्न संख्या 329)

(स्थगित)

कोटा बुधपुरा, बिजोलिया व भीलवाड़ा की खानों का आवंटन

330. **श्री निर्भय लाल** (रूपवास) : क्या खनिज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है. कि कोटा, बुधपुरा, बिजोलिया, भीलवाड़ा में खनिज पट्टा प्रणाली लागू है जबकि प्रदेश के अन्य जिलों में खनिज का ठेका प्रणाली है ? यदि हां, तो इनमें एक रूपता के सम्बन्ध में सरकार क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है ? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

कोटा, बुधपुरा, (बून्दी) एवं भीलवाड़ा क्षेत्र में खननपट्टा आवेदन पत्रों की प्रणाली लागू है, जबकि बिजोलिया तहसील माण्डलगढ़ क्षेत्र में खनिज सैण्डस्टोन की क्वारी लाइसेंस की प्रणाली प्रभावी है । प्रदेश के अन्य जिलों जैसे भरतपुर, धौलपुर एवं सवाई माधोपुर जिले के करौली क्षेत्र में खनिज सैण्डस्टोन के खननपट्टों का आवंटन नीलामी द्वारा किया जाता हैं। वर्तमान व्यवस्था सफलतापूर्वक चल रही है, इसलिए इसमें कोई संशोधन किया जाना अपेक्षित नहीं है ।

कन्या छात्रावासों में महिला अधीक्षिकायें

331. **श्री नवनीत लाल नीनामा** (घाटोल) : क्या समाज कल्याण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि अधिकांश कन्या छात्रावासों में महिला अधीक्षिका के अभाव में पुरुषों को कार्य देखना पड़ रहा है ? यदि हां, तो कन्या छात्रावासों में महिला अधीक्षिका की नियुक्ति की व्यवस्था कब तक कर दी जायेगी ?

उत्तर

(1) जी हां । नियुक्ति की कार्यवाही की जा रही है ।

विधान सभा क्षेत्र प्रतापगढ़ के सिंचाई साधन

332. **श्री रखबचन्द मीणा** (प्रतापगढ़) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) प्रतापगढ़ विधान सभा क्षेत्र में सिंचाई के क्या-क्या साधन हैं ? वर्तमान में कितनी जमीन सिंचित होती है ? सिंचित जमीन का क्षेत्रफल कितना है ? किस-किस गांव में सिंचित स्रोत है ? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(2) वर्ष 1991-92 में क्या प्रतापगढ़ विधान सभा क्षेत्र के लिये कोई सिंचाई

Page No. 246

246

(श्री रखब चन्द मीणा)

योजना प्रस्तावित है ? यदि हां, तो कौन कौन सी व कितनी-कितनी राशि की ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या जाखम बांध का पानी लिफ्ट द्वारा प्रतापगढ़ तहसील को देना प्रस्तावित हैं ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) प्रतापगढ़ विधान सभा क्षेत्र में सिंचाई विभाग के अन्तर्गत सिंचाई के उपलब्ध साधन एवं सिंचाई क्षेत्र की जानकारी सदन की मेज पर प्रस्तुत है।

(2) जी नहीं। भंवर सेमला व पाडलिया पर जवाहर रोजगार योजना में कार्य प्रगति पर है।

(3) जी नहीं। क्योंकि तकनीकी दृष्टि से उपयुक्त नहीं है।

प्रपत्र "अ"

क्र. सं.	नाम तालाब	अनुमानित सिंचाई एकड़ में।
1.	गादोला	1760
2.	बोरिया	1440
3,	बड़िया	.512
4.	तलैया	351
5.	धोटिया	118
6.	तेजड़	100

जोधपुर डेयरी संयंत्र के प्रबन्ध संचालक के विरुद्ध शिकायतें

333. श्री मनोहर सिंह (लाडनूं) : क्या दुग्ध विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) डेयरी संयंत्र जोधपुर के प्रबन्धक संचालक श्री राय के विरुद्ध राज्य सरकार को भ्रष्टाचार की अब तक कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं ? उन पर क्या-क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं तो क्यों ?

(2) श्री राय के विरुद्ध प्राप्त शिकायतों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) श्री राय के खिलाफ कुछ प्रशासनिक तथा कुछ भ्रष्टाचार की शिकायतें

(दुग्ध विकास राज्य मंत्री)

प्राप्त हुई है जिनकी कुल संख्या 09 है। एक मामले में प्रारम्भिक जांच हो चुकी है तथा बाकी में जांच जारी है। प्रारम्भिक जांच के आधार पर अग्रिम कार्यवाही चल रही है।

(2) प्रतिलिपियां संलग्न हैं।

(प्रतिलिपियां विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

(तारांकित प्रश्न संख्या 334)

(स्थगित)

चम्बल परियोजना के विभिन्न विभागों में स्वीकृत पद

335. **श्री रामनारायण वर्मा** (नैनवां) : क्या सिंचित क्षेत्र विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) सिंचित क्षेत्र विकास, चम्बल परियोजना (सी. ए. डी.) के विभिन्न विभागों में अधिकारियों एवं कर्मचारियों के कितने पद किस-किस श्रेणी के स्वीकृत हैं ?

(2) क्या 1 मार्च, 1990 से अब तक की अवधि में सिंचित क्षेत्र विकास, चम्बल परियोजना के विभिन्न विभागों में कार्यरत कर्मचारियों/अधिकारियों के अस्थाई पदों को समाप्त किया गया है ? यदि हां, तो कुल कितने पद समाप्त किये गये हैं।

उत्तर

(1) सी. ए. डी. चम्बल परियोजना में विभिन्न विभागों में (41) पद राजपत्रित श्रेणी के व 412 पद अराजपत्रित श्रेणी के स्वीकृत हैं।

(2) दिनांक 1.3.90 से अब तक विभिन्न विभागों में (11) पद राजपत्रित श्रेणी व 122 पद अराजपत्रित श्रेणी के अस्थाई पद समाप्त किये गये।

वृक्षारोपण कार्यक्रम पर व्यय

336. **श्री बंशीलाल पटवा** (भीलवाड़ा) : क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि हर वर्ष सरकार वृक्षारोपण करती है ? यदि हां, तो कितनी धनराशि खर्च करता है ?

(2) क्या यह सही है कि इसका परिणाम संतोषजनक नहीं आता है ? क्या सरकार इस सम्बन्ध में कोई कारगर कदम उठाने का विचार रखती है जिससे पौध नष्ट नहीं हो और खर्च की गई राशि का सदुपयोग हो सके ?

उत्तर

(1) जी हां। व्यय की जाने वाली धनराशि विभिन्न योजनाओं के तहत किसी वर्ष में स्वीकृत बजट प्रावधानों पर निर्भर करता है।

(2) जी नहीं। राज्य में विद्यमान जलवायु की विषम परिस्थितियों को मद्दे-

(वन मंत्री)

नजर रखते हुए राज्य में वृक्षारोपण कार्य में संतोषप्रद सफलता मिली है, फिर भी इसको और अधिक सफल एवं प्रभावी बनाने की दृष्टि से राज्य सरकार इस वर्ष से व्यापक पैमाने पर ग्राम पंचायतों, सहकारी संस्थाओं, स्वयं-सेवी संस्थाओं का योगदान प्राप्त करने की कार्यवाही कर रही है।

टोंक जिले के विद्यालयों में रिक्त पद

337. **श्री महावीर प्रसाद जैन** (टोंक) : क्या प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) टोंक जिले के माध्यमिक उच्च माध्यमिक व सीनियर हायर सैकेण्डरी स्कूलों में अध्यापकों के कितने पद कब से रिक्त है ? तिथि, विषय व विद्यालय के नाम सहित, सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) इन रिक्त पदों को कब तक भर दिया जावेगा ? भविष्य में अध्यापकों के पद शिक्षा सत्र के दौरान रिक्त न रहे इसके लिए राज्य सरकार ने क्या कदम उठाये है ?

उत्तर

(1) विषय एवं विद्यालयवार सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) रिक्त पदों को भरने की कार्यवाही जारी है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई।)

झुन्झुनू जिले में खनिज लीज हेतु आवेदन पत्र

338. **श्री मोहम्मद माहिर आजाद** (झुन्झुनू) क्या खनिज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) झुन्झुनू जिले में वर्ष 1990-91 में कुल कितने लोगों ने खनिज कार्य हेतु लीज के लिए आवेदन किया ? किन-किन को लीज स्वीकृत की गई। सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि झुंझुनू जिले की ग्राम पंचायत देखाला की पहाड़ी पर अवैध खनन करने की शिकायत तहसीलदार व सरपंच ने की थी ? क्या खनिज मंत्री के स्थगनादेश के बावजूद अवैध खनन कार्य किया जा रहा है जिससे गांव की हरिजन बस्ती व विद्यालय को काफी नुकसान हो रहा है ?

(3) क्या उक्त कार्य को रोकने की कोई व्यवस्था की जा रही है ? यदि हां, तो कब तक यदि नहीं तो क्यों ?

उत्तर

(1) झुंझुनू जिले में वर्ष 1990-91 में 236 आवेदकों द्वारा खनन पट्टा हेतु आवेदन किया। उक्त अवधि में 39 खनन पट्टे स्वीकृत हुए, जिनकी सूची सदन की मेज पर प्रस्तुत है।

(2) झुंझुनू जिले के ग्राम पंचायत देखाला की पहाड़ी पर अवैध खनन करने की शिकायत सरपंच द्वारा खान राज्य मंत्री

(खनिज राज्य मंत्री)

महोदय को की गई। उक्त शिकायत पर विभाग द्वारा कार्यवाही की जा रही है। देखाला पहाड़ी में श्री गोरधन सिंह के पक्ष में खनिज चेजा पत्थर का खनन पट्टा स्वीकृत है तथा इस खनन पट्टाधारी द्वारा अवैध खनन नहीं किया जा रहा है।

(3) प्रश्न के भाग 2 के उत्तर से स्पष्ट है कि अवैध खनन नहीं किया जा रहा है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई।)

मालवीय नगर औद्योगिक क्षेत्र में नर्सिंग होम हेतु भूमि का आवण्टन

339. **श्री रामस्वरूप मीणा** (टोडा-भीम) एवं **श्री बुलाकीदास कल्ला** (बीकानेर) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि मालवीय नगर औद्योगिक क्षेत्र जयपुर में नर्सिंग होम स्थापित करने के लिये राजस्थान औद्योगिक वित्त निगम (रीको) द्वारा भूमि आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र प्राप्त किये गये थे ? यदि हां, तो किन-किन डाक्टरों ने किस-किस तारीख को भूमि आवंटन हेतु राजस्थान औद्योगिक वित्त निगम (रीको) को प्रार्थना पत्र दिये एवं उनमें से किन-किन डाक्टरों को कितनी-कितनी वर्ग गज भूमि किस दर पर आवंटित की गई, तथा किन-किन को भूमि आवंटित नहीं की गई ? इसके क्या-क्या कारण रहे ?

(2) क्या इस आबंटन के सम्बन्ध में पक्षपात बरतने की शिकायत प्राप्त हुई ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही राजस्थान औद्योगिक वित्त निगम (रीको) एवं राज्य सरकार द्वारा की गई ?

(3) क्या यह सही है कि जिन लोगों को उक्त क्षेत्र में नर्सिंग होम हेतु भूमि आवंटित की गई है उससे पूर्व भी कुछ प्रार्थना पत्र राजस्थान औद्योगिक वित्त निगम (रीको) को मय अग्रिम राशि के प्राप्त हुए थे ? यदि हां तो किन-किन के प्रार्थना पत्र आये एवं उनको क्या जमीन आवंटित की गई ? यदि नहीं तो क्यों ? क्या जमीनें नियमानुसार आवंटित की गई है।

(4) नर्सिंग होम हेतु भूमि आबंटन के लिये क्या राजस्थान औद्योगिक वित्त निगम (रीको) ने कोई नीति अथवा निगम बनाये हैं ? यदि हां, तो उक्त नियमों की सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राजस्थान औद्योगिक वित्त निगम का नाम निगम राज्य में अस्तित्व में नहीं है। मालवीया औद्योगिक क्षेत्र में राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं विनियोजन निगम लि., (रीको) द्वारा नर्सिंग होम स्थापित करने हेतु भूमि आवंटित करने के लिये प्रार्थना-पत्र आमंत्रित किये गये थे। जिन 27 डाक्टरों द्वारा विकास शुल्क की 25 प्रतिशत राशि सहित नर्सिंग होम स्थापित करने के लिए रीको को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये गये हैं उनकी तिथिवार सूची "क" सदन के पटल पर रख दी गई

(उद्योग मंत्री)

है। इनमें से जिन 6 डाक्टरों को भूमि आबंटित की गई है उनकी सूची "ख" सदन के पटल पर रख दी गई है। शेष 21 डाक्टरों को भूमि आबंटित नहीं किये जाने के कारणों के विवरण की सूची "ग" सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) जी हां। इस सम्बन्ध में डाक्टर के. सी. गुप्ता से प्राप्त शिकायत पर राज्य सरकार द्वारा रीको से टिप्पणी मांगी गई है। रिपोर्ट प्राप्त होने पर आगामी कार्यवाही की जा सकेगी।

(3) जी हां। केवल डा. के. सी. गुप्ता का नर्सिंग होम हेतु भूमि आवंटन करने के लिये दिनांक 12.5.88 को रीको को अनुरोध पत्र प्राप्त हुआ था। परन्तु श्री गुप्ता द्वारा दिनांक 19.9.88 के विज्ञापन के अनुसरण में प्रार्थना पत्र नहीं देने तथा 25% अग्रिम राशि नहीं दिये जाने के कारण उनके प्रार्थना पत्र पर विचार नहीं किया गया।

(4) जी नहीं। नर्सिंग होम हेतु भूखण्डों के आवंटन हेतु रीको द्वारा माप दण्ड प्रणाली तदर्थ रूप से अपनाई गई थी। तदर्थ रूप से अपनाई गई प्रणाली एवं मापदण्ड के विवरण की सूची "ग" सदन के पटल पर रख दी गई है।

मालवीया औद्योगिक क्षेत्र के प्राप्त प्रार्थना पत्र

क्र. सं.	डाक्टर का नाम	प्रार्थना-पत्र प्राप्त करने का दिनांक मय 25 प्रतिशत अग्रिम राशि
1	2	3
1.	डा. एस. सी. माथुर डा. शान्ति माथुर	17.12.88
2.	अपैक्स हास्पिटल्स (प्रा. लि.)	19.12.88
3.	डा. आर. के. भण्डारी	20.12.88
4.	डा. आशा भण्डारी	28.12.88
5.	डा. घनश्यामदास घीया	28.12.88
6.	डा. अवतार कृष्ण डा. सुचरिता कोटिया	30.12.88
7.	डा. रमेश दशोरा डा. वन्दना दशोरा	31.12.88
8.	डा. मिस उमा गुप्ता	1.1.89
9.	डा. राजेन्द्र गुप्ता	2.1.89

1	2	3
10.	डा. अविनाश अग्रवाल	4.1.89
	डा. राजेन्द्र गुप्ता	
11.	डा. अशोक गोयल	5.1.89
12.	डा. श्रीमती उर्मिला खण्डाका	5.1.89
13.	डा. प्रदीप गुप्ता	4.1.89
14.	डा. गिरीश अग्रवाल	9.1.89
	डा. राज गिरीश	
15.	डा. प्रदीप सोनी	9.1.89
	डा. मोनिजा सोनी	
16.	डा. एस. पी. सुद्रानिया	9.1.89
17.	डा. सुभाष काला	9.1.89
	डा. मिसेज प्रेम काला	
18.	डा. मिसेज मंजू अग्रवाल	10.1.89
	डा. जी. के. अग्रवाल	
19.	डा. बिजेन्द्र सिंघल	16.1.89
	डा. मिसेज वीना सिंघल	
20.	डा. एन. के. सेठी	16.1.89
21.	डा. सी. पी. शर्मा	6.3.89
22.	डा. ओ. पी. शर्मा	6.3.89
23.	डा. के. सी. कोटिया	19.1.89
24.	डा. बी. सी. मेहता	28.1.89
	डा. मिसेज सुशीला मेहता	
25.	डा. राजेश गुप्ता	1.2.89
26.	डा. विनोद जैन	14.6.89
27.	डा. आर. जी. डंगायच	8.2.89

सूची "ख"

मालवीया औद्योगिक क्षेत्र, जयपुर

डाक्टरों को आवंटित भूमि की सूची

क्र. सं.	आवंटी डाक्टर का नाम	आवंटित भूखण्ड संख्या	आवंटित क्षेत्रफल (वर्गमीटर में)	आवंटन तिथि	कब्जा सौंपने की तिथि	विशेष विवरण
1.	डा. एस. पी. सुद्रानिया	एसपी —1	578	23.12.89	6.1.90	समस्त डाक्टरों को मालवीया औद्योगिक क्षेत्र, जयपुर में विकास शुल्क की निर्धारित दर 200/- प्रति वर्गमीटर की दर से आवंटित किये गये हैं।
2.	डा. प्रदीप गुप्ता, डा. शांति गुप्ता	एसपी— 2	540	23.12.89	5.1.90	
3.	डा. अन्जू अग्रवाल डा. सी. के. अग्रवाल	एसपी—3	540	23.12.89	29.12.89	
4.	डा. वीना सिंघल डा. विजेन्द्र सिंघल	एसपी—4	540	23.12.89	नहीं लिया है	
5.	डा. शशि माथुर डा. एस. पी. माथुर	एसपी—5	690	23.12.89	28.12.89	
6.	मैसर्स अपेक्स हास्पीटल	एसपी—6	2023	4 1.90	6.1.90	

सूची "ब"

मालवीया औद्योगिक क्षेत्र में कुल 27 डाक्टरों द्वारा भूखण्ड आवंटन हेतु प्रार्थना-पत्र रीको को प्रेषित किये गये थे जिनमें से 6 डाक्टरों को नर्सिंग होम स्थापित करने के लिये निगम द्वारा भूखण्ड आवंटित किये गये थे।

शेष 21 डाक्टरों में से 2 डाक्टरों की अग्रिम राशि के चैक अस्वीकार (डिसओनर) हो गये थे, 3 डाक्टरों ने निगम को प्रार्थना-पत्र प्रेषित कर यह निवेदन किया था कि उनका आवंटन मालवीया औद्योगिक क्षेत्र के स्थान पर सांगानेर औद्योगिक क्षेत्र में नर्सिंग होम स्थापित करने हेतु भूखण्ड आवंटन करने पर विचार किया जावे अन्य 18 डाक्टरों को आवंटन नहीं कराने का कारण रीको द्वारा तदर्थ रूप से अपनाई प्रणाली एवं मापदण्ड रहा है। नर्सिंग होम हेतु तदर्थ रूप से रीको द्वारा भूखण्ड आवंटन के लिये अपनाई गई प्रणाली एवं मापदण्ड निम्न प्रकार हैं :—

श्रेणी प्रथम—चिकित्सकों का समूह	:	ए. विभिन्न क्षेत्रों में विशेषज्ञ एवं स्वयं का पूंजी नियोजन
श्रेणी द्वितीय— चिकित्सक युगल	:	ए. दोनों पोस्ट ग्रेजुएट हो बी. 10 वर्ष का न्यूनतम अनुभव सी. अधिकतम स्वयं की पूंजी
श्रेणी तृतीय—एकल चिकित्सक	:	ए. पोस्ट ग्रेजुएट हो। बी. 10 वर्ष का अनुभव पोस्ट ग्रेजुएट हेतु। सी. 20 वर्ष का अनुभव हो।

इस प्रकार उपर्युक्त निर्धारित प्रणाली एवं मापदण्ड के अनुसार योग्य पाये गये 6 डाक्टरों को आवंटन किया गया और शेष डाक्टरों द्वारा निर्धारित प्रणाली एवं मापदण्ड के अन्तर्गत योग्य नहीं पाये जाने पर आवंटन नहीं किया गया।

Page No. 254

254

जयपुर शहर के रैन बसेरों में सुविधाओं पर व्यय

340. **श्री राजेन्द्र पारीक (सीकर) एवं श्री गोविन्द सिंह गुर्जर (नसीराबाद) :** क्या समाज कल्याण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जयपुर शहर में सरकार द्वारा बनाये गये अस्थाई रैन बसेरों में कितने निराश्रितों ने शरण ली। रैन बसेरे वार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) इन रैन बसेरों पर क्या सुविधाएं उपलब्ध कराई गई व प्रत्येक पर मदवार कितना-कितना व्यय किया गया? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) अस्थाई नैन बसेरों में आवास की क्या क्षमता थी व कितनी प्रतिशत क्षमता का उपयोग किया गया? पूरी क्षमता का उपयोग नहीं होने के क्या कारण थे? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जयपुर शहर में माह जनवरी, फरवरी तथा 4 मार्च तक कुल 4390 निराश्रितों ने अस्थाई रैन बसेरों में शरण ली। रैन बसेरावार सूची परिशिष्ट "अ" सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) इन रैन बसेरों में शामियाना, दरी, कम्बल आदि की सुविधायें उपलब्ध कराई गई। रैन बसेरावार एवं मदवार व्यय की सूची परिशिष्ट "ब" सदन की मेज पर रख दी गई है।

(3) अस्थाई रैन बसेरों में कुल 500 व्यक्ति प्रतिदिन आवास की क्षमता थी। आसतन 21 प्रतिशत क्षमता का उपयोग किया गया। प्रारम्भ में जब अधिक ठण्ड थी तब तुलनात्मक रूप से अधिक लोगों ने क्षमता का उपयोग किया किन्तु जब ठण्ड कम हो गई तब निराश्रितों वापस अपने पूर्व के स्थानों पर चले गये। बाद में पूरी क्षमता का उपयोग नहीं किया गया।

जयपुर शहर में रैन बसेरों के स्थान एवं उनमें शरण लेने वाले निराश्रितों की संख्या

क्र. सं.	स्थान अस्थाई रैन बसेरा	कब से कब तक चला	शरण हेतु आये निराश्रितों की संख्या
1.	खासा कोठी (सर्किट हाऊस के पास)	8 जनवरी से 4 मार्च तक	1975
2.	जलेबी चौक	8 जनवरी से 4 मार्च तक	607
3.	शास्त्री नगर, थाने के पास	10 जनवरी से 16 फरवरी तक	60
4.	सोडाला, हठवाड़ा रोड (शापिंग सेन्टर के पास)	10 जनवरी से 16 फरवरी तक	92
5.	गांधी नगर, रेल्वे स्टेशन के पास	10 जनवरी से 4 मार्च तक	762
6.	सेठी कालोनी (घाट की गूणी के चौराहे के पास)	10 जनवरी से 4 मार्च तक	663
7.	अशोक मार्ग सी-स्कीम (लुहाड़िया भवन के पास)	11 जनवरी से 16 फरवरी तक	193
8.	दुर्गापुरा, पशु चिकित्सालय	15 जनवरी से 16 फरवरी तक	46

जयपुर शहर में अस्थाई रैन बसेरों की मदवार व्यय सूची

क्र. सं.	स्थान अस्थाई रैन बसेरा	व्यय का विवरण		विविध व्यय लालटेन, केरोसिन, मोमबत्ती आदि पर
		टेन्ट व्यवस्था पर	होमगार्ड्स की ड्यूटी पर	
1.	खासा कोठी (सर्किट हाऊस के पास)	58,472.00	4457.00	143.40
2.	जलेबी चौक	54,642.00	4697.00	90.40
3.	शास्त्री नगर थाने के पास	24,496.00	3104.00	90.40
4.	सोडाला (हटवाड़ा रोड शोपिंग सेन्टर के पास)	2,446.00	3725.00	90.80
5.	गांधी नगर रेल्वे स्टेशन के पास	34,128.00	4812.00	158.15
6.	सेठी कोलोनी (घाट की गूणी के चौराहे के पास)	34,128.00	4168.00	143.40
7.	अशोक मार्ग सी-स्कीम (लुहाड़िया भवन के पास)	26,374.00	3105:00	110.50
8.	दुर्गापुरा, पशु चिकित्सालय	20,526.00	3104.00	96.95

दुग्ध उत्पादक संघ एवं संयंत्रों का विलीनीकरण

341. **श्री चुन्नीलाल इन्दलिया** (नोखा) : क्या दुग्ध विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राज्य सरकार दुग्ध उत्पादक संघ एवं संयंत्रों के विलिनीकरण पर विचार करके राष्ट्रीय डेण्री विकास बोर्ड एवं अमूल पद्धति को लागू करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

(2) राजस्थान के 16 जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघों में केवल 12 सहकारी संघ व सम्बन्धित डेयरी फैडरेशन इकाइयों का विलीनीकरण ही किया गया है ? यदि हां, तो शेष जिला सहकारी संघों को कब तक विलीन कर दिया जायेगा ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि फैडरेशन द्वारा संचालन मण्डल के चुनाव राज्य में कई जगह करा दिये गये हैं, परन्तु क्या सरकार राज्य डेयरी फैडरेशन के अध्यक्ष का चुनाव प्रान्त स्तर पर करवाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) जी हां। दिसम्बर, 1992 तक चरणों में विलिनीकरण किया जाना है।

(2) जी हां। शेष जिला दुग्ध संघों एवं दुग्ध संयंत्रों का विलीनीकरण दिसम्बर, 92 तक किये जाने की योजना है।

(3) चूरू के अतिरिक्त समस्त जिला संघों के चुनाव कराये जा चुके है। ट्रिबनल के स्थगन की वजह से चूरू जिला संघ के चुनाव बाकी है। निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार फैडरेशन का संचालक मण्डल का चुनाव कराये जाने की प्रक्रिया शीघ्र चालू कराई जायेगी।

टोडारायसिंह क्षेत्र के पेटा तालाबों का अस्थाई आवंटन

342. **श्री घासीलाल चौपड़ा** (टोडरायसिंह) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) तहसील टोडारायसिंह क्षेत्र के पिछले कितने सालों से पेटा तालाबों का आवण्टन नहीं हुआ जब कि पेटा तालाबों का अस्थाई आवण्टन 3 या 5 साल के लिए होता है, लेकिन राजस्व अधिकारियों की लापरवाही के कारण काश्तकारों को आवण्टन नहीं होने से कई गुना जुर्माना देना पड़ा ?

(2) क्या तहसील क्षेत्र टोडारायसिंह में सन् 1970 के पहले के चारागाह अतिक्रमण के मामले नियमन हेतु तहसील कार्यालय व जिलाधीश कार्यालय में लम्बित पड़े हैं ? लम्बित मामले अब तक निपट जायेंगे ?

(3) क्या यह सही है कि रेवेन्यू अधिकारियों की लापरवाही के कारण चारागाह व सिवाय चक भूमि जो कि नियमन कमेटी द्वारा नियमन की सिफारिश करने के बावजूद भी कई किसानों कई गुना जुर्माना व सजायें भुगतनी पड़ी ?

उत्तर

(1) राजस्थान भू-राजस्व (तालाब पेटा भूमि का कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन) नियम, 1961 के प्रावधानों के तहत 3 साल के लिये कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आबंटन करने का प्रावधान है। तहसील क्षेत्र टोडारायसिंह में पेटा तालाब की भूमि का आबंटन वर्ष 1987 के पश्चात विभिन्न प्रशासनिक कारणों से नहीं किया जा सका है। जिसमें राजस्व अधिकारियों को कोई लापरवाही नहीं है। जिन मामलों में पूर्व वर्षों के आवंटियों ने मौके पर काश्तकारी की है। उनसे पेनल्टी नहीं ली गई बल्कि केवल लगान ही वसूल किया गया है और जिन व्यक्तियों ने नये तौर पर अतिक्रमण किया है उनसे नियमानुसार पेनाल्टी वसूल की गई है। अब नियमानुसार आवंटन किये जाने हेतु कार्यवाही की जावेगी।

(2) जी हाँ। तहसील टोडारायसिंह क्षेत्र की चारागाह भूमि पर 1970 के पूर्व के अतिक्रमण के 65 प्रकरण विचाराधीन है जिनमें आवंटन सलाहकार समिति ने नियमन की अभिसंशा की है परन्तु निर्धारित प्रक्रिया पूर्ण नहीं होने के कारण अन्तिम निर्णय नहीं हो सका है। अब शीघ्र निर्णय लिया जावेगा।

(3) जी हाँ। यह सही है कि जिन प्रकरणों में तहसीलदार/आवंटन सलाहकार समिति द्वारा नियमन किये जाने की सिफारिश की गई है उनसे भी राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 91 के तहत पेनल्टी वसूल की जाती रही है परन्तु ऐसे प्रकरणों में अतिक्रमियों को सिविल कारावास की सजा नहीं दी गई है। पेनाल्टी इस कारण कायम कर वसूली की जाती रही है कि इन प्रकरणों अन्तिम निर्णय नहीं हुआ है।

कोलायत, गजनेर, साहवा, पोकरण एवं फलोदी जलोत्थान सिंचाई योजना

343. **श्री बुलाकीदास कल्ला** (बीकानेर)-एवं **श्री मनीराम** सियाग (लूणकरणसर) : क्या इन्दिरा गांधी नहर मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) इन्दिरा गांधी नहर परियोजना के अन्तर्गत कोलायत, गजनेर, साहवा (चूरू) पोकरण एवं फलोदी जलोत्थान सिंचाई योजना का कार्य कब तक पूरा कर दिया जावेगा ? क्या यह सही है बायीं मुख्य नहर की योजना फिलहाल स्थगित कर दी गई है ? यदि नहीं, तो इस योजना के अन्तर्गत क्या-क्या विकास कार्य किये गये ? अब तक कितनी-कितनी कि. मी. नहर अलग-अलग जलोत्थान सिंचाई योजनाओं की बनाई गई ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त जलोत्थान सिंचाई योजनाओं से सम्बन्धित हैड वर्क्स के तखमीने एवं नक्शे अभी तक अंतिम रूप से तय नहीं हो पाये हैं ? यदि हां तो इनकी स्वीकृति एवं अनुमोदन कब तक हो जावेगा ?

(3) क्या यह सही है कि उक्त जलोत्थान सिंचाई योजनाओं के देर से बनने से परियोजना की लागत में बढ़ोतरी होगी ? यदि हां तो विभाग एवं बोर्ड ने क्या कोई समयबद्ध कार्यक्रम इन पांचों लिफ्टों को

(श्री बुलाकी दास कल्ला)

पूरा करने हेतु बनाया है ? ये पांच लिफ्टें कब तक पूरी बन जायेगी ?

(4) उक्त पांचों जलोत्थान सिंचाई योजनाओं में से सर्वाधिक आर्थिक रूप से उपयोगी योजना कौन सी है ?

उत्तर

(1) इन्दिरा गांधी नहर परियोजना के अन्तर्गत कोलायत, गजनेर, साहवा (चूरू), पोकरण एवं फलौदी जलोत्थान सिंचाई योजनाओं का कार्य वर्ष 2002 तक पूरा किया जाना प्रस्तावित है। बायीं मुख्य नहर नाम की नहर इस परियोजना में अलग से नहीं है। विभिन्न जलोत्थान योजनाओं पर माह फरवरी, 1991 तक निम्नानुसार लाइनिंग कार्य हो चुका है :—

1.	नोहर-साहवा जलोत्थान प्रणाली	7.15 किमी
2.	कोलायत जलोत्थान प्रणाली	0·90 किमी
3.	गजनेर-जलोत्थान प्रणाली	4.25 किमी
4.	बांगड़सर जलोत्थान प्रणाली	1.25 किमी.
5.	फलोदी जलोत्थान प्रणाली	लाइनिंग का कार्य प्रारम्भ किया जाता है।
6.	पोकरण जलोत्थान प्रणाली	अभी कार्य प्रारम्भ होना है।

(2) गजनेर, कोलायत व फलौदी जलोत्थान योजनाओं पर स्टेन्डर्ड टाइप हैड वर्क्स तकनीकी दृष्टि से बनाने की आवश्यकता नहीं है। इन जलोत्थान योजनाओं पर प्रथम पंपिंग स्टेशन तक जाना स्वतः ही बहाव से पहुंच जायेगा और तत्पश्चात आवश्यकता अनुसार पंपिंग कर लिया जायेगा। पोकरण सिंचाई जलोत्थान हैड रेगुलेटर के नक्शे की स्वीकृति इस योजना का कार्य प्रारम्भ किये जाने के उपरान्त प्रदान करनी सम्भव होगी। साहबा जलोत्थान सिंचाई योजना से सम्बन्धित हैड वर्क्स के तखमीने एवं नक्शे अन्तिम रूप से तय किये जा चुके है।

(3) किसी भी सिंचाई परियोजना के देर से बनने के कारण परियोजना की लागत पर प्रायः बढ़ोत्तरी होती है, परन्त इन परियोजनाओं को पूरा किया जाना आवश्यक वित्तीय संसाधनों की उपलब्धि पर ही निर्भर करता है। वर्तमान अनुमान के अनुसार इन जलोत्थान योजनाओं को सन 2002 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।

(4) आर्थिक रूप से सभी जलोत्थान सिंचाई योजनायें उपयोगी हैं। फिर भी प्रति हैक्टर लागत के अनुसार फलौदी जलोत्थान योजना के निर्माण कार्य में न्यूनतम लागत आती है (रु. 8426 प्रति हैक्टर) यह लागत वर्ष 1984 के संशोधित प्राक्कलन में किये गये प्रावधान पर आधारित है।

फतेहसागर, स्वरूपसागर और पिछोला झीलों का पर्यावरण

344. **श्री शिव किशोर सनाढ्य** (उदयपुर) : क्या पर्यावरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि उदयपुर स्थित फतहसागर, स्वरूपसागर और पिछोला झीलों में जल-कुम्भी के कारण तथा आसपास की होटलों के कारण पीने का पानी खराब हो रहा है ? इस प्रदुषण को रोकने के लिये अब तक क्या कारगार कदम उठाये गये है ?

(2) क्या यह सही है कि उदयपुर शहर के समीप सूखेर, अमरकजी आदि क्षेत्र में मार्बल फैक्टरियों तथा उद्योगों के लिये भूमि आवंटन से पर्यावरण को खतरा उत्पन्न हो गया है, यदि हां, तो इस संबन्ध में सरकार क्या कदम उठाने का विचार रखती हैं ? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

1. (i) उदयपुर स्थित फतेहसागर स्वरूप सागर व पिछोला झीलों में जल कुम्भी के कारण इन झीलों के जल की गुणवत्ता में कमी की सम्भावना रहती है ।

(ii) यद्यपि पिछोला झील की परिधि क्षेत्र में 1980 से सीवरेज प्रणाली कार्य कर रही है परन्तु जनसंख्या में हुई वृद्धि से नई बसावट के कारण झील का पानी खराब होने की सम्भावना रहती है । फतेह सागर व स्वरूप सागर के आसपास होटलों के कारण पानी वर्षाकाल में खराब होने की सम्भावना रहती है ।

(iii) भारत सरकार द्वारा 7 लाख रुपये की एक योजना पिछोला, फतेहसागर झीलों के संरक्षण हेतु सन् 1989 में स्वीकृत की गई थी जिसमें इन झीलों मे जल कुंभी हटाने व जल चेतना जाग्रत करने का प्रावधान था । जल कुम्भी हटाने का कार्य उसी वर्ष योजनानुसार पूर्ण कर लिया गया ।

(iv) उदयपुर शहर के लिये रुपये 277 लाख की सीवरेज प्रणाली पूरी कर ली गई है ।

(v) जन स्वास्थ्य विभाग द्वारा इस झील के पानी को पीने के पूर्व कीटाणु-रहित किया जाता है ।

(vi) इस झील के कोई नये होटलों के निर्माण की स्वीकृति नहीं दी जा रही है ।

2. (1) उदयपुर शहर के समीप सुखेर, अमरकजी आदि क्षेत्रों में मारबल उद्योगों से उत्पन्न स्तरी के अव्यवस्थित रूप से निष्पादन के कारण व अन्य उद्योगों के कारण पर्यावरण पर विपरीत प्रभाव की सम्भावना रहती है। मार्बल चिराई से उत्पन्न स्तरी जो कि सूखने के बाद पाउडर के रूप में आकार वायु प्रदूषण फैलाती है, को डिस्पोजल करने हेतु आवश्यक कार्यवाही की जा रही है ।

(2) सुखेर औद्योगिक क्षेत्र में प्रदूषण रोकने के उद्देश्य से नये उद्योगों को भूमि आवंटन नहीं करने के सम्बन्ध में जिला स्तर पर नीति निर्धारित कर दी गई है । अब नये उद्योग नहीं लगाने दिये जा रहे है ।

राज्य के शिक्षकों द्वारा ट्यूशन

345. **श्री गुलाम मुस्तुफा खान** (नागौर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान में सभी राजकीय शिक्षण संस्थाओं के अध्यापकों पर ट्यूशन करने का प्रतिबन्ध लगा हुआ है ?

(2) राजस्थान में इस नियम का कहां कहां उल्लंघन हो रहा है ? गत वर्ष 1990 में सरकार ने इस निरुप के उल्लंघन करने पर कितने अध्यापकों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) भविष्य में प्राइवेट ट्यूशन बन्द करने के लिए सरकार क्या कठोर कदम उठाने जा रही है।

उत्तर

(1) निर्धारित सीमा से अधिक ट्यूशन करने पर प्रतिबन्ध है।

(2) राजस्थान में बीकानेर जिले में इसका उल्लंघन होने का मामला राज्य सरकार के ध्यान में आया है। उल्लंघन करने वाले 30 अध्यापकों के विरुद्ध राजस्थान सिविल सेवा नियम 1958 के अधीन कार्यवाही प्रारम्भ की जा चुकी है।

(2) निर्धारित सीमा से अधिक ट्यूशन करने पर पहले से ही प्रतिबन्ध लगा रखा है। इस वर्ष अध्यापकों से घोषणा पत्र भी भरवाये गये हैं।

आयातित चीनी की ढुलाई एवं वितरण में हुए घोटालों की जांच

346. **श्री जीतमल जैन** (अलवर) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि वर्ष 1987-88 में राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ लि., जयपुर द्वारा आयातित चीनी की ढुलाई एवं वितरण में हुए घोटालों की शिकायत के सम्बन्ध में जांच हुई थी ? यदि हां, तो क्या जांच में कुछ अधिकारियों को दोषी पाया गया था ?

(2) जांच में दोषी पाये गये अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ? कार्यवाही का विवरण एवं जांच रिपोर्ट सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां, वर्ष 1987-88 में राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ लिमिटेड, जयपुर द्वारा आयातीत चीनी की ढुलाई एवं वितरण में प्राप्त शिकायत की जांच हुई थी। जांच में किसी अधिकारी को दोषी नहीं पाया गया।

(2) कार्यवाही का प्रश्न ही नहीं है। जांच रिपोर्ट सदन की मेज पर रख दी गई है।

(जांच रिपोर्ट विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

मिडिल स्कूलों को सैकेण्डरी स्कूलों में क्रमोन्नति के मापदण्ड

347. **श्री मनीराम सियाग** (लूणकरणसर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) बीकानेर जिले में सन् 1988-89 तथा 1989-90 में कौन-कौन सी मिडिल स्कूलें, सैकेन्ड्री स्कूलों में क्रमोन्नत की गई ?

(2) क्या उक्त सभी स्कूलों में सरकार ने मापदण्ड के अनुसार स्टाफ तथा अन्य सुविधायें उपलब्ध करादी है, यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या यह सही है कि स्टाफ की कमी के कारण बच्चों के दो वर्ष खराब हो गये हैं ? यदि हां, तो इसके लिये कौन जिम्मेदार है ?

(4) क्या यह सही है कि अब तक उन क्रमोन्नत स्कूलों में हैडमास्टर तक नहीं लगाये गये हैं, यदि हां, तो क्यों ?

उत्तर

(1) बीकानेर जिले में वर्ष 1988-89 में किसी भी उच्च प्राथमिक विद्यालय को माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत नहीं किया गया है तथा वर्ष 1989-90 में 19 उच्च प्राथमिक विद्यालयों को माध्यमिक में क्रमोन्नत किया गया है जिसकी सूची सदन के पटल पर रख दी गई हैं।

(2) जी हां।

(3) जी नहीं।

(4) जी नहीं।

बीकानेर जिले में वर्ष 1988-89 में एवं 1989-90 मिडिल स्कूलों से सैकण्डरी स्कूलों में क्रमोन्नत विद्यालयों की सूची

क्र. सं.		नाम विद्यालय	सत्र
1.		सत्र 1988-89 में किसी उच्च प्राथमिक विद्यालय को क्रमोन्नत नहीं किया गया ।	
		सत्र 1989–90 में क्रमोन्नत विद्यालय	
2.	1.	**छात्र विद्यालय**	
	1.	रा.उ.प्रा.वि. खाजूवाला	1989-90
	2.	,, गोडु	,,
	3.	,, सूरपुरा	,,
	4.	,, अकासर	,,
	5.	,, जयसिंहदेसर मगरा	,,
	6.	,, बीरमसर	,,
	7,	,, पाबूबारी बीकानेर	,,
	8.	,, नवरगंदेसर	,,
	9.	,, गोपाललाल बजाज कोचरों का चौक बीकानेर	,,
	10.	,, बंदा	,,
	11.	,, बादनू	,,
	12.	,, बोबीतलाई बीकानेर	,,
	13.	,, सिदगुरु	,,
	14.	,, बम्बलू	,,
	15.	,, खारीचारनान	,,
	16.	,, रामनगर	,,
		छात्रा विद्यालय	
	17.	रा.बा.उ.प्रा. वि कालू	,,
	18.	,, लक्ष्मीनाथ टी बीकानेर	,,
	19.	,, हर्षों का चौक, बीकानेर	,,

पाली जिले की खानों पर अतिक्रमण

348. श्री सुरेन्द्र गोयल (जैतारण) : क्या खनिज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) पाली जिले की जैतारण तहसील में डिगराना, सिणला, निम्बोल, लौटोती एवं सेवारिया आदि क्षेत्र में वर्ष 1985 से 1990 तक किन-किन खनन कार्य करने वालों के अतिक्रमण का किन-किन मापदण्डों के आधार पर नियमन किन-किन तिथियों में किया गया ?

(2) नियमन के पूर्व अतिक्रमणियों के विरुद्ध कौन-कौन से कारगर कदम उठाकर चालान कब-कब किये गये ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) पाली जिले की जैतारण तहसील में डिगराना, सिणला, निम्बोल, लौटोती एवं सेवारिया आदि क्षेत्र में वर्ष 1985 से 1990 तक किसी भी खनन कार्य करने वालों के अतिक्रमण का नियमन नहीं किया है।

(2) अवैध खननकर्त्ताओं के विरुद्ध विभाग द्वारा कार्यवाही की जाती है। उक्त क्षेत्रों में अवैध खननकर्त्ताओं के विरुद्ध की गई कार्यवाही प्रपत्र "अ" एवं प्रपत्र "ब" में संलग्न है।

(सूचियां विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई।)

भीलवाड़ा में छात्रावासों का निर्माण

349. श्री रामनारायण बैरवा (निवाई) : क्या समाज कल्याण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि भीलवाड़ा में छात्रों की संख्या नगण्य होते हुए भी कई छात्रावासों का निर्माण कार्य जारी है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या सरकार पुनर्विचार करना चाहती है ?

उत्तर

जी नहीं। जिन स्थानों पर छात्रावास भवनों का निर्माण कार्य जारी है उन स्थानों पर पहले से संचालित छात्रावासों की कुल क्षमता 410 है जिसके सापेक्ष 352 छात्रों को प्रवेश दिया हुआ है।

चम्बल की दायीं मुख्य नहर से निकलने वाली वितरिकाओं का रख-रखाव

350. श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा) : क्या सिंचित क्षेत्र विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि चम्बल की दायीं मुख्य नहर से निकलने वाली इटावा ब्रांच कैनाल तथा अयाना ब्रांच कैनाल की विभिन्न नहरों लक्ष्मीपुरा, कजलिया, हरिपुरा, गैंता, छापोल, खातोली आदि डिस्ट्रीब्यूटरीज तथा कोलाना दूधली, मूंगली, गूंगेना, रामपुरा, हथाली, बमोलिया, राजपुरा, शेरगंज, सीनोता, काकरावदा, लुहावद, मीठोद बिजपुरा, पीपल्दा, हरिपुरा, कजलिया, गनेशखेड़ा, खेडली आदि माइनर्स की मरम्मत नहीं होने से पानी टेलों पर पहुंचने में कठिनाई होती है ?

(श्री हीरालाल आर्य)

(2) वर्ष 1990-91 में नहरों की मरम्मत एवं रख-रखाव हेतु कितनी राशि खर्च की गई? अब 1991-92 में कितनी राशि खर्च करने का प्रावधान है ?

(3) क्या सरकार उक्त नहरों की मरम्मत हेतु उचित एवं समुचित व्यवस्था करेगी ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) वर्ष 1991-92 में इटावा ब्रांच एवं अयाना ब्रांच की वर्णित प्रश्न संख्या 1 की नहरों के रख-रखाव एवं मरम्मत हेतु कुल 2.53 लाख रुपये खर्च किया गया। वर्ष 1991-92 में उक्त नहरों के मरम्मत एवं रख-रखाव हेतु 2.50 लाख रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है।

(3) उपलब्ध बजट राशि के अन्तर्गत प्रश्नास्पद नहरों का रख-रखाव किया जाना सम्भव होगा।

ओलवाड़ा लघु सिंचाई योजना की स्वीकृत

351. **श्री मोतीलाल** (सवाई माधोपुर) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि ओलवाड़ा लघु सिंचाई योजना (बनास नदी पर) तथा पीपल्दा लिफ्ट इरिगेशन (चम्बल नदी पर) स्वीकृत है ?

(2) यदि हां, तो इनकी अब तक क्रियान्विति क्यों नहीं हुई ? अब कब तक प्रारम्भ कर दी जायेगी ?

(3) उक्त योजनाओं में कौन-कौन से गांव सम्मिलित किये गये हैं तथा कुल कितनी जमीन सिंचित होगी ?

उत्तर

(1) जी नहीं। दोनों योजनाएं स्वीकृति हेतु योजना आयोग एवं केन्द्रीय जल आयोग, नई दिल्ली को प्रेषित की हुई हैं एवं अभी स्वीकृत होनी है।

(2) स्वीकृति के अभाव में उक्त योजनाओं की क्रियान्विति नहीं हो पाई है। स्वीकृति जारी होने पर ही कार्य प्रारम्भ करना सम्भव होगा ?

(3) विवरण सदन की मेज पर प्रस्तुत है। ओलवाड़ा से सी. सी. ए. 5509.2 हैक्टेयर में तथा पीपल्दा से सी. सी. ए. 12930 हैक्टेयर में सिंचाई करना प्रस्तावित है।

ओलवाड़ा लिफ्ट सिंचाई परियोजना

लाभान्वित गाँवों की सूची :

1 डूंगरी	2. भरी पहाड़ी
3. बासू	4. निवारी
5. ओलवाड़ा	6. रायथाकला
7. हिगोनी	8. ऐण्डा
9. श्यामपुरा	10. पाड़ली
11. भांडलाव	12. कुण्डेरा
13. उलियाना	14. रॉवल
15. खोवा	16. छारोड़ा

पीपल्दा लिफ्ट सिंचाई योजना

लाभान्वित गाँवों की सूची

1. पीपल्दा	2. गण्डावर
3. गोठड़ा	4. रावरा
5. मोईखुर्द	6. जयसिंहपुरा
7. कमोखरी	8. अईसापुरा
9. मुकुन्दपुरा	10. खण्डार
11. बाड़ोद	12. अकोला
13. पांधाड़ी से परखना	14. अनियाला
15. बडवास	16. ओनमीना
17. नोहनास	18. बन्जारी
19. पोउण्डी	20. खण्डेला
21. सोनकच्छ	22. पीना रवेड़ी
23. मोईकल्ला	24. पाउण्डी
25. कट्टार	26. हरिया
27. कँवलपुरा	28. पाली
29. जयलालपुरा	30. निरवाला
31. परखना	

सीमावर्ती जिलों का सुनियोजित विकास

352. **श्री चम्पालाल बांठिया** (पचपदरा) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) नये जिले बनाये जाने के क्या मापदण्ड हैं ?

(2) क्या जिला बाड़मेर एवं जैसलमेर क्षेत्रफल व आबादी की दृष्टि में अन्य प्रांतों के बराबर है ?

(3) यदि हां, तो क्या सरकार सीमावर्ती जिलों के सुनियोजित विकास को दृष्टिगत रखते हुए पोकरण एवं बालोतरा को जिला बनाने का विचार रखती है ?

(4) यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) नये जिले गठित करने के कोई निर्धारित मापदण्ड नहीं है।

(2) जिला बाड़मेर एवं जैसलमेर क्षेत्रफल व आबादी की दृष्टि से अन्य प्रांतों के समकक्ष नहीं है।

(3) जी नहीं। ऐसा कोई प्रकरण विचाराधीन नहीं है।

(4) उपरोक्त के परिपेक्ष में प्रश्न ही नहीं उठता।

रावतभाटा स्थित परमाणु बिजली घर से निकलने वाले परमाणु विकिरण से प्रदूषण

353. **श्री हेमराज** (किशनगंज) : क्या वन एवं पर्यावरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) परमाणु बिजली घर रावत भाटा के आस-पास के किन-किन गांवों में परमाणु विकिरण से प्रदूषण फैल रहा हैं ?

(2) क्या उक्त परमाणु विकिरण से कैंसर जैसी घातक बीमारियां फैल रही हैं ? यदि हां, तो राज्य सरकार ने इसके निवारण हेतु क्या-क्या कार्यवाही की ?

उत्तर

(1) परमाणु बिजलीघर रावतभाटा के आसपास के किसी गांव में परमाणु विकिरण से प्रदूषण नहीं फैल रहा है ?

(2) जी नहीं। परमाणु विकिरण से कैंसर जैसी घातक बीमारियों के फैलने की कोई सूचना प्राप्त नहीं है।

परिशिष्ट–4

अतारांकित प्रश्न संख्या 580 की सूची

ठेकेदारों से प्राप्त की गई सामग्री की मात्रा व राशि की सूची

क्र. सं.	विक्रेता का नाम	कार्य स्थल का नाम	बिल संख्या व दिनांक	किस्म सामग्री	दर	मात्रा	राशि	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	आकृति ट्रेडर्स, खण्डार	सावटा चौकी	34/ 15-1-91	चूना	80/- प्रति क्विन्टल	50 कि.व.	4000.00	निविदा संख्या 504/ 7-11-90
2.	,,	तलावडा चौकी	33/ 15-1-91	,,	,,	50 ,,	4000.00	,,
3.	,,	चौकी बालेर	32/ 24-1-91	,,	,,	50 ,,	4000.00	,,
4.	,,	,, फरिया	36/ 24-1-91	,,	,,	40 ,,	3200.00	,,
5.	,,	,, तलावडा	46/ 25-1-91	,,	,,	30 ,,	2400.00	,,
6.	,,	,, सावटा	45/ 25-1-91	,,	,,	25 ,,	2000.00	,,
7.	,,	,, फरिया	42/ 25-1-91	,,	,,	20 ,,	1600.00	,,

1	2	3	4	5	6	7	8	9
8.	राजेश कुमार शर्मा, खण्डार	चौकी फरिया	24-1-91	बजरी	3.20 प्रति घनफीट	1729 घ.फी.	5532.80	निविदा 513/ 9-11-90
9.	,,	,, तलावड़ा	15-1-91	,,	,,	800 ,,	2560.00	,,
10.	,,	,, तलावड़ा	24-1-91	,,	,,	820 ,,	2624.00	,,
11.	,,	,, सावटा	25-1-91	,,	,,	500 ,,	1600.00	,,
12.	,,	,, बालेर	23-1-91	,,	,,	1000 ,,	3200.00	,,
13.	महेश चन्द्र शर्मा, खण्डार	चौकी बालेर	23-1-91	पत्थर	76/- प्रति घ. मीटर	62 घ.मी.	4712.00	निविदा सू. 540/ 17-11-90
14.	जगदीश प्रसाद मथुरिया, खण्डार	,, तलावड़ा	25-1-91	,,	78/- प्रति घन मीटर	90 घ.मी.	7020.00	,,

269

तुलनात्मक सारणी

क्र. सं.	नाम कार्यस्थल	नाम सामग्री	निविदादाताओं के नाम के नाम व प्राप्त दरें			
1.			मारुति ट्रेडर्स, खण्डार	गोरीशंकर जीतमल कुमावत स. माधोपुर	कैलाश चन्द्र पुत्र श्री अर्जुनलाल, खण्डार	गणेशराम कन्हैया लाल सवाई माधोपुर
	1. बालेर	चूना	80/- प्रति क्विण्टल	84/- प्रति क्विन्टल	81/- प्रति क्विन्टक्ष	89/- प्रति क्विन्टल
	2. बस्सी	,,	80/- ,, ,,	84/- ,, ,,	81/- ,, ,,	89/- ,, ,,
	3. तलावड़ा	,,	80/- ,, ,,	80/- ,, ,,	81/- ,, ,,	83/- ,, ,,
	4. सावटा	,,	80/- ,, ,,	80/- ,, ,,	81/- ,, ,,	83/- ,, ,,
	5. अणतपुरा	,,	80/- ,, ,,	80/- ,, ,,	81/- ,, ,,	83/- ,, ,,
	6. लाहपुर	,,	80/- ,, ,,	80/- ,, ,,	81/- ,, ,,	82/- ,, ,,
	7. तालड़ा	,,	80/- ,, ,,	89/- ,, ,,	81/- ,, ,,	89/- ,, ,,
	8. फरिया	,,	80/- ,, ,,	80/- ,, ,,	81/- ,, ,,	83/- ,, ,,
2:			राजेश कुमार पुत्र श्री कृपाशंकर शर्मा खण्डार।	सत्यनारायण मथुरिया पुत्र श्री रामनिवास मथुरिया, खण्डार।	कैलाश चन्द्र पुत्र श्री अर्जुनलाल शर्मा खण्ड़ार।	
	तलावड़ा, सावटा, फरिया, बालेर, वस्सी, तालड़ा	बजरी बनास	3.20 रुपये प्रति घन फीट	3.50 रुपये प्रति घन फीट	3.75 रुपये प्रति घन फीट	

परिशिष्ट–5

अतारांकित प्रश्न संख्या 583 की सूची

वर्ष 1983-84 से 90-91 तक बनाये गये क्लोजर कार्य पर हुए व्यय का विवरण

कार्यालय उप वन संरक्षक, विभागीय कार्य मण्डल, कोटा

क्र. सं.	नाम क्लोजर	नाम तहसील	फेंसिग क्लोजर निर्माण का वर्ष	क्षेत्रफल	कराये गये कार्य का विवरण	स्वीकृत राशि	वास्तविक नकद	व्यय खाद्य सामग्री	योग	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	रनवास, नयागाव-4	किशनगंज	1983-84	160 है.	स्टोनवाल फेंसिग	94028/-	93528/-	—	93528/-	
2.	नाङदाबसई-25	शाहबाद	1984-85	228 है.	,, ,,	91542/-	82248/-	—	82243/-	
3.	आडोता-8	,,	,,	156 है.	,, ,,	81522/-	67830/-	—	67830/-	
4.	नोनेरा-12	,,	,,	260 है.	,, ,,	122192/-	123123/-	—	123123/-	
5.	खण्डेला-7	किशनगंज	,,	197 है.	स्टोनवाल व कांटे दार तार	145306/-	106028/-	—	106028/-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6.	रातई-6	शाहबाद	1984-85	260 है.	स्टोनवाल फेंसिंग तथा तार फेंसिंग	85000/-	52338/-	—	52238/-	तार का मूल्य शामिल नहीं है।
7.	मुण्डियर-5	,,	,,	210 है.	तार फेंसिंग	110000/-	98662/-	—	98662/-	
8.	गाड़ी घट्टा-23	,,	1985-86	257 हैं.	,,	95000/-	80989/-	—	80989/-	
9.	नोनेरा-10	,,	,,	250 है.	स्टोनवाल फेंसिंग	166500/-	180221/-	—	180221/-	
10.	तेसनी डी-1	,,	,,	295 है.	,,	133900/-	111302/-	—	111306/-	
11.	गोपालपुरा प्रेमनगर-6	किशनगंज	,,	245 है.	,,	278716/-	194894/-	—	194844/-	
12.	कल्याण आपरेशन झरनिया करेट्आ	शाहबाद	,,	200 है.	,,	97200/-	98351/-	—	98351/-	
13.	नाउदा बसई-17	,,	1987-88	185 है.	तार व टोनवाल	111000/-	45360/-	—	45360/-	तार का मूल्य
14.	तेलनी बी-6	,,	,,	213 है.	,,	155850/-	139267/-	—	139267/-	शामिल नहीं है
15.	सिगरी-7	किशनगंज	,,	251 है.	स्टोनवाल फेंसिंग	150600/-	113242/-	—	113242/-	
16,	रैनवास नयाबाग8बी	,,	,,	136 है.	,,	81000/-	84480/-	—	74483/-	
17.	रैनवास नयागांव9बी	,,	,,	135 है.	,,	81600/-	79181/-	—	79181/-	
18.	बांझ आमली-42	,,	,,	233 है,	,,	75000/-	57013/-	—	57013/-	अपूर्ण कार्य
19.	मोइदा दुर्जनपुरा-6	,,	,,	125 है..	,,	81259/-	81259/-	—	81259/-	
20.	मोइदा दुर्जनपुरा-7	,,	,,	153 है.	,,	102816/-	102816/-	—	102816/-	

Page No. 273

(273)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21.	सीतावाड़ी-3	शाहबाद	1987-88	230 है.	तार व स्टोनवाल	198000/-	56394/-	—	56394/-	तार का मूल्य
22.	उम्मेदसागर-6	किशनगंज	,,	131 है.	,,	10500/-	92259/-	—	92259/-	शामिलनहींहै
23.	तेलनी डी-8	शाहबाद	1988-89	360 है.	स्टोनवाल फेंसिग	180000/-	132488/-	—	132488/-	
24.	सिगरी-9	किशनगंज	,,	363 है.	तार व स्टोनवाल	180000/-	133654/-	—	133654/-	
25.	नोनेरा-13	शाहबाद	,,	383 है,	स्टोनवाल	141392/-	97484/-	—	97484/-	
26.	कल्चरल आपरेशन सन्दोकडा	,,	,,	200 है।	,,	124488/-	141623/-	—	141623/-	
27.	कल्चरल आपरेशन मंडी साभरियासिंगा	,,	,,	200 है.	,,	112915/-	128302/-	—	128302/-	
28.	कल्चर आ. नोनेरा	,,	,,	200 है.	,,	128658/-	84686/-	—	84686/-	
			योग :	24116 है.						

परिशिष्ट 6

अतारांकित प्रश्न संख्या 584 का विवरण

श्री रघुनाथ पुत्र श्री सुन्दर मीणा द्वारा जून, 1981 से किये गये कार्य का वर्षवार विवरण

वर्ष	वर्ष के दौरान किये गये कार्य का विवरण/कार्य दिवसों की संख्या
1981	183
1882	334
1983	212
1984	238
1985	199
1986	275
1987	208½
1988	275
1989	186
1990	
1991	

सूची कैटलगार्ड जिन्हे अर्द्ध स्थाई घोषित किया

वन मण्डल बूंदी

क्रमांक संख्या	नाम कैटलगार्ड	वन विभाग में कार्य करने की प्रथम दिनांक
1.	श्री हरचन्दा वल्द कालू मीणा	1.8.85
2.	श्री राम विलास वल्द रंजन लाल मीणा	16.8.85
3.	श्री मनोहरसिंह वल्द ओमकार सिंह	12.3.86
4.	श्री रामदेव वल्द भूरा	19.3.86
5.	श्री माधो वल्द किशना मेघवाल	29.3.86
6.	श्री बजरंगलाल वल्द मंगला	29.3.86
7.	श्री नन्द किशोर वल्द धूली लाल	29.3.86
8.	श्री धनराज सिंह वल्द गोपाल सिंह	29.3.86
9.	श्री कालू वल्द मथुरा	29.3.86
10.	श्री नन्द किशोर वल्द छीतर लाल मीणा	2.4.86
11.	श्री भैरू लाल वल्द कन्हैया लाल	2.4.86
12.	श्री केसरा वल्द गनेश	2.6.86
13.	श्री रघुनाथ वल्द घासीलाल	1.8.86
14.	श्री रामकल्याण वल्द मोडू गूजर	1.9.86

परिशिष्ट-7

अतारांकित प्रश्न संख्या 589 की सूची

क्र. सं.	बांध का नाम	लागत	सिंचाई क्षमता (हैक्टेयर में)
1.	पामसीन खडीन	7 लाख रुपये	30 हैक्टेयर
2.	छरनाखह्	18 ,,	70 ,,
3.	डूमली की ढाणी खडीन	4 ,,	22 ,,
4.	बागोडी खडीन	6 ,,	32 ,,
5.	सैला टेंक	5 ,,	22 ,,
6.	धीरा	45 ,,	210 ,,
7.	कतावरी	15 ,,	70 ,,
8.	कम कल	7 ,,	32 ,,
9.	पुरोहित की ढाणी खडी	8 ,,	36 ,,
		115 लाख रु.	524 हेक्टेयर

परिशिष्ट--8

अतारांकित प्रश्न संख्या 594 का विवरण

चिकलवास सिंचाई परियोजना द्वारा सिंचित क्षेत्र का विवरण

क्र. सं.	ग्राम का नाम	जिला	ग्राम पंचायत	तहसील	सिंचित क्षेत्र एकड़ में
1.	चिकलवास	उदयपुर	सांपा का खेड़ा	नाथद्वारा	194.00
2.	कुंठवा	उदयपुर	कुंठवा	नाथद्वारा	725.80
3.	दड़वल	उदयपुर	सीसोदा	नाथद्वारा	1027·00
4.	छोटा सिसोदा	उदयपुर			
5.	सिसोदा	उदयपुर			
6.	राठोड़ा का गुडा	उदयपुर			
7.	घांयवा	उदयपुर	घांयवा	नाथद्वारा	89.00
				योग :	2035.00
					810.00 हैक्टर

परिशिष्ट–9

अतारांकित प्रश्न संख्या 596 का विवरण

केकड़ी विधानसभा क्षेत्र में अपूर्ण एनिकट की सूची

क्र. सं.	कार्य का नाम	व्यय की गई राशि (लाखों में)	मद
1.	कावरिया एनिकट	0·80	एन. आर. ई. पी (द्वितीय)
2.	सरदारा एनिकट	0.99	,,
3.	सूरज पुरा एनिकट	1.28	,,
4.	मौलकिया एनिकट	0.72	अकाल राहत
5.	देवमैड एनिकट	1.58	,,
6.	चारागाह एनिकट	0.32	,,
7.	छावडिया एनिकट लासडिया	0.12	,,
8.	चाचा खेड़ा एनिकट	0.13	,,
9.	डाई नदी पर एनिकट नया गांव	0·36	,,
10.	उम्मेदपुरा	0.58	,,
11.	बैतपुरा एनिकट	0·55	,,
12.	जीतापुरा एनिकट	0·50	,,
	योग	7.93	

Page No. 278

(278)

वर्ष 1990-91 में सिंचाई विभाग द्वारा केकड़ी विधान सभा क्षेत्र के कार्यों पर स्वीकृत राशि की सूची

क्र. सं.	कार्य का नाम	वर्ष 1990-91 में स्वीकृत राशि	माह 2/91 तक व्यय की गई राशि
1.	पीपलाज	57·32 लाख रु.	29.34
2.	अम्बापुर	21.00 ,, ,,	9·41
		योग 78·32 लाख रु.	38.75

सिंचाई उपखण्ड केकड़ी में वर्ष 1990-91 में संचालित किये गये कार्यों की सूची

क्र. सं.	कार्य का नाम	मद
1.	पीपलाज	लघु सिंचाई कार्य
2.	अम्बापुर	,,
3.	उम्मेद सागर घटियाली	जवाहर रोजगार योजना
4.	पारा (प्रथम)	जवाहर रोजगार योजना
5.	मेहरूकला एनिकट	,, ,,
6.	बिसुन्दनी बांध	,, ,,

परिशिष्ट 10

अतारांकित प्रश्न संख्या 597 का विवरण

हेमावास बांध से गत 10 वर्षों में उपयोग में लिए गये पानी का विवरण

हेमावास बांध : जिला पाली

क. सं.	वर्ष	कुल पानी बांध में आया मिलियन घन फुट	जलदाय विभाग को आरक्षित किये गये पानी की मात्रा मिलियन घनफूट	वास्तविक पानी की मात्रा जलदाय विभाग ने पीने हेतु उपयोग में ली गई मि. घन.	सिंचाई हेतु उपयोग में लिये गये पानी की मात्रा मि. घनफुट
1	2	3	4	5	6
1.	1981	62.00	62.00	62.00	—
2.	1982	2209.19	500.00	500.00	1709.19
3.	1983	2202.19	—	428.00	1781.19
4.	1984	49·00	49.00	49.00	—
5.	1985	213.00	213.00	213.00	—
6.	1986	2209.19	600.00	728.00	1481.19
7.	1987	109.48	109.48	189.49	—
8.	1988	2717.00	1100.00	1400.00	1317.00 जलदाय विभाग को पानी देने के बाद अतिरिक्त पानी रोका गया।
9.	1989	578.00	578.00	578.00	—
10.	1990	2209.19	500.00	850.00	1359.19

जवाई बांध में आरक्षित पानी की मात्रा

वर्ष	जलदाय विभाग को आरक्षित पानी की मात्रा (एम.सी.एफ.टी)	जलदाय विभाग द्वारा उपयोग	कम उपयोग की मात्रा	सिचाई हेतु आश्रित पानी की मात्रा
1980-81	2000.00	1959	41	660.00
1981-82	1463.00 (पूर्ण आरक्षित)	1463	—	—
1982-83	1546.00 (पूर्ण आरक्षित)	1546	—	—
1983-84	2000.00	942·5	1056·6	—
1984-85	2200.00	2496.00	—	—
1985-86	2329.00	2391	—	—
1986-87	1605.00	1792	—	1990·00
1987-88	978.40	978·4	—	—
1988-89	2174.00	1514	660	2000.00
1989-90	1999.00	1904.15	95.45	—

जवाई बांध से जलदाय विभाग द्वारा कम पानी लिये गये वर्षों में मात्रा व भुगतान राशि का विवरण

क्र. सं.	वर्ष	कम उपयोग किये गये पानी की मात्रा (एम. सी. एफ. टी.)	भुगतान राशि (रु.)
1.	1980-81	41.00	32,000.00
2.	1983-84	1056·5	8,45,200.00
3.	1988-89	660.00	5,28,000,00
4.	1989-90	95.45	76,360.00
		योग :	14,82,560.00

जवाई बांध से जलदाय विभाग द्वारा आरक्षित पानी से कम मात्रा में पानी लेने पर उस पानी से अनुमानित सिंचाई व खाद्यान्न का विवरण

(प्रपत्र "द")

वर्ष	आरक्षित पानी की मात्रा (एम. सी. एफ. डी.)	उपयोग में लिये गये पानी की मात्रा (एम. सी. एफ. टी.)	शेष पानी की मात्रा (एम. सी. एफ. टी.)	शेष पानी से होने वाली अनुमानित (सिंचाई एकड़ में)	खाद्यान्न का उत्पादन अनुमानित (टनों में)
1	2	3	4	5	6
1980-81	2000.00	1959.00	41.00	410	205
1983-84	2000.00	943.20	1056.50	10360	5280
1988-89	2174.00	1514.00	660.00	6600	3300
1989-90	1999·50	1904.15	95.45	934	477
			1852.95	18524	9362

282

परिशिष्ट 11

अतारांकित प्रश्न संख्या 601 की सूची

स्वीकृत कार्यों की सूची

क्र. सं.	नाम कार्य	तहसील	कार्य की स्थिति
1	2	3	4
एन. आर. ई. पी. मद में कार्य :			
1.	बारीदानपुरा	बांसवाड़ा	कार्य एन. आर. ई. पी. मद में पूर्ण है।
2.	सज्जनगढ़	कुशलगढ़	कार्य जवाहर रोजगार के अन्तर्गत वर्ष 89-90 में स्वीकृत। कार्य प्रगति पर है। कार्य मार्च, 1991 तक पूर्ण कर लिया जायेगा।
3.	बिजोर	,,	,,
4.	भंवरीया	बागीडोरा	,,
5.	करमदिया	कुशलगढ़	कार्य जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत माह जनवरी, 91 में स्वीकृत। कार्य प्रगति पर है। पूर्ण होना धनराशि की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।
6.	गोपालपुरा	,,	,,
7.	खेरवा	घाटोल	,,
8.	आर्यापाड़ा	,,	,,
9.	केसरपुरा लिफ्ट	गढ़ी	,,
10.	भूतपाड़ा	बांसवाड़ा	,,
11.	चौकी	घाटोल	,,
12.	बूडवा	बागीदौरा	,,
13.	चरखनी	कुशलगढ़	,,
14.	काजलिया	बागीदौरा	,,
15.	करदा	,,	,,

क्र. सं.	नाम कार्य	तहसील	कार्य की स्थिति
आर. एल. जी. पी. मद के कार्य—			
1.	देलवाड़ा	घाटोल	कार्य माही परियोजना को स्थानान्तरित किया गया।
2.	महुवाल (भुगड़ा)	,,	कार्य पूर्ण है।
3.	सोमपुरा	,,	कार्य आर. एल. ई. जी. पी. के अन्तर्गत पूर्ण है।
4.	सागोलिया	,,	,,
5.	मेल	,,	,,
6.	सागवारी	,,	,,
7.	लाम्बाडावरा	,,	,,
8.	घोड़ी तेजपुर	बासवाड़ा	कार्य आर. एल. ई. जी. पी. के अन्तर्गत पूर्ण है।
9.	सामरिया	,,	,,
10.	महेशपुरा	,,	,,
11.	मांगडतलाई	बागीदोरा	,,
12.	खोडालीम	,,	,,
13.	सालीया	,,	,,
14.	बड़ीयाला	,,	,,
15.	सुन्द्राव	,,	,,
16.	अन्देश्वर	,,	,,
17.	घीड़ादरा	,,	,,
18.	झाकरीया	,,	,,
19.	छोटी टान्डी	,,	,,
20.	पाणदा	,,	,,
21.	खीयापाड़ा	,,	,,
22.	भूरा कुआ	,,	,,
23.	झींकली	,,	,,
24.	रसोडी	,,	,,
25.	खेरी पापाड़ा	,,	,,

Page No. 284

(284)

क. सं.	नाम कार्य	तहसील	कार्य की स्थिति
26.	अखेपुरा	कुशलगढ़	कार्य आर. एल. ई. जी.
27.	वड़ीसरवा	,,	पी. के अन्तर्गत पूर्ण है।
28.	जगपुरा नया तालाब	घाटोल	,,
29.	खण्डीया	,,	,,
30.	फाटा	,,	,,
31.	देवगढ़	बांसवाड़ा	,,
32.	खाटीया	घाटोल	कार्य जवाहर रोजगार मद के अन्तर्गत वर्ष 1989-90 में स्वीकृत। कार्य पूर्ण है।
33.	मेमखोर	,,	,,
34.	वारीगामा	बागीदौरा	,,
35.	नरूदा	बांसवाड़ा	,,
36.	माता का खेड़ा	,,	,,
37.	नवाटापरा	,,	,,
38.	वडवास	,,	,,
39.	सामरीया	कुशलगढ़	,,
40.	चरखनी पि. वि.	बांसवाड़ा	कार्य प्रगति पर हैं।
41.	गरका	बागीदौरा	,,
42.	इमलीचख पि. चियर	,,	,,

परिशिष्ट 12

अतारांकित प्रश्न 607 की सूची

राजस्थान सरकार

कार्यालय सहायक खनिज अभियन्ता, निम्बाहेड़ा (राज.)

निम्बाहेड़ा उपखण्ड क्षेत्र में माइन्स एप्रोच सम्बन्धी विवरण पत्र पूर्व में ....

निर्माण कराये जा चुके माइन्स एप्रोच रोड़ :—

क्र. सं.	नाम सड़क		विशेष विवरण
1.	निम्बाहेड़ा से विनोता वाया डोरीया चोराया		मेटल्ड रोड़
2.	देवलखेड़ी से खोड़ीप टाटरमाला		मेटल्ड रोड़
3.	मानमलजी कुई से सालरमाला विनोता		एजन
	स्वीकृत सड़कों का विवरण		
1.	मण्डला से खोड़ीप	1989-90	निर्माण कार्य चल रहा है।
2.	घोनवा से कचरीयपाखेड़ी "सी" ब्लॉक वाया बडोली माधोसिंह	1989-90	कार्य प्रारम्भ नहीं हुआ है।

परिशिष्ट–13

अतारांकित प्रश्न संख्या 612 का विवरण

जयपुर व अजमेर रैनबसेरों पर व्यय की गई राशि का विवरण :—

क्र. सं.	जिला	बाबदे	व्यय राशि
1.	जयपुर	1. टैन्ट व्यवस्था पर	277262=00
		2. होमगार्ड ड्यूटी पर	31172=00
		3. कम्बल खरीद पर	82581=00
		4. जर्सियां खरीद पर	17030=00
		5. विविध फुटकर व्यय (लालटेन/केरोसीन/मोमबती आदि)	964 = 00
2.	अजमेर	1. टेन्ट, बिजली एवं बैनर पर	1388=34

परिशिष्ट "ख"

जयपुर व अजमेर में खोले गये रैन बसेरों एवं उन पर व्यय राशि का विवरण :—

जिला	स्थान रैन बसेरा	व्यय राशि
जयपुर	1. खासा कोठी (सर्किट हाऊस के पास)	63112=40
	2. जलेबी चौक	59429=40
	3. शास्त्रीनगर, थाने के पास	27690=40
	4. सोडाला (हटवाड़ा रोड शापिंग सेन्टर के पास)	6261=00
	5. गांधीनगर रेल्वे स्टेशन के पास	39098=15
	6. सेठी कालोनी (घाट की गूणी के चौराहे के पास)	38459=40
	7. अशोक मार्ग, सी-स्कीम (लुहाड़िया भवन के पास	29589=50
	8. दुर्गापुरा, पशु चिकित्सालय	23726=95
अजमेर	1. अकबरी मस्जिद दरगाह	शून्य
	2. किंग एडवर्ड मेमोरियल	"
	3. राज. महाविद्यालय अजमेर के बाहर	1300=34
	4. पुरानी चूंगी चौकी रामगंज	80=00

288

परिशिष्ट-14

अतांराकित प्रश्न संख्या 622 का विवरण

सपोटरा विधानसभा क्षेत्र में सैकण्डरी एवं हायर सैकण्डरी विद्यालय में रिक्त पदों का विवरण

क्रमांक	नाम विद्यालय	पद का प्रकार	विषय	रिक्त पदों की संख्या	रिक्त पद कब से है
1.	रा.सी.उ.मा.वि., सपोटरा	व्याख्याता	हिन्दी	2	1-2-88 1-7-90
2.	रा. मा. वि., रोंधई	व. अध्यापक	गणित	1	11--89
3.	रा. मा. वि., अडूदा	व. अध्यापक	गणित	1	1-2-91
4.	रा. मा. वि., बालोती	व. अध्यापक	जीवविज्ञान	1	9-90

परिशिष्ट-15

अतारांकित प्रश्न संख्या 629 का विवरण

Government of Rajasthan

Department of Tourism, Art & Culture, Jaipur

No : F, 8 (18) TS/DTA & G/Misc./90/1487 Dated : 25.1.91

The Secretary to Govt.,
Tourism Department,
Rajasthan, Jaipur.

Sub : Samod Palaces.

Sir,

While enclosing a photo copy of the news which appearedf in "Rajasthan Patrika" on 17-9-90, it is stated that an inspection of Samod Palaces was car ried out throngh our Tourist officer Posted at Amber. After inspection he has submitted some photgraphs and suggested that the Mining Department should be requested to remove the machines and stop the blasting of explosives in the area. Otherwise this will destroy the beauty of Shish Mahal soon. The inspection report and photographs are also enclosed or kind perusal.

You are, therefore, requested to kindly take necessary action at the Government level.

Yours faithfully,
Sd/-
Director of Tourism,
Art & Culture,
Rajatshan, Jajpur.

Encl : as above.

अमर सिंह राठौड़,
आयुक्त एवं शासन सचिव,
पर्यटन, खेल एवं सूचना ।

जयपुर दिनांक 25/28 जनवरी, 1991
अ. शा. पत्र क्रमाँक एफ. 2 (2) पर्यटन/91

प्रिय श्री

सामोद के महल अपनी कलात्मकता के कारण पर्यटकों के लिए विशेष आकर्षण का केन्द्र बन गये है तथा प्रति वर्ष भारी संख्या में देशी व विदेशी पर्यटक इन महलों को देखने आते हैं।

राजस्थान पत्रिका के दिनांक 17-9-90 के अंक में एक समाचार प्रकाशित हुआ है कि सामोद के महलों के इर्द गिर्द पत्थर लाल बजरी व रोड़ी निकालने के लिए बारूदी विस्फोट किये जाने से विश्व प्रसिद्ध शीश महल में गहरी आ गई है। इस पर विभाग के पर्यटक अधिकारी को मौके पर निरीक्षक हेतु भेजा गया जिसने रिपोर्ट दी है कि खनिज विभाग ने महलों के पास स्थित पहाड़ियों में पत्थर खनन के लिये पट्टे दिये हैं जिनसे खनन कार्य करने के फलस्वरूप महलों की दीवारों में कम्पन होता है तथा आस पास का वातावरण दूषित होता है। पर्यटन विभाग की राय है कि सामोद के महल राज्य की एक सांस्कृतिक स्थिति है जिसे सर्वेक्षण दिया जाना चाहिये इसके अलावा पर्यटन का केन्द्र होने के कारण राज को प्रत्यक्ष व परोक्ष रूप से काफी आय भी होती है। शायद इनके मुकाबले में खनन से होने वाली आय विशेष महत्व नहीं रखती होगी।

अतः इस मामले को कृपया अपने स्तर पर देखें तथा सामोद के महल के आस पास के क्षेत्र में खनन कार्यवाही बन्द करने के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही करें।

भवदीय
हस्ताक्षर
(अमर सिंह राठौड़)

श्री एन. के. बैरवा,
सचिव,
खनिज विभाग, जयपुर।

प्रतिलिपि : निदेशक, पर्यटन विभाग, जयपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

ह.
आयुक्त एवं शासन सचिव

291

परिशिष्ट-16

अतारांकित प्रश्न संख्या 636 की सूची

राजस्थान राज्य समाज कल्याण सलाहकार बोर्ड, जयपुर द्वारा सवाई माधोपुर जिले में विगत पांच वर्षों की अनुदानित संस्थाओं की सूची

क्र. सं.	संस्था का नाम व पता	वर्ष	बालवाड़ी स्वीकृत अनु. राशि	पोषाहार स्वीकृत अनु. राशि	सामाजिक आर्थिक कार्य स्वी. अनु. राशि	शिशुपालना स्वीकृत अनु. क्रम स्वी. अनु. राशि	प्रौढ़ महिला शिक्षा पाठ्य क्रम स्वी. अनुदान राशि	बाल अवकाश शिविर स्वीकृत अनुदान राशि	म. जा. प. स्वीकृत अनुदान राशि	अनुदान का उपयोग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	भारती विद्या मन्दिर संचा. समिति, गंगापुर सिटी, (सवाई माधोपुर)	85-86	1500.00	—	57,930.00					परिक्षित लेखा प्राप्त हो चुके हैं राशि का उपयोग किया गया है।
		87-87	1500.00							
		87-88								
2.	ट्रस्टी मण्डल बापू विद्यापीठ, करौली (सवाई माधोपुर)	85-86	1000.00	10,900.00						
		86-87	1000.00	15,562.50						
		87-88	1000.00	15,562.50						
		88-89	3509.00	15,562.50						
		89-00	3500.00	15,562.50						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.	नवजागृति विद्यालय, संचा. समिति, गंगापुर सिटी	85-86	1500.00	1,725.00		7,757.00			परिक्षित लेखा	
		86-87	1500.00	8,887.00		11,562.50			प्राप्त हो चुके	
		87-88	1500.00	8,887.50		27,270.00	33,625.00	6,600.00	हैं, राशि का	
		88-89	3500.00	8,887.50		37,267.00			उपयोग किया	
		89-90	3500.00	8,887.50		37,844.00	31,475.00	6,344.00	गया है।	
4.	इन्द्रा विद्या मंदिर समिति	85-86	2000.00							
		86-87	2000.00							
		87-88	2000.00							
		88-89	3500.00							
		89-80	3500.00							
5.	ज्योति बाल निकेतन समिति सवाई माधोपुर	85-86	2000.00							
		86-87	2000.00							
		87-88	2000.00							
		88-89	3500.00							
		89-90	3500.00							
6.	हीरा बाल विद्यालय समिति	85-86	1000.00							
		86-87	1000.00							
		87-88	1000.00							
		88-89	3500.00							
		89-90	3500.00							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.	गांधी शिक्षण संस्थान,	85-86					33525.00		परिक्षित लेखा	
	गंगापुर सिटी (स. माधो.)	87-88					25975.00		प्राप्त हो चुके	
8.	नृसिंह ग्रामीण लोक कल्याण	85-86				69813.00			है, राशि का	
	समिति कैमला (स. माधो.)	86-87				104058.00			उपयोग किया गया	
		87-88				105048.00			है।	
		88-89				105050.00				
		89-90				117535.00				
9.	ग्रामीण विकास संस्थान	85-86								
		86-87					25125.00			
		87-88				18598.00		6599.00		
		88-89				24001.00				
		89-90				25230.00	22775.00	10,000	(लेखा प्राप्त नहीं)	
10.	जनजागृति शिक्षा समिति,	88-89				19562.00	22775.00	6600.00	,,	,,
	गंगापुर सिटी (स. माधो.)					25230.00				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11.	मोरपा ग्राम विकास समिति,	85-86 से 87-88 तक			अनुदान नहीं दिया गया					
	मोरया, जिला सवाई माधो.	88-89				10102.00				
		89-90			77240.00	25230.00			10,000.00 (परीक्षित लेखे प्राप्त नहीं)	
12.	मानव कल्याण सेवा समिति,	85-86 से 87-88 तक			अनुदान नहीं दिया गया					
	सालोदा जि. स. माधो	88-89						6600.00	,,	,,
		89-90		1491.00			24075.00		20,000.00 (लेखे प्राप्त नहीं)	
13.	महिला कल्याण शिक्षा	85-86								
	समिति, पिपलाई	86-87								
	(सवाई माधोपुर)	87-88						6343.00		परीक्षित लेखा प्राप्त हो चुके हैं।
		88-89								
		89-90								
14.	महिला कल्याण कारिणी,	85-86 से 87-88 तक			अनुदान नहीं दिया गया					
	समिति, गंगापुर सिटी	88-89				19310.00			,,	,,
		89-90							10,000.00 (लेखे प्राप्त नहीं)	
15.	वीर हितकारी संस्थान	85-86 से 87-88 तक			अनुदान नहीं दिया गया					
	संचालन समिति, पीपलोदा	88-89				19310.00				लेखे प्राप्त नहीं
	(सवाई माधोपुर)	89-90								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16.	पं. जवाहरलाल नेहरु स्मृति शिक्षा प्रसार समिति, हिण्डौन	85-86 से 88-89 तक 89-90			अनुदान नहीं दिया गया			10400.00		लेखे प्राप्त हो चुके हैं।
17.	कामधेनु ग्रामोद्योग सेवा समिति, टोडा भीम	85-86 से 88-89 तक 89-90			कोई अनुदान नहीं दिया गया					लेखे प्राप्त हो चुके हैं।
18.	ज्ञान ज्योति स्वास्थ्य शिक्षा समिति, नादोति, (स. माधो.)	85-86 से 88-89 तक 89-90		1605.00	कोई अनुदान नहीं दिया गया	—	—	—	62301.00	लेखे प्राप्त हो चुके हैं।
19.	ग्रामीण महिला एवं बाल विकास समिति, सोप (सवाई माधोपुर)	85-86 से 88-89 तक 89-90	3400.00	15.00	कोई अनुदान नहीं दिया गया	—	—	—	6420.00	लेखे प्राप्त हो चुके हैं।
20.	राजहंस शिक्षा समिति, बगलाई, जिला सवाई माधोपुर	85-86 से 88-89 तक 89-90	—	756.00	कोई अनुदान नहीं दिया गया	—	—	—		,, ,,
21.	श्री विजय ग्रामीण महिला एवं विकास समिति, रोठोली, जिला सवाई माधोपुर	85-86 से 88-89 तक 89-90		6610.00	कोई अनुदान नहीं दिया गया	—	—	—	6498.00	,, ,,

Page No. 295

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22. बाल कल्याण सेवा समिति	85-86 से 88-89 तक		कोई अनुदान नहीं दिया गया							
उदई कला (सवाई माधो.)	89-90			1419.00		—	—	—	9798.00	
23. कस्तुरबा विद्या मंन्दिर	85-86		—	—		—	—	—	—	—
शिक्षा समिति, ग्राम सुकार	86-87		—	—		—	—	—	—	—
जिला सवाई माधोपुर	87-88		—	—		—	—	—	—	—
	88-89		—	—		—	—	—	—	—
	89-90		—	—		—	—	—	—	—

परिशिष्ट-17

अतारांकित संख्या 639 का विवरण

राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ लि. जयपुर को उपहार शाखा द्वारा मैसर्स बुडर्स से बिस्कुटों आदि की खरीद की गई का विवरण

क्र. सं. दिनांक	बिल संख्या	मात्रा	राशि
1. 9-9-82	854	—	265.20
2. 11-12-82	2100	54 पीस फ्रुट केक 3 पीस चाकलेट 27.5 कि. बिस्कुट	714.38
3. 11-12-82	2101	56 पीस फ्रुट केक 28 कि. बिस्कुट	708.95
4. 21-1-83	2108-9	113.5 कि. बिस्कुट	1802·35
5. 25-1-83	2110	84.750 कि. बिस्कुट	1377·20
		योग :	4868·08

(298)

परिशिष्ट-18

अतारांकित प्रश्न संख्या 648 का विवरण

विधान सभा क्षेत्र सीसवाना में प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक व सी उ. माध्यमिक विद्यालय में स्वीकृत एवं रिक्त पदों का विवरण

क्र. सं.	पद	प्राथमिक विद्यालय		उच्च प्राथमिक विद्यालय		माध्यमिक विद्यालय		सी.उ.मा.वि.	
		स्वी.	रिक्त	स्वी.	रिक्त	स्वी.	रिक्त	स्वी.	रिक्त
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	वरिष्ठ अध्यापक	1	—	6	—	45	9	15	2
2.	व्याख्याता	—	—	—	—	—	—	43	15
3.	शा. शिक्षक ग्रेड	—	—	—	—	—	—	—	—
4.	शा. शिक्षा II ग्रेड	—	—	—	—	—	—	—	—
5.	शा. शिक्षक III ,,	—	—	—	—	8	—	—	—
6.	तृतीय वेतन श्र. अध्यापक	17	8	36	22	22	4	19	2
7.	व. अ. उद्योग	—	—	—	—	—	—	2	2
		18	8	42	22	75	13	81	21
	(छात्र)								
8.	वरिष्ठ अध्यापिका	1	—	—	—	11	—	—	—
9.	अ. तृ. वे. श्र.	14	1	—	—	7	—	—	—
10.	शा. शिक्षक	—	—	—	—	2	—	—	—
		15	1	—	—	20	—	—	—

परिशिष्ट-19

अतारांकित प्रश्न संख्या 651 की सूची

क. सं.	उद्योग का नाम	अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक का नाम
1.	संजीवनी फोडर प्रा. लि, जैसलमेर	श्री आई. जी. झिगरन
2.	संजीवनी फोडर प्रा. लि, जयपुर	श्री आई. जी. झिगरन
3.	खेड़ा रिफाइनरी प्रा. लि., अलवर	श्री ए. एल. रूंगटा
4.	कृष्णा कोरजिन्स एण्ड स्टेम्पिग प्रा. लि., अलवर	श्री ए. एल. रूंगटा
5.	सिन्ट्रोन इण्डिया लि., अलवर	श्री ए. एल. रूंगटा

परिशिष्ट-20

अतारांकित प्रश्न संख्या 655 की सूची

ऊन पर आधारित स्थापित उद्योगों के स्थान की जिलेवार सूची

1.	जयपुर	जयपुर, आमेर, बस्सी, बगरू, मनोहरपुर, दौसा, फागी।
2.	अजमेर	अजमेर, केकड़ी, सावर, पीसांगन, रूपनगढ़, जेठाना, पुष्कर, विजयनगर, देवलिया, भिनाय, अराई।
3.	अलवर	अलवर, नोगावा, रामगढ़।
4.	भीलवाड़ा	भीलवाड़ा।
5.	जोधपुर	जोधपुर, फलोदी, बाप, शेरगढ़, बालेसर, ओसियां, गोपालगढ़।
6.	उदयपुर	उदयपुर, राजसमन्द, आमेट, देवगढ़।
7.	बीकानेर	बीकानेर, नापासर, गाडवाला, उदासर, रायसर, फोरखाना।
8.	सीकर	सीकर, खण्डेला।
9.	टोंक	टोंक, मालपुरा, अलीगढ़, देवली।
10.	बाड़मेर	बाड़मेर, बामतु, बालोतरा, धोरीमन्ना, चौहटन, जसोल, भीमड़ा, कबुली, राणीगांव बाछड़ाऊ, नौखडा, जैसार, कानोड़।
11.	चुरू	चूरू, बीदासर, हुडेरा, रतनगढ़, सालासर, सुजानगढ़।
12.	जैसलमेर	जैसलमेर, पोकरण, छतरेल, रूपसी, नाडेला, राजमथाई, गोमट, सुल्ताना, भरमसर, टीकला, तडाना, डिगा।
13.	जालोर	जालौर, डावली नाडी, जैलातरा, डीयांव बिजलिया।
14.	नागौर,	नागौर, डीडवाना, लाडनूं, मेड़ता, नावा, कूचामन, मुण्डला, खजवाना, गुंढा, भगवान दास, सारण्डा, जायल, माराठ, रीयण, मोलिया, कुकड़ास, मडाणा।

गलीचा प्रशिक्षण केन्द्रों की सूची

1.	धौलपुर	(जिला—धौलपुर)
2.	रतनगढ़	(जिला—चूरू)
3.	चूरू	(जिला—चुरू)
4.	केकड़ी	(जिला—अजमेर)
5.	बीकानेर	(जिला—बीकानेर)
6.	जोधपुर	(जिला—जोधपुर)
7.	गंगापुर सिटी	(जिला—सवाई माधोपुर)
8.	दौसा	(जिला—जयपुर)
9.	लक्ष्मनगढ़	(जिला—सीकर)
10.	पलसानी	(जिला—जोधपुर)
11.	नवलगढ़	(जिला—झुंझुनू)
12.	सादुलपुर	(जिला—चुरू)
13.	रूपनगढ़	(जिला—अजमेर)
14.	गंगानगर	(जिला—गंगानगर)
15.	सरवाड़	(जिला—अजमेर)

परिशिष्ट-21

अतारांकित प्रश्न संख्या 656 का विवरण

शासन उप सचिव, दिनांक : 17-10-87

राजस्व (भूमि रूपान्तरण) विभाग नं. 606

प्रति. कलक्टर,

भूमि रूपानतरण,

जोधपुर ।

विषय : अरबन लेण्ड सिलिंग एवं नियमन एक्ट-कृषि भूमि रूपान्तरण ।

सन्दर्भ : अ. शा. पत्र क्रमांक पी. ए./राजस्व/न्याय/5630
दिनांक : 24-8-87

महोदय,

उपरोक्त विषय में निर्देशानुसार लेख है कि आप के सन्दर्भित अ. शा. पत्र से और व आप के तार दिनांक 3-8-87 से यह स्पष्ट नहीं होता है कि आप को इस विभाग से सम्बन्धित किस बिन्दु पर स्पष्टीकरण की आवश्यकता है। यहां तक अरबन लेण्ड सिलिंग एक्ट 1976 के प्रावधानों से सम्बन्ध में स्पष्टीकरण का प्रश्न है इस अधिनियम का सम्बन्ध नगरीय विकास एवं आवासन विभाग से सम्बन्धित है तथा इस अधिनियम अथवा उसके व अन्तर्गत बने नियमों के सन्दर्भ में यदि कोई परिपत्र आदेश प्रसारित किये गये है तो वह उक्त विभाग द्वारा ही प्रसारित किये गये है।

इस विषय में आप द्वारा अरबन लेण्ड सिलिंग अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत निर्णय लिया जाना चाहिये। यदि कोई भूमि उक्त अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत सिलिंग में आती है तो बगैर सक्षम अधिकारी से मुक्ति प्रमाण पत्र लिए ऐसी भूमि का रूपान्तरण किया जाना उचित नहीं होगा।

भवदीय
सही/-
(कि. के. चौधरी)
शासन उप सचिव

Certified photo copy of order dated 7-9-89.
S.B. Civil Misc. Stay Petition No. 1302/1989 in
S.B. Civil Writ Petition No. 1658/1989 in Prakash
Shukhla V/s State of Rajasthan.

7-9-89   **Hon'ble N. C. Sharma J.**

Dr. M. C. Kagzi for the petition.

Heard Dr. M. C. Kagzi for the petitioner. Iesue notice of the stay petition to the respondents returnable wiihin three weeks, the petitioner will file notices, proces-fee and copies of the stay application within four days. For detailed reasone mentioned by me while admitting the main writ petition, I hereby stay the operation of the notifications dated Oct. 19,1982, July 22, 1985 and Sept. 1, 1984 which have been appended as Annexures-I, II and III to the writ petition, till further orders.

Sd/-
(N. C. Sharma J.)